कुलमी क्षत्रिय
पाटीदारों का
इतिहास
जय
डॉ. मंगुभाई रामदास पटेल
रीडर - गु.युनि. अहमदाबाद - गुजरात.
पाटीदार संशोधन और प्रकाशन ट्रस्ट • अहमदाबाद.

सरदार वल्लभभाई पटेल

कुलमी क्षत्रिय पाटीदारों का इतिहास

डॉ. मंगुभाई पटेल (एम.ए., पीएच.डी)
रीडर, इतिहास विभाग
गुजरात युनिवर्सिटी - अहमदाबाद

प्रकाशक
पाटीदार संशोधन और प्रकाशन ट्रस्ट
अहमदाबाद (गुजरात)

स्व. पुरुषोत्तमदास लल्लुभाई परीख (वीरमगाम)
गुजराती इतिहास के लेखक एवं 'कडवा विजय' मासिक
के संपादक रहे। गुजरात-मालवा-निमाड के पाटीदारों को जोडने वाले
आगेवान सक्रिय कार्यकर्ता.

लेखक - परिचय

डा. मंगुभाई पटेल पी. एच. डी.

उत्तर गुजरात में स्थित कंबोई नामक गांव में १९३७ में जन्म हुआ। पिताजी रामदास और माताजी शिवकोर बा से संस्कार पाए इतिहास विषय के साथ साथ एम. ए. युनि. में प्रथम आए। कुछ समय के लिये गुजरात विद्यापीठ में प्राध्यापक रहे। अभी गुज. युनि. में प्राध्यापक है। आपके कई शोध निबंध एवं पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। गुजरात राज्य के राज्यपालने आपकी नियुक्ति सीनेट सदस्य के पद पर की है। गुज. राज्य की कई कमिटिओ मे आप सलाहकार भी हैं। समाज सुधारकके रुप में भी कार्य कर रहें हैं। आप जाने माने कलाकार और दिग्दर्शक भी हैं। आपके "बेचरदास लश्करी शेठ के जीवन" परके संशोधन निबंधको स्वीकार करके गुजरात युनिवर्सिटीने आपको पी. एच. डी. की उपाधि प्रदान की है।

शेठ श्री केशवलाल वि. पटेल

अध्यक्ष * उमिया माताजी संस्थान

ऊंझा (गुजरात)

सादर अर्पण

पाटीदार समाज के शिल्प-द्रष्टा दानवीर

शेठ श्री केशवलाल वि. पटेल

को यह ग्रंथ सादर अर्पण करते हैं

पाटीदार प्रकाशन एवं संशोधन ट्रस्ट परिवार

अहमदाबाद

प्रास्ताविक

इतिहास में जीवनदर्शन कराने की क्षमता होती है। अपने उज्ज्वल भविष्य के लिये श्रेष्ठ मार्गदर्शन मनुष्य को इतिहास से ही प्राप्त हो सकता है। और यही इतिहास की बहुमूल्यता है।

अब इतिहास कोई कल्पना, स्वप्नदर्शन या मनोरंजन का विषय नहीं रहा। आज की समस्याएं एवं उलझनें सुलझाने के लिये इतिहास एक महत्त्व की कडी बन चुका है। यही वजह है कि आज के प्रखर समाजशास्त्री वर्तमान समस्याओं के संदर्भ में एतिहासिक अध्ययन पर विशेष भार देते हैं।

गत पच्चीस वर्षों में भारतीय इतिहासविदों ने नई दिशाओं में प्रवेश किया है। भारत भर के कई विश्व-विद्यालय उनके शैक्षणिक अभ्यासक्रम में स्त्री विषयक अभ्यासक्रम शुरू कर चुके हैं। इतना ही नहीं, समाज के विभिन्न पक्षों में महिलाओं के ऐतिहासिक योगदान पर विश्लेषण-संशोधन भी शुरू हो चुके हैं। उपेक्षित, दलित जातियों एवं आदिवासियों का इतिहास लिखने की भी शुरूआत हो रही है। यानि कि यह कहा जाय कि 'इतिहास विहीनों का इतिहास लिखा जा रहा है' तो अतिशयोक्ति न होगी। इतिहास लेखन का उद्देश्य एवं संदर्भ अब विस्तीर्ण हो चुका है। इतिहास अब केवल राजा-महाराजा या गगनचुम्बी इमारतों के निर्माण या विध्वंस के पराक्रम कर्ताओं तक ही सीमित नहीं रहा है, बल्कि इतिहास के हृदयस्थान में अब सम्पूर्ण मानव आ गया है। मानव की विकास-गाथा ही इतिहास है।

साथ-साथ आज के युग में कुटुम्बों एवं जातियों के इतिहास लोकप्रिय बनते जा रहे हैं। इसी तथ्य को लक्ष्य करके हमने गुजरात, मध्यप्रदेश और राजस्थान में बसे हुए पाटीदारों के रीति-रिवाज, रहन-सहन, उनके मुख्य व्यवसाय, कृषि में समय-समय पर आए परिवर्तन, समाज में हुए विभिन्न सुधार, आन्दोलनों के उतार-चढाव, समाज के लिये अपना जीवन तक खपा देने वाले अदम्य पुरुषार्थी पाटीदारों के पराक्रमपूर्ण प्रसंग एवं भीषण आपत्कालीन परिस्थितियों में भी न डिगकर अपनी सांस्कृतिक थाति को बनाए रखते हुए हर युग में देश को हर तरह से किस प्रकार पाटीदारों ने पोषण दिया – उसका सविस्तार वर्णन इस ग्रंथ में करने का पूरा प्रयास किया गया है।

केवल सिद्धियों (प्राप्तियों) से संतोष मानकर हमें बैठे नहीं रहना हैं। जगत एवं उसकी हर मानव जाति के साथ हमें कदम मिलाने हैं। उससे प्रतिस्पर्धा करनी है। मगर शुद्ध एवं शुभ आंशय से.... अन्यों को दिखावे के लिये नहीं। अच्छे इतिहासकार

का लक्षण है कि वह समाज की भूलों व त्रुटियों के प्रति भी अपना अंगूली–निर्देश करें । वैसे कडवा सत्य कहने के भय–स्थान काफी हैं, फिर भी जहां पर जरूरत लगी है वहां 'सुगर कोटेड कुनैन' की तरह सत्य इस पुस्तक में अवश्य लिखा है । किसी भी इतिहासविद् की लेखनी अंतिम व अनंत सत्य नहीं रहती है । अतः उसके द्वारा संशोधित परिणामों का यदि खण्डन भी हो तो उन्हें खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए, उन्हें स्वीकारने के लिये हरदम तैयार भी रहना चाहिये । अंततः तो हकीकतों के खंण्डन एवं मंडन के संघर्ष से ही समाज का नवनिर्माण होता है ।

नये–नये कोणों से एवं पहलुओं से पाटीदार समाज के भूतकाल पर दृष्टिपात करना, जांचना, परखना एवं समाज के सम्मुख उन हकीकतों को जानकारी के लिये रखना अत्यंत आवश्यक है । उन विषयों पर वादविवाद–चर्चाएं उपस्थित करके वर्तमान समस्याओं की चाबी ढूंढनी आज की महती आवश्यकता है । मगर कमनसीबी से हमारे युवा वर्ग की निष्क्रियता एवं बडे कहलाने वाले लोगों की अहंपोषण की हीन वृत्ति विगैरह कारणों से आमजन तक ये सत्य पहुंच ही नहीं पाते । इस प्रकार समाज की प्रगति उधर ही कुण्ठित हो जाती है । विशेषकर गुजरात, मध्यप्रदेश और राजस्थान इन तीनों प्रांतों में कई कुरिवाजों का साम्राज्य है । प्रगति की गति बहुत ही मंद है ।

कुछ बुद्धिजीवियों के मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि जहां आज भारत में लोकतांत्रिक ढंग से समूचे समाज को पुनर्जीवित करने का प्रयास हो रहा है, वहां किसी जातीय इतिहास को महत्त्व देने की क्या जरूरत है ?. . . यहां उन्हें यह समझ लेना चाहिये कि पाटीदारों में जो समाज सुधार आन्दोलन हुए हैं, वे जाति उच्छेद की भावना से नहीं; बल्कि जाति द्वारा समाज में परिवर्तन लाने हेतु हुए हैं । आज भले ही हम २१ वी सदी की चर्चा करते हैं, मगर सत्य हकीकत यह है कि आज भी हम जाति के बीच ही जी रहे हैं । यह भी अपनी संस्कृति का एक अंग है । भारत की संस्कृति में ही 'अनेकता में एकता' रही हुई है ।

आज भारत की हर जाति के पास अपना स्वयं का इतिहास है । अपना उद्‌गम, अपना विकास और सिद्धियों को लेकर हर जाति अपने को गौरवान्वित अनुभव कर रही है । उसी प्रकार पाटीदार जाति के पास भी अपना इतिहास था और है । अपना मूल व्यवसाय कृषि होने के नाते से पाटीदार को समाज का व राज्य का महत्त्वपूर्ण अंग माना जाता था । गुजराती कवि शामळ भट्ट ने बत्रीस (३२) पूतली की कथा में नृपति विक्रम और भाभाराम पाटीदार के संवाद में भाभाराम को भूपतिओं का भूप बताया है । उन्होंने लिखा है –

"कणबी पाछळ करोड, कणबी कोईनी केडे नहीं ।"

(कणबी – पाटीदार करोड लोगों को पोसता है, पाटीदार किसीके आधार पर नहीं रहेगा ।)

इससे भी पुराना दृष्टांत ८ वीं सदी के चौलराजा के राजकवि कंभार ने अपनी तमिल कविता में "जे खेडुं हळ हांके"..... में लिखा है –

"जे ब्रह्म अर्पी अर्घ्य, देवो ने सदा संतोषी रहे,
जे ब्रह्मनेय पोषता, जे खेडूं हळ हांकी सके,

जे देव नियमे धरी, धरणी चक्रने चलवी रहें,
ते देवने य पोषता जे खेडूं हळ हांकी सके"

(इस जगत में किसान हर किसीका भरण पोषण करता है। वह ब्रह्म और देवों को भी पोषता है।)

जब भारत में ब्रिटिश राज्य शासन की शुरुआत हुई तब पाटीदारों ने अपने पुरुषार्थ से अपना स्थान बनाया, नये विचारों को स्वीकार किया, महत्त्वपूर्ण राजकीय स्थानों पर नियुक्त भी हुए। मुगलों के युग में हाथीमल्ल, पादशाह और बादशाह के स्थान भी प्राप्त किये। ब्रिटिश युग में दीवान, अमीन, रावबहादुर, राजरत्न भी बने। इतना होते हुए भी हमारे सामाजिक कुरिवाजों ने हम सबको आर्थिक दृष्टि से पायमाल (दीन) कर दिया। हमारे आर्थिक पिछडेपन के लिये सिर्फ हमारे बेशुमार विवाह खर्च और मृत्युभोज ही जिम्मेवार न थे, बल्कि उनके साथ–साथ राजाओं व ब्रिटिश शासकों की कृषि विषयक रीति–नीति और महेसूल पद्धति भी सविशेष कारणभूत थी।

पाटीदारों का सिंह समुदाय कृषि के साथ जुडा हुआ है, अतः वे आर्थिक और सामाजिक रूप से छिन्न–भिन्न हो गये, कर्जदार बन गये। फिर भी समाज के परिवर्तन के साथ पाटीदारों ने अपनी आगेकूच (प्रगति) जारी रखी। परिणामतः आज लगभग हरेक व्यवसाय में "पाटीदार" नाम प्रमुख स्थान पर शोभायमान होता जा रहा है। परदेश में भी उन्होंने अपना नाम बनाया है। उसका राज है – श्रम करने में शरम नही, जात मेहनत, प्रामाणिकता और साहस ! यही सद्‌गुण सच्चे पाटीदारों की पहचान है। पाटीदार के व्यक्तित्व की परख है। पाटीदार श्रेष्ठ कृषक रहा। उसने कृषिक्षेत्र में सुधार किये। वह कृषक में से व्यापारी बना, शिक्षित बना, शिक्षित होने के साथ–साथ उद्यमी बना और उद्योगपति भी बना। अनेक व्यवसाय व हुन्नर हाथ में आने से उसके सामाजिक स्तर में परिवर्तन आया। परंतु अब तक पाटीदार राजकीय संगठन की दिशा में ज्यादा कुछ नहीं कर पाया है। बदलते परिप्रेक्ष्य में राजकीय वातवारण की उपेक्षा अब नहीं करनी चाहिये।

"कुलमी को सातगांठ,"
"कुलमी को कुलमी मारे...दूसरो मारे किरतार !"

जैसी उक्तिओं से बाहर निकलना पडेगा। अब कहना पडेगा –

'कुलमी को कुलमी तारे !'

सामाजिक स्तर के परिवर्तन से पाटीदारों के रहन–सहन में परिवर्तन आया। पाटीदारों के पास पैसा बना, आमदनी बढी, अतः रिवाज बदलते गये व पाटीदार कुलीनशाही–मोह में फंसे गये। कुरिवाजों ने जन्म लिया (कन्या विक्रय, बालविवाह, प्रेत भोजन)। जाति पंच के जुल्म बढते गये, उसके सामने गुजरात और मध्यप्रदेश पाटीदार समाज के युवक मैदान में आये। उन्होंने जातिमंडल बनाये, अनेक जाति परिषदों का आयोजन किया, सुधारयज्ञ शुरू किये। युवक–युवतियां सुधारात्मक आंदोलन में सक्रिय बने। जडवादियों को इस प्रतिक्रिया के सामने झुकना पडा। नये परिवर्तन मन–बेमन से भी उन्हें स्वीकार करने पडे। वैसे उन्होंने भी सुधारवादियों के सामने प्रति आंदोलन करने में कुछ बाकी नहीं उठा रखा था। उन सब घटनाओं का इतिहास भी काफी रोमांचक व रसप्रद है।

यह सब हकीकतें इधर उधर बिखरी हुई थी; उनको योग्य स्वरूप देने का पुण्यकार्य मध्यप्रदेश और गुजरात के पाटीदारों के सहयोग से मैंने संपन्न किया है। यदि इस इतिहास का संकलन वक्त पर न हुआ होता तो यह समझ लो कि हमारी जाति का इतिहास खो देने की परिस्थिति का निर्माण हमारे लिये पूरी तरह से हो चुका था। मगर जागरुक पाटीदार समाज ने इस कार्य को महत्त्व देकर इतिहास को बचा लिया है।

इतिहास लिखने की बात जानकर अनेक पत्र मुझे प्राप्त होने लगे, जिससे मुझे काफी प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। उज्जैन में इतिहास लिखने की बाबत को लेकर अग्रणियों के साथ चर्चा–बैठकें भी हुई। मध्यप्रदेश के डेढसो से अधिक कार्यकर्ताओं ने उनमें उत्साह से भाग लिया।

श्री जयंतिभाई पटेल (संपादक श्री 'उमियादर्शन' मासिक), श्री चिमनभाई पटेल (कारभारी, श्री उमिया माताजी संस्थान–ऊंझा) और मैं इतिहास के विचार–विमर्श के लिये उपस्थित रहे। कार्यकर्ताओं ने इतिहास की जरूरत पर बल दिया और अनेकविध सुझाव भी दिये। श्री माळवा कुल्मी पाटीदार समाज–हनुमान गढी के पदाधिकारी और कर्मचारियों ने भी साथ दिया।

श्री सुमनाकरजी (ऊन), श्री परशुरामजी पाटीदार (मंदसौर), श्री चैनसिंहजी पाटीदार (अभयपुर), श्री मांगीलालजी पाटीदार (कवड्या), श्री विष्णुदत्तजी बोहरा (किशनगढ), श्री मानसिंहजी पाटीदार (सजोद), भूतपूर्व श्रममंत्री श्री श्यामसुंदरजी पाटीदार (किशनगढ), श्री मानसिंहजी पाटीदार, श्री रामस्वरूपजी नाहर, श्री गोपालजी वैद्य, श्री तेजरामजी आर्य, डो. श्री प्रहलादजी पाटीदार, अध्यक्ष श्री आत्मारामजी पाटीदार (रामजी मंदिर–उज्जैन), सह–सचिव श्री मांगीलालजी पाटीदार (रामजी मंदिर–उज्जैन), श्री बद्रीनारायणजी उज्जैन, श्री पुरुषोत्तमजी मुकाती–उज्जैन, श्री आर.

सी. मुकाती, इन्दौर, श्री लक्ष्मणभाई पाटीदार – अभयपुर, श्री राधाकिसनजी पाटीदार – उज्जैन, श्री रामेश्वरजी पाटीदार (सांसद–खरगोन), श्री पुरुषोत्तमजी पाटीदार, श्री रमेशचंद्रजी जुझारिया, श्री शान्तिलालजी गामी (एडवोकेट), श्री हरीरामजी पाटीदार एडवोकेट (रतलाम), श्री कन्हैयालालजी सूर्या (मऊखेडी), डो. शंकरलालजी पाटीदार (भोपाल), श्री रमेशचंद्रजी पाटिल (बदनावर), श्री जयरामजी पाटीदार (पिपल्या राधो), श्री मानसिंहजी पाटीदार (सामगी), श्री जगन्नाथजी मालोड (नलखेडा) एवं अन्य उत्साही मित्र व बुजुर्गों का हमें अच्छा साथ–सहयोग प्राप्त हुआ ।

आनेवाली पीढी अपने पूर्वजों के लिये, सुधारकों के लिये गौरव ले सके – इस लिये भी इस इतिहास का प्रकाशन होना आवकार्य है – स्वागत योग्य है । इसके द्वारा अपने पूर्वजों के त्याग, बलिदान, शौर्य, उद्यम, उमंग एवं गौरवपूर्ण विरासत को बार बार स्मरण करके अपनी भावी पीढी अपना उन्नति पथ उत्साहपूर्वक तय कर सकेगी । इस कार्य का मैं तो निमित्त मात्र हूं । आप सब के सहयोग का ही तो यह परिणाम है ।

इतिहास को अधिक सत्यता के नजदीक ले जाने के लिये श्री चिमनभाई पटेल और श्री जयंतिभाई पटेल के साथ मैंने मध्यप्रदेश के अनेक प्रवास–दौरे किये । शेठ श्री केशवलाल वि. पटेल (सिद्धपुर) और श्री मणीभाई (मम्मी – ऊंझा) द्वारा प्रेरित समाजयात्राओं ने हम तीनों को मध्यप्रदेश की ओर जाने को प्रेरित किया । शेट श्री केशवलाल वि. पटेल इस के प्रेरक बने । श्री चैनसिंह और श्री मांगीलाल पाटीदार, श्री लक्ष्मीनारायण (अभयपुर) हमारी समाजयात्राओं के साक्षी रहे हैं । श्री परशुराम पाटीदार, डो. प्रहलाद पाटीदार और श्री चतुर्भुजजी पाटीदार जैसे जातिजनों ने हमारे उत्साह को और बढा दिया । श्री सेण्डो और श्री खेमचंद पाटीदार भी उसमें शरीक रहे । माळवा विस्तार के इतिहास की जानकारी प्राप्त करवाने का काम श्री मध्यप्रदेश पाटीदार समाज के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री परशुराम पाटीदार (एम.ए., एल.एल.बी.) और श्री चैनसिंह पाटीदार जैसे कर्तव्यनिष्ठ समाजसुधारकों ने किया । निमाड प्रदेश का इतिहास उपलब्ध कराने का काम आदर्शवादी लेखक श्री सुमनाकरजी और प्राध्यापक श्री मांगीलाल पाटीदार (कवड्या)ने किया । श्री सुमनाकरजी के अनेक पुस्तक और उनके पत्र महत्वपूर्ण होने से इतिहास लिखने में काफी मददगार बने ।

इस इतिहास लिखने के दौरान श्री रतिलाल नायक (पांचोट–गुजरात) भी एक शुभेच्छुक के रूप में मददगार बने । श्री देवीसिंह बारोट (निमाड–बारोट, हलीम की खिडकी, अहमदाबाद – गुजरात) तथा श्री लालजीभाई नायक (बारोट–माळवा, बोरियावी–कडी, गुजरात) का सहयोग पाटीदार जाति की शाखाएं और उनके स्थानांतर

के तथ्य प्राप्ति में अमूल्य साबित हुआ । गुजरात, मध्यप्रदेश और राजस्थान के पाटीदारों के आपस के सामाजिक संबंध, वंशवृक्ष और अटक की जानकारी के लिये भी रसप्रद सहयोग उनका रहा । गुजरात के नायक मंडल आज भी मध्यप्रदेश के पाटीदार गांवो में हक पट्टा प्राप्त किये हुए हैं । उनके और पाटीदारों के दरम्यान हुए करार की नकल देखने का रसप्रद अवसर भी इस दौरान मिला ।

अपनी जाति में सामाजिक इतिहास सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के श्री नारायण सेठने अत्यधिक धनराशि खर्च करके "कुलमी इतिहास" के नाम से प्रसिध्धि किया था । उसके बाद कडवा-पुराण व लेउवा-पुराण भी लिखे गये । श्री डाह्याभाई लक्ष्मणभाई पटेलने "वडनगरा कणबी क्षत्रिय की उत्पत्ति" (अहमदाबाद सन् १९०६) लिखा । उसमें लेऊवा-कडवा पाटीदारों की उत्पत्ति पर प्रकाश डाला गया । श्री पुरुषोत्तमदास परीख ने (गुजराती) "कणबी क्षत्रिय उत्पत्ति अने इतिहास" सन् १९१२ में प्रकाशित किया, जो आज भी आधारभूत माना जाता है । सरदार पटेल विश्व विद्यालय के सर्जक श्री भाईलालभाई पटेल कृत "गुजरातना पाटीदारों," डो. मंगूभाई पटेल संशोधित कृति "रायबहादूर बेचरदास अंबाईदास लश्करी - गुजरातना सामाजिक अने औद्योगिक नेताना जीवन वृत्तांतनो अभ्यास", तदुपरांत "लेउवा आंजणा वर्तमान" विगैरह में समग्र पाटीदारों के रीति-रिवाजों का पूर्ण विवरण दिया गया है । ऐसे अध्ययनपूर्ण व संशोधित ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे गये थे जिसके फलस्वरूप ही पाटीदार समाज को अपने क्षात्रधर्म का खयाल आया । ग्रंथों के उपरांत पोकाक और डेविडने "कुनबी-ए पाटीदार : ए स्टडी ओव दि पाटीदार कोम्युनिटी ओव गुजरात" (आक्सफोर्ड : सन् १९७२) में प्रगट किया ।

हमारे वेद-पुराण, देवीप्रसाद चौधरी कृत "क्षत्रकुलादर्श" (बाराबांकी यु. पी.), पंडित साधुसिंहजी कृत "कौर्मि वंशावली" (लखनऊ) में अनेक विदेशी प्रवासियों की टिप्पणियों में से बिग्स, इलियट, बारडोले, जनरल टोड, कर्नल वोकर जैसे महत्त्वपूर्ण विदेशी पुरुषों के लेखन में से, विविध राज्यों के गेजैटियर में से कणबी, कुरमी, कुलमी के बारे में ऐतिहासिक रसप्रद जानकारी उपलब्ध होती रही है । इस सब उपलब्ध जानकारी का सप्रमाण उपयोग कर के इस ग्रंथ की संरचना आप सबके करकमलों में रखते हुए मैं आनंदित हूं । अंतमें तो वाचक के भाव प्रतिभाव इस इतिहास के सच्चे मापदण्ड बनेंगे । मुझे श्रद्धा है कि पाटीदार समाज इतिहास के इस प्रयास को स्वीकार करेगा ।

श्री मालवा कुलमी पाटीदार समाज उज्जैन के अध्यक्ष स्व. श्री गोवर्धनलालजी पाटीदार, सेवाभावी श्री राधा किशनजी पाटीदार, कारभारी श्री रतनलाल पाटीदार, श्री देवी प्रसाद (रंगवथल), श्री रमेश झुझारिया, श्री नाहर एडवोकेट, श्री रामेश्वर पाटीदार (करोंदिया) का भी आभारी हूं ।

श्री जयंतिभाई पटेल जैसे मितभाषी, उत्साही एवं साहसी प्रकाशक मिले न होते तो इस भगीरथ कार्य की सफलता संभव न थी । मेरी अनेक निराशाओं के समय पर उन्होंने मुझे प्रेरित किया है – प्रोत्साहित किया है । मुझे मांदगी के बिछौने से उठा के पुनः मध्यप्रदेश के दौरे पर ले जाने का साहस वे ही कर सके । अतः उनका मैं ऋणी हूं । आर्थिक कठिनाइयों के बीच भी उनको मैंने कभी भी निराश होते नहीं देखा, कारण उनके मन में पाटीदार सेवा का मुख्य उद्देश्य प्रस्थापित हो चुका है । (उनके दोनों पुत्र चि. हरेशभाई व चि. नयनभाई ने पुस्तक निर्माण कार्य में अपने पूरे उत्साह एवं परिश्रमपूर्वक सहयोग दिया है ।) । दर्शन प्रिन्टर्स के मालिक होने के बावजूद भी हंमेशा अच्छा व उत्कृष्ट परिणाम लाने के लिये वे सविशेष आंतरिक रुचि लेकर के छपाई करवाते रहे हैं । आधुनिक और गुजरात का नामी शिल्पी प्रोसेस स्टुडियो के श्री भरत पटेल ने निःशुल्क फोटो ब्लोक्स बना दिये हैं, उनका भी मैं आभारी हूं । इस पुस्तक में समाविष्ट 'कणबी क्षत्रिय उत्पत्ति अने इतिहास' गुजराती हिन्दी भाषांतर करने में श्री यशराय ने भी अपने नाम के मुताबिक ही योग्यता दिखाई है ।

पुस्तक में त्रुटि–सुधार , प्रुफ रीडींग एवं अनुवाद में एन वक्त पर परिश्रमपूर्वक सहयोग देकर सिरोही (राज.) के प्रजापति बन्धु रमेशभाई चंपालाल 'थावर' ने भी जो पुस्तक प्रकाशन की गति को एकाएक तीव्रता देकर आगे बढाया है वह भी प्रशंसनीय है ।

अपने निजि सुख–शांति को त्याग करने के पश्चात् इतिहास के लेखन के दौरान सतत प्रेरणादाता मेरी धर्मपत्नी श्रीमती पार्वती पटेल का भी मैं ऋणी हूं । वे भी अनेक सामाजिक प्रवृत्तियों से जुडी हुई हैं ।

पाटीदार जाति के शिरोमणि मध्यप्रदेश पाटीदार समाज और गुजरात पाटीदार समाज के सेतुबंध स्वरूप शेठ श्री केशवलाल विठ्ठलभाई पटेल (प्रमुख श्री उमिया माताजी संस्थान – ऊंझा, गुजरात) इस इतिहास के सर्जन के मूल में हैं । उनका ऋण स्वीकार करें उतना कम है । श्री मणिभाई पटेल (मम्मी, ऊंझा) और श्री चिमनभाई पटेल का पूर्ण स्हयोग भी इसमें प्राप्त हुआ है ।

इतिहास के इस ग्रंथ को शेठ श्री केशवलाल पटेल को अर्पण करते हुए मैं धन्यता अनुभव कर रहा हूं ।

३१ अक्तुबर १९९१
सरदार पटेल जयंति

डो. मंगुभाई रामदास पटेल
६, अरूणोदय पार्क, सेंट झेवियर्स कोलेज कोर्नर,
नवरंगपुरा, अहमदाबाद ३८० ००९, फोन ४४०२३८
भूतपूर्व सहसचिव, अखिल भारतीय पाटीदार समाज संगठन

भूमिका

श्री उमिया माताजी संस्थान ऊंझा का '१८वी शताब्दि महोत्सव' संवत् २०३३ के मागशर सुद ५ से ९ तक भव्य सफलता के साथ आयोजित किया गया था। यह कोई सामान्य महोत्सव नहीं था, मगर इस निमित्त काफी सालों के बाद मां उमाकी छाया तले समग्र श्रद्धालु परिवारों के सदस्य करीबन १८ लाख की जनसंख्या के समूह में मां ऊमा के दिव्य दर्शनार्थ उपस्थित रहे थे। यह महोत्सव दूरगामी असर का सर्जन करेगा व लंबे अरसे तक समाज जीवन में सीधा प्रतिबिंबित होगा, इसका खयाल इस आयोजन के पूर्व ही था। ठीक इसी अपेक्षा के अनुसार '१८वी शताब्दि महोत्सव पर्व पूर्ण होने के पश्चात् पाटीदार समाज के आम लोगों में मां ऊमा के प्रति श्रद्धा व भक्तिभाव में वृद्धि हुई है। इतना ही नहीं, बल्कि समग्र पाटीदार समाज में समाज के लिये कुछ करने की तमन्ना व उत्साह की स्फुरणा कल्पनातीत रूप से बढी है।

इस महोत्सव में समग्र गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश व देश के अन्य भागों में से ही नहीं, बल्कि विदेश से भी दर्शनार्थी काफी बडी संख्या में आ पहुंचे थे। इस महोत्सव के आयोजन व निमंत्रण के समाचार मध्यप्रदेश, राजस्थान व देश के अन्य हिस्सों में पहुंचाने के लिये – कि जहां बहुत बडी तादाद में पाटीदार समाज बस रहा है उनके लिये, हिंदी भाषा में लाखों पत्रिकाएं प्रकाशित की गई और प्रचार समिति को इस हेतु मध्यप्रदेश के हरेक बडे शहर व तहसीलों में भेजा गया था। हरेक पाटीदार अग्रणीयों से संपर्क किया गया था।

इस महोत्सव के एक कार्यक्रम के भाग स्वरूप १८ वी शताब्दि के बाद ऊमिया माताजी संस्थान के जाति-सेवक शेठ श्री केशवलाल वि. पटेल के नेतृत्त्व में मां ऊमा की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से कार्यकर्ताओं के साथ अनेक बार मध्यप्रदेश के विभिन्न विस्तारों में समाजयात्रा के रूप में दौरे किये गये। इन समाजयात्राओं से समग्र मध्यप्रदेश व राजस्थान के पाटीदार समाज में जागृति की एक लहर उठी। इतना ही नहीं, मगर इस महापर्व के कारण गुजरात के पाटीदार मध्यप्रदेश और राजस्थान के पाटीदारों के काफी निकट आये – एक दूसरे को बेहतर समझने लगे।

संगठन की भावना सही दिशा में गतिशील बने इसके लिये संवत् २०४२ में गुजरात, राजस्थान एवं मध्यप्रदेश के पाटीदारों का एक सेमिनार ऊंझा में आयोजित किया गया। करीब ७०० से ८०० अग्रणी पाटीदार मध्यप्रदेश और राजस्थान से ऊंझा के उस सेमिनार में उपस्थित रहे। यह पहला मौका था कि पश्चिम भारत के पाटीदार एक दूसरे के इतने करीब आये हो। उस समय से विचारों के आदान-प्रदान का सातत्य बना। परिणाम स्वरूप उमियादर्शन के तंत्री और पाटीदार प्रकाशन व संशोधन ट्रस्ट के ट्रस्टी श्री जयंतिभाई पटेल तथा गुजरात युनिवर्सिटी के इतिहास विभाग के रीडर प्रा. मंगुभाई पटेल भी जो इन समाज यात्राओं में शुरुआत से ही शरीक रहे हैं – इन दोनों मित्रों ने मध्यप्रदेश पाटीदार समाज के सामान्य जीवन, रीति-रिवाज, उत्सव, रहन-सहन, व्यवसाय इत्यादि विषयों पर चिंतन और अध्ययन किया तब उनको लगा कि प्रादेशिक निकटता बढे और पारिवारिक संगठन की भावना विकसित हो, इसके लिये एक संशोधनात्मक एवं विस्तृत इतिहास लिख कर तैयार करना चाहिए।

इतिहास आलेखन का प्रस्ताव तो रखा गया, मगर यह काम दुरुह था । इतना ही नहीं, मगर एक गंभीर जिम्मेवारी का यह काम था । इतिहास आलेखन से तथ्यों के साथ कोई अन्याय न हो, गलत जानकारी का आलेखन न हो जाय – यह सब पूर्व से विचारणीय विषय था । इन दोनों मित्रो ने पाटीदार इतिहास का आलेखन व प्रकाशन करने का यह बीडा उठाया तब ऐसी खर्चाली प्रवृत्ति हाथ पर लेनी ही हमारे लिये असंभव जैसा कार्य था । इस विषय को हम लोगों ने इस ट्रस्ट के प्रमुख और उमिया माताजी संस्थान के अध्यक्ष शेठ श्री केशवलाल वि. पटेल के सम्मुख रखा । उन्होंने कई बैठकें इस चर्चा के लिये आयोजित की एवं परिस्थितियों की सूक्ष्म जानकारी प्राप्त करने के बाद ही उन्होंने इस भगीरथ कार्य को हरी झंडी दिखाई । उन्होंने कहा 'इतिहास तो प्रकाशित होना ही चाहिए, आप आर्थिक बाबत की कोई चिंता न करें ।' उनके इस प्रोत्साहन के बाद इतिहास लेखन और प्रकाशन के कामका शुभारंभ हुआ ।

कामकी गंभीरता दोनों मित्र समझते ही थे, इसलिये मध्यप्रदेश के कार्यकर्ताओं के साथ पत्रव्यवहार से, जरुरत लगी वहां स्वयं जा करके, अनेक मुश्किलें झेल कर के जानकारी का भंडार एकत्रित किया, अनेक पुस्तकों का अध्ययन किया । सतत पत्रव्यवहार और संकलन के बाद किसी व्यक्ति या समाज के साथ अन्याय न हो – इस बात का संपूर्ण ध्यान रखते हुए इस महान ग्रंथ का निर्माण संभव बना । यह प्रथम ही प्रयास इस दिशा में हुआ है, अतः कोई भूलचूक – किसी जानकारी का आधार बाकी रहा हो, किसी उल्लेखनीय महानुभाव का उल्लेख ही करना रह गया हो या तो कोई चर्चित विषय हो, तो अवश्य ही इस बातको ट्रस्ट के ध्यान में आप लावें, ताकी इस महान ग्रंथ के पुनः प्रकाशन के समय पर उन भूलों को दुरूस्त किया जा सकें ।

पाटीदार प्रकाशन एवं संशोधन ट्रस्ट पाटीदार समाज के अनेक तथ्यों पर संशोधन करके आनेवाले समय में होने वाले जबरदस्त सामाजिक परिवर्तन के दौरान देशकी अन्य जातियों से पाटीदार समाज विमुख न हो जाय या तो पीछे न रह जाय और नई पीढि सुखी–समृद्ध, संस्कारी, निर्व्यसनी, परिश्रमी बने एवं पूरा समाज आर्थिक, सामाजिक व अन्य अनेक क्षेत्र में विकास करे – इसी लक्ष्य को नजर समक्ष रखा गया है । इस विकास यात्रा में आप सबका साथ–सहकार हरहमेश रहेगा – यह हमारी अपेक्षा है, विनति है ।

इस महान ग्रंथ के निर्माण में यदि कोई गलती रह भी गई हो, तो उदार दिल से आप हमें क्षमा करेंगे । मां उमाके आशीर्वाद सदैव हम सब पर उतरते रहें – ऐसी प्रार्थना के साथ ।

मणिभाई आई. पटेल (मम्मी)
कल्याणपरा, ऊंझा (उ.गुजरात)
मंत्री, पाटीदार संशोधन और प्रकाशन ट्रस्ट
सचिव, अखिल भारतीय पाटीदार समाज संगठन

प्रकाशकीय

विगत पांच वर्षों से निरंतर चल रहा यज्ञ इस ग्रंथ के सर्जन के साथ पूर्ण हुआ है। इस यज्ञ के पूर्ण होने का संतोष व आनंद भी आज है।

सतत इन पांच वर्षों के दौरान मानसिक तनाव व अनेक कठिनाइयां झेल कर भी डो. मंगुभाई पटेल ने यह भगीरथ कार्य संपन्न किया है। अतः सबसे पहले आभार व्यक्त मैं उनके प्रति करुं तो अनुचित नहीं है। 'पाटीदार इतिहास' के सर्जन हेतु आवश्यक जानकारी एकत्रित करने में उन्होंने अपने नाजुक स्वास्थ्य की भी परवाह नहीं की। गुजरात से मध्यप्रदेश के अनेक दौरे इस हेतु उन्होंने किये। अनेक संदर्भ-ग्रंथों का चयन-अध्ययन उन्होंने किया।

"कुलमी क्षत्रिय पाटीदारों का इतिहास" ग्रंथ के निर्माण में मुख्य समस्या थी खर्च की। परन्तु हमारी आर्थिक परेशानी आदरणीय शेठ श्री केशवलाल वि. पटेल ने एन मौके पर मिटा दी। इतना ही नहीं, बल्कि उनका स्नेह प्रोत्साहन एवं सहयोग भी सतत इस ग्रंथ - सर्जन के दौरान रहा। इस भगीरथ यज्ञ की सफलता का संपूर्ण यश उनको ही जाता है। यदि उनका यह सहयोग नहीं मिला होता तो यह यज्ञ क्वचित निष्फल ही होना था। मां उमिया उन्हें सदा ही ऐसे पवित्र कार्यों के लिये प्रेरणा दे व आशीर्वाद दे।

श्री यशराय एवं प्रजापति श्री रमेशभाई चंपालाल 'थावर' (सिरोही-राज.)ने इस ग्रंथनिर्माण में अनुवाद से ले कर त्रुटिसुधार एवं प्रुफ-रीडींग तक जो तन-मन-पूर्वक मेहनत की है, वह भी अविस्मरणीय है। इन दोनों मित्रों का मैं आभारी हूं।

मध्यप्रदेश की समाजयात्राएं और प्रवास के दौरान साथ देनेवाले तथा ग्रंथ की सामग्री-संकलन के लिये जरुरी साथ-सहयोग देनेवाले सम्माननीय महानुभाव श्री चैनसिंहजी, श्री लक्ष्मणभाई तथा श्री मांगीलालजी व उनके साथियों का भी उल्लेख न करुं तो कैसे चलेगा ? इस यज्ञ में उन्होंने भी महत्वपूर्ण आहुतियां दी हैं।

ऊंझाके श्री मणिभाई (मम्मी) और 'श्री उमिया माताजी संस्थान - ऊंझा'के भूतपूर्व कारभारी श्री चिमनभाई पटेल दोनों मित्र हमारे मध्यप्रदेश के हरेक दौरे के साथी रहे और सतत इस ग्रंथ-यज्ञ के सर्जन में मार्गदर्शक भी रहे। उनको हम कभी भी भुला न पायेंगे।

प्रिन्टोग्राफ के श्री कौशिकभाई व चि. हरेश और चि. नयन ने सदैव तत्पर रहकर इस ग्रंथ के सर्जन में सतत उत्साहपूर्वक साथ दिया है। ऐसा सुंदर परिणाम लाने में उनका हिस्सा भी कम नहीं रहा। इस ग्रंथ के सर्जन यज्ञमें उनके सहयोग का भी हमें आनंद है।

ता. १९-१२-'९१
अहमदाबाद

जयंतीभाई पटेल
पाटीदार संशोधन और प्रकाशन ट्रस्ट
संपादक, उमियादर्शन (मासिक)

आशीर्वचन...

'कुलमी क्षत्रिय पाटीदारों का इतिहास' पुस्तक के प्रकाशन के लिये पाटीदार प्रकाशन एवं संशोधन ट्रस्ट को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं भेजते हुए मुझे बडी प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि ऐसा महत्वपूर्ण, दुरूह एवं भागीरथ कार्य इस ट्रस्ट के द्वारा हुआ है, जो वस्तुतः प्रशंसनीय हैं ।

१८ वी शताब्दि महोत्सव जब 'उमिया माताजी संस्थान' – उंझा में हुआ था तब मध्यप्रदेश के पाटीदार परिवारों से सम्पर्क हुआ था । उसके बाद ही आज से गत १२ वर्ष पूर्व श्री विठ्ठलभाई (भूतपूर्व विधायक), श्री कौशिकभाई के. पटेल, मणिभाई मम्मी के साथ उज्जैन अधिवेशन के प्रसंग में मध्यप्रदेश में मेरा जाना हुआ था । तब म.प्र.में बसते पाटीदार परिवारों से संबंध अधिक घनिष्ट बना । उसके बाद तो समय-समय पर संबंध और घनिष्ट बनते गए ।

उज्जैन अधिवेशन के लगभग छः वर्ष बाद गुजरात से समाज यात्राओं का मध्य प्रदेश में जाने का सिलसिला शुरु हुआ । इन समाज यात्राओं के दौरान डो. मंगूभाई पटेल एवं जयंतिभाई पटेल जब मेरे साथ थे, तब उन्होंने यह सुझाव दिया कि म.प्र. के पाटीदारों की विस्तृत जानकारी यदि ग्रन्थबद्ध हो सके तो यह अपने आप में एक बडा कार्य तो होगा ही; साथ ही साथ इससे म.प्र.का गुजरात के साथ ऐतिहासिक एवं अटूट सम्बंध सबके लिये एक यादगार की अमूल्य वस्तु बन जायगी । और उसी के फलस्वरूप डो. मंगूभाई पटेल द्वारा इस इतिहास का सर्जन साकार बन पडा है ।

इस इतिहास के द्वारा म.प्र.में बसते पाटीदारों कि जहां कडवा-लेउवा पाटीदार जैसा कोई भेद नहीं, यह भावना इतिहास में तो साकार हुई ही है साथ ही यदि यहीं भावना गुजरात में भी प्रसारित हो जाय, तो इस ग्रंथ का प्रयोजन सार्थक हो जाय ।

इस इतिहास के सर्जन में डो. मंगुभाई पटेल द्वारा किये गए परिश्रम के साथ श्री मणीलाल मम्मी, उंझाके श्री चिमनभाई पटेल, 'उमिया दर्शन' के संपादक एवं इस ग्रंथ के प्रकाशक श्री जयंतिभाई पटेल, श्री कौशिक अमीन, म.प्र. के मित्र कि जिनकी मदद के बिना इस इतिहास का संकलन बहुत ही कठिन बना हुआ था वे श्री चैतनसिंह पाटीदार, श्री मांगीलाल पाटीदार, म.प्र. पा. समाज के वर्तमान अध्यक्ष डॉ. श्री प्रह्लाद पाटीदार, श्री परशुराम पाटीदार, श्री चतुर्भुजजी पाटीदार एवं उनके मित्र बंधुओं का सहयोग भी प्रशंसनीय एवं उल्लेखनीय है ।

जिन की द्ढता एवं लगन से इस इतिहास के प्रकाशन में गतिशीलता आई – सिरोही (राजस्थान) के उन प्रजापति रमेशभाई चंपालाल 'थावर' को भी मेरा अभिनन्दन है । प्रिं. प्रेस के मित्र श्री हरेशभाई, श्री नयनभाई एवं उनके अन्य साथियों का सक्रिय सहयोग भी इस कार्य में यथोचित रूप से मिला है । वे भी अभिनन्दन के पात्र हैं । मुझे आशा है अपनी नई पीढी इस इतिहास से अवश्य अनुप्रेरित होगी । इस इतिहास के द्वारा हमारे बंधुओं को पाटीदार समाज की एक-रूपता समझ में आवे और यही तथ्य आर्थिक- सामाजिक-नैतिक आदि समाज के बहुमुखी विकास का प्रेरणा-बल बने, उसके लिये मां उमिया का आशीर्वाद उतरे – ऐसी मेरी प्रार्थना है ।

डो. मंगुभाई और श्री जयंतिभाई को खूब-खूब अभिनन्दन !

गुलाब बाग
सिद्धपुर (उ.गु.)
ता. १९-१२-१९९१

केशवलाल वि. पटेल
अध्यक्ष : श्री उमिया माताजी संस्थान
उंझा (उत्तर गुजरात)
एवं **अध्यक्ष : अखिल भारतीय** पाटीदार समाज संगठन

अनुक्रमणिका

१. कुलमी पाटीदारों की उत्पत्ति का विवेचन

- वर्ण–व्यवस्था
- 'कडवा' निबंध की समालोचना
- पुश्तनामियों द्वारा कही उत्पत्ति–कथाओं की समालोचना
- 'ब्राह्मणोत्पत्तिमार्तण्ड' में हांकी गई गप्प का खंडन
- समस्त लेउवा कडवा कणबी की उत्पत्ति
- सामान्य समालोचना

वर्ण–व्यवस्था

आर्यधर्म के अलग–अलग ग्रंथों में सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में अलग–अलग ग्रंथकारों ने भिन्न–भिन्न बातें कही हैं, उन सब का सविस्तार वर्णन यहां पर नहीं दिया है, फिरभी सभी मतों के अभ्यास से इतना निश्चित् रूप से परिलक्षित होता है कि प्रारंभ में सभी मानव एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न ऋषिमुनियों के कुल के पवित्र ब्राह्मण ही थे । आगे चलकर आवश्यकता के अनुसार योग्यता के अनुरूप वे अलग–अलग कर्मों में व्यस्त हुए, जिससे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र ऐसे चार वर्ण स्थापित हुए । वेद द्वारा ईश्वर – स्तुति करना, यज्ञादि करना–कराना तथा विद्याग्रहण करना–कराना आदि कर्म के कर्ता ही 'ब्राह्मण' हुए । शस्त्रास्त्र धारण कर युद्ध कर के सभी का रक्षण करना आदि क्षात्रकर्म के कर्ता 'क्षत्रिय' बने । कृषि, व्यापार तथा पशुपालन–संवर्धन आदि कार्यके कर्ता 'वैश्य' कहलाए; एवं ऐसे अन्य महत्त्वपूर्ण कार्यों में जिन्हें गिना न गया हो वैसे पिछडे व अज्ञानी लोगों की गणना इन तीनों वर्णों की सेवा करनेवाले दास अर्थात् 'शूद्र' वर्ग में होने लगी ।

इस प्रकार सृष्टि के प्रारंभ से लेकर महाभारत के बाद भी गुणकर्म को लेकर मानव को ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यादि उपाधि दी जाती थी । इसका तात्पर्य यही है कि प्रत्येक वर्ग अलग–अलग कर्म करने की योग्यता रखता था, किंतु समय के बीतते प्रत्येक वर्ण अपने मुख्य कर्म को छोड दूसरे के कामों में शायद ही हस्तक्षेप करता था । फिर ऐसे मुख्य कर्मों में भी प्राकृतिक शिथिलता क्रमशः आयी और वर्णाश्रम में अव्यवस्था होने लगी । ऐसे दिनों–दिन अव्यवस्था बढने पर भी बौद्ध तथा जैन धर्मों के आगमन तक यह चतुर्वर्ण–प्रणाली कायम थी । बाद में उत्तरोत्तर इन चतुर्वर्णों में विभाजित पेशे के अनुसार अलग–अलग उपविभाग हो गए और जातियां बढने लगी ।

उदाहरणार्थ वर्तमान में इमारत चुनने वाले सथवारा जाति के लोग 'कडिया' कहलाते हैं और बाकी लोग 'सथवारा' कहलाते हैं । उसी प्रकार कपडे सीने वाले दर्जियों में से जो बढई काम भी करते हैं वे 'सईसुथार' कहलाते हैं, बाकी दर्जी कहलाते हैं ।

समय बीतते यवनों के लगातार आक्रमणों से, हिन्दू शासन बिखर गया, तो जैन और बौद्ध के काल में धंधे के अनुसार जो उपजातियां अस्तित्वमें आयी थी, वे यवनों के जुल्म तथा संपर्क से द्ढ हुई इस शंका में कि ये भ्रष्ट हो गए, वे उपजातियां कायम ही हो गयी । अपने वर्ग से भिन्न को वह यवनों से भ्रष्ट हुआ होगा–ऐसी शंका से कालांतर में एक–दूसरे के रीति–रिवाजों में बढे अंतराल को सब कायम रखने लगे । वहम के इस लक्षण के बढने से सुदूर प्रांत के एक ही जाति विभाग के लोगों के साथ भी रोटी–बेटी का व्यवहार टूट गया । वर्तमान काल में भी प्रायः यही प्रथा जारी है । गुजरात के ब्राह्मण, वनिये या कणबी उत्तर हिंदुस्तान में अथवा गुजरात से दूर प्रांत में बसते ब्राह्मण, वनिये या कणबी से रोटी–बेटी का व्यवहार करने में भ्रष्टता का अनुभव करते हैं । इसमें प्रमुख कारण सिर्फ निवास का अंतर ही है । अंततः भिन्न–भिन्न कई जातियां अस्तित्व में आयी । यहां तक कि आज प्रचलित कोई जाति, शुरु के चार वर्णों में से किस मूल वर्ण की उपजाति होगी, यह जानना बडा मुश्किल है ।

इतिहास लेखनमें आनेवाली कठिनाइयां

प्राचीन काल में किसी प्रकार का श्रृंखलाबद्ध इतिहास लिखने की ओर लोगों का रुख या लक्ष्य रहा हो, ऐसा प्रतीत नहीं होता । उस काल में लेखन–शैली का विकास नहीं होने के कारण साहित्य मौखिक ही रहता था, अतः वेदादि ज्ञान के कोष भी विद्वानों को कंठस्थ ही रहते थे । वे अपने शिष्यों को मुखपाठ देकर पढाते और वह शिष्य–परंपरा भी पढाने–सिखाने में उसी शैली का आश्रय लेती थी । कई सालों तक यह सिलसिला चलता रहा । इस तथ्य के प्रमाणस्वरूप हमारे सभी स्मृति–ग्रंथ मौजूद हैं । इसके बाद कालांतर में जब लेखनशैली का विकास हुआ तो तवारीखें लिखी जाने लगी । किंतु जब हिंद के सर पर विनाश का कालचक्र घूमने लगा तो जो थोडे–बहुत प्राचीन इतिहास–ग्रंथ थे, वे भी मूढ यवनों के हाथों उनकी कट्टर धर्मांधता के शिकार होकर नष्टप्राय हो गए ।

आज जो इतिहास के नाम पर हम पूर्ण ग्रंथ के रूप में सीखते–पढते हैं, उन्हें वर्तमान रूप देने में प्राचीन सिक्के, ताम्रपत्र, शिलालेख, कीर्ति–स्तंभ, विदेशी प्रवासियों के वर्णन, भाट–चारणादि की गाथाएं तथा किसी–किसी बादशाह की जीवनी की सहायता ली गई है । फिर भी बीच में जो खण्डावकाश प्रतीत हुआ उसे विद्वज्जनों ने अपनी सूझ और कल्पना से भर दिया । जब ऐसे महान राष्ट्र की तवारीख भी

सम्पूर्ण व श्रृंखलाबद्ध न रही, तो किसी उपजाति का श्रेणीबद्ध इतिहास का होना कितना मुश्किल होगा इसका अंदाजा सुज्ञ पाठकगणों को आ जाय; इस हेतु से यह ग्रंथ लिखने से पूर्व उपर्युक्त स्पष्टीकरण आवश्यक था।

इन कारणों से सभी जातियों की उत्पत्ति के बारे में अखण्ड इतिहास पाना बडा कठिन है। इतना ही नहीं, ऐसी अपेक्षा करना भी व्यर्थ है। हालात ऐसे होने के कारण जिस प्रकार अन्य जातियों की श्रेष्ठता के लिये संबन्धित जाति के तथा अन्य जाति के विद्वानों ने कुछ प्रमाण कुछ कल्पना और गुणकर्मों की सहायता से वर्णन किये हैं, उसी प्रकार हमारी उत्पत्ति के बारे में भी हमारे रीति–रिवाज तथा कालांतर में बदले व्यवसाय से हमारे स्व–जाति के लोगों ने तथा अन्य जातिजनों ने भी सत्यशोधन के लिये बिना कोई श्रम किये तथा बिना अपनी सामान्य बुद्धि को चलाये वर्णन किये हैं। इन वर्णनों में सत्यासत्य का कैसा व कितना दर्शन हो पाता है उस के लिये ही प्रारंभ में कुछ विचार करना आवश्यक लगता है।

"कडवा" निबंध की समालोचन

यह निबन्ध कवि उत्तमरामजी ने ईसवी सन् १८५६ में गुजरात वर्नाकुलर सोसायटी के लिये रचा था। जिसके लिये कोई प्रामाणिक ग्रंथों का आधार दर्शाय गया नहीं है, अपितु इसके विपरीत यह निबन्ध निपट कल्पना पर ही और वह भी निरी असंभव लगती है आधारित है। यह बात निम्न तथ्यों से पूर्णतया स्पष्ट हो जायगी।

निबंधकर्ता स्वयं ही लिखते हैं–

'सृष्टि उसी प्रकार उत्पन्न हुई है, जिस प्रकार होती है। किंतु 'कडवा' के बारे में पुश्तनामा, वर्तमान रिवाज तथा लोकोक्ति से भयंकर ख्याल आता है।

इन शब्दों से ही ऐसा सिद्ध होता है कि उत्तमरामजी ने सिर्फ भाटों, ब्राह्मणों, पुरोहितों और उनके प्रशंसकों–समर्थकों आदि की बातों व लोकोक्तियों से यह कथा गढी है। फिर उन्होंने शक्ति के अभाव में या साधन जुटाकर सत्य खोजने के प्रति निष्क्रियता के परिणामस्वरूप वस्तु–विषय में गहरे पैठ कर सत्य खोजने की मेहनत नहीं की है। निबन्ध की वस्तु–स्थिति ऐसी होने के कारण उसके असत्य के लिये, विशेष विवेचन करके कालक्षेप करना अनुचित मानकर प्रमुख बातों की ओरही पाठकों का ध्यान खींचकर, यह निबन्ध कितनी हद तक असंभव कल्पनाओं से भरा हुआ है यह संक्षेप में दर्शाने का प्रयास किया गया है। उक्त कवि महोदय ने उत्पत्ति की शुरूआत ऐसे की है–

'गंगाजी के पावन तट पर शिवजी तपस्या कर रहे थे तभी नारद ने सोचा कि पश्चिम दिशा में दानवों का प्रभाव अधिक है। यदि शंकर उस ओर जाएं तो तुमुल युद्ध हो तथा मनोरंजन भी होगा। नारदजी को खटपट, कलेश व झगडे बडे प्रिय हैं।'

नारदजी को कलहप्रिय बताकर शंकरजी को ठगने जाता हुआ बताया है; किंतु जिन्होंने शास्त्रों का श्रवण नहीं किया हो ऐसे मूढ व नास्तिक लोगों के मानने जैसी ही यह बातें हैं। क्योंकि मृत्युलोक के मूढ मनुष्यों के दुःखों से जिनका संवेदनशील अंतःकरण बार-बार पिघल जाता हो, जो परम भक्त नारदजी दिन-रात इस लोक में भ्रमण कर उनके दुःखों की फरियाद बार-बार वैकुण्ठवासी भगवान विष्णु तक पहुंचाते हों और इस प्रकार मृत्युलोक के पीडित जन किसी प्रकार सुखी हो सकें, ऐसे नित नये उपाय खोजते रहकर उन्हें सदुपदेश के द्वारा शांति पहुंचाते हों – वे ईश्वर के परम भक्त नारदजी खटपटिया तथा कलहप्रिय हो तथा वे सर्वज्ञ भगवान शंकर को ठगने का साहस करे, ऐसी विसंगतिपूर्ण बातें भला आज के सुधरे हुए जमाने में कौन सयाना आदमी मानेगा ?

फिर आगे बताया है –

'नारदजी गंगातट पर गए और बोले कि पश्चिम दिशा में अवर्णनीय हिंगलाज देवी का धाम है, जिसे देखे बिना जप, तप और अवतार व्यर्थ होते हैं।

भगवान सर्वज्ञ हैं और सदैव अपने आत्म-स्वरूप में ही मग्न रहते हैं। साधारण मनुष्य की भांति उन्हें संसार की मोहक चीजों के प्रति आसक्ति होती हो और हिंगलाज देवी का अनुपम धाम देखने की प्रबल इच्छा हो तथा इस के लिये वे जप-तप त्याग दें यह बात कतई स्वीकार्य नहीं है। फिर, जो सदा सर्वज्ञ हैं उन्हें हिंगलाज देवी के धाम के बारे में पता ही न होगा ? फिर भी यह सब प्रभु की माया ही और पृथ्वी पर धर्म की पुनःस्थापना हेतु उन्होंन ऐसा कोई कारण उत्पन्न कर के दानवों को नष्ट करने के लिये पश्चिम दिशा में प्रयाण किया हो यह तथ्य कदाचित् स्वीकार कर भी लें, लेकिन केवल हिंगलाज देवी का धाम देखने तथा उसे प्रसन्न करने के लिये जगत्पिता भगवान शंकर को सहेतुक तपस्या करनी पडे-यह तो बिलकुल अस्वाभाविक और कपोलकल्पित बात है, ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है।

'पश्चिम दिशा में चले। विकट जंगल आया। वहाँ ताडकासुर दैत्य के साथ तुमुल युद्ध हुआ। उसकी अपार माया होने पर भी उसे मार डाला। फिर आगे बढने के लिये उमाजी से कहा। तब देवी ने कहा, ऐसे राक्षसों से भरे वन में मैं नहीं आऊंगी। आप अकेले ही जाइए। मैं इस अरण्य में अकेली ही रहूंगी।'

जिस जगज्जननी, आद्यशक्ति, परम सती उमियाजी को परमात्मा शंकर को प्रसन्न करने के लिये हिमाद्रि के भयावह जंगलों में अकेले कठिन तपस्या करते हुए भय नहीं लगा था तथा अपने स्वामी शंकर की अतुलित शक्ति से जो पूर्णतया अवगत थीं ऐसी सती राक्षसोंवाले वनों में शंकर के साथ घूमते हुए भयभीत कैसे हो सकती

थी ? और शंकरजी के साथ होने पर भी जो डरती हों, वही उनके साथ न जाकर अरण्य में बारह वर्ष तक अकेली किस प्रकार रही ? अरे ! वह पतिव्रता महासती आज की साधारण नारियों के समान बराबर हठ लेकर इस प्रकार अपने पति की आज्ञा का खंडन करे, यह कौन बुद्धिमान पुरुष मानेगा ? जिस सती ने अपने पिता दक्ष प्रजापति के वहां यज्ञस्थल पर अपने पति का तिरस्कार हुआ जान कर पिता से कहा था, "हे तात ! जिस देह से आप को परमात्मा शंकर का अपमान करने की दुर्बुद्धि उत्पन्न हुई है, उस अपवित्र देह से उत्पन्न मेरे इस शरीर को मैं अधिक धारण करना नहीं चाहती ।" और तुरंत पति उपेक्षा के असह्य कष्ट से पीडित वह यज्ञकुण्ड में कूद कर अपनी कमल समान कोमल काया को जला कर पतिव्रता आर्य नारियों में सदा के लिए परम आदर्शरूप दीप्तिमान हो गई हैं, वह सती हँसी में भी पति की अवज्ञा करे–यह तथ्य कौन बुद्धिमान पुरुष मान सकता है ? कल्पना की भी सीमा होती है और जब इस प्रकार मनुष्यहृदय की क्षुद्र भावनाओं का निरूपण देवों के अंतःकरण में करने की कल्पना के अधीन होना हो तब तो कल्पक की पामरता ही प्रतीत होती है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, यह स्पष्ट बात है । फिर, आगे वे लिखते हैं–

'*अकेले शंकरजी गए और हिंगलाज पहुंचे, किंतु हिंगलाज देवी ने दर्शन ही न दिए । शंकर ने तपस्या की, तब प्रसन्न हुई और दर्शन दिए ।*'

इस वाक्य का प्रयोग कर के तो लेखक ने अपनी कल्पना–शक्ति की उडान की हद ही कर दी है । जो देवी शक्ति(प्रकृति) रूप से शंकर भगवान की सहचारिणी है और वे उन्हीं को दर्शन न दें, तथा उनके लिए स्वयं श्रीशंकरजी को तप करना पडे, यह कैसी अजीब और न मानी जा सके ऐसी कल्पना. . . !

'*उमादेवी ने शकंरजी की अनुपस्थिति में अरण्य में खेलते–खेलते बावन पुरुष तथा तिरपन स्त्रियां ऐसे कुल मिलाकर १०५ पुतले बनाए तथा जब शंकरजी लौटे तो उन्हें जीवित कराने के लिये हठ ठान ली ।*'

महासती उमा को अष्टांग योग का बराबर ज्ञान था, जिसकी सहायता से उन्होंने कौमार्यावस्था में अति उग्र तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया था, वह देवी – भगवान शंकर की पट्टराणी, जैसे आजकल की साधारण स्त्रियाँ अवकाश मिलने पर एक–दूसरे की चाडी–चुगली करती हैं तथा बच्चियाँ इकट्ठी होकर–गोबर–मिट्टी के पुतले बनाकर कपडे गंदे करती हैं, वैसे अपना बारह वर्षीय दीर्घ काल बिताने हेतु ऐसी गोबर–मिट्टी के ठीक बावन और तिरपन पुतले बनाने जैसी क्रीडा करे, यह

कौन बुद्धिमान व शास्त्रज्ञ पुरुष मानेगा ? कोई नहीं । उमादेवी की पुतले बनाने की बालचेष्टा ही जब आधारहीन है तो उन्हें जीवित कराने शंकरजी के सामने वह हठ करें, यह बात ही टिक नहीं सकती । किंतु, कल्पना के मूल सर्जक ने 'कडवा पाटीदारों' के प्रारम्भ में आए बावन परवारों की संख्या से समन्वय बिठाने हेतु ऐसी कल्पना की होगी – ऐसा लगता है । ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव को भी उत्पन्न करनें में समर्थ देवी पुतलों को सजीव करने में असमर्थ होगी यह कैसे मान लिया जाय ? फिर भी लेखक आगे बताते हैं –

'*देवी के दुराग्रह से भगवान शंकर ने सभी को जीवित किया । पुतले घूमें–फिरें लेकिन बोल नहीं पाएं, अतः शंकरजी ने परशु से फाडकर उनके मुँह बनाए । उमा के अनुरोध पर उन सभी को एक ही मुहूर्त में ब्याह दिया । बाह्यवर, फूल की गेंद व पुनर्लग्न करवाया । विक्रम के काल में ऊंझा बसाकर माताजी की स्थापना की । बारह वर्ष पर 'ब्याह करं' ऐसा माताजी के बोलने पर ही ब्याह हो । कालांतर मे माताजी ने बोलना बंद कर दिया तो एक चतुर नागर गोर ने माताजी मेरे साथ बोलती हैं, ऐसी गप्प चलाकर मुहूर्त निकालने की सत्ता पा ली और मांडवरात्री बनाई ।*'

ऐसी निरी हास्यास्पद व अठारह हिन्दू जातियों में, या पृथ्वी पर किसी देश में न घटनेवाली बात के लिये जितना भी कहो कम होगा । इसमें टीका की भी आवश्यकता नहीं है, क्यों कि प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्य ऐसी बात को मानने से फौरन इन्कार कर देगा ।

निबंध के लेखक इस घटना का समय त्रेता–युग बताते हैं । शास्त्रों का अध्ययन करने से स्पष्ट दिखाई देता है कि देवी–देवताओं का मृत्युलोक में सदेह आना सिर्फ धर्मस्थापना के लिये ही होता है –

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥
परित्राणाय साधूनाम् विनाशाय च दुष्कृताम् ।
धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे–युगे ॥

(गीता–अ, ४ : श्लोक ४–५)

'हे अर्जुन ! जब–जब धर्म का क्षय होता है, तब–तब धर्म की स्थापना करने, साधुओं की रक्षा करने तथा दुष्ट जनों का संहार करने के लिये मैं युग–युग में देह धारण करता हूं ।'

धर्मस्थापक भगवान शंकर व आदिमाया उमादेवी के हाथों धर्मशास्त्र के विपरीत ऐसे ब्याहों का चलन प्रारंभ होना कैसे संभव हो सकता है ? श्री शंकर तथा उमादेवी

के पुनीत चरित्र शिवादि पुराणों में प्रसिद्ध हैं; किंतु ऐसी अस्वाभाविक चलन की उत्पत्ति के बारे में लोकोक्ति के सिवा उसमें किंचित् सार नहीं है । फिर ऊंझा ग्राम कब और किसने बसाया वह भी आगे आधारभूत तथ्यों से देखेंगे, जिससे विक्रमादित्य का काल उसके लिए बिल्कुल गलत है, यह स्पष्ट हो जायेगा ।

इन तथ्यों से इतना ही प्रतीत होता है कि मुस्लिम शासन की अराजकता के युग में हमारी उत्पत्ति तथा लग्नरीति का मूल मालूम न होने से, उस समय के ऊंझा के लग्न घोषित करनेवाले तथा कुमकुम पत्रिकाएं लेकर देश-परदेश में गाँव-गाँव फिरनेवाले ब्राह्मणोंने सीधे लोगों को ठगने हेतु, गढी हुई ऐसी मनगढंत कथाएं सुनाकर कणबियों के कठिन समय में उनकी अज्ञानता का फायदा उठाकर उन पर अपना रूतवा कायम करने के लिये इन कपोल कल्पनाओं का निर्माण किया होगा. . . ऐसा प्रतीत होता है । इसके सत्यासत्य पर आने से पहले यहां इतना कहना उचित होगा कि वहम और निरर्थक कल्पनाओं का खण्डन कर लोगों में सत्य विचारों का प्रचार करने का प्रयास करनेवाली गुजरात वर्नाकुलर सोसायटी को अपनी संस्था के शुभाशुभ को ध्यान में रखते हुए ऐसे निरर्थक लेख को मान्यता न देकर निकाल ही देना चाहिये था ।

खैर ! जो हुआ सो हुआ । निबंध की अप्रामाणिकता, उसमें निहित निराधार कल्पनाएं तथा ऐसी निराधार कल्पनाओं को रस्म के साथ मिलाने का मिथ्या यत्न या असफल परिश्रम उस निबंध में निर्दिष्ट वस्तुस्थिति को स्पष्ट करते हैं । अतः असत्य को असत्य सिद्ध करने का अधिक परिश्रम करने में केवल कीमती समय ही व्यतीत होगा, इसके अलावा और कोई फायदा नहीं है । इसलिये इस बात की टिप्पणी यहीं खत्म करते हुए "कडवा पाटीदार" की उत्पत्ति के बारे में भाट व चारण (पुश्तनामी) जो कथा कहते हैं वह भी कितनी असंभव एवं अस्वाभाविक है, उस ओर पाठकों का ध्यान खींचा जाता है ।

पुश्तनामियों द्वारा कही उत्पत्ति-कथाओं की समालोचना

भाटों द्वारा गढी कथाओं का अवलोकन करना सरल हो सके इस हेतु से यह बात दो हिस्सों में बाँट दी है । प्रथम हिस्से में अन्य पुश्तनामियों[१] द्वारा उक्त विषय पर कही कथा की समालोचना की गई है ।

देसाई पटेलों के पुश्तनामी की कथा

'उत्तराखण्ड में जमदग्नि ऋषि के पुत्र परशुराम हुए । उन्होंने सभी क्षत्रियों का नाश किया । उससे दानव पैदा हुए । और वे ऋषि-मुनियों के यज्ञ में बाधा डालने लगे ।

१. बारोट-भाट-चारण जैसा एक वर्ग

परशुराम ने इक्कीस बार पृथ्वी क्षत्रियविहीन की और क्षत्रियों को चुन–चुन कर मार डाला, इस बात का प्रमाण शास्त्रों से प्राप्त है। किंतु मरे हुए सभी क्षत्रिय राक्षस बने ऐसा किस शास्त्र के आधार पर कहा गया है, यह बताने की कृपा क्या भाटजी करेंगे ? फिर, आगे वे बताते हैं–

'सभी ऋषि मिलकर कैलाश पर महादेवजी के पास गए। उस समय स्वयं शिवजी अजपाजाप व्रत लेकर समाधि में लीन थे। अतः माता अंबिका ने उनके आगमन का प्रयोजन पूछा। ऋषियों ने दानवों की ओर से दिये जाने वाले दारुण दुःख की बात बताई और उसके साथ साथ बावन ऋषियों ने रक्षा की प्रार्थना की।'

जब जब दानवों की ओर से देवों या ऋषि–मुनियों को पीडा दी जाती थी तब–तब वे शंकरादि देवों को प्रार्थना करते थे और अपने कष्ट को किसी भी प्रकार से दूर करने की विनती करते थे।

फिर भी इस बार उन सब में से केवल बावन लोगों ने ही पनाह मांगी, ऐसा बताने में कोई विशेष प्रयोजन होना चाहिए जो कि स्पष्ट नहीं होता ? बावन शाखों के बावन पुतलों की कल्पना करना अनुकूल हो, अतः भाटजी ने बावन ऋषियों से ही पनाह मंगवाई हो ऐसा लगता है। ऐसा न हो तो सभी ऋषियों ने रक्षण की याचना कयों न की ? इस प्रकार शब्द–शब्द पर शंका उपस्थित हो ऐसी बेतुकी कल्पना को आगे बढाते हुए भाटजी कहते हैं –

'माता अंबिका ने बावन ऋषियों को भस्म लेकर पुतले बनाने का आदेश दिया। बावन जनों ने बावन पुतले बनाए। फिर माता ने स्पर्श कर के उन्हें जीवित किया अतः वे 'करडवा' कहलाए। देवी ने उनके हाथों द्वारा ऋषियों का कष्ट दूर करा कर उन्हें अभय प्रदान कराया।'

दानवों को नष्ट कर शिव के यज्ञ की रक्षा करने को देवी ने पुतले बनवाए। चण्ड, मुण्ड तथा महिषासुरादि अनगिनत दानवों का संहार करने वाली देवी ने ऋषि–मुनियों के ऐसे कष्ट कई बार दूर किए, फिर पुतले बनवाने की उन्हें कभी आवश्यकता नहीं पडी। और केवल इसी घटना पर ही उत्पन्न हुए दानवों को नष्ट करने हेतु उन्हें पुतलों की सहायता लेनी पडी यह कल्पना ही बचकाना प्रतीत होती है। महाप्रलयकाल में काली स्वरूप में लीला कर के समस्त ब्रह्माण्ड को हिला देने वाली देवी क्या क्या नहीं कर सकती थी कि जिन्हें पुतले बनवाने की बाल सदृश चेष्टा करनी पडी ? तुम्हारी उत्पत्ति देवों से हुई है तथा तुम्हारे पूर्वज देवी के सहायक अंग बनकर काम कर चुके हैं. . . ऐसी चिकनी–चुपडी बातों से प्रसन्न करके सीधे–सादे लोगों द्वारा अपनी मुरादें पूरी कराने के लिये ऐसी कल्पना की गई होगी – ऐसा ही लगता है। वास्तविकता से अधिक बताना या मन चाही कल्पना कर के लोगों को बताना भाटों का एक प्रकार से स्वभाव ही है, ऐसा कई दृष्टांतों से समझा जा सकता है।. . . हाँ, केवल बावन पुतलों की कल्पना के लिए कहा जा सकता है

कि वह किसी युग में उत्पन्न कणबी की बावन शाखाओं को इस पौराणिक तथ्य से जोड देने के लिये ही गढी गई होगी । ऐसा निम्न तथ्य से और अधिक स्पष्ट हो सकता है–

'मस्तिष्क पर कर (हाथ) रखने पर जीवित होने से 'करडवा' कहलाए । जिस ऋषि के पुतले से जो वंश हुआ वह ऋषि उस वंश के गोत्रदेव कहलाए और इस प्रकार बावन ऋषि बावन शाखाओं के 'करडवा' कहलाए ।'

धन्य है, भाटजी ! हद कर दी !! इस सिद्धांत को रचते–रचते आपके पूर्वजों की तमाम कल्पनाशक्ति खत्म हो जानी चाहिए । कडवाओं के जो बावन परिवार उत्तर हिन्दुस्तानके अलग–अलग हिस्सों से आकर गुजरात में बसे हैं, उन्हें उनके असली गांवों से (जैसे कि आज वीरमगामी, अमदावादी, वाडज, लांघणजा, देत्रोजा आदि संज्ञाएं) बावन शाखाओंकी संज्ञाएं मिली हैं, वो इन गांवों के नाम पर से मिली शाखाओं की संज्ञाओं को भाटजी ऋषियों के नामों के साथ किस प्रकार जोड देते हैं, यही समझना मुश्किल है । किस–किस ऋषि के नाम पर से वर्तमान कौन–कौन सी शाखा हुई है यह शाखाओं के नाम पर से स्पष्ट नहीं होता, अपितु उल्टे इस से तो अमुक शाखा के कणबी अमुक गांव से आए हुए होंगे, यही सिद्ध होता है । फिर भी स्वयं भाटजी यदि उन–उन बावन शाखाओं के नामों का ऋषियों के नामों से कैसा सम्बन्ध है, यह बात स्पष्ट करके समझाएंगे तो हमारे ज्ञान पर नया प्रकाश पडेगा तथा उनका अनुग्रह होगा । फिर, उन्होंने 'कणबी' शब्द का शुद्ध स्वरूप भी उनकी नवीन व्युत्पत्ति अनुसार ठीक उत्पन्न किया हुआ लगता है । आगे भी एक ऐसी ही कल्पना की है–

"माता के वरप्राप्त करडवाओं ने दानव कालभद्र को मारा तथा ऋषियों की रक्षा की, अतः ऋषियों ने उन्हे धोती, पोथी, जनेऊ, खट्–कर्म तथा तलवार दिए । इन को ले कर सबने फिर बंधावती नगरी बसाई और चारों दिशाओं में अधिकार स्थापित किया । कुछ समय पश्चात् श्रीरामचंद्रजी बनवास को निकले तथा दक्षिण में पंचवटी में आए । सीता को वहां रखकर बंधावती से करडवाओं को बुलाकर आदेश दिया कि 'मेरे लौटने तक सीताजी की रक्षा करनां' ।"

यह बंधावती कहाँ आयी और उसका मूल नाम क्या था यह कहीं भी स्पष्ट निर्दिष्ट नहीं होता । फिर श्री रामचंद्रजी के वनवास काल में करडवा थे, इसका सिवा भाटों की किंवदन्ती के और कोई आधार नहीं है । यदि यह बात सत्य भी हो, तो उसका आधार होना संभव नहीं लगता, क्योंकि वनवास में नदी पार करानेवाले गुह भील तथा सभी वानरों तक का वर्णन रामायण में है, जब कि सीताजी की रक्षा जैसा

महत्त्वपूर्ण काम करनेवाले करडवा का नामो–निशान तक इतने विशाल ग्रंथ में कही मिलता नहीं है, इसका क्या कारण होगा ?. . . कोई भी कारण होगा। शायद महात्मा वाल्मीकिजी या फिर तुलसीदासजी के साथ करडवाओं को कोई पूर्व का बैर हो ? लेकिन यह सत्य है कि रामायण में उनके नाम–ठौर या उनकी ऐसी उमदा चाकरी का कतई निर्देश नहीं है। फिर, रामायण के युग में कणबी आदि अलग–अलग समाजमें भाग पडे हो यह क्या संभव है ? क्या फिर हिन्दुस्तान में पडे जातिभेद आधुनिक न होकर पौराणिक हैं ? यह बात ही असत्य है, क्यों कि उस युग में चार ही वर्ण थे। फिर भी कडवा कुलदीपक किसी जातिबन्धु के नाम या उसके यश को सम्हाले रखने का आडंबर करनेवाले भाटजी यदि हक बताकर रामायण में ऐसा उल्लेख होने की कामना रखते हैं, तो ऐसे मनोरथों की हवाई इमारत आधारहीन है, इसका भी उन्हें खयाल रखना चाहिए।

पंचवटी में सीताजी की चौकी करने करडवा रहे होंगे–यह न मानने योग्य बात है, क्यों कि जब रघुनाथजी कपटी मृग को मारने गए थे, तो सीताजी की रक्षा हेतु पर्णकुटी पर केवल लक्ष्मणजी ही थे और उनके अलावा वहां और कोई नहीं था–यह विश्वप्रसिद्ध बात है। अब, आगे देखेंगे कि एक असत्य को सत्य बताने में कितने असत्यों की कल्पना की गई हैं।

'ऐसे में कैलास में माता अंबिका ने यज्ञ आरंभ किया। बंधावती से अपने पुत्र करडवाओं को बुलाया। किंतु वे तो सीताजी की रक्षा में पंचवटी में थे, अतः वे गए नहीं। माता अंबिका का यज्ञ अपूर्ण रहा। अतः वे करडवाओं पर क्रोधित हुई तथा शाप दिया कि जाइए, तुम्हारे ब्याह बारह साल पर होंगे, और बारह साल तक सूखा पडेगा।'

माता अंबिकाने भले ही यज्ञ किया, परंतु करडवाओं पर क्रुद्ध क्यों हुई ? अपनी इच्छा मात्र से भूत, भविष्य व वर्तमान को जान लेने वाली देवी अंबिका सीताजी की रक्षा में रुके करडवाओं के धार्मिक कार्य को न जान कर, जैसा कि भाटजी कहते हैं, उन्हें शाप दे दें, ऐसा कथा में किंचित् मात्र सत्यांश नजर नहीं आता; वरन् बारह साल के सूखे पर लटके ब्याहों द्वारा बारह वर्ष की रस्म की उत्पत्ति दिखाने के लिये यह कोरी कल्पना की गई होगी–ऐसा प्रतीत होता है। भाटजी को ऐसी मनगढंत कल्पना करने से पहले इतना तो सोच लेना था, कि कसूर तो सिर्फ करडवाओं का ही था; सारी सृष्टि का तो न था, फिर भी करडवाओं के दोष के लिये बारह साल तक अनावृष्टि और सूखे का अभिशाप देते समय देवी ने अन्य प्राणियों का तनिक भी खयाल नहीं किया होगा ? पारमार्थिक कार्य करते हुए भी देव गुस्सा हो तथा वह

भी अपने निजी स्वार्थ के लिए ही !. . . इसमें कौन–सा देवत्व निहित है ? मूर्ख राज्यशासन में पाडे की सजा भिश्ती को भुगतनी पडे यह आम बात है; वहीं देवों का प्रशासन भी ऐसा मूर्खतापूर्ण ही होगा कि करडवाओं के किये पर सारी सृष्टि को कष्ट में डाल दे ? पता नहीं ऐसी कल्पना के पीछे क्या प्रयोजन होगा ?. . . सत्य तो साधारण बुद्धिवालों को भी कहीं कदाचित् ही प्राप्त होगा ।

'करडवाओं के गोर नहीं थे, अतः लौटने पर रामजी ने पंचवटी में नागर तथा औदिच्य व बारोट (भाट) नियुक्त कर दिए ।'

इस त्रिपुटी की स्वार्थपरायणता के बारे में आगे विस्तृत वर्णन करेंगे । फिर भी इस असत्य के साथ–साथ उनकी कथा में कुछ सत्य का भी अंश निहित लगता है, अतः जहां तक उन्होंने सत्य को बनाये रखा है वहां तक के लिए वे धन्यवाद के अधिकारी हैं । उनकी कथाओं के साथ–साथ कहे गए देसाई पटेलों के साख कावर, गोत्र भारद्वाज, त्रि प्रवर, शाखा माध्यायनि, यजुर्वेद, कुलदेवी अंबिका, कावर की चामुण्डा देवी की पूजा तथा शहर कुशावती नगरी आदि प्राचीन बातें इतिहास के साथ मिलती हैं । इतने सत्य भी हमें यह पुस्तक तैयार करने में सहायक हुए हैं, इस के लिए हम उनके आभारी रहेंगे । देसाई पटेलों के भाटों ने उत्पत्ति के बारे में ऊपर कही बातें गढ दी हैं, और अन्य पुश्तनामियों ने इस बारे में भिन्न विषय–वस्तु दर्शाई हैं; फिर भी उपर्युक्त कथा में जो असत्य वर्णित है, इसमें उन्होंने कोई भी त्रुटि रखी नहीं है यह निम्न समालोचना से स्पष्ट मालूम पड जायगा ।

अन्य पुश्तनामियों द्वारा कही उत्पत्ति की कथा

'एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर देवी उमा के साथ पतितपावनी वाराणसी नगरी की ओर प्रयाण कर रहे थे । रास्ते में उंझिया राक्षस का विकट वन आया । देवी को प्यास लगी थी, अतः शंकरजी उन्हें उस वन में अकेला छोडकर पानी की तलाश में निकले । वहाँ उन्हें ऋषियों को भी तप करने का मोह उत्पन्न हो जाय ऐसा पवित्र व सात्त्विक गुणों से युक्त सरस्वती का रमणीय तट दिखाई दिया, जिससे शंकरजी को वहां समाधि लगाने की इच्छा हो आयी । अतः वे आसन लगाकर वहीं बारह वर्ष के लिये समाधि में बैठ गए ।'

इस प्रकार अपनी पटरानी को विकट वन में तृषातुर छोडकर तप करने बैठ जाना, ऐसी शंकरजी की लापरवाही का चित्रण करते समय भाटों ने केवल तत्कालीन समय को ही ध्यान में रखा होगा । उन्होंने इतना तनिक भी सोचा नहीं लगता कि अंधकार (अंधविश्वास) का युग बदलने के बाद आगे ज्ञान का युग आने पर ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें मानी नहीं जाएगी । केवल उस काल के जनस्वभाव के अनुसार चित्रण करके उन्होंने देवी–देवताओं की खिल्ली उडाई है । आगे कहा गया है –

"शंकरजी की प्रतीक्षा करते–करते थकी हुई देवी पानी की तलाश में दूधिया कुए पर आई। पानी पिया और पति को ढूंढते हुए सरस्वती नदी के तट पर आई। वहां सुंदर मिट्टी देखकर खेल हेतु १०५ पुतले बनाए। श्रीकृष्णजी ने नारदजी को भेजकर कहलाया, 'आप सृष्टि रचें, ब्रह्माजी जीव रखेंगे। आप के बनाए पुतले अब टूटेंगे नहीं।"

उत्पत्ति का समय भाट भी त्रेतायुग बताते हैं, यह कितनी आधारहीन बात है–यह हमने पिछले प्रकरणों में सविस्तार देखा है। श्री कृष्ण ने नारद द्वारा संदेश भिजवाया, ऐसा वर्णन है; किंतु त्रेतायुग में भगवान श्रीकृष्ण थे ही कहाँ ? वे तो द्वापरयुग के प्रारम्भ में थे। यहां भी देवी द्वारा मिट्टी के पुतलों से उत्पत्ति कराई है, और ऐसा प्रकृति के नियम के विरुद्ध सोचने पर बार बार टिप्पणी करना उचित नहीं लगता। आगे भाटजी बताते हैं –

'देवी को पुतले बनाकर सृष्टि–सृजन करने का संदेश देकर नारदजी भगवान शंकर के पास गए जहां वे तपस्या कर रहे थे, और कहा कि 'प्रभु ! आपकी अनुपस्थिति में देवी उमा ने १०५ बच्चे पैदा किए हैं। यह सुनकर शंकरजी कुपित हुए; किंतु उमा के पास आने पर मिट्टी के पुतलों को देखकर शांत हुए।'

हीनता की परिसीमा तक पहुंची ऐसी बातें नारद जैसे परम भक्त, शंकर भगवान के पास जाकर कहें, यह कैसे माना जा सकता है ? भाटों ने एसी बातें अपनी पोथी में लिखकर भक्त नारदजी तथा सर्वज्ञ भगवान शंकर की सर्वज्ञता की तथा महादेवी उमा के सतीत्व की बराबर खिल्ल उडाई है, जो किसी भी प्रकार सहन करने योग्य नहीं है। हमारे देवी–देवताओं के लिए इतना अनर्थकारी आक्षेप करते समय उन्होंने एक अबोध बालक के जितना भी सोचने का कष्ट नहीं किया है और अमर्यादित बक दिया है। इस प्रकार देव से उत्पत्ति दर्शाने में शायद मूल कल्पना का हेतु अपने जीवन के आधार स्वरूप कणबियों की महत्ता बताने का ही होगा, परंतु उसमें मानवीय कार्पण्य का निरुपण देवों में कर के क्षणिक हास्य व घृणा उत्पन्न करने के अतिरिक्त उन्होंने और कुछ किया हो–ऐसा नहीं लगता। फिर, अपनी व अपने सहायक ब्राह्मणों की भी साथ ही साथ श्रेष्ठता दर्शाने के लिये ऐसी थोथी बातें गढ दी गयी हैं। यह भी जरा विचारणीय है।

'पुतलों को जीवित करने तथा उनका ब्याह रचाने के लिये देवी ने शंकर से विनती की। शंकरजी ने अपने भव्य ललाट में से नागर व औदिच्य गोर तथा भाटों को उत्पन्न किया।'

अजीब है ! भाटजी ने अपने तथा ब्राह्मणों के लाभ को देखने में अच्छी दूरदर्शिता रखी है, किंतु वैसा करते हुए उनको यह खयाल नहीं रहा कि त्रेतायुग में जैसा कि आज हम देखते हैं, ब्राह्मणों की भिन्न-भिन्न ८४ जातियाँ न थी । समस्त ब्राह्मणों का एक ही वर्ण था । फिर भी पुश्तनामियों ने उस युग में शंकर के ललाट में से नागर तथा औदिच्य की उत्पत्ति दर्शाकर अपनी बात की असत्यता में और भी बढावा किया है ।

नागरों की उत्पत्ति का "नागर खण्ड" नामक ग्रंथ उनकी इस प्रकार की उत्पत्तिकी कथा से बिलकुल भिन्न कहता है । अर्थात् नागर ब्राह्मण कणबियों का ब्याह रचाने के पारमार्थिक कार्य के लिये भगवान शंकर के ललाट में से कूद पडे होंगे, ऐसी बात का उसमें लेश मात्र निर्देश नहीं किया गया है । उसी प्रकार सन् ९८० ईसवी में लगभग गुजरात के राजा मूलराज सोलंकी ने राज्यलोभ से मातृपक्ष की की हुई हत्याओं के प्रायश्चित-स्वरूप औदिच्यों को उत्तर में से बुलाकर श्रीस्थली (सिद्धपुर) में बसाया था, जो इतिहास-प्रसिद्ध तथ्य है । अतः अब नागरों तथा औदिच्यों की उत्पत्ति का कणबियों की उत्पत्ति तथा त्रेतायुग के साथ किंचित् मात्र संबंध नहीं हो सकता । इतना ही नहीं, बल्कि, नागरों तथा औदिच्यों की उत्पत्ति की यह बात बिलकुल गलत सिद्ध होती है । फिर, ब्राह्मणों के साथ शंकरजी के भव्य ललाट में से भाटों के उत्पन्न होने की कल्पना भी झूठी है-ऐसा बुद्धिमान लोग सहज ही समझ जाएंगे । आगे भाटजी ने कहा है –

"नागर गोर ने अपने मुहूर्त के अनुसार कुछ जोडों का ब्याह किया । किंतु अन्य जोडे वहाँ उपस्थित न थे, अतः उनके आने पर उनका ब्याह करने के लिये शंकरजी ने नागर गोर से अनुरोध किया । तब उस ने कहा, 'अब वे बारह साल पश्चात् करवाएंगे । उससे मुझे क्या लाभ ?' तो शंकरजी ने कहा, 'कलियुग में जब नागर मिलेंगे नहीं, तो तुम औदिच्यों का सम्मान होगा ।' तब उसने अपने गुरु मांडव ऋषि के नाम से मांडव रात्रि को बाकी के जोडों का ब्याह कराया ।

धन्य है भाटजी की अक्ल को ! क्या भगवान शंकर की आज्ञा का उल्लंघन करनेवाला नागर गोर उनके प्रताप से अनजाना था ? कभी नहीं । फिर उसने भगवान शंकर की आज्ञा का पालन क्यों नहीं किया ? औदिच्यों ने भी अपनी स्वार्थपूर्ति के लिये अच्छा अवसर साध लिया । फिर, जब नागर गोर को मुहूर्त न मिला, तब क्या स्वार्थ से अंधे हुए औदिच्य गोर ने बनावटी मुहूर्त निकाल कर ब्याह करवाया ? क्या उस युग के ब्राह्मण स्वयं भगवान शंकर के सांनिध्य में भी ऐसे स्वार्थपटु बनकर दूसरों का अहित करने वाले ही थे ?.. इन प्रश्नों के उत्तर कभी भी भाटजी हमें और

सुज्ञ पाठकगण को नहीं दे सकेंगे । फिर भी उस नागर तथा औदिच्य गोर वंशजों को देंगे तो भी हम आभारी रहेंगे । ऐसी गप्पों से बेचारे निर्दोष नागरों तथा औदिच्यों की बडाई जताने के पीछे उनकी कडवी बदनामी ही की गई है । फूल की गेंद, बाह्यवर तथा पुनर्लग्न तो 'कडवा' निबंध के प्रायोजक की तरह भाटजी ने भी करवाया है, और ऐसी मूर्खतापूर्ण मान्यताओं में तो वे एक दूसरे से कतई कम नहीं हैं ।

भाटजी ने कथा की योजना करने में इतना भी याद नहीं रखा कि अभी दूधिया कुआ नाम से परिचित कुआ त्रेतायुग से लेकर आज तक एक ही नाम से कैसे मौजूद रहा होगा ? काल के चक्र में परिवर्तित होती श्रीरामचंदजी की अयोध्या, रावण की लंका तथा परमात्मा श्रीकृष्ण की द्वारिका जैसी बडी–बडी राजधानियों के मूल स्थल भी निःशंक ढूंढे नहीं जाते, तो त्रेतायुग का दूधिया कुआ कैसे हिमाचल व मेरु पर्वत की तरह अचल रहा होगा, यह जानना कोई कम आश्चर्य नहीं है !

यह तथ्य भाटों के चौपडों में से प्राप्त हुआ है और उन्होंने नागर, औदिच्य तथा भाटों की; जिन के वंशजों की जीविका का आधार लंबे अरसे से कणबियों के हृदय में अपने प्रति सदैव के लिये पूज्य भाव बना रहे इस हेतु से अपनी उत्पत्ति उन के (कणबियों के) हितार्थ शंकर भगवान के भव्य ललाट में से कर दी है । लेकिन ऐसी अस्वाभाविक कल्पना के परिणाम से उनकी तमाम हकीकत मारी जाती है । फिर, उन्होंने कुदरती क्रम से विपरीत ऐसा पुतलों में से ही उत्पत्ति का आधार लिया है और उसके साथ अति आश्चर्यजनकरूप–उत्पत्ति के प्रायोजक ने ब्याह की रस्म को भी जोड दिया है । इससे सहज ही ऐसा मालूम पडता है कि इस प्रकार वर्णित उत्पत्ति और लग्नपद्धति – दोनों बातें सिर्फ बालोचित कल्पना ही है, जिसे सिद्ध करने के लिये देवी–देवताओं के नामों का भी उस युग में बराबर उपयोग किया गया है । किंतु उन की इस प्रकार की बातों का कोई ठोस आधार व बुद्धिगम्य प्रमाण न होने से, एक निराधार वस्तु को दूसरी निराधार चीज के आधार पर रखने से जिस तरह दोनों शीघ्र ही गिर पडती हैं, उसी प्रकार ये दोनों बातें सहज ही असंभव सिद्ध हो जाती हैं । और उससे उसके प्रायोजक का प्रयास विफल होने के उपरांत उनके लिये सुज्ञ लोगों में अधिकाधिक तिरस्कार का भाव पैदा होना स्वाभाविक ही है ।

उपर्युक्त किंवदंतियों के अतिरिक्त हमारी उत्पत्ति के बारे में "ब्राह्मणोत्पत्ति मार्तण्ड" के कर्ताने भी अकारण एक गप्प हांकी है । उसका भी इस स्थान पर अवलोकन करना आवश्यक लगता है । तब स्वतः ही असत्य पराजित होकर सत्य सामने आ जायेगा ।

"ब्राह्मणोत्पत्ति–मार्तण्ड" में हाँकी गई गप्प का खंडन

"ब्राह्मणोत्पत्ति–मार्तण्ड" के कर्ता औदिच्य ब्राह्मण श्री हरिकृष्ण व्यंकटराम शर्मा अपने प्रस्तुत ग्रंथ में लिखते हैं –

'रामजी के पुत्र लव और कुश यात्रा हेतु सिद्धपुर गए । वहां से पाँच कोस दूर उमा देवी के दर्शनों के लिए वे ऊंझा गए । वहाँ देवी की सेवा में रहनेवाले निर्धन कृषकों से उन्होने सम्पर्क किया, जिससे वे 'लेउवा' तथा 'कडवा' कहलाए ।'

इस बात से पहला प्रश्न यह उपस्थित होता है कि राम के पुत्र लव और कुश त्रेतायुग में पैदा हो चुके हैं, जबकि ऊंझा गाँव का तथा उमिया देवीजी के स्थल का तो ईसवी सन् की दूसरी सदी तक नामोनिशान भी न था । फिर मूलोनास्ति कुतो शाखा – इस न्याय से लव और कुश सिद्धपुर से उमियाजी के दर्शन करने ऊंझा गए, यह बात कैसे मानी जा सकती है ? और लव–कुश सिद्धपुर यात्रा हेतु आये थे, ऐसा तो रामायण या किसी पुराण में लिखा ही नहीं है । फिर पण्डितजी ने लव और कुश सिद्धपुर यात्रा के लिये आए थे–यह किस प्रकार पुराण के पन्नों में से खोज निकाला ? इसके स्पष्ट खुलासे के अभाव में यह बात बेबुनियाद है, ऐसा ही कहना चाहिए ।

हम पण्डितजी से विनयपूर्वक पूछते हैं कि जिन के लिये हृदय में असीम आदर का भाव होने के कारण कई हजारों कोसों का अंतर काट कर लव और कुश यात्रा करने आए थे, उन महामाया उमादेवी की सेवा के लिये वे शूद्रों को आयोजित करें यह बात ठीक है, किंतु जगन्नियंता भगवान श्रीशंकर की अर्धांगिनी के बारे में कितने हलके विचार दर्शाए हैं, यह भी सोचने योग्य बात है । क्या सालों की तपस्या कर के कैलासपति से ब्याहने वाली उमादेवी शूद्रों से सेवा कराने योग्य थी ? कदाचित् ऐसे स्थल में जिसके लिये अपने दिल में आदर का बडा भाव हो, ऐसे बडे साम्राज्य के स्वामी लव और कुश उनके लिये कोई योग्य प्रबन्ध करने में क्या असमर्थ थे ? क्या सिद्धपुर से ऊंझा उमादेवी की यात्रा करने गए तब तक देवी की सेवा में कोई भी नहीं था ? और यदि कोई नहीं था, तब उन्हें प्रसिद्धि मिली कैसे ?

'कृषक' शब्द 'द्विज' का अभिधान है । फिर भी पण्डितजी ने उसे 'शूद्र' का विशेषण लगाकर वास्तव में पण्डिताई को कई हजारों हाथ गहरे कुए में धकेल दिया हो ऐसा प्रतीत होता है । वर्ना जिस काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ऐसे चार ही वर्ण मौजूद थे ऐसे युग में लेउवा, कडवा आदि जातिभेद पैदा कर उनमें शूद्रता की जो कल्पना की है, यही उनके वर्णन की असफलता स्पष्ट कर देती है । ज्यादा नहीं, पर सिर्फ उनके कर्मों पर दृष्टि रखकर अनुमान किया होता तो ऐसी धृष्टता करने का साहस उन्होंने कतई किया नहीं होता । फिर, आगे वे लिखते हैं –

"कडवा लोग देवी की गायें चराने गए थे, इसी दौरान ब्याह का मुहूर्त आया । अतः लेउवा ब्याह दिये और कडवा रह गए । जब कडवा लोगों ने असंतुष्ट होकर माताजी से अनुरोध किया, तब देवी ने कहा 'तुम्हारा ब्याह १२ वर्ष पश्चात् होगा' ।"

जिस प्रकार हमारे शर्माजी ने ज्योतिषशास्त्र का खयाल करने का कष्ट नहीं किया है, उसी प्रकार क्या हमारे देवी–देवता भी विना सोचे–समझे 'बारह वर्ष पश्चात् ब्याह होगा' ऐसा बोल गए होंगे ? पहले अज्ञान के अंधकारमय युग में कुछ स्वार्थी लोगों ने अपने वंशजों की जीविका चलाने के लिये हमारे देव–देवियों के बारे में अनाप–शनाप (उल्टा–सीधा) लिख कर उन देव–देवियों को आज के प्रत्यक्ष प्रमाणवादी तथा अन्य पादरी–पुरोहितों आदि की नजर में गिरा कर निंदित करने के लिये कारण निर्मित कर दिये हैं उसमें शर्माजी ने ऐसा लिख कर फिर एक और बात की भी वृद्धि की है, कि –

'ऊंझा में उमादेवी के द्वार जब तक कि बारह वर्ष के पश्चात् कणबियों के ब्याह का समय न आ जाय तब तक सदैव बंद रहते थे । ब्याह के समय पर पुजारी जी को सपना आता और द्वार खुल जाते ।'

यदि द्वार सदैव बंद ही रहते थे, फिर लव–कुश किस के दर्शनों के लिये गए होंगे ? और कडवा–लेउवा की प्रायोजना क्या देवी की पूजा हेतु की गई होगी ? अपने किसी भक्त को नहीं, वरन् किसी गैर को पूजा के लिये देवी आज्ञा दें, यह बात इस युग के लिये योग्य नहीं है । ऐसे परस्पर विरोधी तथ्य एक ही विषयवस्तु में होने की प्रतीति होने पर शर्माजी के प्रतिपादित करने योग्य बातें और ज्यादा आधारहीन होती चली गई हैं । फिर भी अपनी कल्पित कथा में वे आगे लिखते हैं –

'यह वृत्तांत शिष्टो के मुख से सुनकर वर्णित किया गया है ।'

एतद् शिष्टान मुखान श्रुत्वा । हरिकृष्णेन निर्मितम् ॥ (७)

आज–कल के मुद्रणालयों के युग में प्रकाशित शास्त्रों–पुराणों तथा इतिहासों आदि साधनों द्वारा ज्ञानप्राप्ति के सभी मार्ग खुले हो जाने पर भी, इस प्रकार के निरालंब गपोडे हाँकने के लिये मध्यकालीन युग से ले कर आज तक की अपनी सैकडों सालों की आयु को कायम रखने वाले वे महाशिष्ट पुरुष क्या गिरि–गुफाओं की शोभा बढा रहे हैं ? शर्माजी क्या इस बात पर कृपा कर प्रकाश डालेंगे ?

शर्माजी की इस पुस्तक का अच्छा दृष्टांत पाठकों के सामने रखते हुए, यह बताने की इच्छा है कि विद्योपासना के जागृत युग में भी हरिकृष्णजी ने यह पुस्तक लिख कर गपोडे का एक बडा अच्छा कोश अपने पुस्तकरूपी तोपखाने में इकट्ठा

किया है । जब ऐसी शान्ति और प्रकाश के युग में भी, ऐसी पुस्तकों का प्रतिपादन करने वाले जवांमर्द मौजूद हैं, तब जिस काल में दिन–रात अपने प्राणों की सुरक्षा के लिये बैचैन रहते लोगों को अंधकार में रखना होता था, उस काल में एकाध चतुर पुरुष संस्कृत में श्लोक बनाकर पुरानी पुस्तकों के भण्डार में संग्रहीत कर कुछ काल में उसके पन्ने पुराने पड जाने पर बाहर निकाल कर पाटीदारों के सीधे तथा श्रद्धापूर्ण हृदयों में उसकी बातों को देव–देवियों के नाम चढा कर बडी सरलता से सत्य ठहरा सके होंगे, यह बात समझना बडा आसान है । फिर भी शर्माजी को सोचना चाहिए था कि अब उस तिमिर–मय युग का लोप हो कर सही–गलत की समझ का प्रकाश मानवहृदय के भीतर उदित होने लगा है और इससे उनका यह प्रयास समयोचित न होकर निरर्थक बन जाता है । जिनके बारे में उन्होंने यह प्रयोग किया है वे उसका सत्य रहस्य भली–भांति जान चुके हैं कि ये सब अस्वाभाविक बातें लिख ली गई होंगी । फिर भी उसी अवसर पर उन्हें पुतलों की उत्पत्ति होने की बात अस्वाभाविक लगने से, यह पुस्तक ज्यादा शंकाशील बन जायेगी और भविष्य में यह शास्त्रसदृश मान्य होने में अवरोध उत्पन्न हो जायेगा–ऐसा विचार कर उसमें लग्न–पद्धति लिख कर विषयांतर कर डाला है, इस बात की ओर पाठकों का ध्यान दिलाया जाता है ।

यह नहीं कहा जाता कि शर्माजी जैसे विद्वान् लेखक ने इस पुस्तक में जान–बूझकर ऐसी गंभीर भूल की है या नहीं, किन्तु असत्य ऐसी विचित्र बात है कि वह अपने प्रायोजक को बिना भटकाए नहीं रहती । फिर, उन्होंने ऐसा चित्रण करने में युग का खयाल भी नहीं रखा है । जान–माल की सुरक्षा में व्यस्त लोग सत्य हकीकत का खयाल नहीं रख सकते । ऐसा अलाउद्दीन खिलजी, मुहम्मद तुगलक या सिकंदर लोदी का यह सल्तनत युग नहीं है, कि असत्य को लोग यों का यों गले उतर जाने दें । अंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव से अब कणवी ऐसे मूढ या निरक्षर नहीं रहे कि हरिकृष्ण का 'यह वृत्तांत मैंने शिष्टों की जबानी सुनकर लिखा है' वाक्य पढकर उनके द्वारा कल्पित गप्पों पर तुरंत विश्वास कर लें । अभी तो ऐसे गपोडियों को उनकी योग्यता के अनुसार पाठ पढा देनेवाला जमाना तैयार हो गया है ।

अब सत्य–असत्य का निर्णय ज्ञानगोष्ठी द्वारा करने का युग आ गया है । जिन बातों को ठोस इतिहास या शास्त्रों का आधार नहीं है ऐसी अस्वाभाविक बातों वाली तमाम थोथी–पोथियों को, नये युग में निकली विविध नामधारी वॉशिंग कंपनियों के द्वारा धो डालने के लिये विद्वज्जन बैठे हैं । अतः तथाकथित शिष्टों के मुखपाठवाली योजना इस युग के लिये अब निरर्थक है । फिर, कणबियों को उपवीत का अधिकार होने, और उनके प्रत्यक्ष कर्म द्विज के होने पर भी उन्हें एकदम 'कडवे–लेउवे' शूद्र है–ऐसा विशेषण लगाने की हिम्मत या साहस करके उन्होंने अपनी क्या महत्ता स्थापित की. . . अर्थात उससे उनको कुछ विशेष मिला हो – ऐसा कुछ समझ में नहीं आता ।

पण्डितजी–विरचित इस पुस्तक के विचारों के लिये, हमें इस स्थान पर टीका करनी पडी है इसके लिये हमें खेद है, परंतु साम्प्रत युग में सत्यासत्य का विवेचन कर के अमुक जाति की उत्पत्ति लिखनेवाला व्यक्ति दूसरी कौमों की आधारहीन गाथाएं लिख कर उन्हें गिराने का प्रयास करता हो, तब उस और सत्य की खातिर हमें जमाने का ध्यान खींचना ही चाहिए।

अब हमें 'लेउवा पुराण' तथा 'वडनगरा कणबीकी उत्पत्ति' नामक पुस्तकों का निरीक्षण करना शेष रहता है। आगे हम इस विषय से संबंधित तथ्यों को देखेंगे।

इति श्री ब्राह्मणोत्पत्ति मार्तण्डाध्याये
लव–कुश स्थापित शूद्रोत्पत्ति वर्णनम नाम प्रकरणम्॥ पर्व अध्याय श्लोक ४५–४७

समस्त लेउवा कडवा कणबी की उत्पत्ति

पौराणिक वृत्तांत (लेउवा पुराण के आधार पर)

हिन्दी भाषा में कवि भीमनाथ द्वारा रचित 'लेउवा पुराण' ग्रंथ से स्पष्ट होता है कि एक बार सृष्टि के कल्याण हेतु ब्रह्मा, विष्णु तथा शिवजी कैलास में इकट्ठे होते हैं। तभी राक्षसों के भय से त्रस्त ब्राह्मण उनकी शरण में आते हैं। राक्षसों की दुष्टता की बात सुनकर शिवजी को क्रोध चढ आया। क्रुद्ध हो कर शिवजी दो शिवकुमार उत्पन्न करते हैं। वे उन राक्षसों का संहार करते हैं। फिर शिवकुमार कैलास पर लौटते हैं तो उन्हें तपश्चर्या करने का आदेश मिलता है। अतः वे कश्यप ऋषि के आश्रम पर जाते हैं और जाकर हिमालय में तपस्या का आरंभ करते हैं। उन की उग्र तपस्या से इन्द्र भयभीत होता है। वह उनकी तपस्या को भंग करने के लिये उन के पास अप्सराएं भेजता है। अप्सराओं का प्रयत्न विफल जाता है तथा उन के द्वारा वे नष्ट होती हैं।

अब शिवकुमार इन्द्र को शाप देते हैं। जिस से इन्द्र को असुरोंका भय उत्पन्न होता है। अर्मकासुर नाम के दानव का पुत्र इन्द्रासन को गुप्त रूप से हरण कर ले जाता है। इन्द्र कुपित हो कर उस की खोज करवाता है। पता चलने पर देवों और दानवों का युद्ध होता है, जिस में देवों की पराजय होती है और वे विष्णु की शरण में जाते हैं। विष्णु उन्हें शिवजी के पास भेजते हैं। शिवजी के पास जा कर वे उन से प्रार्थना करते हैं। शिवजी की आज्ञा होने पर शिवकुमार जाकर फिर से राक्षसों का नाश करते हैं। तब शिवकुमारों का स्वर्ग में बडा सत्कार होता है।

नारद शिवकुमारोंको गृहस्थाश्रम स्वीकार करने की सलाह देते हैं। तब वे पद्ममालिका तथा कनकमालिका नाम की दो अप्सराओं से ब्याह रचते हैं। जिनसे

उन्हें एक-एक पुत्र उत्पन्न होता है, इससे वो मोह में डूब जाते हैं। बाद में नारद के उपदेश से उन्होंने संसार छोड दिया, तब अप्सराएं स्वर्ग में चली गई। पुत्रों को नारद शिवजी के पास ले गए।

इस प्रकार समय बीतता गया। अयोध्या के राजा रामचंद्रजी के पुत्र लव के वंशज अजय महाराज के पश्चात् नव पुरुष हुए। फिर पुरंजय नाम के राजा हुए। इस पुरंजय राजा की कोई संतान न होने के कारण एक दिन वे अयोध्या छोड कर गंगा के तट पर गए और वहां सुंदर स्थल देखकर एक पुरंजयपुर नाम का नगर बसा कर रहे, और वहीं से शासन करने लगे। एक दिन वे राजसभा में बैठे थे, तभी एक ब्राह्मण दौडता हुआ आया और कहने लगा 'महाराज ! हमें हमारे तपोवन में एक असुर बडा संताप देता है।' तब उन्होंने जा कर असुर का संहार किया। इस पर ब्राह्मणोंने संतुष्ट हो कर राजा से वर मांगने के लिये कहा, तो उसके "पुत्र दीजिये" ऐसा कहने पर उन्होंने उसके लिए शिवजी का तप करके उन्हें प्रसन्न करने को कहा। राजा ने शिवजी की उग्र आराधना की, जिस से प्रसन्न हो कर शिवजी ने उसे शिवकुमार वाले दो पुत्र 'बलि' और 'भद्र' दे दिए। पटरानी ऊषावती को बलि और दूसरी रानी नयना को राजा ने भद्र दिया।

एक दिन ये दोनों रानियां पुत्रों को ले कर बैठी थी। तभी एक भिक्षुक ब्राह्मण आया। रानियों द्वारा उसका अनादर होने पर उसने उन को शाप दिया कि तुम्हारे ये दोनों पुत्र हैरान होंगे। कुछ काल पश्चात् पुरंजय ने राज्य का त्याग किया। बलि का राज्याभिषेक हुआ। बलि और भद्र दिग्विजयी हुए। एक दिन वे गंगा के तट पर जाते हैं। वहां की उपजाऊ जमीन देख कर उन्हों ने वहां कृषकों को बसाना चाहा जिसके लिये वहां के मुनियों को वह जगह छोड कर जाने के लिये आदेश दिया। इस पर दुर्वासा मुनि ने शाप दिया कि हे राजा, तुम ने गर्व किया है, अतः तुम्हारा राज्य हाथ से चला जाएगा। तुम्हारी बुद्धि कृषि की ओर गई है, इसलिये तुम्हारे सभी वंशज कृषक ही होंगे। वे क्षत्रिय मिट कर वैश्य बनेंगे। इस पर राजा को पश्चाताप होता है। दुर्वासा से क्षमायाचना करने पर दुर्वासा ने अनुग्रह किया कि अभी तुम देशपति कहलाते हो, फिर ग्रामपति कहलाओगे। अभी तुम जनपति-नृपति कहलाते हो, अब से तुम पशुपति कहलाओगे। इसके बाद बलि और भद्र को लेहक और कैटभ नाम के पुत्र होते हैं।

उनमें आपस में कलह होने के कारण गुणवर्धन नाम का राजा उनके राज्य पर हमला कर के उन्हें पदभ्रष्ट करता है। इस प्रकार राज्यहीन हो कर वे यमुना के तट पर बसते हैं। लेहक की तेरह रानियां थी। उन से उसे १२१ पुत्र हुए थे। कैटभ की आठ रानियों से ८० पुत्र हुए थे। अब अपनी भूल मालूम होने के कारण वे दोनों भाई तथा उन का परिवार मिल-जुल कर यमुना के किनारे पर कृषि करके रहने लगे।

एक बार धौम्य मुनि वहां आए। उन दोनों भाईयों की सेवाओं से प्रसन्न हो कर उन का कल्याण कैसे हो, यह उन्होंने समाधि में शिवजी से पूछा। शिवजी ने यज्ञ करने की सलाह दी। आगे शिवजी ने बताया कि वे वैश्य से क्षत्रिय नहीं होंगे, किन्तु मेरी ये संतान मुझे अति प्रिय हैं, तथा जगत् का कल्याण करने वाली हैं। वे कश्यप के शिष्य के वंशज होने के कारण काश्यप गोत्र के कहलाएंगे। उन्होंने यज्ञ किया। धौम्य को अपना गुरू बनाया। यज्ञ संपन्न होने पर शिव–पार्वतीने दर्शन दिये और कहा, "हे पुत्रों, हम तुम से प्रसन्न हुए हैं। तुम वैश्य से क्षत्रिय तो नहीं होंगे, किन्तु गौ–ब्राह्मण प्रतिपालक बनोगे। कृषि तथा व्यापार में तुम्हारी उन्नति होगी। संध्या स्नान तथा षट्कर्म करके वेदाध्ययन करना और आश्रमधर्म का पालन करना। यह सब तुम्हें तुम्हारे गुरू बताएंगे। फिर इन्द्र राजा ने प्रगट हो कर वज्ररूप हल दिया, विघ्नहर (गणपति)ने फरसा दिया तथा यम राजा ने समार दिया। लेहक के वंशज लेउवा हुए तथा कैटभ के वंशज कैडवा हुए।

ऐतिहासिक वृत्तांत (वडनगरा कणबी की उत्पत्ति के आधार पर)

लेउवा के मूल पुरूष लेहक से सत्ताईसवीं पीढी में अजय नाम के पुरूष हुए। वे सोमनाथ पाटण गए। वहां एक सिंह लोगों को बडी पीडा देता था। उन्होंने उसका संहार किया। अतः वे वहां के राजा कनक सेन के मंत्री हुए। इस अजय के पुत्र महीदास बडे पराक्रमी हुए। फिर इसी वंश में भाण हुए जो कनक सेन के पुत्र वल्लभ सेन के मंत्री बने। भाण के बाद लवजी, फिर मुकुंद तथा उस से सोम और फिर श्रवण हुए। इस श्रवण ने अपने पैसों खानपानादि का प्रबंध कर के जातिजनों के साथ काशी में संघ निकाला था। श्रवण का पुत्र अक्षय वसु हुआ। यह अक्षय वसु सौराष्ट्र के पश्चिमी छोर पर रहता था। उसे सिंहपुर (सिहोर) के राजा सिंहल का बडा साथ था। इस सिंहल का पुत्र घोघा नाव में बैठकर लंका तक गया था और वहां के राजा की पुत्री को व्याह लाया था। इसी घटना पर से "लंका की लाडी और घोघा का वर" यह कहावत चल पडी है।

कर्नल वाटसन अपनी १८०५ की रिपोर्ट में लिखता है कि सिंहपुर का राजा विजय लंका के राजा की कुंवरी से ब्याहा है। अक्षय वसु ने उस में बडी सहायता की हुई लगती है। अक्षय वसु व्यापार में बडा कुशल था। उसकी नौका ठेट झांझीबार तक जाती थी। अक्षय से सूरज, उस से अणभंग और उस से करण हुआ। अणभंग के नाना का नाम था फताजी। करण सौवीर नाम के मांडलिक राजा के राज्य में रहता था। करण ने सौवीर को साथ ले कर जवनयात्रा (जूनागढ) के मीर राजा पर विजय प्राप्त की। जिस से खुश हो कर सौवीर ने उसे बडी गिरास दी थी। उस के बाद

इसका बदला लेने के लिये यवनों ने सौवीर पर हमला किया। चूंकि करण सौवीर का साथी था, अतः यवन उस की लेउवा जाति के लोगों को बहुत सताने लगे। अंततः करण सोरठ छोड कर गुजरात की उत्तरी सीमा पर बसने आया। इसके लिये एक भाट का दोहा है –

करणे सजिया पाखरा देखे नहिं दिन रात ।
पूठे जवन झकावियो, आगे लेवा नात ॥

फिर कुछ पीढियों के बाद सुघड और उदाजी हुए। उदाजी के बाद कालान्तर में धनाजी हुए। उस के पुत्र कुशलने संवत् ७८१ की साल में कुशला बावडी बनवाई। खोज करने पर मिली धत्राजी तथा कुशल की कथा भी बडी गौरववान् है। यह धत्राजी आनर्तपुर – आनंदपुर (आज का वडनगर) में हुए थे। धत्राजी शैव थे। उन्होंने तीन साल की कम अवधि में छह विष्णुयाग, तीन महारुद्र तथा तीन गायत्री पुरश्चरण किए थे। उन्होंने काशी आदि तीर्थों की यात्री की थी। उनकी मृत्यु के पश्चात् उनकी तीन स्त्रियां सती हुई थी। इन धत्राजी की कीर्ति की कुछ कविताएं भी मिलती हैं।

कुशल की माता 'सुरभि' सती हुई तब उसकी उम्र दस–बारह साल की थी। कहा जाता है कि उस के उपनयनादि संस्कार के समय धत्राजीने एक महारुद्र किया था। दांता के राज्य की उत्तरी पहाडी की तलहटी में अंबा भवानी जाने के पुराने मार्ग में कुशला बावडी के कुछ निशान मिलते हैं। एक पत्थर पर निम्न लेख अंकित है –

"शिल्प लेख, ॐ स्वस्ति श्री संवत् ७८१ विक्रमार्कः चंदसुत धनवर्सत कुशलवर्म त्यनेन इयं वापी धर्मार्थ परोपकारार्थ त्वकारित ॥"

अर्थात् 'शिलालेख, ॐ स्वस्ति श्री विक्रम संवत् ७८१ में चंद के पुत्र धनवर्म के सुपुत्र कुशलवर्म ने यह बावडी धर्म तथा परोपकार के लिये दी है।'

इस कुशल के वंशजों में से कोई पाटण गया हुआ लगता है। उस के वंश में रूपवर्म या बलवीर नाम का कोई पुरुष हुआ था। उसने पुष्कर क्षेत्र के तीर्थ गोर को कुछ जमीन कृष्णार्पण की है, यह वहां के गोर नटवर शर्मा के यहां के जमीन के शिलालेख पर से मालूम होता है। वह निम्न प्रकार है –

"ॐ नमः शिवाय। स्वस्ति श्री संवत् ११४४ विक्रम संवत्सरे १००९ शालिवाहन शाके. . . कितमिद सत्यं विजानीयान् ।"

"शिवजी को नमस्कार। स्वस्ति श्री विक्रम संवत् ११४४ में शालिवाहन शक १००९ में उत्तरायण गत माघ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन चंदग्रहण के समय पर श्री पुष्कर राज क्षेत्र में अनूप के बेटे नटवर शर्मा नाम के कान्यकुब्ज जाति

के ब्राह्मण, क्षेत्र गुरु को पनिर नाम के लेउवा कणबी के बेटे बीजी, रजी के बेटे आनंद तथा उसके पुत्र बलवीर ने आनंदपुरी में सूर्य–चन्द्र की साक्षी में धर्म के हेतु चारों कोण की चार हजार पद की सीमावाली जमीन दी है, यह बात सत्य मानना। जो भी इस जमीन को उससे या दूसरे से छीन लेगा वह हजार वर्ष तक शुत्त्य नरक में जाएगा। यह बलवीर ने अपने पिता आनंद की उपस्थिति में ही अपने हाथों से लिखा है, यह सत्य मानना।"

रूपवर्म के बाद सोमजी हुए। उन्होंने संवत् ११४८ में पड़े अकाल के समय कई लोगों को बचाया। उसके बारे में कवि लिखता है –

सोरठा

सोमा तुज सम ढाल नह होत तो धरा परे;
पृथ्वी जात पाताल लेवा वण राज थते ।
आगे कहेता एम, सतीयो नही को भूप परे;
पण सोमा तें बोल पाछा वाळ्य मुखमां ।

गीत

भोज सम भूपति सोम लेवापति
ना थयो के अबे ना थाशे;
दोयए रखण दुःख जन जगतरां
क्रोड कीर्ति थके बहो गवा ।

शे. ई.

सोमजी को रामजी नाम का पुत्र था। यह रामजी सिद्धराज का सलाहकार तथा मित्र था। एक बार साबरमती के तट पर सिद्धराज तथा रामजी मृगया खेलने निकल पडे। आगे जाने पर सिद्धराज को प्यास लगी। किन्तु निकट में कोई जलाशय नहीं था। रामजी ने बडी खोज की। आखिर कुछ भीलों की बस्ती में से थोडा पानी मिला। यहां पर कोई जलाशय नहीं होने के कारण सिद्धराज ने वहां बावडी बनवा। जमीन उपजाऊ होने के कारण रामजी कुछ कृषकों को ले कर अडालज में जा बसे। बावडी का स्थान आज अडालज के नाम से पहचाना जाता है। इस गांव तथा परगने का सर्वाधिकार सिद्धराज ने रामजी को सौंपा था। तत्पश्चात् एक बार सिद्धराज यात्रा पर निकला था। उसने यात्रा के दौरान चरोतर, कानम, वाकल आदि उपजाऊ जमीनें देख कर पाटण से कृषकों को लाकर इस स्थान पर बसाया। इस प्रकार लेउवा की बस्ती का इन स्थानों पर विस्तार हुआ।

एक किंवदंती पाटीदारों की उदारता की

पाटीदार, बादशाह और हाथीमल्ल क्यों कहलाए, इसके बारे में एक किंवदंती इस प्रकार है कि एक बार बादशाह अकबर दरबार लगा कर बैठे थे । तवायफें (नर्तकियां) मुजरा कर रही थी । प्रसन्न हो कर बादशाह ने उन्हें इनाम दिया और घमण्ड करने लगा कि मेरे जैसा कोई दाता शायद ही होगा ! उसने बीरबल से पूछा, 'सारे राज्य में मेरे जैसा कोई दाता है ?' बीरबल ने उत्तर दिया कि महाराज, 'सेर के ऊपर सवा सेर होता ही है ।' तब गुस्सा हो कर बादशाहने कहा, "दिखाओ" । बीरबल ने बताया, 'जहांपनाह, गुजरात में पाटीदार ऐसे दानी हैं कि उन की मिसाल आप भी नहीं बन पाएंगे । गरीब भिक्षुकों के वे बडे पालक हैं ।' बादशाह ने उन की परीक्षा करने का निश्चय कर लिया ।

बादशाह, बीरबल तथा कवि गंग को ले कर यात्री के भेष में गुजरात में साबरमती के तट पर जा पहुंचे । वहां वे एक खेत में गए । वहां के पाटीदार कृषक ने स्नेहपूर्वक उन का स्वागत किया, बिठाया और कुशल-समाचार पूछे । अपने खेत में पकी बढिया सब्जी की रसोई बनवा कर उन्हें खिलाई । फिर कवि गंग ने पटेल की और पाटीदार जाति की कविताओं तथा छप्पयों से प्रशंसा की । इस पर अति प्रसन्न हो कर पटेल ने कवि गंग को शाल, पगडी, सोने के तोडे, बारह सौ रुपये रोकड तथा अपने पास और भी जो कुछ था-वह सब इनाम में दे दिया । बादशाह स्तब्ध रह गया और सोचा कि अपने पास कुछ भी न बचा कर उसने तो सब दे दिया ! उसकी औरत व संतान क्या करेंगी, यह तनिक भी नहीं सोचा ! ऐसी ही कसौटी उन्होंने दूसरे पटेल की भी की और वहां भी पाटीदार की दानशीलता सिद्ध होने पर पाटीदारों को पादशाह-बादशाह का खिताब दिया । तत्पश्चात् औरंगजेब बादशाह ने भी पाटीदारों की उदारता की परीक्षा ली थी । और उन्हें दिया गया पादशाह-बादशाह का खिताब यथार्थ है वैसा महसूस किया था ।

कडवा कणबियों की उत्पत्ति के बारे में डाह्याभाई पटेल ने अपनी पुस्तक में भाट, चारणों के आधार पर बावन पुतलोंवाली बात को रखा है । यहां सखेद लिखना पडता है कि उन जैसे विद्वान् पुरुषने शास्त्रपुराण तथा इतिहास आदि पर से तद्विषयक सत्य हकीकतों का संग्रह कर के उत्पत्ति को प्रकाशित करने के बजाय लोगों में चलती अस्वाभाविक बातों को ही मूलस्वरूप में प्रकाशित किया है । संशोधन कर के सत्य पेश करने की हिंमत नही की । ऐसा करके उन्होंने इतिहास की शोध को शिथिल बनाया है ।

१०५ पुतलों की कथा

कडवा पाटीदारों की उत्पत्ति के बारे में दूसरी एक हकीकत पुश्तनामियों के ग्रंथों से यह प्राप्त होती है कि अभी जहां ऊंझा गांव है, वहां उंझिया राक्षस बसता था। त्रेतायुग में शंकर–पार्वती काशी गए तब मार्ग में उंझिया राक्षस का वन आया। पार्वतीजी को प्यास लगी तो भगवान शंकर ने उस राक्षस के जंगल में पार्वतीजी को बिठा कर स्वयं सिद्धपुर कुंवारी–सरस्वती नदी पर जल लेने गए। वहां बडा सुन्दर स्थान देख कर वे बारह साल की तपस्या करने बैठ गए। पार्वतीजी को तीव्र प्यास लगी थी और भगवान शंकर लौटे नहीं, तो वहां से उठ कर वे दूधिया कुए पर आई। पानी निकाल कर पिया। फिर वहां से कुंवारिका के तट पर भगवान शंकर के पास गई। स्वयं वहां की अच्छी मिट्टी देख कर खेलने बैठ गई। खेल–खेल में उन्होंने १०५ पुतले बनाए।

इस बात का पता श्रीकृष्णजी को चला। उन्होंने नारदजी के साथ संदेशा भिजवाया कि आप सृष्टि की रचना कीजिए। ब्रह्माजी उसे जीवित करेंगे। तब पार्वती ने कहा, 'हम तो खेलते हैं।' तब नारदजीने कहा, "माताजी, आपके ये पुतले अब टूटेंगे नहीं।" इतना कह कर नारदजी भगवान शंकर के पास गए, और उनसे कहा, 'महाराज, पार्वती ने आप की अनुपस्थिति में एक सौ पांच पुतले उत्पन्न किए हैं।' यह सुनकर भगवान शंकर क्रोधित होकर पार्वतीजी के पास आए और बोले–लो, पार्वती पानी पीओ। तब माता उमिया बोली, 'मेरे पुतले जीवित होंगे, तभी पानी पीऊंगी।' इस पर महादेवजी ने अमृत मंगवा कर उन पुतलों पर छिडका और उन्हें जीवित किया। फिर पार्वतीजीने कहा, "अब इन की शादी कराओ।" उन पुतलों में से बावन नर तथा तिरपन नारियों की रचना की। इस पर महादेवजी ने अपने ललाट में से एक औदिच्य तथा एक नागर यूं दो गोर पैदा किए। नागर ने पंचाग देख कर कहा कि 'महाराज, आज मिनारक महीना है। अतः यदि इस बार इन पुतलों की शादी न होगी, तो फिर बारह वर्षों के पश्चात् ही फिर लग्न निकलेंगे।' उनमें से तीन पुतले अनब्याहे ही रह गए। शेष सभी का महादेवजी ने ब्याह करवाया।

अब बचे हुए तीनों पुतलों ने आ कर कहा, "महाराज, आपने हमें कुंवारा रखा।" वे दो स्त्रियां थी और एक पुरुष। महादेवजी ने नागर से कहा, "इन पुतलों की भी शादी कराओ।" तब नागर ने कहा, "ये तो अब बारह साल के बाद ही ब्याह सकेंगे।" इस पर औदिच्य गोर से कहा, "आप कराओ इन की शादी" तो उस ने कहा, "इस में मेरा क्या फायदा होगा ?" तब महादेवजी ने उसे वचन दिया, 'आगे कलियुग में जब नागर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा, तब सभी लोग आप ही को गोर बनाएंगे।' तब औदिच्य ने अपने गुरु मांडव ऋषि के नाम से मांडव रात बनाई। शेष रह जाए वह 'मांडव रात' को ब्याह सके वैसा मुहूर्त निकाल दिया।

पुतलों की मांडव रात में शादी हुई। उन में से एक स्त्री शेष रही। उस की शादी फूलों की गेंद से हुई। उस गेंद को कूएं में डाल कर उस बेवा कन्या को

मुख्य पुतले के साथ बिठा दिया । तब से पुनर्लग्न का प्रचलन हुआ । यह शादी करडवा कहलाई । 'कर–अडवा' अर्थात् कन्या बगैर चूडी के होने से यह शादी हुई अतः 'करडवा' नाम पडा । कर अडवा – नाडाछडी बगैर की शादी । कर यानी हाथ (कलाई) और वह भी नंगा यानी बिना कंगन पहने हुए सूना होने से कर अडवा नाम पडा ! मिनारक महीने के कारण बारह सालों के अंतर से ब्याह होने लगे । तत्पश्चात् उंझिया राक्षस को मार कर ऊंझा बसा कर बावन शाखों की रचना की । तब से बारह साल के विवाह का चलन प्रचलित हुआ । तभी से ऊंझा से लग्न निकलने लगे ।

महादेव ने ललाट में से भाटों को पैदा किया । उन्हें शाखों की वंशावली दी गई । वही शाखें रुंसावत, मोलोत, हरणिया, हाथी, गामी, गोठी, कादेविया आदि इस प्रकार बावन हुई । पुतलों ने कहा, "माताजी, हमारे ब्याह का पता कैसे चलेगा ?" तब माताजी ने कहा, "मेरे मंदिर में 'धर्म' ओर 'पाप' की चिट्ठियां डालना । 'धर्म' की चिट्ठी निकलेगी तब विवाह मानना, वर्ना नहीं । विवाह तय होने पर मोलोत वंशज चिट्ठी निकालेगा और रूसावत का वंशज चिट्ठी पढेगा । रुंसावत का वंशज वहां गुड का छकडा लुटाएगा और विवाह घोषित करेगा । वहीं से फिर देश–परदेश में पत्रिका जाएगी ।"

दूसरी एक किंवदंती यह भी है कि गुजरात तथा मालवा और आसपास के प्रान्तों में एक बार एक के बाद एक, ऐसे सात अकाल पडे । तो ऊंझा गांव के आसपास के प्रदेश के कृषक लोग उमाराणी की शरण में गए । उस राणी ने उन का अच्छी तरह पालन–पोषण किया था । इन कृषिकारों के बच्चे जब वयस्क हुए तो उस राणी ने बडे उत्साह के साथ एक ही मुहूर्त में उनका ब्याह रचाया था । तभी से एक ही मुहूर्त में विवाह करने का रिवाज कडवा कणबी में चालू हुआ था । उस के बाद अपने पर किये गए उपकार के बदले में बडे आदर भाव से कडवाओं ने उमाराणी के नाम से उंझा में एक मंदिर बनवाया जो आज उमियादेवी का मंदिर कहलाता है ।

कवीश्वर दलपतराम अपने जाति निबंध में लिखते हैं कि हिंदूशास्त्र के मतानुसार वैश्य अर्थात् कृषिकार, गायों को पालने वाले, व्यापार करने वाले सभी लोग कृषक हैं । खेत के काम में आज तो मुख्यतः गुजरात में जो दो कणबी जातियां हैं वे 'कडवा' तथा 'लेउवा' हैं । उन की उत्पत्ति के बारे में कहा जाता है कि परशुराम ने जब क्षत्रियों को मारना चालू किया तो कुछ लोगोंने कहा, 'हम क्षत्रिय नहीं हैं, कृषक हैं ।' तो परशुराम ने उन्हें मारा नहीं ।

कई लोग यह भी कहते हैं कि रामचंदजी के पुत्र लव से लेउवा हुए तथा कुश के वंशज कडवा हुए ।

बडौदा राज्य के बस्तीपत्रक में 'लेउवा' और 'कडवा' कणवी नाम कैसे पडे उस के बारे में जो बताया गया है वह भी जानने योग्य है । उसमें बताया गया है कि "*अन्य जातियों के नाम उन के बसने के स्थानों पर से पडे हैं । ऐसा भी माना जाता है कि 'रेवा' (नर्मदा नदी) पर से 'लेवा' नाम पडा होगा । लेउवा पाटीदार कहलाते हैं । उत्तर मे कडवा कणबी अधिक हैं । हमारे उत्तर विभाग के कडी प्रांत पर से कडवा नाम पडा है । कडवा लोग लेउवा भाइयों से अधिक मजबूत व मेहनती हैं । किन्तु संपन्न स्थिति में नहीं हैं । कडवा से अधिक लेउवाओं में शिक्षितों की संख्या तीन गुनी ज्यादा है ।*'

एक जानने योग्य हकीकत यह है कि दक्षिण में "रेवा' नाम के कणबी हैं जो रेवा नदी के प्रदेश से निकले हुए कहलाते हैं ।

सब से अधिक उल्लेखनीय बात बम्वई सरकार के प्राचीन लेखों तथा विभिन्न संशोधनों पर से रचे हुए गुजरात के इतिहास से प्राप्त होती है । उस में बताया गया है कि

सभी जानते हैं कि हम जिस प्रांत में रहते हैं उसे गुजरात कहते हैं । 'गुजरात' नाम गुर्जर जाति से पडा है । संस्कृत में वह गुर्जर राष्ट्र था और उस का प्राकृत गुज्जरात हुआ । फिर उस का अपभ्रंश रूप 'गुजरात' बना । कुछ पुराने संस्कृत ग्रंथो में तथा पुराने लेखो में उस के नाम गुर्जर मण्डल तथा गुर्जर देश दिये गए हैं ।

ये गुर्जर लोग हिंदुस्तान के मूल निवासी नहीं थे, वरन् हिंदुस्तान के वायव्य कोण के परदेशों से आए और ठेट खानदेश तथा यहां तक फैल गए थे । वायव्य प्रांत के गुर्जरों में दक्षिण तथा पूर्व के गुर्जरों से अधिक परदेशी लोगों के लक्षण तथा रीति-रिवाज मिलते हैं ।[१] जाट लोगों से अधिक गुर्जर लोग सुन्दर है । फिर भी भाषा, पोशाक और व्यवसाय में बहुधा उन से मिलते हैं । इस से प्रतीत होता है कि ये दोनों जातियां हिंदुस्तान में साथ-साथ आई थी । प्रथम पंजाब वायव्य प्रांत, सिंधु के प्रदेशों तथा मथुरा में बसे थे । आज भी दूसरे लोगों से वे भिन्न लगते हैं । मथुरा से गुर्जर पूर्वी राजपूताना और कोटा तथा चंदेसर हो कर मालवा में आए । मालवा के गुर्जरों को आज भी याद है कि उनके पूर्वज मूल गंगा-यमुना के बीच के प्रदेशों से आए थे । मालवा से भीलसा और सहारनपुर तक फैले, दक्षिण में खानदेश तक गए और अधिकांश रतलाम-दाहोद के मार्ग से इस ओर टोलियों में आए । इन गुर्जरों के मुखियाओं ने हमारे प्रांत में आ कर वल्लभीपुर की गद्दी की स्थापना की ।

---

१. आंजणा कणबी जाट लोगों में से बने हैं ।

आज गुर्जर लोगों में से अलग–अलग व्यवसायों के कारण अलग–अलग जातियाँ बन गई हैं। लेउवा तथा कडवा कणबी, गुर्जर बनिये, गुर्जर सुथार सोनी, गुर्जर कुम्हार तथा गुर्जर सलाट, ये मूल गुर्जर... किंतु छोटे–बडे अलग–अलग व्यवसायों के कारण उनसे अलग अलग जातियां उत्पन्न हो गई हैं। गुर्जरों का अधिकांश भाग लेउवा तथा कडवा कणबियों का है। 'कणबी' शब्द संस्कृत "कुटुम्बी" अर्थात् 'कुटुम्ब' या 'परिवारवाला' इस शब्द से बना है। 'कणबी बहुत प्राचीन काल से 'कुटुम्बी' नाम के साथ जोडा जाता है। यह चलन अब भी वायव्य प्रांत में देखने को मिलता है। वहां किसान वतनदार गृहस्थ या घरवाले कहलाते हैं।

उत्तर हिन्दुस्तान के कई गुर्जर मूलतः पशुपालन करते थे, खेती नहीं करते थे। अतः उस जाति के जो लोग खेती करने लगे वे विशेषरूप से कुटुम्बी अथवा घरवाले कहलाने लगे। इसी प्रकार दक्षिण की कुछ अटकों से मालूम होता है कि एक गांव से दूसरे गांव जाती हुई पशुओं को पालनेवाली कई जातियां जो घर (कुनबा) बना कर रहीं, वे आज कणबी के नाम से पहचानी जाती हैं। पंजाब के, मालवा के तथा खानदेश के गुर्जर पशुपालन एवं खेती के कामों में जितने माहिर है, वैसे ही गुजरात के लेउवा तथा कडवा कणबी काबिल हैं। जिस प्रकार गुजरात में लेउवा तथा कडवा ये दो प्रकार है उसी प्रकार मालवा में भी कणबियों के दो हिस्से हैं। वे 'दहा' तथा 'कराड' कहलाते हैं। खानदेश के पूर्वी इलाकों में कुछ लेउवा कणबी हैं। पंजाब के गुर्जरों में लेवी नाम की भी एक जाति है।

इन सभी तथ्यों से एक सर्वसामान्य अनुमान यह निकलता है कि कणबी मूलतः 'क्षत्रिय' या 'विजयी लडाकू कौम' के थे। अभी भी कणबियों में विवाह आदि अवसरों पर क्षत्रियों या लडाकू कौमों जैसे कुछ रिवाज दिखाई देते हैं। दूसरे, वे "गुर्जर" थे–यह भी ऊपर बताई कई बातों से सिद्ध होता है। लेउवा–कडवा कणबी में से कई बुजुर्गों की बातों से मालूम होता है कि वे उत्तर से–मथुरा–मालवा से आए थे।

प्राचीन वर्ण–वर्गीकरण के अनुसार अर्थात् गुणकर्म से लेउवा तथा कडवा कणबी वैश्य कहलाते हैं।

'कणबी' शब्द कहाँ से आया होगा इस के बारे में दो प्रकार के खुलासे दिए गए हैं। जैसा कि ऊपर बताया गया है, प्रथम यह कि "कुटुम्बी" पर से 'कणबी' बना होगा। प्रबंन्ध चिन्तामणी के विद्वान् लेखक भी किसानों के लिये 'कुटुम्बी' शब्द प्रयोग करते हैं। दूसरा खुलासा वास्तविक और उपयुक्त लगता है कि 'कृषिकर्मी' शब्द पर से कुरमी, करमी, कणबी[१] ऐसा अपभ्रंश हुआ होगा।

---

१. ऐसा भी कहा जाता है कि 'कलम' शब्द चावल के लिये प्रयोग होता है और चावल उत्पन्न करनेवाले के लिये 'कलमी' शब्दप्रयोग हुआ हो। इस पर से कलमी, कळमी, कणबी ऐसे शब्दों का प्रयोग होना संभव है।

इलियट लिखते हैं कि कडवा-कणबी भोले, आचार-विचार में सादे तथा पशुओं पर बडा स्नेह रखनेवाले हैं। वे चाल में तथा दिखने में भारी हैं, मजबूत तथा कसे हुए हैं, किन्तु स्वभाव से भीरू हैं। उनका रहन-सहन गंदा है, उन की स्त्रियाँ भोली तथा अच्छी मेहमाँनवाजी करनेवाली होती हैं।

गुजरात सर्वसंग्रह में कवि नर्मदाशंकर ने लिखा है कि :

लेउवा -कडवा, कणबी चूँकि जैन नहीं हैं, फिर भी जीव-दया रखते हैं। खेतों को बिगाडने वाले हिरन, बन्दर, पक्षी, जीव-जन्तु आदि को वे हांक देते हैं, लेकिन मारते नहीं हैं। वे मेहनती, बचत करनेवाले, चतुर, सभी प्रकार की जमीनों से परिचित तथा सभी पाकों को अच्छा बनाने में माहिर है। गृहस्थी में वे नशा आदि से दूर है और मिलजुल कर रहते हैं। किसी बात में वे मर्यादा लांघते नहीं तथा अपराध करते नहीं। ये तथा ऐसे दूसरे गुणों की पहले के अंग्रेज अमलदारों ने बहुत तारीफें की हैं। किन्तु अंग्रेजों का शासन होने के पश्चात् कई साल तक वे विवाहों में अतिशय खर्च करने पर कर्जदार हो कर दबी हुई स्थिति में रहे।

लसुन्दरा निवासी भट्ट गोवर्धनराम ने किसी भीम नामक अप्रसिद्ध कवि के काव्यों के फटेहाल, अव्यवस्थित तथा असंबद्ध टुकडों पर से अपनी कल्पनाशक्ति की सहायता से वस्तुसंकलना पाकर पद्य में उत्पति का आलेखन किया है। जिन काव्यों पर से यह इतिहास बना दिया है उन काव्यों के टुकडे असंबद्ध व अपूर्ण होने के कारण वे कवि भीम के स्थान समय तथा उत्पत्ति के बारे में कोई भी प्रामाणिक आधार नहीं बता सकते। इसके लिये प्रस्तावना में लेखक भट्टजी ने स्वयं ही खेद व्यक्त किया है। साथ ही जाति की उत्पत्ति के बारे में उन्होंने आलेखी हुई बात को किसी शास्त्र, पुराण या इतिहास आदि का आधार होने की खुद पुष्टि नहीं की है। इन सब बातों से कोई भी साधारण बुद्धि का मनुष्य सहज ही समझ सकता है कि यह ग्रंथ आधारहीन है।

इस जमाने में बढिया वस्तुसंकलन से या काव्य--माधुर्य मात्र से जनसमाज का मन मान नहीं सकता है। उसके सिद्धांत की सत्यता के लिये संतोषजनक ठोस आधारों के अभाव में वह ग्रंथ अभी यथेष्ट स्थान तथा ख्याति नहीं पा सका है, ऐसा स्पष्ट मालूम होता है। फिर भी कवीश्वर उत्तमरामजी, पुश्तनामों, भाटों तथा 'ब्राह्मणोत्पत्ति-मार्तण्ड' के कर्ता शर्मा हरिकृष्णजी ने जिस प्रकार जाति का इतिहास लिख कर हास्यास्पद कार्य किया है, उनसे अच्छा प्रयास उक्त भट्टजी ने किया हुआ लगता है। लेकिन इससे उनके द्वारा आलेखन की हुई उत्पत्ति प्रमाणभूत है - ऐसा नहीं माना जा सकता।

सामान्य समालोचना

उत्पत्ति तथा लग्नपद्धति के बारे में आज तक जो-जो लिखा गया है, वह पिछले प्रकरणों में हम पृथक्-पृथक् देख चुके हैं । कणबी की उत्पत्ति के बारे में उल्लेख करने का प्रत्येक लेखक का सामान्य आशय होने पर भी उन सभी ने निम्न प्रकार भिन्न-भिन्न मत दर्शाए हैं –

कवि उत्तमरामजी कहते हैं : महादेवजी तथा देवी उमियाजी दोनों ऊंझिया राक्षस के जंगल में हो कर गुजर रहे थे, वहां देवी ने कुमारिका के पवित्र तट पर से माटी के पुतले बना कर उन से कडवाओं की उत्पत्ति की है ।

फिर दूसरा **पुश्तनामी** कहता है कि : त्रेतायुग में ऋषियों को दानवों की ओर से बडा कष्ट पडा तो अपना दुख मिटाने वे कैलास में शंकरजी से प्रार्थना करने गए । वहां माता अंबिका की आज्ञा से उन्होंने भभूत के पुतले बनाए, और देवी ने उन्हें जीवित किया जिनसे कडवाओं की उत्पत्ति हुई है ।

पंडित हरिकृष्ण शर्मा कहते हैं : जब लव और कुश सिद्धपुर यात्रा के लिये आए, तब उमादेवी के दर्शनों के लिये वे ऊंझा गए । वहां रहनेवाले शूद्र किसानों की देवी की सेवा में लव तथा कुश ने नियुक्त की, अतः वे लेउवा तथा कडवा कहलाए ।

इस प्रकार भिन्न-भिन्न लेखकों की ओर से जो मत प्राप्त हुए हैं, उन्हें देखते हुए स्पष्ट होता है कि वे सब अपने-अपने सिद्धांत में एक दूसरे से अलग पडते हैं । पुश्तनामियों की बही जांचने का यदि मुझे अधिक मौका मिला होता, तो इस प्रकार की कई और गप्पों का खजाना मिल जाता । यद्यपि पुश्तनामियों के संकीर्ण मन के कारण मुझे ऐसा अवसर प्राप्त नहीं हुआ, फिर भी यह बात बिल्कुल असत्य है; ऐसा मानने के लिये अन्य कई ठोस कारण उन की बातों से मिल जाते हैं ।

हमने पहले देखा उनसे उनके मतों की भिन्नता के दूसरे अधिक दृष्टांतों का यहां विवेचन करना अप्रासंगिक नहीं होगा । उन्ही में से कोई कहता है –

उत्पत्ति के बाद ब्याह जैसे धार्मिक कार्यों के लिये गोर की आवश्यकता पडने पर भगवान शंकर ने अपने भव्य ललाट में से नागर तथा औदिच्य ब्राह्मणों को उत्पन्न किया । दूसरा कहता है कि : नागर तथा औदिच्य गोर तथा भाट आदि को श्री रामचंद्रजी ने पंचवटी में नियुक्त किया ।

तीसरा लेखक फिर कुछ इदं तृतीय ही बताता है, और चौथा बगैर नाम-ठिकाना के शिष्यों को आगे कर के अपना उल्लू सीधा करना चाहता है । उत्पत्ति का काल

भी सब अलग–अलग बताते हैं । कोई द्वापर युग, तो कोई त्रेता युग बताता है; जब कि कोई रामचंद्रजी का समय, तो कोई श्रीकृष्णजी का युग सोच रहा है । फिर, नागर व औदिच्य आदि की उत्पत्ति भी हमारे साथ उस काल में बताते हैं, जिसकी असत्यता के बारे में पिछले प्रकरणों में अच्छा स्पस्टीकरण हो गया है ।

इस प्रकार प्रकाश में आई बातों की सविस्तार जांच–परख करने पर सभी लेखकों का लक्ष्यबिंदु एक ही होने पर भी, वे सब अलग–अलग दिशा में जाते हैं । अतः उन की आलेखित उत्पत्ति तथा लग्नपद्धति की हकीकतों को किसी तरह भी सत्य ठहराया नहीं जा सकता । जब एक ही बात को सत्यरूप सिद्ध कराने वाले अलग–अलग साक्षी अलग–अलग बयान देते हैं, तब कोई भी सामान्य बुद्धिवाला न्यायकर्ता सहज ही में उसकी असत्यता को भांप लेता है । उसी प्रकार हम भी उन लोगों द्वारा तमाम बातें मनगढंत हैं, ऐसा निःशंक जान चुके हैं । फिर भी यदि उस में गहरे उतर कर सूक्ष्मता से जाँचेंगे तब उन पूर्वजों ने ऐसे भिन्न–भिन्न मार्ग क्यों ग्रहण किये होंगे इसके बारे में नवीन तात्पर्य खोज ही लेंगे ।

उत्पत्ति तथा लग्नपद्धति के बारे में जिस युग में भिन्न–भिन्न प्रकार की विसंगति (दुविधा) हुई मानी जाती है, उस जमाने में तनिक प्रवेश करना यहां आवश्यक लगता है ।

तत्कालीन असुरक्षा, अशांति, अज्ञान – उत्पत्तिमत–भिन्नता के मुख्य कारण

मुस्लिम शासकों के असुरक्षित शासन का वह एक ऐसा युग था कि देश की तमाम प्रजा और उसमें भी गाँवों के कणबियों को तो अपनी जान–माल–संपत्ति सम्हालने की हरदम चिंता रहती थी । उस जमाने में तार, डाक या रेल्वे जैसे साधन देश में नहीं थे, जिससे देश के सभी हिस्से एक–दूसरे के घने संपर्क में आ सकते । देश के किसीभी भाग में घटती कैसी भी महत्त्व की बातों से उसी देश के बाकी हिस्सों की प्रजा बिल्कुल अनभिज्ञ ही रहती थी । ऐसे अराजकता के युगमें नागर या औदिच्य गोर के किसी विचक्षण और दीर्घदृष्टा पूर्वज ने स्वयं को हितकर बन पडे ऐसी लग्न की अजीब प्रथा प्रचलन करने के लिये, गुजरात में प्रथम आ कर बसे कणबियों के बावन परिवारों से, बावन पुतलों द्वारा उत्पत्ति की कल्पना की और उस काल्पनिक गाथा को जनसमाज में देवी–देवताओं के नाम से श्रद्धापूर्वक मान्य करा लिया ।

ऐसे नाजुक काल में भी जब दस–दस वर्ष के लम्बे अरसे पर लग्न का समय आता तब ब्राह्मण कुमकुम पत्रिकाएं ले कर गांव–परगांव जाते और कणबी उन्हें आदर–सम्मान दे कर लग्न को सहर्ष स्वीकार कर लेते थे तथा बिना किसी धूमधाम के ब्याह कर लेते थे । अराजकतावाले आपत्काल में हमारे शास्त्रों का तथा व्यवहार

का ज्ञान भी क्रमशः क्षीण हो जाने के कारण तथा तर्क–वितर्क करने की शक्ति कुंठित हो जाने से, ऐसी प्रणाली के बारे में सूक्ष्म खोज करने का खयाल कहां से आ सकता था !. . . कवचित् ऐसे गंभीर प्रश्न का गूढ रहस्य जानने की इच्छा से, पधारे हुए बारातियों को आशापूर्ण दिल से किसी के पूछने पर वे कहानी का गौरव बढाने हेतु किंचित मौन ग्रहण करने के बाद सस्मित बोल देते थे कि, "अहा ! बावा ! आप को तो स्वयं माता उमा तथा पिता शंकरजीने ऋषियों के कष्टों को दूर करने के लिये अपने हाथों से बनाया है । आपतो देवांशी हैं तथा देवी–देवताओं के वरदानों से युक्त हैं । इतना ही नहीं, आप की उत्पत्ति के पश्चात् आप के ब्याह की धार्मिक विधि कराने के लिये हमें भी भगवान शंकरजी ने अपने भव्य ललाट में से उत्पन्न किया हैं ।". . . ऐसी बातें बताकर वे इस जाति पर अपना शाश्वत अंकुश जमाने के लिये फुला–फुला कर खुशामद का मधु–मक्खन लगा कर उन्हें खुश कर देते थे ।

काल के बहाव में ऐसी अप्राकृतिक बातें हजारों मुखों से रूपांतरित होती–होती जिसने जैसी सुनी वैसी याद रखी और स्मृतिजन्य संस्कार के रूप में आज तक भाट–चारणादि के मस्तिष्क में बसी रही । अलग–अलग काल में भिन्न–भिन्न मुखों से सुनी बातें पुश्तनामियों के बाप–दादों ने शांति के काल में अपने यजमानों की वंशावली लिखते समय प्रारंभ के हिस्से में उत्पत्ति का उल्लेख कर के, सही ढंग से मिलाकर ताल–मेल बिठा दिया तथा अपनी बही में हंमेशा के लिये अंकित कर दिया । बैशक; वैसा करने में उन्होंने अपनी बुद्धि का सही–सही उपयोग करके, ऐसी काल्पनिक बात असत्य प्रतीत न हो इसके लिये बडी सावधानी रखी होगी ! फिर भी आज सैकडों वर्षों के बाद इस स्द्धिांत की सत्यता का संशोधन होने पर उसमें निहित असत्य प्रगट हुए बिना नहीं रह सकता ।

उत्पत्ति और लग्नपद्धति के बारे में अब तक हम देख चुके हैं कि अलग–अलग लेखकों के मत, उस अराजकतावाले युग में गढी हुई कहानियां ही हैं । भोले कणबियों की भलमनसाहत का लाभ उठा कर अपने धंधे के लिये घूमते पुरोहित तथा पुश्तनामियों आदि ने आर्य प्रजा की कई अन्य जातियों के बारे में जिस प्रकार भिन्न–भिन्न कथाएं गढ दीं, वैसा ही हमारे बारे में भी हुआ है । इस से अब हमारी उत्पत्ति के बारे में सत्य बात क्या है – यह प्रश्न स्वाभाविक ही उत्पन्न होता है । अतः उसका योग्य समाधान दूसरे खण्ड में किया गया है ।

२. कुर्मियों की क्षत्रिय सदृश महत्ता

- O कणबी के मूल पुरुष कूर्म ऋषि की उत्पत्ति
- O कुर्मी शब्द का सप्रमाण अर्थ
- O पाटीदार क्षत्रिय हैं
- O पंजाब पर आक्रमण तथा कुर्मियों का प्रयाण
- O प्राचीन गुजरात में कुर्मियों का आगमन
- O प्रचलित लग्न–पद्धति

कणबी के मूल पुरुष कूर्म ऋषि की उत्पत्ति

हिन्दुस्तान की यथार्थ स्थिति का चित्र जानने के लिये आधारभूत व प्रामाणिक ग्रंथों के रूप में हमारे पास वेद मौजूद हैं। जिस समय मूल में यूरोप–अमेरिका आदि अन्य देश सुधार की बातों में पिछडे हुए थे, तब आर्यावर्त उन्नति की चोटी पर पहुंच चुका था, ऐसा हमारे वेदों से विश्व को निःसंशय स्वीकार करना पडता है। उस समय हमारी स्थिति में धार्मिकता प्रधान स्थान पर थी। ईश्वर प्रणीत ज्ञान के भंडाररूप वेद परम्परा से ही ब्रह्माजी और कश्यप–मनु आदि उनके पुत्रों को कण्ठस्थ थे तथा बाद में लेखन–शैली के बिना ही एक के बाद एक विद्यार्थियों को क्रमशः कंठस्थ कराए जाते थे। किंतु जब लेखनशैली प्रारंभ हुई, तो वेदों में सर्व प्रथम हमारा ऋग्वेद लिखा गया था। अतः हमारा प्राचीन इतिहास जानने में वह मुख्य साधन माना जाता है। उसके अध्ययन से मालूम होता है कि हमारा प्राचीन निवास अफगानिस्तान में था और वहां से हिन्दूकुश पर्वत लांघकर खैबरघाटी के मार्गों से आकर हम पंजाब में बसे। कुछ अरसे बाद वहां से भी हम शनैः शनैः गंगा–यमुना के उपजाऊ प्रदेशों में यहां तक कि बंगाल तक फैल गए।

कुछ इतिहासकार ऐसा अनुमान भी करते हैं कि हमारे आर्यों के, ईरानियों के तथा युरोपीयन प्रजा के बापदादे साथ–साथ मध्य एशिया में आमु नदी के पास पामिर नामक उच्च–प्रदेश में बसे हुए थे। वहां से एक टोली पूरब की ओर, दूसरी ईरान की ओर तथा तीसरी अफगानिस्तान से होकर पंजाब में आई। मैं इस मान्यता के विरुद्ध टीका करना नहीं चाहता।. . . कुछ भी हो! चाहे हमारे आर्य प्रारंभ से हिन्द में ही बसे हों या फिर मध्य एशिया के पामिर प्रदेश के निवासी हों, किंतु वेदों को देखते हुए उनके मूल स्थान का नाम भरतखण्ड मालूम पडता है। इससे मैं[1] ऐसा मानता हूं कि भरतखण्ड की सीमा आज जो पंजाब की सरहद पर सुलेमान एवं हाला पर्वत तथा हिमालय से अंकित है, उस सीमामें अफगानिस्तान तथा उसके उत्तर के पामिरवाले उच्च प्रदेश का हिस्सा भी शामिल होना

१. इतिहासकार स्व. श्री पुरुषोत्तम लल्लुभाई परीख

चाहिए। इस बात की पुष्टि में ऐसा कहा जा सकता है कि रामायण व महाभारत के काल में भरतखण्ड की सरहद आज के हिंदुस्तान जितनी न थी, बल्कि इससे विस्तृत थी, ऐसा इन दोनों महान् ऐतिहासिक ग्रंथों से स्पष्ट मालूम पडता है। ऋग्वेद के मंत्रों से पता चलता है कि आर्योंने अफगानिस्तान के प्रदेश में प्राचीन कुंभा (काबुल) नदी पर लम्बे अरसे तक शांतिपूर्ण निवास किया है। फिर, उस समय और उस स्थान में ही वेद के मंत्रों का लिपि बद्ध होना माना जाता है, क्योंकि वेदों की कुछ ऋचाओंमें कुंभा (काबुल), कुमु (कुरम) तथा गोमती (गोमल) नदियों का बार-बार उल्लेख हुआ है। इसके पश्चात् उस प्रदेश की अवर्णनीय प्राकृतिक शोभा को देखते और उस की उपजाऊ जमीन में खेती करते हुए वे अपनी धार्मिक विधियों एवं उपलब्धियों को पश्चिम में पंजाब की ओर फैलाने लगे। शुरू में उस में विशाल सिंधु नदी, शतदु (सतलज), पीपासा (बियास), पुरुष्णं (इरावती-रावी), असीकी अर्थात् चंद्रभागा (चिनाब) और श्रीतरता (झेलम) आदि नदियों का वर्णन आया है। इससे मालूम होता है कि वे पंजाब में हो कर धीमे-धीमे मथुरा की ओर आगे बढे होंगे। इस प्रदेश में उन्होंने ज्यादा समय तक निवास किया है। हमारे शास्त्रों के अनुसार उनके मूल पुरुष भगवान कश्यप ऋषि होंगें। अतः उनसे हमारे मूल पुरुष चंद्र वंशीय कूर्म ऋषि तक का वंश बताने की यहां आवश्यकता होने के कारण स्कंदपुराणांतर्गत आए विवरण का यहां भावार्थ दिया जाता हैं -

'क्षीर सागर में शेषजी की शय्या पर शयन करनेवाले भगवान श्री विष्णु के नाभिकमल में से श्री ब्रह्माजी प्रकट हुए। उनसे समग्र सृष्टि के पिता आदि पुरुष श्री कश्यप ऋषि उत्पन्न हुए। उनसे महात्मा अत्रि ऋषि उत्पन्न हुए। तेज के पुंज-स्वरूप उनके नेत्रों से सर्व तेज के स्वामी, ईश्वर, समस्त लोगों को शांति देनेवाले, सुधाकर तथा अठारह भार वनस्पतियों का पोषण कर उनके द्वारा सृष्टि को जीवन देनवाले - पुष्ट करने वाले चंद्र उत्पन्न हुए। 'चंद्र' नामाभिधान करने का हेतु सार्थक है। 'चदि' धातु सुख तथा प्रकाश का भाव दर्शाती है, जिस से 'चंद्र' शब्द निष्पन्न हुआ है। इस चंद्र के प्राकट्य के बाद -

'उनकी रूप लावण्यमयी और सौभाग्यसंपन्न नाम से विख्यात उत्तमोत्तम गुणवाली पत्नी से अत्यंत दिव्य तथा मनोहर रूपवाला पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम बुध था। वह बुध दाता एवं नरों में वीर, श्रेष्ठ कर्मों का कर्ता, शोभायमान मुखाकृतिवाला, स्वयंवीरों में श्रेष्ठ हुआ। वह वुद्धिमान पुरुषों को बोध देनेवाला तथा सर्व पुराणों में सुप्रसिद्ध सामर्थ्ययुक्त वर देनेवाला हुआ। उसके बाद श्रीमान् पुरुषों में श्रेष्ठ ऐसा पुरूखा नामक महाबुद्धिमान पुत्र पैदा हुआ।

'पुरुखा त्रपुःपुत्रोह्यनुजोह्यायरित्यभूत्।'
-स्कंदपुराणे सह्यादिखण्डे आदिरहस्ये. अ. ३०

'ऐसे, श्रीमान् पुरुषों में पुरूखा राजा का त्रपु नामक पुत्र हुआ। उसे आयु नामक लघु भ्राता था। इन त्रपु तथा आयु दोनों पुरुषों के वंश की विशेष वृद्धि हुई है। आयु के वंश का विस्तार महाभारत में सविशेष वर्णित है। तथा त्रपु के वंश का वर्णन स्कंदपुराण में निरूपित है। इस पुत्र की वृद्धि करनेवाले महापुरुषों की स्कंदपुराण में दो श्लोकों में बडी स्तुतु की गई है। वे धैर्यवान, अतुलित पराक्रमवाले, लोगों में प्रसिद्ध पुरुषार्थ करनेवाले तथा दीर्घदृष्टा महात्मा थे।

ब्राह्मणों का आतिथ्य करनेवाला, दान एवं जप-तप में श्रद्धापूर्वक एकनिष्ठ उनका यह विस्तीर्ण वंश आज तक इस संसारमें अपनी ख्याति फैला रहा है ।

इस प्रकार महान् प्रभावशाली महापुरुषों में कूर्म ऋषि के वंश का वर्णन स्कंदपुराण में किया गया है । उनके कुल में प्रथम प्राणनाथ नामक राजा हुआ । तत्पश्चात् बाहुशाली राजा हुए और उनके वंश में दीर्घबाहु आदि हुए ।

इस प्रसंग में 'कुर्मी' शब्द का प्रयोग क्यों, कैसे तथा उस का अर्थ व महत्त्व क्या है, यह सविस्तार बताना उचित मान कर आगे विशेष रूप से विवेचन प्रस्तुत किया जा रहा है ।

'कुर्मी' शब्द का सप्रमाण अर्थ

सयुत्कूर्मीनाम । एतद्वैरुपंकृत्वा प्रजापतिः प्रजा असृजत यद्दसृजता करोत्तद्यदकरोत्तस्मात्कूर्मः कश्यपो वै कूर्मस्तस्मादाहुः सर्वाः प्रजाकाश्यप्य इति ॥

शतपथ, का. ७, अ. ५, ब्रा. १ ।

संस्कृत शब्दकोष के अनुसार 'कुर्मी' शब्द का नरजाति में भावार्थ निम्न प्रकार है –

कूर्मः, भूः = पृथ्वी, **अस्यास्तीतिकूर्मी** = भूपति, पृथ्वीपति, राजा जैसे कि : **सएष (कूर्मः) इमएवलोकाः ।**

शतपथ, का. ६. अ. ५, ब्रा. १.

प्रो. मोनियर विलियम्स का संस्कृत-अंग्रेजी शब्दकोष निम्म प्रकार का अर्थ बताता है –

कूर्मः = वीर्यम् = रसम् = शक्ति, **अस्यास्तीतिकूर्मी** = वीर्यवान्, शक्तिवान मनुष्य ।

कूर्मः = वीर्यम् = वीरकर्म = वीरता के कार्य = **अस्यास्तीतिकूर्मी** = वीरकर्मा, वीरपुरुष ।

कूर्ममुपदधाति । रसो वै कूर्मो रसमे वै तदुपदधाति यो वै स एषां लोकानामप्सु प्रविद्धानां पराङ-सोऽत्यक्षरत्म एष कूर्मस्तवै तदुपदधाति यावानुवैर सस्तावानात्मा सएष इमऽएवलोकाः ॥

शतपथ, का. ७, अ. ५. ब्रा. १

रसोगन्ध रसे स्वादे तिक्तादौ विष रागयोः । श्रृङगरादौदवे वीर्ये देहधात्वम्बु पारदे ॥ इतिविश्वः ।

कूर्मः द्यौः = स्वर्ग, **अस्यास्तीकूर्मी** = दिवस्पति, इन्द, स्वर्गपति ।

ऋग्वेद मंडल ८, सुक्त ५५ और इसी प्रकार ऋग्वेद मंडल ३ सूक्त ३७, शतपथ ब्राह्मण, यजुर्वेद, अथर्ववेद में कुर्मी क्षत्रिय है इस के कई प्रमाण मिलते हैं ।

सायण भाष्य के अनुसार तुवि + कुर्मी = संग्राम में नाना प्रकार के कर्म करनेवाला वीर नर है । उपर्युक्त प्रत्येक अर्थ में कुर्मी शब्द खास क्षत्रिय की संज्ञा में प्रयोजित हुआ है । स्वयं इन्द्र भी क्षत्रिय माने गए हैं, जिस के कई प्रमाण वेदमंत्रों में मिलते हैं ।

इन्द्र को त्राता[१] आदि विशेषण लगे हैं, वह भी क्षत्रिय का भाव दर्शाते हैं । 'भूपति' शब्द का प्रयोग क्षत्रिय के लिये ही होता है । इस के अलावा कई संस्कृत ग्रन्थों से भी यह सिद्ध होता है । प्राचीन एवं अर्वाचीन समय में क्षत्रिय ही राजकर्ता के रूप में प्रसिद्ध हैं । अमरकोष के रचयिता अमरसिंहजी ने भी जितने भूपतिवाचक शब्द एकत्र किए हैं, उन सभी को क्षत्रियवर्ग में रखा है । फिर, 'वीर्यवान' विशेषण भी क्षत्रिय को ही लग सकता है । इसके लिये मनु भगवान कहते हैं –

'ब्राह्मणों का ज्ञान, क्षत्रियो का वीर्य (बल), वैश्यो का धनधान्य अर्जन तथा शूद्रो का जन्म से सेवा करना प्रधान कर्म है ।'

शौर्य, तेज (हिंमत), धृति (धीरज), दक्षता (चतुराई), युद्ध से भागना नहीं, उदारता, तप तथा ईश्वर के प्रति भक्तिभाव आदि क्षत्रिय के स्वाभाविक लक्षण हैं ।२

उपर्युक्त लक्षण आज भी पाटीदारों में विद्यामान हैं ।

इस प्रकार वेदादि सत्शास्त्रों तथा इतिहासों आदि को देखते हुए कुर्मियों की प्राचीन काल से क्षत्रिय सदृश महत्ता के बारे में अब किंचित् मात्र भी शंका नहीं रह जाती । फिर भी कुछ अज्ञानी लोग ऐसी शंका करते मिलते हैं कि वे मूल में राजा थे तो कृषि का कार्य क्यों कर रहे हैं ? उनकी ऐसी शंका में सिवाय अज्ञान के और कुछ दिखाई नहीं पडता ; क्यों कि आपत्तिकाल में आजीविका हेतु कृषि कर्म करना वह भी उनका मूल से जमींदार का भाव दिखाकर क्षात्र कर्म का प्रत्यक्ष प्रमाण देता है । तदुपरांत, खेती का काम करना शास्त्रसम्मत श्रेष्ठ कर्म माना जाता है ।

ऋग्वेद में आया है –

हे दसों अश्विनों, आपने हल के द्वारा जवादि धान्य बोकर – बुवाकर अन्न उत्पन्न करा कर अथवा दस्यु (कृषि के शत्रु, असुरों पिशाचादि वा दुर्भिक्ष) का तेजस्वी वज्र या जल के समूह द्वारा विनाश कर के आर्य मनुष्यों के लिये अपने कर्मविषयक विस्तीर्ण प्रकाश को उत्पन्न किया; अथवा हे दसों अश्विनों, आपने आर्य मनुष्यों या मनु के लिये हल से जव आदि धान्य बो कर – बुवाकर अपना विस्तीर्ण माहात्मय प्रकट किया है । **(ऋग्वेद मं. १ – सूक्त ११७)**

---

१. यजुर्वेद २. गीता अ. १८/४३

ऐसे एवं दूसरे भी वैदिक मंत्रों से सिद्ध होता है कि खेती करना श्रेष्ठ कर्म है। अतः कृषि के साथ कुर्मियों के संबंध से उनकी श्रेष्ठता में तनिक भी न्यूनता नहीं आती। कुर्मी अभी 'कूरमी', कुलमी तथा 'कुणबी' तथा 'कणबी' आदि का नामों से पहचाने जाते हैं। यह 'कुर्मी' शब्द का अपभ्रंश रूप है–ऐसा व्याकरणों, महाभाष्यादि ग्रंथों के अध्ययन से प्रतीत हो जायगा। इसी प्रकार कालांतर में कई संस्कृत शब्दों का अपभ्रंश हो गया है; जैसे कि 'अक्षय तृतिया' का 'अखात्रीज', 'सूर्य' का 'सूरज', 'ग्राम' का 'गाम' (गांव), 'मातृ' से 'मां', 'देवालय' से 'देवल' (देरुं – देहरा) आदि। अतः मूल संस्कृत शब्द 'कुर्मी' के कालांतर में कई प्राकृत शब्द हो गए हैं, जैसे– कटुम्बिन, कुलमी, कुनबी, कुलम्बी आदि। बुद्ध और जैन कालीन ताम्रपत्रों में भी इन शब्दों का प्रयोग मिलता है। फिर भी इन शब्दों के स्वरूप में मूल 'कुर्मी' शब्द स्पष्ट दिखाई देता है।

पाटीदार (कुर्मी) क्षत्रिय हैं

प्रारम्भ के प्रकरणों के अवलोकन से हमें पता चलता है कि कश्यप के वंशजों में कूर्म ऋषि के पुत्र मूल पृथ्वीपति थे; और जैसा कि आगे बताया जायगा, वे पंजाब के एक हिस्से में राज्य करते थे। हालांकि, वे अभी कृषक जैसे हो गए हैं, फिर भी अभी अंग्रेजी शासन काल में वे दरबारश्री, देसाईश्री, राजा, जागीरदार, देशपति, वतनदार, तालुकेदार, जमींदार, अमीन एवं मुखी आदि उपाधि धारण करते रहे हैं। जिससे हमें उनकी पूर्वगत महत्ता की प्रत्यक्ष प्रतीति हो जाती है। इसके अलावा वे क्षत्रिय होते हुए भी उपवीत धारण कर के द्विजोचित नित्य–नैमित्तिक कर्म करने लगे हैं, जिसके लिये श्रीमद् शंकराचार्यजी, श्रीमद् वल्लभाचार्यजी के वंशज, श्रीमद् नथुराम शर्मा, श्रीमद् नृसिंहाचार्यजी आदि आचार्य तथा महात्मा–पंडित आदि सहमत हैं।

उपर्युक्त सिद्धांत को सही प्रकार से सिद्ध करने के लिये चुनार जिले में भरेहटा गांव में ता. २५ तथा २६ मई, सन् १९०६ में **गोस्वामी १०८ श्री राधाचरण विद्यावागीश, ओनररी मजिस्ट्रेट श्री वृंदावन वाले** की अध्यक्षतामें एक आम सभा का आयोजन हुआ था। उस में इस सिद्धांत के विरुद्ध मत रखने वाले सभी सदस्यों को विशेष निमंत्रण दे कर बुलाया गया था। उपरांत, काशी के पण्डितों, महात्माओं, ब्राह्मणों तथा अन्य जाति के लोगों को सार्वजनिक निमंत्रण दे कर भिन्न–भिन्न स्थलों से बुलाया गया था। उस सभा में 'कणबी' (कुलमी) क्षत्रिय होने के कारण यज्ञोपवीत के अधिकारी हैं, इस विषय पर दोनों पक्षों में वाद–विवाद हुआ था। उसका विस्तृत वर्णन यहां प्रस्तुत है –

उपस्थित तमाम पण्डितों की सहमति के अनुसार सभापति के रूप में वृन्दावनवाले गोस्वामी श्री राधाचरणजी का चुनाव हुआ तथा उनकी आज्ञानुसर कार्यक्रम प्रारम्भ

हुआ । सभा के मंत्री श्री दीपनारायणसिंहजी ने 'कणबी' जाति क्षत्रिय वर्ग में है तथा उसे उपवीत धारण करने का अधिकार है–इस विषय पर शास्त्रों के कई प्रमाणों के साथ अच्छा भाषण दिया । उसके समर्थन में काशीनिवासी विद्वत्वर **पं. दामोदर** शास्त्री ने स्कंदपुराणादि के दृष्टांत दे कर 'कणबी जाति क्षत्रिय हैं' ऐसा सिद्ध किया। इन दोनों महाशयों के उपर्युक्त सिद्धांत के विरोध में काशी के पण्डित मदनमोहन पाठक ने कुछ समय तक भाषण दे कर बाद में दर्शाया कि –

(१) यदि कणबी क्षत्रिय हैं तो उन लोगों के रीति–रस्म एवं व्यापार–उद्योग अन्य क्षत्रियों जैसे क्यों नहीं हैं ?

(२) वे सभी जनेऊ धारण क्यों नहीं करते ?

(३) वे स्वयं कृषि जैसा हल्का काम क्यों करते हैं तथा आज के युग के अन्य क्षत्रियों के साथ रोटी–बेटी का व्यवहार क्यों नहीं रखते ?

इस पर से मैं ऐसे सिद्धांत पर आया हूं कि वे क्षत्रिय नहीं, किंतु अन्य वर्ण के हैं।

उनकी शंका का समाधान करते हुए काशी के प्रसिद्ध पण्डित महामहोपाध्याय स्वामी राममिश्र शास्त्री के शिष्य पण्डित राजाराम शास्त्रीजी ने निम्न प्रकार के शास्त्रोक्त प्रमाणों से, उपस्थित समस्त पंण्डित वर्ग तथा सदस्यों के सम्मुख यह सिद्ध कर दिया कि पण्डित मदनमोहनजी के कहने के अनुसार, कणबी अन्य वर्ण के नहीं हैं बल्कि क्षत्रिय ही हैं, क्यों कि –

(१) उपनयन (जनेऊ) संस्कार के बारे में मुस्लिम शासनकाल में बडे–बडे शमशेर बहादुर क्षत्रियों ने अपनी तलवारें म्यान में डाल कर खेती करना चालू कर दिया था तथा समर्थ पण्डितों ने भी प्राणों को बचाने के लिये उपवीत उतार कर उसे पगडी में छिपा दिया था। ऐसी कई प्रकार की आपत्तियों में कई द्विजों ने अपने विवेक का उपयोग कर समय की गंभीरता को समझते हुए कर्त्तव्यों को कुछ काल के लिये छोड दिया था । इसीलिये द्विजों में मानी जाती कुछ और जातियां आज भी बिना उपवीत धारण किए रह रही हैं । इसी प्रकार इस जाति में भी कुछ अरसे से ऐसा ही अंधेर चलता रहा । वर्तमान में क्षत्रिय मानी जाती उपवीत नहीं धारण करने वाली कुछ जातियां, शास्त्रोक्त कर्म करते समय (यज्ञ–यागादि, लग्न समय पर, श्राद्ध–संवत्सरी में) अल्प काल के लिये जनेऊ धारण करती हैं । उसी प्रकार यह जाति भी करती है । अतः इस जाति पर इस प्रकार का आक्षेप आ नहीं सकता ।

(२) अन्य क्षत्रिय वर्ग के साथ रोटी–बेटी–व्यवहार के बारे में जो शंका की गई है, उस के समाधान में आप को बता देना चाहता हूं कि आज–कल ब्राह्मण, क्षत्रिय, बनिया

आदि जातियों के विशेष वर्ग अपनी जाति के अलग–अलग वर्ग में भी आपस में बेटी–व्यवहार नहीं रखते। उसी प्रकार कणबी जाति भी अपने वर्ग के अलावा दूसरों के साथ रोटीबेटी–व्यवहार नहीं रखती; अतः यह शंका भी बेबुनियाद है।

(३) कणबी स्वयं कृषि करते हैं, इससे वे क्षत्रिय नहीं है–ऐसा कहना अनुचित है; कयोंकि इस वर्ण का कुछ हिस्सा जमींदार बन कर दूसरों से खेती करवाता है तथा कुछ लोग स्वयं भी खेती करते हैं; परंतु खेती करना कोई निंदनीय कृत्य नहीं है। इनका यह व्यवसाय भी पुराण काल की उनकी जमींदारी का प्रत्यक्ष प्रमाण देता है। तदुपरांत आपत्काल में खेती करने की अनुमति स्मृतिकारों ने भी दी है। **क्षत्रियोऽपि** कृषिं कृत्वा ॥ १८ ॥ कृषि वाणिज्य शिल्पकम् राज्ञः ॥ १९ ॥ (पाराशर स्मृति, अध्याय २, श्लोक १८ तथा १९) अर्थात् खेती, व्यापार तथा बढई आदि का भी कर्म कर सकते हैं। फिर, **गौतम** भी अध्याय ७ में लिखते हैं कि "**राजन्यो वैश्य कर्मा**" अर्थात् राजा भी वैश्य के कर्म कर सकते हैं। मनु भगवान भी अपनी स्मृति के १० वें अध्याय में कहते हैं –

'यदि ब्राह्मण अपने यथोक्त कर्मों द्वारा निर्वाह न कर पाए तो आपत्ति के समय में क्षत्रियों के कर्मों से वे अपना निर्वाह कर सकते हैं; क्यों कि यह वर्ग उसके निकट का वर्ग है (८७)। ब्राह्मण तथा क्षत्रिय दोनों अपने–अपने धर्म के अनुसार निर्वाह न कर पाए ऐसे आपत्काल में वे कैसे निर्वाह चला सकते हैं ? इस शंका का समाधान यह है कि खेती, व्यापार तथा पशुपालन आदि वैश्यों के जो कर्म हैं, उनके द्वारा वे निर्वाह कर सकते हैं (८२)। आपत्तिवश क्षत्रिय भी वैश्यों के इन्हीं कर्मों द्वारा अपने परिवारों का पोषण कर सकते हैं (९५)।

इस प्रकार ब्राह्मण क्षत्रिय के तथा ब्राह्मण–क्षत्रिय दोनों वैश्यों के कर्म कर सकते हैं, ऐसा वर्तमान में हर स्थान पर दिखाई देता है। आधुनिक युग में हिन्दुस्तान की कई कौमें (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र) अल्प या अधिक मात्रा में यह काम प्रसन्नता से स्वयं करती दिखाई पडती हैं। तदुपरांत वराहपुराण देखने पर मालूम पडता है कि स्वयं राजा जनक तथा उनकी पटरानी ने भी अवसर पडने पर कृषि कर के अपना तथा अपनी प्रजा का कल्याण किया था।

पण्डित बंशीधर शास्त्री बाजपेयी तथा **केला ब्रह्मचारी काशीवाले** ने भी पण्डित राजारामजी के उपर्युक्त सिद्धांत को अनुमोदन देते हुए कहा कि धर्मशास्त्रों के वचन के अनुसार तथा प्राचीन युग से सभी कौमें खेती करती आई हैं, तब लोकाचार देखते हुए खेती करना कोई हल्का काम नहीं है। अतः इन पण्डितजी का सिद्धांत हमें भी मान्य है।

तत्पश्चात् अध्यक्ष की इच्छानुसार काशी के **श्रीमान् पण्डित रामनाथ शास्त्री** ने कुर्मियों की वंशावली अर्थसहित कह सुनायी। इस पर काशीनिवासी **पण्डित वीरभद्र शर्मा** ने भी उपर्युक्त मत का अनुमोदन किया।

इन सभी पण्डितों के विरुद्ध काशी निवासी **पण्डित पद्‌मनाभ शास्त्री** ने शंका की कि कणबी जाति को कूर्म ऋषि का परिवार मानने का कोई आधार नहीं है; क्यों कि उसी स्कंदपुराण में लिखा है कि "**मुख्यवंशे समुच्छिन्ने नीचयोनौ स्थितोऽभवत्।**" कूर्म ऋषि का मूल वंश नष्ट हो चुका है, तब से उस वंश की गणना नीच यौनि में होती है। जब आधारभूत माने गए स्कंदपुराण में ही ऐसा सिद्ध होता है, तो ये लोग 'कूर्म ऋषि का परिवार हैं' ऐसा कैसे साबित हो सकता है ? इन पण्डित पद्‌मनाभ शास्त्री के संशय का **पण्डित भगवानदत्त** ने समर्थन किया।

काशीनगवासान्गवेद विद्यालयाध्यापक श्रीमान् **पण्डित देवीप्रसाद शास्त्री** ने उक्त दोनों पण्डितों के संशय का समाधान करते हुए बताया कि कणबी जाति को निम्न जाति ठहराने के लिये इन पण्डितों ने स्कंदपुरण का जो प्रमाण दिया है वह गलत है। यदि उन्होंने श्लोक को पूर्ण दर्शाया होता तो सही बात मालूम हो जाती। देखिए, मैं अब उस श्लोक को पूरा करता हूं –

अजितात्सुर मित्रश्च पक्षजिच्च ततोऽभवत् ।
मुख्यवंशे समुच्छिन्ने नीचयौनौ स्थितोऽभवत् ।।

यह श्लोक पहले तो सह्यादि खण्ड के चौंतीसवें अध्याय में है तथा कूर्म ऋषि की कथा तो तैंतीसवें अध्याय में है। अतः इस श्लोक का कूर्मी वंश की कथा से कोई भी संबंध नहीं हो सकता। इसलिये पण्डित पद्‌मनाभ शास्त्रीजी का इस श्लोक का आधार लेना बिल्कुल अनुपयुक्त एवं अप्रासंगिक है; क्योंकि उनके अर्धश्लोक का संबंध चौंतीसवें अध्याय में वर्णित प्रायण ऋषि से होता है। फिर भी पण्डितजी प्रायण ऋषि के वंशजों के विनाश की बजाय कूर्म ऋषि के वंशजों का विनाश होना बताते हैं। यह उन्होंने गंभीर भूल की है। अधिक जानकारी के लिए मैं आपके समक्ष सह्यादि खण्ड प्रस्तुत करता हूं, उसे देखने का सभी लोग कष्ट करेंगे।

पण्डित दामोदर शास्त्री ने सह्यादि खण्ड के विवादास्पद श्लोक का भाषांतर कर के सब को बताया और इससे कणबियों की निम्नता के बारे में पण्डित पद्‌मनाभ शास्त्री का प्रमाण सर्वथा अप्रासंगिक है यह पूर्णतया सिद्ध हो गया।

फिर, पूर्वोक्त पण्डित पद्‌मनाभ ने कहा कि कणबी जाति कूर्म ऋषि का परिवार है–ऐसा मान लेने पर भी उनका उपनयन संस्कार नहीं हो सकता; क्यों कि धर्मशास्त्रों के वचनानुसार बाईस वर्ष तक की अवधि में क्षत्रियों का उपनयन संस्कार हो जाना चाहिए। इससे अधिक वय हो जाने से वह पतित हो जाता है। कणबी जाति तो कई सालों से व्रात्य होती आयी है; अतः उनका संस्कार नहीं हो सकता।

इस के जवाब में **पण्डित देवीप्रसादजी** ने कहा कि पण्डित पद्मनाभजी अब कूर्म ऋषि के परिवार के रूप में कणबियों को मान्य करते हैं, किंतु व्रात्य के रुप में उनका उपवीत संस्कार नहीं हो सकता ऐसा बताते हैं । इस के प्रत्युत्तर में खुलासा यह है कि :

जिस वक्त भीनगा के राजा ने काशीनिवासी प्रतिष्ठित **पण्डित** महामहोपाध्याय **स्वामी राममिश्र शास्त्री** को व्रात्यों के संस्कार के बारे में प्रश्न पूछा था, तब शास्त्रीजीने '**व्रात्य संस्कार मीमांसा**' नामक शास्त्रों के आधारवाली पुस्तक बता कर तथा छपवा कर इस शंका का निवारण किया था। यह पुस्तक मैं अध्यक्ष महोदय के समक्ष प्रस्तुत करता हूं, जिसे संपूर्ण पढ कर पण्डित पद्मनाभूजी समाधान कर लें ।

इसके अतिरिक्त उपस्थित पण्डित महोदयों को याद होगा कि संवत् १९६१ के जयेष्ठ माह में **श्रीमद् शंकराचार्य स्वामी गोवर्धन मठाधीस्वर** ने वांसवाडा में पचास–साठ पण्डितों (पण्डित नंदकिशोर शुक्ल आदि) की उपस्थिति में कणबियों को जनेऊ पहनाई थी । उस वक्त कई पण्डितों ने शंका उठाई थी । उनकी शंका का निवारण कर उन्हीं के हाथों संस्कार कराया था। इस के अलावा शंकेश्वर मठाधीश्वर **श्रीमद् जगद्गुरू शंकराचार्य स्वामी** तथा सनातन धर्म के बडे बडे प्रमुख आचार्य तथा पण्डित आदि इन व्रात्यों को संस्कार कराते हैं । अतः यह शंका भी आधारहीन है ।

फिर **पण्डित** मदनमोहनजी ने प्रश्न किया कि कणबी जाति क्षत्रिय मानी जाती है, तो इस जाति में हुए राजा–महाराजाओं का उल्लेख इतिहासों में क्यों नहीं आता ?

इस के प्रत्युत्तर में पूर्वोक्त सभा के मंत्री ने कुछ अंग्रेज विद्वानों के मत प्रस्तुत किए ।

कुर्मी की महत्ता के बारे में अंग्रेज इतिहासकारों के अभिप्राय

१. **'हन्टर्स स्टेटिस्टिकल एकाउन्ट आफ् बेन्गाल–भाग ११'**

शिवाजी, ग्वालियर तथा सतारा के राजा कणबी वंश से आए थे ।

२. **'कोर्नेगीज रेसीज ट्राइब्ज एन्ड कास्ट्स आफ् आउध'**

ग्वालियर के सिंधिया, सतारा के राजा तथा नागपुर के भोंसले कणबी थे अथवा उनके जैसे ही थे । मि. **कैम्पवेल** ने बताया है कि मराठा का मूल 'कुर्मी' तत्व में से था; और शिवाजी तथा उनके कई सरदार कणवी थे । गोरखपुर और गुजरात में भी कणवी राजा हैं ।

३. **'इलीअट्स हिस्टरी फोकलोर एन्ड डिष्ट्रिब्युशन आफ् रेसीज'**

मराठों में कुछ कणवी हैं और ग्वालियर तथा सतारा के वंश उसी वर्ग के हैं ।

४. रेव. शेरिंग्ज ट्राइब्ज एन्ड कास्ट्स – भाग–२
(बम्बई प्रदेश तथा मध्य प्रान्त)

पूना जिले में अक्सर 'मराठा' और 'कणबी' ये शब्द एक–दूसरे के लिए बोले जाते हैं। कुर्मी एवं कणबी वास्तव में एक ही वर्ग के लोग हैं। उनमें कई जातियां हैं। वे आपस में ब्याह नहीं करते हैं। वे बडे उद्यमी, मेहनती, कुछ मितव्ययी, तन्दुरुस्त एवं व्यावहारिक रूप से संपन्न हैं।

५. "द प्रिन्सिपल नेशन्स आफ् इन्डिया"

कणबी अपनी स्वतंत्रता पाने के शौकीन हैं। उनकी निम्न प्रकार की कुछ कहावतें गुजरात में मशहूर है –

'ज्यां गाजवीज थाय छे, त्यां कणबियों जमीनदार छे।
'कणबी वांसे क्रोड कणबी कोई केडे नहीं।'

६. 'कर्नल डाल्टन'

बंगाल में सर्वप्रथम आर्यों के रूप में आए बिहार के कणबी थे, ऐसा डाल्टन बताते हैं, और कहते हैं कि वे गेहुंए रंग के, साधारण ऊंचाई एवं मजबूत देहवाले तथा कुछ ऊंचे कद के और साधारण सुंदर थे। उनका शालीन व्यवहार मानभरा है। जिस के गुरू न हो, ऐसे निगुरे ब्राह्मण के हाथ का पकाया वे खाते नहीं हैं। कुछ स्थानीय ब्राह्मण उनके हाथ की मिठाई खाते हैं, और उसी प्रकार कई अन्य क्षत्रिय भी व्यवहार करते हैं। अन्य सभी जातियां बिना किसी हिचकिचाहट के उनके हाथों की मिठाई खाते हैं। वे कहते हैं, अयोध्या में तो वे पुराने काल के जमींदार है मि. बूट कहते हैं, लखनऊ में भी वैसा ही है। वहां पर वे हलकी जाति के नहीं गिने जाते।

७. 'सरकारी आदेश नम्बर २५९/८–१८६ अ–६ का सारांश' (आउथ ता. २१–३–१८९६)

माननीय सरकार बताती हैं कि कणबी एक उच्च कुलीन घराने के हैं, अतः उन्हें सरकारी नौकरी से अलग रखना–यह खेद की बात होगी।

८. 'हिन्दुस्तान का इम्पिरियल गेजिटियर (नया संस्करण) पुस्तक ५ : पृष्ठ ९७–९८, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट

हिन्दुओं में कृषकों का मुख्य वर्ग कणबी, राजपूत और कोली हैं। उसमें अन्यों से अधिक महत्त्वपूर्ण वर्ग कणबी है। कुछ सरकारी नौकरी में उच्च पदासीन हैं, कुछेक ने व्यापार से धन कमाया है। किन्तु बडा हिस्सा गुजरात में कृषक जमींदारों के रूप में खेती करता है। हालांकि, पाटीदार व कणबी आपस में ब्याह नहीं करते, फिर भी दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है; तथापि कणबी राजपूतों से बढकर है।

९. **रेव. शेरिंग्ज हिन्दु ट्राइब्ज एन्ड कास्ट्स - भा. ३, पृष्ठ २५८. हिन्दु जातियों में सम्बन्ध :**

खेती करनेवाली जातियों में कुर्मी-कणभी मुख्य हैं । खेतीवाडी का व्यवसाय करनेवाली सभी जातियों में वे सब से आगे हैं । कणबियों के पंजे उनके व्यवसाय के अनुरूप प्राकृतिक रूप से ही मजबूत होते हैं । उनकी त्वचा का रंग गेहुंवा है - श्याम अथवा श्यामता से मिलता भी नहीं । यहां के तथा उत्तर हिन्दुस्तान के कुर्मी बहुधा ऊंचे, मजबूत, बहादुर, कुलीन तथा स्वतंत्र मिजाजवाले हैं और शूद्रों - हलकी जातियों में दिखने वाले कोई दुर्गुण उन में नहीं हैं । लेकिन त्रुटि यह है कि उनमें विचारशक्ति कुछ मंद है । परंतु उनके व्यवसाय को देखते हुए इसमें आश्चर्य नहीं लगता । क्योंकि सभी देशों में खेती के कारण किसानों की समझदारी वैसी ही होती है ।

जो हलकी जातियों में देखने में नहीं आते ऐसे कई विविध गुण उनमें देखने में आते हैं और उनका व्यवहार ऊंची जातियों का भी ध्यान सहज आकर्षित कर लेता है । उच्च जाति से भेंट के दौरान हलकी जाति के लोगों में दिखाई देनेवाली भीति तथा हलकी तावेदारी उन में बिलकुल नहीं हैं । मूल कणबी दूसरे रूप से साहस के मामले में राजपूतों से काफी समान हैं । वे राजपूतों जैसे धैर्यवान् और हिंमतवाले होते हैं । उनमें कुटिलता एवं तीव्र ग्रहण-शक्ति नहीं हैं । वे ब्राह्मणों से कई बातों में पृथक् नजर आते हैं ।

राजपूतों से उनकी साम्यता है । इसमें कोई शक नहीं कि यदि उन्हें योग्य वातावरण में रखा जाय तो वे उन्हीं के अनुरूप हो जाएं । फिर, उनकी मुखाकृति हलकी जातियों जैसी नहीं, बल्कि बिलकुल राजपूतों से मिलती है । यह बात ठीक है कि वे राजपूतों जैसे अधिक सुंदर या रूपवान नहीं हैं, फिर भी वे उनके ही जैसे चेहरों वाले तथा वैसी ही आकृति वाले हैं । हालांकि, उनमें सहनशीलता तथा शांति जैसे सामान्य गुण तो हैं ही, परन्तु हिन्दुओं का भूषण रूप गुण जो 'स्वाभिमान' है, वह उनमें विशेष है । वे बाहर से आर्थिक रूप से गरीब हो सकते हैं, परंतु व्यवहार से दीनहीन कभी नहीं दिखते एवं स्वाभिमान के साथ जीते हैं । जैसा कि अक्सर वे दिखते हैं वैसे प्रारब्धवशात् गरीब होने पर भी इंग्लैण्ड के किसानों की तुलना में उनकी सामाजिक हालत बेहतर व उच्चतर है, तथा अक्सर दूसरों से वे रौबपूर्वक सम्मान पाते हैं । राजपूतों का घमंड व ब्राह्मणों का मिथ्याभिमान उनमें नहीं है ।

ऐसा सम्मान उन्हें उनकी स्वयं की गरिमा के कारण मिलता है ।

१०. **फार्बस साहबकी रासमाला -भाग-२ : पृष्ठ २८६-९३**

गुजरात में ज्यादातर किसान कणबी हैं । फिर भी उनकी उत्पत्ति क्षत्रियों से हुई है । उनमें से अधिकतर प्रायः क्षत्रियोचित विशेषणों से पहचाने जाते हैं । उनमें अन्य

जो निर्धन किसान हैं, उन्हें भी ईश्वर ने जिस स्थिति में रखा है, उस स्थिति में उन्होंने अपने आपको आश्चर्यजनक रूप से ढाल दिया है !

११. 'बोम्बे गवर्नमेन्ट गजेटियर' – भाग ४ :
अहमदाबाद, पृष्ठ ३६१–५१

कुछ कणबी कारीगर हैं, कुछ सरकारी नौकरी में उच्च पदाधिकारी हैं, कुछ ने व्यापार में काफी धन कमाया है। किन्तु दूसरे कई खेतीहर कृषक हैं। फिर भी वे बडे सद्गुणी, शर्मीले, उद्यमी, शादी व मरणोपरांत के खर्च को छोडकर वैसे सादे व मितव्ययी, अपराधवृत्ति एवं कुलक्षणों से दूर रहने वाले तथा संस्कारी उत्तम किसान हैं। पहले जब भी गांव में डाकुओं के गिरोह लूटने आते, तब या तो उनसे वे समाधान करते अथवा ये वीर कणबी तथा राजपूत मिल कर जान की बाजी लगाकर उनसे भिड जाते और उन्हें मार भगाते ।

१२. 'बोम्बे गवर्नमेन्ट गजेटियर वो. १, भाग १' : पृष्ठ ४

"The Main Gurjar Underlayer are the Levas and Kardvas, the two leading divisions of the important class of Gujarat Kunbis."

अर्थात् – "गुजरात में आ कर बसे गुर्जरों का अधिकतर हिस्सा कडवा तथा लेउवा का है, जो गुजरात की कणबी जाति के दो महत्त्वपूर्ण हिस्से हैं।"

उपर्युक्त दिये गए अंग्रेज इतिहासकारों के मतों को सुनकर भी 'कणबी क्षत्रिय हैं' इस विषय में जिसे भी शंका हो, उसे प्रश्नोत्तर करने के लिये अध्यक्ष महोदय ने सूचना दी। इस पर दोनों पक्षों के पण्डितों ने अपना संतोष व्यक्त किया। तब अध्यक्ष महोदय ने अपन अंतिम खुलासा निम्न प्रकार प्रकट किया –

फैसला

'उपर्युक्त सभा की अध्यक्षता के लिये मेरा चुनाव होने के पश्चात् मेरे सामने दोनों पण्डित पक्षों ने "कणबी क्षत्रिय हैं या नहीं" इस विषय पर शास्त्रोक्त वादविवाद किया। जिस पर से मैं इस निर्णय पर आता हूं कि कणबी क्षत्रिय सिद्ध हो चुके हैं। फिर, शेषतः श्री गोवर्धन मठ के तथा श्री शंकेश्वर मठ के श्री शंकराचार्यजी ने और कुछ अन्य आचार्यों ने तथा विद्वान् पण्डितों ने इनको लंबे अरसे से व्रात्य रहने के लिये मनु तथा याज्ञवल्क्यादि स्मृतियों के आधार पर विधिवत् प्रायश्चित् करा कर उपनयन (जनेऊ) संस्कार कराया है और कराते हैं जिससे उनका क्षत्रिय होना सिद्ध हो चुका है तथा उनके उपनयन–संस्कार में कोई दोष नहीं है।

(हस्ताक्षर) श्री राधाचरण गोस्वामी
अध्यक्ष

पंजाब पर आक्रमण तथा कुर्मियों का प्रयाण

भगवान मनु के प्रथम पुत्र इक्ष्वाकुने अपना राज्य अयोध्यामें स्थापित किया था। वहां कई पीढियां हुई। फिर श्रीरामचंदजी हुए। उनके कुमार लव ने पंजाब पर आक्रमण कर के मनु के चौथे पुत्र दिष्ट के वंशज, विशाल वंश के तथा विशालावती नगर में शासन करते जनमेजय राजा को हराया; और रावी नदी के तट पर अपने नाम से 'लवपुर'[१] बसाया। उसी काल में लक्ष्मणने लक्ष्मणावती[२] तथा कुश ने कुशावती[३] को बसाया था।

पंजाब में राज्यक्रांति होने पर भी कुर्मियों ने अपने युद्ध कौशल के कारण राज्य का कुछ हिस्सा बचाए रखा था तथा गुजरात के आसपास के करड और लेया प्रदेश में फैल कर वे समृद्ध हुए थे। फिर कालांतर में अर्जुन के पौत्र परीक्षित ने आ कर लव के वंशज 'सुमित्र' नाम के राजा से पंजाब का राज्य छीन लिया और राज्य चंदवंशियों के हाथों में आ गया।

चंद्रवंशी राजाओं के समय में ईसवी सन् पूर्व १८०० वर्ष पर असीरिया की साम्राज्ञी सेमिरामिस ने पंजाब पर आक्रमण किया! किन्तु वहां के सूबेदार ने हाथियों की सेना की सहायता से युद्ध किया, जिस से शत्रु की सेना भयाक्रात हो कर भाग खडी हुई। कुछ अरसे बाद मिश्र देश का 'सेसोट्रिस' राजा पंजाब पर चढ आया। तब मगध देश में सहदेव के शक्तिशाली वंशज राजा थे। फिर मगध देश के तक्षक राजाओं के समय में ईरान के पारसी राजा 'दरवेश गुस्तास्पे' ने ईसवी सन् पूर्व ५१८ में पंजाब पर हमला किया और विपुल मात्रा में सुवर्ण तथा कीमती जवाहरातों की लूट के साथ यहां से कई हिन्दू सैनिकों को भी वह अपने साथ ले गया। जब उसने ग्रीस पर आक्रमण किया तब उन्हीं हिन्दु सैनिकों ने युद्ध में बडी वीरता दिखा कर हमारा गौरव बढाया था, ऐसा इतिहास से जाना जाता है।

उसके बाद ग्रीस का महान् सिकंदर तुर्किस्तान, ईरान आदि देशों को जीतता हुआ ईसवी सन् पूर्व-३३७ में पंजाब पर चढ आया। वहां के राजा 'पुरुस' (पौरस)ने बडा पराक्रम दिखाया, किन्तु युद्ध में हार गया। फिर भी हिन्दू सेना की वीरता देखकर डरे हुए सिकंदर के सैनिकों ने आगे बढने से इन्कार कर दिया, अतः सिकंदर को लौटना पडा। मार्ग में बेबिलोन में वह निःसंतान मर गया। फिर उसके विशाल साम्राज्य को उसी के सरदारों ने बांट लिया। हिन्द की सीमा तक का पूर्व हिस्सा सरदार सैल्युकस नेक्टर के हाथों में आ गया। उसने पंजाब पर हमला किया। लेकिन मगध प्रांत के राजा चंदगुप्त ने उसे हराया, जिससे उन दोनों में सन्धि हुई, तथा सेल्युकस ने चंदगुप्त से अपनी पुत्री की शादी करदी (ईसवी सन् पूर्व ३०६ से २९८)।

---

१. लाहोर, २. लखनौ, ३. पट्टणा.

इस प्रकार पंजाब पर बारंबार आक्रमण होने के कारण होनेवाली उथल पुथल के कारण वहां की प्रजा ऊब गई थी। अतः जब पंजाब तथा मगध प्रांत आपस में लग्न–संबंध के कारण एक दूसरे से परिचय में आए तो संबंध गहरा बन गया। परिणामस्वरूप ईसवी सन् पूर्व तीसरी सदी के अंत में कुर्मियों के कुछ बहादुर परिवार पंजाब छोडकर मगध देश की राजधानी कुशावती में चंद्रगुप्त राजा की सेना में भरती हो गए। तत्पश्चात् बाक्ट्रिया (बल्ख) के लोगों ने पंजाब पर चढाई करके कुछ हिस्सा कब्जे में कर लिया। इसके बाद तातार देश के शकों ने आक्रमण किया। उन्होंने पंजाब को जीता और बाद में वे सिंध, मालवा तथा ठेट गुजरात तक आगे बढे आए (ईसवी सन पूर्व ७५)। उनमें शक राजा 'कनिष्क' बडा वीर हुआ था।

कनिष्क के मरने के बाद आवन्ती[१] में वीर विक्रमादित्य नाम का बडा पराक्रमी राजा हुआ। उसने शक राजा को हरा कर उस से गुजरात, मालवा, सिंध तथा पंजाब आदि प्रांत छीन लिये तथा विदेशियों को देश से निकाल बाहर किया। फिर दिल्ली के शासक परीक्षित के वंशज राजा राजपाल को भी हराया। इसी काल में ईसवी सन् पूर्व ७८ के लगभग क्षत्रप राजा कनिष्क के समय में गुजरात एवं उसके आसपास के प्रदेश से बहुत से गुर्जर बाहर निकले; उनके साथ–साथ कितने ही कुर्मी भी निकले व मथुरा तरफ जाकर बस गए। वहां से वे धीरे धीरे आनर्त देश तक पहुंचे होंगे ऐसा जान पडता है[२]।

कुर्मी लोग लडाकू होने के कारण आवश्यकता पडने पर यहांभी वे युद्ध करते तथा शेष, शांतिकाल खेती करने में व्यतीत करते। बाद में दूसरी टोलियां भी पंजाब से कोटा और मंदसोर हो कर मालवा में आई।

इस प्रकार पंजाब से निकली टोलियों ने कालांतर में अपनी मूल भूमि और जाति विस्मृत न हो जाय, इस हेतु से करडप्रांत के मूल निवासियों ने "करडवा कुर्मी" तथा लेया प्रांत के कुर्मियों ने 'लेया कुर्मी' ऐसे विशेषण धारण किए। गंगा–यमुना की घाटियों की ओर बढती तथा उत्तर हिन्दुस्तान में अपना वर्चस्व जमाती कुर्मियों की अन्य टोलियां मध्य हिन्द एजन्सी, मध्य प्रांत, खानदेश तथा दक्षिण की ओर आ कर बसीं। उनके वंशज आज तक लेवा और करड विशेषण धारण किये हुए हैं तथा अपने मूल स्थान पंजाब में भी 'लेयां' ('लेवा') नाम से वे मशहूर है।[३]

ऊंझा क्षेत्र में प्रवेश

इतना ही नहीं, जैसा कि ऊपर बताया गया है, अपने मूल वतन पंजाब के भिन्न भिन्न हिस्सों से निकल कर अंत में गुजरात में– आज जहां उंझा ग्राम है उस इलाके में कुर्मियों की टोलियाँ आ–आ कर बसने लगीं। वहां भी पंजाब तथा बाद में उत्तर हिन्दुस्तान से जिन–जिन हिस्सों से वे आए थे उन मूल स्थानों (वतन) के नाम से

१. मालवा, २. बो. गजेटीयर – वॉ. १ ३. बो. गजे. वॉ–१.

वे अपनी शाखों को आज भी सम्हाले हुए हैं। यद्यपि, लंबा अरसा होने के कारण मूल स्थानों के नाम कुछ अंशों में अपभ्रंश हो गए हैं, तथापि निम्नदर्शित शाखों (शाखाओं) व स्थानों से यह हकीकत अच्छी तरह से समझी जा सकती है और यह उत्पत्ति के इस इतिहास को भी ठोस पुष्टि देती है।

५२ शाख एवं उनके मूल उत्पत्ति स्थान

गुजरात में बसती बावन शाखों के कुर्मियों के मूल स्थान, पंजाब तथा उत्तर हिन्दुस्तान में हैं, यह निम्न सूची से सिद्ध होता है –

क्रम	शाख	ग्राम	स्थल
१.	.रूहात	रोहतागढ	झेलम नदी पर
२.	मांडलोत	मांडलेह	उत्तरी मेवाड
३.	भेमात	भाम	होशियारपुर के निकट
४.	मुंजात	मुंजा	गुजरांवाले के पास
५.	डाकोतर	–	–
६.	विजायत	वजीरपुरा	जिला आगरा
७.	गामी	गम्वार	माउन्ट गोमरी के पास
८.	गोठी	गोठ	शरीफपुर के पास
९.	फोक	फुक	लारखाना के पास
१०.	मोखात	–	–
११.	अमृतिया	अमृतसर	पंजाब
१२.	टिलाट	टिलाथु	शाहबाद के पास
१३.	मुंगला	मंगलपुरा	लाहौर के पास
१४.	भूत	भूतना	लुधियाना के निकट
१५.	कडवातर	–	–
१६.	पहाण	पान	गोंडाबलरामपुर के पास
१७.	भूवा	भोवा	लाहौर के पास
१८.	चंचाट	–	–
१९.	जुवातर	जुवा	इटावा के पास
२०.	सोरठा	सोनथा	पुरनीअल के पास
२१.	लारी	लार	गोरखपुर के पास
२२.	लाकोडा	लाखोदर	लाहौर के पास
२३.	गोगडा	गोधा	भावलपुर के पास
२४.	साकरिया	–	–
२५.	मजीठिया	मजीठमंडी	अमृतसर के पास
२६.	मनवर	–	–
२७.	कतवर	कातना	मथुरा के पास
२८.	दाणी	दाणावल	जालधंर के पास
२९.	चेंणीया	–	–
३०.	चपला	चपल	मह्रु के पास

३१. हरणिया	हर	मेदनीपुर के पास
३२. होती	होती	पेशावर के पास
३३. चेपेलिया	–	–
३४. शेठिया	–	–
३५. लहुओट	लाहौर	पंजाब के करीब
३६. कलारा	काल	झेलम के तट पर
३७. कालपुंछा	काळसाया	लुधियाना के पास
३८. वगदा	–	–
३९. गोदाळ	गोन्दा	अलीगढ के पास
४०. सीरवी	–	–
४१. भक्का	भक्का	गोपालगंज के पास
४२. कुंवारा	–	–
४३. ढान टोडवा	ढानापुर	गौडावलरामपुर के पास
४४. ढांकणिया	–	–
४५. करणावत	करंडा	घासीपुर के पास
४६. धोळु	धोळ	मुजफ्फरपुर के पास
४७. देवाणी	–	–
४८. ढेकाइ	ढेखाल	फरीदपुर के पास
४९. पोकार	–	–
५०. चोपडा	–	–
५१. केदाळ	–	–
५२. मांडविया	मांडी	पंजाब

इस के अतिरिक्त बाद में जो ४२ परिवार मालवा हो कर सिद्धराज के समय में आए हैं, उनका सविस्तार वर्णन आगे दिया गया है ।

ईसवी सन् पूर्व की तीसरी सदी के अंत में पंजाब छोड कर मगध प्रांत की राजधानी कुशावती में आ कर बसी टोली ने कुछ काल वहीं बिताया । इस दौरान इस टोली के लोग मगध प्रांत के राजकुमार बिंदुसार तथा अशोक की मालवा की सूबेदारी में साथ रहे होंगे । फिर अपने सैन्य बल से ईसवी सन् की पहली सदी के अंत में उस इलाके का कुछ प्रदेश अपने हस्तगत कर उस प्रदेश की माधावती नगरी को अपनी राजधानी बनाया होगा ऐसा – गुजरात के प्राचीन इतिहास तथा देसाई पटेलों के पुश्तनामों (भाटों के चोपडों) में लिखे हुए लेखों से मालूम होता है ।

इस प्रकार माधावती में कुर्मियों का शासन होने के कारण उनके शासनकाल में मालवा, ईडर, बांसवाडा आदि निकटवर्ती स्थलों में बसे हुए कुर्मियों का बडा हिस्सा वहां जा कर बसा । उस समय आज के गुजरात की कैसी स्थिति थी, उसका वर्णन करना यहां आवश्यक है; क्योंकि धीरे–धीरे बाद में कुर्मियों ने गुजरात में आगे बढ कर यहां अपना स्थायी निवास स्थान बनाया है ।

प्राचीन गुजरात में कुर्मियों का आगमन

पौराणिक आधारों से मालूम होता है कि गुजरात में पहला शासन मनु के पौत्र आनर्त का था। उसके रैवत नाम का कुमार था। उसकी राजधानी कुशस्थली (द्वारिका) थी। रैवत के सौ पुत्र थे, जिन में रैवत वडा था। उसके रेवती नामकी एक सुंदर कन्या थी, जिस का ब्याह श्रीकृष्ण के भाई बलभद्र के साथ हुआ था। जरासंघ के आक्रमणों से तंग आ कर यादव मथुरा त्याग कर जब गुजरात की ओर आए तो उन्होंने द्वारिका को अपनी राजधानी बनाकर, सुरराष्ट्र (सौराष्ट्र) पर ईसवी सन् पूर्व ५०० वर्ष तक शासन किया। फिर ईसवी सन् पूर्व ३१९ में मगध प्रांत में राज्य करते मौर्यवंशीय राजाओं ने गुजरात पर शासन किया। तब तक इस देश पर किस खास सत्ता का शासन था यह जानकारी नहीं हैं।

मौर्यों की मुख्य नगरी मगध प्रांत की राजधानी कुशावती (पट्टणा) थी और उन की ओर से भेजे गए सूबेदार सौराष्ट्र के गिरिनगर (गिरनार) में रहकर शासन करते थे। आज हम जिस प्रदेश को 'गुजरात' के नाम से जानते हैं उसके उस जमाने में आनर्त (आनर्तपुर – वडनगर), सौराष्ट्र (द्वारिका–गिरिनगर) तथा लाटदेश (भरूच--भडौच)– ऐसे तीन खण्ड थे। मौर्य वंश के शासन एवं सिकंदर की मृत्यु के पश्चात उसके सरदारों ने वे देश बांट लिए, जिसमें पंजाब आदि देश ग्रीकों के हाथ में आए। इस प्रकार क्षत्रप राजाओं के गुजरात पर सत्तारूढ होने से पूर्व ग्रीक, बाक्ट्रियन, पार्थियन, स्कीथियन, हूण तथा शक लोगों का गुजरात पर शासन रहा होगा यह अनुमान मध्य गुजरात तथा काठियावाड में पे मिले उनके कई प्राचीन सिक्कों तथा कुए, बावडियां, इमारतों और देवालयों के लेखों और खंडहरों से सही जान पडता है।

बाद में अवन्ती (मालवा) के वीर विक्रनादित्य ने गुजरात, मालवा तथा पंजाब में से उन्हें भगा कर उन देशों पर कब्जा कर लिया था। इसके पश्चात् मगध देश के क्षत्रप राजाओं ने ईस्वी सन् की पहली सदी में नालवा जीत कर वहां अपना सूबेदार नियुक्त किया। फिर उसी देश के तीसरे राजा जयदामा ने ईसवी सन् १४० में सौराष्ट्र में आ कर गिरिनगर को राजधानी बना कर उस के इर्दगिर्द के प्रदेशों पर स्वयं शासन किया था। उस काल में ईडर तथा बांसवाडा के प्रदेशों में से कणबियों ने आ कर आनर्तपुर के शांत इलाके में वडनगर तथा श्रीस्थल (सिद्धपुर) के आसपास की उपजाऊ खाली जमीन पर निवास किया।

ऊंझा ग्राम एवं श्री उमिया–मंदिर की स्थापना

क्षत्रप राजा जयदामा के समय में माधावती के कुर्मी राजा **व्रजपालजी** का महेत देश के राजा चंद्रसेन से युद्ध हुआ। उस में वे हार गए। अतः माधावती छोडकर अपनी धनसंपत्ति व एक छोटा–सा रिसाला लेकर आनर्त – गुजरात की ओर आए तथा सिद्धपुर में मातृ–गया श्राद्ध किया। भिन्न–भिन्न प्रांतों से आकर बसे हुए

जातिभाइयों से वहां मिलन हुआ और उनके बडे आग्रह के कारण फिर व्रजपालजी वहीं रह गये। संवत् २१२, (ईसवी सन् १५६) में शुभ मुहूर्त देख कर ऊंझा ग्राम बसाया तथा श्री शंकर–महादेव के वे परम भक्त होने के कारण अपनी कुलदेवी के रूप में शंकरजी की पट्टराणी उमियाजी की स्थापना की।

वहां करीब चौथी सदी के अंत तक क्षत्रिय राजाओं का शासन रहा। फिर उत्तर हिन्दुस्तान के शासक गुप्त राजाओं का ईसवी सन् ४१० से ४७० तक शासक रहा। वे उत्तर कनौज में राज्य करते थे। अतः अपने सूबेदारों को भेज कर उनके द्वारा गुजरात में शासन करते थे। उस वक्त गुजरात की राजधानी गिरिनगर थी, अतः आनर्त व ऊंझा वाले प्रदेश में बस्ती कम होने के कारण उस ओर सूबेदारों का ध्यान नहीं गया था। अतएव कुर्मियों को कोई असुविधा नहीं हुई। इसी प्रकार व्रजपालजी के वंशजों को भी स्वतंत्र रूप से रहने में किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पडा।

पांचवीं सदी के पूरा होने के बाद अर्थात् ईसवी सन् ५०९ से सातवीं सदी के अंत तक सौराष्ट्र पर वल्लभी राजाओं की सत्ता रही। उन की राजधानी आज के भावनगर के निकट वल्लभीपुर स्थित थी। यद्यपि, ये राजा भी गुजरात में बसते थे, फिर भी ऊंझा आदि स्थलों से राजधानी बहुत दूर होने के कारण तथा मध्य खण्ड बिलकुल अरण्य जैसा होने के कारण उन्होंने दंढाव्य में बसे हुए कुर्मियों के छोटे से राज्य की ओर नजर उठाई हो – ऐसा इतिहास में नहीं मिलता। इसी काल में भडौच, नांदोद तथा नवसारी आदि इलाकों में चालुक्यों तथा गुर्जरों के अलग–अलग राज्य थे, फिर भी अपना शासन वे खेडा ग्राम से आगे न बढा सके थे।

इस अरसे में ऊंझा में बसे हुए व्रजपालजी के वंशजों के साथ वहां के गोधा पटेल के पुत्र **शिवसिंहजी पटेल** को कारणवशात् कुछ मनमुटाव होने के कारण संवत् ६१२ (ई. स. ५५६) के मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की दूज को वहां से निकल जाना पडा। शिवसिंहजी पटेल वहां से अपने सम्बंधी कुर्मियों को तथा पटवारी प्रेमचंद वीसावाणीया, वजेसंग सेलोत, नागर गोर प्रेमानंद और कुछ नगरजनों को ले कर गुजरात के मध्य खण्ड में आए हुए भील्लनगर आशावल्ली[१] में आ कर बस गये।[२] व्रजपालजी के वंश में भी अब तक ऊंझा में ही वडवीर, नंदजी, जीवराज, रघुजी, लखुजी, जोगजी, व्रडवीर द्वितीय तथा हरिकिरणजी – इतने पुरुष हुए थे।[३]

उसी काल में वल्लभीपुर का पतन हुआ तथा गुजरात पर चावडा राजपूत सत्ता में आए। उन के सरदार जयशिखरी ने ईसवी सन् ६९० के बाद राधनपुर के राज्य की सीमा में कच्छ के रण के निकट पंचासर नगर बसाया तथा वह वहीं गादी बनाकर राज्य करने लगा। उसके राज्यारोहण के बाद श्रीस्थल (सिद्धपुर), वडनगर

१. असारवा २. असारवा के पुश्तनामों के अनुसार, ३. देसाई पटेलों के पुश्तनामों के अनुसार

तथा ऊंझा की ओर उस का ध्यान गया हो – ऐसा माना जा सकता है । किंतु उस के शासन के अल्पकाल के बाद ईसवी सन् ६९६ में **कल्याणीपति** भूवड ने आ कर उसे हरा कर मार डाला तथा उस के राज्य पर कब्जा कर लिया । गुजरात के शासन के लिए अपने एक सूबेदर को रख कर वह स्वदेश लौट गया ।

चावडा वनराज द्वारा अणहिलपुर पाटण की स्थापना

उस काल में स्वर्गीय राजा जयशिखरी के सेनापति सुरपाल तथा राजपुत्र **वनराज** ने डकैती करना शुरू कर दिया । देश में जगह–जगह अराजकता पैदा हो गई । अतः ऊंझा के छोटे से–कुर्मी राज्य के प्रति वह सूबेदार भी ध्यान नहीं दे पाया । अंततः वनराज ने संपूर्णतया विजयी हो कर श्रीस्थल (सिद्धपुर) के निकट आज जहां पाटण शहर है, वहां ईसवी सन् ७४६ में **अणहिलपुर पाटण** बसा कर राजगद्दी स्थापित की और राज्य की बागडोर अपने हाथ में ले ली । तब से ऊंझा तथा दंढाव्य में बसे हुए कुर्मियों को स्वतः ही उसकी सर्वोपरिता को स्वीकारना पडा ।

मंत्री **चांपराज** एक बहादुर सरदार था । साथ ही साथ निपुण राजनीतिज्ञ भी था । उसने आसपास की जमीनों का महसूल बराबर वसूल करना चालू कर दिया । साथ ही अरसे से बंजर पडी जमीन को भी खेती के उपयोग में ले लेने की योजना बनाली । ऐसी परिस्थिति में ऊंझा में बसे हुए व्रजपालजी के वंशज **व्रजपालजी द्वितीय** ने भी उसकी सर्वोपरिता के अधीन रहना पडेगा । इस आशंका के कारण ऊंझा छोड दिया । वे अपनी धन–संपत्ति व अपने सबन्धियों का छोटा–सा रिसाला (काफिला) लेकर संवत् ८०२ में ऊंझा छोड कर ईडर की ओर चल पडे और वहां कावर नामक ग्राम बसा कर स्वतंत्र रूप से रहने लगे ।[१] उन के साथ आज के जामळिया संज्ञाधारी पाटीदारों के पूर्वज पटेल संगाजी पोपटजी विगैरेह तथा अन्य जागरूक कुर्मी भी उसी साल में महा सुद सातम के दिन ऊंझा छोड कर ईडर परगने के जामळा गांव जा कर बस गए[२]।

प्रचलित लग्न पद्धति

हम मूल स्थान पंजाब छोड कर ऊंझा के इर्दगिर्द आ कर बसे; यहां समृद्ध हुए तथा एक छोटा–सा स्वतंत्र राज्य स्थापित किया – ये सभी बातें हम पिछले प्रकरणों में पढ चुके हैं । जब ईसवी सन् ७४६ में चावडा वंश के मूल पुरुष वनराज ने अपने राज्य से मात्र १०–१२ मील दूर ही अणहिलपुर पाटण बसाया तथा उसे अपनी राजधानी

१. देसाई पटेलों के भाटों के चोपडों के अनुसार

२. जामलीया पाटीदारों के भाटों के चोपडों (वही वंचा) के अनुसार

बनाकर शासन सम्हाला तब उसके राजनीतिज्ञ मंत्री चांपराज ने आसपास की खेतीयोग्य जमीन का लगान लेना तथा बंजर जमीन में भी खेतीवाडी करा कर राज्य की आय बढाने की ओर विशेष ध्यान दिया। इससे कुर्मियों के अग्रणी व्रजपालजी द्वितीय व कुछ अन्य परिवार अपनी-अपनी संपत्ति ले कर, वह स्थान छोड कर ईडर स्टेट की ओर गये तथा वहां स्वतंत्र गांव बसा कर रहने लगे। दूसरे भी कई कुर्मी परिवार ऊंझा छोड कर उनके पीछे उन स्थानों में जा कर स्वतंत्र रूप से रहने को उत्सुक हुए। फिर जैसा कि आज हम देखते हैं, कई लोग व्यवसाय हेतु विदेश जा कर वहां के लोगों के साथ गहरा सम्बन्ध बना लेते हैं, व्यवहार करते हैं, दोनों समधी उसी क्षेत्रमें इकट्ठे रहते हैं, फिर भी लग्नादि प्रसंगों पर किराया खर्च कर, अनेक असुविधाएं होने पर भी घर लौटते हैं; उसी प्रकार तब के कुर्मी भी गुजरात में रहते हुए भी लग्नादि प्रसंगों पर अपने मूल स्थान पर जाते तथा कोई-कोई वहीं बस भी जाते।

इस वर्ष ग्रीष्मऋतु में कई कणबी ईडर की ओर लग्न करने जानेवाले हैं, ऐसा चांपराज को मालूम होने पर उस का मन अधिक शंकाशील और अधीर बन गया। क्योंकि ऊंझा आदि इलाके को अपने श्रम से खेतीवाडी द्वारा जिन्होंने नंदनवन जैसा रमणीय बना दिया था ऐसे कणबी लोग इस प्रकार देश छोडकर एक के बाद एक चले जाएंगे तो फिर बंजर जमीन को कौन जोतेगा; वह बंजर ही पडी रह जायेगी और महसूल भी किससे वसूल करेंगे – ऐसा भय उसे लगा। अतः मंत्री चांपराज ने उन लोगों को देश छोड कर जाने से रोकने का निश्चय कर लिया। उन्हें रोकने के लिये राजसत्ता का उपयोग करना उसे अनुचित लगा। अतः उसने कोई धार्मिक प्रयोग आजमाने का इरादा किया तथा उसके लिये वह कोई योग्य साथी ढूंढने लगा।

मंत्री चांपराज की गहरी चाल

अपनी युक्ति सफल करने के बारे में मंत्री चांपराज सोच ही रहा था कि उसे पता चला कि कणबियों द्वारा स्थापित उमादेवी का पुजारी एक नागर ब्राह्मण है, जो चालाक, विद्वान तथा युक्ति-प्रयुक्ति में माहिर है। उसके आडंबर में लोगों में ऐसी श्रद्धा बैठ गई है कि उसे स्वयं माताजी दिखाई देती हैं। मंत्री चांपराज ने इस आदमी को पाटण बुलाया, उसको अधिकाधिक सम्मान दिया, सेवा-चाकरी की तथा एक विद्वान् की भांति उसे राजदरबार में से शिरपाव भी दिलाया। मंत्री चांपराज ने उस नागर को एकांत में बडी लालच दे कर अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिये कोई युक्ति गढने के लिये कहा। नागर राजकृपा संपादन करने के लिये व कणबियों को शादी-ब्याह के लिये विदेश जाने से रोकने में अधिकतम दानदक्षिणा मिलने की संभावना को समझकर मंत्री चांपराज की इच्छा के अधीन हो गया। अब दोनों ने मिल कर एक

गुप्त योजना बनायी । माताजी के आश्रय में माताजी को ही निमित्त बना कर उस योजना को परिपूर्ण करना तय हुआ और योजनानुसार वे नागर महाराज ऊंझा की ओर कूच कर गए ।

पुजारीजी का सफल प्रयोग

कुछ अरसे बाद चैत्र महीने के मेले के दिन आए । महाराज चण्डीपाठ करने बैठे । प्रभात की वेला में मेले में हजारों मनुष्यों के सामने माताजी के मंदिर में पुजारी जी अभुझाने (धूणने) लगे । बात चारों ओर फैल गयी । वे विद्वान् कुछ पवित्र व रोबदार व्यक्ति होने के कारण सभी कणबियों में उनके प्रति ऐसी श्रद्धा थी कि देवीश्री स्वयं उन के शरीर में प्रवेश करती हैं । अतः सभी अग्रणी लोग संपूर्ण श्रद्धा व भक्ति के साथ निर्मल दिल से उन्हें हाथ जोडने लगे तथा 'माँ आदेश ! माँजी आदेश!' इस प्रकार पुकारने लगे । आज के वैज्ञानिक युग में भी कई माताजी के ओझे या देव–देवियों के उपासकों के सामने संतान या धनप्राप्ति हेतु या स्त्रियां बीमार न रहें, उन की संतान चिरंजीवी रहे ऐसी आशा से दोरे–धागे या तावीज बनवा कर या गले में बांध कर यत्नपूर्वक उन्हें हम सम्हालते हैं, और यहां तक कि निर्दोष प्राणियोंकी बलि तक दे देते हैं । फिर उस जमाने में शेषनाग के सहस्त्र फनों के समान अपने केश खुले रख कर उग्र स्वरूप में अभुझाते (धूणते) हुए महाराज कोपायमान हो कर फटे नेत्रों से घन गंभीर–घोर आवाज में बोल रहे होंगे, तब दर्शकों के दिलों पर उस का कैसा असर पडा होगा – इसका ख्याल सहज ही में आ सकता है ।

ऐसे समय में पूर्व संकेत के अनुसार मंत्री चांपराज भी आ पहुंचा और जब ओझे नागर महाराज ने जाना कि सभी लोग आ गए हैं, तथा उसके धूणने का उन पर बडा प्रभाव हो रहा है, तो गरजते हुए वह बोला –

"अरे ! अपकारी कणबियों ! मैं तुम लोगों पर कुपित हुई हूँ । तुम लोग मेरे आश्रय में समृद्ध हुए हो । हैजा, महामारी आदि बीमारियों से मैं तुम लोगों की रक्षा करती हूँ । फिर भी शादी ब्याह जैसे शुभ कार्यों के लिये तुम लोग बार–बार विदेश चले जाते हो । इससे मुझे लग्ननिमित्त की मेरी बलि मिलती नहीं है । इसलिये मेरी आज्ञा है कि मेरी पवित्र ऐसी गुजरात की धरती को छोड कर किसी भी हालत में जाना मत !... यहीं रह लो और सुखी हो जाओ । प्रति नौ या दस वर्ष बाद जब मेरे वाहन सिंह का वर्ष बीत जाय तो तुम अपने बच्चों का ब्याह मेरी छाया में ही करो । यह वर्ष तुम लोगों के लिये ही अच्छा बनाया है । इसलिये सब मिल कर अक्षयतृतीया को पहला ब्याह करो । मेरा पुत्र वनराज तुम्हारी भली–भांति रक्षा करेगा तथा उचित सहायता भी करेगा । मैं स्वयं चारों दिशाओं से अंबिका, काली, बहुचरा, तुलजा आदि रूप से तुम्हारी रक्षा करूंगी । मेरा आशिष है कि तुम गुजरात में ही रह कर समृद्ध होंगें तथा दशों दिशाओं में अपनी कीर्ति फैलाओगे । मेरा सेवक तुम लोगों को जो

भी सलाह देगा उसके अनुसार चल कर उसकी श्रद्धापूर्वक सेवा करना। मैं तुम्हारा कल्याण करूगी।"

इतना कह कर देवी स्वरूप का आवेश मिटने पर नागर गोर शांत हो गया।

विचित्र लग्न-प्रथा का प्रारंभ

सभी लोग 'उमिया मात की जय, अंबे मात की जय' के जयनाद के साथ नागर गोर को प्रणाम करने लगे। मंत्री चांपराज भी पैरों पडा। उसने माताजी का आदेश श्रद्धापूर्वक मान्य रखने की सबको सलाह दी तथा उन्हें जो भी सहायता चाहिए, वह राज्य की ओर से देने का वचन दिया। तत्पश्चात् सभी कणबियों ने ब्याह आदि की विधि जानना चाहा।

नागर गोर ने बताया कि "तुम जितने भी कणबी परिवार के अग्रणी हो, वो सभी देहशुद्धि का प्रायश्चित् करके उपवीत धारण कर माताजी के सांनिध्य में यज्ञ करो। फिर कुंवारे बच्चों का आपस में ब्याह रचाओ। अक्षयतृतीया के रोज मैं उन सभी के ब्याह कराऊंगा।" इस पर मूल उत्तर हिंदुस्तान के भिन्न-भिन्न बावन गांवों से आए बावन परिवारों के अग्रणियों ने मिल कर विचार विमर्श किया और आपस में सगाई-सम्बंध करके समधी बने। अक्षयतृतीया के पवित्र दिन को मंत्री चांपराज की उपस्थिति में एक ही मुहूर्त में उन सभी बच्चे-बच्चियों का ब्याह किया गया। राज्य की ओर से सभी वर-वधुओं को पगडी तथा साडी की भेंट दे कर प्रसन्न किया गया। दूसरे दिन राज्य की ओर से कणबियों को भोजन दिया गया। और इस शुभ अवसर की खुशी में लगान में भी छूट दे कर उनका प्रेम व विश्वास संपादित किया गया। इस प्रकार की नवाजिशों (भेंटों)से कददान कणबी नये शासन से संतुष्ट हो कर वफादार किसान बन कर रहे और विदेश नहीं जाने के माताजी के आदेश का बराबर पालन करते रहे। जो लोग गुजरात छोडकर बाहर चले गए थे, वे भी राज्य की ओर से मिली उदार बक्षिसों (उपहारों)की बात सुन कर ललचा कर लौट आए तथा अपनी जमीनें सम्हालने लगे।

इस प्रकार लग्न की प्राचीन प्रथा में नया सुधार हुआ। सभी ने माताजी के नाम से उसे हृदयपूर्वक स्वीकार कर लिया तथा बार-बार विदेश जाना टाल कर, शांतिपूर्वक देश में रह कर खेतीवाडी कर के गुजरात को समृद्ध बनाया। दिन-प्रति-दिन उन की आबादी बढती गई और राज्य की सुरक्षा में ही वे आसपास फैले तथा समृद्ध हुए। यह सभी बातें विस्तारपूर्वक हम आगे के खण्ड में देखेंगे।

मालवा-निमाड के पाटीदारों में यह लग्न-पद्धति प्रचलित थी। एक तिथि के लग्न बंद हुए तब मालवा-निमाड-गुजरात के संबंध कम हो गये।

आज भी मालवा और निमाड में अक्षयतृतीया और वसंत पंचमी के दिन शादियाँ होती हैं।

३. गुजरात के राज्यशासन में कुलमी पाटीदार

अणहिलपुर के शासन में समृद्धि

चावडा वंश के प्रथम राजा वनराज के समय में कणबियों की लग्न–पद्धति का मंत्री चांपराज ने रूपांतर करा कर उन्हें गुजरात के स्थायी निवासी बनाया। इससे कणवियों को अधिकतम जमीन जोतने का निश्चित रूप से लाभ मिलने से उनकी आय में भी काफी सुधार हुआ और राज्य को भी महसूल की आय ज्यादा मिलने लगी।

चांपानेर शहर की स्थापना

मंत्री चांपराज ने गुजरात व मालवा की सरहद पर देश की रक्षा के लिये महाकाली के पहाड पर कई जैन–मंदिर बनवा कर उनमें प्रतिमाएं स्थापित की और एक बडा शहर बसाया। उस शहर की आबादी के लिये ऊंझा तथा अणहिलपुर पाटण के आसपास से कणबियों के कई परिवारों को वहां ले जा कर बसाया। शहर के चारों ओर मजबूत परकोटा बनवा कर उस का नाम चांपानेर[१] रखा। जेम्स केम्पवेल साहब के गेजेटियर के ग्रंथों से सार–सामग्री लेकर के सरकारी तालीम खाते की ओर से विद्वान् कवि नर्मदाशंकर लालशंकर ने 'गुजरात सर्वसंग्रह' नामक ग्रंथ तैयार किया है, जिस में चांपानेर की स्थापना के विषय में ऐसा वर्णन है कि कोई चांपा नाम का वनिया या कणबी था, जिसने अणहिलवाड के वनराज के समय में यह नगर बसाया था।[२]

अणहिलपुर को हराभरा प्रदेश बना कर कणबी मध्यभाग में आगे नहीं बढे थे, बल्कि अभी वे केवल सिद्धपुर, पाटण, ऊंझा तथा दंढाव्य के प्रदेश में ही रहते थे। ऐसा नहीं करने का कारण यही था कि मध्य भाग में मेवासी भील–लुटेरों का बडा भय था। परन्तु संवत् ६१२ में ऊंझा से असारवा गए हुए शिवसिंहजी पटेल के वंशज असारवा में ही बस कर

१. रासमाला भाग १ पृ. ६२७.
२. गुजरात सर्वसंग्रह पृष्ठ ४६५

समृद्ध हो गए। इस दौरान नरोडा, रखियाल, वाडज, सरखेज आदि गाँवों को उधर के कणबियों ने बसाया था और उन गांवों में असारवा से कई कणबी आ कर बसे थे, जिससे इस प्रकार कुछ हद तक वे गुजरात के निवासी बने थे।

करण राजा द्वारा डाकुओं का दमन

सोलंकी वंश के शासन में अणहिलपुर के राजाओं ने मालवा देश पर कई वर्षों तक आक्रमण किये और ईसवी सन् १०६४ में करण राजा का शासन प्रारंभ हुआ तब तक सोलंकी राजा सौराष्ट्र, पालनपुर, आबू, अजमेर तथा मारवाड तक अपनी सत्ता जमा चुके थे। फिर भी उन्होंने दंढाव्य से आशावल्ली तक और वहां से मही तथा खेडा तक के मेवासी भीलों से बसे हुए वन्य-प्रदेशों पर आक्रमण नहीं किया था। उन जंगलों में रहनेवाले भील-लुटेरों की टोलियां कणबियों की बस्ती पर अक्सर हमला करती तथा लूटमार कर के व्यापार-धंधे को नुकसान पहुंचा कर देश को बरबाद करती थी। अपनी अमर्यादित लूटमार से वे ऊंझा तक चढ आए थे। अतः आशावल्ली में बसे हुए छः लाख भीलों के सरदार आशा भील पर ईसवी सन् १०६४ में करण राजा ने अचानक आक्रमण कर के उसे हरा कर मार डाला तथा लुटेरों की टोलियों को बिखेर कर कुर्मियों को निश्चिंत बनाया। फिर असारवा के आसपास कोचरब, अवंतीदेवी तथा कर्णेश्वर महादेव के मंदिर तथा देवळ बनवाए[१]। उस लडाई में असारवा के रूसात पाटी के धींगाजी पटेल तथा उसके पिता कर्णाजी पटेल कुर्मियों में प्रमुख थे। साथ ही, उन्होंने मंदिर व देवळ बनवाने में तथा सेना को खाद्यसामग्री आदि पहुंचाने में भी बडी मदद की थी। इस से प्रसन्न हो कर करण राजा ने उन्हें असारवा में अच्छा गिरास दिया। इस प्रकार दंढाव्य से असारवा तक के इलाके की सुरक्षा व्यवस्था को बढा कर उस प्रदेश में ऊंझा के आसपास के कई कणबियों को बसाया। इसी प्रकार लुटेरों का भय टल जाने से वर्षों से बंजर पडी धरती पर कणबियों के परिवारों को ला-ला कर नये गांव बसाए; जो धीरे धीरे समृद्ध होते गए और असारवा तक फैल गए।

सिद्धराज जयसिंह द्वारा यशोवर्मा की पराजय

ईसवी सन् १०९४ से सिद्धराज जयसिंह का शासन हुआ तब मालवा के राजा यशोवर्मा पर उसने आक्रमण कर के राजनगर को घेर लिया। यह संघर्ष बारह साल तक चला। यशोवर्मा की फौज में खाद्य सामग्री न पहुंच पाए, इसके, लिये सिद्धराज के सैनिकों ने आसपास के सभी गांवों को उजाड दिया। अब यशोवर्मा को अन्न-पानी

---

१. गेजेटियर वो. १ पृ. १७०

की कमी महसूस हुई, अतः किले के बाहर आ कर उसने युद्ध किया, जिस में वह हार गया । मालवा में बसे हुए कुर्मी अपने गांव उजड जाने के कारण सिद्धराज की शरण में आए तथा उस के सैनिकों द्वारा हुई मालहानि की उनसे बात की । तब मालवा के हरे-भरे प्रदेश को उज्जड बना कर अपने मुल्क की बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने की लालच से सिद्धराज ने उन बेहाल हुए कुर्मियों को उत्तम बदला देने का आश्वासन दे कर गुजरात में भेज दिया । गुजरात में शुरू से आ कर अलग-अलग गांवो में फैले हुए बावन परिवारों के साथ ये बाद में आए हुए परिवार भी आपस में मिल गए । ये ४३ परिवारों के गांवो पर से उन की बनी हुई साखें (शाखें) निम्न प्रकार है :

१. वगा २. कावर ३. कालवेलिया ४. हाडी ५. ढोला ६. इटाली ७. सावुआ ८. पालेवा ९. खंगली १०. गोवाल ११. शेनूर १२. सुतरिया १३. करूर १४. त्रीगडी १५. धीला १६. खालपोत १७. चोथीया १८. पेमात १९. बुहात २०. गोमात २१. वेंझावत २२. गरगडी २३. भालुकी २४. खागा २५. उझमीया २६. खजाचीत २७. खंक २८. पटीआर २९. कपाळी ३०. कणथीया ३१. मोगरा ३२. लोढिया ३३. लाकडीया ३४. खुंचा ३५. सवांघरा ३६. कटारमल ३७. खच्चर ३८. खोधा ३९. पडीआ ४०. वणोर ४१. वीजलीआ ४२. मांडु ४३. वुढ

कुर्मियों को जमीन का स्वतंत्र मालिक बनाया जाना

उपर्युक्त कुर्मियों के प्रत्येक परिवार को चरोतर तथा दशकोशी भाल की उपजाऊ जमीन में, उन्होंने जो भी पसंद की उस जगह पर गांव बसा कर आसपास की जितनी भी जमीन चाही उसका उन्हें स्वतंत्र मालिक बनाया । वे अपनी उपज में से कुछ हिस्सा राज्य को देते थे, जिससे भील- लुटेरों से उनकी सुरक्षा की मालवा से भी अधिक सुन्दर व्यवस्था की गई ।[१] चरोतर तथा भाल आदि क्षेत्र के कुछ गांवों के कणबी आज भी एक ही परिवार के होने का दावा करते हैं। वे ब्रिटिश सरकार का शासन राज्य में स्थिर होने तक सरकार में गांव भर का एक ही लगान देते थे । इस से स्पष्ट रूप से यह समझा जा सकता है कि पहले के समय में उस-उस गांव के वे मालिक थे ।

मालवा से विजय प्राप्त कर लौटते समय सिद्धराज का स्वागत करने के लिये राजमाता मयणल्लदेवी पहले से ऊंझा आ कर वहां से मांडलोत शाख के हेमाळा पटेल के यहां रह रही थी । वहां रहने का कारण यही था कि करण राजा से ब्याह

१. कुमारपाल चरित्र

करने जब मयणल्लदेवी[१] अपने पिता के पियर से निकली थीं, तो मयणल्लदेवी के पिता तथा वह पटेल एक ही शाख के होने के कारण वे दोनों एक–दूसरे को भाई–बहन की तरह मानते थे । राजमाता मयणल्लदेवी ने सिद्धराज के साथ हेमाळा पटेल का परिचय करवाया तथा भरे दरबार में उसे पोशाक तथा राज्य की ओर से बडा सम्मान दिलाया[२] । इस घटना के बाद सिद्धराज के दरबार में कणबियों की बडी अच्छी स्थिति हो गई । सिध्धराज ने भी गुजरात के सैकडों वर्षों से पडे हुए इस उज्जड–प्रदेश – जो लोगों को लूटते रहनेवाले मेवासियों का मुख्य स्थान था – इस प्रदेश में से कानम, वाकळ, चरोतर, भाल आदि हिस्सों में कुर्मियों को बसा कर उस इलाके को समृद्ध बना दिया; जिससे राज्य की उपज में भी वृद्धि हुई ।

कुमारपाल के शासन में कुर्मी जमींदार बने

सिद्धराज को कुमारपाल से वैर होने के कारण वह उसे पकड कर मार डालने की कोशिश में था । एक बार सिद्धराज का सेनापति पाटण से भागते हुए कुमारपाल के पीछे पडा । वह उसे पकडने ही वाला था, कि कुमारपाल ने कुछ कणबियों को देखा । अपने प्राणों को बचाने के लिये वह उन की शरण में गया । शरण में आए कुमारपाल को कणबियों ने सैनिकों के हमले से बचा कर प्राणदान दिया । सिद्धराज की मृत्यु के पश्चात् जब कुमारपाल राजा बना तो उसने इस उपकार के बदले में अपने प्राण को बचाने वाले भीमसिंह पटेल को अपना अंगरक्षक बनाया तथा दूसरे कणबियों को भी अच्छे ओहदे दिए[३] । इस प्रकार कुमारपाल के शासन में कुर्मी गुजरात के कई हिस्सों में जमींदार बन कर सुखचैन से रहते थे ।

सोलंकी वंश का अंत होने के बाद गुजरात पर वाघेला वंश के राजाओं का शासन हुआ । इस दौरान करण वाघेला के काल तक पाटणवाडा, दंढाव्य तथा गुजरात में बसे हुए कुर्मियों को कोई उल्लेखनीय कठिनाइयां आ पडी हों ऐसा इतिहास में कोई उल्लेख नहीं मिलता । अर्थात् करण वाघेला के राज्याभिषेक तक वे सुखचैन से रह रहे थे । लेकिन उन्नति के बाद अवनति के ऐसे अबाधित नियम की वे भी बलि बने बिना नहीं रहे और करण वाघेला के अविवेकपूर्ण कार्यों से जब गुजरात की हालत खराब हुई तब उसके साथ साथ कुर्मियों की स्थिति भी बदल गयी ।

गुजरात की नवपल्लवित वाडी उजड गई

वाघेला वंश के अंतिम राजा कर . के अत्याचारों ने तो प्रजा का सुख चैन ही छीन लिया । अत्याचारी करण ने अपने प्रधान मंत्री माधव की पत्नी का हरण कर

१. मीनलदेवी, २. रासमाला, ३. रासमाला

लिया । उसे ऐसा करने से रोकने वाले माधव के भाई केशव की जान भी ले ली । इस द्वेष के आवेश में आकर प्रधान मंत्री माधव ने करण से बदला लेने के लिये दिल्ली जाकर अलाऊद्दीन खिलजी को उकसाया और ऐसा करके वह मुसलमानों की एक बडी फौज गुजरात की धरती पर खींच लाया ।

मंत्री माधव की भूल का दुष्परिणाम

गुजरात की सीमा में प्रवेश करते ही इन अनाचारी यवन योद्धाओं ने जो अनर्थ शुरू किया उस की कल्पना स्वयं मंत्री माधव ने भी नहीं की थी । रास्ते में आनेवाले सभी गाँवों को लूटा–जलाया तथा बीच में आनेवाले कितने ही बडे–बूढों व बच्चों की नृशंसतापूर्वक हत्याएं की । हरेभरे खेतों को जला कर राख कर दिया, तथा कई वर्षों की मेहनत के परिणाम–स्वरूप मितव्ययितापूर्वक पायी हुई अपनी संपत्ति लुट जाने से लोग निराधार हो गए । यवनों के ऐसे अत्याचारों को रोकने की मंत्री माधव ने बडी कोशिश की, लेकिन उस की एक न चली ।

विजयी यवनों ने प्रजा की दुर्दशा कर दी, मंदिरों को लूटा, मूर्तियां तोडी तथा अवलाओं पर भी बडा अनाचार किया । शहरों की ऐसी दुर्दशा की तो उस समय निराधार गांवों की कैसी स्थिति हुई होगी इस का अंदाज सहज ही में लगाया जा सकता है ।

दिल्ली से भेजे गए मुसलमान सूबेदारों ने भी राजधानी के रूप में राजपूत राजनगरी अणहिलपुर को ही बनाए रखा था, इसलिए उस के आसपास के गांवों पर यवन बारंबार हमले करने लगे एवं प्रजा को लूटने लगे । अंततः दंढाव्य के गांवों से पीडित व त्रसित कई परिवार साबरमती के तट पर, भाल में, चरोतर में, कानम में और इस प्रकार दूर–दूर के इलाकों में बसने चले गए । आज भी उपर्युक्त प्रदेशों में बसे कुर्मियों की शाखों से उन का दंढाव्य की ओर के गांवों का प्राचीन बसेरा सिद्ध हो सकता है । फिर, उन दिनों कुर्मियों के लिये सर्वथा निर्भय प्रदेश के रूप में चांपानेर के आसपास का प्रदेश था, क्योंकि उस इलाके में मुसलमानों की हुकूमत न थी, बल्कि राजपूत राजाओं का राज्य था । वहां ईसवी सन् ७४६ में ऊंझा छोड कर ईडर परगने में कावर बसा कर रह रहे देसाई पटेलों के वंशज राजकार्य में अग्रणी थे । अतः बडी संख्या में वहां जा कर वे निश्चिंत हुए और समय बीतते वहां वे समृद्ध भी हुए । अपने कौशल से उन्होंने खेतीवाडी और चांपानेर की आबादी में भी वृद्धि की ।

दिल्ली के बादशाह की ओर से गुजरात का शासन चलाने के लिये आने वाले सूबेदार राज्य तथा प्रजा की समृद्धि की बिल्कुल चिंता नहीं करते थे, बल्कि प्रजा को लूट कर अपना घर भरने में ही लगे रहते थे । उनकी ऐसी वृत्ति देखकर उनके हाथों के नीचे कार्य करनेवाले स्वार्थी अधिकारी भी रैयत को लूटने और बरबाद करने

में ही अपनी सत्ता का उपयोग करते थे । बाद में दिल्ली के बादशाह जब निर्बल हुए तब गुंजरात के सूबेदारों ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया ।

अहमदशाह द्वारा लूटेरे भीलों का पराभव

अहमदशाह के समय में ईसवी सन् १४१०–११ के लगभग भव्य गुजरात के वीरान् प्रदेश में बसे हुए तथा देश को भार रूप बने हुए मेवासियों ने भील सरदार की अधीनता में लूट चला कर कई गांवों को बरबाद किया । उन्होंने ठेट अणहिलपुर तक के प्रदेश को लूटा तब अहमदशाह ने लूटमार करनेवाले भीलों के मुख्य नगर असारवा पर एक बडी सेना लेकर हमला किया और वहां लडाई में भीलों के सरदार आशा को हरा कर मार डाला तथा असारवा को कब्जे में कर लिया । प्राचीन काल से गुजरात का मध्य प्रांत उजाड अवस्था में था, और अभी भी था, लेकिन असारवा गांव ऐसे वीरान् प्रदेश के बीच भी पूरी तरह जाहो–जलाली वाला एक समृद्ध शहर था; जिस के लिये प्राचीन काल के विदेशी यात्रियों ने बार–बार प्रशंसा की है । अतः आवश्यक समझ कर कुछ प्राचीन तथ्यों के साथ उसके बारे में भी यहां थोडा वर्णन किया जा रहा है ।

असारवा गांव काफी पुराने काल से ही समृद्ध शहर होने के बारे में कई लिखित प्रमाण प्राप्त हुए हैं । संवत् ६१२ में ऊंझा में बसे हुए हमारे कणबी अग्रणियों में आपस में कुछ अनबन हुई थी । तब एक पाटी के नेता पटेल शिवसिंहजी अपने संबंधियों को ले कर ऊंझा छोडकर इस शहर में आ कर बसे थे, यह हम पहले देख चुके हैं । उस समय भी यह शहर बडा समृद्ध था । अरब भूगोलशास्त्री अबुरीहाम अलबिरूनी आदि ई. सन् ९७० से १०४० तक के दौरान इस शहर की समृद्धि के बारे में अपने ग्रंथो में बडी प्रशंसा करते हैं । इस के अलावा अलइड्रिस भी लिखते है कि

असारवा नगर आबादी, व्यापार तथा हुन्नर–उद्योग में काफी बढा–चढा होने से, वह विपुल धन संपत्ति वाला शहर हो गया था । वह महत्त्वपूर्ण चीजें उत्पन्न करनेवाला, विशाल एवं घनी आबादी वाला बडा शहर था ।

– बो गजेटियर वो. १ पृ. ५१२

इस अरसे में वहां बसे हुए कणबी पटेलों में प्रारंभ के शिवसिंहजी के वंशज धींगाजी तथा उस के बाद हुए करण कुंपाजी के पुत्र धर्मसिंहजी मुख्य थे । उन्होंने मुहम्मद तुगलक के असारवा निवास (ई. स. १३४७) दौरान, उन्हें आवश्यक खाद्य–सामग्री इत्यादि अच्छी तरह पहुंचा कर सेवा की थी । अतः शाह उन पर खुश हुआ और उन्हें पोशाक देकर सम्मानित किया । ये पटेल बडे उदार थे । उन्हों ने असारवा में जाति–मेला आयोजित किया था और इस प्रकार की अच्छी सेवाओं के बदले में समाज की ओर से सम्मान पाया था । फिर कुछ वर्षों तक ईसवी सन् १४१२–१४ में अणहिलपुर के सूबेदार मुहंमदशाह ने हमला कर के इस शहर को कब्जे किया तथा नजदीक में साबरमती के तट पर एक सुंदर शहर बसाने

का निर्णय किया। उस समय के विख्यात धर्मसिंहजी पटेल के पौत्र नारायणसिंहजी मौजूद थे। उन्होंने बादशाह की शहर बसाने की योजना में बैलगाडियों तथा मजदूरों आदि से बडी अच्छी सहायता की तथा शाही रिसाले की भी खातिरदारी की। इन सेवाओं से बादशाह उन पर बडा ही प्रसन्न हुआ था। बादशाहने उन का शुरु का गिरास बढा दिया और जब वे बादशाह से मिलने जाते तो बादशाह उन्हें बहुत सम्मान देते थे।

कणबियों का स्थानांतर

अणहिलपुर शहर राजधानी होने के कारण उसके निकटतम गांवों पर मुसलमानों का अत्याचार जैसे–जैसे बढता गया, कणबी भाग कर असारवा के निकट आ–आ कर बसते गए। लेकिन असारवा और अहमदाबाद राजधानी के शहर होने से वे और निकट आए। ज्यों–ज्यों उन्हें असुविधा होती गई वे वहां से भी कानम, चरोतर आदि प्रदेशों में तथा कुछ काठियावाड और वहां से कच्छ की ओर चले गए। कुछ पहले से गए हुए अपने जातिबन्धुओं के पास चांपानेर के इलाके में जा कर निर्भय हुए।

दिल्ली द्वारा नियुक्त मुसलमान सूबेदारों की बजाय गुजरात के स्वतंत्र शासकों ने बडा अच्छा शासन किया। उन्होंने अपने राज्य की तथा प्रजा की समृद्धि की ओर विशेष ध्यान दिया। 'मेरा राज्य और मेरी जनता'–यह आदर्श दिल में रख कर उन्होंने अच्छी तरह से शांतिमय शासन किया। राज्य की ओर से सुरक्षा मिलने से व्यापार–उद्योग भी जोरों से प्रगति करने लगा।

गुजरात में आयी हुई आपत्ति से बच कर भागे हुए चांपानेर जा कर चैन से रहने वाले कणवियों के दुर्भाग्यने वहां भी उनका साथ नहीं छोडा। चांपानेर की समृद्धि की सुवास आसपास मालवा तथा मध्य गुजरात तक फैली हुई थी। अतः अहमदाबाद के स्वतंत्र सूबेदारों की लौलुप नजर उस ओर गई। इसके लिये उन्होंने थोडे बहुत हमले किये, परन्तु उन्हें सफलता नहीं मिली। अंत में ईसवी सन् १४८३ में मुहंमद बेगडा ने दो साल तक लडाई करके उस दुर्जेय गढ को जीत लिया। वहां से बिखरी हुई जनता ने बडौदा एवं अहमदाबाद जाकर इन दोनों नगरों की आबादी एवं समृद्धि में वृद्धि की।

लाजवाब हूनर के धनी–कणबी

चांपानेर से आए हुए कणबी रेशम, जरी व किनखाब का बुनाईकाम करने का हूनर साथ लाए थे। उन्होंने पाटण तथा कडी की ओर से प्रांरभ में आ कर बसे हुए जातिबन्धुओं से मिल कर इस हूनर का बहुत विकास किया। पहले पाटण के खत्री भी बुनाई का काम करते थे। गाँवों में भी शांति होने के कारण वहां भी बस कर कणबियों ने बडे चैन के साथ अपनी उन्नति की।

चांपानेर के राजकार्य में उस समय कणबियों का प्रमुख हिस्सा था, किंतु उसकी अवनति के बाद उनकी भी अवनति शुरु हुई। बहुत कुछ तो इधर-उधर बिखर गए। कणबियों के अग्रणी वैरीसिंहजी आदि युद्धवीरों को तो मुहम्मद बेगडाने महेमदाबाद में लाकर कैद कर दिया था जिसके बारे में विस्तार से हम आगे पढेगें।

देसाई पटेलों का इतिहास

इन वीर पुरुषों के पूर्वज प्राचीन काल में पंजाब से आकर कुशावती में बसे थे और वहां भी महाराज चन्द्रगुप्त के समयमें उन्होंने वीरता दिखाई होगी ऐसा **अमरसिंह** नाम के राजा की कथा से सिद्ध होता है। इस वीर पुरुषने कई युद्धों में शानदार विजय प्राप्त की थी। अतः प्रसन्न हो कर महाराजने उसे एक जागीर देकर अपना खिराजदार राजा बनाया था। इतिहास साक्षी है कि उसने अपने राजा को प्रसन्न करने के लिए सांची के बौद्ध स्तूपमें एक गाँव उपहार में दिया था।[१] उस के बाद कुशावती में -मगधप्रांत में वडवीर, करणपालजी, वीरधवलजी, गंभीरसिंहजी, अचलसिंहजी, कामकीर्त, पाटंबर, दलजीत, चंद्रसेन, कीर्तिराव, पृथुराज, दुर्लभराज, अजुजी, धैर्यराय तथा दलभेदजी आदि हुए हैं। इन नरपुंगवों में अंतिम **दलभेदजी** ने अपने शौर्य से माधावती की जागीर प्राप्त की थी और वहां निवास किया था। दलभेदजीने राजबंधनगर के राजा को कैद कर लिया था। इस विजय की खुशी में उसने पचपन यज्ञ किए। तत्पश्चात् रघुजी, वडवीर, चांगडदे, डुंगरसिंहजी, मालजी, पहेचानजी, सायरजी, सरजनजी, सारंगजी, महीपजी, मांडणजी और सरतानजी हुए।

सरतानजी के समय में किसी यवन (ग्रीक, हूण या शक) सरदारने माधावती पर हमला किया, लेकिन वह हारा तथा कैद कर लिया गया ; बाद में दण्ड देकर उसे छोड दिया गया। उसके बाद यशवीर, नागजी, परिब्रह्मजी, पांचोजी, राजाजी, योगराज, यशपाल, हरपाल, महीपाल, हरदास और **व्रजपालजी** माधावती में हुए। उनमें से अंतिम राजा व्रजपालजी का महेत देश के राजा चन्द्रसेन के साथ युद्ध हुआ। उस में उनकी हार हो गई। अतः वे अपना कुटुम्ब-कबीला व संपत्ति लेकर दक्षिण की ओर गए। यात्रा करते-करते वे श्रीस्थल में आए। यहां मातृगया श्राद्ध करके लौट ही रहे थे कि तभी प्रारंभ में आकर आनर्तपुर के नजदीक बसे हुए कुर्मी-बन्धुओं से उनकी भेंट हुई। उनके अतिआग्रह से वशीभूत हो, वे वहीं ठहर गए और **उमापुर** नामक गांव बसाकर वहीं राज्य स्थापित किया; यह सब हम पहले देख चुके हैं।

उमापुर-उंझा में उनके बाद के शासक वडवीरजी, नंदजी, जीवराजजी, रघुजी, लखुजी, योगराज, वडवीर, हरिकर्णजी तथा **व्रजपालजी द्वितीय** हुए। तब तक यह परिवार ऊंझा में ही बसा रहा, लेकिन बाद में जब वनराज चावडाने अणहिलपुर पाटण

१. बो. गजे. वो. १, भा. १

बसा कर अपनी स्वतंत्र सत्ता आसपास के प्रदेशों में जमाई, उस समय अपने परिवार की स्वतंत्रता कहीं खतरे में न पड़ जाय – इस भय से बचने के लिये सं. ८०० (ईसवी सन् ७४६) में व्रजपालजी द्वितीय झंझा त्यागकर अपना परिवार, संपत्ति तथा अन्य कुछ कुर्मियों का एक छोटा सा काफिला लेकर उत्तार की ओर ईडर के निकट आए तथा वहां अपनी शक्ति से कावर नामक गांव बसाया। प्रारंभ में बावन हजार बीघा जमीन के क्षेत्र में एक शिवालय, श्रीचामुंडादेवी का मंदिर, दरियासर तालाब तथा वावडी बनवाये और मुसाफिरों के लिए एक सदाव्रत[१] खोलकर जनहितार्थ कई कार्य किए। उनकी मृत्यु के पश्चात् उनके पुत्र **समधरजी** गद्दीनशीन हुए। उन्होंने अपने स्वर्गवासी पिता की शांति निमित्त ईडर के भाटचारणों को दान में घोडे दिए। जिससे उनकी कीर्ति दशों दिशाओं में फैली।

उनके बाद सोढाभाई, धर्मसिंहजी और शामलदास क्रमशः हुए, जिन के समय में कोई उल्लेखनीय घटना नहीं घटी। शामलदास के बाद उनके पुत्र **देशपालजी** हुए। उनसे राज्य की सीमा के बारे में ईडर के राजा **भील सुरा शामलिया** के साथ झगडा हुआ; तब शामलिया व उसका भाई परबतिया एकाएक सेना लेकर चढ आए। युद्ध हुआ, जिसमें देशपालजी तथा उनके भाई सोबतजी मारे गए। देशपालजी की पत्नी **आनंदबाई** सती हुई। उस पवित्र स्थान पर उनके पुत्र **जेतसिंहजी** ने भव्य शिवालय बनवाया और अपने पिता की मौत का बदला लेने की तैयारी करने लगा। ईडर का भील राजा सुरो शामळीया अपने अनाचारी स्वभाव से जनता में बडा अप्रिय हो गया था। उसके राज्य की बागडोर नागर ब्राह्मणों के हाथ में थी। उसके दीवान नागर ब्राह्मण की पुत्री बडी रूपवती थी, जिस पर भील राजा मोहित हो गया और उसकी मांग करने लगा।

दीवानने उसकी मांग स्वीकार करने का आश्वासन दिया तथा ऐसे भव्य राजलग्न की बडी तैयारी करने के लिए उससे छः मास की अवधि मांगी। वह इस आफतसे बचने के लिये जैतसिंहजी की शरण में आया। उन्होंने उसे अभयदान दिया और विदा किया।

जयचंद के वंशजों का मारवाड–गुजरातकी ओर प्रयाण

कनौज के जयचंद राठौड की बरबादी के बाद उसका पौत्र मारवाड के मैदान में गया तथा वहां राज्य बनाकर रहने लगा। उसके तीन पुत्र थे। उनमें से बडा आस्तानजी मारवाड में अपने पिता की गद्दी पर बैठा। अपने स्वात्म बलसे वैभव प्राप्त करने के लिए उसके छोटे भाई **सोनरंगजी** तथा **अजी** दोनों निकलकर गुजरात में आए। उनकी वीरता से प्रसन्न होकर गुजरात के राजा सोलंकी **भीमदेव द्वितीय** ने उन्हें कडी परगने में सामेत्रा की जागीर देकर रख लिया। यहां कावर वाले राय जेतसिंहजी उनसे मिले तथा नागर ब्राह्मण की सभी बातें उन्हें बतायी। दोनों ने मिलकर सलाह–मश्वरा करके ईडर के राज्य पर हमला करने का निश्चय किया और नागर को खबर भेज दी।[२]

१. मुफ्त भोजन वितरण योजना २. रासमाला – भाग. १, पृ. ५५०–५१

श्री उमिया माताजी

ऊंझा (गुजरात)

भील राजा शामलिया सुरा का अंत

नागर दीवान ने शादी की धूम–धामसे तैयारियां की। सोनरंगजी के तथा जेतसिंहजी के चुने हुए योद्धाओं के झुंड थोडे थोडे करके ईडर में योजनानुसार पहले ही पहुंच गए। सामळिया सुरा लग्न की आशामें ज्योंही बारात लेकर नागर के वहां आया त्योंही जेतसिंहजी तथा सोनरंगजीने अपने सैनिकों के साथ उस पर हमला बोल दिया। भील राजा आसानी से मारा गया। ईडर राज्य के बडे–बडे गांवों को अपने कब्जे में रखकर जेतासिंहजीने शेष ईडर का राज्य सोनरंगजी को सौंप दिया।[१]

तब से जेतसिंहजी राजकाज में अग्रेसर अमीर हुए तथा ईडरमें रहने लगे। उनके बाद उनके पुत्र **ईश्वरदास** हुए। उनके भाई हाथीदासने ईडर के ब्राह्मणों को सभी करों से मुक्ति दिलायी। उनसे मंडलिक राजा के पटावत रेवर राजपूत के साथ राज्य के कारोबार में मतभेद होने से युद्ध हुआ, जिसमें वे मारे गये। उनके पश्चात् दीपसिंहजी, उग्रसिंहजी, अर्जुनसिंहजी तथा महीपतजी हुए। महीपतजी के बाद गद्दी पर बैठे **अजमलजी** से ईडर–राजा के दीवान मुगटराम नागर के साथ अपनी स्वतंत्रता के बारे में खटपट होने से युद्ध हुआ और उसमें दीवान मारा गया। अतः राजा के साथ दुश्मनी हुई। इस दौरान सरदार अजमलजी नर्मदा की यात्रा पर चले गए। वहां चांपानेर के राजा राओल गंभीरसिंहजी तथा उनके भाई जगतसिंहजी के साथ उनकी अचानक मुलाकात होने पर बातचीत में ईडर के राजा से दुश्मनी की बात उन्होंने जान ली। चांपानेर के राजाने अजमलजी से ईडर का राज्य छोडकर अपने राज्य में आने का आग्रह किया तथा बडी जागीर देने का वचन दिया।

अजमलजी का चांपानेर की ओर प्रयाण

यात्रा से लौटकर अजमलजीने कावर आकर, अपने भाई विजयराज से विचार विमर्श कर, अपनी संपत्ति, रिसाला तथा संबंधी कुर्मी योद्धाओं को लेकर ईडर का राज्य छोड दिया और चांपानेर के राज्य में आ गए। यहां पूरे मान–सम्मान के साथ राजाने उन्हें हरणियुं, मेदापर, वासियु, विटोद, वाघोसियुं, उसेटीवासेटी तथा गांगडियुं आदि बडे गांवों की जागीर देकर अपने इलाके का सरदार बना दिया। स्वयं राज्य के कामों में अग्रणी बन जाने से वहां उनके जाति–बन्धुओं का मान–सन्मान भी बढने लगा, अतः दूसरे हिस्सों से भी कई कुर्मी आ–आ कर वहां बसने लगे।

अजमलजी के स्वर्गवास के बाद उनके पुत्र **समधरजी** हुए। उन्होंने चांपानेर के उत्तर में एक शिवालय तथा एक बावडी बनवाई। उनके बाद उनके पुत्र देवीसिंहजी सरदार हुए। उनके समय में सरहद पर ईडर के सरदार ने हमला किया। परंतु देवीसिंहजीने उस पर एकाएक चढाई करके उसे पराजित कर दिया; अतः प्रसन्न होकर राजा ने उन्हें मशाल, सुखपाल आदि राजचिहनों द्वारा राज्य की ओर से सम्मानित किया। उनके बाद **जयमलजी**

१. देसाई पटेलों का वही वंचा का चोपडा – रासमाला भा. १, पृ. ५५१

सरदार हुए। उन्होंने अपनी वीरता से राजा रावलजी को खुश करके अपनी जागीर में वृद्धि की। उनके निधन के बाद मथुरदास, अविचलजी, गिरिधरजी और तुलजादास हुए। उनके समय में कोई उल्लेखनीय घटना नहीं घटी। उनके बाद **मंडलिकजी** हुए। उनके समय में चांपानेर के राज्य में **बादरिया भील** नाम के डाकूने उत्पात मचाया और कई गांवों का विनाश किया। मंडलिकजीने एकाएक उस पर आक्रमण करके हराया और उसी युद्ध में वह मारा गया। अपनी विजय होने से मंडलिकजी ने युद्ध–स्थल पर ही बारैयुं गांव बसाकर वहां अपना स्वतंत्र–थाना बना दिया। उनके इस पराक्रम से प्रसन्न होकर राजा पालनसिंहजीने उन्हें अलिदरुं, अजाडीयु, केवडासण और भदाम आदि गांवों की जागीर देकर उनका रुतबा बढा दिया।

थोडे समय बाद गुजरात का शासक अहमदशाह चांपानेर के अजितगढ को जीतने के लिये बार बार सेना भेजने लगा। कई बार उस सेना से युद्ध करने में मंडलिकजीने बहुत बहादुरी दिखाई। मगर सन् १४२० के युद्ध में स्वयं मंडलिकजी मारे गए। फिर भी चांपानेर को बचा लिया; किंतु खिराज (खंडणी) कबुल करनी पडी[१]। कुछ समय पश्चात् मंडलिकजी के पुत्र **भीमसिंहजी** के हाथ में सरदारी आने से चांपानेर के राजा गंगादास के पुत्र जयसिंहजी ने ईसवी सन् १४३१ में अहमदशाह के सामने विद्रोह कर दिया। अंत में ईसवी सन् १४५० में महंमदशाह द्वितीय ने गंगादास पर हमला कर दिया। इसी अरसे में भीमसिंहजी का निधन हुआ और **राय वैरीसिंहजी** के हाथ में सत्ता आ गई।

राय वैरीसिंहजी के पराक्रम

रायवैरीसिंहजी एक वीर रणबांकुरा योद्धा होने के कारण मुसलमानों के बार–बार के हमलों से बचने के लिये पताई रावल ने उन्हें सारी सत्ता सौंप दी। उस समय मालवा की सीमा पर आई बारनोली की जागीर का राजा **कीर्तिसिंह** लूटमार करके सरहद की जनता को परेशान किया करता था। उस की शान ठिकाने लगाने के लिए वैरीसिंहजीने हमला करके उसे हरा दिया। इस हार का बदला लेने से लिये उसने पताई रावल की रानी हाडोतिजी को मैंके जाते समय कपट से पकड लिया। यह समाचार मिलने पर वैरासिंहजीने चुने हुए घुडसवारों को साथ लिया। उसे नगर के बाहर से पकडकर चांपानेर ले आए तथा सम्मानसहित राजमहल में नजरकैद कर दिया। उसके बाद जब बारनोलीसे उसके सरदारोंने रानी हाडोतिजी को सम्मानपूर्वक चांपानेर पहुंचाया तब कुछ शर्तें मनवाकर वैरीसिंहजीने कीर्तिसिंह को आजाद कर दिया तथा सरहद का उसका कुछ इलाका अपने कब्जे में ले लिया। वहां जांबवा गांव के चारों ओर मजबूत परकोटा बनवाकर अपने साले जोधा मांडलोतिया को सेना देकर वहां का थानेदार बनाया तथा उस क्षेत्र में अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। वहां से लौटकर वैरीसिंहजीने निर्मलानंद महादेव का शिवालय, वीरासर तालाब, कुछ उबारे (हवाडा) और कुएं बनावाये।[२]

---

१. 'गु. प्रा. ई.' बो. गजे. वो. १, पृ. २३७ २. रासमाला भा. १, पृ. ६१९ 'वहीवंचा का चोपडा

वैरीसिंहजी और मुहम्मद बेगडा में संघर्ष

ईसवी सन् १४७४ में वैरीसिंहजी ने अहमदाबाद के सुलतान की ओर से गुजरात की सीमा पर बने थाने पर अचानक हमला किया और थानेदार को मारकर सुलतान के कुछ हाथी पकडकर चांपानेर भेज दिए। यह खबर पाते ही मुहम्मद बेगडा आग बबूला हो उठा। अतः ईसवी सन् १४८२ में उसने महेमदावाद से एक बडी सेना के साथ निकलकर चांपानेर पर हमला किया। मार्च १७ सन् १४८३ को उसकी सैना पावागढ की तलहटी में आ पहुंची। बीस महीने तक छोटी-मोटी कई लडाईयां हुई, लेकिन कोई झुका नहीं; अतः शाही सेना ने आगे बढ कर किले को घेर लिया। किले के बुर्जों से तोपों की मार चालू हुई। राय वैरीसिंहजी स्वयं तोपख़ाने के अधिकरियों के साथ रहकर रात दिन काम करते थे। उन की ऐसी कर्मठता देखी तो आखिर ऊबकर उन्होंने घेरा उठाकर मैदान में पडाव डाल दिया। इस मौके का फायदा उठाते हुए राय वैरीसिंहजीने भी अपने सैनिकों को साथ ले कर उसका पीछा किया। हालोल के पास आषाढ महीने में आपस में टकराते बादलों की भांति दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ।

युद्धमें वैरीसिंहजी के कई सम्बन्धी मारे गए, वे स्वयं भी आहत हुए और पताई रावल के दूसरे कई सरदार भी मारे गए। बादशाही सेना की भी बडी तबाही हुई। अमीर मुहम्मद मिरात, दीवान फकरुद्दीन, मुहम्मद बाकरखान, पठाण दरियावखान, मेहंदीबेग तथा बेलीम जलाल आदि सरदार मारे गए। अतः उन्होंनें थोडी दूर पीछे हठ कर डेरा डाला। इस दौरान सेनापति वैरीसिंहजीने भी अपने बिखरे सैनिकों को इकट्ठे कर के तैयारी कर ली। इस पर अंत में शाहने अपने प्रतिनिधि द्वार वैरीसिंहजी को अपने पक्ष में लेने के लिए विचार-विमर्श किया। उसे इनाम की बडी-बडी लालचें भी दी, लेकिन वीर वैरीसिंहजीने कोई परवाह नहीं की। आखिर बादशाहने ई. स. २८ अप्रैल, १४८३ को फिर हमला कर के किले को घेर लिया तथा बाहरसे आनेवाली भोजन सामग्री बंद करा दी।

अब किलेदारों में घबराहट फैली, क्यों कि लंबे अरसे से चलते हुए युद्ध के कारण किले के भण्डार खाली हो गए थे।[१] इस बार पूरी सैना अन्न के बिना परेशान थी तब केवल पताई रावल के साले **सियाजी बाकलिया** के पास उसके अपने रिसाले के सैनिकों के लिए भण्डार भरे हुए थे। उनमें से वह अपने आदमियों के अलावा किसी को कुछ देता भी नहीं था। इसकी जानकारी पताई रावल को देकर राय वैरीसिंहजी ने उन भण्डारों का तमाम अन्न सेना के लिए जप्त कर लिया। इससे सियाजी वैरीसिंहजी पर बडा कुपित हुआ और मन ही मनमें उसके भीतर द्वेष की आग बढने लगी। अब खुराक का नया जत्था मिलने पर वह लडाई जारी रख पाया।

१. बो. गजेटियर - वो. १, पृ. २४७

उधर दूसरी ओर बादशाह के साथ गुप्त मंत्रणा करके सियाजी उसे अन्दरूनी भेद की बातें बताने लगा। इस प्रकार अंत में सियाजी ही पताई रावल, पावागढ तथा वैरीसिंहजी के विनाश का कारण बन गया। जिस दिन इस घेरे का अंत आया उसके पहले दिन सियाजीने किले के गुप्तद्वार तथा उससे हो कर वैरीसिंहजी के निर्मलानंद महादेव के दर्शनों के लिए जाने की खबर दी थी। इससे प्रातःकाल में नित्य नियमानुसार पश्चिम की ओर के गुप्त द्वार से वैरीसिंहजी दर्शनार्थ बाहर निकले ही थे कि फौरन उस द्वार पर पूर्व से ही तैयारी करके छिपे हुए स्वयं मुहम्मदशाहने महादेवजी का धाम घेरकर वैरीसिंहजीको पकड लिया। इस समय किले में सभी किलेदार प्रातःसंध्या –वंदन आदि नित्य–नैमित्तिक कार्यों में व्यस्त थे। इस मौके का फायदा उठाकर पश्चिमी गुप्त द्वार पर एक जोरदार धावा बोल्कर द्वार कब्जे में लेकर कुछ यवन यौद्धा भीतर घुस गए और आतंक फैला दिया। विनाशकाले विपरीत बुद्धि के अनुसार सियाजीने दरवाजा खोल देने का शर्मनाक कृत्य भी कर दिखाया। किले के दरवाजे में खूंखार युद्ध हुआ, जिस में राजपूत हार गए।

संवत पंदर प्रमाण, एकतालो संवत्सर,
पोष मास तिथि त्रीज, वढेहु वार रवि सुदन,
मरशिया खटभूप, प्रथम वेरसिंह पडीजे,
जाडेजो सारंग, करण, तेजपाल, कहीजे,
सरवरीओ चन्द्रभाण, पताई काज प्राण ज दीयो,
महेमदावाद महेराण लघु कटक सर पावो लीयो।[१]

अर्थात् – संवत् १५४१ में पोष महीने की तीज और रविवार को पांच वीरों ने अपने राजा पताई के लिए अपने प्राणो की बलि दे दी। जिनमें वैरसिंह पहले मारा गया। फिर सारंग जाडेजा, करण, तेजपाल तथा चन्द्रभाण गए। पताई की भी मौत हुई। इस प्रकार छह वीरों के प्राणो की आहुति दे दी गई। एक छोटे से लश्कर (सेना) ने पावागढ जीत लिया।

इस छप्पय का लेखक बारोट वैरीसिंहजी युद्ध में मारे गए ऐसा बताता है। किंतु ठोस प्रमाण ऐसे मिलते हैं कि वे बाद में भी जीवित थे। अतः शायद बारोटजी के यह छप्पय बनाने के पश्चात् फौरन वे चल बसे हों और उनको वैरीसिंहजी के कैद पकडे जाने का पता ही न चल पाया हो – ऐसा हो सकता है। इस युद्ध में पताई रावळ तथा उसके कई सरदार मारे गए तथा वैरीसिंहजी, सेजवाल भण्डारी, कुछ सोलंकी राजपूत और खान कुरेशी आदि पकडे गए थे। उन्हें महेमदाबाद लाकर चीनाखाना के निकट कैद किया गया था[२]। (सन् १४८४)

१. रासमाला भा. १, पृ. ६३१
२. बो. गझेटियर – वो. १, पृ. २४७

बेगडा की राजधानी महेमदाबाद से कुछ दूरी पर आए मातर इलाके में मातरीआ राव नाम का राजपूत राजा राज्य करता था। किसी कारणवश उसकी लडाई शाह के आदमियों से हुई, अतः उसकी उद्दंडता के लिए दण्ड देने तथा उसे धर्मभ्रष्ट कर के मुस्लिम बना देने के लिए पकडकर कैद कर लिया तथा मातर परगना खालसा घोषित कर दिया गया।

इस मातरीआ राव की बहन का ब्याह वीरमगाम में रहते वीरमदेव नाम के वीर डकैत के साथ हुआ था। वह अपने भाई को छुडवाने के लिए बार बार अपने पति को उकसाया करती थी। किंतु बगैर किसी कारण के मुहम्मद बेगडा जैसे सुलतान से टकराने में रहे जोखिम का खयाल करके वीरमदेव कुछ दिन मौन रहा। एक बार उसे अपने गुप्तचरों द्वारा समाचार मिला कि अमुक रोज शाह की बेगम सरखेज के रोजे में पीर की कब्र पर फूल–चादर चढाने आने वाली हैं। सूचना पाते ही अपने सवारों को लेकर वह बीच रास्ते में छिप गया। थोडी देर बाद सज–धज कर आते हुए जनाने को उसने घेर लिया तथा बेगम को उठाकर ले गया। उसे ले जाकर अपनी औरत के पास ससम्मान नजर कैद कर दिया।

बेगम के अपहरण का पता चलने पर बेगडा सिर से पैर तक क्रोधाग्नि में जलने लगा। उसने अपने आदमी भेजकर संदेश भेजा कि बेगम को बहन–बेटी के समान समझकर सम्मान सहित राजनगर में पहुंचा नहीं दिया गया तो हम तुम्हारे किले की एक भी ईट नहीं रहने देंगे। इस के जवाब में वीरमदेवने विनयपूर्वक कहलवाया कि बेगम सहिबां हमारी बहन–बेटी के समान हैं। लेकिन जब तक आप मेरे साले मातरिया को आजाद करके उसका छीना हुआ राज लौटा नहीं देंगे, आप बेगम–साहिबां को देख भी नहीं पाएंगे। इस संदेश से शाह और क्रोधित हुआ। लेकिन वीरमदेव एक बडा डकैत होने के कारण लम्बे अरसे तक बेगम का पता नहीं चलेगा, यह सोचकर उसने मातरिया को भ्रष्ट करके छोड दिया और उसकी जागीर भी उसे लौटा दी। लेकिन मातरिया को भ्रष्ट किया था, इसलिए गुस्सा होकर वीरमदेवने बेगम को मुक्त नहीं किया।

अब मुहंमद बेगडा का धैर्य जाता रहा। युद्ध का महासागर तैर जानेवाले तथा पावागढ और जूनागढ के मजबूत किलों को जीत लेने पर उन्मत्त बने सुलतानने सख्त हिदायत देकर अपनी सैना को भेज दिया। सैनाने आकर हांसलपुर महादेव के पास डेरा डाला। अचानक वीरमदेव अपने चुंवाळ के सम्बन्धियों के साथ आकर टूटा पडा और सुलतान की सैना को शीघ्र ही तितर–बितर कर दिया। रात को लडाई में सेनापति मारा गया। बाकी के सब भाग खडे हुए।

सुलतान बेगडा की कैद से वैरीसिंहजी की मुक्ति

सुलतानने जब यह बुरी खबर सुनी तो वह स्वयं लडने के लिये जाने को तैयार हुआ। लेकिन दीवानने उसे समझाकर शांत किया तथा सलाह दी कि किसी दूसरे वीर सरदार को भेजा जाए। ऐसे वीर सरदार की तलाश की गई। दीवानने चांपानेर के राजकैदियों में से वैरीसिंहजी का नाम दिया। इस पर राजी होकर वैरीसिंहजी को अपने पास बुलाकर उसकी लोहे की बेडियां निकलवा दी। सोने के कडे हाथ में पहनाये, बढिया पोशाक दी और सभी बातें बता कर उसे अपने सैनिकों के साथ जाने के लिए कहा। सुलतान के आदेश को मानकर उसने अपने पुराने सरदारों को कैद से छुडवा लिया और बहादुर सैनिकों का एक छोटा-सा लश्कर तैयार किया।

वैरीसिंहजी का रण-प्रयास और विजय

रात को सुलतान से बिदा मांगने जब वैरीसिंहजी गये तो शाहने कहा, "ओ वीर पुरुष। यदि तुम हमारी बेगम को शीघ्र ही छुडाकर लेओगे, तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा।" ज्यादा चर्चा न करके वैरीसिंहजी सिर्फ सलाम भरकर वहां से चले गए और अल्प समय में ही कूच करके अपनी सैना के साथ चुंवाल के सीतापुर में जाकर डेरा जमाया। वहां से चतुराईसे अपने कुछ बहादुर सरदारों को सादे वेश में किले में दाखिल करवा दिया। फिर वीरमगाम पहुंच कर बेगम को मुक्त करने का आदेश भिजवाया। वीरमदेव ने उसकी कोई परवाह न की जिससे शीघ्र ही युद्ध छिड गया।

कई दिनों तक युद्ध जारी रहा। फिर अचानक किले के बाहर सैनिकों ने विराम कर लिया। जिससे वीरमदेव के घमंडी किलेदार गाफिल हो गए। इस मौके का फायदा उठाकर भीतर घुसे हुए सरदारों ने संकेत के अनुसार दरवाजा खोल दिया और वैरीसिंहजी की सैना धडाधड भीतर प्रविष्ट हो गई। बंदूकों के धडाकों की आवाज और सिपाहियों का हो-हल्ला सुनकर वीरमदेव सचेत हो गया। उसने फौरन अपनी सैना तैयार कर ली। फिर वैरीसिंहजी तथा वीरमदेम के बीच युद्ध शुरु हुआ। किंतु रणवीर वैरीसिंहजी के रण-कौशल के आगे वीरमदेव नहीं टिक सका और अपने महल के द्वार पर ही लडते-लडते वीरगति को प्राप्त हुआ।

वैरीसिंहजी जनानखाने की डयोढी पर जा पहुंचे। वहां बेगम साहिबां पूर्ण रूप से सलामत थी। वैरीसिंहजीने वीरमगाम में व्यवस्था हेतु अपने कुछ वीर सरदारों को रख दिया और बेगम साहिबां को डोली में बिठाकर महेमदाबाद ले आए। शाहने दरबार भरकर वैरीसिंहजी को शाही सम्मान देकर पोशाक भेंट की तथा बेगम की इच्छा के अनुसार वीरमगाम की जप्त की हुई सारी जागीर-जमीन-जायदाद वैरीसिंहजी को बख्श दी। वैरीसिंहजी अपने परिवार व सम्बन्धियों और सरदारों सहित वीरमगाम आये तथा वहां राजधानी बनाकर रहने लगे।

वीरमगाम के कडवा कुलमी देसाईयों के पराक्रम

पंद्रहवी सदी के अंत में तथा सोलहवीं सदी के प्रारंभ में मांडल, पाटडी और वीरमगाम आदि गांव झालाओं के अधिनस्थ थे, तब वीरमगाम किसी वीरमदेव नाम के वीर झाला डाकू की अधीनता में था।[१]

उसने गुजरात के स्वतंत्र सुलमान मुहंमद बेगडा से झगडा मोल लिया, तब हमारे राय वैरीसिंहजी ने उसे हराया तथा वीरमगाम अपने कब्जे में लिया। तब से झालाओं के वंशज काठियावाडकी ओर गए और मुहंमद बेगडाने वैरीसिंहजी पर प्रसन्न होकर उन्हें वीरमगामकी जागीर स्वतंत्र रूप से वख्श दी।

वीरमगाम का वह दुर्भेद्य किला

अर्वाचीन इतिहास के मुताबिक वीरमगाम का किला सैनिक दृष्टिसे बडे ही महत्त्व का स्थान बन चुका था। काठियावाड तथा झालावाड में दाखिल होने का मुख्य द्वार होने के कारण वह गुजरात के स्वतंत्र सुलमानों का बार बार ध्यान आकर्षित करता था। अतः उन्होंने बाद में उसे झालावाड के मुख्य शहर के रूपमें विकसित किया था।[२] उस समय काठियावाड आजके सौराष्ट्र तथा झालावाड – ऐसे दो हिस्सों में बंटा हुआ था। उन दोनों पर दो डेप्युटी सूबेदारों[३] की सत्ता थी। मराठे भी जब गुजरात में आए तब काठियावाड में प्रवेश करने के लिए वीरमगाम से होकर गये थे। तभी उन्होंने सरलता से वीरमगाम के देसाई भावसिंहजी के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार किया था।

इस प्रकार वीरमगाम का राज्य प्राप्त होने के बाद कई वर्षों तक राय वैरीसिंहजी ने इस प्रदेश पर स्वतंत्र रूपसे और शांतिपूर्ण शासन किया था।

उनके निधन के बाद उनके पुत्र किशोरदास हुए। उनके समय में जूनागढ के प्रशासक कासिमअली की ओर से झालावाड आदि प्रांतो में से कर (जोरतलबी) लिया जाता था, वह उसकी निर्बलताओं के कारण बंद पडा था। अतः जूनागढ का अधिकृत सुपेडी परगना बारह गाँवों के साथ इनाम में देने की शर्त पर किशोरदासजी के सरदार प्रह्लादजी को वह ले गया। उन्होंने अपने पुत्र कालीदास के साथ वहाँ जाकर बंद पडा महसूल वसूल कर लिया तथा वहाँ देसाईगीरी का हक्क प्राप्त कर लिया। किशोरदासजी के पुत्र भारोजी तथा भाथीजी दोनों यहाँ कुछ मनुमुटाव होने के कारण रूठ कर इन्दौर स्टेट में चले गए तथा वहीं उन्होंने देसाईगीरी हासिल कर ली।[४]

१. झालाओं का इतिहास

२. आईन–ए–अकबरी

३. उस वक्त के फौजदार (थानेदार)

४. वहीवंचा के चोपडे

किशोरदास के स्वर्गवास के बाद वीरमगाम की गद्दी पर उनके वंशजों में रामजी, गंगादास, करमणदास, मुल्कदास, सियाजी, रमणल्जी तथा नाथाभाई – इतने पुरुष क्रमशः हुए । उनके शासन के दौरान वे कभी स्वतंत्र और कभी अर्धस्वतंत्र स्थिति में रहे । **नाथाजी** को वेणाजी, शाणाजी, भाणाजी, राणाजी, परखाजी तथा हरखाजी – छह पुत्र थे । उन में राणाजी तथा हरखाजी निर्वंश रहे । वेणाजी के वंशज अभी देसाई कहलाते हैं, शाणाजी के वंशज आज वीरमगाम के **मारफतिया देसाई** कहलाते हैं, भाणाजी के वंशज अभी वीरमगाम में **पटेलाई** करते हैं, तथा परखाजी के वंशज वीरमगाम में **घंटीआ** कहलाते हैं ।[१]

नाथाजी के मृत्योपरांत पुत्र **वेणीदास** गद्दी पर बैठे । उससे पहले गुजरात की स्वतंत्र सत्ता का अंत हो गया था और गुजरात दिल्लीपति मुगलों की आधीनता में था, अतः उनके द्वारा भेजे हुए सूबेदार दिल्ली से अहमदाबाद आकर गुजरात पर शासन करते थे । ईसवी सन् १६१७ में मुगल बादशाह जहांगीर स्वयं गुजरात में आया था । उसे अहमदाबाद का वातावरण अनुकूल न आने के कारण अपनी ओर से शाहजहां को सूबेदार बनाकर वह दिल्ली चला गया । उसके दीवान बाकरअलीखान से भी काठियावाड का कर (खंडणी) वसूल न हो पाया, अतः **वेणाजी** को काठियावाड का कर वसूल करने की सत्ता देकर कुल लगान पर साढे सात प्रतिशत की माहवारी बांध दी ओर देसाईश्री का ओहदा दे दिया तथा साथ ही धंधुका, राणपुर और आसपास के प्रदेश में से चुंगी कर एवं राहदारी जकात (यात्रीकर) लेने की सत्ता भी दे दी ।[२] बाद में ईसवी सन् १६३२ में यह बाकरअलीखान गुजरात का मुख्य सूबेदार बना था ।[३] प्राचीन युग में बनिये देसाईगीरी करते थे । फिर नागरों के हाथ में देसाईगीरी आयी । उनसे वसूलीका काम ठीक न हो पाया ।[४] तथा सूबेदारों से भी ठीक से शासन उस समय न हो सकने के कारण धंधुका, चुंवाळ तथा काठियावाड आदि क्षेत्रों में डकैती करनेवाले मेवासी लोगों का जोर बहुत बढ गया था । तब शाही सूबेदार के आग्रह पर वेणाजी ने इन लुटेरों को परास्त किया था ।

'मारफतिया देसाइयों' की उत्पत्ति

वेणीदास के निधन के बाद उनके पुत्र **मकनजी** गद्दी पर बैठे । उन्होंने अपने काका शाणाजी के पुत्र मेगल्जी को देसाईगीरी में हिस्सा देने से इनकार कर दिया और कहा कि बादशाह की ओर से सनंद हमारे पिताजी को मिली है । अतः उस

१. देसाईयों का इतिहास

२. 'भारत राज्य मंडल'

३. बो. गजे. वो. १, पृ.२७७

४. मेल्विल्स सिलेकशन नं १० पृ.५४

हक्क का उपभोग वंशज होने के नाते हम ही करेंगे; तुम लोगों को वह हक्क या ओहदा नहीं मिलेगा । अतः मेगलजी के वीर पुत्र गणेशजी तथा भीमजी दिल्ली के शाह जहांगीर के दरबार में पहुंचे और उन्हें अपने साथ हुए अन्याय की फरियाद की जिस पर बाहशाह जहांगीर ने उन्हें नयी सनंद लिखदी[1] जो निम्न प्रकार है –

मुहंमद नूरूद्दीन बादशाह जहांगीर गाजी

मुहर राजचिन्ह **फरमान**

गणेश वलंदे मेगळ तथा भीमजी वलंदे मेगळ देसाई

निवासी झालावाड परगना ।

हुकूमत की ओर से लिखा गया है कि अब तक उक्त परगने पर देसाईगीरी का कब्जा आप रखते थे, इसी प्रकार अब भी आप का कब्जा कायम है । इस फरमान से सभी अमलदारों, चौराहेदारों, शाही–अमीरों, कानुगों तथा कारिदों आदि जो अभी काम करते हैं, वे तथा जो अब के बाद हुकूमत की ओर से नियुक्त होंगे या मुजकर्र होंगे – उन्हे विदित किया जाता है कि इन देसाइयों के साथ बराबर मेल रखना तथा उनके हुकुम और देसाईगीरों की कार्यवाही में किसी प्रकार की दखलंदाजी मत करना, शेष रैयत तथा छोटे बडे सभी अमलदार आदि भी इन देसाइयों के साथ सम्बन्ध बनाए रखना । उनके कामों में सहयोग देना ।

दिनांक ९ असफेदीआर, सने, ५ इलाही ।

इस प्रकार गणेशजी तथा भीमजी के पुत्र–परिवारों को भी देसाईगीरी प्राप्त हुई । साथ ही, बाद में उनके वंशजों को पेशवा, गायकवाड आदि सत्ताधीशों की ओर से अलग–अलग समय में भी सनदें मिली थी, जिनके अनुसार वे वीरमगाम क्षेत्र की (आवक–जावक) आय–खर्च तहलीस के गांवों तथा आसपास के नाकों आदि का लगान तथा राहदारी कर वसूल करते थे । उसमें से अन्य कुछ हिस्सेदारों को हिस्सा देकर शेष राशि सरकारी कोश में जमा कराते थे । इस प्रकार सरकार को उनके द्वारा प्रतिवर्ष महसूल प्राप्त होता था । अतः बाद में वे देसाई के स्थान पर 'मारफतिया देसाई' कहलाए । आज उनका वंश वीरमगाम में इसी विशेषण से पहचाना जाता है ।

देसाई मकनजी के स्वर्गवास के पश्चात् गद्दी पर महोतजी बैठे । उनके समय में उल्लेख योग्य कोई विशेष घटना नहीं घटी; उनके पश्चात् आए देसाई त्रिकमजी के समय में वीरमगाम क्रमशः काठियावाड की कुंजी (महत्त्वपूर्ण स्थान) बनता गया ।

देसाइयों के शासन काल में वीरमगाम की कीर्ति व समृद्धि अधिक बढी ।[2] इस समय दिल्ली की गद्दी पर बादशाह शाहजहां बैठा था और गुजरात में उसका

१. वीरमगाम के मारफतिया देसाइयों के मूल पारसी सनंद का हिन्दी रूपांतर

२. 'मेल्वील्स सिलेकशन्स' नं १०, पृ, ५३–५४

शाहजादा औरंगजेब सूबेदार था । उसने देसाई त्रिकमजी तथा नागर रूपजी को वीरमगाम की संयुक्त देसाई गीरी की सनंद दी है, जो मेल्वील साहब को दिखाई गई थी–ऐसा उनके गवर्नमेन्ट रिपोर्ट से मालूम होता है । उस सनंद के आधार पर उनकी सत्ता में पूरा झालावाड आ जाता है, किंतु इससे चुंवाळ अलग पड जाता है ।[१] फिर कुछ ही अरसे में देसाई त्रिकमजी का निधन हुआ, तब उनके पुत्र देसाई **भाणजीभाई** गद्दी पर आए । वे तीन बार दिल्ली गद्दीपति शाहजहां बादशाह को सलामी भरने गये थे । वहां गुजरात के सूबेदार औरंगजेब ने उन्हें शाहजहां से पोशाक दिलवाई थी । (ई.स. १६४४)

औरंगजेब का दक्षिण में सूबेदार के रूप में तबादला होने पर गुजरात के सूबेदार के रूप में उसका मामा शाईस्ताखां आया । उसके समय में जब चुंवाळ तथा धंधुका के मेवासियों ने लूटमार करके देश को बरबाद करना शुरू किया, तो देसाई भाणजीभाई की सहायता से वह उत्पात दबा दिया गया । (ई.स.१६४८–५३)

शाईस्ताखां का भी जब दिल्ली की कचहरी में तबादला हुआ, तब उसके स्थान पर शाहजादा मुराद आया । जब शाहजहां बीमार पडा तो उसके चारों शाहजादे राज्य हथियाने के लिए आपसमें लडने लगे, तब मुरादने भी अपनी सेना लेकर गुजरात से दिल्ली पर चढाई की । सेना के खर्चे के लिए उसने उधार पांच लाख रूपये लिये थे वे देने के लिये उज्जैन की विजय के बाद लिखकर उसने देसाई भाणजीभाई से नमक के अगरों की उपज में से तीस हजार रूपयों का नजराना वसूल किया था ।[२] (ई.स. १६५७) कुछ समय पश्चात् दिल्ली की गद्दी पर जब औरंगजेब बैठा तब पांच गांव हीजरी सन् ११०९ (ई.स. १६९०) में उनकी किसी वीरता पर खुश होकर बख्शीशमें दिये ।

वीरमगाम परकोटे का निर्माण

भाणजीभाई का निधन हुआ तब उनके बाद देसाई **उदयकर्णजी** गद्दी पर आए । उन्होंने ईसवी सन् १७२५ (संवत् १७८१ की वैशाख सुद पांचम)में वीरमगाम के चारों और मजबूत परकोटा बनावाया । उसकी नींव सवा चार गज चौडी व तीन गज गहरी है । उसके पांच दरवाजे तथा दो खिडकियाँ हैं । उसके भीतर अभी जो भाग परकोटा [illegible]ता है उस भाग में उन्होंने अपनी अलग सुरक्षित राजमढी बनवाई । उसके अ[illegible] बसा हुआ विभाग 'परकोटा' (कोठे के ऊपर) कहलाया । यह राजगढी का खंडहर-कोटा वीरमगाम के देसाईश्री के अधिकार में है । उसका जीर्णोद्धार करके मकान बनवाये जा रहे हैं ।[२]

---

१. मल्चोल्स सि. त. १०, पृ. ५३, ५४

२. गुजरात सर्व संग्रह – पृ. ३२५

ई.स. १७२९ में पेशवा चीमनाजी आपा सेनापति तथा कंथाजी कदम दोनोंने अस्सी हजार सैनिकों की फौज लेकर धोलका पर आक्रमण किया। धोलका को कब्जे करके वहां से उन्होंने वीरमगाम पर हमला करके उसे घेर लिया। उदयकर्णजी ने अपने सैनिकों के बल पर दो सप्ताह मराठों के सभी हमलों का जवाब दिया, लेकिन गाव के सेठ-साहुकारों ने लुट जाने के भय से साढे तीन लाख रूपये एकत्रित करके मराठों को देकर उन्हें विदा किया।[१]

अली टांक द्वारा विश्वासघात

वीरमगाम में बसे हुए कस्वातियों से देसाइयों का पुराना गुप्त वैर था। फिर भी देसाई उदयकर्णजी ने उनके दरबारी अग्रणी दोलु टांक के भाई अली टांक को अपने यहां नौकरी देकर खास दरबारी बानाया तथा हांसोल गांव इनाम में दिया। फिर भी उसने कस्वातियों के उकसाने पर विश्वासघात किया तथा ई.स. १७३० (सवंत् १७८६) में अपने मालिक की हत्या कर दी।

उदयकर्णजी का पुत्र भावसिंहजी इन दिनों धंधुका परगने के बागी मेवासियों को ठिकाने लगाने गया हुआ था। उसने जब अपने पिता की धोखे से हुई मौत की खबर सुनी तो फौरन वह सैना के साथ वीरमगाम लौटा। यह खबर सुनकर हलवदवाले रासाजी के छोटे-छोटे रिसालेदार भी अपने-अपने सैन्य दलों को लेकर देसाई की मदद में आ पहुंचे। बाबी सलामतखान भी शीघ्र अपनी सेना के साथ आकर देसाई से मिला। अली टांक भागकर अहमदाबाद पहुंचा। वहां उसने अहमदाबाद के सूबेदार शेरबुलंदखान के कान भरे। सूबेदार उसके बहकावे में आ गया और अपनी सेना लेकर वीरमगाम आया।

दूसरे दिन दोनों पक्षों की सेना आमने-सामने आ गई। लड़ाई शुरु हुई। रात को धोखे से सलामतखान को किसीने जहर दे दिया। सुबह उसकी मौत की खबर सुनते ही उसकी सेना देसाइयों को छोडकर भाग खडी हुई। मौके का फायदा उठाकर कस्वातियों ने शेरबुलन्दखान की आगेवानी में युद्ध शुरु किया। देसाइयों तथा उनके पक्ष में आए हुए सभी आदमी जी-जान से लड रहे थे। फिर भी देसाई भावसिंहजी, उनके काका भुखणदास और पटावत शंभु व्होरा लडते-लडते पकडे गए। अतः वे लोग हार गए।

शेरबुलन्दखान ने वीरमगाम की सत्ता अपने पुत्र बाबी कमालुद्दीन को सोंपी एवं स्वयं कैदियों को लेकर अहमदाबाद की ओर प्रस्थान किया। युद्ध में परास्त देसाइयों का पीतांबर नाम का एक उमराव भाग गया था। उसने भंकोडा के ठाकोर कानाजी से मिलकर चुंवाळियों की सहायता प्राप्त की। फिर शेरबुलन्दखान की सेना पर रात

१. बो. गजे. वो १, पृ. ३०५

को अचानक हमला करके देसाई तथा अन्य सरदारों को छुडा कर ले गया।[१] अब उत्साह में आए चुंवाळ के सैनिकों के साथ वे वीरमगाम पर चढ आए और कमालुद्दीन को हराकर वीरमगाम को फिर से जीत लिया।

उन दिनों दिल्ली के बादशाह की ओर से जोधपुर के राजा को गुजरात का सूबा सोंपा गया था। उसने अपनी ओर से व्यवस्था हेतु **गुलाबचन्द** नाम के सरदार को अहमदाबाद भेजा था। अली टांक ने प्रयत्न करके उससे सैनिक सहायता ली और वीरमगाम पर आक्रमण करके वीरमगाम जीत लिया। अब देसाई भावसिंहजी धोलका गए और वहां दामाजी गायकवाड से संधि करके मराठी सेना को लेकर वीरमगाम आए (ई.स. १७३४)। मानसरोवर की ओर से अपनी राजगढी के किले की दीवार तोडकर उन्होंने मराठी सेना को भीतर दाखिल करवा दिया।

इस वार युद्ध हुआ उसमें दोलु टांक आदि कस्बाती मारे गए। किंतु अली टांक भाग गया। दामाजीराव का सरदार रंगोजी सेना लेकर उसके पीछे पडा। चुंवाळ में छनियार करसनजी ने उनको पनाह दी थी, अतः उसने छनियार का विनाश किया। वहां से भागकर अली टांक अहमदाबाद पहुंचा। इस वक्त गुजरात पर जोधपुर के राजा **अभयसिंहजी** की ओर से **रत्नसिंहजी** नाम का डेप्यूटी सूबेदार नियुक्त किया हुआ था। उसकी देसाई भावसिंहजी से शत्रुता होने के कारण अली टांक उससे जा मिला। सलाह-मशविरा के पश्चात् रत्नसिंह भण्डारी ने अपनी ओर से बाबी जवांमर्दखान नाम के सरदारको सेना देकर अली टांक के साथ भेज दिया। ई.स. १७३५ में वीरमगाम के पास युद्ध हुआ। जिसमें देसाई भावसिंहजी आदि फिर पकडे गए। उन्हें लेकर जवांमर्दखान अहमदाबाद जा रहा था, तभी देसाई के पटावतों ने चुंवाळियाओं की सेना लेकर साणंद में रात को हमला करके देसाई आदि को मुक्त करवा लिया।

जवांमर्दखान केवल नाम मात्र की ही विजय प्राप्त करके अहमदाबाद गया था। वहां देसाई के अहमदाबाद के व्यक्तियों ने सूबेदार रत्नसिंह भंडारी को बताया कि जवांमर्दखानने रिश्वत लेकर कैदियों को छोड दिया है। इससे गुस्से में आकर उसने जवांमर्दखान की दूसरी जगह बदली कर दी और स्वयं बडी सेना लेकर वीरमगाम पर चढाई कर दी। वीरमगाम का दुर्जेय किला ऐसे आसानी से कब्जे में आने वाला नहीं था। देसाइयों ने अपने गुप्तचर द्वारा दामाजी से सैनिक मदद की मांग की, जो पहुंच भी गई। अन्दर से देसाइयों की मार ओर बाहर से मराठी सेना की मार से घेरा डाली हुई भंडारी की फौज बौखला गई और आखिर भंडारी को घेरा उठाकर अपनी सेना के साथ अहमदाबाद लौट जाना पडा।

---

१. बॉ. गजे. वो. १, पृ. ३१४

इस प्रकार वीरमगाम का किला इतना सुरक्षित, दुर्जेय तथा काठियावाड की एक तरह से कुंजी होने से मराठों की नियत बिगडने लगी । रंगोजी के मराठा सैनिक वीरमगाम की राजगढी में पडाव डाले पडे हुए थे । उनको उनकी बदनीयति के कारण देसाइयों ने अरब–मकराणी सिपाहियों की मदद लेकर एकदम हमला करके भगा दिया । तथा वीरमगाम को अपने स्वतंत्र कब्जे में कर लिया (ई.स. १७४०) ।

मराठों को भगा देने की खबर सुनकर रंगोजी गुस्से हुआ । उसने अहमदाबाद के सूबेदार मोमीनखां को भी अपनी मदद में बुला लिया । अब की बार दोनों की सेना ने मिलकर वीरमगाम को घेर लिया । किंतु मोमीनखां की आंतरिक इच्छा यह थी कि वह मराठों को बरबाद होते देखना चाहता था । अतः वीरमगाम को बचाना अब देसाइयों के लिए सरल हो गया । उन्होंने मराठों का डटकर सामना किया ।

देसाइयों द्वारा पाटडी को राजधानी बनाया जाना

वीरमगाम के देसाई पर इस प्रकार एकाएक आई हुई विपत्ति को दूर करने के लिये उनके सहयोगी चुंवाल के ठाकुरोंने अचानक कडी परगनाको लूटना शुरु कर दिया । अपने गुप्तचरों से इस लूटमार की खबर मिलते ही मोमीनखां अपनी सेना लेकर कडी चला गया । अकेले रंगोजी सेनापति घेरा डाले पडे रहे । फिर भी लम्बे समय से उन दो बडी सेनाओं से मुकाबला करते हुए देसाइयों के रक्षण के सब साधन क्षीण हो चले थे । इसलिये अब तो अकेले रंगोजी भी उनके लिये भारी थे । उधर रंगोजी ने अपने को अकेला पडा जानकर संधि का प्रस्ताव भेज दिया । देसाइयों ने भी उसे अनुकूल समझकर स्वीकार कर लिया । अतः पाटडी के हस्तक बीस गांव, नमक के अगर, झालावाड की महसूल पर साढे सात प्रतिशत देसाई दस्तूरी तथा मांडवी की चुंगी लेने की शर्त पर संधि हुई । वीरमगाम का किला मराठा सेनापति रंगोजी को सोंप दिया गया और देसाइयों ने संवत् १७९७ की चैत्र सुद बीज, शनिवार को पाटडी को आकर अपनी राजधानी बनाया[१] । (ई.स. १७४१–४२)

महात्मा विष्णुदत्त का आशीर्वाद

इस प्रकार जब उन्होंने वीरमगाम छोडकर पाटडी की ओर प्रस्थान किया तब वीरमगाम के मानसर तालाब पर उस समय 'विष्णुदत्त' नाम के स्वामी रहते थे (वह जगह आज भी विष्णुदत्त नाम से जानी जाती है और वहां स्वामी की समाधि अब भी है)। उन महात्मा ने आशीर्वाद में देसाई भावसिंहजी को भभूति का एक गोला, एक चिमटा तथा एक धोका दिया था । ये वस्तुएं आज भी पाटडी में सम्हालकर रखी गई हैं और इनकी पूजा होती है । राज्य के निशान में इन तीनों पवित्र चीजों को भी राजचिह्न के रूप मे स्वीकार किया गया है ।

---

१. बो. गजे – वो १ पृ. ३२३

कुछ समय पश्चात् जब पेश्वा तथा गायकवाड ने गुजरात का बंटवारा किया तो पेश्वा के हिस्से में झालावाड आया। अतः उन्होंने वीरमगाम को पृथक् तहसील घोषित किया। पाटडी जाने के बाद देसाई श्री भावसिंहजी के काका भुखणदासजी को पेश्वा से अच्छी मित्रता होने से उन्होंने पाटडी की पुरानी सनंद रद्द करवाकर नई सनंद बनवाई जिसके अनुसार देसाई परिवार की मुख्य शाखा के रूप में देसाई श्री भावसिंहजी के वंशज ११ गांवों की तथा नमक के अगरों की कुल आय का ३/४ भाग रखेंगे, जब कि भुखणदासजी प्रशाखा (पेटाशाखा) के वंशज के रूप में दो गांवो की आय भोगेंगे और उनके हाथ के नीचे रहनेवाला मजुमदार एक गांव की आय भोगेगा[१] – ऐसा तय हुआ। ऐसा होने के बाद देसाई भुखणदासजी के वंशज वीरमगाम आकर कोठी बनाकर स्वतंत्र रूप से अपने गावों पर शासन करने लगे।

कुलमी पाटीदारों की राजधानी

ई.स. १७४१ में मराठा सरदार रंगोजीने देसाइयों से वीरमगाम लेकर उन्हें पाटडी की जागीर दी। तब तक मांडल तथा पाटडी पर किसका शासन था यह इतिहास में स्पष्ट नहीं है, फिर भी कुछ कारणवश ऐसा माना जा सकता है कि झाला यहां आए थे उस बीच देसाई भी वीरमगाम आए थे और जैसा कि मेल्विल साहब ने बताया है, देसाइयों ने वीरमगाम को समृद्ध करके उस इलाके पर उपनी सत्ता जमाई थी। अतः ये दो कस्बे उनकी सत्ता के नीचे रहे होंगे। तब की अराजक स्थिति में कभी कभी अहमदाबाद के सूबेदार भी शासन कर चुके होंगे।

सन् १७४१ में दामाजी गायकवाड के सरदार रंगोजी से हुई संधि के अनुसार पाटडी आदि बीस गांवों में जो देसाई भावसिंहजी के अधिकार में रहे थे, उनमें मांडल भी एक था। मांडल को देसाई भावसिंहजीने अपने भाई वेणीदास को जागीर में दिया था। इस प्रकार पाटडी तथा मांडल के ऐतिहासिक स्थानों को सुरक्षित रखने के लिये देसाई भावसिंहजीने पाटडी के आसपास ई.स. १७४५ (सवंत १८०१ के चैत्र सुद ३ को) में तथा मांडल के जागीरदार देसाई वेणीदास ने उस गाम के चारों ओर ई.स.१७४७ में पक्के पत्थरों के मजबूत किले बनवाए थे।[२]

पाटडी जाने के बाद देसाई भावसिंहजीने काठियावाड जाकर सभी तहसीलदारों से कर वसूल किया था (ई.स. १७३८–३९)। गायकवाड की ओर से यह कर रंगोजी को न मिलने से रंगोजीने ई.स. १७४३ में हमला करके देसाई के गौरिया गांव के थानेदार उमराव हरखजी को पकड लिया और अहमदाबाद लाकर कैद किया। इस बात का पता चलने पर देसाई भावसिंहजी अपने कुछ लोगों को लेकर अहमदाबाद गए और वहां के बादशाही सूबेदार मोमीनखां से मिलकर अपनी चतुराई से (प्रपंच

१. बो. गेजिटीयर – वो. ४ पृ. ३४७ 'मेल्वील्स लेवेक्संस टु गवर्नमेन्ट नं १० पृ. ५९
२. बो. गजे. वो. ४ पृ.३४५ 'रासमाला' भाग १

करके) मोमीनखां को रंगोजी के विरुद्ध लडा दिया । और इस प्रकार हरखजी को छुडा लिया । सन् १७४५ (संवत् १७९९) में पाटडी की राजगढी का किला उन्होंने धांगंध्रा के पक्के पत्थरों से बनवाया । ई.स. १७५० (संवत् १८०६) में देसाई ने अपने भाई वेणीदास को छ हजार सैनिक देकर काठियावाड की महसूल वसूल करने के लिये भेजा । झींझुवाडा के तहसीलदारने जब उन्हें लगान देने में आपत्ति की तब उन्होंने उसके सुरेल तथा धामा गांवों को लूटा और लगान वसूल की ।

अली टांक का अंत

इन्हीं दिनों देसाई के पिताजी उदयकर्णजी का धोखे से खून करके भागा हुआ अली टांक कुछ लुटेरों की टोली बनाकर गया और उसने विसावडी गांव लूटा, फिर वहां से दसाडा जाकर रुका । इसकी खबर मिलते ही देसाई भावसिंहजी अपने भाई तथा कुछ घुडसवारों को लेकर दसाडा गांव पहुंच गए । आमने सामने युद्ध में देसाई के हाथों अली टांक मारा गया और उसके अन्य साथी भाग खडे हुए । परन्तु उसका बदला लेने के लिये कमालुद्दीन बाबी ने मांडल के किले पर सात हजार की सेना लेकर हमला बोल दिया । लेकिन वह कुछ कर नहीं सका और हार कर लौट गया । संवत् १८०९, कार्तिक सुद १३, गुरुवार. (ई.स. १७५३) को देसाई का स्वर्गवास हो गया ।

उनके पश्चात् उनके पुत्र नथुभाई देसाई गद्दी पर बैठे । वे उम्र में छोटे होने के कारण राज्य का सब कामकाज देसाई भुखणदास तथा जेठाभाई करते थे । जेठाभाई स्वयं अच्छे राजनीतिज्ञ एवं योद्धा थे । उन्होंने भुखणदास के साथ मिलकर राज्य का कारोबार अच्छी प्रकार चलाया ।

उस समय गुजरात पर मराठे तथा मुसलमान दोनों राज्य करते थे । गुजरात में बाबी जवांमर्दखां का जोर था और अहमदाबाद उसके कब्जे में था । पेश्वा का इरादा समूचे गुजरात को अपने कब्जे में लेने का होने से उसके इशारे पर राघोबा पंडित ने अहमदाबाद शहर के चारों ओर घेरा डाल दिया, परंतु चार महीने तक भी कोई सफलता न मिलने से राघोबा ने पाटडी से देसाई को अपनी सहायता में बुलाया । इस पर देसाई नथुभाई को लेकर भुखणदास तथा जेठाभाई अहमदाबाद आए और अपनी कार्यदक्षता से दोनों में समझौता करवा दिया । बाबी जवांमर्दखां को वडनगर, विसनगर, पाटण, खेरालु और राधनपुर गांव लेने को राजी किया और बदले में अहमदाबाद पेश्वा को दिलाया । पेश्वा उनके इस बीच बचाव के कार्य से प्रसन्न हुए और उन्होंने सचाणा गांव की जागीर देसाई भुखणदास को तथा मांडल गांव की जागीर जेठाभाई को बक्षिस में दे दी ।[१]

१. बो. गजे. – वो. १ पृ. ३३७

नथुभाई देसाई जब राज्य कारोबार संभालने योग्य हो गए तब जेठाभाई अपने कुटुम्ब को लेकर मांडल पहुंच गए और वहां की जागीर स्वतंत्र रूप से संभालने लगे। जेठाभाई ने वणोद जीतने में भी जवांमर्दखां बाबी को अच्छी मदद की थी।[१]

झालावाड तथा काठियावाड से कर विगैरह वसूल करने के लिये पेश्वा की तरफ से जेठाभाई कई बार जाते रहते थे। एक बार हलवद रियासत से दो लाख रूपये वसूल करने के लिये जेठाभाई अपने सैनिकों के साथ वहां गए तो पता चला कि वहां का वृद्ध राजा चल बसा है। राजगद्दी पर उसका बालक बैठा है तथा उसकी विधवा मां जीजीया राज्य का कार्यभार संभालती है। विधवा रानीने कहा कि वढवाण के ठाकुरने मेरे राज्य को कंगाल कर दिया है। इसलिये में कर देने में असमर्थ हूं। इस उत्तर से जेठाभाई को संतोष नहीं हुआ और गांव लूटकर कर वसूल करने की धमकी दी तथा गांव को लूटने आगे बढा।

षडयंत्र द्वारा जेठाभाई की हत्या

हलवद के स्वर्गस्थ राजा तथा चुंवाल के पनार गांव के कुंपाजी मकवाणा में अच्छी दोस्ती थी। विधवा रानी कुंपाजी को भाई कहकर बुलाती थी। रानी ने कुंपाजीको बुलाकर कहा कि किसी भी तरह जेठाभाई को आप मार डालो नहीं तो यह हमें कभी शांति से रहने नहीं देगा। कुछ समय उपरांत जेठाभाई पेशवा के कार्य से जब चुंवाल के चरीयाला गाम में गए तब इन्हीं कुंपाजी ने धोखे से जेठाभाई को मरवा डाला।[२] मगर जेठाभाई की पत्नी बहुत हिम्मतवान् नारी थी। उसने अपने सैनिक लेकर कुंपाजी मकवाणां के गांव पनार पर चढाई कर दी। गांव को लूटा, आग लगाई और कुंपाजी को पकडवा कर मार डाला। इस प्रकार उसने अपने पति की मौत का बदला लिया।

देसाईयों ने पेश्वा सरकार के सूबेदार राघोबा पंडित को अहमदाबाद दिलवाया था, परंतु बाद में बबी मोसीनखां ने फिर से अहमदाबाद हस्तगत पर लिया और पेशवा के सूबेदार को भाग जाना पडा। देसाई नथूभाई तथा देसाई भुखणदास दोनों फिर से पेशवा की तरफ से अहमदाबाद गए। वहां मोमीनखां से सलाह मश्विरा करके उन्होंने पुनः अहमदाबाद पेशवा को दिलवाया।[३]

ई. स. १७५७ (संवत् १८१३) में पाटडी लौटते वक्त देसाईने चूने का एक मजबूत किला बनवाना शुरु किया था। उस में कहते हैं, एक लाख पेंतीस हजार रुपये खर्च हुए थे। यह किला संवत् १८१७ की चैत्रसुद बीज, बृहस्पतिवार को बनकर तैयार हुआ। उसमें तीन दरवाजे और दो बारीयां हैं।

देसाई अब पेशवाओं की तरफ से सारे काम काज किये जा रहे थे, इससे गुजरात के गायकवाडी शासक बहुत क्रोधित हुए। अंत में दामाजी गायकवाड के पुत्र

१. बो. गजे. – वो. १ पृ. ३३४
२. 'रासमाला' भा. २ पृ. १३२
३. बो. गजे. वो. १ पृ. ३३९

फतहसिंहरावने अस्सी हजार की फौज लेकर पाटडी पर चढाई कर दी । पांच दिन तक वह घेरा डाले पडा रहा; परंतु वहां उस पर अंदर और बाहर दोनों तरफ से मार पडती रहने से वह परेशान हो गया और घेरा उठाकर चलता बना (संवत् १८३४ ई. स. १७७८) ।

संवत् १८५२ (ई. स. १७९६) के श्रावण सुद ६ मंगलवार को देसाई नथूभाई का स्वर्गवास हो गया । उनके बाद उनका वीर पुत्र देसाई वखतसिंह गद्दी पर बैठा ।

पाटडी जैसे एक मजबूत किले के स्वामी के रूप में देसाइयों ने अठारहवी सदी के अंतिम भाग में गुजरात के इतिहास में एंक महत्त्वपूर्ण भाग अदा किया है । पाटडी के देसाई किसी से भी नहीं दबते, यह गायकवाड के शासन को सहन नहीं हुआ । अतः उन्होंने यह इल्जाम लगाया कि देसाई छुपी रीत से कडी के विद्रोही सूबेदार मल्हारराव को मदद करते हैं, और यह बहाना बताकर उन्होंने अपने सेनापति बाबाजीराव को सेना के साथ पाटडी पर आक्रमण करने भेजा । उसने पाटडी के मजबूत किले को घेर लिया । परन्तु उस समय यह किला दुर्जेय था । सतत ६ मास तक घेरा डाले सेना पडी रही । तोपों की मार से हालांकि किले की दिवाल को थोडा बहुत नुकसान होता रहा, मगर देसाइयों की जवांमर्दी के कारण बाबाजीराव उनका कुछ नहीं बिगाड सके । अंत में थक कर उसे देसाइयों से संधि करनी पडी । संधिमें के युद्ध के हर्जाने के रूप में डेढ लाख रुपये रोकडे तथा हरवर्ष अनाज–पानी के नाम पर रू. ५६५२ देसाईयों को बाबाजीराव देंगे – यह निश्चित किया गया ।[१]

ई. स. १७५५ से १८१७ तक अहमदाबाद पर गायकवाड तथा पेशवा के अव्यवस्थित शासन के दौरान कई कणबी अहमदाबाद एवं उसके आसपास के इलाकों को छोडकर दूर अपने सगे सम्बन्धियों के यहां चले गए थे । परंतु बाद में अंग्रेजों के शांतिमय शासन के दिन आने पर वे फिर से लौटकर अहमदाबाद आ गए और यहीं बस गए । इनमें पाटण और कडी की तरफ से भी बहुत आए थे ।[२] इन्होंने शहर के गरीब बने हुए मुसलमानों से एक–एक करके कई घर खरीद लिये । इस प्रकार इन सामुहिक घरों वाली पूरी पोल की पोल अपनी बनाकर उसके नाम को बदलकर कडवापोल आदि नाम रख दिये ।

माणेकबाई की वीरता एवं शासन संचालन

मांडल के जागीरदार जेठाभाई की हत्या के बाद उनकी विधवा बहादुर पत्नी माणेकबाईने मांडल का शासन संभाला । उसके समय में मांडल पर बार–बार हमले होते रहे । परन्तु माणेकबाई स्वयं सशस्त्र मर्द की पोशाक में अपनी सेना की आगेवानी

१. बो. गजे – वो. ४ पृ. ३४७, मेल्वील्स सि. – नं. १० पृ. ५९

२. 'अमदावादनो प्राचीन इतिहास' । (गुजराती)

करती और युद्ध लडती रही । उसके बाद उसके पुत्र देवीसिंहजी ने शासन भार संभाला । वे भी मराठों के हमलों का अच्छा जबाब देते रहे । उनके बाद उनके पुत्र फतहसिंह गद्दी पर बैठे ।

फतेहसिंह की उम्र अभी छोटी ही थी । इन दिनों पेश्वा का राज्य अंग्रेजोंने लिया तब मांडल भीं उसके साथ छीन लिया गया । फतेहसिंहजी को उन्होंने वीरमगाम कस्बा की पटेलाई (जमींदारी) सोंप कर उनको संतुष्ट किया । अब तक वे देसाई कहलाते थे, परन्तु जब से वीरमगाम की पटेलाई मिली तब से उनका विशेषण बदल गया । उनके कई भाई धांगध्रा जाकर बसे और वहां देसाईगीरी प्राप्त की (ई. स. १८२०) । (रा. अमरसिंह देसाईभाई वकील, शेठ जीभाई केवलदास तथा स्व. शेठ द्वारकादास जीभाई – ये इसी खानदान में हुए है ।)

देसाई श्री वखतसिंहजी ने भी अपने कार्यकाल में अच्छा यश कमाया । उनके समय में बारंबार युद्ध होते रहने से स्टेट की आर्थिक स्थिति थोडी कमजोर अवश्य हो गई थी । वृद्ध होने के कारण बाद में वे काशी की तरफ तीर्थ यात्रा करने चले गए और वहीं उन्होंने अपना देह त्याग दिया (ई.स. १८२८) ।

उनके स्वर्गवास के पश्चात् कुंवर हरिसिंहजी संवत् १८८५ में महा वद दशम को पाटडी की राजगद्दी पर विराजमान हुए । उनके समय में अंग्रेजों का वर्चस्व बढ जाने से अच्छी शांति बनी रही, जिससे उन्होंने अपनी १७ गांवों की जागीर में एक गांव हरिपुर (हिरपरुं) नया बसाकर जागीर का विस्तार किया । ई.स. १८०३ में गायकवाड के सेनापति बाबाजीराव से हुई लंबी लडाई में जो किला जीर्ण–शीर्ण हो गया था, उसे सन् १८२७ में मरम्मत करके फिर से मजबूत बना लिया । उसके बाद प्रजाकी आबादी में अच्छी वृद्धि होने लगी* । ई.स. १८३७ में देसाई हरिसिंहजी का भी स्वर्गवास हो गया ।

हरिसिंहजी के कोई संतान न होने से परम्परानुसार गद्दी पर बैठने का हक उनके भाई कुंवरसिंहजी को था । मगर स्वर्गस्थ हरिसिंहजी की रानी यह नहीं चाहती थी, इसलिये उसने बहुत षडयंत्र किये । उसने राज्य चलाने के महत्त्वपूर्ण कागजात, दस्तावेज आदि का भी नाश कर दिया, फिर भी वे अपने मकसद में सफल न हो सकी और अंत में कुंवरसिहंजी ही राजगद्दी के मालिक हुए । उन्होंने आठ वर्ष तक शांतिपूर्वक राज्य चलाया । अपने राज्यकाल में उन्होंने भी एक 'कुबेर परूं' नाम का नया गांव बसाया और जागीर का विस्तार किया । ई.स. १८४५ में उनका स्वर्गवास हुआ ।

---

* बो. गेजे. वो. ४. पृ. ३४७

इसके पश्चात् देसाई श्री जोरावरसिंहजी गद्दी पर बैठे । वे बडे ही धार्मिक और प्रजापालक थे । बखतसिंहजी के समय में हुई लडाईयों से राजस्थान की आर्थिक स्थिति जो कमजोर हो चली थी वह इनके समय में काफी हद तक सुधर गई । इन्होंने जोरावरपुरा, देसाईपुरा, हिंमतपुरा ये तीन नये गांव बसाये, जिससे गांवो की संख्या १९ से बढकर २२ हो गई । इन्होंने राजकोष का उपयोग प्रजाहित में बहुत अच्छी प्रकार किया । गुजरात कोलेज की स्थापना में उन्होंने १०,००० रुपये की सहायता दी थी । अपनी जाति के सुधार की तरफ भी उनका ध्यान कम नहीं था । जाति में कन्या-विक्रय शादियों में फिजुलखर्ची आदि कई बुराईयां घर कर रही थी । उनको दूर करने के लिये उन्होंने दूर-दूर से अच्छे विचारक एवं विद्वानों को बुलवाकर सभाएं करवाई थी, ताकि जाति में अच्छे विधि-नियम बन सकें । इसके लिये उन्होंने ५०,००० रूपये खर्च किये थे । उन्होंने एक वैष्णव मंदिर भी ५०,००० हजार रूपये खर्च करके बनवाया था, जिसमें श्री द्वारिकानाथ की मूर्ति स्थापित की गई थी । मंदिर की आगे व्यवस्था ठीक प्रकार से चल सके - इसके लिये उन्होंने प्रतिवर्ष राज्य की तरफ से दो हजार रूपये देना निश्चित कर रखा था । यह उनकी धर्म प्रियता का द्योतक है । प्रजा उन्हें बहुत चाहती थी । ई.स. १८७५ में जब उन्होंने देहत्याग किया, समस्त प्रजा शोक सागर मे डूब गई ।

इसके बाद उनके बडे कुंवर देसाई श्री हिम्मतसिंहजी गद्दी पर बैठे । वे बडे बहादुर एवं धर्मप्रिय थे । उनकी बहादुरी के कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हैं -

हिम्मतसिंहजी की वीरता के कुछ प्रसंग

एक बार कुछ ऊंटों पर खजाना वीरमगाम की तरफ आ रहा था । रास्ते में डाकुओं ने उसे लूट लिया । खबर मिलते ही रात को आठ बजे हिम्मतसिंहजीने कुछ सैनिकों को अपने पीछे आने का इशारा करके अकेले ही १८ कारतूसोंवाली बंदूक लेकर घोडे पर सवार होकर दौड पडे । सैनिक तो बहुत पीछे रह गए और वे स्वयं सुबह पांच बजते-बजते तो डाकुओं के समीप जा पहुंचे । डाकुओं ने उनको अकेला जानकर सामना किया, मगर देखते ही देखते कई डाकू घायल होकर जमींदोस्त हो गये । घबरा कर अन्य डाकू उनके सामने जान बचाने के लिये हाथ जोडकर खडे हो गए । खजाने सहित ऊंटों और शेष बचे डाकुओं को बंदी बनाकर हिम्मतसिंहजी लौट पडे ।

ऐसे ही एक बार दशहरा के दिन उनका उत्तम घोडा गांव से आ रहा था । उसकी चपलता व सुन्दरता देखकर राधनपुर का एक डाकू पतीया दंग रह गया ।

लोभ में आकर दरबारी व्यक्ति से वह घोडा लेकर पलायन हो गया। सवारी के समय घोडा न देखकर हिम्मतसिंहजीने पूजन विधि अधूरी ही छोड दी, अपनी बरछी उठाई, घोडे पर सवार हुए और जाकर डाकू पतीया अहीर के गांव पहुंच गए। एक सुरंग द्वारा पतीया अहीर वहां से भी भाग खडा हुआ। पता चलते ही अपने सैनिकों के पीछे आने की परवाह किये बिना ही हिम्मतसिंहजीने उसका पीछा किया। मैदान में जाकर ज्योंही वह भागते हुए नजर आया, बिजली की गति से हिम्मतसिंहजीने अपनी बरछी चलाई और पतीया अहीर के शरीर को बींध दिया। राधनपुर के नवाब ने तो कहा कि इसका सिर काटकर दरवाजे पर लटका दिया जाय , मगर पतीया अहीर की स्त्री भी बहुत बहादुर थी। उसने हिम्मतसिंहजी की हिम्मत की दाद दी और शव का फैसला हिम्मतसिंहजी पर ही छोडा। इससे प्रसन्न होकर हिम्मतसिंहजीने उसके पति के शव का ठीक ढंग से अग्नि संस्कार करवाया तथा विधवा बहादुर स्त्री के निर्वाह का प्रबंध भी राज्य की ओर से करवा दिया।

कई बार देशी एवं कुछ यूरोपीयन शिकारियों के साथ वे शिकार खेलने जाया करते थे। बरछी का निशाना उनका अचूक था यह सभी शिकारी जानते थे। एक बार जंगल में एक सूअर ने सब शिकारियों एवं उनके घोडों को घायल कर दिया और कहीं झाडी में जाकर छुप गया। आखिर हिम्मतसिंहजी ने अपनी बरछी उठाई और सुअर को ढूंढ निकाला, मगर वह उनका सामना करने खडा हो गया। हिम्मतसिंहजी के हाथ की बरछी पूर जोर से चली और सुअर के शरीर को छेदती हुई जमीन में घुस गई। जमीन के साथ हाथ–पैर सहित सुअर वहीं चिपक गया। शिकारियों ने तालियां बजाकर हर्ष प्रकट किया।

अपने अंतिम वर्षों में हिम्मतसिंहजी ने धार्मिक कार्यों की तरफ बहुत ध्यान दिया। उन्होंने एक ट्रस्ट बनवाकर उसे ८०,००० रूपये दिये। उन पैसों से व्यापारी लोग लोन लेते तथा वे जो ब्याज की रकम देते, उस रकम का उपयोग डाकोरजी में चालू किये गये अन्नक्षेत्र में होता रहे – ऐसी व्यवस्था भी कर दी। इसमें धंधे और व्यापार की वृद्धि का भी लक्ष्य स्पष्ट दिखता है। यह कार्य उनकी उत्तम व्यवस्थापक बुद्धि का सूचक है।

ई.स. १८८४ में एक शूरवीर और धर्मवीर के रूप में यश संपादन कर उन्होंने देहत्याग कर दिया।

उनके देहत्याग के पश्चात् उनके कोई संतान न होने से परम्परानुसार उनके भाई दरबार श्री सूर्यमलसिंहजी ने राजगद्दी संभाली।

दरबार **श्री सूर्यमलसिंहजी** का जन्म ई.स. १८४८ (संवत् १९०४, पोष वद १०) में हुआ था। उनका जीवन बडा सादगीपूर्ण था। उन्होंने लोकोपयोगी बहुत से कार्य किये। उन्होंने गुजरात कॉलेज के फंड में सात हजार रूपये दिये थे। ई.स. १८८८ में विक्टोरिया जुबली के समय उन्होंने जनाना दवाखाने के फंड में भी सात हजार रूपये दिये थे। बावडी, कुए, तालाब इत्यादि खुदवाने तथा धर्मशालाएं बनवाने के लिये २७,६७० रूपये एवं दवाखानों के लिये १८,००० रूपये खर्च किये थे। पाटडी की प्रजा अंग्रेजी सीखें–इसके लिये स्कूलों में उन्होंने ८००० रूपये अनुदान दिया था। संवत् १९५६ एवं १९५८ में पडे अकाल में लोगों की सेवा–सहायता के लिये उन्होंने ६८,२८४ रूपये दिये थे तथा १५,००० रूपये की महसूल माफ कर दी थी। धार्मिक कार्यों के लिये उन्होंने ६०,००० रुपये खर्च किये थे।

राज्य की आय में वृद्धि हो–इसकी ओर भी उन्होंने पूरा ध्यान दिया। किसानों को खेती के लिये पर्याप्त पानी मिले–इसके लिये बांध, तालाब आदि की व्यवस्था करना; किसानों को अच्छी जमीन उपलब्ध हो एवं अन्य सुविधाएं मिले–इसके लिये रूपये ३ लाख खर्च किये। इससे किसानों की आर्थिक हालत सुधरी, कई प्रकार की मुकदमेबाजी बंद हुई एवं साथ ही राज्य की आय एवं स्थायी सम्पत्ति में भी अच्छी वृद्धि हुई।

राजगढ में नये मकान बनवाने के लिये उन्होंने २ लाख रुपये दिये एवं वीरमगाम में पशु–अस्पताल के लिये ५०० रूपये धर्मादा दिये थे।

इसके साथ ही अपनी जाति को ऊपर उठाने के लिये भी उन्होंने बहुत कार्य किये। इसके लिये सम्मेलनों में उन्होंने दूर–दूर से अपनी जाति के आगेवानों को बुलाकर उनसे विचार विमर्श किया। उन्होंने सबके बीच यह इच्छा व्यक्त की कि जाति की कुरीतियां दूर हों। जाति प्रगति करे, इसके लिये नये रीति–नियम निर्मित किये जाने चाहिए। जाति को शिक्षित करने के लिये उन्होंने **'श्री कडवा पाटीदार हितवर्धक महामंडल'** की स्थापना की और स्वयं ने सबसे पहले उसके फंड में १५,००० रूपये अनुदान दिया। स्वयं ने उसका प्रेसिडंट–पद संभालकर सक्रिय सहयोग भी दिया।

अपने राज्य–कार्य में सहयोग के लिये व्यक्ति चुनने में वे बडे निपुण थे। वे स्वयं प्रजा का न्याय करते अथवा युवराज से करवाते। राज्य के कार्य में कई फैसले करने से पूर्व वे अपने दरबार के लोगों से अच्छी प्रकार विचार–विमर्श कर लिया करते थे।

महाराज श्री के पूर्वज देसाई भावसिंहजी के पास २० गांव थे। उसके बाद नथूभाई की नाबालिग अवस्था का लाभ उठाकर पेश्वा के सूबेदार ने उनसे ६ गांव

छीन लिये थे । २ गांव इस वंश की ही शाखा में भुखणसिंहजी को और एक गांव उनके मजुमदार को मिला था । इस प्रकार २० में से ९ कम हुए तो ११ गांव शेष रहे । कठवासण गांव उनको इनाम में मिला, देसाई भाणजीभाई को औरंगजेब की तरफ से पांच गाम (सावडा, गोरीआवड, ब्राह्मणवा, जरवला, तथा नवरंगपुरा) बक्षीस में मिले । इस प्रकार १७ (११+१+५) गांव हुए । फिर हरिसिंहजीने हरिपरू, कुबेरसिंहजीने कुबेरपरू, जोरावरसिंहजी ने देसाईपरा, जोरावरपरा व हिम्मतपरा ऐसे तीन गांव नए बसाए । इस प्रकार (१७+१+१+३) २२ कुल गांव सूर्यमलसिंहजी के पास थे, जिनके नाम इस प्रकार हैं –

पाटडी, गोरैया, वडगास, भोजवा, उखलोड, खेरवा, सवलाणां, कमीजला, लींबड, वेकरीया, जेतापुर, गोरीयावड, ब्राह्मणवा, जरवला, नवरंगपुरा, सावडा, हरिपुरा. कुबेरपुरा, जोरावरपुरा, देसाईपुरा, हिम्मतपुरा, कडवासण ।

इन गांवों का औसत क्षेत्रफल १६५ वर्गमील था । कुल आबादी १५१९६ तथा कुल उपज १ लाख रुपये थी ।

महाराज श्री यद्यपि अंग्रेजी नहीं पढ सके, परन्तु गुजराती का अच्छा ज्ञान रखते थे । दैनिक एवं साप्ताहिक समाचार पत्र वे नियमित पढते थे । वे संगीत के भी अच्छी शौकीन एवं ज्ञाता थे । अश्वविद्या भी अच्छी प्रकार जानते थे, इसीलिये उन्होंने अच्छे अश्वों का एक बडा जत्था इकट्ठा कर लिया था । उनको किसी प्रकार का दुर्व्यसन नहीं था । उनके रहन–सहन एवं कार्यकुशलता आदि के कारण अंग्रेज अधिकारियों में उनका अच्छा मान था । इसीलिये अंग्रेज अधिकारियों ने उनको निम्न प्रकार की पदवी दे रखी थी –

महेरबान मुपलीशान सदाक्त व एखलास निशान दरबार श्री सूर्यमलजी साहेब

हिन्दुस्तान के उस समय के अच्छे राज्याधिकारियों के साथ उनके सुन्दर संबंध थे और स्वयं की कडवा कणबी जाति में वे शिरोमणि थे ।

श्री सूर्यमलसिंहजी के उत्तराधिकारी युवराज श्री दौलतसिंहजी का जन्म संवत् १९३७ की अषाढ सुद ३ को हुआ था । अपने शिक्षाकाल में वे अपने गुरुजनों के स्नेहपात्र बने रहे, कारण कि अपनी कुशाग्र बुद्धि के कारण वे अपनी कक्षा में प्रथम अथवा द्वितीय श्रेणी में ही उत्तीर्ण होते रहे थे । उनका सबके साथ व्यवहार इतना सरल और प्रेमपूर्ण रहता था कि इसी एक गुण के कारण उनको कई सर्टिफिकेट एवं एक 'सोने का चांद' पुरस्कार स्वरूप दिया गया था ।

अपनी शिक्षा काल में ही अपने पिता श्री के साथ राज्य कार्य में भी हाथ बढाते रहने से उनकी कार्य कुशलता में अच्छी वृद्धि हुई थी । इस कारण श्री मुंबई सरकार

की तरफ से उनको 'फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट' की उपाधि मिली थी । इसके साथ अभिवादन पत्र-मानपत्र भी खूब मिले । वे सरकार की तरफ से जिला लोकल बोर्ड के सदस्य भी रहे । उनकी कार्यकुशलता, विवेकपूर्ण व्यवहार, परोपकारी स्वभाव एवं सादगीपूर्ण निर्व्यसनी जीवन के कारण उनके यूरोपीयन मित्र भी उनको बहुत मान एंव आदर से देखते थे ।

श्री सूर्यमलसिंहजी के लघु भ्राता देसाई श्री चन्द्रसिंहजी का जन्म संवत् १९०७ में हुआ था । वे अपनी जाति के बहुत हितचिंतक रहे थे । श्री जोरावरसिंहजी साहेब ने जब सं. १९२६ में जाति का सम्मेलन बुलाया था तब उसमें उन्होंने बडे उत्साह से भाग लिया था । व्यापार-उद्योग की वृद्धि में उनकी रुचि थी यह इस बात से साफ जाहिर होती है कि वे सं. १९४० से १९४७ तक 'धी पाटडी व्यापारोत्तेजक कंपनी' के अध्यक्ष रहे । सं. १९४८ से १९५२ तक वे 'गौ रक्षक सभा' के अध्यक्ष रहे । राज्य कार्य में भी वे सदैव सक्रिय रहे थे । श्री चन्द्रसिंहजी सं. १९५२ की श्रावण वद ३ को अपने पीछे देसाई श्री नारायणसिंहजी एवं हीरसिंहजी – इन दो पुत्रों को छोडकर स्वर्ग सिधार गए ।

देसाई श्री नारायणसिंहजी का जन्म सं. १९३० की कार्तिक वद अमावास्या के दिन हुआ था । ये भी सामाजिक कार्यों में बहुत सक्रिय रहे । सं. १९६२ में जब पाटडी में अंग्रेजी स्कूल खोलने के लिये धन इकट्ठा किया जा रहा था, तब उसमें उन्होंने अच्छा सहयोग दिया था । इन्होंने 'श्री कृष्ण कोटन प्रेस' नाम से एक कारखाना खोला था, जिससे पाटडी के कपास उद्योग का अच्छा विकास हुआ । 'श्री क. पा. शुभेच्छा समाज' की बडौदा में सं. १९६७ में जब सभा बुलाई गई तब इन्होंने भी भाग लिया था और उसमें माननीय गायकवाड सरकार सयाजीराव को मानपत्र इन्हीं के हाथों द्वारा सोंपा गया था । अपनी जाति के हित संपादन के बारे में वे बडे जागरुक एवं उत्साही थे । सं. १९६७ एवं १९६८ में जाति – हित की द्दष्टि से जो सम्मेलन हुए थे, उनमें भी इन्होंने उत्साहपूर्वक कार्य किया था । जाति हित की द्दष्टि से जब धन एकत्र किया जा रहा था तब उसमें भी उन्होंने आगे बढकर सहयोग दिया । देसाई श्री नारायणसिंहजीके प्रतापसिंहजी, अजीतसिंहजी एवं रणजीतसिंहजी ये तीन पुत्र एवं हरिलक्ष्मी बा तथा गौरी बा ये दो पुत्रियां हुई ।

देसाई श्री चंद्रसिंहजी के छोटे पुत्र देसाई श्री हीरसिंहजी का जन्म सं. १९३३ की भादरवा वद ११ को हुआ था । राज्य – कार्य में एवं विशेष कर न्याय के क्षेत्र में उनकी कार्यकुशलता प्रशंसनीय रही है । जाति के सम्मेलनों में भी उन्होंने आगे बढकर भाग लिया था । 'श्री क. पा. हित वर्धक महामंडल' की प्रबंध समिति के भी वे सदस्य रहे । उनके प्रभातसिंहजी और विठ्ठलसिंहजी नाम के दो पुत्र एवं सुभद्रा बा नामकी एक पुत्री है ।

वीरमगाम के कुलमी राजवंशी देसाई

राजस्थान की पृथक शाखा

देसाई श्री उदयकर्णजी के भुखणदास, जयकर्णदास, लालदास तथा प्रभुदास नाम के भाई थे। देसाई उदयकर्णजी के पश्चात् सत्ता पर आए हुए भावसिंहजी ने जब वीरमगाम छोडा और पाटडी को अपनी राजधानी बनाया तब उनके सभी कुटुम्बीजन भी उनके साथ ही गए थे। बाद में पेश्वा के प्रतिनिधि का देसाई भुखणदासजी के साथ घनिष्ठ सम्बंध होने से उसने उनको पाटडी की मुख्य जागीर में से कुछ गाम अलग करके दिये, पेश्वा की तरफ से खास महल भी बनवाकर दिया और उनको वीरमगाम में स्वतंत्र हुकुमत सोंपी। साथ ही स्वयं की अधिनस्थ जागीर में से भी १२ गाम[१] देकर देसाई भुखणदासजी की जागीर को और विस्तृत कर दिया।

पाटडी और वीरमगाम : देसाइयों की मुख्य शाखा के दो भाग पडना

इस प्रकार देसाइयों की मुख्य शाखा के दो भाग पड गए। देसाई उदयकर्णजी के वंशज पाटडी में और देसाई भुखणदासजी के वंशज वीरमगाम में राज्य करने लगे। उनके दूसरे भाई जयकर्णजी विगैरह वडगास में जमींदारी मिलने से वहां जाकर बस गए।[२]

जब देसाई भुखणदास वीरमगाम आए तब उनके भाई लालदास व प्रभुदास उनके साथ आए थे। इस समय लालदासजी को सचाणा गाम में जमींदासी मिली; और दूसरे प्रभुदासजी को भी जमींदारी मिली। उनके वंशजों में मुंसिफ साहब करसनदास भाई, देसाई कालीदास हरजीवनदास तथा देसाई झीणाभांई विगैरह काका के कुटुम्बीजन के नाम से जाने जाते हैं।

देसाई भुखणदासजी ने अपने पराक्रम से मराठा सेनापति रंगोजी को खुश करके अच्छा यश कमाया और कुछ गाम भी अर्जित किये थे। उन्होंने वीरमगाम में सदाव्रत चालू करवाया था जो काफी समय तक चलता रहा। सं. १८०० में बहुत से लोगों को साथ लेकर अपने चुनिंदा सैनिकों के साथ उन्होंने द्वारिका की यात्रा की थी। उस समय कमालउद्दीन बाबी से अहमदाबाद शहर बिना लडाई किये पेश्वा के प्रतिनिधि को दिलाने से पेश्वा सरकारने प्रसन्न होकर सं. १८१३ के कार्तिक सुद २, मंगलवार को सचाणा गांव भेंट में दिया एवं कई अन्य हक और सुविधाएं दी। अन्य कई छोटी मोटी उपलब्धियों के साथ लम्बे समय तक शांतिपूर्ण शासन करके सं. १८२३ में उन्होंने देह विसर्जन किया।

---

१. इन गाम तथा जागीर, घोडे आदि का उपयोग वीरमगाम के देसाइयों ने आगे आने वाली तीन पीढियों तक किया, बाद में यह सब खालसा हो गई।

२. इनके वंश में देसाई लल्लुभाई बावनजी तथा देसाई भूपतसिंहजी के पुत्र आदि हुए।

उनके देसाई **दयालजीभाई** मनोहरदास तथा नरहरदास नाम के तीन पुत्र थे । इनमें ज्येष्ठ पुत्र दयालजीभाईने राजगद्दी सम्हाली और अन्य दोनों को (टिलाया-फटाया की) अमुक परम्परा के अनुसार जमींदारी मिली । देसाई दयालजीभाईने सेनापति बाबाराव की झालावाड की सत्ता के सम्बंध में अच्छी मदद की थी, इसलिये उनको बाबारावने अच्छे ओहदे एवं अन्य भेंटें दी थी । शांतिपूर्वक राज्य करके देसाई दयालजीभाई अपने पीछे नरसिंहदास, फतहसिंह तथा भूपतसिंह-ये तीन पुत्र छोडकर स्वर्गवासी हुए । इनमें से ज्येष्ठ पुत्र **देसाई नरसिंहदास** गद्दी पर बैठे, देसाई फतहसिंह निःसंतान गुजर गए और देसाई भूपतसिंह को जमींदारी मिली । उनके वंशज बाद में 'नाना घरवाला' इस नाम से वीरमगाम में प्रसिद्ध हुए ।

देसाई नरसिंहदासजी के दे. प्रह्लादजी एवं दे. बापुभाई नाम के दो पुत्र थे । इनमें से नरसिंहदासजी के पश्चात् गद्दी पर सं. १८५० में देसाई प्रह्लादजीभाई बैठे ।

देसाई **प्रह्लादजीभाई** बहुत साहसी थे । बाघ जैसे हिंसक प्राणियों को खुला छोडकर उनके बीच वे निर्भय घूमते थे । उन्होंने संवत् १८५८ (ई. स. १८०२ की फेब्रुआरी) में कडी के मल्हारराव के साथ युद्ध में गायकवाड सरकार की तरफ से भाग लिया था । सं. १८६२ में वे यात्रा करके आए थे । उन्होंने सं. १८७६ में देहत्याग कर दिया । उनके केवल एक ही संतान पुत्री होने के कारण उनके पश्चात् गद्दी पर उनके छोटे भाई **देसाई बापुभाई** सं. १८७६ की पोष सुद १५ को बैठे । उन्हीं दिनों पेश्वा बाजीराव द्वितीय को अंग्रेज सरकार ने हरा दिया । इससे वीरमगाम तहसील भी अंग्रेजों के अधिकार में चली गई । अतः देसाई झालावाड जाकर जो आय का अमुक भाग लेकर आते थे, वह परम्परा बंद हो गई । इस लिये अब उनको राजकोट तथा वीरमगाम के कोष में से अमुक रकम खर्च के लिये मिलने लगी ।

सं. १८९१ में उन्होंने दो बार यात्राएं की । राजपूतों के बीच से जब यात्रा के दौरान वे गुजर रहे थे तब उधर के एक कुख्यात डाकू ढोकलसिंह के साथ उनका सामना हुआ, परन्तु देसाईजी की बलिष्ठ शरीर यष्टि देखकर वह उनका मित्र और मददगार बन गया । ई. सन. १८५८ (सं. १९१४) में देशी सिपाहियों के बलवे के समय चुंवाल के मेवासी लोग एक बडा विद्रोह करने की तैयारी मेंही थे कि ऐन मोके पर देसाईश्रीजी सरकारी सेना के साथ कुछ अपने भी सैनिक लेकर गए एवं प्रेम से बीच-बचाव करके प्रजा की उग्रता शांत कर दी । उन्हीं दिनों पाटडी में देसाई कुबेरसिंहजी के राजकाज में भी उन्होंने सहयोग करके अपना फर्ज अदा किया था ।

सं. १९१८ में नलकंठा के ददुका गाम में गवर्नर साहब आए हुए थे । वहां गवर्नर एवं उनके सेक्रेटरी श्री होप साहब के साथ उनका भी मिलना हुआ और उसी वजह से स्वयं देसाई श्री के वरद् हस्त द्वारा वीरमगाम में सरकारी गुजराती स्कूल की स्थापना हुई । देसाई श्री की शरीर यष्टि इतनी मजबूत और प्रभावशाली थी कि उससे प्रभावित होकर किसी युरोपीयन यात्रीने उनका चित्र (फोटो) लेकर लंदन शहर के संग्रहालय

में भेज दिया । उन दिनों इन के कुटुम्ब ने श्री वल्लभाचार्यजी के वैष्णव पंथ को स्वीकार कर लिया था । वे धार्मिक विचारों के होने के कारण गाम के संस्कृत विद्यार्थियों को आगे पढने में बहुत उत्साह देते थे । अफीम जैसे व्यसन से वे कोसों दूर थे । वृद्धावस्था में ईश्वर भजन में शेष आयु व्यतीत करके सं. १९२० के पोष सुद १२ को ७५ वर्ष की उम्र में उन्होंने देह त्याग कर दिया ।

देसाई बापूभाई के कुबेरसिंहजी एवं जीवावा नाम के दो पुत्र थे । इनमें से देसाई **कुबेरसिंहजी** गद्दीनशीन हुए और जीवावा को गिरास दे दिया गया । कुबेरसिंहजी बहुत बुद्धिमान तो थे ही साथ ही संगीत, अश्व विद्या एवं अस्त्र–शस्त्रविद्या पर भी उनका अच्छा अधिकार था । गुजरात एवं काठियावाड का प्रवेश द्वार उस समय वीरमगाम होने से आते और जाते हुए संगीत के उस्ताद लोग उनसे मिले बिना जा नहीं पाते थे । देसाईजी की संगीत अभिरुचि के कारण दरबार में अच्छी संगीत सभा जुडती, मुशायरे होते और संगतीकारों का अच्छा सत्कार भी किया जाता था । श्री जाम साहबने भी अपने यहां किसी जलसे के समय संगीत के शौकीन होने से इनको निमंत्रित किया था । कैसा भी निरंकुश अश्व हो, वे काबू में ले आते थे और निशाने बाज भी पूरे थे । विद्या के प्रति भी उनकी अभिरुचि पूरी थी । अपने पीछे दे. केशवभाई, दे. प्रतापसिंहजी, दे. रणछोडभाई तथा दे. बलदेवभाई नाम के चार पुत्र छोडकर वे सं. १९२३, आसोज सुद ४ को ४८ वर्ष की उम्र में देहत्याग कर गए ।

देसाई श्री केशवभाई अपने पिता के स्वर्गवास के पश्चात् गद्दी पर बैठे । उनका जन्म सं. १८९६ में हुआ था । जब से म्युनिसिपेलिटी बनी तब से उसके तथा तहसील लोकल बोर्ड के वे उम्र भर सदस्य रहे । वीरमगाव की म्युनीसीपेलिटी की तरफ से उन्होंने स्वयं गवर्नर साहब को मान पत्र दिया था । वीरमगाम की जाति में विग्रह होने पर गोस्वामी श्री देवकीनंदनाचार्यजी के साथ उन्होंने भी आगे बढकर भाग लिया था । जाति में सुधार लाने की तीव्र इच्छा होने के करण मृत्युभोज को बंद करवाने के लिये सं. १९५४ में इन्होंने बहुत प्रयास किये । जितना खर्च हो वह स्वयं वहन करने के लिये भी वे तैयार हुए, परन्तु अन्य लोग सम्मत न होने के कारण वे सफल नहीं हो सके । सत्य बोलने का उनमें बहुत अच्छा गुण था, फिर भले ही किसी को अथवा स्वयं को भी कष्ट झेलने पडें । नलकंठा में एक केशवपरूं गांव उन्होंने बसाया था । दे. केशवभाई के देसाई प्रतापसिंहजी, देसाई रणछोडभाई और देसाई बलदेवभाई–ये तीन भाई थे । इनमें से दे. रणछोडभाई का सं. १९६६ में ६३ वर्ष की उम्र में और दे. बलदेवभाईका ३५ वर्ष की उम्र में ही स्वर्गवास हो गया था । दे. रणछोडभाई में उनके पिता के कई गुण मिलते थे । संगीतकला में वे अपने पिता की भांति ही निपुण थे । उनकी याददाश्त बहुत तीव्र थी । अतीतकी कई घटनाएं वे बीती हुई तिथियों व तारीखों के साथ बता दिया करते थे । अश्वविद्या एवं हिसाब–किताब के काम में भी वे बडे कुशल थे । अपनी जाति सुधार के लिये भी वे बडे ही तत्पर रहते थे ।

देसाई श्री केशवभाईने अपने पीछे एक पुत्र दे. रायसिंह को छोडकर सं. १९५५ की वैशाख वद आमावस्या के दिन सभान अवस्था में ईश्वर–भजन करते करते अपने देह का त्याग कर दिया । उनके पश्चात् गद्दी पर देसाई रायसिंहजी बैठे ।

देसाई श्री **रायसिंहजी** का जन्म सं. १९२० में हुआ था । गुजराती के साथ–साथ कक्षा छः तक उन्होंने अंग्रेजी का भी अध्ययन किया था । इनके पास २०००० की जनसंख्या वाले करीब १६००० वीघा में फैले हुए घोडा, धुलेटा, केशवपुरा, सचाणा तथा हरिपुरा नाम के पांच गाम थे; जिनकी वार्षिक उपज लगभग २००० रूपये थी । उनका अपनी प्रजापर बहुत प्रेम था । वीरमगाम म्युनीसिपेलिटी में वे काउन्सीलर तथा चेरमेन थे । जिला लोकल बोर्ड के भी वे सदस्य थे । वीरमगाम की सभी जातियां उनको बहुत सम्मान देती थी और क. पाटीदार तो उनको अपना शिरोमणि मानते थे । वे बहुत उदार थे । उन्होंने क. पा. हि. महामंडल के फंड में ३००० रुपये दिये थे । अकाल एवं अन्य लोक हितकारी कार्यों में वे तन–मन–धन से सहयोग करते थे । वम्बई के गवर्नर सा. की अध्यक्षता में आयोजित की गई खेतीवाडी की प्रदर्शनी में आमंत्रण होनेसे वे भी उसमें गए थे । ऐसे ही दिल्ली दरवार में भी सरकार की तरफ से आमंत्रण मिलने पर वे गये थे ।

अपने पिता की तरह झगडों में वीच–बचाव करके संघर्ष को टाल देने की अच्छी कुशलता उनको हासिल थी । इसलिये हिन्दु–मुसलमान अथवा किसी भी जाति के लोग अपने विवादों को सुलझाने के लिये विनती करके इनको बुलवाते थे और उनमें वे जाकर उनका संघर्ष मिटा देने में प्रायः सफल हो ही जाते थे । हिन्दुस्तान में घूमकर कई धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों की अच्छी जानकारी उन्होंने हासिल की थी । हुक्का, बीडी, अथवा अफीम जैसे व्यसनों से वे सदैव दूर रहे थे । उनके देसाई श्री लालसिंहजी, शिवसिंहजी, विजयसिंहजी और अंवाप्रताप नाम के चार पुत्र हुए । शिवसिंहजी अश्वविद्या एवं संगीत के शौकीन थे । वे अंग्रेजी, गुजराती, उर्दू और संस्कृत भाषा के जानकार थे । अपने बडे भाई लालसिंहजी की ही भांति ये भी समाज सुधार के कार्यों में अच्छी रूचि रखते थे और आगे बढकर भाग लेते थे ।

कुमार श्री **लालसिंहजी** दे. रायसिंहजी के ज्येष्ठ कुंवर सा. है । उनका जन्म सं. १९४३ की अषाढ सुद ११ को हुआ था । विद्यार्थी जीवन से ही वे गंभीर और शांत स्वभाव के होने से हाईस्कूल के प्रधानाध्यापकने उनको 'श्रेष्ठ विद्यार्थी' (संपूर्ण संतोषकारक वर्तन) का सर्टिफिकेट दिया था । उन्होंने अंग्रेजी का मेट्रिक तक अध्ययन किया था । विद्या में अच्छी रूचि होने से मराठी, उर्दू, संस्कृत और फ्रेंच भाषा का भी उनको ठीक ज्ञान है । दैनिक, साप्ताहिक, मासिक–पत्र वे नियमित रूप से पढते हैं । धार्मिक और साहित्यिक पुस्तकें भी पढते रहते हैं । ये गुजराती एवं अंग्रेजी के अच्छे जानकार हैं । कुमार श्री १५ वर्ष की छोटी उम्र से ही दैनिक डायरी लिखते रहे हैं । १७ वर्ष की उम्र से वे अच्छे वक्ता के रूप में प्रसिद्ध होने लगे ।

किसी भी विषय पर व्याख्यान देने के लिये उनको थोडे ही समय की तैयारी की आवश्यकता पडती है । 'शहंशाही दिल्ली दरबार' नाम की एक पुस्तक भी वे लिख रहे हैं ।

दे. लालसिंहजीने विविध प्रकार के प्रदर्शनों, परिषदों के सम्मेलनों आदि में भाग लिया है । राजकोट में गवर्नर सा.की तरफ से आयोजित एवं दिल्ली में आयोजित सम्मेलन में भी इन्होंने भाग लिया था । ये सनातन हिन्दू धर्म के हिमायती हैं । समाज सुधार के कार्यों में ये अच्छी रुचि रखते हैं । अपनी जाति के उत्थान एवं सुधार के लिये भी ये बहुत प्रयत्नशील रहे हैं । 'श्री क. पा. शुभेच्छुक समाज' का सम्मेलन वीरमगाम में हो, इसके लिये इन्होंने ही आगे आकर भाग लिया था । रीसेप्शन कमिटी के वे प्रमुख थे । 'समाज की मेनेजिंग कमिटी' के तथा बावला 'नीति वर्धक पुस्तक शाला' के भी वे प्रमुख रहे हैं । सं. १९६८ के अकाल के समय बनी ढोरों की संकट निवारण कमिटी के वे उपप्रमुख रहे थे और ऊंझा में उमिया माताजी के लगने वाले प्रथम मेले में इन्हीं की अध्यक्षता में धार्मिक भाषण हुए थे । उसमें उन्होंने भी सुधार विषयक एक स्मरणीय भाषण दिया था । बहुत सी सभाओं में उनके भाषण होते हैं और उत्साहपूर्वक सुने और पढे जाते रहे हैं ।

धैर्य, शांति, गंभीरता, विद्वता आदि जो गुण एक विद्वान में होने चाहिये वे सभी गुण इनमें पाये जाते हैं । वे किसी भी प्रकार के दुर्व्यसन से भी दूर है । समाज एवं जाति के सुधारके प्रति उनका अच्छा झुकाव है ।

वीरमगाम में रहने वाले मारफतिया देसाइयों के कुटुम्ब प्राचीन समय से ही इज्जतदार एवं जमींदार रहे हैं । उनके पूर्वज वीरमगाम तहसील एवं उसके आसपास के कितने ही स्थानों से चुंगी एवं लगान आदि वसूल करके सरकार में भरते आये थे, जिसमें से कुछ हिस्सा और हक उनको मिलता था । परन्तु बाद में अंग्रेज सरकार द्वारा सं. १८७३ के बाद चुंगी, पशु क्रय-विक्रय कर आदि बंद कर दिये जाने से इस प्रकार की आय एक दम घट गई थी । उस समय अन्यों की तरह इन मारफतिया देसाईयों को भी दे. नरहर भक्तिदास तथा हरजीवन वल्लभदास के नाम से ३३०० रू. तक की वार्षिक आय निश्चित कर दी गई थी; जो कि १० वर्ष तक नियमित देते रहने के बाद आधी कर दी गई थी । सं. १९१७ में यह रकम दस गुनी करके लगभग १६-१७ हजार रू रोकडा देकर वार्षिक आय देना बंद कर दिया गया । इसके अतिरिक्त इस कुटुम्ब के देसाइयों के पास दो गाम थे जिनके एवज (बदले) में सरकार में अमुक रकम भरनी पडती थी । परन्तु बाद में ये गाम भी सरकार को सुपुर्द कर देने पडे थे । इतना होते हुए भी इस कुटुम्ब के पास जमीन- जागीर रही है । सुधार कार्य के लिये आज भी यह कुटुम्ब दिलोजान से सक्रिय है ।

गुजरात के पाटीदारों की सामाजिक स्थिति

- कुलीनता के दोनों रूप – वरदान तथा अभिशाप
- छप्पन का अकाल तथा सुधारों का पुनर्मार्जन
- मृतप्रायः बने हुए सुधारों का पुनरुध्धार

अहमदाबाद शहर को गुजरात की राजधानी बनाने के बाद यहां के स्वतंत्र सुल्तानों ने इसे समृद्ध और सुखी बनाने की ओर विशेष ध्यान देना शुरु किया। यहां की शांति व समृद्धि को देखकर दूर–दूर से गांवों के लोग यहां आकर बसने लगे। परन्तु शहर के मुसलमानों की संख्या अधिक होने से हिन्दुओं को जगह कम मिलने लगी। यह देखकर कई मुसलमान सरदारोंने अपने नाम से शहर के बाहर जाकर उपनगर बसाये जिनमें कई गरीब लोग आ–आकर बसने लगे। इससे नगर एवं उपनगरों में धंधे–व्यवसाय का विकास हुआ। उस अरसे में शहर के आसपास के उपनगरों में भी समृद्धि बढने लगी। नगर के चारों ओर ११० उपनगर हो गए थे। केवल उस्मानपुरा में ही १२००० दुकानें थी।[१] जो लोग बाहर से आकर बसे थे, उनमें कडी इलाके के कणबी तथा पाटण शहर के क्षत्रियों एवं छोटे–बडे व्यापारियों की संख्या अधिक थी। मोहम्मद बेगडा की चांपानेरकी विजय के बाद चांपानेर की प्रजा का बडा हिस्सा भी इस शहर में तथा उपनगरों में बसने के लिये आने लगा। इस प्रकार व्यापार–वृद्धि एवं संख्या–वृद्धि के साथ साथ कृषि की उपज भी बढने लगी।

परिस्थिति में सुधार

अहमदाबाद के मुस्लिम शासकों ने अपने आमोद–प्रमोद के लिये बाग–बगीचों एवं वृक्षारोपण पर अधिक ध्यान दिया था। आम जनता के साथ खेती करनेवाले कणबियों की आर्थिक स्थिति भी अच्छी होने लगी। जिनके पास जमीन व खेती के साधन नहीं थे, वे कणबी शहर में आकर व्यापारियों के साथ सम्बन्ध बनाकर अपना धंधा–व्यापार जमाने लगे। कई कणबी धीरे–धीरे जरी का और बुनाई का काम सीख गए और बाद में स्वतंत्र रूप से अपनी जरी का व बुनाई का कलात्मक कपडा आदि दूर–दूर बिकने के लिये भेजने लगे। सिंधिया, गायकवाड, होल्कर, निजाम विगैरह के दरबार में भी उनके कलात्मक कार्य की प्रशंसा होने लगी। एक गज कलात्मक कपडे के उन्हें ३००–४०० रूपये मिलते थे। बाद में तो यूरोप आदि देशों में भी

उनका माल जाने लगा जिससे वे व्यापार एवं उद्योग की दृष्टि से इतने समृद्ध हुए कि वे महाजन और सर्राफ का काम भी करने लगे ।

नगर के गृहस्थ कणबी समृद्ध होने के साथ–साथ नीतिमान, दानशील, एवं उदार थे । दूर–दूर से आए हुए अतिथियों की निःस्वार्थ भाव से वे सेवा करते थे । शहर के अधिकारी वर्ग में भी उनकी अच्छी प्रतिष्ठा थी ।

वे अवसर पडने पर अपने जमींदार राजनैतिक सम्बन्धियों को उनके राज्य–कार्य में भी सहायता करते एवं आवश्यकता पडने पर यथायोग्य रुपये भी उधार देते थे । उनके ऐसे कई सदगुणों के कारण उनके यहां देसाई आदि जागीरदार–वर्ग अपनी बेटियां देने के लिये तैयार रहते थे और बडे प्रेम भाव से ऐसे सम्बंध हुए भी । क्यों कि दूर–दूर से आकर नगर–उपरनगरों में बसे हुए कणबी उस समय समृद्धि की सर्वोच्च चोटी पर पहुंच गए थे । देसाईयों से इस प्रकार का सम्बन्ध करने वाला पहला एक परिवार अमहमदपुरा (हेमतपरा) का था । अपने से बडों के साथ सम्बन्ध जोडने में कणबी पहले से ही कुशल थे । वे बडे भले एवं दूसरों का आदर करने वाले थे ।

वैवाहिक सम्बंधों में उतार–चढाव

देसाई जमींदारों–जागीरदारों के अतिरिक्त अन्य परिवार भी अहमदपुरा के रईस कुटुम्ब से अपना रिश्ता जोडने तथा अपनी बेटियां देने के लिये लालायित रहने लगे । वीरमगाम एवं पाटडी के जमींदार जहां अपनी बेटियां देते हैं वहां हमें भी देना चाहिये–इसीमें हमारा गौरव है, इस भाव से, तथा गांवों में रहकर रुपये कमाकर अच्छी स्थिति होने से अन्य भाईयों में अपना सम्मान अच्छा रहेगा– इस लोभ में और विशेषकर गांव की बजाय शहर के धनी परिवार में अपनी बेटी अधिक सुखी होगी–इस लालसा में आसपास के कई कणबी लोग इस परिवार में अच्छे दहेज के साथ कन्याएं देने लगे । हेमतपरा के एक ही परिवार में जमांदारों के बडे काफिले के लिये पर्याप्त लडके न भी मिल सके –और ऐसा स्वाभाविक है, अतः लडकों की कमी पडने लगी । अंततः हेमतपरा के इस परिवार ने अपने से संम्बन्धित अन्य अच्छे परिवारों के साथ उनके संबंध कराना प्रारंभ किया । इससे सात बडे परिवार भी प्रसिद्ध हुए तथा कन्या देने के लिये हेमतपरा के परिवार के साथ इनकी भी गिनती होने लगी । तब के इन आठ परिवारों के आठ घराने बने और वे आठ घराने अपने बढिया रीति–रिवाजों के कारण सम्मान पाते रहे ।

प्रति दस वर्ष के पश्चात् आने वाली लग्न की मौसम में कन्याओं के पिता इन आठ घरों में वर (लडका) प्राप्त करने के लिये तत्पर रहने लगे । वर के पिता को गुप्त रूप से बढिया से बढिया सौगात देने लगे । शादी के मौसम में अपनी कन्या व्याहनी ही चाहिये–ऐसे आग्रह के कारण जब सभी गृहस्थियों को इन आठ घरों में से वर पाने में कठिनाइयां होने लगी, तो उन्हीं के नगरों–उपरनगरों के अन्य योग्य परिवारों में इन आठ घरानों के मुखियाओं की सहमति से संबंध होने लगे। उन आठ घरानों के श्रेष्ठ रीति–रिवाजों का अनुकरण अन्य घरानों ने भी करना शुरु कर दिया। उन्होंने भी अपने यहां पाटडी, वीरमगाम, दशकोशी, भाल आदि स्थानों से आने वाले कन्याओं के पिताओं का यथोचित आदर–सत्कार किया और उनका स्नेह संपादित किया । फिर शहर के आसपास के जिन–जिन मुख्य एवं अग्रणी लोगों का शहर की अदालतों में आने जाने का बार–बार काम पडता था, उनका भी आदर–सत्कार करके वे यश के भागी बने । उनके ऐसे प्रेमपूर्ण व्यवहार से पांच–सात मौसमों के बाद इन्हीं परिवारों में कन्या देने की प्रथा दृढ हो गई ।

इस प्रकार शहर और उपनगरों में बसने वाले परिवारों के लडके ऊंचे (कुलीन) माने जाने लगे । उनके बुजुर्गों का अपने यहां कन्या देने वालों के प्रति सम्मान व समभाव से पेश आना अब दिन ब दिन घटने लगा । उनके लडके भी एक कुलीन घराने के होने के नाते ज्यादा सम्मान पाने के कारण कन्यावालों को हेय समझने लगे। ऐसे वर्ताव से उनमें एक प्रकार का घमण्ड उत्पन्न होने लगा। वैसे वे धंधे – रोजगार में भी समाज में अन्य लोगों से बढकर थे । उन दिनों जब ऊंझा से लग्न निकालते तब पहले असारवा में बसे वस्ता घेलजी पटेल के पूर्वजों के यहां लग्न का न्योता सर्वप्रथम आता था । वे सभी कणबियों को असारवा में इकठ्ठा करते और लग्न की तिथियां पढी जाती, फिर उसी के अनुसार सब व्याह तय होते ।

फिर से परिस्थिति में परिवर्तन

परन्तु शांति और समृद्धि का यह दौर अधिक नहीं चल पाया और सत्ता परिवर्तन के कारण फिर से युद्ध और अराजकता का वातावरण गुजरात में फैलने लगा। लूटमार की इन परिस्थितियों का फायदा उठाकर कई हिन्दू कणबियों ने नगर के गरीब मुसलमानों के घर खरीद लिये और वे नगर के भीतर रहने लगे। कुछ कणबी पाटडी, सूरत, बडौदा आदि शहरों में अपने सम्बन्धियों के पास चले गए और धीरे धीरे व्यवसाय–जमीन आदि की सुविधा मिलने पर वहीं बस गए ।

सं. १८०९–१० अर्थात ई. स. १७५१–५३ में रघुनाथराव पेश्वा और दामाजी गायकवाड ने एक वडी सेना के साथ अहमदाबाद पर चढाई कर दी । वे डेढ वर्ष तक घेरा डाले पडे रहे । उनके सैनिकों ने बाहर की बस्तियों और गावों को लूटा और मकानों में लगी हुई लकडी को उखाड–उखाड कर जलाने में उपयोग कर लिया। उन दिनों लग्न का पडा स्वीकारने वाले वस्ता घेलजी वाले भी असारवा से निकल कर शहर के शाहपुर कस्बे में जाकर रहने लगे थे । अतः अब लग्न पत्रिकाएं असारवा की बजाय अहमदाबाद शहर में आने लगी । लग्न को बंधानेवाले इस परिवार की स्थिति भी अब पहले जैसी नहीं रही थी । फिर जाति का जो वर्ग देसाई–जमींदारों की सहायता से धनाढ्य बना था और नगर में अग्रणी माना जाता था, उसने भी लग्न आदि को बंधाने में हाथ बंटाया और सीधे अपने यहां ऊंझा से लग्न का न्योता मंगवाकर पढने लगा ।. . . और इस प्रकार एक नई प्रणाली शुरु हो गई ।

ई. स. १७९९ (सं. १८५५) में विवाह का मौसम आया तब तक कुलीन घरानों की आर्थिक स्थिति गिरी हुई होने से चांल्ला के रूप में सिर्फ ५१ रूपये लिये जाते थे । दस वर्ष पश्चात् शहर में बसे कुलीन कणबी कुछ अच्छी स्थिति में आ गए और ई. स. १८०९ (सं. १८६५) में फिर से लग्न धूमधाम से हुए । चांल्ले की रकम ५१ की बजाय १०१ रू. तक पहुंच गई ।[१]

मराठा शासन की अराजकता का ६० वर्ष का काल बीता और ई. स. १८१७ में बाजीराव पेश्वा को हराकर ईस्ट इण्डिया कंपनी ने सारा शासन अपने अधिकार में कर लिया । उसके साथ गुजरात भी अंग्रेजी शासन में चला जाने से अव्यवस्था का वातावरण शांत हो गया । इससे आबादी बढी, उद्योग–धंधा–व्यापार में भी वृद्धि हुई । जनता फिर से समृद्ध होने लगी । बाहर गए हुए कई कणबी पुनः शहर में लौट आए । ई. स. १८२० (सं. १८७६) में जब लग्न निकले तब कंपनी सरकार की हुकुमत में सुख और शांति होने से कुलीन घरानों की हालत अच्छी हो गई थी । अतः कन्याओं के पिताओं से चांल्ले के रूप में रु. २०१ लिये जाते थे ।[२] इन दिनों कुलीन घरानों की आर्थिक स्थिति सुधर गई थी, फिर भी उनका रहन–सहन पहले जैसा नहीं रह गया था ।

१. गुजरात सर्वसंग्रह – पृ. ४४८

२. रा. ब. शेठ बहेचरदास की सरकारी रिपोर्ट

कुलीनता के दोनों रूप – वरदान तथा अभिशाप

स्वतंत्र सुलतानों के समयमें जनता का बढा हुआ वैभव १६वी सदी के अंतमें नष्टप्रायः होने लगा, उसी के साथ उसके इर्द–गिर्द के उपनगरों तथा शहर में बसे हुए कुलीन कणबियों की आर्थिक हालत भी अन्दर ही अन्दर बिगड चुकी थी, किंतु बेटों को पहले जैसा ही सम्मान देना चालू ही रखा, इससे अपने विशेष गुणों से यशस्वी कणबियों के पूर्वजों की बनाई हुई परिपाटी को पूर्ण रूप से मानने वाले पाटीदारोंके इन घरानों को लम्बी कुलीनता मिल गई, जो मराठा शासनकी अराजकता के काल में भी धुंधली नहीं पडी। बाद में जब ईस्ट इण्डिया कंपनी के हाथों में गुजरात का शासन आया और चारों ओर शांति फैली तो अहमदाबाद शहर फिर से समृद्ध होने लगा। उसके साथ ही नगर में बसे हमारे कुलीन घरानों की स्थितिने भी नया रूप धारण किया। जैसे–जैसे आर्थिक हालात सुधरती गई, कई घरानों की कुलीनताने नये–नये रूप धारण किये। फिर भी उन्हें बेटियां देनेवाले देसाई, पटेल, अमीन, जमींदार–जागीरदार, गांव के मुखियां आदि उनके प्रति बडा आदर–सम्मान रखते थे। परिणाम यह हुआ कि उनमें लोभ का दुर्गुण घुस गया। उन्होंने अपने उत्तम गुण त्याग दिये। उन्हें 'हम श्रेष्ठ हैं' ऐसा एक प्रकार का घमण्ड होने लगा। जिसका परिणाम यह हुआ कि उनकी 'भाग्यश्री' भी उनसे रूठने लगी।

लोभ का पसारा

उस समय ई. स. १८३० (सं. १८८६) में लग्न निकले। सभी के व्यापार–धंधे अच्छे चलने लगे थे, अतः सभी कणबी समृद्ध थे। नगर में बेटियों का सम्बन्ध तय करने के लिये आने वाले मां–बाप ने लडका योग्य है या नहीं अथवा ब्याहमें आयी हुई कन्या उत्तम है या नहीं – यह देखना–परखना सब छोड दिया। सभीने लोभवश अपनी तिजोरी भरने की तरफ ही ध्यान दिया। जो ज्यादा धन दें, वही लडका ले जाता। इस बार जब लग्न निकले तो वर पक्ष वालोंने कन्या के मां–बापों से २०० से ४५० रुपये मांगे, और वे मिले भी। अपने दामाद दूल्हे को पूज्य मानकर कन्यादान देनेवाले अपनी स्थिति के अनुसार जो दान–दहेज देते थे, वह अब स्वैच्छिक नहीं रहा, एक प्रकार का नियम ही हो गया। फिर तो बडी–बडी रकमों की मांग होने लगी। दामाद के सगे–सम्बन्धियों को भी जो भेंट–सौगात मिलती थी उसमें भी बढौती होने लगी।

विवशताओं में निन्दनीय प्रथाओं का जन्म

इस प्रकार कन्याओं के पिताओंसे अधिक से अधिक रुपये ऐंठने की निन्दनीय प्रवृत्ति बढ गई। जिन कुलीन घरानों में बहू और बेटी को समान सम्मान दिया जाता था; जड लक्ष्मी से अधिक चेतन लक्ष्मी अर्थात् पुत्रवधू को अधिक महत्त्व दिया जाता था, उन्हीं परिवारों में अब केवल धन के लिए बहुओं के ऊपर कई प्रकार के जुल्म होने लगे। दहेज के नाम पर बेचारी अनाथ बालिकाओं पर सितम ढहाने लगे, क्यों कि लेन–देन के रिवाजने अपना रूप बदला था। अहमदाबाद नगर में ही बेटियां देना जिन परिवारों ने प्राचीन काल से तय किया

था, और जिन के पूर्वजों ने अपने सामर्थ्य से भी अधिक खर्चे किये थे, उनकी आगे आने वाली पीढी को अपनी पुत्रियों के लिए अब रईस दामाद महंगे पडने लगे। कईयों को तो मिल भी नहीं पाये। अतः लोगोंका फूल का दडा तथा बाहर का दामाद न चाहते हुए भी लेने का गौरवहीन रिवाज का आश्रय लेना पडा।

फिर भी नगर के कुछ घरानों में कन्या देने की पुरानी प्रथा उन्होंने चालू रखी। इस प्रकार उनकी पूर्णतया बरबादी हुई। अपनी आन को बचाये रखने के लिए कर्ज कर के अपनी पुत्री चाहे डेढ महीने की हो तो भी व्याह देते तो दूसरे लग्न के अवसर पर उसी कन्या का श्वसुर अपने बेटे को अन्यत्र व्याह कर दहेज से अपनी थैली भरता था। पहले की बहू को वर बुलाये नहीं, छोडे भी नहीं और खुराकी भी नहीं देवे। इस प्रकार उसकी सारी जिंदगी बर्बाद कर देवें। तब से तलाक लेने-देने का यह अनाचारी रिवाज चालू हो गया। पहले व्याह में जो रुपये खर्च हुए वे तो बरबाद हुए ही, अब अपनी बेटी के लिए नया वर ढूंढने के लिए फिर नया खर्च करने की बडे शरमवाली प्रथा को मजबूरन स्वीकार करने के अलावा अब और कोई चारा ही न रहा।

कन्या को सुख नहीं

दस साल के बाद ई. स. १८४० (सं. १८९६) में लग्न निकले तो वर का दहेज रु. ६०० की ऊंचाई तक पहुंच गया। तो भी आसपास के गांवों से वर को ढूंढने आने वालों की कतारें लग गई। इस प्रकार सैकडों रुपये खर्च करने के बाद भी बेटी को सुख फिर भी नहीं मिलता था। सगाई के समय सेही कई तरह की लेन-देन में झगडे होते रहते और व्याह के बाद बडे लाड-प्यार में पली हुई बेटी शायद ही हंसता चेहरा लेकर अपने मैके आती। साधारण लोगों की ही नहीं; जमींदार-जागीरदार या बडे राय साहब की कन्या को भी अपने ससुराल में शायद ही सुख मिलता था।

बालिका-हत्या दुर्गण का समाज में जन्म

इस प्रकार की विकृत परिस्थिति के कारण पाटीदार परिवारों में बेटी का जन्म होना आपत्तिओं का आना समझा जाने लगा। किसी के यहां लडकी होने पर उस बेचारी प्रसूता स्त्री की प्रताडना होने लगती। जन्मी हुई पुत्री की कोई परवाह भी नहीं करता था। लडकी को पत्थर समझकर उसकी अच्छी देखभाल भी नहीं होती थी। कई कुओंमें से ताजा जन्मी बच्चियों की लाशें मिलने लगी, अथवा अक्सर सुनने को मिलता कि अमुक घर में जन्मी बेटी कल तो भली-चंगी थी और आज मर भी गई! अर्थात् बच्चियों को जान बूझ कर मौत के हवाले किये जाने का शक आम जनतामें फैलने लगा। दूसरी जातियों में बेटियों को दूध में डुबा देने की प्रथा होने के कारण अब कडवा कणबियों की जाति में भी ऐसा होने का शक मजबूत होने लगा। और इस प्रकार बालिका-हत्या की कई खबरें अंग्रेज सरकार के ध्यानमें आने लगी।

ई. स. १८३९ में गुजरात के ज्यूडीशियल कमिश्नर सिविल सरवन्ट मि. हट साहब थे। उनके कार्यालय में बच्चियों की हत्याएं होने के कुछ मुकद्दमें आए थे। इनके बारे में जांच–पडताल करने पर भिन्न–भिन्न जातियों के लोगों को पूछने पर बालिकाओं की हत्या होने की खबरें मिली थी, किंतु ठोस सबूतों के बिना इन हत्याओं को साबित करना नामुमकिन था। ई. स. १८४० में 'पश्चिम हिन्दुस्तानमां बालकी हत्या दाबी देवानो इतिहास' (History of the Supression of Infantacide in Western India) ग्रंथ के लेखक को काठियावाड के आसिस्टंट पोलिटिकल मे. मेजर ऐच. ऐस्टन साहब ने बालिका हत्या की बात सर्वप्रथम बताई थी। इस बारे में वे स्वयं तथा रेवरन्ड जे. एम. मिचल साहब दोनों कडी तहसील में गए थे। वहां अमीन जैसिंहभाई से मिलकर उनके साथ रहकर जांच करने पर इस बारे में उनको कई तथ्य मिले थे। मि. वेब साहबने भी इस बारे में जांच की तो यह हकीकत सत्य जान पडी।

सरकार द्वारा जांच का आदेश

इस प्रकार अहमदाबाद तथा खेडा जिले के कृषिवर्ग में ऐसा बालिका–हत्या का भयंकर रिवाज गुप्तरूपसे चल रहा है – यह जान कर बम्बई सरकार चौंक उठी! तब सरकारने २० सितम्बर ई. स. १८४८ को सदरहु अदालत के जजों को आदेश दिया कि उनके मातहत मैजिस्ट्रेटों को इस बारे में जांच कर रिपोर्ट करने का हुक्म दे। इस जांच पडताल में रा. ब. शेठ बहेचरदास लश्करी ने अंग्रेज सरकार की बडी सहायता की थी। तबसे लडके–लडकियों की गिनती करने का काम शुरु हुआ। संदेहवाली कौमों के अमुक हिस्सोंमें से ७१,४७० लडके तथा ५१,७०३ लडकियों की संख्या प्राप्त हुई। फिर, अहमदाबाद के कलेक्टर श्री फोसेट साहब की रिपोर्ट के अनुसार उस अरसे में लडकियों के जन्म मृत्यु के आंकडे निम्न प्रकार मिले –

परगना	इ. स. १८४६		ई. स. १८४७		ई. स. १८४८	
	जन्म	मृत्यु	जन्म	मृत्यु	जन्म	मृत्यु
दशक्रोई	११५	१०९	१३४	१०६	१३६	८७
जेतलपुर	५९	३९	६८	३९	७३	२७
धोलका	७९	७	७०	१५	११३	२२
कुल	२५३	१५५	२७२	१६०	७२२	१३६

उपर्युक्त रिपोर्ट से अलग–अलग यूरोपीयन अफसरों के लेखों से एवं कन्याओं की मृत्यु–दर से अंग्रेज सरकार का यह संदेह और दृढ हुआ तथा उसने अहमदाबाद जिले के कलेक्टर श्री फोसेट साहब को इसके बारे में जांच करने का आदेश दिया। इस के लिए ई. स. १८४८ के जनवरी महीने में माननीय ठाकरसी पूंजाभाई मजिस्ट्रेट साहबकी नियुक्ति की गई और जांच का काम शुरु हुआ।

पहले दशक्रोई तहसील के गांवों के कणबियों को बुलवाया गया। जनवरी, दि. २८, १९४८ के दिन उनसे पूछने पर उन्होंने जो बताया, वह इस प्रकार था –

ऊंझा में हमारी कुलदेवी जो उमिया माताजी हैं, उन के समक्ष प्रति दस वर्ष चिट्ठियां डाली जाती हैं। उनमें से जो तारीख आती है, वही तारीख हमारी जाति में लग्न का दिन तय होता है। उस दिन महीने भर के सभी बच्चों की शादी कर दी जाती है। अहमदावाद में हमारे पांच-छह हजार घर हैं, जिनमें आपस में बेटियों का लेनदेन होता रहता है; किंतु पाटण, वीरमगाम, दशक्रोई, देहगाम, जेतलपुर, धोलका आदि तहसीलों के लोग अपनी बेटियां नगर में देते हैं।

चालीस साल पहले वर के पिता को रु. ७५,१००,१५० तथा २०० तक टीका मिलता था, किंतु अभी रु. २५०, ४५० तथा ६०० तक का टीका देना पडता है। १०-२० रुपये श्रीफल बांटने के, ७५ रुपये लडकी को ससुराल भेजने का मुहूर्त निकलवाने के तथा शेष भेंट सौगात की बडी रकम देनी पडती है, फिर खाने खिलाने का खर्चा अलग। यह सारा खर्च कन्या के पिता के सर पर होता है, जबकि दूल्हे के पिता के केवल बारात के २५ रुपये खर्च होते हैं। इसके अलावा कोई खर्च नहीं होता। शहर का कुलीन माना जाने वाला अधिकांश वर्ग जुलाहे का काम या नौकरी करता है। व्यापार आदि करनेवाला वर्ग बहुत कम है।

हम गांव के लोग इतना भारी खर्च उठाने की स्थिति में नहीं हैं। अतः जिसके यहां दो-तीन लडकियां होती हैं, वह बडा परेशान होता है। ऐसे लोग खर्च उठा नहीं सकते या बरबाद हो जाने के भय से अपनी बेटियों के प्रति विशेष लगाव नहीं रखते। जिन स्थानों पर हमें बेटियां देनी होती हैं, उनसे अन्यत्र हम दे नहीं पाते। अतः ४०० रुपये टीके के तो देने ही पडते हैं। शायद बाहर का वर पक्ष १०-२० रुपया अधिक भी खर्च करता हो, किंतु इज्जतवाले लोग वैसा नहीं करते। ऐसे में लडकियों की परवरिश सही ढंग से नहीं होती।

इतना भारी खर्च करके हम दो तीन महीनों की छोटी उम्रवाली बेटियों को फिर भी व्याहते हैं, लेकिन दूसरे लग्न आने पर दूल्हे का बाप अपने बेटे को पैसों की लालच में ५००-६०० रुपये लेकर उसे दूसरी जगह ब्याह देता है। पहली पत्नी को खाना-कपडा आदि देते नहीं हैं, और रखडाते हैं-ऐसी कई परेशानियों के कारण बच्चियों के प्रति किसी के दिल में ममता नहीं होती।

इसलिए हम सबकी यह अर्ज है कि १००-२०० रुपये तक का टीका तय कराकर अन्य खर्चे भी कम करवा दीजिए। पहली पत्नी की उम्र तीस साल होने पर भी यदि संतान न होती हो (अपंग के लिये छूट हो) तो ही वह दूसरी औरत कर सके। यदि वह ऐसा करे तो पहली औरत के बापने जो टीके की रकम दी हो इतनी कीमत के गहने तथा यदि वह गरीब हो तो सालाना कम से कम ३२ रु. खुराकी के देता रहे। बिगैर टीका की लडकी को १०० रुपये तक के जवेरात तथा अन्न देता रहे।. . . ऐसा प्रबंध कर दीजिए। हममें आपसमें मेल नहीं है, अतः बिना सरकारकी मदद लिए कोई भी नियम या कानून बनाकर हम उसका जबरन पालन नहीं करा सकते। फिलहाल टीके (चांल्ला) की रकम २०० रुपये तक तय करवा दी जाय तो भी चलेगा।

उपर बताए गए दशक्रोई तहसील की तरह ही जेतलपुर, धोलका आदि सभी परगनों के बडे-बडे गांवों के कणबियों को बुलाकर उनसे भी पूछा गया था और उन सबके बयान लगभग एक-से थे।

इनके अतिरिक्त कुछ अधिक बातें मालूम हुई जो इस प्रकार थी -

हमारे में किसी के यहां अधिक बेटियां पैदा होती हो और उसके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी न हो, तब भी कोई अपने हाथों अपनी बच्ची को मारता नहीं है, किंतु जैसे भैंस को पाडी आए तो उसे दूध पिलाकर लोग पालते हैं और पाडा आने पर उसे कोई पालता नहीं है, बस उसी

तरह बेटियोंका भी ऐसा हाल हो जाता है कि उसमें वह तडत–तडप कर मरने को मजबूर हो जाय । लग्न आने पर बच्चो की शादी तो करनी ही पडती है । उन्हे कुंवारे तो रख नहीं सकते । पुत्रियां अधिक होने पर भी बाप अपने सामर्थ्य के अनुसार घर–बार या जमीन बेचकर भी उनकी शादी करते हैं और स्वयं बेबस हालत में गरीबी का जीवन जीते हैं । पहली औरत को ससुराल वाले बुलाते भी नहीं हैं, खुराकी भी नहीं देते हैं, उल्टे उसकी मार पीट करते हैं, उस पर जुल्म व सितम ढाते हैं । ऐसी फरियादें लेकर कोर्ट में आना हमें शोभा नहीं देता । ऐसी परेशानियों के कारण बेटियों के लिये हमारे दिल में प्रेम नहीं होता । उनके बीमार होने पर उनको कोई दवा भी नहीं देता है । अतः आप से अनुरोध है कि हम जिन्हे अपनी बेटियां देते हैं, उनके घर अच्छे वातावरण का प्रबंध करवाएं । फिर हम भी वैसाही करेंगे, जैसा आप कहेंगे ।

दि. ३१–१–१८४८ के दिन हम असारवा, जेतलपुर, कनीज, सरखेज लाली, रखियाल, नरोडा, बावला, साणंद, आंबलियारा, केलियावासणा आदि गांवों के पाटीदार यह लिखकर देते हैं कि मा. सरकार ने २०० रुपया टीका देना ठहराया है, जो हमें कबूल है । नेग (करीयावर) का जो ठहराव किया वह पहले से कम है । हमें अभी भी २०० रुपया टीका अधिक पडेगा, अतः हम आपसमें ही बेटियां लेने देने का विचार कर रहे हैं । खर्च बिलकुल कम रखेंगें । लेकिन इसके लिए हम कडी तथा गोजारिया के अमीनों, वीरमगाम तथा पाटडी के देसाइयों से मिलकर अलग ठहराव करके आपको सुपुर्द करेंगे ।

इस प्रकार अहमदाबाद के दशक्रोशी भाल के प्रमुख गांवों के नेताओं को तथा शहर के मोहल्लों के नेताओंको बुलवाकर उनके बयान लेकर जांच पडताल कर उनसे हस्ताक्षर लेकर पूरी रिपोर्ट श्री ठाकरसीभाई मजिस्ट्रेटने अहमदाबाद कलेक्टर श्री एडवर्ड गार्डिन फोसेट साहब को भेज दी ।

मेजिस्ट्रेट की रिपोर्ट

कणबियों की जाति में प्रति दस साल बाद एक ही मिति को लग्न निकलते हैं । तब सभी को अपने कुंवारे सब बच्चों को ब्याहना पडता है । उनमें हर एक का एक कन्या के पीछे २५० से ६०० रुपये तक खर्च होता है । किसी को दस साल में तीन चार पुत्रियां हुई हो, उन सभी के ब्याहमें १६०० रुपये तक तो दूल्हे के बाप को ही देना पडता है और भोज आदि का खर्च तो अलग ! ये लोग गरीब कृषक हैं, लेकिन बडे आबरूवाले हैं । अतः लग्न आने पर सभी बेटियों की शादी करनी ही चाहिए, वर्ना आबरू चली जायेगी... ऐसा उनका दृढ विश्वास है । एक ओर पैसों का तो अभाव पहले से होता ही है । ऊपर से इन शादियों में भारी खर्चा करना पडता है । इसीलिए उन्हे बेटियों पर अधिक ममता नहीं होती । इस कारण नगर के अतिरिक्त धोलका, दशक्रोई तथा जेतलपुर परगने के लोगों को बुलाकर खर्चा कम करने के लिए मनाया गया है । किंतु वे माननीय सरकार की सहायता के बिना विवश हैं, ऐसा बताते हैं । नगर के लोगों के बयान लिये गए हैं । वे भी अपनी पुत्रियों के लिए अधिक ममता नहीं रखते । खर्च कम करने का जो प्रस्ताव हुआ है । उसे वे मंजूर रखते हैं । यह सत्य है कि माननीय सरकार की सहायता के बिना यह प्रबंध नहीं हो सकेगा । अतः बच्चियों पर तरस खा कर उनकी सहायता करनी चाहिए, क्योंकि अधिक खर्चे वे लोग सहन नहीं कर सकते । पिछली जनगणना को देखते हुए अगर तुलना करें तो अहमदाबाद जिले की आबादी में २१ प्रतिशत लडकियां कम हुई हैं, अतः यह संदेह अवश्य पुष्ट होता है कि लडकियों को बेपरवाही से मार डाला जाता है ।

यह रिपोर्ट श्री कलेक्टर साहब को भेजी गई। इसमें खर्च कम करने के प्रस्ताव पर अहमदाबाद के सभी, तथा गांवों के प्रमुख कणबियों के हस्ताक्षर होने से उनका प्रस्ताव माननीय सरकारने मंजूर रखा। इसके आधार पर जो कानून बनाया गया उसका पालन सही ढंग से होता रहे–इसके लिए सरकारने गजेट निकालकर सभी लोगों पर बडा उपकार किया। क्योंकि सन् १८५० में लग्न निकलेंगे, अतः कलेक्टर मि. फोसेट साहबने दि. ७ सितम्बर की स्थानीय अधिकारी की रिपोर्ट के आधार, सभी जगह कानून का पालन ठीक ढंग से होता रहे इसकी हिदायत दि. ३० अक्तूबर ई. स. १८५० के दिन पुलिस अधिकारियों को कर दी।

लग्न–खर्च कम करने के लिये जो सरकारी आदेश निकला वह इस प्रकार था –

हुक्मनामा (जाहिरनामा)

सरकार एडवर्ड लाईट जेन्किन्स साहब एस्क्वायर एक्टिंग मजिस्ट्रेट, जिला अहमदाबाद की ओर से कडवा कणबी जाति के सभी लोगों को सूचित किया जाता है कि तुम्हारी जाति में ब्याह की ऐसी रस्म है कि पाटण परगने के ऊंझा गांव में तुम्हारी कुलदेवी के समक्ष प्रति दस ग्यारह साल बाद लग्न-मिति के लिए चिट्ठियां डाली जाती हैं । उसमें जो मिति निकलती है उस वर्ष में ब्याह करना निश्चित् किया जाता है । ये चिट्ठियां प्रतिवर्ष नहीं डाली जाती । अतः एक महीने से लेकर ग्यारह सालकी उम्रकी सभी बच्चियों का ब्याह करना अनिवार्य हो जाता है । अभी लग्न का मौसम निकट आ रहा है । सन् १८४८ में मजिस्ट्रेट आजम फोसेट साहब के समय में तुम लोगों ने जो निवेदन लिखित रूप में दिया है उससे लगता है कि जाति में पुत्रियों के साथ बहुत भारी अन्याय हो रहा है । 'संवत् १९०१–२ में तुम्हारी जाति की जो जनगणना हुई उसमें कुल पुरुष ३,२९,६०१ हैं तथा स्त्रियां २,६२,४०८ हैं । अर्थात् पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां ६७१९३ कम हैं । तात्पर्य यह है कि इन दो वर्षों में नये जन्मे हुए बच्चों में लडकियां कम मिली हैं, जिससे इस संदेह की स्पष्ट पुष्टि होती है कि हो न हो लडकियों की परवरिश यथोचित ढंग से नहीं होती । उन्हें या तो मौत के मुंह में जान बूझकर धकेल दिया जाता है या उन्हें मरने से बचाने का कोई प्रयत्न नहीं किया जाता और इसी कारण बच्चियों की संख्या प्रति वर्ष कम होती चली जा रही है ।

'अतः इस हुक्मनामे द्वारा सभी लोगों को इतला की जाती है कि तुम लोगों ने सन् १८४८ में जो निवेदन लिखकर दिया था उसी के अनुसार मानने योग्य जो बातें (मुद्दे) तय हुई हैं, उनका ब्योरा निम्न प्रकार है –

१. दूल्हे के टीके में १ रुपये से २०० रुपये तक अपनी सामर्थ्य के अनुसार कन्या का बाप देगा, और दूल्हे का बाप उसे स्वीकार करेगा । इस के अतिरिक्त कुछ भी मांगेगा नहीं । टीके की ७ प्रतिशत रकम कन्या का बाप नगद देगा अथवा माईमटका (मही माटलुं) देगा ।

२. दूल्हा जब ब्याहने आये तब नारियल के जो पैसे देवे उस के बदले बारातवालों को नारियेल देगा, किंतु दहेज में ५ प्रतिशत रुपये से अधिक राशि नहीं लेना ।

३. चवरी में बैठे तब कन्यादान में दूल्हे को टीका (चांल्ला) वर के सुवर्णदान में प्रति सैंकडा ५ रुपये के हिसाब से कन्या का बाप देगा और उसी प्रकार वरका बाप भी दुल्हन को टीका कर के ओढनी के पैसे देगा ।

४. शहर की कन्या का बाप जब उसे ससुराल भेजेगा तब पैर छूने के १ से ७ रुपये तक देगा तथा गांव की कन्या का बाप स्वेच्छा से देगा, किंतु दूल्हे का बाप सात रुपये से अधिक लेने का आग्रह नहीं रखेगा ।

५. शादी-शुदा कन्याकी उम्र ३० वर्ष की होने तक उसका पति दूसरी औरत लाएगा नहीं। तीस साल के भीतर औरत के अपंग होने का ठोस सबूत मिलने पर ही जाति के आगेवान नेताओं से प्रमाणपत्र लेकर दूसरी औरत ला सकता है। यदि तीस साल की उम्र के बाद भी स्त्री को संतान न हुई हो, तो उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं देकर उसका निम्न प्रकार से पालन करे -

१. कोई पुरुष दूसरी औरत लाए तब प्रथम पत्नी के बाप ने जो टीका भरा हो, इतनी कीमत के जवेहरात उसे देगा। इस प्रकार उस औरत के जीवित रहने तक वह उसीके पास रहेगा। फिर उसकी मृत्यु के बाद उसके जवेहरात आदि का मालिक उसका पति बनेगा। दूसरी औरत लाने पर पहली स्त्री अन्य पुरुष से यदि ब्याहना चाहे तो उसे जवेहरात नहीं मिलेंगे। फिर भी यदि पति की अनुमति हो तो वह औरत अन्य पुरुष के घर उन जवेहरातों को अपने साथ ले जा सकेगी।

२. किसी कन्या के ब्याह में उस के बाप ने कोई टीका (चांल्ला) न किया हो, उस औरत का पति यदि दूसरी स्त्री लायेगा तो पहली पत्नी को उसका पति ६०० रुपये जरियान के तथा ऊपर कहे अनुसार अन्न-वस्त्रादि देगा।

यह इकरारनामा तुम्हारी जाति के आगेवान लोगों ने लिखकर दिया है, उसके अनुसार तुम्हारी जाति के सभी लोग चलेंगे, जिससे आपके हानिकारक रिवाज बंद हो जायंगे। शेष आप लोग चैन से रहें तथा अपनी बेटियों के पालन में सभी प्रकार की सावधानी रखें। ऊपर वर्णित दहेज आदि जो बताया गया है, उससे कम लेने देने में आप लोगों को पूरी छूट है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं लेना है। इसके अनुसार न चलकर यदि कोई इसकी अवहेलना करेगा, तो उसे सन् १८२७ के कानून १४ की धारा १ के अंतर्गत वर्णित नियम, के अनुसार गुनेहगार मानकर सजा दी जाएगी।

ता. ३० अक्तूबर, सन् १८५०
रजू - हरसदराय महेतावराय
चिटनीस

साहब के अंग्रेजी हस्ताक्षर

इस प्रकार जाहिरनामा निकालकर सभी जनता को समयोचित चेतावनी दी गई तथा पुलिस अफसरों को भी इसकी जानकारी रखने हेतु उचित सूचनाएं दे दी गई। किंतु इस कानून का कोई उल्लेखनीय अच्छा परिणाम नहीं आया।

१०-१० वर्ष के बाद में आने वाले लग्नों में वर-कन्या के पिताओं पर थोडा बहुत नैतिक दबाव हुक्मनामे का अवश्य रहा। एक-दो ऐसे नियम तोडने से मुकदमे भी हुए, परन्तु पर्याप्त प्रमाणों के अभाव में किसी को कोई सजा नहीं हुई। धीरे धीरे समय की धारा में लोग हुक्मनामे को ही भूल गए।

कन्या-विक्रय दूषण का जाति में प्रवेश

समय ने पल्टा खाया और यही समस्या उल्टा रूप लेकर जाति के सामने खडी हो गई। लग्न की मिति पर लडके का ब्याह होना ही चाहिये - लडकी भले ही

कुंवारी रहे, बाह्यवर से या फूल की गेंद से ब्याही जाय तो ही अपने कुल का सम्मान बना रहेगा – इस धारणा के कारण लडके के पिताओंने कन्या के पिताओं को चवरी की रकम सामने से देना प्रारंभ किया। अब लडकी के पिता वह रकम गुप्त रूप से स्वीकार कर बेटियों को विदा करने लगे। इस प्रथाने कन्या विक्रय की भयंकर समस्या का रूप धारण कर लिया।

कुलीनों के बेटे रुपयों के बल पर अब चाहे जैसी मन–पसन्द कन्या पा सकते थे, किंतु गरीबों के बेटों के लिए समय पर ब्याहना भी मुश्किल हो गया। अतः मध्यम स्थिति के लोगों ने सोचा कि यदि हम अपनी कन्याएं बाहर देने की बजाय आपस में ही देंगे, तब ऐसी स्थिति नहीं आएगी। फिर चाणस्मा आदि गांवों, पाटणवाडा, दंढाव्य आदि स्थलों में मंडली (तड या पट्टी)[१] हो गई। तत्पश्चात् दशकोशी–भाल के पाटीदारों ने भी सोच समझकर अपनी मंडली बनाई जिसमें कुछ छूटें भी रखी और आपस में कन्याएं लेने–देने लगे। समाज की इस अवस्था का अध्ययन करनेवालों को अनायास ही मालूम हो जाएगा कि ऐसी मंडलियां हो जाने से तथा कन्या–विक्रय चालू होने से एक ही मिति को लग्न करनेवाली जाति के गरीब दूल्हों के कैसे हाल हुए होंगे !

अब उच्च वर्ग में कन्याएं जाना बंद हुआ तो उच्च वर्ग से कन्याएं आना भी बंद हो गया। अब अपनी मंडली में जितनी लडकियां थी उनको ही स्वीकारना आवश्यक हो गया। लडकियों के पिताओं को तो फूल की गेंद तथा बाह्यवर की प्रथा का लाभ मिलता था, मगर पुत्रों के बापों को इस रिवाज का लाभ नहीं मिलता था। अतः कन्याएं पाने की समस्या वैसी ही बनी रही और 'कन्या–विक्रय' की समस्या भयंकर स्वरूप धारण करने लगी। गरीबों की संतानें बिन–ब्याही रह जाने लगी और अमीरों की संतानों का ब्याह होता रहा। उन्हें कन्याएं मिल सकती थी। मंडली बनाने वालों ने देसाई तथा अमीरों को कन्याएं देना चालू रखा था। इससे अमीरों को इस आपत्ति से कोई नुकसान नहीं हुआ, मगर गरीब परिवारों तथा शहर के कुछ घरानों को भी इस आपत्ति का सामना करना पडा।

चारों ओर से समाज की ऐसी अव्यवस्था तथा भयंकर अनिष्टकारी आपत्ति का चौंकाने वाला वर्णन पाटडी के तत्कालीन धर्ममूर्ति **दरबार श्री जोरावरसिंहजी साहब** के समक्ष पहुंचाया गया। इससे तथा अन्य भी कई कारणों से समाज के हित में उन्होंने सन् १८६९ के फरवरी महीने में अपने पाटनगर पाटडी में समाज के सभी हिस्सों से जातिबन्धुओं को इकट्ठा किया। इस प्रकार करीब चालीस हजार लोगों की विराट सभा आयोजित हुई। उसमें जाति सुधार के लिये कुछ नियम बनाए गए। जिसका सविस्तर वर्णन नीचे दिया जाता है –

---

१. गुजरात में 'गोल' कहते हैं।

कडवा कणबी की जाति में बेटियों की सुरक्षा हेतु नियम

दरबारश्री का प्रवचन

हम पाटडी दरबार जोरावरसिंह कुबेरसिंहजी हमारे विशाल समाज के सभी बन्धुओं से अनुमति लेकर, नम्रतापूर्वक समस्त समाज को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हमारी पावन गंगा जैसी जाति को बुलाकर उसके दर्शन करने की आकांक्षा हमें कई दिनों से थी । आज आप सभीने हमारे यहां पधारकर कृपा कर के दर्शन देकर हमें कृतार्थ किया हैं । आप सभी से मैं अनुरोध करता हूं कि

१. हम सभी भाई एक ही दर्जे के हैं । छोटा बडा कोई नहीं है । फिर भी ऊंच नीच का भेद है । जिससे बेटियों की सुरक्षा नहीं होती है, ऐसा अनर्थ होने के कारण मैं अपनी बुद्धि के अनुसार यहां कुछ मुद्दे पेश करतां हूं । जिन पर सभी भाई मिलकर विचार करें और इस अनर्थकारी प्रथाको बंद करने के उपाय करें; साथ ही ऊंच नीच के भेदभाव को भी जाति से निकाल बाहर करके आपस में समभाव से मिल-जुल कर रहें -

२. हमारे समाज में मंडलियां बनाकर सर के बदले सर कन्या देना (साटे का सकपण) बडा शोचनीय है । इस प्रथा को बंद करके हमारे पूर्वजों द्वारा बनाए हुए पारंपरिक रिवाजों के अनुसार हमें चलना चाहिए ।

३. ऐसा सुनने में आया है कि हमारे समाज में कई जगह कन्या का विक्रय हो रहा है । यह बडा अधर्म है। इस कुप्रथा का अंत होना चाहिए ।

४. हमारे समाज में बिना किसी कारण के, बहूका त्याग (तलाक) होता है, जिससे कई अनिष्टकारी परिणाम आते हैं, अतः ऐसी प्रथा भी बंद होनी चाहिए ।

५. हमारी जाति में पुनर्लग्न का रिवाज प्रारंभ से चालू है किंतु अब तो (पत्नी के) बिना किसी अपराध के और धर्मशास्त्रों की अवहेलना करके पुनर्लग्न होते हैं, यह बात अनिष्टकारी है। इसमें सुधार होना जरुरी है । औरत पचीस सालकी होने पर भी उससे कोई औलाद न होती हो, या किसी रोगादि के कारण वह गृहस्थाश्रम के लिए योग्य न रही हो, तो ही उसको त्याग कर दूसरा विवाह करना चाहिए । और वह भी जिले के समाज के अग्रणियों से अनुमति लेकर उस औरत की आजिविका का पूरा प्रबंध करके ही करना चाहिए।

६. हमारे समाज में कई जगह दूल्हे का टीका लिया जाता है, परन्तु कम ज्यादा टीका लेने से, समाज में ऊंच नीच का अंतर बढ गया है । उसे दूर करके समान व्यवस्था बनी रहे-इस प्रकार टीका लेने-देने का नियम बनना चाहिए ।

७. हमारे समाज में वेवाई–वेवाण (समधियों) को बुलाकर या उनके सगे सम्बन्धियों को ध्यान में रखकर रुपये देने की जो प्रथा चल पडी है। उससे कई प्रकार की समस्याएं खडी होती हैं। कन्या को विदा करने और पीहर वापस बुलाने में अडचनें आती हैं – नुकसान होता है। इसके लिए भी कोई निश्चित नियम बनना चाहिए।

८. हमारी जाति में कन्या की सगाई करके रुपया और सात सुपारी कन्या का बाप देता है, लेकिन बिना किसी कारण (दूल्हे का बाप) उस सगाई (सम्बन्ध) को तोड देता है; ऐसा न हो इसके लिए प्रबन्ध होना चाहिए।

९. हमारी जाति में जिससे ब्याह या नातरा (दूसरी स्त्री लाना) होता है वह कन्या या वर अपनी ही जाति का है या नहीं–इस बात का पूरा पता समाज के स्थानीय आगेवानों द्वारा लगाए बिना सम्बन्ध नहीं करना चाहिए।

१०.हमारे समाज में कई जगहों पर लडकियों को फूल की गेंद के साथ अथवा बाहर के लडके के साथ ब्याह दी जाती हैं। इस कुप्रथा का अंत होना चाहिए।

११. हम सभी लोगों के कल्याण के लिए हमारी कुलदेवी मां उमियाजी हैं, उन की प्रार्थना हेतु एक दिवस मुकर्रर होना चाहिए। प्रतिवर्ष माताजी के यहां स्नेह–भोजन (प्रीति–भोज) होना चाहिए। देवी की पूजा आदि के खर्च के लिए आय होती रहे, इसका प्रबंध होना चाहिए। मेरे मानने के अनुसार प्रतिवर्ष महा सुद ५ के रोज स्नेह–भोजन आयोजित हो तथा उस दिन कृषि आदि काम बंद रखकर बैलों को नहीं जोतना चाहिए।

ऊपर की गई मेरी विनती को ध्यान में रखकर यदि आप सभी भाई विचार करेंगे तो मैं आपका बडा आभारी होऊंगा।

कडवा कणबी समाज का नियम

कडवा कणबी समाज अति विशाल होने पर भी लडकियों की बडी कमी हो गई है। पहले सन् १८४८ में अहमदाबाद जिले के मजिस्ट्रेट आजम फोसट साहब ने कानून बनाकर सरकार की संमति से ता. ७ नवेम्बर, सन् १८५० के दिन हुक्मनामा प्रसिद्ध करवाया था, मगर उसके अनुसार कोई चला नहीं। अतः पाटडी के दरबार

पाटडी के स्व. दरबार श्री जोरावरसिंहजी के यहां समस्त कडवा पाटीदार इकट्ठे हुए तब हुई कार्यवाही की दो पुस्तिकाएं छपी हैं। एक में मा. दरबारश्री का प्रवचन तथा अहमदाबाद के समाज के ठहराव तथा दूसरी में कठियावाड के कडवा पाटीदारों द्वारा समस्त समाज के लिए किये ठहरावों को छापा गया है। संवत् १९२५ में अहमदाबाद के 'शमशेर बहादुर' छापाखाने में छपी ये दोनों पुस्तिकाएं डा. मंगुभाई के पास अभी भी उपलब्ध हैं।

श्री जोरावरसिंहजी कुबेरसिंहजी ने संवत् १९२५ की महा वद ५ के रोज हमारे समाज का मेला आयोजित करके हमें संबोधित किया है । जिस पर सभी लोगों ने सहमत होकर निम्न प्रकार के सुधार करना तय किया है –

१. समाज के लोगों ने मंडली बनाकर अपनी ही मंडली में कन्याएं लेना–देना चालू किया है, उसे आज से बंद किया जाता है । सब अपनी–अपनी इच्छा के अनुसार कन्याएं ले–दे सकते हैं । इसमें कोई भी आदमी अडचनें डालेगा नहीं । तथा किसी को कोई नुकसान पहुंचाएगा नहीं ।

२. कोई भी आदमी साटा मांगेगा नहीं, त्रेखडा करेगा नहीं, कन्या को वाह्यावर देगा नहीं या ४५ दिन की बच्ची को कुंवारी रखेगा नहीं । निम्न लिखित कारणों को छोडकर अन्य किन्हीं कारणों का बहाना बनाकर किसी कन्या को फूल के दडे (गेंद) से व्याहेगा नहीं ।

   १. कोई लडकी लंगडी हो या अन्य किसी वजह से उसका व्याह करना असंभव हो, तभी उस विस्तार के अग्रणियों से सहमति पाकर वैसी लडकी का व्याह फूलकी गेंद से करने की इजाजत है ।

   २. कोई लडकी–लडका ४५ दिन के भीतर की उम्र का हो, तब उसका व्याह नहीं करने से हमारे शास्त्रों का उल्लंघन नहीं होगा ।

३. कोई आदमी कन्या–विक्रय करेगा नहीं – कन्या देने की रकम या कोई कीमती चीज उसके बदले में लेगा नहीं ।

४. किसी परीणिता या पुनर्लग्न वाली औरत को उसका पति बगैर किसी कारण छोडेगा नहीं । तलाक लेकर दूसरे घरमें जाने–बैठने की मंजूरी देगा नहीं। बल्कि ऐसा तय किया जाता है कि निम्न लिखित कारणों से किसी को यदि दूसरी औरत करनी पडे, तब पहली स्त्री जब तक अपने धर्म के अनुसार चलती रहेगी तब तक उसे अन्न–वस्त्रादि उसका पति देता रहेगा, जिससे क्रिमिनल प्रोसिजर की धारा का गुन्हा उस पर लागू नहीं होगा ।

   १. किसी औरत को २५ साल की होने तक यदि कोई संतान नहीं होती हो, तो उसके पति को दूसरी पत्नी करने की इजाजत है ।

   २. कोई स्त्री अपंग है या अंधी है या ऐसा ही कोई अन्य वास्तविक कारण है तब वहां के अग्रणियों की अनुमति से २५ साल के भीतर भी उसके पति को दूसरी शादी करने की छूट है । विधवा स्त्रीसे पुनः व्याह करने की भी छूट है ।

५. कोई आदमी किसी अन्य शादी–शुदा (ब्याही हुई) स्त्री को जब तक उसका पति जीवित है उसको रखे नहीं, ताकि पिनलकोड की धारा २० का वह गुनेहगार न बनें ।

६. शादी या पुनर्व्याह करते समय लडका या लडकी हमारे समाज के हों, इसकी जांच कर लेना आवश्यक है, जिससे पिनल्कोड की धारा लागू न होगी तथा वह शास्त्रानुकूल भी रहेगा ।

७. सम्बन्ध तय करते समय कन्या पक्षसे १ रुपया तथा ७ सुपारी से अधिक कुछ नहीं लेना और न ही देना तथा निम्न कारणों के अलावा सम्बन्ध तोडना नहीं–

   १. जिससे सगाई हुई हो उस लडकी या लडके के अपंग या अंधे होने पर समाज के अग्रणियों की सहमति से सम्बन्ध तोडने की छूट है ।

८. कोई पुरुष गृहस्थी चलाने में अशक्त हो, तब उसकी पत्नी को चाहिए कि वहां के समाज के आगेवानों की सलाह लेकर क्या करना चाहिए – इसका निश्चय करे ।

९. समाज में टीका संबंधी सन् १८४८ में जो निश्चित हुआ है उसके आधार पर सबके लिये एक ही प्रकार का नियम बनाया जाता है, ताकि ऊंच–नीच का अंतर मिट जाएगा ।

   १. ब्याह का टीका १ रुपये से १९९ रुपये तक कन्या पक्ष की ओर से वरपक्ष को देना तथा उसी प्रकार वरपक्ष भी स्वीकार करेगा । उस में झगडा करना नहीं । सगाई हो जाने के पश्चात् ब्याह होने तक कन्या के सासु श्वसुर आदि को जो मटकी आदि देना पडे, उसे टीके की रकम के साथ ही गिनना, अलग से कुछ भी अधिक लेना या देना नहीं ।

   २. ब्याह के वक्त बारात में नारीयल अदि जो दिया जाता है उसकी जगह कन्या का बाप १ से १० रुपये तक देगा । जहां ऐसा नियम चालू नहीं है वहां कुछ देना नहीं । १० रुपये के अंदर जहां जितनी रकम दी जाती हो, वहां उतनी ही कम रकम देना । किसी को १० रुपये से अधिक लेने का अधिकार नहीं है ।

   ३. जहां नेतर की रस्म चालू हो वहां १ से १० रुपये तक ही करना । अधिक रकम मांगने का किसी को अधिकार नहीं है । जहां ऐसा प्रचलन नहीं है वहां ठीक है । इस कलम से ऐसा नया रिवाज चालू करना है–ऐसा नहीं समझा जावे ।

४. ब्याह के समय गंठ जोडा, (छेडा–पकडामण) में १ से १० रुपये तक देना। उससे अधिक लेने का वर को अधिकार नहीं है। जहां इस राशि से कम लेने का चलन हो, वहां उतनी ही कम रकम लेना। जहां पर ऐसा चलन ही न हो, वहां इस धारा से ऐसा नया रिवाज चालू करना है – ऐसा नहीं समझा जावें। जहां वर की ओर से कन्या को ओढनी देने का चलन है, वहां वर की ओर से जितनी रकम ली गई हो उतनी ही रकम कन्या को देनी होगी।

५. महीमटके के टीके में ५ प्रतिशत कन्या का बाप देगा।

६. वर को बिदाईगीरी में १ से ५ रुपये तक कन्या का बाप देगा।

७. पैर छूने के १ से ७ रुपये तक कन्या पक्ष वरपक्ष को देगा। जहां ऐसा चलन नहीं है, वहां कुछ भी नहीं देना। जहां इससे कम लेने का रिवाज हो वहां वही चालू रहेगा।

८. कन्या को संतान उत्पन्न होने के पश्चात् उसके ससुराल जाने पर विदाई में १ से ११ रुपये तक के कपडे आदि देकर बिदा करना। इससे अधिक मांगने का वरपक्ष वालों को अधिकार नहीं है।

९. किसी कन्या की ससुराल जाने के बाद मृत्यु हो जाय और उसे कोई संतान न हुई हो, तब उसके बाप द्वारा दिये हुए गहने व कपडे उसके बाप को लौटा देने होंगे।

१०. हमारे समाज में हर जगह वहां के आगेवान मुख्य नेता चुनकर उन के नामों की सूचि देसाई श्री को भिजवा देना, जिसे वे मंजूर रखेंगे। किसी पटेल का नाम घटाना बढाना हो तब भी देसाई श्री की अनुमति से वैसा करना।

११. जो भी इन नियमों के विपरीत चलेगा, उसे पांच साल तक जातिच्युत कर दिया जायेगा या पंचों को जो अपराध का दंड योग्य लगे वह उसके लिये नियत करें अर्थात् कोई भी निर्णय लेने के लिए अग्रणी पटेल को पूर्ण सत्ता है, फिर भी उनके निर्णय के विरुद्ध कोई दरबारश्री को अर्ज करेगा तो उस निर्णय में कमी वेसी करनेका या उसे सम्पूर्ण रद्द करनेका अधिकार दरबारश्री को प्राप्त है। ऐसी बाबतों में जो भी दंड की रकम तय हो उसे वसूल करने का या उसके लिए सरकार में फरियाद करने का पूर्ण अधिकार सभी आगेवान नेताओं तथा पाटडी के दरबार को प्राप्त है।

१२. सभी नेता वसूल की गई रकम का चौथा हिस्सा उमियाजी के मंदिर में प्रबंध हेतु खर्च के लिए पाटडी दरबारश्री को भिजवा देंगे। शेष राशि अपनी जाति

के सुधार के कामों में उपयोग करना है, लेकिन उसका सही–सही हिसाब रखना पडेगा ।

१३. इस नियम पत्र के अनुसार सभी इलाकों के प्रमुख पटेलों द्वारा बनाए गए नियमों के पालने में कोई समस्या खडी हो जाय या अन्य कोई विवाद उत्पन्न हो जाय, तो उसके बारे में पाटडी के दरबार जो भी फैसला देंगे वह अंतिम रूप से सबको मान्य करना होगा । उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई तकरार नहीं करेगा ।

१४. समाज के सुधार के ये नियम सरकार में दर्ज कराकर उनसे संबंधित जो भी सहायता लेनी आवश्यक हों वह लेकर पाहडी दरबारश्री प्रबंध करेंगे तथा आज से समाज के सुधार के लिए जो भी करना उचित लगे, वैसे नियम बनाने तथा घटाने की पूर्ण सत्ता हम पाटडी दरबारश्री को देते हैं । उसके अनुसार पाटडी दरबार श्री जो भी करेंगे, हम उसे कबूल करके कृतार्थ होंगे ।

१५. महा वद ५ वार गरेऊ (गुरु) के दिन जाति भाईओं से मिलकर पाटडी दरबारश्री ने सभी भाईयों से सुधार की इच्छा व्यक्त की है, उसका दस्तावेज स्टेम्प पेपर पर बनाकर उस पर हस्ताक्षर कर दिये हैं । अतः उस दिन माताजी के सांनिध्य में, समूह भोजन करना तथा खुशियां मनाना । खेती आदि कार्य भी इस दिन करके ईश्वर भजन करना ।

१६. सभी जातिबंधुओं ने यह प्रस्ताव स्टेम्प पेपर पर दस्तखत करके दिया है । उसकी यह प्रति (नकल) सभी लोगों की जानकारी हेतु छपवा दी गई है ।

१७. ऊंझामें उमिया माताजी का मन्दिर बन रहा है । अभी वह अपूर्ण है । उसे पूर्ण करने में सहयोग देने के लिए सभी भाईयों को सोचना चाहिए । अब, जब हमारे समाज में लग्न की मिति निकलेगी तब इसके बारे में सोचा जाएगा ।

(निर्मित नियमों की दूसरी पुस्तक)

देसाई श्री जोरावरसिंहजी कुबेरसिंहजी स्वस्थान जिल्ला–पाटडी

हम नीचे दस्तखत करनेवाले पाटडी, वणोद, दसाडा, बजाणा, लखतर, धांगंध्रा, वढवाण, लींबडी, मोरबी, काठियावाड, मूली तथा वांकानेर आदि परगने एवं गांवों के कडवा कणबी जाति के मोटी चद्दर (जाडी पछेडी)वाले पटेल आदि समस्त समाज अपने संपूर्ण होशहवाश तथा संमति से यह लिखकर देते हैं कि –

१. हमारे समाज के किसी शख्स को नातरा करके या शादी करके औरत लानी हो तब, वह कन्या हमारे समाज की ही है उसकी खातरी करके लाना, बगैर मालूम किये यदि वह दूसरी कन्या लाएगा और वह कन्या बाहर की जाति की निकली तो उसे खिराज (न्यात बाहर) कर दिया जाएगा। उसे सहायता करनेवाले को भी खिराज कर दिया जाएगा, लेकिन पाटडी दरबार की नजर में वह आया और नजराने की रकम देकर उसने फिर से जाति में ले लिये जानेकी नम्र इच्छा व्यक्त की तब योग्य लगने पर अगर दरबार श्री ने उसके पक्षमें निर्णय दे दिया तो उसे जाति में ले लिया जाय।

२. हमारे कडवा कणबी समाज में कोई शख्स नातरा करके (करावा करके) औरत लाना चाहेगा तो उसे १ से ३०० रुपये तक कन्या के बाप को देने पड़ेंगे। उससे अधिक रुपया या कीमती चीज देना नहीं। कन्या का बाप उससे अधिक लेगा नहीं। इस नियम से जो नहीं चलेगा उसे पांच साल तक जाति से बहिष्कृत (खिराज) कर दिया जाएगा। ५०० रुपया दंड देने पर ही वह वापिस समाज में लिया जायेगा।

३. हमारे समाज में शादी–शुदा औरत की सगाई सम्बन्धी (कन्याविक्रय– कन्या विक्री हेतु) दूल्हे के बाप से कोई रकम या कीमती वस्तु लेना नहीं या देना नहीं। इस नियम के पालन में जो भूल करेगा, उसे दो सालों तक जातिच्युत कर दिया जाएगा। फिर २०० रुपया दंड भरने पर ही उसे वापस जाति में लिया जाएगा।

४. हमारे समाज में किसी की सगाई होने के पश्चात् वह कन्या या दूल्हा किसी कारणवश अपंग हो जाए तब परगने के आगेवान पांच पटेल मिलकर उनका निर्णय करेंगे और वे जो निर्णय देंगे उसके अनुसार चलना होगा। इस नियम के पालन में जो कसूरवार साबित होगा, उसको ५० रुपये जुर्माना देने तक जातिच्युत कर दिया जाएगा।

५. कडवा कणबी के समाज में आज से पहले किसीने दुल्हे या दुल्हन का साटातेखडा (साटे का सकपन) किया होगा, उसके लिए लिखित कागजात किये होंगे, उसी अनुसार लेना–देना कर लेना। अगर दस्तावेज या कागजात लिखित न हों तो कुछ भी लेन–देन नहीं करना। अब के बाद कोई साटातेखडा नहीं करेगा और ऐसे काम में सहायता नहीं देगा। इसमें भूल–चूक करनेवाले को २०० रुपये जुर्माना भरने तक जातिच्युत होना पडेगा।

६. हमारे समाज में दुल्हन को शादी या सगाई के वक्त रूपे की हंसली, कल्ला (कडे) व सांकली (तोडी) आदि को मिलाकर ८ रुपये के जेवर दूल्हे का बाप देगा । इससे अधिक देगा नहीं । इसके विपरीत चलने पर जाति का मुखिया (आगेवान) जो तय करेगा, उतनी रकम का दण्ड भरने तक उसे जातिच्युत होना पडेगा ।

७. हमारी जाति में ये नियम बनने से पूर्व बहू को दूल्हे के बापने कांबी, सांकल (तोडी) तथा पोलारिया (कडे) आदि जेवर दिया हो, वे जेवर उसे लौटा देना । इसमें जो ढील करेगा या दोषी बनेगा उसे तीन महीने तक जाति के बाहर रहना पडेगा । तत्पश्चात् ५० रुपये दण्ड भरने पर ही उसे जाति में प्रवेश मिलेगा ।

८. हमारे समाज में कन्या की शादी होने पर या उससे पहले घाघरा, कपडा तथा पक्के रंगकी सूती चुनरी – ये मिलकर तीन वस्त्र वर पक्षवाले कन्यापक्षवालों को देंगे । ये न दें तो उसके एवज (बदले) में १० रुपया देंगे तो भी चलेगा । इसमें भूल–चूक करने वालों को ५० रुपया दण्ड भरने तक जाति के बाहर रहना पडेगा ।

९. हमारे समाज में बहू को ससुराल भेजते समय पहले गौणां(आने) पर १६ रुपये साडी के, ४ रुपये (गुड के) पुरोहित के, १ रुपया धान का तथा १ रुपया चुनरी का – ये सब मिलाकर २२ रुपये वर का बाप कन्या को देगा; इसके अतिरिक्त कोई कीमती चीज लेना–देना नहीं । इसमें भूल चूक करनेवाले को ५० रुपया दण्ड भरने तक जातिच्युत रहना पडेगा ।

१०. हमारी जाति में कन्या की सगाई होने पर, वर का बाप १ रुपया रोकडा (नगद) तथा सवा शेर साकर (मिश्री) कन्या को देगा । इससे अधिक लेना या दे[illegible] नहीं । इस प्रकार नहीं बरतने पर उसे १०० रुपया दण्ड भरने तक जातिच्युत रहना पडेगा ।

११. हमारे समाज में कोई सधवा स्त्री (दूसरे व्यक्ति से शादी की हुई स्त्री--जिसका पति जिंदा है) रखेगा नहीं । ऐसी स्त्री किसी अन्य को देगा भी नहीं । ऐसा न करने वाले को १० साल तक जातिच्युत रहना पडेगा । फिर १००० रुपया जुर्माना भरकर वह समाज में प्रविष्ट हो सकेगा ।

१२. हमारे समाज में वर या बहू की उपस्थिति में दूसरा ब्याह अथवा नातरा (करावा) करना नहीं, किंतु औलाद न हो या ऐसे ही किसी अन्य जरुरी कारण से फिर से शादी या नातरा करना आवश्यक लगता हो, तब समाज के अग्रणी लोग

सहमति दे, तभी करना । पहली औरत के लिए अन्न-वस्त्रादि का समुचित प्रबंध हुए बिना परगने के आगेवान वैसी सहमति नहीं देंगे । साथ ही पति से अनुमति लिये बिना औरत भी दूसरा ब्याह नहीं करेगी, न ही उसे कोई ले जायेगा । ऐसा करने में जो कोई भूल चूक करेगा उसे दो साल तक जाति के बाहर कर दिया जाएगा । ५०० रुपये दण्ड देकर ही वह दो साल पश्चात् पुनःप्रवेश पा सकेगा ।

१३. हमारे समाज में कोई भी आदमी डकैती-चोरी-नुकसान नहीं करेगा, साथ ही न किसी से करवाएगा । ऐसा कोई करेगा भी तो इस नियम को भंग करनेवाले को १ साल तक जातिच्युत रहना पडेगा । फिर १०० रुपये दण्ड भरने पर ही उसे समाज में वापस लिया जाएगा ।

१४. हमारे समाज का कोई आदमी अपने जाति-भाई से शत्रुता (बैर) रखकर, अपने दरबार या अधिकारी को रिश्वत देकर जातिवाले के खेत, घर या जमीन को छीनेगा नहीं । कणबी जाति के किसी आदमी को दरबार या अधिकारी गांव से बाहर करेगा, तो एक साल तक उसकी राह (बांट) देखें, उसके पश्चात् उसकी जमीन बटाई में लेने में कोई हरकत (हर्ज) नहीं होगी । किंतु इसके विपरीत (ऊपर होकर) नहीं लेना । इसमें भूल-चूक करने वाले को ५०० रुपया जुर्माना भरने तक समाज से बाहर रहना पडेगा ।

१५. हमारी कडवा कणबी जाति में किसी भी प्रकार का सामाजिक विवाद उपस्थित हुआ हो, तब उसकी शिकायत परगने के आगेवान मुखियाओं के सम्मुख जाकर करें । वहां उसका हल न होने पर पाटडी आकर दरबारश्री से शिकायत करें और उनका निर्णय मान्य रखें । इसके लिये अपने दरबार या अमलदार से फरियाद न करें । ऐसा नहीं करनेवाले को ५०० रुपया देने तक जातिच्युत रहना पडेगा।

१६. हमारी कडवा कणबी जाति में इन सुधार-नियमों के अनुसार व्यवहार चले-इसकी व्यवस्था और देखभाल अपने-अपने परगने के पटेल (आगेवान) करेंगे । उनसे अगर किसी बात का फैसला न हो पाये अथवा उनके निर्णय पर किसी पक्ष को संतोष न हो, तो उसे पाटडी के दरबारश्री के समक्ष हाजर होकर फैसला करवाना होगा । वे जो फैसला करें; वह मान्य रखकर उसके अनुसार चले । इसका उल्लंघन जो करेगा, उसे दो साल तक जाति से अलग होना पडेगा और ५०० रुपया दंड भरने के बाद ही उसे जाति में वापस लिया जाएगा ।

१७. हमारे समाजमें इसके बाद इन ठहरावों में सुधार या कमी–बेसी करने अथवा नये जरूरी जाति–नियम बनाने के लिए पाटडी दरबार को पूर्ण सत्ता है । दरबारश्री के निर्णयों के अनुसार जो नहीं चलेगा उसे दरबारश्री की आज्ञा अनुसार उतनी रकम समाज को जुर्माने के रूप में देनी होगी । उसके न देने तक वह जाति से बहिष्कृत रखा जायगा ।

सुधारक्षेत्र में भगीरथ प्रयत्नकर्ता रायबहादुर बहेचरदास लश्करी

अपनी जाति के लगभग चालीस हजार लोगों की विराट सभा में हुए निर्णयोंसे ऐसा लगता था कि अब शीघ्र ही जाति–उत्थान को अच्छी गति मिलेगी, परन्तु दस्तावेज में हस्ताक्षर कर्ता आगेवान नेता इतने निर्दोष – हृदय के न होने से इस कार्य में भारी रुकावट आ गई ।

पाटडी से लौटने के पश्चात् अल्प काल में ही लग्न निकलनेवाले थे । अतः सभी लोग अपनी अपनी संतानों का ब्याह अपनी सामर्थ्य के अनुसार रचाने की तैयारी करने लगे । गांवों में तो इन नियमों के अनुसार सभी लोग चलने लगे, किंतु शहरों व अन्य इलाकों के बडे और कुलीन लोगों एवं जमींदारो ने इन नियमों को तिनके की तरह तोडना चालू कर दिया । वे दहेज में रकम ऐंठने लगे । यह बडी ही शोचनीय बात थी । ऐसे गैर जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार का मुख्य स्थल अहमदाबाद शहर था । फिर वीरमगाम, पाटडी आदि स्थानों में भी उन्हीं के अनुगामी बसते थे ।

ऐसी स्थिति देखकर जिन–जिन सज्जनों के दिल को अधिक सदमा पहुंचा, उनमें अहमदाबाद के रा.ब. शेठ बहेचरदास लश्करी प्रमुख थे । उन्होंने अहमदाबाद के कुलीन घरानों के अग्रणियों को बुलाकर बहुत समझाया । साथ ही उन्होंने तय की गई राशि के अतिरिक्त अपने बेटों के टीके में कोई रकम नहीं मांगने के लिए कहा । लेकिन इन कुलीनों ने उनकी किसी भी बात की परवाह नहीं की । तब उन्होंने पाटडी दरबारश्री को जाकर इस परिस्थिति से वाकिफ कराया तथा बने कानूनों को तोडकर अपनी इच्छा के अनुसार व्यवहार करनेवाले पाटडी के जागीरदार एवं कुलीन घरानों को ऐसा करने से रोकने के लिए अनुरोध किया । स्वयं उन्होंने भी अहमदाबाद के स्वैच्छिक बर्ताव करनेवाले वर्ग के खिलाफ एक बडा आंदोलन चलाने की तैयारियां की थी । उसमें सहायता करने के लिए भी दरबारश्री से उन्होंने प्रार्थना की, परंतु रा.ब. बहेचरदास की इन प्रार्थनाओं का कोई उचित परिणाम नहीं आया । नियमों का भंग करनेवाले दोनों वर्ग के लोग कतई हिचकिचाए नहीं; अतः उन्होंने अहमदाबाद के उपनगरों व आसपास के गांवों के लोगों से मिलकर, एक बडा आंदोलन किया । संवत् १९२५ के चैत्र सुद ११ बुधवार, ता. २४–३–१८६९ को ५० रुपये के स्टेम्प पेपर पर

आद्य समाज सुधारक रा. रावबहादुर बेचरदास लश्करी (सी. अेस आइ)

एक दस्तावेज बनाकर उस पर अपने आंदोलन में शामिल सभी पाटीदारों के दस्तखत करवाएं। उसमें अहमदावाद के उपनगरों व गावों के मिलकर करीब ६–७ हजार व्यक्ति सम्मिलित थे। यह दस्तावेज इस प्रकार था –

१. सन् १८४८ के तथा पाटडी संमेलन में निश्चित् किये गए नियमों के अनुसार चलना।
२. सदर दस्तावेजों के अनुसार चलने के लिए सहमत इन दस्तावेजों में हस्ताक्षर करनेवालों में ही कन्याएं लेना–देना।
३. इन दस्तावेजों में हस्ताक्षर करने वालों में कार्यवाही करने तथा हुए प्रबंध पर देखरेख रखने के लिए एक समिति बनाई जाए।
४. दस्तावेज में हस्ताक्षर करनेवालों मे से जो इसके विपरीत वर्तेगा, वह ७०१ रुपये तक जुर्माना भरेगा।

यह दस्तावेज कानूनी तौर पर रजिस्टर्ड कराया गया। उसके पालन के लिए उचित प्रबंध किया गया।

रा.ब. शेठ बहेचरदास लश्करी के इस आंदोलन को तोडने तथा कन्याएं देने आनेवाले वर्ग को साथ देने हेतु जिन्होंने रा.ब. बहेचरदास लश्करी के दस्तावेज में हस्ताक्षर नहीं किये थे, उन्होंने उनके विरुद्ध प्रवृत्ति (कार्यवाही) शुरु कर दी और संवत् १९२७ के मार्गशीर्ष वद १, शुक्रवार ता. ९–१२–१८७० को स्टेम्प पेपर पर एक दस्तावेज बनाकर सुधार करने का आडंबर रचा जिसका सार यह था कि –

१. टीके की रकम १९९ रुपये से अधिक लेना नहीं।
२. पहली औरत २५ साल की होने तक दूसरी पत्नी करना नहीं।
३. दूसरी औरत करने पर पहली पत्नी का सही ढंग से पालन करना।
४. दहेज के नाम पर ली जाने वाली रकम में योग्य कटौती (कमी) करना।

आदि–आदि नियम[१] बने थे, जिन पर अहमदावाद के लगभग सभी कुलीन घराने वालों के हस्ताक्षर थे।

अपने विरोधियों की ऐसी प्रवृत्तियों से रा.व. शेठ बहेचरदास लश्करी जरा भी डिगे नहीं, अपितु जैसे–जैसे मुश्किलें आती रहीं वे दिन– प्रति–दिन और दृढ एवं उत्साही बनते गए। समाज में ऐसे निष्ठुर रीति–रिवाजों के कारण बालिका–हत्याएं होने की सम्भावना प्रबल होती आती है, इस मुद्दे (तर्क) को आधार बनाकर समाज कल्याण के अपने प्रयासों में उन्होंने माननीय सरकार से भी उचित सहायता प्राप्त करने की कोशिशें की। तत्कालीन

---

१. प्रायः हर लग्न के वक्त ऐसे नियम बने हैं, किंतु उनके अनुसार वर्ता गया हो, ऐसा आज तक प्रकाश में नहीं आया। अधिक जानकारी के लिये देखिये डा. मंगुभाई का महानिबंध 'रा. ब. बहेचरादास लश्करी'।

अहमदाबाद विभाग के कलेक्टर श्री बोरोडेल साहब को भी इन तथ्यों से अवगत कराकर उनसे सहानुभूति संपादित की। उन्हीं दिनों में हिन्दुस्तान सरकार की धारासभा में बालिका-हत्या रोकने का विधेयक प्रस्तुत हुआ। जिससे सरकार की ओर से सहायता मिलने की उस वीर सुधारक को बडी आशा उत्पन्न हुई। वे उसके शुभ परिणामों का बडी बेचैनीपूर्वक इन्तजार करने लगे। ई.स. १८७० में कुछ सुधारों के साथ वह विधेयक पारित (पसार) होकर निम्न कानून के रूपमें मंजूर हुआ-

BOMBAY GOVERNMENT GAZZETTE

28th April 1870

Act No. VIII of 1870

इन्डिया गवर्नर जनरल इन काउन्सिल के आधीन लिखा गया कानून गवर्नर जनरल साहब ने सन् १८७० के मार्च महीने की १८ तारीख को मंजूर किया। वह सभी लोगों की जानकारी हेतु छपवाकर प्रकाशित (प्रसिद्ध) किया गया है।

सन् १८७० का कानून (Act)

लडकियों की हत्या न हो वैसा प्रबंध करने का कानून -

उद्देश्य - ब्रिटिश इण्डिया के कुछ हिस्सों में प्रायः लडकियों की हत्या होती है ऐसा माना जाता है, अतः ऐसे अपराध न होवें इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर और अधिक व्यवस्था करनी आवश्यक है। इसलिये निम्न प्रकार से निश्चय किये जाते हैं-

अमुक-अमुक जिले में इस कानून के अनुसार प्रबंध करने का अधिकार

यह अपराध प्रायः अमुक जिलेमें होता है, अथवा उस जिलेमें अमुक वर्ग के लोग या परिवार के लोग या आदमी करते हैं, ऐसा स्थानीय सरकार को मालूम होने पर वह गुन्हा उस जिलेमें या उस वर्गके या परिवार के लौगोंमें या आदमियों में नहीं होने देने के लिए इस कानून के अनुसार प्रबंध करने के लिए इण्डिया के गवर्नर जनरल इन काउन्सिल की पहले से अनुमति लेकर सरकार गजेट में या खुद आदेश दे वैसा अन्य हुक्मनामा (जाहिरनाम) छपवाकर फर्माने का अधिकार स्थानीय सरकार को है।

इस प्रकार के जिलों की सीमाएं हुक्मनामें में बताना अथवा वह हुकमनामा अमुक वर्ग को या परिवार के लोगों को या आदमियों को लागू है, ऐसा होने पर उस वर्ग या परिवार या आदमियों का निर्देश उस हुक्मनामे में करना।

कानून बनाने की सत्ता

उपर्युक्त जाहिरनामा ऊपर कहे अनुसार छपकर प्रसिद्ध होने के बाद, निम्न लिखित तमाम कारणों के लिए अथवा उनमें से किसीभी कारण के लिए तीसरी कलम को कायम रखते हुए इस कानून के अनुरूप ऐसे अन्य कानून समय-समय पर बनाने का अधिकार स्थानीय सरकार को है।

१. उक्त जिले में या जिस वर्ग के या परिवारों के लोगों को अथवा आदमियों को यह जाहिरनामा लागू किया गया हो उस वर्ग में या परिवारों में या आदमियों में होते जन्म, लग्न तथा मृत्यु की जानकारी के लिए रजिस्टर रखने के बारे में और उन आदमियों या उन जिलों में रहनेवाले अन्य लोगों की जनसंख्या की समय–समय पर गिनती रखने हेतुं ।
२. नियम के अनुसार रखी पुलिस के ऐस्टाब्लिश्मेन्ट से अधिक पुलिस का जथ्था रखने हेतु अथवा उक्त जिले में अथवा उक्त वर्ग में अथवा परिवारों में या आदमियों में लडकी की हत्या नहीं होने देने हेतु या हुई हत्या को ढूंढ निकालने या इस एक्ट की धाराओं को अमल में लाने के लिए अधिकारी अथवा नोकर रखने हेतु ।
३. उक्त जिले/वर्ग/परिवारों/आदमियों में होते जन्म, लग्न तथा मृत्यु या होने वाले हो–उन सबकी सूचना योग्य अधिकारिओं को कौन किस प्रकार देगा, इस हेतु ।
४. जिस व्यक्ति को उक्त जाहिरनामा लागू होता हो उस व्यक्ति को शादी या शादी के अंतर्गत सभी क्रियाएं या विधियां सम्पन्न करने के लिए कितना खर्च करना, उसकी व्यवस्था करने हेतु (बाबत) ।
५. इस धारा के अनुसार बनाये कानूनों को अमल में लाने के लिए जो खर्च हुआ हो, वह सारा खर्च या उसका कुछ भाग उक्त जिले में रहने वाले सभी लोगों से या उनमें से कुछ ही लोगों से या उक्त जाहिरनामा जिन को लागू होता हो वैसे लोगों से किस प्रकार वसूल किया जाय, उसका प्रबंध करने के लिए ।
६. इस धारा के अनुसार प्रत्येक कानून अमल में लाने के लिए नियुक्त अमलतदारों का या नौकरों का काम निश्चित (ठहराने) करने के लिए ।

कानूनों की मंजूरी तथा प्रसिद्धि

दूसरी कलम के अनुसार बने प्रत्येक कानून या सुधारों को इण्डिया के गवर्नर जनरल इन काउन्सिल मान्य करेंगे । तथा इण्डिया गजेट में तथा जगह–जगह के सरकारी गजेटमें छप कर प्रकाशित होने तक अमल में आयेगा नहीं । उक्त कानूनों की प्रतियां स्थानीय सरकार के दर्शाये स्थानों पर चिपकाना तथा आदेश के अनुसार बांटना ।

कानून तोडने की सजा

जो कोई इस प्रकार के किसी भी कानून का भंग करेगा, उस पर उसके लिए मजिस्ट्रेट की सत्ता वाले प्रत्येक अमलदार के समक्ष साबित होने पर उसे अधिक से अधिक ६ महीने तक की कैद या एक हजार रुपया तक का जुर्माना या ये दोनों सजाएं होगी ।

दूसरे कानून के अनुसार काम चलाने का अधिकार कायम रखा है ।

इस एक्ट के अनुसार सजा करने योग्य किसी अपराध के बारे में, दूसरे किसी कानून के अनुसार किसी आदमी पर मुकदमा चलाकर उसे सजा देने की मनाई इस एक्ट के किसी नियम से या पूर्वोक्त प्रसिद्ध किये गये किसी कानून के किसी नियम के तहत है – ऐसा समझना नहीं, बल्कि ऐसा निश्चित किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिये दो बार सजा नहीं होगी ।

जिन लडकियों के बारे में अन्याय (गफलत) होता हो उन्हे (निगेहबानी) में रखने की सत्ता ।

पहली कलम में उल्लिखित जाहिरनामा जिस आदमी को लागू होता हो उस आदमी की जिस छोटी लडकी का पालन करने की कानूनी तौर पर आवश्यकता हो उस लडकी के पालन के लिए वह आदमी उचित प्रबंध करने में असावधानी बर्तता हो और उससे उस लडकी की जान का खतरा हो या स्वास्थ्य बिगडने की संभावना है ऐसा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पता चले तथा उसकी जानकारीमें आये, तब उसे उचित लगे वैसी निगरानी में उस लडकी को रखने का उसे पूर्ण अधिकार है; और जरूरत पडने पर उस लडकी को उस आदमी के कब्जे से छुडाना ।

डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को योग्य (वाजिब) लगे तो उक्त लडकी के पालन के लिए अधिक से अधिक ५० रुपये तक प्रति माह वह व्यक्ति उस लडकी को देवे, ऐसा फरमान उस आदमी के लिये जारी करने की सत्ता उस मजिस्ट्रेट को है । और यदि वह आदमी उस आदेश का पालन करने में जानबूझ कर असावधानी रखेगा तो जितनी बार कानून भंग करेगा उतनी बार वारंट देकर फौजदारी तौर पर मुकदमा चलाने तथा इस प्रकार के कानून की कलम में बताये अनुसार जितने रुपये वसूल करने के बनते हों, उतने वसूल करने की सत्ता इस मजिस्ट्रेट की है ।

उक्त कायदे की ३१६ वी धारा के अनुसार मजिस्ट्रेट को जो अखत्यार है, उसे इस धारा के किसी नियम से अडचन होगी – वैसा नहीं समझना ।

एक्ट कहां–कहां लागू है ।

यह कानून सर्वप्रथम वायव्य प्रांत को तथा पंजाब और अयोध्या को ही लागू होगा । किंतु इण्डिया सरकार के सीधे आधीन (तावे में) अयोध्या के अलावा दूसरे इलाके के किसी हिस्से को यह कानून आदेश करके लागू करने की सत्ता 'इण्डिया गवर्नर जनरल इन काउन्सिल को है, तथा अपने–अपने अधिनस्थ इलाके के किसी भी हिस्से को यह कानून लागू करने की सत्ता मद्रास के व बम्बई के गवर्नर इन काउन्सिलों को तथा बंगाल के लेफ्टिनन्ट गवर्नर को है ।

इण्डिया के गवर्नर जनरल इन काउन्सिल ने इस धारा के अनुसार जो आदेश दिये हों, उन सभी आदेशों को इण्डिया गजेट में छपवाकर प्रसिद्ध (प्रकाशित) करना। इस धारा के अनुसार दूसरा जो भी हुक्म दिया हो उस प्रत्येक हुक्म को जगह-जगह के सरकारी गजेट में छपवाकर प्रसिद्ध करना।

(True Translation) **Venayek Wassoodev**

Oriental Translator to Government

उपर्युक्त कानून हिन्द के सभी इलाकों में लागू होने वाला नहीं था; लेकिन जिस-जिस इलाके में स्थानीय सरकार को आवश्यक लगे उस-उस इलाके में इस कानून के आधार पर सरकार को अलग कानून पारित करके (बना करके) हिन्द सरकार की अनुमति से लागू करवाने का था। अतः यह कानून कडवा पाटीदार जाति को लागू करवा कर उसके द्वारा सुधार कार्य चालू करवाने का भगीरथ प्रयत्न शेठ बहेचरदास लश्करी ने शुरू किया। माननीय बम्बई सरकार का उस ओर ध्यान खींच कर सहायता प्राप्ति के लिए उन्होंने समाज की हालात का संपूर्ण चित्र स्पष्ट हो ऐसी एक अर्जी ता. २४ जून, सन् १८७० के दिन तैयार की जिसके प्रारंभ में समाज की उत्पत्ति तथा लग्न पद्धति के बारे में चलती अप्राकृतिक प्रवृत्तियों का वृत्तांत दिया गया था, तथा सन् १८४५ से १८७० तक हुए समाज सुधार के सभी प्रयत्नों तथा उनमें आयी अडचनों का सविस्तार वर्णन किया गया था। जनसंख्या की गिनती एवं उन आंकडों के आधार पर लडकियों की बनी हुई दारूण स्थिति (अवदशा) को लेकर यह कानून लागू करने की कितनी आवश्यकता है, यह विस्तारपूर्वक बताया गया था।

इस अर्जी में मांग की गई थी कि –

१. समाज का इन्साफ करने के लिए सरकारी अमलदार की अध्यक्षता में तीस पटेलों की एस समिति बनाई जाये।

२. सगाई तोडी न जाये।

३. १०० रु. से अधिक टीका नहीं लिया जाये।

४. दहेज में भी कटौती की जाय।

५. स्त्री को २५ साल की होने तक यदि औलाद न हुई हो, या उससे पहले वह अपंग या कमजोर हो तब पहली पत्नी को उसके बापने जितना टीका भरा हो इतना जवाहरात तथा मासिक ४ से १५ रुपये तक खुराकी देने का कानून बनाया जाय। यदि बाप ने बिलकुल टीका न दिया हो, तब उसके १०० रुपये तक के जवेरात व उचित अन्न-वस्त्रादि का प्रबंध करके फिर दूसरी औरत लाई जाय।

६. जातिपंच के प्रमाणपत्र के बिना कोई अपनी औरत का त्याग नही करेगा ।

७. जातिफण्ड के लिए सगाई होवे तब रु ०॥ वर पक्ष की ओर से तथा रु. ०॥ (आठ आना) कन्या पक्ष की ओर से लिया जावे । नातरा (करावा)में तथा टीका भरते वक्त उससे दुगुनी रकम ली जाय ।

इस प्रकार लग्न खर्च में कटौती करके बालिकाओं की सुरक्षा करने हेतु सन् १८७० का ८ वां कानून गुजरात में लागू करवा दिया जाय – ऐसी मांग की गई थी । हजारों आदमियों के हस्ताक्षर वाली यह अर्जी लेकर स्वयं शेठ बहेचरदास लश्करी सन् १८७० के अगस्त महीने में मा. गवर्नर साहब सर सायमोर फिटझराल्ड के पास पूना गए और प्रत्यक्ष में समाज की बच्चियों की दुर्दशा का वर्णन किया । उससे फलस्वरूप सन् १८७० का ८वां एक्ट (बालिका–हत्या का कानून) उसी साल के दिसम्बर महीने में लागू कर दिया गया और गुजरात के कडवा–लेउवा के लिए कानून बनाकर मा. बम्बई सरकारने मान्य कर, सन् १८७१ के अप्रेल महीने में मा. हिन्द सरकारसे अनुमति प्राप्त की । उसकी नकल नीचे दी गई है –

जाहिर–नामा

जंजीरे बम्बई, तारीख १५ अप्रैल, १८७१.

सन् १८७० के ८वें एक्ट की दूसरी धारा के अनुसार जो कानून बनाकर जनरल डिपार्टमेन्ट का, सन् १८७० के दिसम्बर की २१ वीं तारीख का जाहिरनामा सन् १८७० के दिसम्बर की २२ वीं तारीख बम्बई के सरकारी गजेट के १३४६ वें पन्ने पर छपा है, उस के अनुसार बम्बई सरकार के कब्जे वाले अहमदाबाद तथा खेडा डिस्ट्रिक्ट में बसे हुए लेउवा तथा कडवा कणवी समाज के लोगों पर लागू किये गए हैं, वे कानून वंदेगान आली नवाब मुस्तेताव हजरत राईट ओनरेबल गवर्नर साहब बहादुर दरईजलास कॉउन्सिल ने सभी लोगों के ध्यान में आवें इस हेतु प्रसिद्ध किये हैं ।

१. सन् १८७० के ८वें एक्ट के कारणों के लिए अहमदाबाद तथा खेडा डिस्ट्रिक्ट में, निम्न सूचित फिस के लिए इन्फन्टिसाइड फण्ड इकट्ठा करना, अर्थात उक्त डिस्ट्रिक्ट के प्रत्येक इलाके में बसे लेउवा तथा कडवा कणवी के समाज में

अ. जन्म हो उसकी नामांकन फीस

ब. मृत्यु हो उसकी नामांकन फीस

स. सगाई होवें उसकी नामांकन फीस

द. शादी हो उसकी नामांकन फीस ।

आदि बाबतों की फीस का 'इन्फन्टिसाईड फण्ड' बनाना ।

२. प्रत्येक तालुके में सरकार एक या अधिक अमलदारों की नियुक्ति करेगी और उन्हें कडवा तथा लेउवा कणबी के समाज में होते जन्म, मृत्यु तथा शादी के 'रजिस्ट्रार' कहे जाएंगे. डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर जो-जो स्थान तय करेगा, उस-उस स्थान पर प्रत्येक रजिस्ट्रार अपना कार्यालय बनाएगा। उक्त समाज में होने वाले जन्म, मृत्यु, सगाई, शादी तथा नातरा (करावा) की सूचना उस समाज के लोग देंगे। वे सभी विवरण वह रजिस्ट्रार कलेक्टर द्वारा निर्दशित रजिस्टर मे और जिस प्रकार कहे उसी प्रकार से नोट करेगा (लिखेगा)।

जो फीस निश्चित की गई हो वह फीस लेकर, उसे कलेक्टर के आदेश के अनुसार 'इन्फन्टिसाईड फण्ड' के तहत जमा करना। बगैर नोट कराए जन्म, मृत्यु, सगाई, शादी तथा करावा की जानकारी जब भी उसे प्राप्त हो, वह उसके बारे में कलेक्टर को या कलेक्टर द्वारा बताए अधिकारी को फौरन सूचित करेगा तथा लडकी की मौत की सूचना पाते ही उसे गांव के नजदीक पडनेवाले पुलिस को या हेड कोन्स्टेबल के दर्जे से जिस का दर्जा नीचा न हो ऐसे किसी पुलिस अफसर को लेकर उस घर फौरन जाना होगा। यदि उसे खातरी हो कि मृत्यु स्वाभाविक कारणों से हुई है, तब रजिस्ट्रार शव को दफनाने या जलाने के लिए ले जाने की लिखित अनुमति देगा। रजिस्ट्रार को या पुलिस अफसर को यदि संदेह उत्पन्न हुआ हो, तो कानून के अनुसार उसका फैसला होने के लिए उस केस के पुलिस अधिकारी के पास भेजना।

३. निम्न लिखित आदमी अर्थात जो लोग कडवा तथा लेउवा कणबी के समाज के हों और पूर्वोक्त जिलों में बसते हो, वे जिस तालुका (तहसील) या कस्बे में रहते हों, उस तालुका या कस्बे के रजिस्ट्रार को उन्हें जन्म, मृत्यु, सगाई, शादी या करावा की सूचना कानून के अनुसार दर्ज अवश्य करावें। यह रिपोर्ट उस रजिस्ट्रार को निम्न प्रकार दर्ज कराना उनका काम है :

जन्म के बारे में : लडके का बाप रिपोर्ट करेगा। उसकी अनुपस्थिति में जो पुरुष निकटतम अर्थात निकट का सम्बन्धी हो, वह रिपोर्ट करेगा। गांव में या कस्बे में इन दोनों में से कोई भी उपस्थित न हो, तभी निकट की सम्बन्ध वाली औरत सूचना देगी।

मृत्यु के बारे में : लडकों के जन्म की ही तरह रिपोर्ट करना। बालिग औरत की मौत के बारे में उसके पति को रिपोर्ट करनी पडेगी। गांव में या कस्बे में इन दोनों में से कोई उपस्थित न हों तो उन के निकट के सम्बन्ध वाली औरत को रिपोर्ट

दर्ज करानी पडेगी । जन्म तथा मृत्यु होने के पश्चात् १२ घन्टे के भीतर रिपोर्ट करनी पडेगी । किंतु लडकी की मौत की सूचना एक घन्टे के भीतर देनी होगी, तथा तालुका या कस्बे के रजिस्ट्रार की लिखित अनुमति के बगैर उस लडकी को दफनाने या जलाने हेतु नहीं ले जाना ।

सगाई के बारे में : कन्या के तथा वर के मां-बाप या उनके निकट के सम्बन्धियों को उन दूल्हे-दुल्हन को तथा सगाई की नोंध (नामांकन) की नकल ले जाकर नामांकन होने के पश्चात् ४८ घन्टे में रिपोर्ट करनी होगी ।

शादी के बारे में : सगाई के अनुसार ही रिपोर्ट करनी ।

करावा के बारे में : वर कन्या ४८ घन्टे में रिपोर्ट करेंगे ।

४. ऊपर कहे आदमियों को उक्त जन्म, मृत्यु, सगाई, शादी तथा करावा के बारे में रिपोर्ट करते समय निम्नानुसार फीस देनी होगी :

सगाई के लिए : १ रुपया कन्या के मां-बाप से लेना ।
१ रुपया वर के मां-बाप से लेना ।

शादी के लिए : १. रुपया वर के मां-बाप से लेना ।

करावा के लिए : १ रुपया वर से लेना ।

५. अपने परिवार के या अपने समाज के आदमी अपने घर में या अपने संरक्षण में रहनेवाले लोगो की संख्या, उनकी वय तथा उनमें जितने पुरुष तथा स्त्रियां हैं, इसके बारे में सरकार जो भी मांगे वह जानकारी सरकार द्वारा निर्देशित अधिकारी को जिस ढंग से सरकार मांगे उस प्रकार से देना उक्त समाज के प्रत्येक व्यक्ति का कर्त्तव्य है ।

६. मामूल के अनुसार निश्चित किये गए पुलिस के ऐस्टाब्लिशमेंट से अधिक पुलिस फोर्स या किसी अमलदार को या नौकरों को सन् १८७० के ८ वें एक्ट की धारा २० के तीसरे कोलम में दर्शाए कारणों के तहत रखने की जरूरत है - ऐसा यदि सरकार को लगे, तो जिस वर्ग/परिवार के लोग/आदमियों के लिए वे पुलिस अफसर या नौकर रखने होंगे, उन्हीं के ऊपर उन अधिकारियों का वेतन का भार समय-समय पर सरकार डालेगी । उसके लिए चंदा इकट्ठा करने की सत्ता कलेक्टर को है और वह चंदा मेहसूल की ही तरह कलेक्टर को वसूल करना होगा ।

७. कडवा तथा लेउवा कणबी के समाज के लोगों की शादी तथा उससे सम्बन्धित होने वाली क्रियाएं या विधियां करने का खर्च, निम्नानुसार ही करना, इन से अधिक कुछ भी लेना या देना नहीं –

१. कन्या का बाप वर के बाप को १ से १०० रुपये तक टीका देगा, अधिक देना नहीं और दोनों पक्ष जैसा निश्चय करें उसके अनुसार शादी से पहले यह टीका देना ।

२. बारात के नारियल के लिए १ से १० रुपये तक कन्या का बाप वर के बाप को देगा, अधिक नहीं ।

३. कन्या का बाप बारात में नेग के १ से १० तक देगा; अधिक नहीं ।

४. चवरी में लग्न की विधि होते समय कन्या का बाप वर को १ से १० रुपये तक छेडा झलामणी के देगा, ज्यादा नहीं देगा ।

५. छेडा झलामणी के बदले में कन्या को ओढनी के लिए १ से १० रु. तक वर के बाप को देना पडेगा, अधिक नहीं ।

६. वर–वधू की विदाई के समय कन्या का बाप वर के बाप को मटकी के लिए १ से ५ रुपये तक देगा, इससे अधिक नहीं ।

७. कन्या के ससुराल पहुंचने पर कन्या का बाप वर के बाप को पैर छूने के १ से ५ रुपये तक देगा; अधिक देना नहीं ।

८. बहू के मैके जाने पर उस का बाप वर के बाप को पूरत के १ से १० रु. तक देगा; इससे अधिक नहीं देगा ।

९. बहू के पहला बच्चा होने के पश्चात् ससुराल लौटने पर उसका बाप दूसरे गौने में १ से ११ रुपये तक देगा; अधिक देना नहीं ।

बमुजिबे हुकुम

(दस्तखत) **फ्रान्सिस स्टुअर्ट म्यापम्यान साहब बहादुर**

चीफ सेक्रेटरी

निस्बत सरकार, उनके दस्तखत

True Translation

(Sd.) **Venayek Wassoodev**

Oriental Translator to Government

इस प्रकार के नियम सन् १८७१ की १५ वीं अप्रैल के गवर्नमेन्ट गजेट जनरल डिपार्टमेन्ट में प्रसिद्ध हुए जिनसे शादी में बेटियों के पीछे होने वाले खर्च कम हुए ।

मान्य हुए नियमों में एक नियम ऐसा था कि किसी लडकी की मृत्यु हुई हो, तब उसकी मौत प्राकृतिक है या उसके माता-पिता के द्वारा उसके पालन में रही लापरवाही से हुई है, उसकी जांच के लिए निकटतम पुलिस अधिकारी तथा रजिस्ट्रार प्रयत्न करेंगे। उचित फीस लेकर लिखित अनुमति देने पर ही उसे स्मशान पहुंचाना। इस नियम से मृत्यु के समय मृतका के परिवार में, सगे-सम्बन्धियों में तथा असुविधाएं तथा बेचैनी फैलती। अस्तव्यस्त होने के कारण लोगों के धार्मिक विचारों में उत्तेजना फैलती थी। इस तथ्य का फायदा उठाने को जो लोग अपने बेटों के लिए बडा भारी दहेज लेने के लिए वर्षो से अभ्यस्त थे उन्होंने हस्ताक्षर लेकर, शादी में टीका आदि के खर्चे कम करवाने के लिए सरकार द्वारा मान्य किये कानूनों के विरुद्ध एक अर्जी की। ऐसी अर्जियां बारबार हुई। तब बम्बई सरकार ने इस कानून के लोकप्रिय होने में संदेह पैदा होने के कारण २९ जुलाई, सन् १८७३ को गवर्नमेन्ट रीसोल्युशन नं. २६४२ से कुछ विशेष सुधार करके मुल्तवी रखा।

फिर जब सन् १८८० में शादी की मिति का समय निकट आया तब रा. ब. शेठ बहेचरदास ने (ता. १३-२-१८७९) एक वर्ष पहले ही बम्बई सरकार से अर्जी देकर, पहले के कानून फिर लागू करने, टीका-दहेज की रकम अधिक से अधिक १०० रु. तक निश्चित करने, जन्म-मरण की नोंध (नोट करना) बिना कुछ फीस लिए, मृत्यु समय पर पुलिस की ओर से होता हस्तक्षेप बंद कराने तथा शादी की रजिस्ट्री लाजिमा तौर पर कराने की मांग की थी। इसके उपरांत, उस अर्जी में बताया था कि शादी का खर्चा घटाने के नियमों से गरीब लोगों को काफी राहत पहुंची है। ऐसे नियमों के योग्य प्रबंध के अभाव में एक वर्ष बाद हममें जो लग्न निकलेंगे उसमें व्याहने वाले पुत्र-पुत्रियों की जो अभी से सगाई होती है, उसमें ९००-९०० रु. तक टीका-दहेज की मांग होने लगी है। इस के अलावा शादी में भोजन का खर्चा तो ऊपर से अलग होगा। फिर, दुर्भाग्यवशात् अभी रेशम तथा जरीकसब का धंधा टूटने से कई कणबियों की स्थिति बिगड चुकी है। जिनके सर पर शादी के इतने भारी खर्चे का बोझ है, ऐसे अहमदाबाद के उपनगरों तथा आसपास के गांवों के मिलकर करीब दो लाख कणबी बसते हैं। उनके सर पर आ पडे ऐसे खर्चों के कारण अभी भी बालिका हत्याएं होने की संभावना कम नहीं हुई है। अतः बेटियों की मृत्यु के समय पुलिस की ओर से होती अडचनों के कारण, उत्पन्न होते असंतोष से ये नियम मूल रूप में लागू करने से मुल्तवी रखे हैं, जो पुनः लागू करने की आवश्यकता है...आदि आदि।

इसके तीन दिन पश्चात् अर्थात् ता. १६–२–१८७९ को रा. .. शेठ ने फिर एक अर्जी मा. बम्बई सरकार को भेज कर, हमारी उत्पत्ति तथा लग्नरीति की विचित्रता दर्शाई । साथ में यह भी बताया कि उसके कारण बडा भारी खर्चा होता है और इस से लडकियों का भी अभाव रहता है । अंत में, इन सब बातों का मूल कारण एक ही दिन सभी शादियां रचाने का रिवाज है, जिसे दूर करने का कानून बनाने की मांग की थी । इस पर से सन् १८८० के लग्न समय पर खर्चे घटाने का कानून बनाने की कार्यवाई कर के अहमदाबाद के कलेक्टर मा. बोरोडेल साहब को कानून का मस्विदा तैयार करके भेजने के लिये लिखा । मा. कलेक्टर साहब ने मस्विदा तैयार करके सुधार के लिए रा. ब. शेठ बहेचरदास से पुछवाया । तब शेठ साहबने जन्म, मृत्यु, सगाई, शादी, पुनर्विवाह आदि की रजिस्ट्री बिना फीस लिये करने, बालिका की मृत्यु पर अडचनें न डालने तथा सौ से अधिक रुपये का टीका नहीं लेने हेतु–विगैरह सुधार दर्शाये... और साथ ही विशेष में यह भी बताया कि नौ, दस या ग्यारह साल की लम्बी अवधि पर एक ही दिन को होते लग्नों के बजाय दूसरी जातियों की तरह जब चाहें तब अपनी सुविधा के अनुसार मुक्तरूप से शादी करने का विधान बनाने हेतु सर्व मत लेने के लिए अहमदाबाद, पाटडी, वीरमगाम के देसाई आदि का संमेलन आयोजित करने की भी कृपा की जाय ।

इस तरह सन् १८८० में आने वाले लग्नों में कानून की सहायता से खर्चे कम कराने तथा निर्दोष बेटियों के कष्ट दूर करने के लिए अपने तन, मन तथा धन से जितना बन पडा उन्होंने किया । लेकिन सन् १८४८ के आज तक के इन के सतत पुरुषार्थ के प्रमाण में प्रत्यक्ष तथा स्थायी फल भले ही न मिला हो, किंतु उनके ऐसे आंदोलन का कालांतर में जो परिपक्व फल हमें प्राप्त हुआ है, वह आज हमारे सामने प्रत्यक्ष है ।

दूसरे नव वर्ष बाद सन् १८८९ में जब लग्न निकले तब अहमदाबाद जिले के कलेक्टर मा. जेम्स साहब थे । रा. ब. शेठ ने उन्हें समाज की स्थिति का विवरण देकर अर्जी द्वारा, बालाओं के कष्टों का वर्णन करके उन्हें टालने के उपाय में लग्न खर्च घटाने के पूर्वोक्त कार्यों का पुनरावलोकन करने, मृत्युभोज पर अंकुश लादने तथा बारह वर्ष की एक ही तिथि पर होते लग्नों की बजाय इच्छानुसार मुक्त लग्न करने या शक्यतः (हो सके तो) कम अवधि के लग्न घोषित कराने के लिए प्रार्थना की । कलेक्टर जेम्स साहब ने यह बात मान ली तथा आगामी लग्नों से पूर्व ही यथाशक्ति प्रयत्न करके, कणबियों की कन्याओं के संकट दूर करने के लिए उन्होंने ता. १८–२–१८८९ को उत्तर इलाके के कमिश्नर मा. शेपर्ड साहब की अध्यक्षता में

कणबियों की एक विराट सभा का आयोजन तय किया । पाटडी, वीरमगाम, कडी, दशकोशी, भाल, दंढाव्य, पाटणवाडा, कानम आदि सभी हिस्सों में बसे हुए कणबी नेताओं को अपनी ओर से निमंत्रण भिजवाकर अहमदाबाद बुलवाया ।

इस महत्त्वपूर्ण कार्य पर पहले से विचार–विमर्श करने के लिये कुछ वसीलेवाले (वगवाले) प्रतिष्ठित आदमियों को कुछ दिन पूर्व ही बुलवा लिया था। ऐसे प्रभावशाली पुरुषों की प्राथमिक गोष्ठी ता. १५–२–८९ को मा. पाटडी दरबार श्री की अध्यक्षता में उनके अहमदाबाद स्थित निवास पर आयोजित की गई थी, जिसमें करीब २०० नेताओं ने हिस्सा लिया था । प्रारंभ में रा. ब. शेठ बहेचरदास ने प्रस्ताव का पूर्व निर्मित मस्विदा सब के समक्ष पढ कर सुनाया । अहमदाबाद के शेठ छगुलाल सोमनाथ, शेठ माधवलाल, शेठ मणीलाल चुनीलाल आदि सज्जनों ने कुछ व्यावहारिक छोटे–मोटे सुधार करवाकर इस मसौदे को सर्वसंमति से मंज़ूर किया । फिर दो दिन पश्चात् अर्थात् ता. १७–२–१८८९ को बाहर के गांवों से पधारे हुए अन्य करीब एक हजार नेताओं की एक सभा मा. कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में उनके बंगले पर आयोजित हुई । उसमें ता. १५–२–१८८९ को मंज़ूर किया गया मसौदा पुनः पढा गया, और सभाने उसे सहमति दे दी ।

दूसरे दिन ता. १८–२–१८८९ को कलेक्टर मा. जेम्स साहब के बंगले पर कमिश्नर मा. शेपर्ड साहब की अध्यक्षता में लगभग पांच–छह हजार आदमियों की विराट सभा हुई, जिसमें ऊंझा के लग्न निकालने वाले पटेलों, ब्राह्मणों, माताजी के पुजारियों, लग्न घोषित करने वालों तथा वडौदा राज्य के बडे अधिकारियों आदि ने हिस्सा लिया था । सभा की कार्यवाही की शुरुआत में ता. १५–२–१८८९ को बने तथा ता. १७–२–१८८९ को मंज़ूर हुए सभी नियमों को पढा गया । लग्न अवधि प्रति पांच साल की निश्चित् करने की, वीरमगाम के शेठ जीभाई केवलदास की दरखास्त तथा मरणोपरांत भोज बंध कराने की अहमदाबाद के वकील पुरुषोत्तम नानशा आदि की लिखित अर्जी पेश की गई । इन दोनों को अप्रासंगिक समझकर टाल दिया गया । फिर जो नियम मंज़ूर किये गए, वे निम्न प्रकार हैं –

१. सगाई में १ रुपया तथा ७ सुपारी ।

२. शादी में टीका १ से १९९ रुपये ।

३. शादी की बारात के नारियल के लिए १ से १० रुपये तक ।

४. नेग (मामेरा) की रकम १ से १० रुपये तक ।

५. वर को गठबंधन (छेडा झलामणी) का २ रुपया देना ।

६. मटकी (मही माटला) के लिए १ से ५ रुपये तक ।

७. दहेज में १ से ५ रुपये तक ।

८. सासु के पैर छूने के १ से ७ रुपये तक, देने या लेने होंगे ।

९. पचीस आदमियों का एक समूह, – ऐसे पांच समूहों को ही भोजन कराना ।

१०. दूसरे गांव जाने वाली बारत को ३० रुपया तक खर्चा देना तथा पांच दिन तक पचीस–पचीस आदमियों को ही भोजन कराना ।

११. पहले वच्चे को लेकर लडकी को ससुराल भेजने पर वर पक्ष वालों को १ से ११ रुपये देना । वस्त्र जेवरात करने की कन्या के बाप को छूट है ।

१२. करावा का टीका भी १९९ रु. तक देना । उसमें से कन्या को जेवरात बनवा देना, जो वह जिंदा रहने तक पहनेगी । उसके मरने के बाद वह उसके पति को मिलेंगे ।

१३. कन्या का बाप वर–पक्ष से कन्या की एवज में कुछ भी लेगा नहीं ।

१४. किसी भी अवसर पर दामाद को बुलाने (तेडने) पर उसे २ रुपये तक देना । वह अपने साथ पांच से अधिक आदमी नहीं लाएगा ।

१५. भोजन कराने की छूट है । वर–कन्या के अपनी गृहस्थी अलग बसाने पर कन्या का बाप चाहे जितनी सहायता करे, लेकिन उसके लिए मांग नहीं करेंगे । उसी तरह वैसी कोई मिल्कियत किसी के उपयोग में कोई नहीं ले सकेगा ।

१६. प्रथम पत्नी के २५ वर्ष होने के पश्चात् यदि वह अपंग या अंध हो, तो समाज के नेताओं से अनुमति लेकर दूसरी औरत लावे । पहली पत्नी के पालन का योग्य प्रबंध करना ।

१७. बगैर किसी ठोस वजह से सगाई तोडना नहीं ।

१८. कोई विशेष कारण के बिना कन्या को फूल के दडे के साथ या बाह्यवर के साथ व्याहना नहीं ।

१९. अपनी औरत बदचलन न होवे तो उसका कोई त्याग नहीं करे ।

२०. पोत के लिए २ रुपये तक का कपडा देना ।

२१. मृत्यु–भोज सोलह दिन के बाद तथा सामर्थ्य होने पर ही देना ।

(दस्तखत) त्रिकमलाल दीनानाथ
चिटनीस ता. १–३–१८८९

(दस्तखत) ऐच. इ. एम. जेम्स
कलेक्टर, अहमदाबाद,

इस प्रकार मान्य किये गए प्रस्तावों की छपी हुई प्रतियां तथा कणबी जनसमाज के स्वतंत्र मत जानने के लिए कोरे फार्म (पत्रक) गांव गांव के मुखी– पटवारियों को भेज दिए गए।

इस प्रकार के मत आ जाने पर सभी कागजात तथा पारित (पास) किये गये प्रस्ताव आदि मा. कलेक्टर साहब ने बम्बई सरकार को भेज दिए। जो लोग वंशपरंपरा से जमानत देकर सन् १८४८ से आज तक ऐसे प्रसंगों पर अपनी सहमति देते आए थे, फिर भी उससे विपरीत बर्ताव करना चालू रखा था, उन लोगों ने बाद में, अपने स्वीकृत नियमों के विरुद्ध गुप्त रूप से अलग अलग अर्जियां की और करवाई। उन में किसी ने टीके की रकम १९९ रुपया, किसी ने दो पत्नियां करने की छूट रखने तथा किसीने मृत्योपरांत भोजन (मृत्यु– भोज) पर अंकुश नहीं लगाने की मांग की। वीरमगाम, पाटडी तथा अहमदाबाद के कुलीनों ने तो विशेषकर १८७० का ८वां एक्ट ही लागू न करने की मांग की थी। इन अर्जियों में दस्तखत करने वालों में सभा में पास हुए प्रस्तावों पर दस्तखत करने वाले कई लोग थे। उनके विरुद्ध सुधार के विचारवालों ने रा. ब. शेठ बहेचरदास की अगवानी में एक अर्जी दी थी। इन अर्जियों पर तटस्थ विचार–विमर्श करके बम्बई सरकारने उन्हें ता. २८–११–१८८९ के दिन सरकारी गजेट जनरल डिपार्टमेन्ट में नं. ४९३४ से उत्तर दिया, जिसका सार निम्न प्रकार है

"*अहमदाबाद शहर के तथा जिले के कुछ लोग, जो समाज में कुलीन घरानो की संतान हैं, जिन्हें टीके में अधिक रुपया लेने की लालसा हैं, जिन्होने लग्न के खर्चे कम करने के लिए बने नियमों से अपनी प्रतिष्ठा कम हुई ऐसा समझा है तथा जिन को टीका लिए बगैर अपने पुत्रों की शादी करने में एतराज है – वे लोग स्वाभाविक तौर पर मान्य हुए नियमों के विरुद्ध में हैं। उन की मुद्रित अर्जि में दर्शाये गए विरोध तथा पुनः सुधार के सुझाव अनावश्यक हैं। प्रत्येक पाटीदार कणबी है; किंतु प्रत्येक कणबी पाटीदार नहीं है। अतः 'कणबी' शब्द में पूरा समाज समाविष्ट है। टीके की रकम बहुमत से कम की गयी है। शेष सुझाव जो तकलीफें घटाने के लिए नियम बनाए गए हैं, उनके बीच बाधास्वरूप ही हैं; अतः उन पर ध्यान देना उचित नहीं हैं। उत्तरक्रिया का खर्चा भी बहुमत से बंद कर दिया गया है.... विगेरा विगेरा।*

* * * *

मि. शेपर्ड, कलेक्टर बोरोडेल, जेम्स कुक, मि. बहेचरदास, जे. ए. दलाल, कृष्णलाल तथा पाटडी दरबार और अन्य महानुभाव जिन्होंने पाटीदारों के उत्थान तथा समाज के हित को बडा भारी नुकसान पहुंचाने वाले रीतिरिवाजों को बंद कराने के लिए अपने स्तुत्य प्रयत्नो से अग्रिम योगदान दिया है, उन सब का उचित सम्मान होना चाहिए।

इस प्रकार ता. १८–२–१८८९ के रोज निश्चित किये गये नियमों तथा उन पर लिए गए पाटीदार समाज के जाहिर मतों के साथ मा. कलेक्टर साहब द्वारा भेजे हुए प्रस्ताव तथा बाद में उन पर अनुमोदन देने वालों और असहमति प्रगट करनेवालों की अर्जियां आदि पर सोच कर, कणबी समाज में शादी के लिए होते खर्चे कम कर के, बालिका हत्यांए होने का भय टालने के लिए मा. बम्बई सरकार ने ता. २१–१–१८९० के दिन अपने हुकूम नं. ३०८ से जो नवीन नियम प्रकाशित किये उनमें ता. १८–२–१८८९ के दिन बने २१ नियमों में निम्न प्रकार सुधार किये –

(१) पहले प्रस्ताव में प्रारंभ के २१ नियमों का इस प्रकार समावेश होना था –

१. नियम मूल मसौदे के अनुसार मंजूर ।

२. मूल मसौदे में टीके के लिए ठहराया गया था, वह आये हुए अभिप्रायों को देखकर बहुमत से घटाकर १०१ रुपया किया गया ।

३. से. १५ नियम मूल मसौदे के अनुसार मंजूर ।

१६. एक पत्नी की हयाति में दूसरी पत्नी करने के लिए जो उम्र की मर्यादा तय की गई थी, उसे रद्द करके यह तय किया गया कि प्रत्येक सगाई, शादी तथा करावा की सूचना सभी लोग पट्वारी को देंगे, जिन्हें वह फीस लिए बगैर दर्ज करेगा । लेकिन टीके के लिए जो रकम मुकर्रर की गई हो वह उसी समय जाहिर करनी होगी ।

१७ से २१ मूल मसौदे के अनुसार की तमाम कलमें रद्द करके उनके बदले –

(२) अब से प्रत्येक पटवारी निम्न प्रकार रजिस्टर रखेगा तथा उसके कोरे कागज के सिरे पर लिखेगा – "कडवा कणबी समाज में सगाई, शादी तथा टीके का रजिस्टर" गांव.....

१. अनुक्रम नं; २. जिस तारीख को सूचना दी गई हो वह तारीख; ३. वर तथा उसके बाप का नाम; ४. वर के बाप या अभिभावक का गांव व तालुका; ५. कन्या तथा उसके बाप का नाम; ६. कन्या के बाप या अभिभावक का गांव व तालुका; ७. कन्या के पक्ष की ओर से दिये जानेवाले टीके की रकम; ८. उपरोक्त हकीकत दर्ज करानेवाले का नाम..... ।

(३) जब जब सगाई की रस्म हो तब कन्या का बाप या अभिभावक अडतालीस घन्टों में टीके की रकम जो निश्चित की गई हो, वह पटवारी को उपर्युक्त हकीकतों सहित बताएगा । नोंध (नोट करने) के लिए किसी प्रकार की फीस लेना मना है, अतः पटवारी ऐसी सभी नोंध मुफ्त में करेगा ।

(४) किसी भी नियम को तोडने पर छह (६) मास की कैद तथा एक हजार रुपये तक का जुर्माना होगा। लेकिन ऐसी उम्मीद रखी जाती है कि कोई भी कडवा कणवी उक्त नियमों में से किसी भी नियम का भंग करके कानून के विपरीत नहीं चलेगा। आगामी लग्नप्रसंग में इस कानून का पालन चुस्ती से होगा।

(५) इन नियमों की अवहेलना किए जाने की कोई भी सूचना मिलने पर पटवारी फौरन उसकी खबर तहसीलदार को पहुंचाएगा।

इस प्रकार के कानून बनाकर जाहिरनामा प्रकाशित किया गया। उसमें एक से दूसरी औरत करने वालों पर नियंत्रण डालने वाला जो मूल मसौदे में दर्शनीय नियम बना था वह उड गया, जिससे जन समाजमें उदासी छा गई। मा. सरकार को कई अर्जियां की गई, जिनमें अरजदारों ने ऐसा बताया था कि केवल रुपयों की लालच में लोभी मां–बाप अपने पुत्र को एक बार ब्याह कर रुपये पचाकर दूसरी स्त्री के साथ उसकी शादी करवाकर पहली औरत को त्याग देते हैं। ऐसी अनाथ बालाएं विपत्तियों से घिर जाती हैं। आम जनता के ऐसे चिल्ल–पों मचाने से (बार बार शिकायतों से) प्रभावित होकर मा. सरकार ने निम्न प्रकार नया सरक्युलर निकाला –

सरक्युलर

मा.कलेक्टर साहब के ता. २३ जनवरी, १८९० के सरक्युलर में जो नियम तथा विवरण प्रसिद्ध किए थे उन्हें रद्द करके, मा. बम्बई सरकार ने उनके क्रमांक १०४३, ता. १२ मार्च १८९० के जाहिरनामे में जो संशोधित नियम प्रसिद्ध किये गए हैं, उन्हें तथा अन्य सुधार–विवरणों को इस सरक्युलर से प्रसिद्ध किया जाता है

अहमदाबाद तथा खेडा डिस्ट्रिक्ट में कडवा कणबी समाज के लग्नों में लगते खर्चों के बारे में कानून बनाने के लिए सन् १८७० के एक्ट ८ को ध्यान में रखकर निम्न प्रकार संशोधित नियम मा. हिन्दुस्तान सरकार ने अनुग्रह करके मंजूर किये हैं, ऐसा मा. सरकार के पास किये गए प्रस्ताव क्रमांक ९८६, ता. ७ मार्च, १८९० से प्रसिद्ध किया गया है।

सन् १८७० के एक्ट ८ के तहत कडवा और लेउवा समाज के लग्नों में होने वाले खर्चों के बारे में बने नियम –

(इसके अनुसार थोडे बहुत फेरफार करके बनाए गए नियमों का वर्णन किया गया था और इस प्रकार कई व्यर्थ के खर्चों में कटौती की गई थी। अंत में मा. कलेक्टर साहब के हस्ताक्षर थे –)

ता. १४ मार्च, सन् १८९०

(हस्ताक्षर) H.E.M. James
कलेक्टर

इस सुधारवाले सरक्युलर में रुपयों की लालच में दूसरी औरत करने वालों को अंकुश में रखने के लिये टीके की रकम केवल पांच रुपया ही तय की गई थी। किंतु इससे उस बात पर कोई व्यवहार में नियंत्रण आया हो – ऐसा लगता नहीं है। इतना ही नहीं, बल्कि सन् १८४८ से आज तक खर्च घटाने के लिए बनाए गए सभी कानूनों के पीछे जितना परिश्रम हुआ था उसके अनुपात में कोई यथार्थ काम हुआ हो – ऐसा नहीं लगता। तदुपरांत पुत्रियों के मां–बापों को यथोचित राहत मिली हो ऐसा मालूम नहीं होता। क्योंकि ऐसे खर्च दोनों पक्षों की मिथ्याभिमानयुक्त सहमति से होते थे। इसके अतिरिक्त, यदि किसी लडकी का बाप अपने समधी को कानून के अनुसार चलने के लिए बाध्य करे, तो वह उन्मत्त समधी फौरन 'पाडे की सजा मिस्ती को' कहावत अनुसार अपने लडके की दूसरी शादी रचाकर उस निर्दोष बालिका को बरबाद कर देता था। उस युवती को ससुराल नहीं बुलाता, खुराकी व वस्त्रादि नहीं देता तथा साहि की कोटर (गुफा) जैसी अपनी जेबें भर नहीं जाय तब तक चैन भी नहीं लेने देता था। उसे इतना भी पता नहीं चलने देता था कि उसने दूसरी औरत से अधिक दो सो–पांचसों का टीका पा लिया है।

ऐसी परिस्थिति में अपनी बेटियों के हित के लिए दोनों पक्षों को नियंत्रण में लाने के लिऐ समाज की स्थिति का गहरा अध्ययन करनेवालों ने अपराध की प्रत्यक्ष प्रतीति कराने हेतु दूसरी पत्नी करने की उम्र सन् १८४८ में ३० वर्ष की तथा १८६९ में व १८८९ में २५ वर्ष की तय की थी। इससे सभी नियमों में यह एक ही नियम उन जुल्मियों के गले में फंदे की भांति लगा रहता था। तब तक वे अपने पुत्र की पुनः शादी नहीं कर सकते थे, तथा पुत्र को राजी किये बिना चल नहीं सकता और शायद पुत्र को राजी भी करले तो इतनी उम्र में पहली औरत से संतति हो गई होती (यह संभव है) तो ऐसे जुल्मियों की जैसे मौत ही हो जाती। क्योंकि फिर तलाक हो नहीं सकता था तथा दूसरी औरत करने पर पहली औरत को खुराकी कपडे तथा जेवरात देने पडते थे। और वह सब देने की उनकी सामर्थ्य कहां! अतः वे बेचारे मन ही मन ऐसे कानून से घुटन महसूस करते थे। ऐसे लोगों को नियंत्रण में रखने के लिए बने सभी कानूनों में केवल दूसरी औरत करने के लिए उम्र दर्शानेवाला कानून शक्तिशाली था। लेकिन समाज की लडकियों के दुर्भाग्य से यह क़ानून निकाल दिया गया तथा नाम के ही नियम कायम रहे। जनसमाज में फैली ऐसी निष्ठुरता को रोकने के लिए कैसे कार्य हुए हैं – यह हम देख चुके हैं और आगे भी देखेंगे।

इसी परंपरा में जब संवत् १९४६ के लग्न निकले तब कलेक्टर मा. जेम्स साहब तथा अधिकारी वर्ग ने विशेष सावधानी बर्ती थी, फिर भी 'मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी' इस कहावत के अनुसार दोनों पक्षोंकी गुप्त सहमति से मर्जी अनुसार

रुपये लिये दिये गए। उसमें भला अधिकारी वर्ग फरियाद पक्ष के अभाव में सबूत के बिना कर भी क्या सकते थे ! फिर भी उन्होंने भोज में नियम से अधिक आदमियों को खाने–खिलाने के अपराध में कई लोगों को गिरफ्तार किया था तथा दण्ड भी दिया था। लेकिन उसी अरसे में (लग्नों के पूर्व ता. २०–१२–१८८९ के रोज) यह महान जाति भक्त आद्य सुधारक राय बहादुर शेठ बहेचरदास अम्बाईदास लश्करी,, सी. एस. आई. दिवंगत हुए और ऐसे समाज का हितचिंतक एक – एक मात्र वीर पुरुष का कभी न पूरा हो सके ऐसा अभाव समाज को भुगतना पडा।

छप्पन का अकाल तथा सुधारों का पुनर्मार्जन

संवत् १९४६ की लग्न–मौसम में लग्न संबंधी बने हुए नियमों का कैसा असर हुआ था वह उत्तर विभाग के कमिश्नर एच. ई. एम. जेम्स साहब ने बम्बई सरकार को ता. २०–१०–१८९० को जो रिपोर्ट दी थी, उससे पता चलता है। इस रिपोर्ट का सारांश यह था –

- वीरमगाम से आई हुई रिपोर्ट बताती है कि कानूनों से खर्चे काफी घट गए हैं तथा गरीबों को बडा फायदा हुआ है। फिर गायकवाड सरकार की ओर से इन कानूनों का अस्वीकार होने से उनका भंग होने की संभावना है, क्योंकि दोनों राज्यों की सीमा पर आए गांवों में लग्न समय असुविधा हो गई थी तथा सरकारी सीमा के वर का बाप गायकवाडी सीमा में जाकर बडी– बडी रकम टीके में ले आए और उसी प्रकार गायकवाडी सीमा के लोग जिले की सीमा में आकर बडी बडी रकमें टीके के रुप में ले गए, ऐसा लश्करी शेठ शंभुप्रसाद बहेचरदास के पत्र से मालूम हुआ है।

- मैं समझ नहीं पाता कि मा. गायकवाड सरकार किस कारण इन कानूनों का अस्वीकार करती है ! बडौदा रेसिडन्ट साहब लिखते हैं कि लग्न के लिए देवी को बारबार पूछा नहीं जा सकता। इस बात को समझने में उनसे भूल हुई लगती है, क्योंकि पटेलों तथा पुरोहितों ने वचन दिया था कि – इस साल लग्न के लिए देवी से पूछेंगे तथा फिर प्रति पांच साल पश्चात् लग्न निकालने के लिए चिठ्ठियां डालने की माथापच्ची में भी नहीं पडेंगे... अर्थात् इस बार जब हम लग्न की चिठ्ठियां डालेंगे तब देवी से आगामी पांच वर्ष पर लग्न करने हेतु पूछकर साथ में ही तारीखें तय कर लेंगे, ताकि अभी से तय की गई तारीखों पर पांच वर्षीय तिथि में लग्न हो सके। पुरोहितों ने अपना वचन भंग किया है, जिससे मुझे एसा लगता है कि इस समाज के किन्हीं नेताओं ने उन्हे वैसा करने पर मजबूर किया होगा। लेकिन खर्चे में कमी करने के लिए सभी सहमत हैं। इस बात से तथा कम अवधि के लग्न की बात का कोई संबन्ध नहीं है और वह देवी से पूछे बिना खुशी से लागू हो सकते हैं।

- लग्न की मौसम बीत जाने पर ये नियम कैसा कार्य करते हैं वह देखने के पश्चात् बने हुए कानूनों को स्वीकार करने के लिए मा. गायकवाड सरकार ने पुनर्विचार करने का वचन दिया

है । अतः मुझे विश्वास है कि देर हो जाने से पूर्व ही इन्हें वैसा करने को प्रेरित किया जाएगा । अपने राज्य में अच्छी कन्याओं के लिए हो रही स्पर्धा में जो अधिक कन्या विक्रय चल रहा था, वह बंद हुआ है । अतः अपनी जनता की बरबादी को रोकने के लिए मा. गायकवाड सरकार दृढता से प्रयत्नशील होंगी ।

- मैं ऐसा दृढ विश्वास रखता हूं कि इस बात की अवहेलना नहीं की जाएगी तथा मा. गायकवाड सरकार के कडी प्रांत के अधिकारिओं के द्वारा ऊंझा माता के पाटीदार एवं पुरोहितों को माताजी से प्रति पांच वर्ष के लग्न की अर्ज करने के लिए फिर से दबाव किया जाएगा । इस से कणबियों की आर्थिक, सामाजिक तथा नैतिक स्थिति में भी सुधार होगा । अंततः दस- वर्षीय लग्न-रीति बंद हो जाएगी ।
- इस प्रथा में यदि संपूर्ण सुधार लाने का कोई उपाय होगा तो इतना ही कि पहले प्रति पांचवर्षीय लग्नरीति चालू करें, फिर लोग तथा पुरोहित भी देखेंगे कि ऐसा होने से किसी को किसी प्रकार का नुकसान तो है नहीं... तब यह पुराना निष्ठुर रिवाज मिट जाएगा और जनता भविष्य में प्रतिवर्ष शादियाँ होती देख पाएगी ।
- "अब तक करीब ८५९ फूल के दडे (गेंद) हुए हैं । उनके प्रति समाज के नेताओं की दृष्टि तिरस्कारपूर्ण है; फिर भी उस में अधिक खर्चा नहीं होता इसलिए वैसी शादियां अधिक होने लगी हैं । इस प्रकार कन्या के माता-पिता को भी अधिक लाभ हुआ है । अतः ऐसे बढते लग्नों के लिए मुझे कोई अफसोस नहीं है । इस कानून के पालन कराने के लिये अलग इन्स्पेक्टरों को रखना जरूरी नहीं है, लेकिन यदि जिले के अधिकारी स्वयं चुस्त रहेंगे, तो पूरा डिपार्टमेन्ट चुस्त होगा । महसूल आदि कार्यों के लिए जब गांवों में जाना पडता है, तब इस बारे में भी सावधानी बर्तें तो अपराध पकडना आसान हो जाएगा । यदि अधिकारी स्वयं सावधान नहीं रहेंगे, तो वह कानून भी अन्य मृतप्रायः कानूनों की भांति पडा रहेगा ।
- कुल ११३८६ शादियां हुई हैं । उनमें १०४१६ शादियां सही शादियां, ८५९ शादियां फूल के दडे से शादियां, ५० बाह्यवर से शादियां, २६ प्रथम के होते दूसरी औरत से शादियां, ३५ शादियां प्रथम पत्नी के मृत्योपरांत तथा ५४७ शादियां सरकारी सीमा से गायकवाडी सीमा में जाकर की गई हैं । अतः वहां कानून की आवश्यकता है ।

कमिश्नर साहब की रिपोर्ट का मा. बम्बई सरकार ने ता. १३-१२-१८९० के जनरल डिपार्टमेन्ट नंबर ४९०२ द्वारा जो प्रत्युत्तर दिया था, उसका सारांश निम्न प्रकार था -

- "कडवाओं की शादी के खर्चे कम करने के लिए बने कानूनों ने जो कार्य किया है, उसकी रिपोर्ट संतोषजनक है । एक प्रति पोलिटिकल डिपार्टमेन्ट में भेजकर विनती की जाय कि एजन्ट टु द गवर्नर जनरल बडौदा को लिखकर शादी के उक्त कानूनों को स्वीकार करके प्रति पांच वर्षीय लग्न करने के दिन तय करने ऊंझा में माता से आदेश प्राप्त करने का वचन माता के पुजारियों से लेने के लिए मा. गायकवाड सरकार से अनुरोध करें....." ।

इस दौरान बावला के निवासी स्वजाति के कवि जेसिंहदास ने भी एक मासिक पत्रिका निकालकर समाज सेवा चालू की थी और कई गद्य-पद्य पुस्तकें लिखकर

लेखक एवं कवि के रूप में ख्याति प्राप्त की थी। सन् १८८९ में रा. ब. शेठ बहेचरदास के निधन के बाद समाज में उनके काल में जैसी जागृति थी, वैसी जागृति अब न रही थी।

संवत् १९५५ में चौमासा विफल होने के कारण छप्पनिया अकाल पडा था, अतः उस साल में लग्न आने पर भी शादियां न हो पाई थी। वे संवत् १९५७ में हुई। फिर भी उस दुष्काल के कारण लोग इतने बरबाद हो गए थे तथा उनकी आर्थिक हालत इतनी बिगड चुकी थी कि बरसों तक वे सम्हल नहीं पाए। टीका एवं दहेज आदि विस्मृत ही हो गए, ऊपर से बेटों को मुक्त ब्याहना भी मुश्किल हो गया। सभी जगह फूल के दडे से काम चलाया गया। अतः बेटी की शादी के रूप में आई हुई एक तरह की आपत्ति को टालने के लिए फूल के दडे की सुविधा वाला रास्ता सलामत बचा था, लेकिन बेटों के लिए वैसी किसी फूल की गेंद की प्रथा न होने के कारण तथा 'लडका तो कुंवारा रहता ही नहीं' ऐसी प्रथा का चलन बंद हो जाने के कारण, बरसों तक पुत्रों के बापों द्वारा की जाने वाली मनमानी इस बार खत्म हो गई।

इस बार भी सन् १८८९ में अमल में आए कानून लोगों की जानकारी हेतु ता. २–३–१९०१ को कलेक्टर मा. पी. जे. मीड साहब के हस्ताक्षरों से युक्त प्रकट किये गए थे। लेकिन गत लग्न–प्रसंग जैसी सावधानी न रह पाई, क्योंकि स्व. शेठ बहेचरदासजी के निधन के बाद उनके सुपुत्र शेठ शंभुप्रसादभाई जो ऐसे कामों में रुचि रखते थे वे भी लग्न निकलने से पहले ही दिवंगत हो गए। साथ ही बने हुए कानूनों में भी उनके भंग होने की शिकायतों के अभाव में पुलिस को प्रत्यक्ष ठोस प्रमाण मिले, ऐसा कोई कानून न था।

इस अकाल के बाद लोगों की मनःस्थिति तथा आर्थिक दशा में बडा अंतर आ गया और सभीने लग्न समय पर बेटियों को फूल की गेंद के साथ ब्याहने की परम्परा को अपना लिया। फिर, दिन–ब–दिन शिक्षा का प्रचार बढने के कारण लोगों के हृदय से अज्ञान के बादल हटते गए।

लग्न की प्रचलित प्रथा कुछ लोगों की स्वार्थमयी ठेकेदारी है एवं अनिष्टकारी है – ऐसा प्रतित होने लगा। उसमें भी लग्न–मिति निकालकर अहमदाबाद लाकर जाहिर करने के लिए हर बार दो पक्ष बनते थे। ऊंझा के लग्न निकालने वाले पुरोहित व पटेल दुहरी भूमिका अदा करते थे। अतः इस बारे में चर्चाएं बढ गई। नवोदित शिक्षित युवा वर्ग उसमें गहरी छानबीन करने लगा। इसमें इसको कई प्रकार की पोलें नजर आने लगी। उसकी श्रद्धा घटने लगी और यह सब स्वयं माताजी नहीं, बल्कि उनके नाम से अन्य कुछ स्वार्थी लोगों ने यह पाखंड चलाया है – ऐसा स्पष्ट उन सबको प्रतीत होने लगा।

मृतप्रायः बने हुए सुधारों का पुनरुद्धार

विद्योपासना के युग में तमाम जातियां सामाजिक सुधारों के प्रति गतिमान हुई तब स्व. शेठ बहेचरदास लश्करी जैसे महापुरुष द्वारा प्रारंभ किये गए अदम्य पुरुषार्थ की परंपरा को एक नया आयाम मिला व कडवा समाज में सुधार की प्रवृत्ति को वेग मिला। समाज की स्थिति बदलने के लिए वीरमगाम में कई बरसों से देसाई नारणदास जोराभाई मारफतिया समय–समय पर चर्चा करके नेताओं का ध्यान खींचते रहते थे। हालांकि उनके वर्षों के लम्बे पुरुषार्थ का कोई प्रत्यक्ष फल नहीं मिला, लेकिन निःस्वार्थ परायण पुरुषार्थ कुदरती तौर पर ही कभी तो उत्तम फल दिये बगैर नहीं रहता।

उस जमाने में अहमदाबाद में भी स्व. बंधु मणिलाल दौलतरामने 'विजय' नामक मासिक पत्रिका निकालकर जन–समाज की सेवा करना शुरु किया था। इस जातिबंधुने बारंबार अपने उत्तम विचारों को नगर के जातिबंधुओं के सामने रखा था, किंतु अपरिपक्व दिलों पर उसका कोई असर नहीं हुआ। फिर भी उस वीर पुरुष ने अपने प्रयत्नों में किंचित् मात्र भी शिथिलता नहीं आने दी। उपर्युक्त दोनों बंधुओं के ऐसे अथक पुरुषार्थ के दौरान बम्बई निवासी रा. हरजीवन भगवानदास भावनगरी ने अपने बेटे की शादी स्वतंत्र रूप से करके वीर सुधारक के रूप में ख्याति प्राप्त की। बादमें चुनीलाल वनमालीदास और पुरुषोत्तम परीख ने भी छूटक शादियां की जिसमें लब्ध–प्रतिष्ठित नागरिक उपस्थित रहे थे।

आर्यावर्तकी अलग–अलग जातियों की प्रवृत्ति इस समय अपने–अपने समाज के सुधार की ओर झुक रही थी। तमाम जातियां कोन्फरेन्स एवं सभाएं भरने लगी थी। यह देखकर कडवा समाज के युवकों में भी एक नया जोश उत्पन्न हुआ। वीरमगाम के कुमार श्री लालसिंहजीभाई वहां के स्थानीय समाज के प्रमुख थे। उन्होंने समाज के प्रति अपना कर्तव्य निभाने के लिए कोई प्रवृत्ति करनी चाही। उनके ऐसे उमदा विचारों को देसाई नारणदास जोराभाई तथा देसाई कालीदास हरजीवनदास आदि ने पूरे दिल से प्रोत्साहन दिया। तब अपने पिताजी देसाई श्री रायसिंहजीभाई से अनुमति लेकर कुमार श्री लालसिंहजीभाई ने समाज की उन्नति हेतु विचार–विमर्श करने के लिये अपने दरबार होल में संवत् १९६३ फाल्गुन वद १ को समाज की सभा बुलवाई।

इस शुभ अवसर पर अहमदाबाद से स्व. मणिलालभाई, प्रो. जेठालालभाई व रा. जीवणलालभाई भी आए हुए थे। उन्होंने भी वीरमगाम समाज को कोन्फरेंन्स भरने का अनुरोध किया। तब एक लम्बी चर्चा के बाद समस्त समाज की कोनफरेंन्स भरने का प्रस्ताव पास हुआ। फण्ड की योजना बनाने के लिये प्रारंभ में शेठ जीभाई केवलदास तथा शेठ गोरधनदास मोहनलालने २५०० रुपये दिये तथा स्वयं देसाईजीने भी बडी रकम लिखवायी। उनका अनुकरण करते हुए अन्य सज्जोनोंने भी छोटी–बडी

रकमें लिखवाकर जरूरी फण्ड बनवा दिया । उसी दिन शाम को वीरमगाम के कुछ युवक स्व. श्री द्वारकादास की प्रेरणा से उनके बंगले पर एकत्रित हुए । वहां समाज सेवा के इस कार्य में वृद्धों के सहयोगी बनने के लिए एक मंडली बनाने का निर्णय लिया ।

दूसरे दिन उस वीरपुरुष के दीवान-खंड में कुमार श्री लालसिंहजीभाई की अध्यक्षता में युवकों की सभा आयोजित हुई और सर्वानुमति से संवत् १९६३ के फाल्गुन वद २, शनिवार को **श्री कडवा पाटीदार हितवर्धक मंडल** की स्थापना हुई । उस मंडल के उत्साही युवक-बन्धुओं ने समाज सेवा में कैसे योगदान दिया है वह हम आगे देखेंगे ।

कोन्फरेन्स की बात हवा की तरह फैल गई । लेकिन कुछ स्थानीय नेताओं ने इस प्रवृत्ति का विरोध किया और मतभेद खडा होने से कार्य अवरुद्ध हो गया । इसी दौरान रा. मणिलाल दौलतराम का देहांत हो गया । इससे उनके द्वारा निकलती 'विजय' पत्रिका भी बंद हो गयी । सुधार की प्रवृत्ति चालू थी, अतः एक आम पत्रिका की आवश्यकता सबको महसूस हो रही थी । जब स्वयं भगवान हाथ पकडकर उन्नति की ओर ले जाना चाहें तब कौन रोक सकता है ! अल्पकाल में ही विजय पत्रिका का अभाव पूरा करने वीरमगाम से रा. केशवलाल माधवलाल तथा रा. पुरुषोत्तम लल्लुभाईने सं. १९६३ के श्रावण मासमें **कडवा विजय** पत्रिका चालू कर दी, जिसका उत्साही लोगों ने तुरंत स्वागत किया । कोन्फरेन्स की मीटिंग बुलाने के कार्य में देरी हो रही थी । लेकिन समग्र जनसमाज में इस विवेचन से काफी जागृति आ गयी थी ।

कडी के रा. अमीन चतुरभाई राधाभाई तथा उनके युवा बन्धु अमीन माणेकलाल ने मिलकर स्थानीय एवं कडी प्रांत के अन्य नेताओं की सहायता से उस विभाग की जाति की स्थिति सुधारने तथा भविष्य में समस्त कडवा कोन्फरेन्स को अच्छी तरह सहायक बन पडने हेतु '**श्री कडी प्रांत खेडूत (कृषक) पटेल समाज**' की स्थापना की, जिसकी पहली बैठक कडी में ता. २५-१२-१९०७ को हुई ।[१] बाद में उसकी दो-तीन मीटिंगें और हुई, फिर संस्था बंद हो गई । यद्यपि उसने लम्बे अरसे तक सेवा नहीं की, फिर भी अपने अल्प कार्यकाल में इस संस्था ने उस इलाके में काफी जागृति पैदा की । हर वैशाखी पूनम के दिन आयोजित होनेवाला श्री उमिया माता का वार्षिक मेला इस संस्था के कामों का एक उत्तम कार्य हैं, जिसका अच्छा फायदा हम प्रतिवर्ष उठाते हैं । उस समय की जागृति के फलस्वरूप अहमदाबाद से 'श्री कडवा पाटीदार सुधारक' नाम की पत्रिका निकली जो दूसरे ही महिने में बंद हो गई । फिर जाति सेवा हेतु 'श्री उमिया विजय' पत्रिका निकली । जो पांच-छः महिने बाद बंद हो गई ।

---

१. कडवा विजय पृ.३, अंक ५

सुधार की प्रवृत्ति जोरों पर थी । सूरत जिले के कुछ गांवों के उत्साही भाईयों ने 'श्री कडवा पाटीदार समाज' नामकी संस्था स्थापित की । उसकी पहली बैठक रांदेर के निकट कुरुक्षेत्र महादेव में ता. २६-२-१९०८ को हुई । इस संस्था ने बडा उत्तम कार्य किया था । सूरत तथा नवसारी इलाकों में बडी जागृति पैदा कर दी । आज तक अपने स्तुत्य प्रयत्नों से दृढ बन चुके प्राचीन रिवाजों को हटाने में इसने अच्छा योगदान दिया है और दे रही है इसके लिये उसके कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहिए ।

क्रांति के इस नये युग में मा. सर सयाजीराव गायकवाड महाराज ने अपनी जनता की शारीरिक व मानसिक स्थिति सुधारकर उसे उन्नति की चोटी पर पहुंचाने के लिये 'बालविवाह प्रतिबंधक निबंध' नाम से कानून बनाया । उससे तथा ११ वर्ष पर तय की जाती एक ही तिथि का ४५ दिन से बडे सभी अनव्याहे बच्चों की शादी कर देने की हमारी प्राचीन प्रथा खतरे में पड गई और दूसरी लग्न अवधि आने तक १२ वर्ष की उम्र कन्या की तथा १६ वर्ष की उम्र लडके की न हुई हो, ऐसे बच्चों की शादी हो सके-ऐसा कानून बनाया । इस कानून से बचने के लिए 'श्री कडी प्रांत खेडूत पटेल समाज' नामक संस्था ने भरसक प्रयत्न किये, लेकिन ऐसा करने पर वह संस्था अपने आप ही बंद हो गई ।

ऐसी उत्साही प्रवृत्ति के दिनों में ही वीरमगाम के सुधारक बंधुओं के अग्रगण्य शेठ द्वारकादास जीभाई का संवत् १९६४ की वैशाख सुद ५ को निधन हो गया । इस प्रकार समाज के सुधारक पक्ष को और एक न पूरी की जा सके ऐसी क्षति का सामना करवा पडा । फिर भी 'कडवा विजय' के अधिक फैलाव से प्रवृत्तियां वेग पकडती गई । जगह-जगह व गांव-गांवमें सुधारों के प्रवचन होने लगे, जिसके फलस्वरूप तरह-तरह के सुधारों के प्रस्ताव विभिन्न 'समाज-मण्डलों' में पास होने लगे ।

संवत् १९६४ में हमारे लेउवा बंधुओं की उन्नति हेतु 'पटेल बंधु' नामकी मासिक पत्रिका सिनोर से तथा 'पाटीदार हितेच्छु' पत्रिका बांझ से प्रकाशित होने लगी । कुछ अरसे तक इन दिनों पत्रिकाओं के कुशल संपादकों ने अलग अलग सेवा की, लेकिन कालांतर में दोनों पत्रिकाओं का एक हो जाना आवश्यक लगने से दोनों एक हो गई एवं 'पटेल बंधु तथा पाटीदार हितेच्छु' के संयुक्त नामाभिधान से सेवा करने लगी ।

इस प्रकार समाज में चारों ओर से चलती प्रवृत्तियों को अधिक उत्साह देते हुए, काठियावाड की सुषुप्त जाति को जागृत कर, उसकी यथाशक्ति सेवा करने के लिये भावनगर के उत्साही युवकों ने संवत् १९६५ के वैशाख मास में 'कडवा हितेच्छु' नामकी मासिक पत्रिका निकाली, जिसने समाजसेवा में अपना श्रेष्ठ योगदान दिया ।

कोन्फरेन्स भरने के लिए हुए प्रस्ताव पर वीरमगाम के नेता लोग लंबी अवधि होने पर भी कोई अमल नहीं कर रहे थे, इसलिए विनती कर-कर के थके 'श्री कडवा पाटीदार हिवर्धक मंडल' के उत्साही युवकों ने अंत में अपने नेता स्वर्गस्थ शेठ श्री द्वारकादास की भविष्यवाणी के अनुसार देसाई अमरसिंहजी (धांगध्रावाले)की सलाह

लेकर 'सुधारक विचारकों का एक स्वतंत्र समाज' की स्थापना की। उसमें गांव-परगांव के कई सज्जन सदस्य बने। उसकी प्रथम बैठक वीरमगाम में डोक्टर पीतांबरदास कुबेरदास अहमदाबाद वाले की अध्यक्षता में ता. २८, २९, ३० दिसम्बर, सन् १९०९ में हुई, जिसमें करीब ५०० सदस्य उपस्थित रहे थे। यह कार्य बडा उत्तम रहा और इससे समस्त समाज आश्चर्य में डूब गया।[१] इसके कुछ ही समय बाद हमारे लेउवा पाटीदार बंधुओं ने भी वांढ में ऑन. सरदार पुरुषोत्तमदास बिहारीदास की अध्यक्षता में अपनी पाटीदार परिषद् आयोजित करके जातिसुधार के श्रेष्ठ नियम बनाये।

समाज की प्रथम बैठक के बाद संवत् १९६६ में लग्न आनेवाले थे, अतः गायकवाडी राज्यके 'बालविवाह प्रतिबंधक निबंध' नामक कानून को दृढ करने हेतु सुधारकों द्वारा किये गए अथक प्रयत्नों से समस्त जाति – विशेषकर गायकवाडी राज्य में बसी हुई जाति में एक प्रकार की खलबली मच गई। पुराने खयालात वाले इस कानून से स्वयं को मुक्त करने के लिये और नये विचारवाले उस कानून को अधिक से अधिक मजबूत बनाकर अन्य जातियों की भांति ही बिना किसी भी प्रकार की छूट के अमल में लाने के लिये अर्जियां करने लगे। इतने में लग्न निकालने वाले तथा बधानेवाले ऊंझा तथा अहमदाबाद के दोनों पक्ष श्री उमिया माताजी के मंदिर में जाकर लग्न निकलवाने के प्रयत्न करने लगे। अतः गायकवाड सरकार के अधिकारियोंने शांति का भंग न होने देने के लिये माताजी के मंदिर पर पुलिस बिठा दी। (ता. ८-५-१९१०)

अहमदाबाद के लग्न बधाने वाले दोनों पक्षों के नेता लग्न लेकर अहमदाबाद आये। लश्करी पक्षवालों ने संवत् १९६६ के महा सुद १ को उमिया माता से निकाली गई लग्न पत्रिका पढी, जिससे चालू लग्न चैत्र वद १० का, मांडव रात्रिका सं. १९७१ के वैशाख सुद १० का दूसरा – ऐसे पांच-पांच वर्ष के लग्न घोषित हुए, जबकि दूसरे पक्ष ने अन्य स्थल से (विशेषकर कालेश्वर में से) निकाला लग्न महासुद ५ को घोषित किया। इसमें वैशाख सुद १ का लग्न तथा सुद ११ की मांडव रात्री का लग्न जाहिर हुआ। वास्तव में इस प्रकार भिन्न-भिन्न लग्न घोषित करके प्राचीन प्रथामें निहित पोलपट्टीका द्वार अपने ही हाथों खोलकर उन्होंने व्यावहारिक गलती की और सुधारकर्ता एवं स्वतंत्र ब्याह के इच्छुकों का मार्ग सरल कर दिया। ऐसा करके उन्होंने दुनिया को बता दिया कि लग्न तिथि माताजी नहीं, बल्कि स्वार्थपरायण अवसरवादी लोग ही अपनी इच्छा से तय करते हैं। इस प्रकार दो-दो लग्न निकलने के कारण लोगों में उनकी पोल खुल गई।

---

१. कडवा विजय पु.३, अंक ५

दोनों पक्ष के उम्मीदवार अपना उल्लू सीधा करने के लिये लग्न स्वीकार कराने पाटडी दरवार के वहां पहुंचे। उन्होंने इस प्रकार के दो लग्नों में से किसको प्राधान्य दिया जाय – यह तय करने, समाज के विभिन्न गांवों से नेताओं को निमंत्रित किया। उनकी सभा ता. २६–२–१९१० से ता. २–३–१९१० तक पाटडी में आयोजित होती रही, फिर भी कोई संतोषजनक परिणाम नहीं निकला। अतः मा. दरवार साहव ने सभा वरखास्त कर दी।

सूरत तथा नवसारी विभाग के 'श्री कडवा पाटीदार समाज' ने अपने गांवों की सभा वुलाकर अहमदावाद में घोषित दो प्रकार के लग्नों में से किसी एक को भी स्वीकार न करके, अपनी सभा में सभी नेताओं के समक्ष कुशल ज्योतिषिओं को वुलवाया। उनके बीच नया वैशाख सुद ८ का लग्न निकलवाया तथा दूसरा लग्न पुनः पांच वर्ष के वाद इसी प्रकार सभा समक्ष निकालने का निर्णय लिया गया। इस सभा की अध्यक्षता भावनगर वाले रा. रा. मूलजीभाई (एल. एल. वी.) को सोंपी गई थी।

इस प्रकार लग्नप्रथा विलकुल अव्यवस्थित हो जाने से, जगह–जगह मंडलियां वन जाने से, कन्या–विक्रय की अधिकता के कारण फूल के दडे की प्रथा मजबूत वन जाने से तथा संवत् १९५६ के अकाल के वाद में भी कई सालों तक एक दूसरे के आर्थिक शोषण में लम्वे अरसे से प्रवृत्त कणविओं की अक्ल ठिकाने आ गई। अव लग्न में कन्याओं को व्याह करके रुपयों से तिजोरी भरने की वजाय फूल के दडे के साथ शादी करा देने का रिवाज जोरों से चला। इससे अपने वेटों की शादी कराने को तत्पर हो रहे पिताओं को कौडी के मूल्य की (?) कन्याएं, करोंडों रुपये खर्च करके भी मिलना मुश्किल हो गया। ऊपर से चाणस्मा के उस ओर से पाटडी–वीरमगाम तक की उत्तरोत्तर कन्याएं देने की संयुक्त शृंखला में से क्रमशः मंडली बनाकर एक–एक विभाग अलग होने लगा। चाणस्मा आदि २६ गांव, पाटणवाडा, दंढाव्य आदि हिस्सों की मंडली वनने से दशकोशी–भाल में कन्याओं की कमी होने लगी। उसका असर दूर–दूर तक हुआ। कईयों के पालने में से उठा लिये जाते पुत्र विनव्याहे रहकर पालने में ही झुलते रहने लगे। अतः सैकडों वर्षों तक टीका मांगकर तगडे बने लोगों के सभी मिथ्याभिमानी लालची शब्द चक्रवृद्धि व्याज की भांति उनके ही मुंहों में लौट गये। शादी व वारातों के खर्चे हवा हो गए। गुप्त रूप से अपनी गरज से पंडाल में आकर, पुत्र को व्याह कर निश्चिंत हुए। इस वार भी सन् १८८९ में लग्नों में खर्चे कम करने के लिए बना सर्क्युलर मा. कलेक्टर साहब के हस्ताक्षरों के साथ प्रसिद्ध (प्रकाशित) हुआ था, लेकिन अनायास ही कणबी ऐसी स्थिति में आ गए कि उन्हें कायदों की आवश्यकता ही न रही।

इस प्रकार लग्न बीतने पर समाज में उठा बवंडर शांत हो गया। फौरन 'श्री कडवा पाटीदार सुधारक समाज' ने अपनी दूसरी वार्षिक बैठक[1] बडौदा में, वीरमगाम वाले देसाई करसनदास जयसिंहभाई (तत्कालीन जंबुसर के सब जज साहब) की अध्यक्षता में ता. २४, २५, २६ डीसम्बर, १९१० में बुलाई, जिसमें बडौदा के नेक नामदार गायकवाड सरकार सर सयाजीराव महाराज भी पधारे थे। साथ ही पाटडी, सूरत आदि स्थानों के कुछ नामी पुरुषों ने भी पधारकर हिस्सा लिया था। इतना ही नहीं वे इस संस्था की श्रेष्ठ कार्यपद्धति देखकर सदस्य भी बने। अब पुराने ख्यालातवालों के मन दिनप्रतिदिन उदास होते गए। समाज की ओर से मा. गायकवाड सरकार को सन्मानपत्र देकर 'बालविवाह प्रतिबंधक निबंध' समाज में पूर्णतया लागू कराने के लिये की गई मांग ने बालविवाह की मरणासन्न प्रथा को अंतिम चोट पहुंचाई। पुराने रिवाज की इस प्रकार जमींदोस्त हुई दीवार को पुनः खडी करके सुधार के उमड आये महासागर को थामने, बडौदा के पा. भगवानदासने संवत् १९६७ के आषाढ मास में 'श्री कडवा जाति हितदर्शक' (?) नाम से मासिक पत्रिका निकाली। वह उस समय बिलकुल निकम्मे सिद्ध हुए रिवाजों के पुनरुद्धार के लिए चार महीनों तक चिल्ल–पों– मचाकर स्वतः बंद हो गई।

संवत् १९६८ में सूखा (अकाल) पडने से 'श्री पाटीदार सुधारक समाज' की तीसरी वार्षिक सभा मौकूफ (निलम्बित) रही। ऐसे में मा. बम्बई सरकार ने पाटडी संस्थान के युवराज श्री दौलतसिंहजी साहब को फर्स्ट क्लास मेजिस्ट्रेट की सत्ता सौंपी, अतः गांव–गांव से उन पर सम्मान पत्रों की वर्षा होती रही। अहमदाबाद के समाज ने स्वंय उन्हें सम्मान–पत्र देते हुए अनुरोध किया था कि 'बालविवाह की वर्तमान प्रथामें सुधार कर देने के लिए समाज के प्रति अपनी सत्ता का उपयोग करने की कृपा करें।' फिर, अहमदाबाद के लग्न निमित्त के दोनों पक्षों के नेताओं का एक बडा प्रतिनिधि–मंडल भी मा. पाटडी दरबारश्री के समक्ष जाकर वैसी ही विनती कर आया। इससे मा. दरबारश्री ने लग्नप्रथ में सुधार करने हेतु समस्त समाज के नेताओं की ता. १२–३–१९१२ को सभा बुलवाई।[2]

सभा में लगभग सभी नेताओं ने सुधार करने में अपनी सहमति दी। लेकिन कुछ लोगों की नाराजगी के कारण मा. दरबारश्री ने गायकवाडी बन्धुओं के 'बाल विवाह प्रतिबंधक निबंध' कानून पर विशेष विचार–विमर्श करके सुधार का फैसला प्रकट करना निलम्बित रखा। विद्यावृद्धि के लिए समस्त समाज का एक 'श्री कडवा पाटीदार हितवर्धक महामंडल' बनाया, जिसके फण्ड में स्वयं उन्होंने रु. १५००० दिये। वीरमगाम के देसाईश्री ने भी रु. ३००० लिखवाए। सभी सज्जनों ने तथा उपस्थित बंधुओं ने अपना यथाशक्ति योगदान दिया, जिससे फण्ड लगभग एक लाख रुपये तक पहुंच गया।

---

१. कडवा विजय पु.४, ११५ २. कडवा विजय पु.५, १२७

क्रांतिद्रष्टा महर्षि दयानंद सरस्वती

नारायणजी रामजीभाई मिस्त्री
वीराणी तेह. नखत्राणा (कच्छ),
१९१७ कुवां (निमाड). की पाटीदार
सभा के सभापति रहे।

कणबियों का विस्तरण

कच्छ में कणबियों का विस्तरण

हम पिछले प्रकरणों में देख चुके हैं कि कणबी अपने मूल स्थान से आकर गुजरात में किस प्रकार बसे। अब हम निम्न तथ्यों से समझेंगे कि इनका गुजरात से कुछ हिस्सा कैसे और कब कच्छ प्रांत में गया।

सन् १४४९ में एक इमामशाह नाम का सैयद ईरान से हिंद की यात्रा करता करता गुजरात में आकर अहमदाबाद के निकट गीरमथा गांव की सीमा पर आकर रहने लगा।[१] तीन साल से वर्षा नहीं हुई थी, अतः उसे फकीर मानकर सभी उससे उपाय पूछने गए। संयोग से उसके कहे अनुसार वर्षा भी हो गई। इससे लोगों को विश्वास पैदा हुआ और उसकी इच्छा के अनुसार उन्होंने कुटीर बंधवा कर उसे वहां रख लिया।

सैयद इमामशाह का प्रभाव अज्ञानी भोले लोगों पर तो था ही, लेकिन जब अहमदाबाद का सुलतान मोहंमद द्वितीय (ई. स. १४५१) वहां पर शिकार खेलता हुआ आ पहुंचा तो उसने कोई आश्चर्यजनक चमत्कार उसे दिखाया। अतः सुलतान ने अपनी शाहजादी का व्याह उससे कर दिया। ऐसा होने से इमामशाह एक महात्मा (पीर) के रूप में प्रसिद्ध हो गया।

इसी दौरान काशी की यात्रा करके लौटते समय सूरत–नवसारी के गांवों के कुछ लेउवा–कणबी वहां गीरमथा गांव में रुके। उन्हें भी पीर इमामशाह ने चमत्कार दिखाया। अतः वे सब भी उनके शिष्य बन गए।

धीरे धीरे पीर इमामशाह की ख्याति बढने से और भी कई लोग उनके शिष्य बने।

कच्छी पाटीदार रामानी, शांखला, सुरानी, भावानी, लींबाणी, पोकार, चोपडा जैसी शाखों में विभाजित थे। उन्होंने पीराणा पंथ को स्वीकार किया था।

विक्रम संवत् १५ वी व १६ वी सदी में इन लोगों ने अपना मूल हिन्दू धर्म त्याग कर मुस्लिम मत स्वीकार किया था। अतः उनका अपने परिवार जाति एवं गांव में

१. गुजरात सर्वसंग्रह – पृ. १३७, १५४, ४२८

कलह होना स्वाभाविक ही था। इसलिये अपनी अनुकूलता के लिये सभी पीराणा पंथी कणवी क्रमशः गुजरात के भिन्न–भिन्न हिस्सों से निकलकर बागड (कच्छ) में शीकरुं गांव आए। वहां अपने सहोदर समान स्वधर्मियों से मिलकर एक अलग जाति बनाई।

कच्छ का प्रदेश वर्षों से कृषि में पिछडा हुआ था। अतः गुजरात के कुशल कृषक कच्छ के 'राव' को सहज ही मिल जाने से उसने उनका बहुत सन्मान किया और उन्हें जमीनें दी। बाद में वे शिकरुं से अपनी अनुकूलता अनुसार अलग–अलग गावों में जाकर बस गए।

भले ही उनके गुरु मुसलामान थे, फिर भी उनका पूरा रहन–सहन, तौर–तरीका हिन्दुओं का ही था। वे केवल वार्षिक भेंट पीराणा भेजते थे, बाकी उनमें मुसलामानों जैसा कोई लक्षण नहीं था। ऐसा कुछ समय चला। उनकी आबादी बढी। शुरु के १२–१३ गावों में से बढकर २५–३० गांव बन गए।

इन्हीं 'दिनों' उनके वहां किसी लग्न–प्रसंग पर पीराणा पंथ का एक धर्मगुरु 'प्रागजी काका' आए और उन्होंने मुसलमान बने कणबियों को हिन्दुओं से एकदम पृथक पीर के पूर्ण अनुयायी बनाने के प्रयास किये। प्रागजी काका ने पुश्तनामियों, भाटों–पुरोहितों आदि को आपस में फूट डलवा कर अपना उल्लू सीधा किया। उसने नखत्राणां गांव में सबको इकट्ठे करवा कर इस आशय का प्रस्ताव पास कराया –

"...जो भी इन ब्राह्मणों व भाटों का साथ देगा वह समाज का अपराधी होगा। बाबा इमाम शाह को मानने वाले हमारे कणबी भाई आज (पोष वद १३, सं. १८३२) से हमारे गुरु इमामशाह के धर्म का सही ढंग से पालन करेंगे तथा उनकी गादी पर काका प्रागजी की आज्ञा से चलेंगे। यह प्रस्ताव हमारी समस्त जाति को वंशपरंपरागत कबूल मंजूर है। (आगेवान पंचो के क्रमशः हस्ताक्षर)

इस घटना के बाद से भाटों व ब्राह्मणों से व्यवहार बंद हो जाने के कारण कणबी भाई अपने मूल गौरव व इतिहास से वंचित होने लगे। अब उनका व्यवहार कई अंशों में मुस्लिमों जैसा होने लगा।[१]

इसके बाद स्वामीनारायण पंथ के साधुओं के सत्संग के प्रभाव से रेवापर गांव के 'केसरा पटेल' को अपने पूर्वजों द्वारा हुई इस गंभीर भूल का अहसास हुआ। उसने हिम्मत करके पीराणा पंथ को त्यागकर स्वामीनारायण संप्रदाय को स्वीकार किया। उस अकेले 'केसरा भक्त' पर तत्कालीन लोगों ने बहुत जुल्म ढाए, परंतु उसकी अडिगता से अन्य सैंकडों लोगों ने उनका अनुकरण किया। बाद में परमहंस स्वामी ज्ञानानंदजी ने गढ सीसा के विख्यात पंडित पीतांबरजी (विचार सागर के टीकाकार)

१. 'गुजरात सर्वसंग्रह', पृ. १३७–४२८

से परामर्श करके और प्रयत्न किये, जिनके फलस्वरूप एक के बाद एक गांव पीराणा पंथ के चंगुल से छूटने लगे और कणबी फिर से वैदिक धर्मानुयायी बनकर उपवीत धारण करने लगे ।

स्वामीजी के विदेश गमन के बाद कणबी नेताओं ने स्वामीजी के वेद धर्मानुयायी शिष्यों को बहुत परेशान किया, दंड दिया और उनकी कंठी व उपवीत उतरवा दिये । फिर कुछ समय ऐसा ही चलता रहा ।

बाद में पीराणा पंथ से मुक्त होने का व्यवस्थित एवं साहसपूर्ण कार्य श्री नारायणजी रामजीभाई मिस्त्री (निवासी गांव वीराणी, ता. नखत्राणा) ने किया । नारायण ने अपने बलबूते पर अपना विकास किया, परिस्थिति को समझा तथा राजकोट के निकटवर्ती 'ढोलरा' के महानुभाव ज्योतिषी रामेश्वर मोरारजी का साथ लेकर काठियावाड के बिल्खा गांव में आया । इन दोनों ने यहां आकर महात्मा श्री नथूराम शर्मा से विचार- विमर्श किया । फिर अपने अन्य छः मित्रों को साथ लेकर नारायणजी ने नासिक में प्रायश्चित करके उपवीत धारण कर लिया । इन सप्तवीरों के सम्बंधियों को उनकी इस सत् हरकत से बहुत कष्ट सहन करने पडे, परंतु ये लोग दृढ रहे ।

इन सप्तवीरों की हिम्मत देखकर अन्य कणबी भाईयों का भी नैतिक साहस बढा । बाद में स्वामीनारायण संप्रदाय का भी अच्छा सहयोग प्राप्त हो जाने से सैंकडों पीराणा पंथी कणबी पुनः अपने मूल वैदिक धर्म में आ गए । फिर अपने पूर्व का इतिहास जानने के लिये भाटों-पुश्तनामियों की खोज शुरु हुई । तब शाहपुर इलाके में बडी दौड-धूपके बाद 'बारोट रामसिंह दोलजी' मिले और उनके द्वारा मिली पुरानी जानकारी की पुष्टि नखत्राणा में पास हुए प्रस्ताव की नकल मिलने पर हो गई ।

जामलिया परिवार की उत्पत्ति

जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, जो परिवार अपनी आजादी को बनाये रखने के लिए जामला गांव जाकर बसा उसका गोत्र वीरेश्वर तथा शाख दाणी थी । संगाजी पटेल द्वारा बंधवाए गए संगासर तालाब, बावडी तथा शिवालय आज तक जामला गांव में मौजूद तथा सुविख्यात है । उनके वंशज ४४३ वर्ष अर्थात् सं. १२३५ तक जामला में ही बसे रहे, किंतु ईडर के राव से मनमुटाव होने के कारण वीरजी पटेल तथा उनके छः भाई जामला से गुजरात की ओर प्रस्थान कर गए । जहां-जहां वे बसे वहां वहां वे 'जामलिया' संज्ञा से पहचाने जाने लगे । १४वीं सदी में जामला परिवार में से नानजी पटेल मालवा के खरसोंद परगणे में जाकर बसा ।

कडी-गोजारिया के अमीन

इस परिवार के मूल पुरुष नंदलाल प्रेमजीभाई अहमदाबाद के वजीपरां में रहते थे, लेकिन व्यापार उद्योग हेतु वे अक्सर कडी कस्बे में आकर रहते थे । संवत् १८००

में वे द्वारिका की यात्रा पर गये थे । वहां किसी महात्मा के कथनानुसार उन्हें गोमती सरोवर में स्नान करते समय एक शिवलिंग मिला था। उसकी स्थापना उन्होंने गोजारिया में करवा कर शिवालय बनवाया (सं. १८०२) । तब से उनकी स्थिति ने नया स्वरूप धारण किया, ऐसा उनके वंशज मानते हैं । तब कडी में राधनपुर के नवाब के पूर्वजों का शासन था जो 'बाबी सरकार' के नाम से प्रसिद्ध थे । दिल्ली की पादशाहत उस काल में कुछ निर्बल पड गई थी । गुजरात की राजधानी पाटण थी । पाटण की बजाय अहमदाबाद राजधानी बन जाने के बाद बाबी सरकार की ओर से नूरखान को कडी कस्बे पर नियुक्त किया गया । उस समय नंदलालभाई आर्थिक रूप से समृद्ध होने के कारण आसपास के इलाके में उनकी पहुंच काफी अच्छी थी ।

सवंत् १८०३ में कडी कस्बे के लोगों ने नूरखान के विरुद्ध विद्रोह किया था । अतः वह सरकारवाडा में जाकर छुप गया । तब अहमदाबाद के अनवरखान बाबी ने उसकी सुरक्षा के लिए कस्बे के लोगों का बलवा दबा देने के लिये सेना भेजी । बागी लोग बहुत जोश में आए हुए थे, अतः अच्छी सूझ–बूझ वाले नेता की उस समय बडी आवश्यकता थी । वह कमी नंदलालभाई ने पूर्ण कर दी । उन्होंने वीरमगाम, विजापुर आदि स्थानों से अपने पहचानवाले मेवासिओं को बुलाकर प्राणों की आहूति देकर भी विद्रोह को दबा देने की आज्ञा दी । अतः वे कस्बेवालों के साथ जी जान से लडे और उन्हें कैद कर लिया । इस प्रकार कडी एवं नूरखां की रक्षा हुई ।

ऐसे महत्त्वपूर्ण मौके पर बाबी सरकार को नंदलालभाई ने जो सहायता की थी उसकी कद्र करने के लिए एक दरबार बुलाकर उनका सम्मान किया तथा उन्हें खेरवा गांव इनाम में दिया । कडी कस्बे में उनको चार हलवाली जमीन दी तथा 'अमीन' का खिताब देकर उन्हें सनंद लिख दी । तब से नंदलालभाई का व्यापारिक जीवन बदलकर राजकीय हो गया । अब वे स्वयं राजकाज में हिस्सा लेने लगे । उनकी कार्यदक्षता देखकर बाबी सरकार ने उन्हें मेहसूल वसूल करने का कार्य सोंपा । रु. १००० सालाना (वार्षिक) बांध देने के साथ–साथ 'छत्र–मशाल' का उनको सम्मान दिया तथा उसके निर्वाह–खर्च के लिए हाडवी गांव भेंट में दिया (संवत् १८०५) ।

संवत् १८०६ में अहमदाबाद का समूचा शासन राघोबा पेश्वा तथा दामाजीराव गायकवाड के हाथों में आया, क्योंकि उन्होंने बाबी जवांमर्दखान को हराकर भगा दिया था । उस वक्त पेश्वा तथा गायकवाड के बीच शासन का बंटवारा हुआ और कडी के इलाके की हुकूमत गायकवाड के हिस्से में आई । अतः दामाजीराव ने कडी कस्बे की हुकूमत हरबाजीराव को दे दी । शासन में अराजकता के कारण अब नंदलालभाई की हालत बेढंगी बन गई थी । बाबी सरकार के समय में मिले हुए गांव गिरास चले जाने के कारण उन्हें अपना मूल कारोबार करने की आवश्यकता महसूस होने लगी ।

हरबाजीराव के साथ नंदलालभाई का संबंध धीरे–धीरे सुधरता गया और वे शासन में उपयोगी सिद्ध हुए। राज्य में जब शांति फैली हुई थी और व्यापार धंधे, खेतीवाडी आदि सुचारु रूप से चल रहे थे, तब हरबाजीराव ने नंदलालभाई के लिये दामाजीराव गायकवाड को लिख भेजा, जिस पर से बाबी सरकारने दिया हुआ खेरवा गांव उन्हीं के लिये कायम रखा, लेकिन हाडवी गांव नहीं दिया तथा चार हलों की जमीन की बजाय एक हल की जमीन दे दी और सालाना १००० रुपये की बजाय १२०० रुपये कर दिये। इस प्रकार राज्य में हुई उथल–पुथल में खोई हुई संपत्ति पुनः प्राप्त होने के कारण वे संतुष्ट हुए। वे धार्मिक वृत्तिवाले तथा शिव के भक्त थे, अतः उन्होंने बनवाए हुए शिवमंदिर के खर्च के लिए खेरवा गांव की उपज का चौथा हिस्सा निश्चित कर दिया। संवत् १८१२ के आषाढ मास में इस महापुरुष का देहांत हुआ।

नंदलालभाई के दो पत्नियां थी। उनमें पहली से पुत्र कल्याणजी राजकाज में ही रुचि लेते रहे।

सं. १८१५ में कडी के कुमाविसदार पद पर रामनायक नियुक्त हुए। जिसको वहां के देसाईओं ने अपने पक्ष में लेकर कल्याणजी भाई के विरुद्ध भडकाया। अतः कल्याणजीभाई पर रुपयों के गबन का आक्षेप लगाकर, संपत्ति जप्त की और राज्य को लिख भेजा। श्रीमंत सरकार की आज्ञा से कल्याणजीभाई को बडौदा जाना पडा। उनके संचालन की जांच करने के लिये शिवराम भास्कर तथा दादाजी नरहर को नियुक्त किया गया। उन्होंने रिपोर्ट लिख भेजी कि उन के समय में रुपये सही रूप से जमा हुए हैं। फलस्वरूप उनकी संपत्ति लौटा दी गई।

कुछ समय बाद कुमाविसदार बनकर बच्चाजी पण्डित आए। उन्होंने भी मकान और जमीन आदि जप्त कर लिया। ऐसा होने के कारण कल्याणजीभाई उठकर राधनपुर के नवाब से मिलने निकले। उस समय श्रीमंत सरकार नडियाद में थे। उन्हें पता चलने पर उनको फिर से बुला लिया और अपने पास रखकर संतुष्ट किया। बाद में वे नडियाद में रहकर कडी का कारोबार चलाने लगे और उनकी संपत्ति से जो उपज आये वह उन्हीं को मिले–ऐसा प्रबंध श्रीमंत ने करवा दिया (सं. १८२५)। कुछ समय के बाद वे कडी आकर रहे तथा अपनी जाति के ऊपर शादी की चौरी पर जो सवा दो रुपये का कर था, वह सरकार से कहलवा कर निकलवा दिया।

एक बार बच्चाजी पंडित तथा कल्याणजीभाई इलाके में गये हुए थे। उस वक्त सं. १८३६ में मल्हारराव ने कडी पर कब्जा जमा लिया और वहां अपने थाने बना दिये। उन्होंने कल्याणजीभाई को कई प्रकार की लालच देकर अपने पक्ष में करना चाहा, लेकिन राजभक्त कल्याणजीभाई ने उनका साथ नहीं दिया। अतः मल्हारराव ने उनको मरवा देने की कोशिश की, लेकिन कल्याणजीभाई वहां से भागकर वडसमा चले गए।

दस साल तक वे छिपे रहे । मल्हाराव को पता चलने पर उन्होंने सेना भेजी । अतः वे वहां से निकल कर आगलोड में जा बसे । वहां उनके अनुकूल कई परिस्थितियां होने पर राजवीर कल्याणजीभाई ने महीतट के भील लोगों की एक सेना तैयार की । उससे श्रीमंत सरकार को सहायता करने के प्रयत्न किये । वे स्वयं श्रीमंत आनंदराव सरकार से मिलने बडौदा गए और सारा ब्यौरा उनको कह सुनाया । तब श्रीमंत सरकार ने मामा गोविन्द पंतको सेना सहित भेजा और कल्याणजीभाई की सहायता करने की सूचना दी । सेना ने कडी को घेर लिया । कल्याणजीभाई की सलाह पर श्रीमंतने मा. अंग्रेज सरकार से सहायत मांगी थी । वह सेना भी श्री डन्कन साहब के नेतृत्व में पहुंची । मल्हारराव ने भी बाकी वक्त मिलने से अच्छी तैयारियां कर रखी थी । फिरंगी गोलंदाजों तथा तोपों से सुरक्षित कडी का किला जीतना उस वक्त आसान नहीं था । तब कल्याणजीभाई ने किला जीतने की ऐसी व्यूह रचना की कि डन्कन साहब भी खुश हो गए और कडी का किला जीत लिया गया । मल्हारराव सुरंग द्वारा निकलकर भाग गया ।

इस प्रकार कडी का किला जीतने में कल्याणजीभाई ने बडा महत्त्वपूर्ण भाग अदा कर एक वीर योद्धा के रूप में कीर्ति प्राप्त की थी । उनकी इस वफादारी की कद्र करके मा. श्रीमंत सरकार ने उन्हें पूर्व में प्राप्त खेरवा गांव तथा रु. १२०० की पूर्वानुसार अदायगी आदि पुनः दे देने के साथ-साथ अडाणिया की जमीन भी बख्शीश में दे दी । ऊपर से जो दस्तूरी में कडी परगने के कुछ गांव की लागत तय कर दी और कहा कि जिस प्रकार आपने राजभक्ति दिखाई है, उसी प्रकार का राज-काज चलाते रहो । उसके पश्चात् जब वे आगलोड में अपनी मिल्कियत-सम्पत्ति लेने गए तब वहां भाद्रपद माह में स्वर्ग सिधार गए ।

कल्याणजीभाई के खुशालदास, नागरदास तथा प्राणदास ये तीन पुत्र थे । खुशालदास बडौदा में सरकार की सेवा करते थे । गोजारिया के अमीन पथाभाई, मोरलीधर, जसुभाई आदि खुशालदास का पुत्र-परिवार है । नागरदास घर का सारा प्रबंध करते थे । गोजारिया के कसीआभाई, शिवुभाई आदि कल्याणजीभाई के इस दूसरे पुत्र के वंशज हैं । अंतिम पुत्र प्राणदास ने भी पिता की तरह राजकीय जीवन पसंद किया था ।

अपने घर में जब शादी का अवसर आया तो उन्होंने श्रीमंत सरकार को भी न्यौता दिया था, जिसमें दीवान साहब बाबाजी आपाजी पधारे थे । उन्होंने मिलनी में इतना ही मांगा कि हमारी जाति में प्रति लग्न जो सवा रुपया लिया जाता है, उसे माफ कर दिया जाय । अतः वह सदैव के लिए माफ हो गया ।

तत्पश्चात् स्वयं निवृत्त होकर प्राणदास ने संवत् १८४८ में देहत्याग किया ।

आगे चलकर इसी परिवार में चतुरभाई अमीन और रामचन्द्र जमनादास अमीन जैसे श्रेष्ठ पुरुष पैदा हुए थे ।

श्री उमिया माताजी संस्थान

भाट–पुश्तनामियों का ऐसा कहना है कि प्राचीन काल में स्वयं भगवान शंकर ने अपने हाथों–अभी जहां ऊंझा है वहां अपनी पटरानी देवी श्री उमियाजी की स्थापना की थी, और इससे यह स्थान कुछ काल तक उमियापुरी के नाम से प्रसिद्ध रहा था। लेकिन कालांतर में इस नाम का अपभ्रंश हुआ और वह ऊंझा कहलाने लगा। दूसरा आधारपूर्ण उल्लेख यह है कि इ. १५६ (संवत् २१२) में देसाई पहेलों के पूर्वज व्रजपालजी माधावती के राजा थे। वे अपना राज्य गंवा बैठे थे। श्रीस्थल में वे मातृ–श्राद्ध करने आए थे। वहां से लौटते वक्त उन्हें अपने कई कुर्मी भाई मिले। उनके अत्याग्रह से उन्होंने वहीं बसने का निर्णय किया और सभी को वहीं बसा कर श्री उमियाजी की स्थापना की। इस पर से उस स्थान का नाम उमापुर और बाद में ऊंझा पडा।

जिस काल में माताजी की स्थापना हुई, तब देवल (मंदिर) की क्या स्थिति थी इसके बारे में अधिक कुछ जानकारी नहीं मिली है। यहां आसपास में बसते सभी कुर्मीजन देवीश्री को कुलदेवी मानकर वहां बार–बार दर्शन, मिन्नतें, पूजा, अर्चन, यज्ञादि करने के लिये आते थे। उनका पुरोहित नागर देवीश्री की पूजा करता था। अतः जाति जनों के मन में उसके लिये बडा आदर था। उस नागर द्वारा वनराज के समय में मंत्री चांपराज ने हमारी लग्न–प्रथा में परिवर्तन करवाया था, ऐसी गाथाएं मिलती हैं। तब से लग्न तय करने का स्थान उमिया माजाती का मन्दिर बन गया और उस की महिमा बढती गई।

इस प्रकार अणहिलपुर के शासन में अर्थात् संवत् ८०० (ई.स. ७४६) से सं. १३५३ (ई.स. १२९७) तक अर्थात गुजरात में मुस्लिम शासन आया तब तक, कणबी उन्नत अवस्था में थे। उस समय देवीश्री के धाम की स्थिति बडी अच्छी थी। फिर देवस्थानों पर विपत्तियां आयी, उस में हमारी कुलदेवी का धाम भी संकट में पडा होगा, ऐसा माना जाता है। बाद में वह देवल जातिबंधुओं ने ईंट–चूने से बंनवाया था, वह उसी अवस्था में ठेट ई. स. १८४० – १८५० तक रहा।

जब से अंग्रेज सरकार का शासन हुआ और देश में डाकुओं की लूट–पाट आदि बन्द होने से चारों और शांति बनी रही, तब से लोगों का देश–विदेश से संबंध बढता गया। यात्रादि प्रवृत्तियां बढने लगी। हमारी कुलदेवी के इस धाम की भी यॉत्राएं कुर्मी भाईओं ने चालू की। जर्जरित हुए देवल का जीर्णोद्धार करवाने की इच्छा सभी यात्रियों को होती थी, लेकिन जब तक कोई आगे आकर करने वाला नहीं होता तब तक ऐसे सार्वजनिक काम सम्पन्न नहीं हो सकते। अतः देवल को ठीक कराने की जाति–जनों में जन्मी तीव्र इच्छा ई. स. १८६० तक पूर्ण नहीं हो सकी।

आगे चलकर अहमदाबाद के **रा. रा. रामचंद्र मनसुखराम** नाम के जातिबंधु के दिल में कुलदेवी ने प्रेरणा दी और उन्होंने जातिजनों की एक सभा बुलवाई। सभा में समस्त जातिमें से चंदा इकट्ठा करने का प्रस्ताव सर्वानुमति से पास हुआ। उसके अनुसार पाटडी, वीरमगाम, अहमदाबाद, बडौदा, भडौंच, सूरत, कडी प्रांत, दक्षिण में वराड और खानदेश तथा निमाड, काठियावाड आदि जिन–जिन इलाकों में कणबियों की आबादी थी, उन हिस्सों में भी चंदा इकठ्ठा करवाया गया। माताजी की कृपा से करीब एक लाख रुपये एकत्रित हुए। ऐसा होने पर जाति के सज्जनों ने मिलकर पत्थर का देवालय बनवाने का निर्णय लिया और वह काम अहमदाबाद वाले माताजी के परम भक्त रा. रामचंद्र मनसुखराम को सौंपा गया। (ई. स. १८६५)

ईंट चूने के देवल की जगह पर पत्थरका नया देवल, ईंट–चूने के गुंबट्टवाली चौकियां, मण्डप, तहखाना आदि तैयार हुए। फिर भी कुछ काम अपूर्ण रहा। **रा. ब. लश्करी शेठ** ने इस काम को पूरा करने तथा दूसरा नया काम करने का निर्णय लिया। जब मा. सर सयाजीराव गायकवाड ई. स. १८८२ में कडी प्रांत में पधारे तब उनके निजी सचित तथा कडी प्रांत के सूबेदार साहब रावबहादुर लक्ष्मणराव जगन्नाथ द्वारा उन्होंने समीप का उमियादेवी का धाम देखने तथा अधूरा कार्य पूरा कराने में और धर्मशाला बनवाने में यथाशक्ति सहायता करने के लिए उनसे विनती करवाई। जिस पर मा. गायकवाड सरकार पधारे, किंतु वहां कोई प्रतिष्ठित आगेवान नागरिक न होने के कारण आर्थिक सहायता संबंधी किसी ने कोई अनुरोध उनसे नहीं किया। फिर भी इसके बारे में सूबेदार साहब का रा. ब. बहेचरदास लश्करी पर पत्र था कि 'यदि आप उचित राशि इकट्ठी करेंगे तो श्रीमंत महाराजा साहब भी उदारता से सहायता देंगे'[१]।

ऐसी सूचना मिलने पर रा. ब. बहेचरदास लश्करी शेठने ता. १८–१–१८८३ को माताजी का अपूर्ण देवल पूरा कराने तथा उसके लिये एक बढिया धर्मशाला बनवाने हेतु विचार–विमर्श करने के लिये बडे–बडे ६२ गांवों के पाटीदारों को अपने यहां बुलवाया। एक सप्ताह तक उनको यहां रखा तथा उनकी उचित खातिरदारी की। उन गांवों के करीब चार सौ प्रतिनिधि आए थे। उन्हें माताजी के देवल, धर्मशाला तथा सूबेदारों के पत्र के बारे में सभी कुछ समझाया। फौरन सबने मिलकर वहीं ५,२८६ रुपये इकट्ठे कर लिये। फिर इस धर्मकार्य में १,००१ रुपये पाटडी के दरबारश्री ने तथा १००० रुपये रा. ब. बहेचरदास शेठने एवं २००४ रुपये अन्य छोटे–मोटे गांवों के प्रतिनिधियोंनें लिखवा दिये। ऐसे कुल ९२९१ रुपये हो गए। इस प्रकार एकत्र हुई राशि के बारे में उल्लेख करते हुए मा. गायकवाड सरकार

१. 'टाईम्स ओफ इन्डिया' – ता. १३–१–१८८३

की ओर से उचित सहायता पाने के लिये शेठजी ने कडी प्रांत के सूबेदार साहब रा. ब. लक्ष्मणराव को पत्र लिखा (ता. १४–१०–१८८३)। इस परसे सूबेदार साहब ने आगे ऊपर हुजूर को पत्र लिखा (ता. ४–१२–१८८३)। जिसके प्रत्युत्तर में महाराजा साहब ने इस काम में १५०० रुपये देने के लिये ता. २६–१२–१८८३ को हुक्म किया और इस प्रकार शेठ को राशि प्राप्त हुई।

२४ जन. सन् १८८४ को ऊंझा देवस्थान में कुछ नेताओं की एक कमिटी मिली। उसमें समूचे देश में जहां–जहां कडवा कणबी बसते थे – वहां से प्रति घर एक–एक रुपया लेने का प्रस्ताव पास किया और विश्वासपूर्ण व्यक्तिओं द्वारा चंदा इकट्ठा कराना चालू किया। दूसरी ओर ता. २५–१–१८८५ को लश्करी शेठ ने मकानों तथा धर्मशाला के कामों के नमूने तथा उनमें होने वाले व्यय का अनुमानित आंकडा रु. १३,०५१ आदि के कागजातमीटिंग में रखे, जो सभी को पसंद आये; तथा उनके अनुसार काम कराने तथा उचित मरम्मत के साथ काम पूर्ण कराने की सत्ता उन्हें दी गई। अलग अलग गांवों से चंदा आ जाने पर अक्टूबर, सन् १८८६ तक कुल २५,०६८ रुपये हो गए।

सन् १८६५ में रा. रा. रामचंद्र मनसुखरामभाई के हाथों अधूरा रह गया देवल का काम तथा माताजी के भव्य और नक्काशीदार देवल के चारों ओर २५ फीट जमीन खुली छोडकर यात्रिओं की सुविधा के लिये रु. १७,५३८ की लागत से पत्थर चूने की विशाल धर्मशाला बनाई गई। यह विशाल धर्मशाला पूर्व–पश्चिम में १८५ फीट लम्बी है, उत्तर में १६० फीट तथा दक्षिण में १४८ फीट हैं। उसके ६१ खंण्ड हैं। खंण्डों के दरवाजे मेहराबदार हैं। स्तंभ, कमानों के तोरण तथा तले की किनारी में सब जगह पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। धर्मशाला के उपर से चारों ओर थोडी बाहर निकली हुई मजबूत छत द्वारा ढांका गया है। धर्मशाला को चारों कोनों पर चार गुंबद हैं, जो दूर से उसकी शोभा तथा भव्यता में वृद्धि करते हैं। इन गुंबदों के नीचे खिडकियों तथा अटारियों वाले सुविधापूर्ण कक्ष हैं, जिनमें यात्री लोग सपरिवार रह सकते हैं। खंडोंमें सभी जगह फर्श पर लादियां (चौरस पत्थर) लगा दी हैं।

धर्मशाला में कई जगह भीतर चबूतरे हैं, जिन पर लोहे के स्तंभ खडे कर के जस्तेकी चादरें लगा दी हैं, ताकि वर्षा–काल में हवा के झपाटों के साथ पानी की बौछारें भीतर नहीं आ सके। पूर्वी प्रवेश–द्वार पर रहने के लिये २२ फीट लम्बा व ११ फीट चौडा कमरा गवैये के निवास हेतु बनाया गया है। उसी प्रकार दक्षिण में भी गवैये के लिये एक कमरा बनाया है। इस विशाल धर्मशाला में तीन हजार यात्री मजे से निवास कर सकें–ऐसा प्रबंध है। धर्मशाला के उत्तरी दरवाजे पर गुंबद व पत्थर की नक्काशीवाली बडी खूबसूरत कमानें हैं। देवल में रंगीन संगमरमर की सुशोभित

फर्शबंदी बनाई है । मंडप के नीचे एक तहखाना बनाया है, जिसका फर्श बहुत मजबूत है । मंडप के भी तीनों तरफ बारीक नक्काशीवाली कमानें बनाई हैं, जिन्हें देखकर हिन्दुस्तान की प्राचीन शिल्पकला की तारीफ किये बिना नहीं रहा जा सकता ।

माताजी के देवल के चारों ओर छतवाली मुख्य धर्मशाला के अतिरिक्त दूसरी १२५ फीट लम्बी व १०२ फीट चौडी छोटी धर्मशाला बनाई गई है, जिस में रु. ३,४७६ खर्च किये गये हैं। उसका प्रवेश–द्वार गांव की ओर है। वहां लकडी का दरवाजा बनाया है। पूर्व–पश्चिम दिशाओं में दालानें हैं। उत्तर में भी सात खंड हैं। उनमें नीचे के पांच कमरों का उपयोग दुकानों के रूप में होता है। बाकी के दो कमरों में पुजारी तथा मंदिर के स्वस्थान के प्रबंधक रहते हैं। इस धर्मशाला में भी ५०० आदमियों के लिये सुविधा है। इनमें होनेवाले खर्चों के अतिरिक्त ३,२६२ रुपये माताजी के देवल में संगमरमर के लिये तथा १५३७ रुपये नौकरों के वेतन आदि में अर्थात कुल मिलकर २५,८१२ रुपये हुए थे; जब कि कुल चन्दा २५,०६८ रुपये हुआ था।

ऊंझा के **पटेल त्रिकमदास बेचरदास रूसात** ने माताजी के देवल के निकट अपनी जमीन का एक हिस्सा देवीश्री के मैदान के बाहर धर्मशाला बनवाने के लिये मुफ्त में माताजी के स्वस्थान को अर्पित किया था, जिसके लिये वे धन्यवाद के पात्र है।

सन् १८८७ में देवल, धर्मशाला आदि का काम संपन्न हुआ । पूज्य उमादेवी के स्वस्थान की कमिटी के सदस्य इसके उद्घाटन के लिये मा. गायकवाड सरकार को निमंत्रण देने गए, अतः उन्होंने अपनी ओर से कडी प्रांत के सूबेदार साहब को यह विधि सम्पन्न करने की आज्ञा की । आठ–दस हजार लोगों की उपस्थिति में ता. ६–२–१८८७ को यह उद्घाटन–विधि सम्पन्न हुई, जिसमें **मा. गायकवाड सरकार की ओर से माताजी के लिये मूल्यवान पोशाक चढाया गया** । ऐसे लोकहित के कार्य में तन, मन, तथा धन से योगदान देने के लिये शेठ बहेचरदास लश्करी को सरकारश्री की ओर से शाल, धोती–जोडा व पगडी भेंट की गई । कमिटी के सदस्यों ने भी उन्हें धन्यवाद दिये । माताजी के देवल पर शिखर चढाने के लिये २००० रुपये पा. नागरदास उगरदास तथा कशलदास किशोरदास ने दिये थे ।

देवल तथा धर्मशालाओं आदि का काम पूर्ण हो जाने के पश्चात् ऐसे विशाल धाम में एवं आसपास में भी मीठे पानी की कोई सुविधा न होने के कारण यात्रिओं को जो कठिनाई होती थी, वह प्रश्न (मुद्दा) कमिटी ने अब अपने हाथ में लिया । संवत् १९४३ के चैत्र सुद ८ (ई.स. १८८७ की पहली अप्रैल) को एक जलाशय बनवाने का निर्णय लिया गया । इस बार बडा मेला आयोजित हुआ था । अतः देश–विदेश

के करीब बारह से पंद्रह हजार लोग एकत्रित हुए थे । उनकी उपस्थिति में कडी प्रांत के सूबेदार रा. ब. रामचंद्र गोपालदास हरि देशमुख के हाथों से उसी दिन जलाशय का शिलारोपण हुआ । फिर ऐसे जलाशय के लिये शेठ बहेचरदासने कुशल कारीगर अपने यहां से भेजकर काम शुरु करवाया । मानसरोवर में पानी स्वच्छ रखने हेतु उस के निकट ही एक गहरा कुआ बनवाया और उसके तले से मानसरोवर के मध्य के कुए के तले तक, नीचे पत्थर की सुरंग बनवाकर दोनों को जोड दिया, ताकि पानी बिगडने पर उसे बिलकुल खाली किया जा सके । इसी कुए से माताजी की वाडी में पानी दिया जाता है ।

जलाशय का नाम मानसरोवर रखा गया है । वह १२० फीट लम्बा, १२० फीट चौडा तथा ५६ फीट गहरा है । इसमें उतरने के लिये चारों ओर से पत्थर की सीढियां हैं । जब वह बन रहा था तो कमिटी के कुछ लोगों की ओर से अंदर एक शिवालय बनवाने का प्रस्ताव आया था । अतः एक छोंटा सा सुंदर शिवालय भी बना है, जो ९ फीट चौडा तथा २८ फीट ऊंचा है। मानसरोवर, कुआ, शिवालय आदि में करीब बारह हजार रुपयों का खर्च हुआ है । वह जब बनकर तैयार हुआ तभी शेठ बहेचरदास का देहांत हुआ था । अतः उनके सुपुत्र शेठ शंभुप्रसादजी ने कमिटी की सलाह के अनुसार गांव-गांव में पत्रिकाएं भेजकर सं १९५१ के महा वद ४, बुधवार, ता. १३-२-१८९५ को यज्ञादि करवा कर जलाशय खुला करवाया ।

इस प्रकार ऊंझा माताजी के देवल तथा उसके आसपास के भवनों आदि की यह कहानी है ।

वागरा तालुका के सुत्रेल गांव के पा. ईश्वरभाई झवेरभाई ने ट्रस्ट बनाकर माताजी को अर्पित कर दिया था, जिसमें ११६ बीघा जमीन तथा छः घर थे, जिसका मूल्य अंदाजन दस हजार सालाना, आय लगभग ४०० से ५०० रुपयों तक की होगी । धन्य हैं ऐसे भक्तों को ! दूसरी भी जो मिल्कत उनकी पत्नी के कब्जे में थी वह उनकी मृत्यु के पश्चात माताजी के संस्थान को मिलें, ऐसा वसीयतनामा भी किया गया था ।

माताजी के संस्थान में अन्नदान किया जाता है। पहले सदाव्रत शुरु करने पर ऊंझावासी कणबियों ने प्रतिवर्ष एक हल के पीछे आधा मन अन्न देना निर्धारित किया था, लेकिन बाद में वे बहुत पिछड गए । फिर भी यह विभाग आगे भी चलता रहा । उसमें जो कमी-बेसी होती थी, वह माताजी के कोष में से देकर पूरी कर दी जाती थी ।

माताजी का सिंहासन शेठ शंभुप्रसादजी के समय में बना था । जामदखाने (सुरक्षित संग्रहकक्ष) में सुरक्षित कई बहुमूल्य वस्तुएं, माताजी के गहने विगैरह जातिजनों द्वारा भेंट में दी हुई हैं ।

माताजी के संस्थान का प्रबंध एक कमिटि के द्वारा होता रहा। सन् १८३१ से सन् १९५६ तक लगभग २५ वर्ष दरमियान निम्नांकित सदस्य प्रमुख कार्यकर्ता बने रहे थे।

प्रमुख – श्री दुर्गा प्रसाद शंभुप्रसाद लश्करी , अहमदाबाद
उपप्रमुख – श्री लालसिंहजी रायसिंहजी देसाई, पाटडी
मंत्री – पटेल नंदुलाल मंछाराम, अहमदाबाद

उपर्युक्त समिति के तहत संवत् २००० (सन् १९४३/४४) में ३५०० की लागत खर्च से नौकरों के लिये सात कमरों एवं १६५०० की लागत खर्च से ५ दुकानें निर्मित हुई थी। सं. २००२ (सन् १८४५/४६) में १५००० की लागत खर्च से पावर–हाऊस के दो कक्ष बनवाए गए, जो पुजारी एवं व्यवस्थापकों के उपयोग में आते रहे। साथ ही २८००० की लागत खर्च से दो मंजिलवाली धर्मशाला भी बनवाई गई जो कि प्राथमिक पाठशाला चलाने के लिये भाडेपर दी हुई है।

संवत् २०१० (सन् १९५३/५४) में ५ कक्ष वाली दुमंजिला धर्मशाला रू. ३९२०० की लागत खर्च से बनाई गई। ४०३०० रू. का व्यय करके एक बंगला भी धर्मशाला की तरह उपयोग हेतु बनवाया गया। साथ ही रु. १४२०० लागत से २ नये कक्ष भी बनाए गए जिनका उपयोग पुजारी एवं व्यवस्थापक करते हैं।

सं. २०११ (सन् १९५४/५५) में धर्मशाला के लिये ६ कक्ष और बनवाए गए, जिन में खर्च ४३१४४ रु. हुआ। सं. २०१७ (सन् १९६०/६१) में धर्मशाला के लिये ५ कक्ष और २५४११ रु. की लागत व्यय से बनवाए गए।

संवत् २०१९ (सन् १९६२/६३)में रु. ३६२३३ की लागत व्यय से एक विशालकाय टावर भी बनवाया गया जो माताजी के स्थल की दूर से साक्षी देता नजर आता है। सन् १९७१/७२ में ३६८१८ रु. की लागत व्यय से एक कमेटी हाल बनवाया गया। १,३८,४८८ रू. की लागत व्यय से एक दुमंजिला भव्य इमारत बनवाई गई जो एक हाईस्कूल चलाने के लिये भाडे पर दी हुई है। रु. १,३८,०२७ की लागत व्यय से मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया उसकी सीढियां, दीवालें आदि ठीक करके उन पर संगमरमर पत्थर जडा गया। रु. ३५११३ खर्च करके एक नया शिवालय भी बनाया गया है।

सं. २०३३ में मंदिर की शोभा–वृद्धि के लिये रु. ३५०२८ खर्च करके भीतर एक चांदी की जाली बनवाई गई। सं. २०३४ में २६०२० रु. व्यय करके एक चांदी का गोलक (पेटी) बनवाया गया। उसके एक वर्ष बाद ही १८६७७ रु. की लागत व्यय से चांदी का कठेरा बनवाया गया।

इसी संस्थान की तरफ से अंबाजी में जातिजनों की सुविधा के लिये रु. ३,१९,४०५ खर्च करके चार वीघा जमीन के साथ एक ५०० वर्ग गज का एक विशाल बंगला खरीदा गया जो श्री 'उमिया माताजी पथिकाश्रम' नाम से जाना जाता है ।

माताजी के मंदिर के विशाल कम्पाउन्ड में सं. २०३७ में लगभग एक लाख रु. की लागत खर्च से जोधपुर के लाल पत्थर जडे गए हैं । साथ ही पू. बटुक भैरव और श्री गुरु महाराज के दो छोटे पत्थर के मंदिर बनवाए गए हैं । इस प्रकार समय समय पर इन निर्माण-कार्यों से मंदिर की शोभा-वृद्धि में चार चांद लगते रहे हैं ।

माताजी के संस्थान का प्रबंध एक कमिटी के द्वारा होता रहता है । इसके वर्तमान अध्यक्ष शेठ श्री केशवलाल विट्ठलदास पटेल हैं । मंत्री श्री मणीभाई पटेल (घंटी) हैं ।

मंदिर की संस्थापना के १८०० वर्ष पूरे होने की खुशी में कुछ ही समय पूर्व 'अठारहवी शताब्दि महोत्सव' मनाया गया । ता. २५-११-१९७६ (मागसर सु. ४ सं.२०३३, गुरुवार) से शुरु होकर ता. २९-११-१९७६ को इसकी पूर्णाहुति हुई । इसमें देश-विदेश के लगभग दस लाख लोगों नें उत्साह पूर्वक भाग लिया ।

महोत्सव की व्यवस्था में कई समितियां बनाई गई थी, जिनमें भाईयों के साथ बहनों ने भी आगे बढकर सेवा कार्य में हाथ बंटाया था । लोगों के लिये विशेष ट्रेनों और बसों की व्यवस्था, साथ ही रहने की, सफाई की, भोजन की, वाहन रखने की... आदि सब प्रकार की व्यवस्थाएं सुचारु रूप से हो पाई-इसमें माता श्री का आशीर्वाद ही कार्य कर रहा था । उत्सव के दौरान मंदिर का आकाश यज्ञों के पवित्र - सुगंधित धुंए से महकता रहा ।

इस सम्मेलन रूपी महोत्सव की व्यवस्था एवं संचालन की सर्वत्र बडी प्रशंसा एवं सराहना हुई । इस उत्सव से पाटीदार समाज के उत्थान को एक नई हवा और दिशा मिली । महिला-जागृति के लिये इस उत्सव में महत्वपूर्ण आभियान चलाने के प्रस्ताव पास हुए । राजस्थान, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और जहां जहां पाटीदार समाज अवस्थित है, सर्वत्र देश और विदेश में जहां से लोग आए थे अथवा न आ पाए थे-उन सब जगहों पर नव जागरण की सुरभि एवं शंख ध्वनि पहुंच गई है जो भविष्य में अपना रंग दिखाए बिना नहीं रहेगी ।

मालवा-निमाड और गुजरातके ऐतिहासिक संबंध

मालवा व गुजरात के ऐतिहासिक संबंधों पर भी एक नजर करनी यहां आवश्यक लगती है ।

मालवा पर विजय

सोलंकी शासनकाल में गुजरात के लोकप्रिय राजा सिद्धराज जयसिंहने मालवा जीत कर अपने राज्य का विस्तार करना शुरु किया। गुजरात के सोलंकी राजाओं का मालवा के परमार राजाओं से लंबे अरसे से संघर्ष चला आ रहा था। मालवा में राजा उदयादित्य के बाद उनका पुत्र लक्ष्मणदेव और लक्ष्मणदेव के बाद उनके भाई नरवर्मा गद्दी नशीन हुए (सन् १०९४ तक)। राजा नरवर्मा का उत्तराधिकार उनके पुत्र यशोवर्मा को मिला (सन् ११३३ तक)। राजा नरवर्मा व यशोवर्मा गुजरात के राजा सिद्धराज जयसिंह के समकालीन थे।

प्रसिद्ध जैन आचार्य हेमचन्द्राचार्य ने मालवा विजय के बारे में एक पूरा सर्ग अपने ग्रंथ में लिखा है। यद्यपि उसमें ऐतिहासिक विवरणों व घटनाओं की बहुत कमी है। उसमें बताया गया है कि कालिका माताजी के दर्शन के लिये गुजरात के राजा सिद्धराज जयसिंह को उज्जैन जाना था, मगर तब उज्जैन में मालवपति का शासन था। अतः उन्होंने मालवा पर सेनाके साथ कूच किया। मार्ग में किरातों की मदद ले कर वे उज्जैन पहुंचे और योगिनियों की मदद से वे नगर में दाखिल हुए। बाद में उन्होंने धारानगरी का दुर्ग जीतकर राजा यशोवर्मा को कैद कर लिया।

मालवा नरेश को कैद करने का जिक्र राजा कुमारपाल के समय का विक्रम संवत् १२०८ के 'वडनगर प्रशस्ति' ग्रंथ में भी आया है। बाद में कवि सोमेश्वरने जिक्र किया है कि सिद्धराज ने धारापति को काष्ठ–पिंजर में कैद किया था एवं धारानगरी को जीत लिया था। कवि बालचंन्द्रभी लिखते हैं कि राजा सिद्धराज धारापति को लकडे के पिंजरे में बन्द करके गुजरात लाये थे। जयसिंह और जयमंडन ने लिखा है कि राजा सिद्धराज को धारानगरी जीतने में बारह साल लगे थे और उसका राजा नरवर्मा जीवित कैद होने से उसकी खाल से तलवार की म्यान बनाने की योजना राजा सिद्धराज की थी, मगर वह इच्छा उसकी पूर्ण न हो सकी।

मालवा विजय का विस्तृत वृत्तांत मेरुतंगने लिखा है। वह लिखते हैं कि राजा सिद्धराज जब सोमनाथ की यात्रा के दौरे पर थे, ठीक उस मौके पर मालवा के राजा यशोवर्मा ने गुर्जरदेश पर आक्रमण किया; मगर गुर्जर देश के मंत्री शान्तूने उनको राजी करके लौटा दिया। सिद्धराज जब वापस पाटण आये तब उन्हें इसबात का पता चलते ही उन्होंने मालवा की ओर प्रस्थान किया। बारह साल के संघर्ष के बाद वहां के दक्षिण द्वार को तोडकर राजा यशोवर्मा को बांधकर, वहां अपना शासन प्रस्थापित करके सिद्धराज वापस पाटण पहुंचे।

विक्रम संवत् ११९२ के जयेष्ठ माह (मई, सन् ११३५ या ११३६) से सिद्धराज के समय के दौरान लिखे गये ग्रंथों में उनका उल्लेख 'अवंतिनाथ' के नाम से किया हुआ मिलता है । विक्रम संवत् ११९१ (सन् ११३५) तक सिद्धराज को दिये गये इस नामाभिधान का कोई उल्लेख कहीं पर मिलता नहीं है । बाद में विक्रम संवत् ११९२ के मागशीर्ष (नव. सन् ११३५) तक तो राजा यशोवर्मा मालवा के अधिपति थे, जबकि उसी साल के ज्येष्ठ में राजा सिद्धराज 'अवन्तिनाथ' कहलाया गया था । इससे सिद्ध होता है कि राजा यशोवर्मा की पराजय व राजा सिद्धराज की विजय विक्रम संवत् ११९२ (सन् ११३५–३६) को मार्गशीर्ष व ज्येष्ठ माहों के दरम्यान हुई होगी ।

इस विजय से पहले भी राजा सिद्धराज को बारह से अधिक कई साल लगे होंगे । पाटण से उज्जैन पहुंचने के दौरान मार्ग में किरातों की मदद सिद्धराज ने ली थी । पंचमहाल के आदिवासी भील लोगों की मदद भी ली होगी, ऐसा लगता है । कुछ वृत्तांतों में नरवर्मा व यशोवर्मा के नाम भी मिल–जुल गये लगते हैं । सिद्धराज सोमनाथ व सोरठ में यात्रा पर गए हुए थे, तब हो सकता है कि इस संघर्ष का प्रारंभ नरवर्मा ने किया होगा । सिद्धराज ने मालवा पर चढाई के लिये प्रस्थान किया तब मालवा में नरवर्मा शासन कर रहे होंगे । मगर जब सिद्धराज ने धारानगरी का दुर्ग जीत लिया था, तब वहां पर नरवर्मा की जगह राजा यशोवर्मा का शासन था ।

मालवा के राजा यशोवर्मा को कैद करके सिद्धराज जयसिंह 'अवन्तिनाथ' बने और मालवा राज्य का विलीनीकरण गुर्जर देश में करके नागर दंडनायक दादा के पुत्र महादेव को अवन्तिमंडल का प्रशासक बनाया गया । दाहोद के शिलालेख से ज्ञात होता है कि जयसिंहदेव ने मालवराज को कारागृह में डाला था व सेनापति केशव को दधिपद्र (दाहोद–दोहद) आदि मंडलों में सेनापति बनाया गया था । उपरांत गोद्रहक (गोधरा) में भी सोलंकी शासन के महामंडलेश्वर नियुक्त होने का प्रमाण मिला है । मालवा शासन के मेवाड और गुजरात के बीच के विस्तार वागड (बांसवाडा–डुंगरपुर) का भी तब सोलंकी प्रशासन में समावेश किया गया था ।

राजा यशोवर्मा का बाद में क्या हुआ, इसकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है । सन् ११३८ में मालवा के वर्धमानपुर के आसपास के प्रांत में उनके पुत्र जयवर्मा के राज्य शासन का निर्देश मिलता है । मगर धार या उज्जैन में परमार वंश की सत्ता की पुनःप्राप्ति के कोई निर्देश नहीं मिलते ।

मालव–विजय से राजा सिद्धराज जयसिंह को प्रतापी प्रशासक का बडा सम्मान मिला। इसी विजय से राजा भोज का प्रसिद्ध ग्रंथ–भंडार पाटण लाया गया था । 'प्रभावक चरित'

नामक ग्रंथ से ज्ञात होता है कि उसी ग्रंथभंडार के 'भोज–व्याकरण'को देखकर सिद्धराजको हेमचन्द्राचार्य से ऐसा व्याकरण तैयार कराने की प्रेरणा मिली। राजा–ने कश्मीर देश के भारती–देवी ग्रंथभंडार से आठ प्रचलित व्याकरण के ग्रंथ मंगवा लिये और हेमचंद्राचार्यने उन सब ग्रंथों से अधिशीलन कर के 'सिद्ध हैमशब्दानुशासन' नामक नया व्याकरण का ग्रंथ तैयार किया। राजा ने उस ग्रंथ की हाथी पर सवारी निकाली व उसका बहुत सम्मान किया। इतना ही नहीं, उस ग्रंथकी कई नकलें तैयार करके सर्वत्र भेजी। बाद में तो हेमचन्द्राचार्य व रामचंद्र जैसे उनके कई शिष्योंने काव्य व शास्त्रों के चयन में उल्लेखनीय एवं महत्वपूर्ण योग प्रदान किया। इस तरह मालवा की विजय से गुजरात को विद्या व साहित्य के क्षेत्रों में भी सम्मान मिला।

सिद्धराज निःसंतान था। अतः बाद में कुछ प्रशासकों के बाद राजगद्दी सिद्धराज के सामंत व सहायक त्रिभुवनपाल के पहले पुत्र कुमारपाल को मिली। कुमारपाल का सौराष्ट्र, गोधरा, आबु, मेवाड, मारवाड, उदैपुर (मालवा) विगैरह प्रांतों पर आधिपत्य था। उनके राज्य के उत्तर में सांभर–अजमेर के चाहमान राज्य व दक्षिण में उत्तरीय कोंकण के शिलाहार राज्य पर भी अधिकार था। इस कुमारपाल को गद्दी प्राप्त करने में पाटीदारों ने सक्रिय सहयोग दिया था।

इस तरह सिद्धराज के समय से मालवा सोलंकी प्रशासन का हिस्सा बना रहा था। मगर यशोवर्मा के पौत्र विंध्यवर्मा ने सोलंकी शासन की विषम परिस्थिति का फायदा उठाकर स्वतंत्र होने का प्रयास किया। महामात्य कुमार ने सेनाका सहयोग लेकर विंध्यवर्मा से युद्ध किया, उसे रणभूमि से भगाया और उसके राज्य में स्थित गोगस्थान का विध्वंस करने के पश्चात् वहां कुआ बनवाया। इस तरह राजा मूलराज के प्रशासन में भी मालवा पर सोलंकी शासन का दबदबा बना रहा था।

बाद में अणहिलवाड पाटण की राजगद्दी पर सोलंकी वंश का पहला राजा विसल देव वाघेला सत्तासढ हुआ। 'विचारश्रेणी' के मुताबिक विसलदेव विक्रम संवत् १३०० में गद्दी पर आरूढ हुए–ऐसा प्रमाण मिलता है। इस समय महामात्य तेजपाल थे। करीब चार साल के बाद विक्रम संवत् १३०४ (सन् १२४८) में तेजपाल का अवसान होने से 'नागड' नामक नागर ब्राह्मण महामात्य बने। अन्य सामंत व अधिकारियों में सलखाणसिंह, महाप्रधान राणक, श्रीवर्दम, वस्तुपाल का पुत्र जैत्रसिंह, कोष्ठागारिक पद्म, सामंतसिंह विगैरह प्रमुख थे।

विसलदेव ने सत्ता सम्हालने के तुरन्त बाद अपने पुरखों की तरह विजयोत्सव मनाने की प्रथा जारी रखी। पाटण के चालुक्य राजा मालवा से वंश–परंपरा से युद्ध करते आये थे। विसलदेव ने भी मालवा के प्रति यही नीति अख्त्यार की। उसने

मालवा पर आक्रमण करके धार का नाश किया। विक्रम संवत् १३११ (सन् १२५३) की बैद्यनाथ प्रशस्ति में विसलदेव को 'धाराधीश' बताया गया है। विसलदेव ने मालवा के किस राजा को हराया था, यह ज्ञात नहीं है। इस समय मालवा में जैतुंगीदेव या जयवर्मा (द्वितीय) सत्ता पर था–ऐसा माना जाता है। जैतुंगीदेव के समय में मालवा पर मुस्लिमों ने बार बार हमले किये थे। और इस विकट परिस्थिति का लाभ लेकर, संभव है कि विसलदेव ने जैतुंगी को पराजित किया हो। यह विजय विसलदेव ने विक्रम संवत् १३११ (सन् १२५३) के पहले प्राप्त की थी।

विसलदेव के विक्रम संवत् १३१७ (सन् १२६१) के अभिलेख में उसे 'मेदपाटक देशकलुषराज्यवल्लीकंदोच्छेदनकुद्दालकल्प' कहा गया है। इससे यह मालूम पडता है कि विसलदेव ने मेवाड पर आक्रमण किया होगा। यहां पर भी किस राजा को उसने हराया होगा–यह जानकारी नहीं मिलती। मेवाड के गुहलोत वंश का राजा तेजसिंह विसलदेव का समकालीन था। संभव है कि यह लडाई मेवाड के उस राजा से हुई हो।

बाद में विक्रम संवत् १३३१ (सन् १२७५) के लगभग रामदेव के छोटे भाई सारंग देव का शासनकाल प्रारंभ हुआ। सारंगदेव स्वयं पराक्रमी राजा था। उसने अपने शासनकाल में अनेक युद्ध लडकर गुर्जरभूमि को भयमुक्त बनाया था।

विक्रम संवत् १३३३ (सन् १२७७) के अभिलेख में सारंगदेव को 'मालवधरा धूमकेतु' कहा गया है। विक्रम संवत् १३४३ (सन् १२८७) की त्रिपुरांतक–प्रशस्ति में स्पष्टतः सारंगदेव ने मालव–नरेश को थका देने की वात लिखी गई है। इससे सिद्ध होता है कि सारंगदेव ने मालवा पर आक्रमण किया होगा और विजय प्राप्त की होगी। लडाई में सारंगदेव द्वारा गोग को भगाने का स्पष्ट उल्लेख मुरलीधर मंदिर की प्रशस्ति से मिलता है। इस गोग नाम का अन्यत्र प्रमाण उपलब्ध ही नहीं है। शुरू में मालवा नरेश (जो जयसिंह तृतीय होना चाहिए) के मित्र और बाद में आधे राज्य के मालिक गोगदेव को सारंगदेव ने हराया था–ऐसे प्रमाण फारसी तवारीखों में मिलते हैं।

इससे स्पष्ट होता है कि मालवा का प्रशासन सारंगदेव के समय में जर्जरित हुआ होगा। अतः मालवा के आधे राजस्व व शासन के मालिक बने गोगदेव को सारंगदेव ने हराया होगा।

कर्णदेव के बाद वाघेला–सोलंकी वंश का अंत हुआ और गुजरात में मुस्लिम शासन का आरंभ हुआ।

दूसरी ओर जलालुद्दीन फिरोजशाह खिलजी ने ई.स. १२९२ में मालवा पर चढाई करके उज्जैन को लूटा व मंदिरों को तोडा। दो वर्ष के बाद उसके भतीजे अलाउद्दीनने भीलसा जीतकर मालवा के पूर्वीप्रदेश पर कब्जा जमाया। मुहम्मद तुगलक के समय में पूरे मालवा पर मुस्लिम सत्ता स्थापित हो गई।

६. मालवा–निमाड–राजस्थान में कुलमियों का विस्तार

मालवा–निमाडी कुलमी पाटीदार

उत्पत्ति

पाटीदार जाति अपनी महत्ता के लिये विश्वभर में विख्यात है, इस हकीकत को कोई भी असत्य एवं अत्युक्ति सिद्ध नहीं कर सकता। हम कुलमी पाटीदारों के पूर्वजों ने अपनी भुजाओं के बल से 'हलपति' 'भूपति' 'राजरत्न' 'जगत के तात' जैसे गौरवशाली सम्बोधन प्राप्त किये थे। हमारे कई पूर्वज अपनी बलबुद्धि से विभिन्न साम्राज्यों में विशिष्ट पद भोगते थे। उन्होंने कई खिताब प्राप्त किये थे, जैसे अमीन, देसाई, दीवान, चौधरी, मुकाती आदि। ब्रिटिश काल में भी ऐसी पदवियां प्राप्त की थी, जैसे रावसाहेब, राय बहादुर आदि।

हमारे जातिजनों को हमारी जाति की उत्पत्ति के बारे में अब तक भाट–चारण, बारोट, नायक, वहीवाचक आदि लोगों, ब्राह्मणों के लेखों और बहुधा दंतकथाओं पर आश्रित रहना पडा है। इस ग्रंथ में इन आधारों और ऐतिहासिक ग्रंथों की सहायता ली गई है। यह ग्रंथ हमारा राजकीय इतिहास नहीं है, बल्कि हमारी जाति की प्रगति, संघर्ष और गौरव का इतिहास है। इस ग्रंथ में पाटीदारों की आर्थिक, सामाजिक प्रगति; समाज एवं देश के निर्माण में पाटीदारों के योगदान और उनके रीति रिवाजों व सुधार की बातों का समावेश है।

कणबी पाछल करोड; कणबी कोईनी नहिं पूठे।
कोटि चले कूर्मी के पीछे, कूर्मी नहीं काहू के पीछे॥

श्री कुलम्बी वंश की उत्पत्ति का वर्णन

दोहा

कुलम्बी कुल के भूषण, देवी अम्बा के परिवार।
संत कहे कर जोडी के, विनती बारम्बार॥
धर्म चलाओ आपणो, करो जगत विस्तार।

यश फैले तिहूं लोक में, ज्यो रवि के प्रकाश ।।
भागीरथ भानू भये, कीनो तप अपार ।
विष्णु चरण वैकुण्ठ से, लाये सुरसरि धार ।।

एक समय की बात है कि गुजरात में नव लाख दानव–राक्षस रहते थे । इनको श्री महादेवजी का वरदान था कि तुम्हें कोई मार नहीं सकेगा । जहां तुम्हारे शरीर की एक बूंद खून जमीन पर पडेगी, वहां एक राक्षस पैदा होगा । परन्तु जंगल में किसी अकेली स्त्री से मत लडना वरना तुम मारे जाओगे । ऐसा वरदान पाकर राक्षस दुनियां को बहुत दुखी करने लगे । इन राक्षसों का राजा अहि–दानव द्वारकापुरी का मालिक था और महि दानव लोहागढ जूनागढ का मालिक था । उनके अत्याचारों से दुखी साधु–संतों, ब्राह्मणों व देवताओं ने क्षीर सागर पर जाकर भगवान श्री आदि नारायण को प्रार्थना की ।

तब वहां आदिशक्ति देवी प्रसन्न होकर प्रकट हुई और बोली कि तुम सब अपने आश्रमों पर जाओ । मैं अवतार लेकर तुम्हारा दुख दूर करूंगी । अब की बार मै अकेली आऊंगी । श्री नारायण पुरुषोत्तम नहीं पधारेंगे । सब देवता आदि श्री आदि शक्ति महारानी की जय–जयकार करते हुए अपने अपने स्थानों को चले गये ।

कुछ काल बीतने पर गुजरात में हारासुर पर्वत पर श्री माताजी षोडशी बाला के रूप में अवतार लेकर प्रकट हुई । देवी वहां श्रृंगार करके क्रीडा कर रही थी । तब माता के पास कबीर–दानव और बकदानव आये और पूछा कि हे देवी, तू कौन है ? तब माता ने कहा कि अरे राक्षसों ! तुम्हें दिखता नहीं कि मैं एक स्त्री हूं । कबीर–दानव ने पूछा कि देवी तेरा कोई पति है या नहीं, ऐसी खूबसूरत अवला जंगल में तुम अकेली रहती हो ? माताने कहा कि दुनिया में मेरा कोई मालिक नहीं है और न होगा । राक्षस ने पूछा कि हे देवी तुम पति करना चाहती हो ? तब माता ने कहा कि हां ! मैं पति करना चाहती हूं, परन्तु जो युद्ध में मुझे जीत लेगा, उसी को पति वरण करुंगी । तब दोनों राक्षसों ने कहा कि हे देवी तुम कंजलोचन हो, मृगनयनी हो, सुन्दरी हो । तुम से आसो सुद दूज को युद्ध करेंगे । तुम वचन भंग करके चली मत जाना । ऐसा कह कर दोनों राक्षस अपने राजा अहि–दानव और मही–दानव के पास गये और देवी का सब हाल कहा । दोनों राक्षस राजा सेना सहित युद्ध के मैदान में आ पहुंचे । तब इधर माताजी ने भी संग्राम की तैयारी की ।

अटले माताने ब्रह्मा को कियो घोडलो, विष्णु कियो पलान ।
रुद्र को करियो चाबुको, माता चढी तू निरवान ।।

अष्ट भुजा धारी माता ने संग्राम में नव लाख राक्षसों का संहार किया । अकेली मां ने बहुतों का संहार किया, इसीसे बहुचरी नाम पडा । मां ने महिषासुर का मस्तक

काटा और खप्पर से रक्तवीर तो भी रण में मार डाला । फिर भी अम्बे माता को शांति नहिं मिली और महाकराल क्रोध में अपना ही हाथ चबाने लगी । महाकराल क्रोध करने से महाकाली नाम पडा ।

युद्ध में विजयी महाकाली वंश सरोवर के पास सरस्वती नदी के किनारे घोडे से उतरकर जल पीने लगी । घोडा पलान समेत वृक्ष से बांध दिया । जल पीकर कुछ शांति हुई । आसपास देखा तो कोई मनुष्य नजर नहीं आया । उन्हें गंगाजी की मिट्टी नजर आई । तब माताजी ने मिट्टी से ५२ पुतले बनाये । उन पुतलों की सुन्दरता पर माताजी मोहित हो गई और संजीवन मंत्र से उन पुतलों को जिन्दा कर दिया । पुतले हंसने खेलने लगे और माताजी के कंधों पर चढने लगे । माताजी भी पुत्र समझकर प्रेम मग्न होकर उनके साथ रमने लगी । पुत्र प्रेम में उनका क्रोध शांत हो गया ।

अब माता ने घोडे, पलान और चाबुक की तरफ देखा तो याद आया कि अहो ! ये देवता अभी तक मेरे कब्जे में ही बंधे हैं । अपनी भूल समझकर सबसे पहले महादेवजी को मिती वैशाख सुद दूज के दिन छोडा । महादेवजी बोले कि देवी, यह लडके तूने कौन के बीज से पैदा किये हैं ! कौन बीज कहने से कुलम्बी नाम पडा । बाद में देवी ने ब्रह्मा और विष्णु को भी छोड दिया ।

तीनों देवता सोचने लगे कि यदि यह शक्ति देवी इस प्रकार मनुष्यों को उत्पन्न करने लग जायेगी तो फिर हम तीनों देवो को संसार में कौन मानेगा । इन लडकों को मार डालना चाहिये । ऐसा विचार कर तीनों देवता लडकों को डराने लगे । तब बच्चों ने माताजी से शिकायत की । माताने कहा कि इन देवताओं में इतनी शक्ति नहीं है कि ये तुम्हें मार सके । तुम मेरे पुत्र हो, मारना तो दूर रहा, उल्टे ये तुम्हारी आशा करेंगे । मैं तुम्हें वरदान देती हूँ । पहला वर यह है कि तुम हलपति होंगे और ये सब देव तुम्हारी आशा करेंगे; तब दुनिया का पेट भरेगा । दूसरा वर यह है कि हल की अणी से तुमहारा यश फैलेगा । तीसरा वर यह है कि सारी पृथ्वी तुम्हारी आशा करेगी । चौथा यह कि कलि में तुम्हारा वंश बढेगा ।

तब लडकों ने कहा कि हे माता, स्त्री के बिना हमारा वंश कैसे बढेगा ? माता ने कहा, हे पुत्रों घबराओ मत, मैं तुम्हारा विवाह करुंगी । ऐसा कहकर माता ने पाताल से ५२ नाग कन्याएं निकाली और श्री महादेवजी से पूछा कि इनका विवाह किस रीति से करना चाहिये ? महादेवजीने कहा कि तुमने इनको पैदा किया है, तो तुम्हीं जानो हम नहीं जानते । इसी तरह ब्रह्माजी और विष्णुजी ने भी मना कर दिया । तब तुम्हारे

वेद–शास्त्र तुम्हारे पास ही रहने दो, ऐसा कहकर देवी ने लडके–लडकियों के हथले जोडकर बिना छोटे बडे का ध्यान रखे ही सब का आपस में विवाह कर दिया।

उस दिन मिती वैशाख सुद तीज यानी अखातीज थी। यह अनोखे विवाह देखकर महादेवजी हंस कर कहने लगें कि हे सती, तुमने यह क्या किया ? इन सबको कडवड कर दिया अर्थात् छोटी कन्या बडे वर को और बडी कन्या छोटे वर को ब्याह दी। कडबड कहने से कडवा नाम पडा। इन्हीं ५२ पुत्रों ने ५२ गांव बसाये और उनसे ५२ साक (गोत्र) कुलम्बियों की शुरु हुई। पहिला लडका लवसंग नाम का था। वह माता की बिना आज्ञा लिये अपनी स्त्री को लेकर अलग गांव बसाकर रहने लगा और लेवा कहलाया। इस एक पुत्र की साक से लेवा भाईयों की उत्पति है।

बाकी ५१ लडकों की साक से कडवा भाईयों की उत्पत्ति हुई। इनके साकों (गोत्रों) का नाम इस प्रकार है :

(१) हावदा (२) मूणातरा (३) रूहात (४) मोलोत (५) मल्लाई (६) देसाई (७) हेणीया (८) भूत (९) पालोद्रा (१०) पालौमा (११) सोमजीवाला (१२) छेलवाला (१३) घुघरा (१४) नुगरा (१५) पाला (१६) पांचोटिया (१७) कमाणिया (१८) लाडोला (१९) रनपोरा (२०) रंगोरा (२१) चोखणिया (२२) चावडा (२३) सुंडीया (२४) कंथारिया (२५) गामी (२६) कुकरवाडिया (२७) आंटा अर्थात् तारोद्या (२८) उपेरिया (२९) उनत्या (३०) उणावचिया (३१) मगतुपुरिया (३२) कामलिया (३३) बावनवाडिया (३४) कोठरिया (३५) कामदासिया (३६) दोहरा (३७) बिलीया (३८) सितपरा (३९) गुजहरा (४०) कोडीरा (४१) खांखरिया (४२) सुलिया (४३) लकडिया (४४) सिवरा (४५) कबोई तथा चुहाण (४६) कालरिया (४७) पणासिया अर्थात् अडदिया (४८) वालमीया अर्थात् वाडुंदिया (४९) जाहीकिया (५०) अंडेरिया (५१) मणुजीया।

इन्हीं बावन गोत्रों से तथा नाम से कुलम्बियों की उत्पत्ति है। माताने दो पांती पाडी (भाग किये) और लडकों को अलग अलग हक दिये थे, इस कारण पाटीदार भी कहलाये।

उस वक्त माता के हाथ में काली कामली चुडियां थी। जंगल में दूसरी चुडियां न मिलने से अपने हाथ से निकालकर विवाह के समय लडकियों को पहनाई थी। तब से यह रिवाज चला आ रहा है व इसी कारण से श्री माताजी लग्न देती हैं। अब देश, काल, परिस्थिति के अनुसार धर्म विचार कर लग्न से विवाह करने लगे है, तो यह रिवाज भी उत्तम हैं।

सोलह हजार सोलह सौ बाईस वर्ष द्वापर युग के जाने के बाद संवत् १६५७ में उत्पत्ति हुई है। इसका प्रमाण देवी पुराण और लेवापुराण में भी है, किसी भाई को

जरुरत हो तो मंगाकर देख लेवें । ऊंझावाले पटेल सा.के घर पर है । यही देवी फिर अम्बाजी के नाम से प्रसिद्ध होकर विराजमान हुई है ।

मध्यप्रदेश में कुर्मी क्षत्रिय विस्तार :

हम पिछले प्रकरणो में पढ चुके हैं कि हमारी मूल उत्पत्ति और स्थिति पंजाव में थी; किन्तु राजकीय कारणों से वहां से निकलकर हम उत्तर हिन्दुस्तान में मथुरा तक फैले थे । वहां से एंक हिस्सा कोटा तथा मंदेश्वर के रास्ते श्री स्थल (सिद्धपुर) तथा आनर्तपुर (वडनगर) जाकर बसा । कुछ लोग मालव देश में वस गये । मथुरा देश में बसे लोगों का बडा हिस्सा गंगा–जमुना के उपजाऊ मैदानों की और बढता हुआ पूरे उत्तर हिन्दुस्तान में फैलकर अयोध्या तक पहुंचा । उनमें से कुछ दक्षिण में बढकर मध्य हिन्द में बसा । वहां कुछ समय निवास करके बाद में कुछ लोग खान देश, बरार, महाराष्ट्र में पहुंचे । कुछ अपनी भ्रमणवृत्ति के कारण ठेठ दक्षिण में तेलंगाना, मद्रास तथा मैसुर तक पहुंचे । इस प्रकार भिन्न भिन्न स्थानों में जाकर बसने तथा दूरी बढ जाने के कारण इनका आपसी पुराने संबंधों का कम होना स्वाभाविक है ।

राजपूत शासन के अंत के पश्चात् के करीब ६०० सालों के अराजकतापूर्ण युग में तो एक ही देश के भिन्न भिन्न हिस्सों का आपसी संबंध टूट गया था; तो फिर ठेठ उत्तर में बसे लोगों का दक्षिण में बसे लोगों से आपसी संबंध कैसे बना रह सकता है ! ऐसे हालातों में हिन्दुस्तान के विभिन्न प्रांतों में बसे कुर्मियों के आचार विचार, रीतिरिवाजों में बडा अंतर हो गया । और अन्य कई कारणों से भी सामान्य कुर्मी संज्ञा के बजाय अन्य संज्ञाएं प्राप्त होती गई । जैसे उत्तर भारत, अयोध्या आदि स्थानों में बसे कुर्मियों ने 'कुर्मीक्षत्रिय' संज्ञा को सम्हाले रखा है । लेकिन मूलवतन से बहुत दूर–दूर बसे स्वजाति बन्धुओं को महाराष्ट्र में मराठा–कूर्मी, तेलंगाना, मद्रास, मैसूरवासी कुर्मियो को तैलंगा, नायडू, कापुरा, वोकालीगर आदि नामों से जाना जाने लगा । मध्यप्रदेश में हमारा समाज पाटीदार, कुलम्बी, कुलमी, पटेल, मुकाती आदि नामों से जाना जाता है ।

इस तथ्य से हमें सहज ही प्रतीत होता है कि कई साल बीतने पर भी हमने अपने मूल स्थान में बसते प्राचीन बंधुओं के साथ महाराष्ट्र, मैसुर, मद्रास तथा तैलंगाना के कुर्मियों से अधिक प्रमाण में मेल बनाये रखा है । ब्रिटिश सरकार के शांत शासनकाल में प्रत्येक प्रांत के कुर्मी भाईयों ने शिक्षा में प्रगति की तथा एक बार फिर से सभी भाइयों (हिन्दुस्तान की कुल आबादी का १/३ भाग) ने एकत्रित होकर प्रगति करने की सूझबूझ सम्हाली है । प्रतिवर्ष नियमित रूप से प्रकाशित होने वाले मासिक, पाक्षिक पत्र–पत्रिकाओं के माध्यम से तथा सम्मेलनों के जरिये भारत के कोने कोने

में बसे सभी जाति बन्धु एक दूसरे को पहचानने लगे हैं; और एक दूसरे की प्रवृत्तियों में हिस्सा लेने लगे हैं। यह हमारा सद्भाग्य है कि भिन्न–भिन्न हिस्सों में बसने वाले सभी कुर्मी उपवीत धारण करके द्विजरूप में उत्तम कर्त्तव्यों को करते रहकर, अच्छे आचार विचार पालकर अपनी पूर्वगत महत्ता पुनः प्राप्त करने के लिये तत्पर हो रहे हैं। इससे हमारी उन्नति होने में अधिक विलम्ब नहीं होगा, ऐसा विश्वास है।

गुजरात में बसनेवाले कुर्मी भाई 'लेउवा' तथा 'कडवा' संज्ञा से जाने जाते हैं। उनके रीति रिवाज, आचार विचार समान होते हुए, रोटी व्यवहार होते हुए भी बेटी व्यवहार नहीं है। क्योंकि वर्षो पूर्व कडवा कुर्मियों में कारणवश लग्न पद्धति में आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ और यह पद्धति लेउवा बन्धुओं के पूर्वजों को प्रतिकूल लगने के कारण इन दोनों शाखाओं में बेटी व्यवहार बन्द हो गया, जिससे धीरे धीरे अंतर बढता गया। दोनों पक्षों के विद्वानों और विचक्षण नेताओं ने शिक्षा की अभिवृद्धि करके उन्नति के अथक प्रयास किये हैं, जिसके मीठे फल शीघ्र ही हमें मिलेंगे। कडवा कुलमियों की आवादी गुजरात के अलावा खानदेश, मालवा, राजस्थान, सौराष्ट्र तथा कच्छ में अधिक है। साथ में लेउवा भी वसते हैं।

अब हम कडवा कुलमियों की आबादी और आचार–विचार के बारे में लिखते हैं।

मध्यप्रदेश

मध्य प्रदेश में बसनेवाले कडवा कुलमियों में मालवी, निमाडी तथा गुजराती ऐसे सांशिक भेद हैं। लेकिन इनके खानपान, व्यवहारों में समानता है।

मालवी कुलमी

ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में वीर विक्रम के समय में कुलमी लोग मालवा प्रदेश में आकर बसे थे। इतिहास के जानकार भाईयों को पता होगा की अवन्ति (मालवा) में वीर विक्रम के पहले हिन्द के पश्चिमी भागों पंजाब, अवन्ति, गुजरात में विदेशी हूणों, शकों का राज्य था। वीर विक्रम ने उन सबको हराकर हिन्द की सीमा से बाहर भगा दिया था। फिर पंजाब से लौटते समय वह वीर राजा विक्रम पंजाब से कुछ कुर्मि परिवारों को अपने साथ लेता आया था और उन्हें अवन्ती का वीरान प्रदेश समृद्ध बनाने के उद्देश्य से मालवा में वसा दिया। उन्होंने अपनी–अपनी सामर्थ्य के अनुसार छोटे बडे कई गांव बसाये। राजा ने तीन सौ गांवों के नेता कुर्मियों को पटेल का ओहदा देकर ताम्रपत्रों पर लिखकर बडे–बडे खेत इनाम में दिये। इस प्रकार का एक ताम्रपत्र बेरछा (शाजापुर) ग्राम के नाहर परिवार के पास अभी भी है। उनमें भाभाराम पटेल नाम का बहुत बडा नेता था। समय बीतते उनकी आवादी ३०० से बढकर ३००० तक हो गई और पूरे मालवा में फैल गई। अभी मालवा में पाटीदारों के करीब ६००० घर होंगे। वे समृद्ध और सुखी हैं।

निमाडी कुलमी

ऐसा प्रमाण मिला है कि गुजरात में राजा भीमदेव के शासनकाल में भयंकर अकाल पडा था। उस समय कई कुर्मी परिवार भागकर निमाड प्रांत में आकर बसे थे। उन्होंने अपनी कृषि विद्या से इस वीरान प्रदेश को समृद्ध बनाया एवं स्वयं की भी समृद्धि बढाई थी। चूंकि वे गुजरात से आये थे, अतः लम्बी अवधि के लग्न करने का रिवाज अपने साथ लाये थे। बहुत समय तक गुजरात के रिवाज निमाड में ये चलाते रहे। अभी भी उनमें गुजराती कणबियों के लक्षण मौजूद हैं।

दूसरा प्रमाण यह मिला है कि संवत् १७७५ के साल में गुजरात में 'पंचोतरो' नाम से प्रसिद्ध भयंकर अकाल पडा था। उस समय बाजरा एक रुपये का चार सेर बिकता था। लोग कंदमूल फल और वृक्ष के पत्ते खाकर अपनी भूख मिटाते थे। लोग दो–दो रुपयों में अपनी प्रिय संतानों को बेच देते थे। अकाल की ऐसी भयंकर दशा के कारण गुजरात से कई कुर्मी मालवा–निमाड की ओर चले आये थे। उनमें रुसात, मांडलोत, मोल्लावद, भूत, साकरिया, झालूडिया, दावडा आदि शाखाओं के कई परिवार महेश्वर आये। महेश्वर में उस समय महारानी अहिल्या बाई होलकर का राज्य था। उन्होंने नर्मदा तट पर घाट, मन्दिर और किला बनवाने का काम शुरु किया था।

उस दयालु रानीने गुजरात से आये परिवारों को दुखी और निराधार देखकर काम पर रख लिया। इस प्रकार उन्होंने आठ महिने काम करते निकाले। ईश्वर कृपा से अकाल मिट गया। अच्छी वर्षा हो गई। गुजराती परिवार अब यहीं बसकर अपनी समृद्धि बढाने लगे। हरी भरी लहलहाती खेती देखकर उनकी भावि आशा प्रबल हुई। अतः उनमें से कुछ लोग धामनोद, बालसमुंद, कसरावद आदि गांवों में आकर बसे और वहां पर खेती करना चालू किया। अपने कौशल से वे सभी कृषक वर्गो में श्रेष्ठ साबित हुए। भाग्यदेवी भी उनके पुरुषार्थ पर मानो प्रसन्न हुई; उनकी आर्थिक स्थिति तेजी से सुधरती गई। उन्होंने वीरान् जंगल खरीद लिये। धीरे–धीरे उन्होंने गुजरात की ममता छोड दी। कुछ लोग अपनी मूल जन्मभूमि गुजरात में अपने प्रियजनों की खबर लेने आये। उन्होंने उनके समक्ष निमाड की भूमि की ऐसी प्रशंसा की कि गुजरात के कुर्मियों का मनभी मालवा–निमाड के प्रति आकृष्ट हुआ। निमाड आकर उन्होंने यहां की उपजाऊ भूमि और समृद्ध खेतीवाडी देखकर वहां बसने का निर्णय किया। निमाड के उजडे वीरान् जंगलों को साफ कर खेत बनाये। उन्होंने १०–१५ सालों में ही खूब उन्नति कर ली। ईस्वी सन् १७८४ तक थोडा बहुत उनका गुजरात आना जाना चलता रहा। कालान्तर में वह भी बन्द हो गया। उस समय उनके तेरह

---

(१) करणघेलो (स्कूल एडिसन) पृष्ठ १२

(२) कडवा विजय (पुस्तक ५, पृष्ट २४१)

गांवों में करीब ४०० घर (परिवार) थे, जो बढते–बढते अभी २४०० घर हो गये हैं। निमाड में कुलमियों के चार परगने माने जाते थे। पुराने गांवों के नाम इस प्रकार है –

(१) नर्मदा के दक्षिण तट पर

(१) कसरावद (२) छोटी कसरावद (३) सालदा (४) सामेडा (५) भग्यापुर (६) मोगावों (७) माकडखेडा (८) भील गांव (९) बाल समुन्द (१०) साटकुर (११) काट्कुर एवं (१२) बिठेर। ये गांव महेश्वर के निकटवर्ती हैं तथा उनकी पंचायत का परगना कसरावद कहलाता है।

(२) नर्मदा के दक्षिण तट पर पश्चिम भाग में

(१) कुंवा (२) केरवां (३) घटवां (४) दवाणा (५) सत्राटी (६) पीपल झोपा (७) बघाडी (८) सेमल्दा (९) उचावद। ये गांव कुंवा परगना के अंतर्गत थे।

(३) नर्मदा के उत्तर तट पर :

(१) मंडलेश्वर (२) छोटी खरगोन (३) धरगांव (४) नांदरा (५) सुलगांव (६) बहेगांव (७) झापडी (८) गोगावां (९) मोगावां (१०) करोंदिया (११) करी कस्बा (१२) चुन्दडिया (१३) पाडल्या (१४) कवाणा (१५) बयडा करोंदिया (१६) बबलाई (१७) कावडया (१८) कुंडिया (१९) पथराड (२०) बिलवावडी (२१) मंदोरी (२२) सोमाखेडी (२३) गुलावड (२४) अल्यापुरा (२५) मूदरी (२६) चोली (२७) कतरगांव (२८) कुम्भ्या (२९) वंडेरा (३०) ठनगांव (३१) असतरिया (३२) देवपीपल्या (३३) इटावदी (३४) मातमूर (३५) वडां (३६) महेतवाडा (३७) करोली (३८) समसपुरा (३९) कांकरिया (४०) मिर्जापुर (४१) बडेवल (४२) होदडिया। ये गांव समृद्ध और उन्नतिशील रहे हैं। इनका परगना महेश्वर है।

(४) नर्मदा के उत्तर तट पर पश्चिम भाग में

(१) खलघाट (२) धामनोद (३) मोरगडी (४) बैगन्दा (५) जल्कोटी (६) खारिया (७) पलास्या (८) गुलजरा (९) बिखरुण (१०) पटलावद (११) सुन्दैल (१२) मयगांव (१३) डोंगरगांव (१४) लुहारी (१५) चंदावड (१६) घेगजा (१७) पेडमी (१८) बगडीपुरा (१९) झाकरूड। ये गांव धामनोद परगना में आते हैं।

निमाडी–कुलमियों की प्राचीन प्रथाएं

१९ वीं सदी के रीतिरिवाज

(१) पंचरचना :

पुराने समय में साधारण छोटे कामों या प्रकरणों में लोग अपने गांव के पंचों में ही मामले निपटा लेते थे। किन्तु बडा काम होने पर उनका निकाल परगना पंच

करते थे । और अधिक बडा काम पडने पर चारों परगनों के पंच इकट्ठा होकर फैसला करते थे । और वह फैसला सबको मानना ही पडता था ।

(२) लगन्या बधाना (लग्न पत्रिका लाना व पूजना) :

बहुत पहले निमाड में भी बारह वर्षीय विवाह होते थे । सिद्धपुर (गुजरात) से ब्राह्मण मां उमिया के आदेश से लग्न मुहूर्त लेकर निमाड आते थे । प्रत्येक ग्राम में किसी निश्चित स्थान पर ब्राह्मण बैठकर लग्न पत्रिका (टीप) देता था । वहां गणेशजी की तथा कुलदेवी मां उमिया की पूजा की जाती थी । सवा रुपया और सवा चौकी गेहूं भेंट देते थे । उसीमें से ५ पोस गेहूं विवाह घर वाली महिलाओं को वापस देते थे । उसीसे गुणी, घुघरी बनाई जाती थी ओर मां के प्रसाद के रूप में सभी खाते थे । इस पवित्र पुरानी प्रथा का निर्वाह ग्राम सोमाखेडी (तेह. महेश्वर) में अभी भी हो रहा है । ग्राम के श्री मांगीलाल डोल्या के घर उनके पिताजी और दादाजी के समय से लग्न बधाने की प्रथा चली आ रही है । वे अभी भी भेंट के रुपये और गेहूं का मूल्य इकट्ठा करके श्री उमिया माताजी के मंदिर में ऊंझा भेजते रहते हैं । निमाड के कई ग्रामों में यह प्रथा अभी भी प्रचलित है ।

(३) लग्न-प्रथा :

जिस प्रकार गुजरात से कडवा आकर यहां बसे हैं, उसी प्रकार लेवा भी बसे हैं । उन दोनों की लग्न-प्रथा अलग अलग होने से, गुजरात की तरह, उनमें आपस में रोटी व्यवहार तो है, किन्तु बेटी व्यवहार नहीं हैं । लेवाओं की बोल-चाल, रहन-सहन गुजरात से ज्यादा मिलती है । मालवी कुलमियों में भी लेवाओं की भांति वर-कन्या की उम्र के हिसाब से प्रति वर्ष शादियां होती थी । निमाडी तथा गुजराती संज्ञा धारी कडवा कुलमी गुजरात से नौ या ग्यारह वर्ष में मुहुर्त आने पर गुजरात की भांति बाल-विवाह करते थे । सभी रीति-रिवाज गुजरात की तरह ही होते थे । कुम्हार के घर से माटी लाकर गणेश स्थापना करते थे । शादी के दिन अनपढ पुरोहित आकर चौरीफेरे में "ब्रह्मा, मुरारी, त्रिपुरांतकारी, भानु, शशि, भोम, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहू, केतु सर्वे ग्रहा शांति कराभवतु" यह मंत्र पढकर तेल ओर घी का होम करके शादी पूर्ण करता था । इस तरह के विवाहों में बच्चों को ब्याह देने की पीडा; बेमेल जोडा, विधवा या विधुर हो जाना आदि लक्षण गुजरात से कतई कम नहीं थे ।

(४) नातरा (करावा) प्रथा :

निमाडी कुलमियों में यह बहुत बेहूदा रिवाज था । किसी बेवा का बिरसा चुकाते समये रुपये लेने का रिवाज भी था । कोई बेवा होने पर जोड-तोड करते थे, और

कभी जाने–अनजाने जीवित पति के होने पर भी करावा करते थे,तो पंच दोनों पक्षों को दण्ड करके ४०० रुपये पंचों को और १००० रुपये पहलेवाले पति को दिलाते थे। कम से कम ५०० रुपये से १५००–२००० रुपये तक लिये जाते थे। कच्चे पक्के करावा में 'तागली' पहनाने का रिवाज था। तागली पहनने के बाद स्त्री दूसरे से शादी नहीं कर सकती थी। रविवार या मंगलवार आने तथा माता का पूजन स्थापन होने पर ही करावा का पूर्ण पुनर्लग्न (नातरा) माना जाता था।

(५) मरणोपरान्त भोजन :

कितनी भी छोटी बडी उम्र में मृत्यु हुई हो, किन्तु यदि वह बाल–विवाह में परिणित हुआ, तो उसके शव को गांव के बाहर मुकाम पर लाकर, रोने कलपने वाले भले ही रोते कलपते रहें, किंतु पत्थर के दिलवाले जातिजन मिठाई बनाने की चर्चा करते थे। आधे लोग वहां से लौट कर, मृतक के घर आकर, घर में यदि गेहूं, गुड, घी हो तो ठीक अन्यथा खरीद कर, पिसवाकर घी–गुड की मिठाई (सुखडी) बनाते थे। शव को जलाकर वापस आते थे। स्त्रियां रोती रहती थीं, और लोग मिठाई खाते रहेते थे। निमाडी कुलमियों में अब यह प्रथा बन्द हो गई है। पहले दिन का मृत्यु भोज तो प्रेत भोज है, उसे खाना तो बडा हृदय–द्रावक ओर अप्रांसगिक रिवाज है।

(६) माताजी का मंदिर :

निमाड में कणबी आकर बसे, तो कुलदेवी उमिया माता का मंदिर तो चाहिये ही। अतः उन्होंने धामनोद में कुलदेवी का मंदिर बनवाया। धामनोद एक बडा गांव बसाया गया। चारों परगनों के पंचों ने मिलकर दो–तीन हजार रुपये खर्च करके बहुत बडा मंदिर बनवाया है। इस मंदिर – निर्माण में ग्राम कवाणा के स्वर्गीय दगडूजी पाटीदार ने तन–मन–धन से खूब काम करके निःस्वार्थ सेवा की थी। उनके वंशज ग्राम कवाणा में अभी भी मंदिरवालों के नाम से जाने जाते हैं।

निमाड में मांवदी प्रथा :

निमाड क्षेत्र के पाटीदार समाज में यह प्रथा काफी लोकप्रिय थी। निमाड क्षेत्र का कुलमी समाज प्रमुख रूप से तीन परगनों में बंटा हुआ था –

१. महेश्वर परगना
२. कारम नदी के पार (धामनोद क्षेत्र)
३. नर्मदा के पार (कसरावद क्षेत्र)

उस समय कुलमी समाज में १४०० परिवारों की गिनती लगती थी। मांवदी देने वाले व्यक्ति आसपास के प्रमुख सदस्यों को बुलाकर योजना बनाते थे। गांव वार कार्य बांट दिया जाता था। गाडियों से गेहूं, दाल, चावल, सुधारने-पीसने के लिये आसपास के गांवों में भेजते थे। शुद्ध घी बिकते भाव से कई गांवों से मंगाया जाता था। फिर मांवदी की तिथि तय करके सभी गांवों को न्यौता भेजा जाता था। २-४ दिन पूर्व आसपास के पाटीदार एकत्र होकर गांव वार काम बांट देते थे। कोई गांव लड्डू बनाने से लेकर परोसने तक जिम्मेदारी लेता तो कोई दाल बनाने व परोसने का, कोई पत्तलें डालने उठाने का तो कोई पानी की व्यवस्था की जिम्मेदारी लेता था।

सारथी (स्वयंसेवक दल) गण बुलवाए जाते तब जाति को जिमाना, परोसना, पत्तलें उठाना विगैरह छोटे-बडे सभी काम करना पवित्र कार्य माना जाता था। पंगत में विशेषकर मोतीचूर (बूंदी) के लड्डू, चूरमा, शीरा (हलुवा) बनाते थे। उस समय ७-८ बोरी शक्कर खर्च हो जाती थी। इन मांवदियों में बर्तनो (तांबे के घडे, थालियां, तपैलियां, लोटे आदि) की 'लायण' (ल्हाणी) दी जाती थी। जिस गांव के जितने कुलमी परिवार होते थे उतने नंग बर्तन आ जाते थे। गांव का मुखिया उनको वितरित कर देता था।

उस समय बैलगांडियों से आना जाना होता था। पाटीदारों को तब गाडी बैलों का बडा शौक था। सुन्दर सुहावने कबरे बैल, उन पर चटकदार कपडे की झूलें, घुंघरूओं की झुन झुन आवाज, उनको हांकते हुए, मूंछों को बल देते हुए नवयुवक और तम्बू की गाडियों के भीतर बैठी हुई रमणियां, गणपति, उमिया, अम्बा के गीत और श्रृगार-रस के गीत गाती हुई जाती थी। गाडियों की होड (प्रतिस्पर्धा) होती। दूर के परगने की जो बैल गाडी सबसे पहले पहुंचती उसकी आगेवानी होती। बैलों को एवं गाडीवानों को विजय तिलक किये जाते थे और सम्मान में पगडी दुपट्टा बंधाया जाता था।

मांवदी देने वालों का संक्षिप्त परिचय -

निमाड जिले में यह प्रथा सबसे पहले कब शुरु हुई इसका प्रामाणिक रेकोर्ड तो उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन सबसे अंतिम मांवदी सं. १८९२ में खलघाट गांव में स्व. कालू बाबा पाटीदार (खानदेशिया) की धर्मपत्नी कालीबाई ने तत्कालीन पूरे जाति समाज को विशाल भोज दिया था। निम्न वर्णित सभी मांवदीया सं. १८९२ के पहले दी गई थी। वयोवृद्ध बुजुर्गों से माहिती (जानकारी) लेने पर निम्नानुसार गांवों में मांवदी देने का प्रामाणिक रेकोर्ड मिला है -

बिल्वावडी (महेश्वर परगना) – श्री मिश्रीलाल पाटीदारने बताया कि उनके स्व. दादाजी फत्तूजी गुजरिया ने मांवदी दी थी। श्री अमरचन्दजी गुजरिया का भरापुरा परिवार अभी भी बिल्वावडी में निवास करता है।

भूदरी (महेश्वर) में वराडिया गोत्र के स्व. शिवाजी पाटीदार ने मांवदी दी थी। उनके पौत्र (नाती) श्री सीताराम भाई पाटीदार ने बताया कि उनके दादाजी के पास बहुत सी जमीन और बडे–बडे मकान थे। भूदरी और सोमाखेडी में शिवाजी दाजी के वंशज उन्नतिशील कृषक हैं और शिक्षित होकर बडे शासकीय पदों पर कार्यरत हैं।

मोगावां (महेश्वर) के तत्कालीन प्रसिद्ध व नामी सेठ परिवार के भगवानजी सेठ व शंकरजी सेठ दोनों भाईयों ने मांवदी दी थी। उस में १४ लडकियों के आणे भेजे गए थे। मोगावां में सेठ परिवार अभी भी निवास करता है।

कुण्डया (महेश्वर) – कुण्डया गांव के श्री विश्रामजी पाटीदार मे मांवदी दी थी। श्री विश्रामजी इस क्षेत्र के जाने माने और धनाढ्य परिवार के व्यक्ति थे। उनके वंशज कुण्डया गांव के प्रगतिशील कृषकों में माने जाते हैं।

कतरगांव (महेश्वर) के श्री दयारामजी पांचोटिया ने बताया कि उनके पूर्वजों ने मांवदी दी थी।

कसरावद की संभ्रांत कुलीन पाटीदार महिला ने भी मांवदी दी थी।

सामेडा (कसरावद) गांव में भी मांदी देने के प्रमाण मिले हैं।

यों तो 'मांवदी' जाति समाज को जिमाने के उद्देश्य से दी जाती थी, लेकिन इस अवसर पर सगाई की रस्म खाणे (टीके) के मेहमान, बाल–विवाह में विवाहित लडकियों के आणे भेजने के मेहमान बुलाए जाते थे। इस अवसर पर मंडप होते, गणेश पूजन, गंगा पूजन जैसे मांगलिक कार्य भी आयोजित होते थे।

युग बदल गया। आर्थिक कठिनाईयां बढ गई। समाज का दायरा बहुत विशाल हो गया। अतएव 'मांवदी प्रथा' धीरे–धीरे समाप्त हो गई। लेकिन पाटीदार समाज में ऐतिहासिक गौरव के रूप में मांवदी अभी भी बडे–बूढों की जबानों पर जिन्दा है।

पाटीदार समाज की तत्कालीन महत्ता

जब मध्यभारत में होलकर, सिन्धिया, धार, देवास स्टेट के राजवंशों का शासन था, तब सरकार और कोर्ट–कचहरियों में पाटीदार समाज की बडी प्रतिष्ठा थी। पाटीदार कौम, मेहनत, इमानदारी व सच्चाई के लिये प्रतिष्ठित थी। यदि शासन में

कहीं किसी पाटीदार ने गवाही दी या कोई बात कही, तो तत्कालीन शासक व रियासत के अफसर उसे प्रामाणिक मानते थे । आज भी सामान्यतः पाटीदारों की यह पहचान बनी हुई है । सामान्यतः पाटीदार बेईमानी, झूट, फरेबी से दूर रहकर सच्चाई और न्याय का पक्ष लेते हैं ।

वीरपोस की प्रथा

निमाड पाटीदार समाज में भाई–बहनों के पवित्र रिश्तों, परस्पर कत्तर्वयों और मंगल कामनाओं का प्रतीक 'वीर पोस' का त्योहार सदियों से मनाया जाता है । यह पर्व पाटीदारों की अपनी विशेषता और पहिचान का प्रतीक है । निमाड पाटीदार समाज में भाई दूज के पर्व का उतना अधिक प्रचलन नहीं है, जितना कि अन्य समाजों में प्रचलन है । वीरपोस का पर्व शायद भाई–दूज के विकल्प के रूप में प्रारंभ किया होगा । क्योंकि जिस उमंग, उत्साह, अनिवार्यता के साथ पाटीदार समाज में वीरपोस का त्योहार मनाया जाता है, उतना इस त्योहार का प्रचलन निमाड के अन्य समाजों में नहीं है ।

रक्षाबन्धन्न के ठीक पहले आने वाले रविवार को 'वीर पोस' का त्योहार मनाया जाता है । इस बारे में दन्तकथाएं और धार्मिक मान्यताएं भी हैं । इस दिन प्रत्येक भाई अपनी बहनों के घर वीरपोस लेकर जाता है । वीरपोस में सवा कंगन (किलो) गेहूं, थोडा गुड, खोपरे की वाटकी तथा बहिन के लिये यथाशक्ति कपडे रखे जाते हैं । समयानुसार इसमें थोडा बहुत फेर बदल होता रहता है । यह सामग्री लेकर भाई बडी श्रद्धा से अपनी बहिनों के घर जाते हैं । हर बहिन बडी उत्सुकता से अपने भाईयों की प्रतीक्षा करती है । अपने भाईयों की मंगल कामना करती हुई वह उनके लिये रविवार को वीरपोस का व्रत रखती है । भाईयों के आते ही बहनें उन्हें मंगल–तिलक करती हैं, आरती उतारती हैं, मिठाई खिलाती हैं और आंचल पसार कर भगवान से अपने भाईयों के लिये मंगल कामना करती हैं एवं आशीर्वाद मांगती हैं । भाई भी बहिनों को वीरपोस की भेंट देकर स्नेह, ममत्व, श्रद्धा के साथ बहिनों के सम्मुख नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं ।

भाई–बहिन के अटूट प्रेम का प्रतीक 'वीरपोस' का पर्व पाटीदार समाज की अपनी गौरवशाली परम्परा है । यह प्रथा गुरु बहिनों तथा मुंह बोली बहिनों के लिये भी उसी महत्त्व के साथ प्रचलित है ।

लगन्या वधाना, वीरपोस, मांवदी, कारज, बालविवाह, नातरा, छूटमेल जैसे रीतिरिवाज गुजरात के पाटीदारों से मिलते जुलते हैं ।

मंदसौर जिले के पाटीदार

मध्यप्रदेश एवं राजस्थान में कडवा और लेवा संज्ञाधारी पाटीदार मुख्य हैं; अन्य संज्ञाधारी कणबी, कुनबी, कुर्मी से उनका कोई सामाजिक संबंध नहीं है ।

इतिहास लेखन मे नई परिपाटी शुरु हुई है । अब केवल राजकीय इतिहास ही नही लिखे जाते, वरन् सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास भी लिखे जा रहे हैं । परिवारों की परम्परा, रीतिरिवाज, कबीला, जाति एवं गांव की उन्नति ओर विकास को महत्त्व दिया जा रहा है । इसी ढांचे को लक्ष्य में रखकर हमने भी इस इतिहास में मध्यप्रदेश के पाटीदार समाज और उनके गांवों का इतिहास लिखा है ।

इसी तारतम्य में हमे मध्यप्रदेश पाटीदार समाज के पूर्व अध्यक्ष श्री परशुराम पाटीदार से मन्दसौर जिले के पाटीदारों के बारे में जानकारी मिली है । उन्होंने लिखा है कि यह जानकारी गुजराती नायक के लेखों, हमारे गंगागुरु की वही के लेख, हमारे वडीलों द्वारा हमें पीढी दर पीढी दी जानेवाली सामग्री, शिलालेखों, स्मारकों आदि से मिली है । यह जानकारी गुजरात की परिपाटी, सामाजिक प्रथाएं, रीतिरिवाजों के आधार पर सत्य है । इस जानकारीमें मैंने मेरे परिवार और गांव को आधार बनाकर मन्दसौर जिले के पाटीदारों के आव्रजन का निष्कर्ष दिया है ।

मेरा गांव रीछालालमुहा है जो "रीछा मुकातियों वाला" नाम से समाज में जाना जाता है । इसमें १४० पाटीदार परिवार रहते हैं । गांव में मेरा परिवार प्रधान परिवार (मोटा घर) माना जाता है । हम गुजरात के ऊंझा माताजी क्षेत्र में कापडेल नामक गांव से यहां आकर बसे हैं, इसलिये हमारा गौत्र कापडिया है । कापडिया ग्राम में खेताजी नाम के पाटीदार का परिवार था । खेती के अतिरिक्त इनका कापड (कपडे) का भी अच्छा धंधा था । खेताजी मूल पुरुष के (१) विष्नाजी, विष्नाजी के (२) पदमजी, (३) पदमजी के मेघजी, (४) मेघजी के प्रेमजी, (५) प्रेमजी के, अखजी और नन्दरामजी, (६) अखजी के, कानजी खीमजी, राधुजी, तीन पुत्र (७) कानजी के, रतनजी, हरिजी तथा टीकमजी तीन पुत्र (८) रतनजी के, दौलतरामजी, (९) दौलतरामजी के, लालजी (१०) लालजी के शालिगरामजी, (११) शालिगरामजी के सूरतरामजी, (१२) सूरतरामजी के केशुरामजी, (१३) केशुरामजी के बापूलालजी पूर्वमृत तथा देवरामजी दो पुत्र हुए, बापूलालजी के शालिगरामजी और देवरामजीके तीन पुत्र रामदयालजी, रव्यालीलाल और मैं स्वयं परशुराम पुत्र हुए हैं ।

यह वंश वृक्ष हमारी जानकारी के एवं नायक व गंगागुरु की वही से सही है ।

गुजरात छोडने का कारण :

मालवा के राजा की शादी गुजरात के राजा भीमदेव की पुत्री से हुई थी । मालवा के राजा ने गुजरात के पाटीदार परिवारों को मालवा में आकर खेती करने का निमंत्रण

दिया था । इस या अन्य राजनैतिक कारणों से गुजरात छोड दिया था । इस पर से लगभग ३६० परिवार मंदसौर जिले में गुजरात छोडकर आये थे । पूर्वमें ही यहां जिले में कुर्मी, कुल्मी परिवार रहते थे जो इन ३६० परिवारों के पाटीदारों को गुजराती कुल्मी कहेते थे । इनमें विवाह की छुटक प्रतिवर्षीय लग्न–पद्धति प्रचलित थी और हम गुजराती परिवारों में ऊंझा की लग्न परिपाटी पर १० वर्षीय सामूहिक अक्षय तृतीया एवं मण्डप रात्रि की लग्न–पद्धति थी और सन् १९७० तक प्रचलित रही है, जिसे समाजने मेरी अध्यक्षतामें सन् १९८० में संमेलन करके समाप्त कर दिया है ।

गुजरात से निकलने का संवत् १७४० बताया गया है ।

विष्नाजी के पुत्र मेघजीने गुजरात कापडेल गांव १७४० में छोडना बताया है । कापडेल से मालवा में बडनगर तहसील के क्षैत्र के गांव खरसौद में मेघजी ने २५ वर्ष के लगभग निवास किया । श्री पुरषोत्तमदास के द्वारा लिखित इतिहास के पृष्ठ २११–२१२ पर ईडर से जामणिया गांव गोत्र के ६ भाईयों का परिवार गुजरात से निकला था जिसमें से छठे भाई नानजी इसी खरसौद में पूर्व से बसे हुए थे ।

२५ वर्ष पश्चात् मेघजीने विलपांक, बिलपांक से भीमाखेडी और भीमाखेडी से रोला ग्राम में आकर कुछ वर्षो तक निवास किया था । रोला ग्राम में रीछा वालों की ओडी (कुंआ) आज भी जानी जाती है । यहां प्रेमजी को गडा धन मिल जाना बताया जाता है । इसी कारण रोला छोडकर प्रेमजी अपने दोनों ही पुत्र अखजी एवं नन्दरामजी के साथ मन्दसौर (दशपुर) जहां यशोधर्मन राजा द्वारा हूणों को पराजित करनें के विजय उपलक्ष में कीर्ति स्तम्भ लगाये हुए हैं, सौंधनी ग्राम में आकर बसे थे ।

अखजी और नन्दरामजी ने अपने पूर्वजों का भैरव मंदिर बनवाया है, जो आज भी विद्यमान है । इस मंदिर में रीछा से कापडिया परिवार के सामूहिक रूप से १० वर्षीय विवाह लग्न के वर्ष में चैत्र मास में अपने विवाह होने वाले लडकों के बाल (चोटी) उतरवाते हैं । यहां प्रेमजी एवं अमरजी मृतक हुए हैं । मेघजी रोला ग्राम में ही मृतक हो चुके थे ।

कहा जाता है कि अखजी व नन्दरामजी सौंधनी ग्राम में १०–१२ वर्ष रहे होंगे । पर सौधनी की जमीन अच्छी नहीं होने से यह ग्राम छोडकर निम्बाखेडी नामक ग्राम में आकर बसे हैं । यहां इन्होंने एक अच्छा कुवा बनवाया तथा आने के पश्चात् १०–१२ वर्ष बाद अखजी एवं नन्दरामजी ने गुजरात से उनके साथ अन्य पादीदार परिवारोंको संगठित करने की दृष्टि से एक बहुत बडा यज्ञ किया जिसमें मन्दसौर जिले में बसनेवाले सभी पाटीदारों को खुला आमंत्रण दिया तथा आसपास के अन्य

जाति के मुखियाओं को भी बुलाया। इस कार्य के लिये [illegible] समाज के लोगों ने अपनी सभा करके अखजी को अपना मुखिया (मुकाती) चुना था और उनको ३६० पीतल की थालियां एवं एक तम्बू भेंट किया था। बाद में अखजीने जवासिया, सावाखेडा (झार्डा), एवं उदपुरा ग्राम के क्षेत्र के लिये इन गांवों से मुकाती नियुक्त किये थे। मुकाती परंपरा में निमंत्रण में सदैव उसका नाम सर्वप्रथम लिखा जाता है और सामाजिक कार्यक्रम की अध्यक्षता व जातियों के निर्णय करने में अधिकारी थे और आज भी वही प्रथा चल रही है। आगे चलकर मुकाती परिपाटी बढती रही। सामुहिक लग्न गुजरात से प्रथम रीछा ग्राम में ही प्रथम स्वागत होकर अन्य गांवों में ब्राह्मणों द्वारा भेजे जाते। १.२५ रुपया नायक, १.२५ रुपया गौर ब्राह्मण, १.२५ रुपया ग्राम का, १.२५ रुपया ऊंझा का निर्धारित किया गया था।

ग्राम निम्बाखेडी में पाला अधिक पडने से फसलों में अधिक नुकसान होते रहने से वे वर्तमान रीछालालमुहा, (रीछा मुकातियों वाला) में आकर बसे हैं। रीछा में अखजी नन्दरामजी संवत् १७८७ विक्रम में आकर बसे है। यहां आकर अखजीने एक सुन्दर बावडी खुदवाई। अखजी व नन्दरामजी की छत्रियां (स्मारक) बनी हुई हैं।

अखजी के पुत्र कानजी, खेमजी तथा राघुजी ने अपने पिता की तरह बहुत बडा यज्ञ निम्बाखेडी तर्ज पर रीछा ग्राम में किया तथा यज्ञ तथा भोजन खर्च के लिये एक बावडी खुदवाकर पक्की बनवाकर उसे पूरा घी से भर दिया था। बावडी मौजूद है। गांव के सभी मार्गों से होकर उनसे आवागमन करने वालों को बिना भेदभाव के भोजन कराया गया था और अखजी एवं नन्दरामजी की छत्रियों (स्मारक) का उद्‌घाटन कराया था। इससे कानजी की प्रतिष्ठा बहुत फैली और वेरीछा कानजी मुकाती वाला नामसे पुकारे जाने लगे थे। कानजी ने गांव में एक धर्मशाला बनवाकर प्रतिदिन सदाव्रत देकर भोजन करने की धार्मिक वृत्ति अपनाई थी। उनकी मृत्यु पर उनके पुत्र रतनजीने सुन्दर स्मारक काले पत्थरों का बनवाया है।

कानजी के तीन पुत्र रतनजी, हीरजी और टीकमजी हुए। टीकमजी लगभग ३० वर्ष की आयु में मृतक हो गये थे। उनकी धर्म पत्नी नाथीबाई उनके साथ सती हुई थी। सती का स्मारक और उसका १२ फुट ऊंचा एक पत्थर का कीर्ति स्तंभ वर्तमान में मौजूद है, जिस पर शिलालेख खुदा है कि नाथीबाई संवत् १८१९ विक्रम में वैशाख महिने में सती हुई है। इस गांव की कापडिया परिवार की प्रत्येक बहन-बेटी अपने ससुराल के कुटुम्बियों के साथ रीछा में आकर एक बार अवश्य ही सती पूजन करती है। यह प्रथा आज भी चालू है।

रतनजी के दौलतरामजी हुए । दौलतरामजी, प्रभावशाली थे । उन्होंने आसपास में पडनेवाली डकैतियों को दबा दिया था । इस सं. १९०० विक्रम में जीवाजीराव शिंदे ग्वालियर के राजा ने दौलतरामजी को रीछा का जमींदार नियुक्त कर गश्त के अधिकार दिये थे ।

दौलतरामजी के पुत्र लालजी को न्यायिक अधिकार दिये गये थे । वे हंमेशा गांव में अपनी कचहरी लगाते और गांव व आसपास के क्षेत्र के लोगों के बीच न्याय करते । वे बडे न्यायप्रिय थे । इससे उनका प्रभाव एवं लोकप्रियता बहुत फैल गई थी ; जब वे मृतक हुए तो इनका बहुत बडा मृत्युभोज दिया गया था । इसके पूर्व मृत्युभोज की प्रथा गुजराती पाटीदारों में नहीं थी । लालजी की यश गाथा गुजरात के नायक व आसपास के भाट भी गाते रहे हैं ।

इसके पश्चात् की पीढीमें लालजी के शालिगरामजी, सूरतरामजी, केशुरामजीने अपने पूर्वजों का प्रभाव बनाये रखा है । केशुरामजी के बापुलालजी उनके जीवनकालमें मृतक हो गये थे । केशुरामजी ५५ वर्ष की आयु में संवत् १८७९ में तथा मेरे पिता संवत् १८९७ में स्वर्गवासी हुए थे । उनके पश्चात् श्री रामदयालजीने सामाजिक एवं गांव की जमींदारी के अधिकारों का उपयोग किया व लोकप्रिय हुए। संवत् २००७ में जमींदारी प्रथा समाप्त होने से जमीनदार नहीं रहे, परन्तु सामाजिक नेतृत्व किया है ।

अपने पूर्वजों की गौरवशाली परम्परा के अनुरुप वर्तमान में मैं मन्दसौर जिले का अतिरिक्त लोक अभियोजक एवं शासकीय अभिभाषक के पद पर नियुक्त व कार्यरत हूं। मन्दसौर विधि महाविद्यालय का प्राचार्य पद परकार्यरत हूं। इसके अतिरिक्त मुझे नोटरी की सनद भी प्राप्त है ।

सामाजिक क्षेत्र में 'पाटीदार लोक' नामक पत्रिका का संस्थापक सदस्य, इन्दौर में पाटीदार समाज 'युवक मंण्डल' का संस्थापक सदस्य तथा १९५६में इन्दौर में समाज के अखिल भारतीय पाटीदार समाज अधिवेशन का संयोजन सचिव के पद पर समाज के संगठन के दायित्वों को सफलतापूर्वक निर्वाह किया । सन् १९६० में कुर्मी पाटीदार संघ का सचिव चुना गया । सन् १९७३ में मन्दसौर जिला पाटीदार समाज की स्थापना के साथ उसका अध्यक्ष चुना गया तथा २ अक्टुबर १९७४ में मेरे द्वारा मालव पाटीदार समाज कार्यकर्ता सम्मेलन स्थान उज्जैन में श्रीराम मन्दिर पर म. प्र. पाटीदार समाज की स्थापना हुई उसका प्रथम सचिव चुना गया । पाटीदार समाज संगठन का विधान बनाया उसको लागू किया । सन् १९७८ में पुनः मुझे मन्दसौर जिला पाटीदार समाज का अध्यक्ष चुना और १९८० में दसवर्षीय सामुहिक बाल विवाह की प्रथा को समाप्त

करने के लिये मन्दसौर में समाज का अधिवेशन बुलाकर उसके निर्णय द्वारा यह घातक प्रथा समाप्त कर दी गई है। सन् १९८१ में मध्यप्रदेश पाटीदार समाज का अध्यक्ष निर्वाचित हुआ। मेरी अध्यक्षतामें इसी वर्ष शाजापुर में मध्यप्रदेश पाटीदार समाज का चतुर्थ अधिवेशन सफलतापूर्वक आयोजित हुआ।

इन्दौर रंगवासा में तृतीय म. प्र. पाटीदार समाज अधिवेशन का मुख्य अतिथि रहा तथा २२ मई १९८८ में मन्दसौर जिले में मध्यप्रदेश पाटीदार समाज का पंचम अधिवेशन आयोजित करने में आगेवान रहा और अधिवेशन मेरे द्वारा उद्घाटित हुआ। जिसमें गुजरात से श्री केशुभाई श्री मंगुभाई इतिहासकार एवं श्री मणिभाई आदि गण्यमान्य मुख्य अतिथि एवं विशेष अतिथि उपस्थित रहे है। १९८७ में मैं ऊंझा गुजरात कार्यकर्ता सम्मेलन में सम्मिलित हुआ। मध्यप्रदेश के सभी जिलों की यात्राएं की एवं अधिवेशनों को सम्बोधित किया तथा समाज को प्रजातांत्रिक आधार पर संगठित कर उसकी कुरीतियों एवं प्रथाओं को समाप्त करने में सफलता प्राप्त की है और अब मध्यप्रदेश पाटीदार समाज बिना कडवा-लेवा भेद के संगठित रूप से आगे बढ रहा है।

इस प्रकार मेरे परिवारने गुजरात से चलकर संपूर्ण मध्यप्रदेश पाटीदार समाज को संगठित करने में आगे आ कर भाग लिया है तथा मध्यप्रदेश के सदियों पूर्व बिछुडे हुए पाटीदार परिवारों को उनके गुजरात पाटीदार भाईयों से मिला दिया है। इस ऐतिहासिक भूमिका का निर्वाह करने मे मुझे सदैव ही अपने पूर्वजों एवं ईश्वर की प्रेरणा मिली है, अन्यथा मैं अपने को एक धूल के कण के बराबर भी नहीं मानता हूं।

उपरोक्त सामाजिक संगठन एवं कार्यक्रम सन् १९५० के बाद के हैं, मैं उनका प्रत्यक्ष चक्षुदर्शी रहा हूं। उनका दस्तावेजी रिकार्ड मेरे पास सुरक्षित है। श्री श्यामसुन्दर पाटीदार पूर्व श्रममंत्री (म. प्र. शासन) का परिवार मेरे परिवार से बहुत पहले गुजरात से निकला था। इसी प्रकार मालवा में विभिन्न समय में पाटीदार परिवार गुजरात से आकर बसते रहे हैं। श्यामसुन्दरजी पाटीदार के पिता भगतरामजी पटेल जमींदार थे और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं। वे समाज के प्रबुद्ध परिवार वाले हैं उनके पास से प्राप्त सामग्री भी प्रमाणित है।

निष्कर्ष यह है कि हमारा गांव बसने के पूर्व ४ पीढियां समाप्त हो गई थी। इसके लिये १३० वर्ष लग जाना चाहिये। इस तरह अनुमान है कि मेघजीने कापडेल (गुजरात) ग्राम आज से ३६५ वर्ष पूर्व छोडा था। यह वर्ष संवत् १६८० वि. अर्थात्

सन् १६२३ ई. आता है । गुजरात में अराजकतापूर्ण राजव्यवस्था रही होगी, इसी कारण पाटीदारों ने गुजरात छोडकर मालवा में बसना प्रसन्द किया होगा ।

मन्दसौर जिले की ऐतिहासिक सामाजिक जानकारी श्री श्यामसुन्दर पाटीदार पूर्व श्रम मंत्री (म. प्र. शासन) ने भी भेजी है । उन्होंने लिखा है – "उज्जैन के महाराणा सिन्धु का विवाह गुजरात में पाटण के राजा की सुपुत्री से हुआ था । शादी के अवसर पर एकत्रित राजा–रजवाडोंने महाराजा सिन्धु को बहुमूल्य भेंटे दी । समाज के लोगों ने भी भेंट देना चाहा । परंतु महाराजा सिन्धुने यह कहकर भेंट अस्वीकार कर दी कि हमारी मुंह मांगी भेंट दोगे तभी भेंट स्वीकार करेंगे । पाटीदार परिवारने परामर्श कर निश्चय किया कि हाथी आदि मांग सकते हैं । यदि ऐसा हुआ तो आपस में चन्दा करके दे देंगे । महाराजा सिंधु की शर्त पाटीदार समाज के प्रतिनिधियोंने स्वीकार कर ली । तब महाराजा सिन्धु ने कहा कि पाटीदार समाज के १०–२० परिवार मालवा चलें, हम उन्हें जागीरें देंगे । शर्त के अनुसार १७५ बैलगाडियों में कई पाटीदार परिवार उज्जैन आये । उन्हें जागीर में लावरी, पीपलखां (सोनकच्छ), दूपाडा (शाजापुर), वेरछा, मातावाला पहाडियां; सोनानी (उज्जैन–दतोतर के पास) और ईरपुर ग्राम दिये ।

संवत् ९०३ में ९०० गाडियां पाटीदारों की और आई । इन लोंगों को नम्बरदारी दी गई और १० वर्ष तक की भू–राजस्व (तौजी) माफ की गई ।

संवत् ९०५ में फिर ११०० गाडियां गुजरात से आई । मार्ग में झाबुआ जिले के ग्राम कलदीला – दामदर में ३४ दिन मुकाम रहा । यहां बावडी खुदवाई, जो आज भी मौजूद है । इसी काफिले में हमारा परिवार उत्तर गुजरात जिला महेसाणा के पालोदर ग्राम से, शामिल था । उज्जैन में क्षिप्रा के किनारे बटिया जमीन पडी थी । यहां ३ माह रहे, खरीफ की फसल उस भूमि से ले ली । बाद में इन लोगों को भी जमीनें दी गई । हम पहिले करेडी ग्राम (दूपाडा के पास) बसे । वहां से दुपाडा, मडावदा, वापोली, रोझाना, इशाकपुर और अंत में संवत् १५५५ वि. मे. हमारे पूर्वज मावाजी पटेल लासूर आ बसे । मावाजी के बाद क्रमश : उत्तराधिकारी (१) पदमाजी (२) परशरामजी (३) राजारामजी (४) खीमराजजी (५) वीरभानजी (६) भाणाजी (७) देवकरणजी (८) शिवरामजी (९) रोडाजी (१०) सुभाषचन्दजी (११) नाथूरामजी (१२) ऊंकारजी, (१३) खीमराऊजी (१४) सुखलालजी (१५) मेघराजजी (१६) भगतरामजी एवं (१७) श्यामसुन्दर । हमारा गोत्र पालोदा लक्कड है ।[१]

---

१. मध्यप्रदेश पाटीदार समाज के अध्यक्ष श्री चैनसिंहजी के साथ जब हम इतिहास की सामग्री एकत्र करने के लिये मैं और चिमनभाई पटेल, जयंतिलाल पटेल, मांगीलाल पाटीदार अध्यापक परिभ्रमण कर रहे थे, तब चैनसिंहजीने यह गाडियों वाली बात उनकी पुरानी डायरी में लिखी हुई बताई थी और अभयपुर के आदरणीय बडीलों ने भी यह बात कही थी ।

शाजापुर जिले के पाटीदार

लालजीभाई नायक (कडी–गुजरात) और श्री मधुसुदनजी निर्भयसिंहजी नाहर और डॉ. राधेश्याम नाहर के पास से हमें पीपलरावाँ गाँवऔर हवेलीवालों के बारे में जो माहिती प्राप्त हुई, वह निम्नानुसार है :

उनका परिवार पीपलरावाँ में चारसौ सालपहिले पाटडी (उत्तर गुजरात) से आया था। पाटडी में कुलमी पाटीदारों का राज वंश था। पाटडी संस्थान को अंग्रेजों ने फार्थ स्टेट का दर्जा दिया था। पहले वे राजगढी (ढांकण) तहसील सारंगपुर स्टेट आये। वहां से पीपलरावाँ आये। पीपलरावों की हवेली पाटडी और वहां के राजवंशो की हवेलियोंसे मिलती जुलती है। हवेली के संस्थापक करमचंद थे। जब करमचंदजी की खेती की आमदनी बढी तो सन् १८४० में कस्बा के नायब तेहसीलदार के पावर मिले। नाहर परिवार को भी तेहसीलदार के पावर मिले थे। नाहर परिवार को बेरछा में माताजी के मंदिर की पूजा का पहला अधिकार आज भी है। ग्वालियर के महाराजा माधवराव सिन्धिया (प्रथम) ने भी कुछ अधिकार दिये थे। सन् १९४० के बाद ये अधिकार नाम मात्र को रह गये। नाहर परिवार आज भी सामाजिक सुधारों में रुचि ले रहा है। हवेलीवालों को समाज आदरणीय भाव से देखता है। जाति में उन्हें आगेवान रखकर इज्जत देते हैं।

श्री रामस्वरूप नाहर एम. ए. साहित्यरत्न और बालकृष्ण चौधरी ग्राम दुपाडा वालों ने ऐतिहासिक सामग्री का आधार लेकर जो सामग्री भेजी है; उसके अनुसार ऐतिहासिक ग्राम दुपाडा का तथा पाटीदार समाज के विकास का इतिहास नीचे लिखे अनुसार है –

मालवा अंचल में, जिला स्थान शाजापुर से अट्ठारह कि.मी. उत्तर पश्चिम में विंध्य की सुरम्य पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित ऐतिहासिक ग्राम दुपाडा के पाटीदार समाज का प्राचीन इतिहास समृद्ध एवं गौरवशाली रहा है। यहां के भव्य विशाल मंदिर एवं उनकी कला–कृतियाँ, ग्राम परकोटा, हवेलियां आदि इस ग्राम के विकासक श्री कुंवरजी की यशोगाथा को प्रकट कर रहे हैं। इस ग्राम में लाकडगोत्र के पाटीदार निवास करते हैं।

गुजरात से आने का कारण :

विक्रमी संवत ९०२ तदनुसार ८४५ ईस्वी में मालवा के राजा सिंधु का विवाह गुजरात के पाटण नगर के राजा मूल राज सोलंकी की लडकी से हुआ था। विग्रह के समय उन्होंने वहां के पाटीदार समाज की कृषि कुशलता को देखकर, उन्हें अपने साथ सम्मान ले जाने

की इच्छा प्रकट की। अतः १७५ गाडी तैयार कर पाटीदार समाज गुजरात से मालवा आया, और विभिन्न अंचलों में जाकर बस गया। राज्य की ओर से इन सभी को जागीरें दी गई थी। इसके बाद संवत् ९०३ में ९०० गाडी व सवंत् ९०५ में ११०० गाडियों में पाटीदार समाज मालवा में आया, किन्तु उनकों राज्य की ओर से कोई विशेष सुविधा जागीर आदि नहीं दी गई थी। यह राजा सिंधु धार के प्रसिद्ध राजा भोज के पितामह थे। सिंधु के पुत्र मुंज व मुंज के पुत्र राजा भोज थे।

गुजरात से आने का समय व स्थान :

विक्रमी संवत् ९०२ में गुजरात प्रांत के मेहसाना के पास पालोदर ग्राम के पटेल उम्मेददासजी व उनके भाई बसनदासजी प्रथम आनेवाले पाटीदार समाज के साथ मालवा में आये और माताजी के प्रसिद्ध स्थान ग्राम करेडी (इसका प्राचीन काल में कनकपुरी या कनकावती नाम था) में आकर बस गये। इनकी सातवीं पीढी में पटेल भोजराज हुए जो विक्रमी संवत् ११०० के लगभग ग्राम दुपाडा के पास तलावदी खेडा में आकर बसे। इनके पुत्र पटेल भीमसिंह तथा पटेल रेविसिंह थे। पटेल रेविसिंहजी विक्रमी संवत् ११५२ (सन् १०९५ ई) में उमट राज्य नरसिंहगढ का निर्माण कर गद्दी पर बैठे। इनके बडे भाई भीमसिंहजी के पुत्र भावजी व इनके पुत्र गैलदासजी हुए। यह गेलदासजी विक्रमी संवत् १२१५ तदनुसार इस्वी सन ११५८ में ग्राम दुपाडा में आकर बसे।

नरसिंहगढ की गद्दी पर बैठने का कारण :

कहा जाता है कि विक्रमी सवंत ११५२ (सन १०९५) में उदयपुर के महाराणा की राजकुमारी के शुभ विवाह के अवसर पर गेहूं आदि अनाज की आवश्यकता हुई। उस समय राजस्थान में अकाल जैसी स्थिति थी, अतएव राजा ने मालवा में अपने कर्माचारियों को ऊंट लेकर अनाज लेने के लिये भेजा जो फिरते हुए तलावदी खेडा आए और पटेल भीमसिंहजी उनके भाई रेविसिंह से अनाज देने के लिये कहा। तब दोनों भाईयोंने उनको आवश्यकतानुसार अनाज दिया। कहा जाता है कि उसका मूल्य भी उन्होंने नहीं लिया। उससे प्रसन्न होकर राणा ने दोनों भाईयों को विवाह में आमंत्रित किया। दोनों भाई हाथी को जेवर आदि से सजाकर उदयपुर ले गये और राजकुमारी को उसे दहेज में दे दिया। इस घटना से प्रसन्न होकर राणा ने उन्हें अपने साथ हुक्के-पानी में सम्मिलित होने को कहा। इस पर छोटे भाई रेविसिंह सम्मिलित हुए। तब राणा ने उनसे कहा कि जितने भी गांव एक दिन में तुम घुमोंगे वह तुम्हारी जागीर के होंगे। इसके साथ ही साथ उनका नाम भाट की पोथी में अंकित कराया। रेविसिंह

जी भैसवा कलाली की श्री माताजी का पूजन करने के पश्चात् घोडे पर ५१ ग्राम के घेरे में घूमे जो, उनकी जागीर के हुए। वे वर्तमान में नरसिंहगढ स्टेट के रूप में हैं। रेविसिंहजी बाट छोडकर उबट घोडे पर चले थे, अतः उमट कहलाये। इस घटना की पुष्टि नायक नटवरभाई लालजीभाई (कडी–गुजरात) एवम् गंगा गुरु सुन्दरलाल सौरों घाट वाले की पुस्तक से थोडे बहुत परिवर्तन के साथ होती है।

अन्य प्रमाण–स्वरूप :

(१) अब भी तलावदी खेडा, पर उमट के भैरुजी का स्थान है, जिसकी पूजा आदि के लिये नरसिंहगढ स्टेट के पुजारी भंवरलाल शर्मा को नेम २० रु. नुक प्रतिवर्ष दिया जाता रहा है।

(२) जन श्रुति है कि पूर्व काल में जब भी नरसिंहगढ से भैरु पूजन को आते थे तो बडे भाई को सम्मान स्वरूप छोटा व सरोपा भेंट करते थे।

(३) राज्य परिवार से संबंधित व्यक्ति अब भी यदा–कदा भैस पूजन को आते हैं। उनका कहना है कि यह ग्राम प्राचीनकाल में हमारे पूर्वजों का था।

दुपाडा ग्राम के विकासक एवं ऐतिहासिक महापुरुष पटेल श्री कुँवरजीः

ग्राम दुपाडाके स्थापक पटेल गैलदासजी की १० वीं पीढी में इस ग्राम के ऐतिहासिक महापुरुष पटेल कुँवरजी हुए जिन्होंने इस ग्राम को सुव्यवस्थित स्वरूप देकर इसका चहुंमुखी विकास किया।

परकोटेसे घिरे इस ग्राम के मध्य बना आयताकार चौडा पथ, इसके विशाल मंदिर एवं उनके उच्च शिखर, हवेलियां एवं पथ के दोनों और बने भवन इस ग्राम को आकर्पक बनाते हुए इसके स्थापक एवं विकासक की सुरुची एवं कर्मठता को प्रकट करते हैं।

पटेल कुँवरजी ने गीता के "योगः कर्म सु कौशलं" महावाक्य को जीवन में उतार कर अनेक लोक हितकारी एवं व्यक्तिगत निर्माण कार्य करवाए, जो आज भी आप की कर्मठता तथा परोपकारिता को प्रकट कर रहे हैं।

पटेल कुँवरजी द्वारा किये गये निर्माण कार्य :

(१) ग्राम का परकोटा :

ग्राम की पिंडारियों के आक्रमण से सुरक्षा के लिये सवंत् १८३२ विक्रमीके आसपास ग्राम के चारों और छप्पन बीघा भूमि को घेर कर विशाल पक्का परकोटा बनवाया गया है जिसमें तीन विशाल दरवाजे एवं दो खिडकियां (लघुद्वार) बनवाये और उन सभी [illegible]

एवं मजबूत लकडी के फाटक लगवाये गए थे । यह परकोटा एवं द्वार अब भी सुरक्षित है तथा उस ग्राम को दुर्ग की भव्यता एवं सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं ।

(२) मंदिर :

श्री पटेल कुंवरजी ने शिल्पकला में अद्वितीय भव्य मंदिरों का निर्माण कार्य करवाया जो अपनी स्थापत्य कला से दर्शकों का मन मोह लेते हैं । मंदिरों के प्रस्तर खंभ, गर्भ गृह के उच्च शिखर तथा सभा मंडप के विशाल गुम्मद की बनावट बहुत ही सुन्दर है । सिंहासन तथा गर्भ गृह के द्वार पर प्रस्तर को तराश कर बनाये गये सुन्दर बेल–बूटे तथा चित्र कलाकौशल के उत्तम नमूने हैं ।

पांच मंदिर विशाल परकोटे के अन्दर बने हुए हैं : (१) श्री राम मंदिर (२) श्री कृष्ण मंदिर (३) छत्री (४) श्री शिवमंदिर (५) श्री दास हनुमानजी के डेरी । इन मंदिरों में से श्री राम मंदिर एवं छत्री पर शिला लेख लिखा हुआ है । इन शिला लेखों के अनुसार :

(अ) श्री राम मंदिरका निर्माण पटेल श्री कुंवरजी द्वारा विक्रमी सवंत् १८८९ तदनुसार सन् १७९२ इस्वी में करवाया था ।

(ब) छत्री का निर्माण अपने गुरु की स्मृति में विक्रमी सवंत् १८८७ में पटेल कुंवरजी द्रारा करवाया गया था ।

सभी मंदिर वर्तमान में पूर्ण सुरक्षित हैं जो अतीत के गौरव को प्रकट कर रहे हैं ।

(३) हवेलियां

आपने दो विशाल हवेलियों का निर्माण करवाया जिनकी भवन कला एवं काष्ट कला बहुत ही सुन्दर है, जो दो सो वर्ष हो जाने पर भी सुरक्षित है ।

(४) कचहरी

पटेल कुंवरजी द्वारा हवेली के पास विशाल कचहरी का निर्माण करवाया गया जिसमें अतिथि गृह, दालान एवं चौक था । कहा जाता है कि अपराधियों को दण्ड देने के लिये यहां पर खोडा बेडी थी और आपके द्वारा न्याय किया जाता था ।

(५) अन्य निर्माण

आपने घोडों की पायगा, घोडीवाला घर, व अन्य भवनों के साथ ही साथ ग्राम दुपाडा में बावडी, तालाब, शाजापुर में बावडी, उज्जैन तथा करेडी में बावडी, सौरों में गंगाजी पर घाट व उसके पास वाटिका बनवाई । इसके अतिरिक्त कई स्थानों पर कुएं तथा कुंडियों का निर्माण–कार्य करवा कर लोक हितकारी कार्य किये थे ।

पटेल कुँवरजी के वैभव एवं विशाल निर्माण कार्य को देखकर किसी ईर्षालु व्यक्ति ने शासन को शिकायत की, जिसमें बताया गया था कि इनके पास इतनी संपदा कहां से आई । अवश्य ही इनका किसी गिरोहसे संबंध हैं । इसकी जिलाधीश महोदय शाजापुर द्वारा जांच की गई । पूछने पर इन्होंने जिलाधीश को नजर दौलत की बात कही व प्रमाण–स्वरूप मूत्र त्याग कर उस स्थान पर खुदवाया तो धन निकला और जिलाधीश के हाथ लगाने पर कोयला हो गया । इस पर जिलाधीशने कहा–यह सब इनके ही भाग्य का है और इनको पगडी बंधवा श्री फल भेंटकर बिदा किया ।

इस घटना की पुष्टि के संबंध में वह व्यक्ति अब भी मौजूद है, जिन्होंने जिलाधीश कार्यालय के पुराने रेकोर्डको जलाते समय पटेल कुंवरजी से संबंधित फाइल को पढा था।

नजर दौलत का आर्शीवाद

जनश्रुति के अनुसार श्री पटेल कुंवरजी को नजर दौलत का आशीर्वाद किसी महात्मा द्वारा प्राप्त था ।

कहा जाता है कि ये जंगल में गये हुए थे । वहां एक साधू आया और इनसे कहा कि मैं वहुत प्यासा हूं, मुझे पानी पिलाओ । उस जंगल में औसपास पानी नहीं था । वे बडी दूर जाकर पानी लाये तथा उनको पानी पिलाया और उनकी बहुत सेवा की । इससे प्रसन्न होकर महात्माने उन्हें यह आशीर्वाद दिया कि तू जहां भी मूत्र त्याग करेगा और धन की इच्छा करेगा तो उस स्थान पर खोदने से तुझे धन प्राप्त होगा।

इस जनश्रुति की पुष्टि इस बात से भी होती है कि पटेल कुंवरजी द्वारा विक्रम संवत् १८४७ में छत्री का निर्माण मंदिर के दो वर्ष पूर्व करवाया जिसके शिला लेख में अस्पष्ट सा लिखा हैं –

'भगवान नगरजी चेलाणी मगरजी दुपाडा वास परगना शाजापुर'

इन वाक्यों के बाद बनाने की तिथि एवं कुंवरजी पटेल तथा उनके पांचों पुत्रों के नाम तथा बनानेवाले मिस्त्री का नाम स्पष्ट रूप से अंकित है । इससे यह सिद्ध होता है कि पटेल कुंवरजी ने अपने आशीर्वाद दाता गुरु एवं उनके चेले की स्मृति में छत्री को श्रद्धा पूर्वक बनवाया ।

आज के इस भौतिक वादी युग में जहां हर घटना को वैज्ञानिक द्रष्टि से देखा जाता है तथा उसके आद्यात्मिक पक्ष की उंचाईयों को छू–सकने की क्षमता आज के मानव में पंगु सी बन गई है, ऐसे वातावरण में इस घटना को हम चाहे जिस रूप में लेवें–किन्तु इतना अवश्य है कि अपने लोक मंगल्कारी कार्यों के द्वारा वे लोकगीत

के नायक तथा उनकी श्रद्धा के पात्र बन गये, जो उन गीतों के माध्यम से युगों तक अपने यश–सौरभसे जनमन को सुरभित करते रहेंगे ।

'कुंवर जी बा के राज में गांव हिल्लेला खाया'

अनुमान किया जाता है कि इनकी मृत्यु अठारवीं सदी के प्रथम या द्वितीय दशक में हुई होगी ।

सेवाभावी पटेल दरियाव सिंहजी

पटेल कुंवरजी की चौथी पीढी में पटेल दरियावसिंहजी हुए । आप न्याय प्रिय, त्यागी व सेवा भावी प्रवृत्ति के महापुरुष थे । आपने श्रीमद् भागवत के पर पीडाय पापय च परोपकाराय पुण्यायं – इस महानसूत्र को अपना कर उसके अनुसार कार्य किया । आपने सन् १९१० के आसपास चलने वाली भयंकर छूत की बिमारी–काला बुखार के समय ग्राम के लोगों की तन, मन, धन से सेवा की । उस समय आप अपने साथियों के साथ सूर्योदय से लेकर देर रात गये तक बिमारों की सेवा, मृत लोगों का अंतिम संस्कार आदि कार्यों में अपने प्राणों की भी परवाह न कर, लगे रहते थे । आपकी इस जन सेवा से प्रसन्न होकर ग्वालियर नरेश श्रीमान् माधवराव सिंधियाने अपनी साल गिरह के अवसर पर २९ अक्टुवर सन् १९१९ को अपने हस्ताक्षरित सनद (मानपत्र) एवं पोशाक प्रदान कर सम्मानित किया था ।

आप अपने समय में पंचायत बोर्ड के सरपंच भी रहे हैं । आपकी न्याय प्रियता एवं ज्ञान तथा कार्य कुशलता से प्रभावित होकर मेम्बर फार लौ एन्ड जस्टिस स्टेट ग्वालियर द्वारा दिनांक १४ नवम्बर सन् १९२१ ई. में आपको सर्टिफिकेट प्रदान किया गया ।

आपने मानवता से प्रेरित हो जमींदारी समाप्ति के आठ दस वर्ष पूर्व ही अपनी पट्टी के समस्त काश्तकारों को मौरूसी हक प्रदान कर अपूर्व त्याग का परिचय दिया ।

आप जीवन भर दीन दुखियों के लिये सेवा कार्य करते रहे ।

पटेल कुंवरजी के पांच पुत्र थे । वर्तमान समय में उनके वंशज आज भी इस ग्राम में हैं जिनमें (१) पटेल नारायणसिंह व मांगीलालजी का परिवार (२) पटेल शिवनारायणजी का परिवार (३) पटेल निर्भयसिंहजी, बाबूलालजी व गोपालकृष्ण का परिवार (४) पटेल भेरुसिंहजी का परिवार (५) श्रीमती लक्ष्मीबाई पत्नी सियारामजी नाहर का परिवार आदि मुख्य हैं ।

ये पांचों परिवार ग्राम के भूतपूर्व जमींदार थे । जो पुराने समय से ही ग्राम का नेतृत्व करते आये हैं और समृद्ध हैं ।

ग्राम के अन्य परिवार में निसालजी के वंशज भावसेरी व सामा बिरवान की सेरीवाले तथा दमाजी के वंशज डोल खेडी वाले एवं भावसिंहजी के वंशज पेजी पांथीवाले, व दीपाजी के वंशज भाटोडिया सेरीं वाले एवं कुंवरजी पटेल के भाई बजेसिंहजी के वंशज पछवाडा वाले, पटेल कुंवरजी के पुत्र हरचंदजी के परिवार के सिद्धि निघटा वाले का परिवार है। सभी परिवार शने शने उन्नति की और बढ रहे हैं।

वर्तमान समय में

आजादी के पश्चात् जब पंचायत विधान लागू होकर पंचायतों का निर्माण हुआ तो कुंवरजी पटेल के वंशज श्री नारायणसिंह पटेल ग्राम के प्रथम सरपंच बने तथा केन्द के सरपंच को-ओपरेटिव बैंक शाजापुर के चेअरमेन आदि पदों पर रहकर जन सेवा का कार्य किया। आपने भूमि विकास बैंक शाजापुर की स्थापना में सहयोग प्रदान किया तथा गांव में वृहत्ताकार को-ओपरेटिव संस्था की स्थापना करवाई। आपने समाज में रूढियों को तोडने के लिये अपना नुक्ता नहीं करने की घोषणा की। आपने ग्राम की शैक्षणिक उन्नति की ओर सर्व प्रथम ध्यान दिया तथा बहुत प्रयत्न करके शासन एवं जन सहयोग द्वारा विशाल विद्यालय भवन बनवाकर सन् १९५६ में माध्यमिक विद्यालय खुलवाया। यही बाद में वर्तमान सरपंचश्री भेरुसिंहजी के प्रयत्न द्वारा सन् १९७९ में हायर सेकण्डरी विद्यालय के रूप में परिणित करवाया गया।

आप सन् १९६४ से वर्तमान समय तक इस ग्राम के सरपंच है तथा पाटीदार धर्मशाला कुशलपुरा उज्जैन ट्रस्ट के अध्यक्ष रहे हैं। आप के समय में ग्राम विकास के जो कार्य हुए हैं उन में बिजली, टेलिफोन, कन्या-विद्यालय प्रमुख हैं।

इस समय ग्राम में दो बाल शिक्षण संस्थाएं संचालित की जा रही हैं। इनमें (१) पटेल कुंवरजी बाल शिशु मंदिर तथा (२) सरदार वल्लभभाई पटेल सरस्वती शिशुमंदिर है, जिनका नेतृत्व पाटीदार समाज एवं ग्राम के अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है। इस प्रकार यह ग्राम विकास की ओर मंथर गति से प्रगति के चरण आगे की ओर बढा रहा है।

आधार :

(१) नायक नटवरभाई लालजीभाई ग्राम बोरिसणा तेहसील कडी जिला मेहसाणा उत्तर गुजरात की पोथी के आधार पर।

(२) मंदिर आदि के शिला लेखों के आधार पर।

(३) गंगागुरु सुन्दरलाल सौरोंवाले की पोथी के आधार पर।

(४) अब्दुल अली कुरेशी गिरदावर नजूल विभाग शाजापुर के कथन के आधार पर

(५) श्रीमंत महाराजा माधवराव सिंधिया ग्वालियर नरेश की सनद।

(६) मेम्बर फार लो एण्ड जस्टीस ग्वालियर स्टेट का सर्टिफिकेट।

(७) जनश्रुति के आधार पर।

७. मद्यप्रदेश और गुजरात में सुधारात्मक आंदोलन

○ मद्यप्रदेश और गुजरात में सुधारात्मक आंदोलन (१८६५–१९३०)

आबादी और विस्तरण :

पाटीदार या कुलमी राष्ट्र एवं प्रजा के मूल आधार स्तंभ ही नहीं, अपितु भारत देश का जीवन हैं – ऐसा कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। शेरशाह सुलतान कहा करता था – 'किसान आबाद तो देश आबाद'। हमारा भारत विश्व – तराजू के पूर्व और पश्चिम रूपी दो पलडों की दांडी था। भारत की भूमि युग–युगथी लूंटाय त्होय सदा शरणगारवती शोभती थी – ऐसा कहा जाता था। इसका कारण भारत की खेतीवाडी था। किसान को जगत्पिता कहते हैं (खेडूत एतो जगत नो तात छे) और किसान करोंडों लोगों का आधार है, किन्तु किसी पर आधारित नहीं है (कणबी केडे करोड, कणबी कोईनी केडे नहीं) – वह सर्वस्वीकृत बात है।

हम गौरव से कह सकते हैं और कहेंगे कि सारे भारत के कृषिकार–किसान हमारी ही जाति के हैं, हम सभी एक ही मात–पिता की संतान हैं। हमारी देहों में एक ही गोत्र का रुधिर वहता है। हां, स्थान भेद होने से हमारे नामों में परिवर्तन अवश्य हुआ है। अन्यथा, भारत भर के हम कुर्मी–क्षत्रिय एक ही वंश के हैं। वस्तुतः महाराष्ट्र के मराठा या करमी, म्हैसूर के वोकालीगार (Vokkaligar) एवं रेड्डी (Reddi), तामिलनाडु–मद्रास के कापूस (Kapoos), नायडू एवं तैलंगा, उत्तर भारत के कुर्मी क्षत्रिय, मध्यप्रदेश के कुलमी, गुजरात के कणबी एवं पाटीदार या पटेल–इन सभी लोगों का भारत में बहुत बडा समूह है।(देखिये: A Report on the Vth Annual Conference of the Kurmi-Kshatriya Maha Sabha)

उत्पत्ति

भारत की ऐसी महत्त्वपूर्ण और बडी तादादवाली कौम की उत्पत्ति के विषय में विद्वान–मंडल में मतवैभिन्नय और मतवैविध्य है। फिर भी अधिकांश विद्वान् कहते हैं – पाटीदार लोग क्षत्रिय ही हैं, जो उत्तर भारत में कुर्मी–क्षत्रिय के ही नाम से पहचाने जाते हैं। कुर्मी शब्द, ये सभी कुर्म ऋषि के वंश की ही संतान हैं, ऐसा ठोस प्रमाण स्वयं प्रस्तुत करता है (कूर्म+इन् = कूर्मी)। वेदकाल में ऋषिजन भी कृषि–कार्य करते थे। ऋषि शब्द के मूल में 'अर' धातु निहित है, जिसका अर्थ होता है 'कृषिकार्य' – गुजराती में 'खेडवुं'। हम कुलमिओं–कूर्मिओं की उत्पत्ति के बारे में दूसरी मान्यता ऐसी है कि हम श्री रामचन्द्र के पुत्र कुश के वंशज हैं, जो कि गुजराती भाषा में लिखे गये लेउवा पुराण नामक ग्रंथ में कही गई बात पर आधारित प्रचारित मान्यता है। कई लोग बताते हैं कि महाभारत के कौरव वंशसे हमारी उत्पत्ति है। इन सभी आख्यायिकाओं का तात्पर्य यही है और जो पाटीदार कुलमी लोगों में क्षात्रगुण–क्षत्रियत्व प्रतीत हुआ है, होता रहा है उसका भी कारण यही है कि हम मूलतः क्षत्रिय हैं।

क्षात्रतेज : हमारे प्रतापी पूर्वज

१८५७ के प्रथम स्वातंत्र्य संग्राममें उत्तर गुजरात के और खेडा–चरोतर के पाटीदारों ने अपना शोर्य दिखाया था। ब्रिटिश शासनकाल में भारत भर के पाटीदार जाति के अनेक व्यक्ति उच्च पदों पर आसीन थे। गुजरात–अहमदाबाद के बहेचरदास अंबाईदास लश्करी नाईट कमान्डर ओफ स्टार ओफ इण्डिया (सी. एस. आई.) पद से सन्मानित थे। उनके पूर्वज और खुद वे भी अंग्रेज सेना–लश्कर को खाद्य–सामग्री पहुंचाते थे, इतना ही नहीं, ब्रिटिश कंपनी सरकार को सूद से रुपये उधार देते थे। उन्होंने अहमदाबाद में १८६५ में कपडा मिल बनाई जो आज भी चालू है। वे कडवा कुलमी थे और अनन्य जातिभक्त होने से उन्होंने अपने जातिबंधुओं के हित में अनेक जाति सुधार किये। वे ब्रिटिश अफसरों से मित्रता रखते थे साथ ही साथ पाटडी नामक गुजरात के स्वायत्त संस्थान के राजा मा. जोरावरसिंह जो खुद भी कडवा कुलमी जाति के थे और बडे जाति भक्त थे, उनसे भी उनकी घनिष्ठता थी इन सारी परिस्थितियों का लाभ लश्करी शेठने लिया और पाटडी दरबर के सौजन्य से जाति सम्मेलन बुलाया। परिणाम स्वरूप दीकरीना संरक्षण सारु नियमों का प्रकाशन हुआ। शेठ श्री बहेचरदास लश्करीने १८७० में ब्रिटिश सल्तनत को समझाकर 'पुत्रीरक्षा' कानून (Infanticide Act) जारी करवाया और इसी तरह हिन्दु समाज का बालहत्या का महाकलंक दूर हुआ।

कुर्मीक्षत्रिय महासभा की छठी अखिल भारतीय परिषद् के माननीय प्रमुख श्री सी. वी. नायडू (बेरिस्टर. एट. लो) नागपुरवासी कहते हैं : 'हमें इस बात का घमंड है कि हम नायडू क्षत्रिय कुल में पैदा हुए हैं जो कि हिन्दुस्तान का एक बडा भाग है और जो कि तैलंग या कापूस कहलाता है। तैलंग वंश के अनेक शूरों ने अंग्रेजों की सेना में उत्कृष्ट कौशल दिखा कर ख्याति पाई थी।

विभिन्न कुल

सारे भारत में फैले हुए कुर्मी–क्षत्रियों की शाखाओं का उल्लेख निम्न प्रशस्तिकाव्य से मिलती है :

कुर्मवंश कुशवंश राना व पंवार आदि,
ठाकुर चंदेल गुजराती जैसवार है।
घोडचढे सिंगरौर कान्यकुब्ज कच्छवाह,
और सेंगर सोलंकी यदुवंश सैढवार है।
कुर्मकुल लववंश तैलंग मैंराल आन्ध्र,
कुर्मर चंदेरी चन्दनीय करियार है।
वैसवार वंशबार औधिया सचान और
चोधरी चौहान राजपूत परुवार है।

(कुर्मीक्षत्रिय हितैषी – १९१२, अंक १४)

इस कविता से तैंतीस शाखाओं का निर्देश होता है और इसमें से सूचित कई वंश यद्यपि क्षत्रिय ही कहे जाते हैं । उपरान्त निम्न चर्चा भी जाति–उत्पत्ति के बारे में उपयोगी और महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है । क्षत्रिय, क्षेत्र (खेत) इन शब्दों में ठीक ठीक साम्यता है । उपरान्त कृष्ण शब्द कृष् धातु पर से बना हुआ है, जिसका अर्थ खिंचना– खेड करना होता है । श्रीकृष्ण के भाई श्री बलभद्र या बलराम हलधर या संकर्षण जैसे नामों से भी विख्यात थे । कृष्ण ने गौओं को चराने का गोपालक का काम किया था, जो कि कृषिकार्य का ही एक अविभाज्य भी क्षत्रिय की एक शाखा के रुप में यदुवंश का असंदिग्ध उल्लेख है । हमारी शाखाएं सूर्यवंशी और चंद्रवंशी भी हैं ।

इसी कुर्मी–पाटीदार जाति में पैदा हुई कई स्त्रियों ने भी मर्दों की भांति शौर्य बताया है । पाटडी दरबार के मांडल में माणेकबाई ने लश्कर लेकर लडाई की थी । साहित्य–संस्कृति के क्षेत्र में भी स्त्रियों का योगदान रहा है । रूडकीबाई, डाहीबहन जैसी कवयित्रियां हुई हैं । रूडकीबाई की 'खेडूतना बार मास', नामक कविता ख्यातिप्राप्त है । स्वातंत्र्य संग्राम में भी भक्तिलक्ष्मी अमीन, मणिबहन पटेल (सरदर पटेल की पुत्री), वसंतबहन, गंगाबहन, डाहीबहन इत्यादि ने सक्रिय योग दिया था और बारडोली के सत्याग्रह में अपूर्व सक्रियता दर्शाई थी ।

इन्होंने सामाजिक सुधार के क्षेत्र में भी कार्य किया था । पाटीदार कौम के सुधार के हेतु इन्होनें महिला जागृति लाने को 'भगिनी समाज' की स्थापना की थी और उसके अधिवेशन किये थे । पार्वतीबहन पुरुषोत्तम पटेलने गुजरात के बावला नगर में स्त्री संमेलन किया था । अभी हाल में ही दो वर्ष पहले गुजरात ऊंझा संस्थान के सहयोग से सर्व श्री प्रभातकुमार देसाई, गोविंदभाई घंटी एवं धरती संस्था के कार्यकर्ताओं के सहयोग से महिला परिषद् आयोजित की गई थी जिसमें लीलाबहन देसाई, पार्वती, मंगुभाई पटेल, कोकिलाबहन, नयनाबहन आदि स्त्री कार्यकर्ताओं ने प्रशंसनीय कार्य किया था और इस परिषद् में दस हजार महिलाओं की उपस्थिति रही थी । मालवा और निमाड में भी स्त्रियों के कार्य प्रशंसनीय हैं । सती नंदाबाई, देवाजी रूंसात की पत्नी अमरावती इत्यादि ने क्षात्र तेज का परिचय दिया है ।

मौर्यकाल में भारत में आये हुए मुसाफिर मेंगेस्थनीसने कुनबियों का स्थान ब्राह्मणों के बाद ही दूसरे स्थान पर बताया है । कई लोग कुर्मीओं को वैश्य वर्ग के बताते हैं । कण (अनाज) का बीज रखते हैं वे 'कणबी' । वर्तमान व्यवसाय के संदर्भ में यह मान्यता कुछ हद तक प्रीतिकर लगती है, फिर भी इतिहास के साक्षी है कि पाटीदार पादशाही, अमीनाताई, जागीरदारी, हकदारी गिराश आदि से संपन्न थे, यह देखते हुए उनका क्षत्रिय होना ही सिद्ध है। अंग्रेज इतिहासकारों ने विदेशी यात्रियों ने तथा भारतीय इतिहासकारों ने पाटीदार कौम को क्षत्रिय ही बताया है । रावबहादुर गोविंदभाई हाथीभाई देसाई (जो कडी प्रान्त के सूबेदार थे) कुर्मी–कुर्मिओं की उत्पत्ति

त्यागमूर्ति दरबार गोपालदास अंबाईदास देसाई
तालुकेदार रायसांकणी : इनामदार जावला मु. वसो

भारत में स्वतंत्रता की हवा चली और आप गांधीजी के विचारों से आकर्षित हो गये. राजवैभव छोड कर जनता के राजवी बन गये. बारडोली सत्याग्रह में सरदार को पूर्ण सहयोग दिया. पूरा जीवन देश के कार्य में समर्पित कर दिया था.

ने विषय में गुजरातनो प्राचीन इतिहास नामक ग्रंथमें लिखते हैं – गुर्जर नामक जाति पर से पाटीदार कोम की उत्पत्ति हुई है। इन पाटीदारों ने शस्त्रास्त्र इस्तेमाल किये , युद्ध किये थे, क्षात्रगुण का यथास्थान–यथाकाल प्रदर्शन किया था। इन लोगों ने राज्यसत्ता भी हासिल की थी। आज भी मा. पाटडी दरबार मौजूद हैं।

कुलमी कौम के दो राजवंश गुजरात में हुए हैं। वीरमगाम और पाटडी में कडवा कुलमियों का राज्य था, जबकि वसो में अमीनों का– लेउवा कुलमिओं का राज्य था। इसी अमीन घराने के वीरात्मा दरबार गोपालदास ने अपनी तमाम जागीरी आय छोडकर महात्मा गांधी के शिष्य बनने में कृतकृत्यता का संतोष पाया और स्वातंत्र्य संग्राम में योगदान किया। बारडोली सत्याग्रह की एक छावनी का नेतृत्त्व उन्होंने किया था। देशी राज्यों के विरुद्ध इन्हीं पाटीदार किसानों ने अनेक आंदोलन किये थे – माणसा सत्याग्रह, लीबडी सत्याग्रह, खंभात बंदर, राजकोट एवं धांगध्रा के किसान सत्याग्रह इत्यादि। अंग्रेज सल्तनत को विदा देने के हेतु अनेक पाटीदार बंधु शहीद हुए हैं। गांधीजी द्वारा प्रेरित प्रसिद्ध बारडोली सत्याग्रह, खेडा सत्याग्रह, बोरसद सत्याग्रह, अडालज सत्याग्रह इत्यादि आंदोलनों में पाटीदार कौम के सपूत शिरमौर थे। सरदार वल्लभभाई पटेल और उनके जयेष्ठबंधु विठ्ठलभाई पटेल इसी कौम में ही पैदा हुए और राष्ट्रीय वंद्यविभूति बने रहे हैं। मालवा–निमाड में भी ग्वालियर के सिंधिया–होलकर स्टेट, धार स्टेट, रतलाम देवास स्टेट के किसानों ने भी अन्यायों का शौर्यपूर्ण प्रतिकार किया था। कई लोगोने प्रजाहितैषी के पुरस्कार रूप सम्मान प्राप्त किये थे।

गत शताब्दी में पाटीदार कौम में जो जागृति आई उसके फल स्वरूप अनेकविध जन–जागरण अभियान शुरु हुआ था। पाटीदार कौम के विद्यार्थियों में शिक्षाभिमुखता आई और अनेक छात्रनिवासों की स्थापना हुई। कृषिपुत्रों ने अब विदेश के विश्वविद्यालयों की उच्च उपाधियां प्राप्त की। पाटीदारों के अनेक अखबार, पत्रिकाएं और मासिक पत्रों का प्रकाशन होने लगा। कडवा विजय, विजय, पटेलबंधु, पाटीदार, कडवा हितेच्छी (हिन्दी में), खेतीवाडी (हिन्दी में) आदि।

इसी तरह इस कौम के कवि–लेखक भी हुए। पाटीदार लोक (बधना–नीमच) के सम्पादक रामेश्वर पाटीदार और परशुराम पाटीदार थे, जो कि अपनी कर्तव्यनिष्ठा से लोकख्यात हुए।

मुहम्मद बेगडा के शासनकाल में गुजरात का किसान–कणबी से पाटीदार बना। यद्यपि उसने कृषि का त्याग नहीं किया। पत्ती याने कि पांती–भाग, हक। पत्तीदार होने से किसान अब जमीन का मालिक बना और पत्तीदार एवं पाटीदार कहलाया। इस सुनहरे प्रकाशवाले काल के पीछे अंधेरा छा गया, याने कि इजारा प्रथा शुरु हुई और किसान–पाटीदारों की पायमाली हुई। अंग्रेज हुकुमत ने परमेनन्ट लेन्ड सेटलमेन्ट दाखिल किया और इजारदारों को तेहसील या जिला की जमीन के मालिक बना दिया।

भारत में किसानों का स्थान कितना महत्त्वपूर्ण था इसकी साक्षी इतिहास अत्र–तत्र देता है, जैसे कि १३०४ में अल्लाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर कब्जा किया तब उसने

आदेश किया : हिन्दुओं की ताकत उनकी लक्ष्मी में है, इसलिये हिन्दुओं को पूरा-पूरा लूट लिया जाय। उनमें भी जो हिन्दू किसान हैं उन्हें सब से अधिक लूटा जाय, क्योंकि उनमें जो जोश और निर्भीकता है उसे तोडना जरुरी है। हां, इतना ख्याल रहे कि उन्हें जीवित रखना है, दूसरे साल खेतों में फसल उगाने को।

पाटीदारों में जैसे समृद्धि बढी वैसे ठाठ-बाठ भी बढते चले। उनमें दरबारी रस्मो-रिवाज दाखिल हुए। वे ढाल, तोप, हाथी रखने लगे - जिस की गवाही में आज भी कई समृद्ध किसानों के कूर्मिओं के घरों में ढाल, तोप, बंदूक, तलवार, भाला-बरछी देखने को मिलते हैं। बाद में 'गोल प्रथा' पैदा होकर दढ हुई। कूर्मी समाज बडप्पन के मोहपाश में फंसा। इससे बुरा नतीजा यह हुआ कि बालविवाह, अंधाधूंध लग्न खर्च, प्रेतभोजन (कारज) और शिक्षा का अभाव - इन चार बुराईयों ने कुर्मी समाज पर गहरा कुठाराघात किया। कुर्मी एवं पाटीदार के लग्न का मतलब निकलता था "ठाकोर भाई को कूवो, एक मूक अने बीजो ऊभो"। एक पर दूसरी पत्नी करेनका रिवाज चला, जिस से दहेज का दूषण पैदा हुआ और उससे विपरीत स्थिति भी पैदा हुई, जिससे कन्या-विक्रय जैसे निकृष्ट पापाचार होने लगे। इसी वजह स्त्रियों की दारुण दुर्दशा हुई। इन्हीं प्रथाओं से छुटकारा पाने हेतु सुधार युग प्रारंभ हुआ और वहुत जहेमत के बाद इन्हीं प्रथाओं को नियंत्रित करने के हेतु कुछ कानून बने।

आज के समय का कुलमी पाटीदार कुछ हद तक समृद्ध बना है। हालांकि जो गरीब है वह तो गरीब ही है। गुजरात में तम्बाकू की फसल ने चरोतर के पाटीदारों को, मूंगफली की फसल ने सौराष्ट्र के पाटीदारों को, आलू, अफीम और लहसून की फसलों ने मालवा -निमाड के कुलमीओं को समृद्धि प्रदान की है। कई साहसी पाटीदार विदेशों में जा बसे हैं और बडी बडी मोटल्स-होटेल्स के मालिक बने हैं या बडे व्यापारी या उच्च पदाधिकारी बने हैं। अपने देश में विशेषतः गुजरात में साहसी और उद्यमी पाटीदार बडे उद्योगपति के रूप में विख्यात हुए हैं। श्री बहेचरदास लश्करी और उनके बाद के समय में सर्वश्री मफतलाल गगलदास, जयकृष्ण हरिवल्लभदास, धर्मेन्दसिंह देसाई, तक्तावाला, करसनभाई पटेल ('निरमा'वाले), केशवलाल विठ्ठलदास पटेल (केशुभाई) आदि ने अपनी प्रतिभा से बहुत सिद्धि प्राप्त की है और शिक्षा-संस्थाओं को एवं समाजोत्थान की अनेक प्रवृत्तियों को बेमिसाल दान दिये हैं।

पाटीदार समाज में शिक्षा-प्रसार के हेतु भी कई अविस्मरणीय सेवाएं उल्लेखनीय हैं। पूज्य छगनभाई जैसे शिक्षाव्रतधारी ने 'कर भला होगा भला' के न्याय से गुजरात में कडी शहर में कडवा पाटीदार बोर्डिंग की स्थापना की। श्री बहेचरदास रायजीभाईने बडौदा में पाटीदार बोर्डिंग शुरु किया, तो कुंवरजीभाई महेता ने सूरत बोर्डिंग की नींव डाली। पेटलाद में मोतीभाई अमीन ने शिक्षा-प्रसार के लिए अथक प्ररिश्रम किया और गुजरात के गांव-गांव में पुस्तकालय की उपलब्धि कराई। विश्वकर्मा भाईकाका ने अनन्य विद्याधाम-वल्लभ विद्यानगर खडा कर दिया। इन संस्थाओं ने हमारे पाटीदार समाज को अनेक क्षेत्रों में यशस्वी सिद्धि प्राप्त करने में अनन्य सहयोग दिया है, जिस से हम गौरवान्तित हैं। मालवा-निमाड

में भी शिक्षा–प्रचार–प्रसार प्रवृत्तियां हुई हैं–हो रही हैं। वहाँ भी अनेक छात्रालय स्थापित हुए हैं। माननीय श्री चैनसिंहजी ने अभयपुर में गायत्री गुरुकुल (आश्रम) बनाया है। राजस्थान में एक आश्रम को हर किसी व्यक्ति से दान प्राप्त हुआ है, जो कि एकाध रुपया भी चाहे क्यों न हो। सोमाखेडी में मांगीलालजी उमिया विद्यालय के लिये परिश्रम कर रहे हैं।

अखिल भारतीय कुर्मी महासभा :

भाषा व्युत्पत्ति के अनुसार 'कणबी' शब्द संस्कृत 'कुटुम्बिन्' शब्द का अपभ्रंश रुप है, जो भारत के विभिन्न भू–प्रदेशों में स्थानीय बोलीभेद के सिद्धांत अनुसार विभिन्न उच्चारणोंसे प्रचलित हुआ है – कुटुंबी, कुष्दुंबी, कुरमी, कुणबी, कणबी इत्यादि। इन के अलावा और भी पाटीदार इत्यादि संज्ञा–नाम है, वे उच्चारण के तौर पर चाहे भिन्न हों, किन्तु मूलतः हम सभी कुर्मी क्षत्रिय हैं – एक हैं।

हम आजकल जिस भारतीय कूर्मी समाज के संगठन की बात करते हैं उस ख्याल को हमारे पूर्वजोंने उन्नीसवी सदी के उत्तरार्ध में ई. स. १८७० में कार्यान्वित किया था। अतः संगठन की बात कोई नई बात तो है ही नहीं। हां, मृतप्रायः स्थिति को प्राप्त उस ख्याल को पुनर्जीवित करने की अति आवश्यकता है।

ई. सन् १८७० के अरसे में हमारी कौम के कई सुशिक्षित सुचिंतित महानुभावों को महसूस हुआ कि अपनी विशाल पिछडी हुई कौम के उत्थान के लिये शिक्षा–प्रसार संबंधी एवं सामाजिक सुधार के हेतु कुछ आंदोलन होना चाहिए, कुछ हल चल होनी चाहिए। फलस्वरुप उत्तर भारत के दीनापुर में वहां के अग्रगण्य कुलमिओंने इसी साल ही एक सभा बुलाई।

इसी अरसे में गुजरात में रायबहादूर शेठ बहेचरदास लश्करी (सी.एस.आई.) जो व्यावहारिक सुधार के स्तंभरूप माने जाते थे, उन्होंने बालविवाह, कुलीनशाहीवाद, 'चांल्ला'व 'पहेरामणी' के रूप में फंसी हुई कुछ जुल्मी रूढियों को नेस्तनाबूद करने का भरसक परिश्रम किया। परिणामस्वरूप कई संस्थाओं की स्थापना हुई। उस जमाने में उन्होंने अहमदाबाद में महालक्ष्मी स्त्री अध्यापन मंदिर शुरु किया। लश्करी अस्पताल, लश्करी संस्कृत पाठशाला, लश्करी धर्मशाला, लश्करी पुस्तकालय जैसी अतिआवश्यक संस्थाएं उनके तन–मन–धन के योगदान से स्थापित हुई। गुजरात कोलेज की स्थापना भी उनके ही परिश्रम का फल था। इंग्लेन्ड–लंडन में गूंगे–बधिरों के स्कूल को दान पहुंचाया। इसी तरह उस जमाने में उन्होंने दो लाख से अधिक रुपयों का दान दिया। वे अनन्य सुधारक रहे और सरकार की ओर से खिताबों के एवं सुवर्णचंद्रकों के अधिकारी बने।

इसी प्रकार गुजरात, उत्तर भारत एवं मध्यप्रदेश में सुधारक युग आरम्भ हो चुका था। लखनऊ के कुर्मी भाईयों ने सन् १८९० तक कई स्थानीय सभाओं का आयोजन किया। उन्हें लगा कि समस्त भारत के कुर्मी बंधुओं की महासभा होनी चाहिए। फलस्वरूप कूर्मियों की

प्रथम महासभा १८९४ में फर्रूखाबाद के महाशय रोंदनलाल (बी.ए., एल. एल. बी.) वकील की अध्यक्षतामें की गई, दूसरी महासभा १८९५ में लखनऊ में हुई। तीसरी महासभा १८९६ में बिहार के पीलीभीत में हुई। पीलीभीत की इसी तृतीय महासभा में जो तीसरा प्रस्ताव (ठराव) किया गया इससे प्रतीति हुई कि उत्तर भारत के कुर्मीबन्धु अन्य हिस्सों में बसे हुए अपने जातिबन्धुओं के प्रति भी पूर्णतः समभावशील हैं। देखिए नीचे के टहराव में –

ठहराव : "यह सभा निर्णित करती है कि पुत्रीरक्षक कानून के मुताबिक इकट्ठे हुए र. ७०,००० बम्बई सरकार के पास अमानत रखे गये है। उन रुपयों से जो सूद की प्राप्ति होती हैं, उसमें से बम्बई युनिवर्सिटी के कणबी जाति के विद्यार्थियों को शिष्यवृत्ति दी जाय। इसी मतलब का विज्ञप्ति पत्र (मेमोरेंडम) इस सभा की ओर से सरकार को भेजा जाय।" गुजरात कोलेज में जो कडवा लेउवा कणबी पढते थे उन्हें इसी इन्फटीसाईड फंड में से शिष्यवृत्ति प्राप्त होती थी।

महासभा की चौथी सभा लम्बे अरसे के बाद मिली थी। महासभा का संविधान सही न था, यातायात की प्रतिकूलता थी, सभा में आये हुए बन्धुंओ का सही, आतिथ्य करने में कठिनाई, सभा आयोजन का खर्च स्थानीय सदस्यों के सिर लेना इत्यादि वजहों से महासभा को न्यौता देने में मंद उत्साह था। यद्यपि स्थानीय सभाएं होती रहती थी। १९०८में चुनार में बाबू दीपनारायण सिंह ने एक मासिक पत्रिका 'कूर्मीक्षत्रिय हितैषी' निकाली और उसमें सामाजिक सुधार तथा शिक्षा की आवश्यकता के बारे में कई लेख लिखे। इससे जातिबंधुओं में फिर जोश आया और १९०९ में एखलासपुर में महासभा का चौथा अधिवेशन हुआ। उस में ३,००० जातिबंधु उपस्थित हुए। इसी सभा में बाबू देवीप्रसाद के दिये हुए प्रवचन ने एहसास कराया कि हम सभी एक ही मां-बाप की औलाद हैं। बाबू जनकधारीलाल भी महान समाजसुधारक थे।

पांचवां अधिवेशन सिर्फ छः मास के बाद ही चुनार में हुआ, जिसके अध्यक्ष उत्तर भारत के नहीं किन्तु दक्षिण के म्हैसूर के.मि. नागाप्पा बैरिस्टर चुने गये, जो बेंग्लोर के जज थे। मद्रास इलाके की वोकलीगर जाति के कुर्मी थे। अब इस तरह कुर्मीक्षत्रिय महासभा का स्वरूप विस्तृत हुआ और इसी कारण महासभा का 'समस्त भारतवर्षीय कुर्मी क्षत्रिय एसोसीएशन' नामाभिधान हुआ।

छठा अधिवेशन १९१० में नाताल के त्योहार में पीलीभीत शहर में नागपुर के सुविख्यात बेरिस्टर मि. कोथारी व्यंकटराव नायडू की अध्यक्षतामें हुआ। सातवीं परिषद् इटावा में हुई जिसके अध्यक्ष बिहार के पटना जिले के बांकीपुर शहर से आये थे। आठवी बैठक बांकीपुर में हुई जिस के अध्यक्ष गुजरात के प्रो. जेठालाल स्वामीनारायण (एम.ए.) नियुक्त हुए थे। इसी बैठक की स्मरणीय फलश्रुति यह रही कि गुजरातके पाटीदार उत्तर भारत के कूर्मीओं के अधिक परिचय में आये और गुजरात उत्तर भारतमें जाति मैत्री सुध्ढ हुई। ऐसी ही जाति मैत्री इन परिषदों के जरिये गुजरात-मध्यप्रदेश (मालवा-निमाड)राजस्थान के जाति बन्धुओं में दढ हुई।

समस्त भारतवर्षीय कुर्मी क्षत्रिय एसोसिएशन का अधिवेशन गुजरातमें गणपतपुरा में करने का मि. छोटाभाई रामजीभाई ने न्यौता दिया। हालांकि स्थान में परिवर्तन हुआ और अधिवेशन अहमदाबाद शहर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता ओनरेबल विठ्ठलभाई पटेल (सरदार पटेले के बडे भाई और भारत की उच्च संसद के अध्यक्ष) को सौंपी गई। इसी अधिवेशन में समाज एवं जाति के सुधार एवं उत्थान के हेतु अनेक प्रस्ताव किये गये।

तत्पश्चात् हरेक राज्यमें ऐसी प्रवृत्तियां जारी रहीं और अलग रूप से परिषदों के आयोजन होने लगे। यह सिलसिला चालू रहा और भिन्न- भिन्न रूप में पाटीदार सम्मेलन, परिषद, सभाएं, अधिवेशन होते रहे हैं।

मालवा-निमाड, राजस्थान, गुजरात का पारस्परिक नाता :

पंजाब के उत्तरी किनारे से उत्तर भारत में होकर एक शाखा कोटा और मंदसोर से मालवा-निमाड में प्रविष्ट हुई। भारी सूखे के समय में गुजरात के कुछ पाटीदार निमाड में जा बसे। सिद्धराज जयसिंहने मालवराज यशोवर्मा को परास्त किया तब वहां के कई त्रस्त किसान गुजरात में पहुंचे और वे अडालज, चरोतर एवं भालप्रदेश में जा बसे। बावन शाख के कुलमी पंजाब और उत्तर भारत के नामों के साथ आज भी जुडे हुए हैं। सिद्धराज के शासनकाल में गुजरात में आ बसे पाटीदारों की बयालीस शाखों का उल्लेख मिलता हैं।

कडवा कुलमियों के आद्यपुरुष राजा व्रजपालजी ने माधावती से ऊंझा आकर उमापुर नगर बसाया और वहां उमिया माता के मंदिर की स्थापना की। इसी स्थान से इसी जाति की आबादी का विस्तरण-प्रसारण हुआ, जो सूरत, सौराष्ट्र, कच्छ, पूर्व गुजरात (ईडर), वीरमगाम और दूर-सुदूर खानदेश, बराड, मालवा, निमाड एवं अन्य क्षेत्रों में विस्तीर्ण हुई।

मध्यप्रदेश के कुलमी पाटीदारों के रस्मोरिवाज, एक ही तिथि के विवाह, लग्नगीत और अन्य उत्सवगीत, नायक कौम से उनका सम्बन्ध - ये सब बातें गुजरात में भी उसी रूप में है, जो इस हकीकत का प्रमाण हैं कि मध्यप्रदेश और गुजरात का नाता बरसों पुराना है।

१८८३ में रायबहादुर लश्करी शेठने उमिया माता के मंदिर के नवसर्जन के लिये चंदा इकट्ठे करने को कई गुजराती गृहस्थों को विभिन्न प्रदेशों में भेजा था कि जो खानदेश, बराड, मालवा, निमाड और राजस्थान भी गये थे। गुजरात के साथ अन्य क्षेत्रों को मिलाकर कुल एक लाख रूपये का चंदा इकट्ठा हुआ था। यह पारस्परिक नाता बाद में बढा और १९०३ के बाद जितनी भी पाटीदार परिषदें यहां हुई उनमें

मालवा और निमाड के अग्रणी महानुभाव उपस्थित होते रहे। तत्पश्चात् १९१९–१९२० में मालवा–निमाड के पाटीदार परिषदें और कूवां–सुन्द्रेल में हुई, जिस के यशभागी वहां के महानुभाव तो थे ही, साथ में गुजरात के सर्व श्री पुरुषतोत्तम परीख, नारायणजी मिस्त्री, रामजीभाई मिस्त्री, रामचंद्र व्यास, अमरसिंह देसाई, मगनलाल ऐन्जिनियर, संघवी, नगीनदास, चंदुलाल मणिलाल देसाई आदि का योगदान भी श्रेयस्कर रहा था।

मध्यप्रदेश के जागृत सुधारकों में ओंकारजी रुंखडजी रामबेली मालवा, अमरचंद पुनराज मालवा, देवाजी रुंसात, नथुभाई छितुजी मुकानी, ओंकारजी हीराजी दावडा, भीलाजी खुशालजी मुकाती, कालीदास, छीतरजी बहेचरजी, पुरूषोत्तम आंती, रामचंदव्यास निमाडी कसरावद, जैसे महानुभाव थे, जिन्होंने गुजरात की पाटीदारों की परिषदों में भाग लेकर सुधार कार्यों में साथ दिया और मध्यप्रदेश में सुधारों की नींव डाली।

श्री नारायणजी मिस्त्री कच्छी पटेल थे। वे चुस्त आर्यसमाजी थे। उस जमाने में कच्छ के जो पटेल पीराणा पंथी हो गये थे उनका शुद्धिकरण श्री नारायणजी मिस्त्रीने कराया था। इस मामले में उनकी यह जातिसेवा अनन्य रही। वे निमाड में हुए पाटीदार संमेलन के अध्यक्ष चुने गये थे। उसके बाद दूसरे संमेलन के अध्यक्ष श्री चंदुलाल देसाई थे।

आजकल के समय में मध्यप्रदेश और गुजरात के हमारे जाति संबंध और सुदृढ हुए हैं। मध्यप्रदेश पाटीदार समाज के अध्यक्ष माननीय श्री चैनसिंहजी और उनके साथी कार्यकर्ता हमारे जाति तीर्थ ऊंझा आये और आवश्यक अध्ययन किया। उनका संपर्क ऊंझा के सुज्ञ कार्यकर्ताओं से हुआ। तत्पश्चात् जातिभक्त शेठ श्री केशुभाई और अन्य कार्यकर्ताओंने मध्यप्रदेश की एकाधिक यात्राएं की। इस प्रकार पारस्परिक संबंध सुदृढ हुए।

जाति उत्थान का आजकल एक अभियान चल रहा है, उस आवश्यक एवं कर्तव्य कार्य के यशभागी विशेषतः श्री केशुभाई हैं। 'कुलमी क्षत्रियों का इतिहास' के लेखन का जो भगीरथ कार्य हो रहा है उसमें श्री केशुभाई, श्री चैनसिंहजी, श्री मांगीलाल अध्यापक आदि का कीमती सहयोग मिला है। मध्यप्रदेश व गुजरात में समाज–यात्राओं का आयोजन हुआ। ऊंझा में हुए पाटीदार संमेलन में अखिल भारतीय पाटीदार समाज महानुभावों की दीर्घदृष्टि ने मालवा, निमाड और गुजरात का संबंध सुदृढ किया है – विकसित किया है।

करोंदिया के युवकों ने जो भावना और साहस दिखाया है उसका अगर यहां स्मरण न किया जाय तो वह कृतघ्नता ही होगी। उन साहसी युवकों ने पांच सौ मील का सफर किया, ऊंझा से निमाड–मालवा तक उमिया माता की ज्योत पहुंचाई। यह जन जागरण का जाति गौरव का, एकता का बेमिसाल कार्य हुआ। मध्यप्रदेश के युवक व्यसन मुक्त हैं, यह बात हम पाटीदारों के लिए गौरव की बात है।

पाटीदार जाति के बारे में अति अल्प प्रमाण में लिखा गया है । उत्तर भारत के हमारे कुर्मीबंधु श्री नारायण शेठने सर्वप्रथम 'कुलमी कुलादर्श' ग्रंथ प्रकाशित किया। १९०६ में श्री डाह्याभाई लक्ष्मणभाई पटेलने 'वडनगरा कणबी क्षत्रिय उत्पत्ति' नामक ग्रंथ लिखा । १९१० में श्री पुरुषोत्तम लल्लूभाई परीख ने 'कणबी क्षत्रिय उत्पत्ति और इतिहास' नामक ग्रंथ की हमें भेंट दी । श्री नारायणजी मिस्त्री ने जो विशिष्ट कार्य किया उसके ही सम्बन्ध में एक पुस्तिका 'पीराणापंथनी पोल' प्रकाशित की । डो. मंगुभाई पटेलने १९८५ में 'रायबहादुर बहेचरदास अंबाई दास लश्करी (१८१८–१८८९) में औद्योगिक अने सामाजिक नेता तरीकेनुं जीवन वृत्तांत' नामक ग्रंथ प्रकाशित किया, जो ग्रंथ डोक्टरेट का अध्ययन–विषय होने से एक महत्वपूर्ण प्रमाणिक ग्रंथ है और उसमें से समकालीन समाज जीवन की प्रमाणभूत जानकारी संप्राप्त होती है ।

मध्यप्रदेश में प्रशंसनीय जाति सुधार :

मध्यप्रदेश के कुलमी भाईयों में सामाजिक सुधार की चेतना प्रशंसनीय है । यहां गोल प्रथा नहीं हैं, बालविवाह नही होते हैं, प्रेतभोजन युवावर्ग निर्व्यसनी हैं–ये सब जनजागृति के ही प्रमाण है । यद्यपि स्त्री शिक्षा का प्रसार कम है । यहां सामुहिक विवाह के बारे में हमारे जातिबंधुओंने सराहनीय प्रगति की हैं । २५० से ३०० विवाह एक साथ ही होते हैं । शुरू में यह समूह लग्न की प्रथा निमाड क्षेत्र में प्रारंभ हुई, तत्पश्चात् राजस्थान तक इसका प्रसार हुआ है । यह निःसंदेह सराहनीय बात है । एक अंदाज निकाला गया है कि हमारे गरीब राष्ट्र में विवाह समारोहों के पीछे प्रतिवर्ष ६,३७५ करोड रुपये खर्च होते हैं । ऐसी स्थिति में मध्यप्रदेश का यह सामूहिक विवाह का प्रयास एक क्रान्ति ही कही जायेगी । इस मुक्ति–यज्ञ में जो भी शामिल हुए हैं वे युवक–युवती एवं उनके माता–पिता धन्यवाद के पात्र हैं ।
प्यारे जातिबन्धुओ !

हमारा इतिहास साक्षी दे रहा है कि हमारा जीवन गौरवप्रद था और आज भी है । यदि राजकीय एवं सामाजिक संगठन हो सके तो आज का पाटीदार समाज विश्वभर में अपना सर्वोच्च स्थान हासिल कर सकता है । किन्तु इसके लिये हमें 'कुलमी को कुलमी मारे, दूजो मारे किरतार' इस स्थिति से मुक्ति पाना होगा, संगठित होना होगा । हमारा जाति बन्धु तो कितना सन्तुष्ट है ! एक राजस्थान कवि ने संतुष्ट किसान का सही चित्र बताते हुए लिखा है –

"नई मुजरी खाट के नच्यु टापरी,
भैंस डल्यां दो चार से दूझ बापरी,
बाजर रोटां बांट के दही में ओलणां,
इतना दे किरतार के फिर नहीं बोलणां ।"

पहले हम देख चुके हैं कि कडवा और लेऊवा में कोई फर्क नहीं है। मध्यप्रदेश के लेऊवे दसवर्षीय शादी में जुडे हुए थे। बाद में अलग हो गये और छूटक शादियां करने लगे। गुजरात में श्रीमंत सयाजीराव गायकवाडने पाटीदारों के रीतिरिवाजों के सर्वेक्षण के लिये एक पंच नियुक्त किया था। इस पंच का सर्वेक्षण यह था कि कडवा लेउवा में सिर्फ दो ही फर्क हैं (१) कडवे दसवर्षीय शादियां माताजी की आज्ञा से एक मुहूर्त में एक तिथि में करते हैं और (२) विधवाओं की शादी करते हैं। जबकि लेऊवा पाटीदार विधवा की शादी करते नहीं और एक तिथि के लग्न भी करते नहीं। बाकी सब रीतिरिवाज एक ही हैं।

कुरीतिओं और कुरिवाजों को दूर करने में अंग्रेजों के शासन और बोरडोले जैसे कलेक्टर और मि. शेफर्ड जैसे उत्तर प्रांतीय कमिश्नर ने बहुत सहयोग दिया था। बिहारीदास देसाई, रा. ब. बहेचरदास लश्करी और पाटडी दरबार राजवी जोरावरसिंहजीने अंग्रेज अमलदारों के सहयोग से सुधार कार्य किये। जोरावरसिंहजीने पचास हजार प्रतिनिधियों का एक संमेलन पाटडी में बुलाया था; जिस में कच्छ, काठियावाड, बराड, खानदेश, मालवा, निमाड के पाटीदार प्रतिनिधि भी आये थे। कडवा पाटीदार की बेटियों के संरक्षण के लिये कुछ नियम बनाये थे। ऐसे ही नियम लेऊवा पाटीदारों ने अपने अधिवेशनों में बनाये थे। डाकोर में सम्मेलन हुआ था और मि. शेफर्ड ने सहयोग दिया था। पाटडी में दरबार सूर्यमलजी ने दूसरी सभा एक तिथि की शादी बन्द करने के लिये बुलवाई थी।

'स्वदेश हित वर्धक' के संपादक जेसंग पटेल ने अपनी कलम से सुधारों की चर्चा शुरु की। बालविवाह, कजोडा, प्रेतभोजन, कुलीनशाही जैसे कुरिवाजों के बारे में लिखना शुरू किया। बाद में श्री मणिभाई पटेलने 'विजय' पत्र शुरु किया। इस पत्र ने कडवा पाटीदार शुभेच्छक समाज का संमेलन बुलाने की चर्चा उठाई। संमेलन के लिये आवाज उठाई और बाद में श्री पुरुषोत्तम परीख[१] ने 'कडवा विजय' पत्र शुरु कर के कडवा पाटीदारों के मूल प्रश्नों और बुराईयों के सामने लडना शुरु किया। इस में आदान–प्रदान और विचार–विमर्श के लिये सन् १९०६ से १९३० तक कडवा पाटीदार शुभेच्छक समाज की बैठकें मिलती रहीं। शिक्षा का प्रचार, खेती में सुधार जैसे प्रश्न भी साथ में लिये। वीरमगाम सुधारों का चेतना केन्द्र बना। रायसिंहजी दरबार का काफी योगदान रहा।

'कडवा पाटीदार शुभेच्छक समाज' बाद में 'कडवा पाटीदार परिषद्' के नाम से पुकारी गई। इन सब परिषदों में मध्यप्रदेश के महानुभावों ने तन–मन और धन से सहयोग दिया था। हमारे ये सब कार्यकर्ता अधिकांश आर्य–समाज से प्रभावित थे। स्वामी दयानंद

१. 'कणबी क्षत्रिय उत्पत्ति अने इतिहास' के लेखक

सरस्वती का काफी प्रभाव इन कार्यकर्ताओं पर रहा था। गुजरात में रा. ब. बहेचरदास लश्करी से ले कर कई समाज सुधारकों पर आर्य समाज का ठोस असर था। इसका प्रभाव मध्यप्रदेश मे भी पडा। कुवां और सुन्देल की सभा इस की ही देन है।

गुजरात की 'क.पा.शु. समाज' में आए मध्यप्रदेश के महानुभावों के कार्यों की हम समालोचना करेंगे।

गुजरात कडवा पाटीदार शुभेच्छक समाज का पांचवा अधिवेशन २५-२६, डिसेम्बर १९१५ में हुआ। यह अधिवेशन ध्रांगध्रां के महाराजा घनश्यामसिंहजी की अध्यक्षता में हुआ था। स्वागत मंडप के प्रमुख रतीलाल सीतवाला थे और प्रमुख कुमार श्री लालसिंहजी वीरमगाम वाले थे। बाद में सब्जेक्ट कमिटी और व्यवस्था कमिटी की रचना हुई। इस में मध्यप्रदेश के दो मेम्बर लिये गये –

१. रामचंद्र गणेश व्यास, कुंवा (मालवा),

२. औंकारजी हीराजी, दावडा (कसरावद)

इस सभा में दोनों महानुभावों ने अपने विचार प्रस्तुत किये थे। बाललग्न बन्द करने के लिये, कन्या विक्रय वंद करने के लिये और अन्य भी प्रस्ताव पास किये गए थे। श्री क. पा. शु. समाज के खास फंड में मध्यप्रदेश के प्रतिनिधिओंनें सहयोग दिया था। मध्यप्रदेश में अधिवेशन करने के लिये आमंत्रित किया था और निम्न लिखित जाहेर खबर (विज्ञप्ति) दी थी।

"श्री कडवा पाटीदार सभा – निमाड"

कडवा कुलमी भाईयों ! गुजरात की माफिक (घर बैठे गंगा लाने की तरह) अपनी समिति निमाड जिले में स्थापित की गई है। उसका उत्सव दि. २० व २१ मार्च सन् १९१७ मंगल और बुधवार के दिन कुवां गांव में होगा। क्यो कि इस साल कुवां को जाति प्रेमी भाईयांने सभा का संपूर्ण खर्चा मंजूर कया है। इस वास्ते कुवां गांव पर सभा का मुकाम रखा है।

सभा में गुजरात के सुप्रसिद्ध विद्वान् सभापति कुलंमाभाई आकर जाति सुधार पर व्याख्यान देंगे। सो आप खुद और अपने हितु भाई, मित्र कुलमी मात्र को खबर करके पधारें। यह सभा का आमंत्रण है।

सूचना : सभा में नियम मुजब प्रत्येक आदमी को १ रुपये का टिकीट या तो पहले से मंगा लेना चाहिए, या सभा में आ कर नंबर का टिकिट लेना चाहिये।

आप का

मंत्री, कडवा पाटीदार सभा, निमाड

मुकाम – कुवां, पोस्ट – ठीकरी.

श्री कडवा पाटीदार शुभेच्छक समाज, छठ्ठा महोत्सव – पादरा

दि. ३०–३१, डिसेम्बर १९१६ १ जान्युआरी, १६१७

अहमदाबाद के सुप्रसिद्ध शेठ दुर्गाप्रसाद लश्करी (बहेचरदास के पौत्र) की अध्यक्षतामें यह सभा हुई ।

राजरत्न पा. तुल्जाभाई रीसेप्शन कमिटी के सदस्य ने दूर दूर से आये मेहमानं का स्वागत किया । महाराजा गायकवाडने अनिवार्य (करजियाल) शिक्षण, बाललग्न प्रतिबंध कानून बनाकर प्रसंशनीय कार्य किया । सूबेदार माणेकलाल वाले थे। वे बेचरदास को जानते थे । उन्होंने इस की तारीफ की ।

महाराजा गायकवाड की धारासभा (प्रजा परिषद राज) के बृजभाई वाघजीभाई पटेलने 'बाल लग्न' बंद करो और छूटक लग्न करो' की बात की । बाल लग्न चालू रखने के लिये कडी प्रान्त में बहुत चर्चा हुई थी । सूबेदार साहब ने बाल लग्न निषेधक मंडल बनाया है । इसके आप सदस्य होना आप के प्रश्न मैं धारासभा में पेश करुंगा ।

बाद में निमाड (होलकर स्टेट) कसरावदवाले पा. कालुभाई गोविंदभाई ने सभा को संबोधित किया – "आप लोगों ने निमाड जाति में सुधारों के लिये हमको प्रेरणा दे कर और मार्गदर्शन दे कर उपकार किया है । हमारी स्टेट में भी बाल–लग्न के लिए कानून बने ऐसी हलचल हो रही है । इसका मैं सहयोग दूंगा और इसके लिये मेहनत करूंगा तथा यह कार्य करने मैं कृतार्थ बनूंगा ।"

बाद में व्यवस्था कमिटी हुई । इस में कडवा पाटीदार सभा के प्रमुख पा. देवजी रूंसात (निमाड), पा. अमरचंद पुंजराज पाडल्या (निमाड), पा. पुरुषोत्तम हीराभाई आंती, श्री रामचन्द व्यास (निमाड) पा. छीतरजी बेचर (कसरावद), पा. मोहन धरमदास जाखोरा की नियुक्ति की गई ।

समाज की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण एक प्रस्ताव में कहा गया कि फंड होना जरुरी है । यह काम करने के लिये जिम्मेदारी मालवा के अमरचंदजी पुंजरायजी पाडल्या वाले ने अपने सर उठाई ।

सभा के अंत में मालवा – निमाड के रा. रा. रामचंद व्यासने प्रमुख साहब से दो शब्द कहने के लिए अनुमति मांगी । उनको अनुमति दी गई । और रा. रा. रामचंद्र ने जो सद्‌बोध दिया, उसका सारांश यह है –

'आपनी जाति विशाल हैं और चाहे तो संगठन कर के महान कार्य कर सकती है । अभी गरीब स्थिति है यह बात सच है लेकिन रासलीला, रामलीला, भवाई इन सब को कुलमी भाई धन देते हैं.... उदारता से ज्यादा धन देते हैं । ऐसे निरुपयोगी दान करने की बजाय खेतीवाडी, शिक्षा आदि के लिये फंड इकट्ठा करना चाहिए ।

जाति में स हररोज एक कुलमी एक एक पैसा फंड में दे; तो एक साल में रु. ७८,००,००० जैसी बडी रकम एकत्र हो सकती है । इस में कितनी बडी संख्या खडी हो सकती हैं । हम लोग पसीना बहाते है, की धूप और बारीश में कडी महेनत करते हैं । लेकिन दूसरी जाति की तुलना में हमने अपनाविकास नहीं किया है । मिथ्या अभिमान और ममत्व और कुरिवाजों में खर्चा कर के हम लोग कर्जदार बन गये हैं । इतना ममत्व और अभिमान जाति के सुधार के लिए रखें तो समस्त जाति का उद्धार होगा । जाति में सुधारों की हवा नही चलती, कुविचारों का बोलबाला है, । इसका चित्रण में सिर्ख इस काव्य द्वारा कर देता हूं –

(राग – गजल/कव्वाली)

हे कणबी बन्धुओं तमे जोया तमासा छे घणा,
नाटक, सिनेमा, सर्कसो, राखी हशे ना कंई मणा,
भाळी भवाई कई दशे पण आ निरखवा आवजो,।१।
भुंगल विनानी आ भवाई भाई जोवा आवजो.
आ लग्न मंडपमां जुओ विधि रहित मंत्र भणाय छे,
न्हानी उंमरना वरवधु शुं लग्न योग्य गणाय छे ?
वरतो उंघे कन्या रुवे ए अश्रु लहोवा आवजो,
भुंगळ विनानी आ भवाई भाई जोवा आवजो.।२।
आवो नवी बहुजी तणी अत्रे अघंरणी आज छे,
वाजां वगाडी लोकने भेगा करे क्यां लाज छे ?
वहुने बनावा वाघ भूंडा गीत गावा आवजो,
भुंगळ विनानी आ भवाई भाई जोवा आवजो ।३।
गौरी पूजननुं पर्व छे वाला जुओ टोळे मळी,
भूंडुं परस्पर भाखती नखरां करे निरलज्ज वळी,
कई कुटती रोती अरे ते साथ रोवा आवजो,
भुंगळ विनानी आ भवाई भाई जोवा आवजो ।४।
आ बारमानी न्यात छे पुत्रे पितानुं रुण भर्युं,
घरबार सहु गीरो मुकी पकवाननुं भोजन कर्युं,
पल्लु गयुं पत्नी रडे पकवान जमवा आवजो,
भुंगळ विनानी आ भवाई भाई जोवा आवजो ।५।
दीकरीना दोकडा लेनार जीवीदास छे,
कन्या कुवामां नांखवानो नीच धंधो खास छे,
कन्या दलाली पण करे तेने खटावा आवजो,
भुंगळ विनानी आ भवाई भाई जोवा आवजो ।६।

भाई भवाई माळतां आजे असुरुं थई गयुं,
मळजो फरी कोदी हजु जोवुं घणुं बाकी रह्युं,
जो झांख आंखे होय तो चश्मां चडावी आवजो,
मुंगळ विनमी आ भवाई भाई जोवा आवजो ।७।

– **निमाडी व्यास रामचंद लक्ष्मण,** कसरावदवाला

इस काव्य से श्रोतावर्ग प्रसन्न हुआ और इसका काफी प्रभाव पडा । इसके बाद दूसरे निमाडी बंधुने उनकी जाति का समुचित विवेचन किया था । उनके प्रदेश के जातिबंधुओं की पूर्ण रूपरेखा दी । बाद में, उन्होंने अपने साथ जो एक सात साल का लडका लाये थे; उसको समाज के हवाले करने की इच्छा प्रगट की । समाज उसकी पढाई की व्यवस्था करे । उसको बडा करे और बाद में समाज के सेवक के रूपमें उसका उपयोग करे ।

इस सच्चे साहसिक बंधुने अपने पुत्रको समाज के चरणों में अर्पण करने का बडा साहस किया । इससे सभा मुग्ध हो गई । लेकिन सभापतिने बताया कि इसकी उम्र छोटी है; इसलिये तीन साल तक उनके पिता के पास इसे रखना होगा और इस की परवरिश के लिये प्रमुख साहब रु. ५० की स्कोलरशिप अपनी जेब से देंगे । बाद में उस लडके को उनके पिताजीके हवाले कर दिया गया । लेकिन उनके पिता का जाति–प्रेम, त्याग, एवं परोपकारी भाव के लिये प्रशंसा की गई । मुंहसे तो सब लोग बोलते हैं; लेकिन करना कठिन होता है । इस पिताने किया । बालक खूब चतुर था और ऐसे पिता का पुत्र होने का उसे गर्व था । शाम को समाज सुधारक अमरसिंह देसाई ने आख्यान द्वारा ज्ञान उपदेश दिया । इसमें माधा के पिता का प्रेतभोजन और करज कहानी सुनाकर हृदय रंजन के साथे सुधार की बातें की ।

श्री निमाड कडवा पाटीदार सभा

इस सभा की स्थापना की शुभ खबर हम अपने पाठकों को कुछ समय पूर्व दे चुके हैं । कडपा पाटीदार शुभेच्छुक समाज की वर्तमान गतिविधि अनुसार ऐसी एक ही लक्ष्यांक वाली १५ संस्थाओं की आवश्यकता को हमने पादरा में मिली गत बैठक में प्रस्ताव कर स्वीकारा है । पादरा की सभामें निमाड प्रांत के करीब २० प्रतिनिधि लम्बी व महंगी सफर करके उपस्थित हुए थे । वहां उन्होंने निकटतम भविष्यमें अपने यहां आयोजित सभा की तालीम ली थी । निमाडी भाई सामान्यतः संपन्न हैं; किन्तु शिक्षामें काफी पिछडे हुए हैं । अतः उनमें नयी गतिविधियों का जागरण जरा भी महसूस नहीं हुआ । ऐसी स्थिति में शिक्षाके प्रति लगाव कहां से होगा । उन्हें ऐसी स्थिति से जगाने के लिए वहां के युवा कार्यकर्ता गोर रामचंद व्यास करीब पांच–छः सालों से अपने तन,मन–धन सहित सतत प्रयासरत हैं, और उन्हीं के प्रयासों से उस प्रांतमें रहने वाले भाई गुजरात के शुभेच्छुक समाज के गहरे संपर्कमें आ रहे हैं ।

विंध्य व सतपुडा के बीच संकरी पट्टीमें आया यह प्रदेश इन्दोर स्टेट से प्रशासित हैं। वहां हमारा बडौदा स्टेट की तरह **अनिवार्य शिक्षा** तथा **बालविवाह प्रतिरोधक कानून** की प्रशंसनीय धाराएं नहीं हैं। ऐसे में बालविवाह के तथा मरणोपरांत भोज के घातक रिवाज गुजरात की तरह वहां भी प्रवर्तमान हैं। हमारी जाति वहां मालवीय और निमाडी संज्ञा से परिचित है। मालवीय बन्धु मुहु से उंचीत घाटियां उचीत्त कर विंध्य व सतपुडा के बीच नर्मदा नदी के तटप्रदेश की संकरी व लम्वी पट्टी में बसते हैं।

इस प्रदेशके कुवां ग्राम में ता. २०-२१ मार्च को सभा हुई थी। सदस्य शुल्क एक रुपया था। लेकिन व्यवस्था की कोई फी न थी। भोजनादि सभी प्रबन्ध उस गांव के पाटीदारों की ओर से हुआ था। सभा के प्रमुख स्थान पर बम्बई-घाटकोपर वाले मिस्त्री नारायणभाई आसनस्थ थे। उनके साथ देसाई अमरसिंहजी, श्री पुरुषोत्तमदास सेक्रेटरी, रा.रा. श्री मोतीलाल कालीदास, अधिपति कडवा विजय रा.रा. श्री मगनलाल गोविंदलाल एन्जिनीयर, रा.रा.श्री माणेकलाल जेठालाल वीरमगांववाले, रा.रा.नगीनभाई व्रजलाल, रा.रा.श्री रामजी (श्री नारायणभाई के पिताश्री), रा.रा.श्री रतनसिंहजी तथा रा.रा.श्री नाथाभाई इत्यादि बंधुओंकी अगवानी के लिए रतलाम-खंडवा रेल्वे लाईन के बलवाडा स्टेशन पर लोग उपस्थित थे। परप्रांतीय यात्रियों का तथा मान्यवर सभाध्यक्ष साहब का सम्मानपूर्वक स्वागत किया और उन्हें पडाव पर ले गये। स्नानादि से निपटकर भोजनादि से तृप्त होकर पार्टी कसरावद की ओर चल पडी। मण्डलेश्वर तक गाडी में जाना था। मण्डलेश्वर पहुंचनेपर मान्यवर सभाध्यक्ष साहब के लिए वहां के सज्जन स्कूल मास्तर के वहां सायं भोजन का प्रबंध हुआ। पान-सुपारी इत्यादि से बडा सत्कार हुआ। नर्मदा नदी पार कर रात को कसरावद पहुंचे। वहां के कुशल कर्मयोगी पटेल कालुरामजीने मान्यवर सभाध्यक्ष की मण्डली के लिए चाय-पानी के साथ बैठक कर इत्र-गुलाब-पान-सुपारी व भोजनादि से रात्रि वास के दौरान वडी अच्छी खातिरदारी की। वहां से बडी सुबह प्रस्थान कर दुपहर को कुवां ग्राम आ पहुंचे। अगणित जाति-जन मान्यवर सभाध्यक्ष के सम्मान हेतु कतार में खडे थे। स्वागत-मण्डली ने आगे आकर सभाध्यक्ष महोदय आदि का पुष्पमाला-गुच्छादि से स्वागत किया। कुलदेवी एवं जाति व सभाध्यक्ष महोदय के जयघोषों के बीच लोग चलने लगे। साथ में वाद्य एवं गीत भी चालू थे। स्वयंसेवक बार-बार सभाधिपति के जयघोष से अपना उत्साह प्रदर्शित करते थे। इस प्रकार सभी लोग मुकाम (आवास स्थान)पर पहुंचे। फिर स्नान व भोजनादि से निवृत्त होकर दुपहर दो बजे के पश्चात् सभा की कार्यवाही प्रारम्भ हुई।

प्रथम विद्यार्थियों ने कुलदेवी श्री उमादेवी का स्तुति गान किया। फिर उपस्थित सज्जनों के लिए स्वागत–गीत हुआ। सेक्रेटरी व्यास रामचन्दजीने अपने सम्मान–स्वागत–प्रवचन में बताया कि जाति की उन्नति के लिए शुभेच्छुक समाज की उपसंस्था के तौर पर इस सभा की यहां स्थापना हुई है। और वर्षों से मेरी तमन्ना थी कि एक बार निमाड के कडवा व गुजरात के कडवा इकट्ठे हों। यह तमन्ना आज प्रभु ने तथा आप लोगों ने पूर्ण की है। आप सभी आज यहां के जाति बन्धुओं के सांसारिक उत्थान के लिए एकत्र हुए हैं और हमारे अभ्युदय के लिए प्रवृत्ति करनेवाले हैं। ऐसे महत्त्वपूर्ण मसलों पर सोचने के लिए हमें पथ पदर्शक नेता की आवश्यकता हैं। मैं कुशल नेता–सभाध्यक्ष पद के लिए रा. रा. श्री नारायणभाई कोन्ट्राक्टर से बिनती करता हूं। इसमें आप भी सहमत होंगे व ये भी इस पद को स्वीकारने का अनुग्रह करेंगे, ऐसी मुझे आस्था है।

इस प्रस्ताव को श्री पुरुषोत्तमदासजीने समर्थन दिया, और श्री नारायणभाई ने अपना पद ग्रहँण किया (तालियां)। फिर उन्होंने अपना महत्त्वपूर्ण लम्बा प्रवचन दिया था, जो यहां संक्षिप्त में प्रस्तुत है –

मूलतः हम सभी पंजाब में इकट्ठे रहते थे। बारंवार के विदेशी आक्रमणों से त्रस्त होकर हमारी एक टोली मगध प्रांतमें गयी। दूसरी मथुरा, मंदसौर व कोटा के मार्ग से वडनगर क्षेत्रमें आयी। तीसरी मालवा में जा बसी। ये तीनों टोलियां क्रमशः घूमती हुई सिद्धपुर के निकट ऊंझा ग्राम बसाकर वहां स्थिर हुई। आबादी बढते रहने पर गुजरात के मध्यप्रांत में अपने साथ गुजरात को भी समृद्ध किया। एक अकाल में हम में से कुछ मालवा और कच्छ की ओर गये। यवनों के जुल्मी शासन में शुरु हुए हमारे रिवाज भी साथ ही रहे और आज तक वैसे ही कायम हैं। बाद में देश की शांति के काल में निर्भय होने पर हमें आयुधों की आवश्यकता न रही और दिन–ब–दिन हमारा उग्र क्षात्रतेज घटता गया। आज अन्य कुछ कौमों को भी इस बात का कुछ एहसास हो रहा है।

देश के सभी हिस्सों में सभी जातियों ने सामाजिक आंदोलन शुरु करके अपनी अपनी उन्नति करने के प्रयास शुरु किये हैं। हम भी उन दूसरी जातियों की तरह ८–९ साल से हमारा "शुभेच्छुक समाज" बनाकर प्रयत्नशील हुए हैं। उसीके परिणामस्वरूप आज आप देख सकते हैं कि हम कच्छ, काठियावाड, गुजरात, मालवा तथा निमाड आकर हमारी उन्नति के लिए इस प्रदेश में एकत्र हुए हैं।

बाल–विवाह तथा मरणोत्तर–भोज जैसे घातक रिवाजों के कारण हम शरीर से तथा धन से बहुत पिछडे गये हैं। विद्याभ्यास भी बहुत कम होने से हमारा मन भी सुसंस्कृत न रहा। हमारी ऐसी दुर्दशा करनेवाली ऐसी रस्मों को हमें त्याग देना चाहिए। शिक्षा पूर्ण होने पर ही ब्याह का रिवाज होना चाहिए। कर्ज लेकर तो हमें कुछ भी करना नहीं चाहिए। और इस प्रकार हमारी जाति की गरीबी को देश निकाला दे देना चाहिए... इत्यादि।

फिर कसरावद के पटेल कालुरामजी ने संभाषण दिया कि –

भाइयों ! में आपकी जाति का नहीं होने पर भी मुझ से बनती है उतनी सेवा करता हूं। तब आप में से कुछ लोग अभी कोने में झपकी ले रहे हैं, तब कितनी शर्म की बात है ! पण्डाल

में टंगी हुई इन तसवीरों की ओर आप देखें, वे सभी सुप्रसिद्ध पुरुष आपके बांधव हैं। वे शिक्षा से आगे बढे हैं। ऐसे ही आप घातक कुरीतियों को त्याग कर शिक्षा लेकर यशभागी बनें। हमारे अधिकारी महोदय अमीन साहब भी शिक्षा से ही इस पद पर पहुंचे हैं। अतः उन्नति के लिए अपने बच्चों को पढाने का निर्णय लीजिए।

पश्चात् कुछेक के आग्रह पर मान्यवर अमीन साहबने प्रासंगिक प्रवचन करते हुए कहा कि –

इस गांव में ऐसी सभा मैंने आज ही देखी है। माननीय सभाध्यक्ष महोदय ने जो–जो कहा हैं, उसे गंभीरता से सोचें। वेद, पुराणों को जानकर तथा फायदा हुआ ? पर इनके अनुसार जीने से ही लाभ होता है। पहले शरीर कितने बलशाली थे। हमारे पूर्वजों के सामने देव और दानव भी युद्ध में टिक नहीं सकते थे। रावण भी एक ब्राह्मण का पुत्र था। उसका शारीरिक तथा मानसिक बल कैसा था ? युग बदला है। नये–नये आविष्कार होते हैं। तार, रेलवे, बिनतार टेलिग्राफ, आदि विद्याएं हमारे देश में पहले भी थी, किंतु मध्ययुगीन तिमिर में वह सच विनष्ट हो गया। हिंदुस्थान में पैदा होना परम पुण्य का उदय माना जाता था। देवता भी यहां पैदा होने को तरसते थे। यही देश हमारी गंदी रीति–नीति से जाहिल माना जाता है। ब्रह्मचर्य के खंडन से शारीरिक व मानसिक बल नष्ट हुआ है। इस लिए बाल–विवाह तो बंद ही कर दें। बारह साल की लडकी बिल्कुल भोली, अबोध एवं कमजोर होती है। १६–१७ साल तक की उम्र तक तो उन्हें ब्रह्मचर्यव्रत ही पालन कराना चाहिए। मनुष्य की १०० वर्ष की आयु होती थी, वे दिन गए। आज अकाल मृत्यु होती है, वह भी हमारे बाल विवाह का परिणाम है। दूल्हा दुल्हन से आठ साल बडा होना चाहिए।

मृत्यु के पीछे आप बेशर्म होकर भोज करते हैं। मैं दक्षिणी ब्रह्मण हूं। हमारे में तेरहवी तक का भोजन पापरूप माना जाता है। श्राद्ध में खाने वाले मिलते नहीं हैं। अधर्म समझते हैं। तब आप जवान के मरने पर गाडियां जोत कर खाने के लिए निकल पडते हैं। क्या वह कोई श्रेष्ठ पर्व है ? हमारे दक्षिण में यह रिवाज कतई नहीं है।

मृत्यु तो रोने–धोने का वक्त है। इसके बजाय हम राक्षसी वृत्ति से अच्छे–अच्छे पदार्थ व कपडों से मजा लेते हैं, यह कितना बेहूदा है ? सरकारी दफ्तरों से मुझे ज्ञात होता है, प्रति वर्ष हम खेतीहर लोग कितनी जमीन ऐसे भोज आयोजित करके, गिरवी रखते हैं या बेच देते हैं। ऐसी दुर्दशा करनेवाली रस्में आज ही बंद कीजिए। महाजन का डर त्याग कर ईश्वर से डरें। आप क्षत्रिय थे। ब्राह्मणों जैसी महत्ता भोगते थे और ब्राह्मण कन्या से ब्याहते थे (ययाति और शुक्रपुत्री देवयानी के उदाहरण)। इस के बदले यह कैसी शूद्रों सी स्थिति आ गयी ? आप कृषिकार है। खेती के लिए जिस प्रकार उत्तम जमीन, बीज, पानी देखते हैं; उसी प्रकार उत्तम जमीन रूप उत्तम गुणोंवाली स्त्री को वैसे ही उत्तम गुणवाले बीज और पानीरूप पुरुष को चुनकर ब्याहें। बारह सालमें ब्याह की रस्म लेउवाओं में नहीं है। इन सब पर गहरा विचार–विमर्श कर अब उत्तम मार्ग अपनायें। यही मेरी सलाह है। (तालियां)

उसके पश्चात् श्री पुरुषोत्तमदासजीने भी ब्याह कितना गंभीर, पवित्र और धार्मिक विधि है, यह समझाया था। फिर सभा विसर्जित हुई थी।

रातको "प्रेतभोज पर आख्यान" रखा गया था, जिसका श्रोताओं के दिल पर बहुत अच्छा असर हुआ था। फिर भी आख्यान अधूरा रहा था। अतः अगली सुबह पुनः उसे पूरा करने का निर्णय लेकर रात का कार्य क्रम पूरा कर दिया गया था।

अगले दिन ता. २९–३–१९१७को प्रभात में साढे आठ बजे से अधूरा आख्यान पुनः चालू हूआ था । श्रोताओं पर इसका ऐसा हृदयद्रावक असर हुआ कि निम्नोक्त वहनों तथा भाईयोंने मृत्योपरांत के भोज में हिस्सा न लेने की प्रतिज्ञा की –

१. तापीवाई भालकिया
२. आनंद मांजी
३. दयाबाई मुकाती
४. गौरीबाई
५. कुंवर माजी
६. मीठीबाई
७. शांमबाई
८. कालीबाई चोवला
९. मोतांबाई
१०. पुनीबाई रुंसात
११. अमरीवाई रुंसात
१२. कावेरीबाई मुकाती
१३. तुलसीबाई सुंदेल
१४. कालीबाई
१५. तापीबाई
१६. दयाबाई झालुडिया

१. कालु देवचंद भालकिया कुवां
२. देवचंद हीराजी भालकिया कुवां
३. देवाजी रुंसात भालकिया कुवां
४. हीराजी रुंसात भालकिया कुवां
५. तुलसीरा मरुंसात भालकिया कुवां
६. हीराजी चोवला भालकिया कुवां
७. दयाराम चोवला भालकिया कुवां
८. गणपति चोवला भालकिया कुवां
९. वालाजी चोवला भालकिया कुवां
१०. चुनीलालजी भालकिया कुवां
११. रामाजी भालकिया कुवां
१२. झापडुजी झालुडिआ भालकिया कुवां
१३. मोरार कल्याणजी भालकिया कुवां
१४. चंपकलाल बिलोदरिया भालकिया कुवां
१५. भीलाजी झालुडिया भालकिया कुवां
१६. मुकुंदजी मुकाती सुंदेल
१७. भीलाभाई झालुडिआ सुंदेल
१८. नारायणजी चांदण्या सुंदेल
१९. गंगारामजी लाडोला सुंदल
२०. बेचरजी साकरीया सुंदेल
२१. दगडुजी सुंदेल
२२. देवचंदभाई सुंदेल
२३. भगाजी कठाराय सुंदेल
२४. गणपतिजी मुकाती सुंदेल
२५. चंपालालभाई सुंदेल
२६. भीलाजी मातावाला सुंदेल
२७. सीताराम साद सुंदेल
२८. सीताराम बयगाव
२९. तुलसीराम रुंसात घटवां
३०. रालजीराम वालसमुद
३१. शामाजी रणांशा घटवां
३२. कालुजी पिपलिया
३३. शंकरजी दावडा (छोटी कसरावद)
३४. लक्ष्मणजी पांचोटिआ कसरावद
३५. रूंखडुजी बांगा कसरावद
३६. ओंकारजी दावडा कसरावद
३७. भीलाजी मुकाती कसरावद
३८. चंपालाल भाजीवाला कसरावद
३९. सुकलालजी बना कसरावद
४०. दगडुभाई कसरावद
४१. शंकरजी बांगा कसरावद
४२. भगाजी दवाणा
४३. अमरचंद पुजराज पाडल्या
४४. ओंकारजी रामबेली कवाणा
४५. गणपतिजी ओंकारजी रामबेली कवाणा
४६. भगाजी मयगांव
४७. छीतरजी रुंसात साटकुर
४८. बेचरभाई भूत साटकुर

इस प्रकार प्रतिज्ञा लेनेवालों को हम कोटि–कोटि धन्यवाद देते हैं ।

फिर अमीन साहबने भी इस बार बडा अच्छा शास्त्रोक्त प्रवचन 'प्रेतभोज निषेध हैं' इस विषय पर दिया था । बादमें कसरावद के जनसेवक प्रियबंधु कालुरामजी पटेलने भी अपने वक्तव्य से उमदा प्रभाव डाल कर हमारे कार्य कोआसान बनाया था । उसके बाद सभाने भोजन लिया ।

दोपहर दो बजेसे फिर कार्यारंभ हुआ ।

भाई शंकर तथा रा. दफ्तरदार साहबने विद्याकी महत्ता के बारे में संस्कृत श्लोकों का काव्यबद्ध अनुवाद हारमोनियम के साथ बडे सुंदर स्वरोंमें पेश किया तथा एक कृषक की स्थिति पर एक हृदयंगम काव्य प्रस्तुत किया ।

(राग धना श्री –तुंमारो आधार दयानिधि – तुं मारो आधार – गुजराती)

दया करो भगवान, कृषक पर दया करो भगवान,
सता रही नशी थोर, दरीदी, तडप रहा हाग्राण... कृषक ०
दिन दूना, निशी चार गुना दुःख, बढता है भगवान... कृषक ०
रातोंदिन अविराम परिश्रम, करता कृपानिधान... कृषक ०
तो भी तन पर वस्त्र कहां हैं ? दुःख हैं आठों जाम... कृषक ०
सालों साल उपज कम होती,भूमि थकी सी जान... कृषक ०
दीन कृषक पर दया करो प्रभु ! तुम हो दयानिधान... कृषक ०
मुंह बाये दुर्भिक्ष साल प्रति, खडा निगलता प्राण... कृषक ०
'राम' कहे युग हाथ जोडकर, हे हे, पुरुष प्रधान... कृषक ०

तालियों की आवाज के बीच भीलाजी मशालचीने यह काव्य पूर्ण किया था। फिर कसरावाद वाले नथुजीने भी सृष्टिकी संपन्न चीजों पर प्रवचन किया था ।

फिर सुबह बहनों ने प्रेतभोजन के बारे में जो प्रतिज्ञा की थी, उसके लिये एक जाति–बंधु ने स्त्रियों द्वारा मर्यादा का उल्लंघन होना प्रतीत होता है, ऐसा प्रकट किया। जिस पर स्त्रीमंडल में से भाईश्री हीराजी की धर्मपत्नी अमरादेवीने अपने पुत्र देवचंद द्वारा जवाब दिया कि –

प्रिय भाईओं ! आज सुबह हमारी मातुश्री आदि बहनोंने प्रतिज्ञाली, जिसमें किसी को मर्यादाभंग प्रतीत हुआ है, यह सुनकर हमारी पूज्य मातुश्री अमरादेवी कुछ कहना चाहतीं हैं; किंतु लोकलाज के कारण सभामें उपस्थित न हो पाने के कारण उन्होंने मुझसे यह कहलाया है कि –

जब हमारी जातिमें शादी–ब्याह होते हैं तब या किसी अवसर पर हमारी बहनें हजारों पुरुषों के सामने नृत्य करती हैं, तब पुरुष हंसते हैं, तथा बधाईयां देते हैं । उस वक्त शरम, मर्यादा,तथा लज्जा की परवाह आप जातिजन नहीं करते हैं, और हम परदे में रह कर ऐसे त्याग के लिये

प्रतिज्ञा करतीं हैं, उसमें किसीको मर्यादा भंग की प्रतीति होती है, यह कैसी विपरीत बात है ? क्यों यह कार्य हमारी बहनों तथा भाईयों को शर्मनाक लगता है ?... हरगीज नहीं ।

अतः यदि आप पुरुष लोग जाति को सुधारना चाहते हैं, तो प्रतिज्ञा लेती हुई हम अबला जाति स्त्रियों की हंसी उडाकर आप लोग हमारे कोमल दिलों पर क्यों चोट करते हैं ? यह आपको शोभा नहीं देता । अफसोस, अफसोस...इतना मजबूरन कहना पडता है, जिसके लिये मैं आप लोगों से क्षमा चाहूंगी. (तालियां) ।

फिर इन अमरादेवी तथा हीराभाई के सुपुत्र देवचंद ने शिक्षा के बारे में अपना लेख पढा था (वह बालबोध लिपिमें अब छपेगा) वह बडा प्रशंसनीय था ।

फिर मालवा विभाग के सुनेल गांव के विद्यार्थी फतेसिंहजी ने शिक्षा पर लेख पढा, वब भी वडा सुंदर था और अन्य स्थान पर बालबोध लिपि में प्रकट किया जाएगा ।

इन्दौर से कृषि–विभाग के इन्स्पेक्टर साहब इस मेले में विशेष रूप से आए थे । उन्होंने खेतीबाडी के बारे में जो प्रवचन किया था उसका सारांश निम्न प्रकार है –

"आप लोग कृषक हैं, लम्बे अरसे से आपका अनुभव बढता जाता है । फिर भी जो समझे बिना न जाना जा सके, वह सीखना पडता है । आजकल खेती में भी सुधरी हुई पद्धति के बारे में लोग कहते हैं, इसके लिये नहीं, बल्कि मैं तो लाभदायक खेती के पक्ष में हूं । और आप लोग भी पुरानी तथा नई इन दोनों में से जो उपयोगी तथा फायदेमंद हो, उसे ही अपनावें – ऐसा में कहूंगा । अक्सर विदेशी यंत्र – साधन हमारी जमीन तथा फसल के लिये प्रतिकूल सिद्ध होते हैं । अतः सोचकर यंत्र खरीदें । हमारे खलिहानों में जुवार, गेहुं आदि के लिये बैल फिराकर दाने अलग करते हैं । उसके लिये विलायती साधन आते हैं । किंतु एक मद्रासी किसान ने सडक पर फिरता पत्थर का रोल देखा, उसे जुवार के खलिहान में इस्तेमाल कर देखा । वह अनुकूल फायदेमंद लगने पर उसने गेहूं, तूअर आदि में भी उसका उपयोग किया है । हमने भी उसका उपयोग करके जांच लिया हैं । वह पंद्रह–वीस रुपये में बन सकता है । अतः आप लोग भी वैसा ही करेंगे तो मुनाफा होगा । हमारी भूमि के लिये हल है, उसे चालू रखने में कोई दिक्कत नहीं है, किंतु बीज के लिये अच्छे–अच्छे, स्वच्छ, बडे और समान दाने इकट्ठे कर लेना । हम निमाड में मंडलेश्वर में खेतीवाडी का फार्म खोलना चाहते हैं (तालियां) । (फिर अपने साथ लाये चने तथा मुंगफली के नमूने उन्होंने दिखाये)

इसके बाद जातिके भिन्न–भिन्न रिवाजों के बारे में लम्बा प्रवचन अमरचंदजीने पढा था, जो आगामी अंक में बालबोध में देने की इच्छा है ।

बाद में दीवाली के रामा भाउ सदाशिव ने भी प्रासंगिक प्रवचन पढा था ।

पुरोहित सुखलालजीने भी खुद पुरोहित होने के कारण जाति के सुख– दुःख में ऐसा बताया और कहा कि सुधारक गण जिस निष्काम भाव से काम करते हैं, उसमें प्रभु साथ दे तथा हमारी जाति के उद्धार हेतु दूर–दूर से पधारे शुभेच्छुको को अध्यक्ष महोदय ने जो प्रेरणा दी है, वह सदैव उनके दिल में रहे – ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है ।

मे. अमीन साहब ने लग्न सम्बन्धी विवेचन प्रस्तुत कि ा, जिसका सार निम्न प्रकार है –

पाटीदारों ! आप बालविवाह का त्याग करो ! संसार की गाडी के लिये पति–पत्नी की जोडी एक दूसरे को अनुकूल, समान गुणों वाली होनी चाहिए । पशु–पक्षी आदि में भी खाना, पीना, सोना, डरना तथा संसार भोगने का ज्ञान होता ही है । लेकिन मनुष्य में अन्य प्राणीयों से अधिक विवेक का त्याग करने पर हम में अन्य प्राणियों से अधिक विवेक–बुद्धि होती है । अतः वह श्रेष्ठ है । परन्तु विवेक का त्याग करने पर हममें अन्य प्राणियों से क्या अधिक विशेषता रहेगी ! हमारी लग्नप्रथा के अनुसार एक औरत को लाने के अलावा और क्या कुछ भी धार्मिक कार्य कर नहीं सकते है ? शादी के वक्त दोनों एक दूसरे के साथ निष्कपट शुद्ध प्रेमसे जीने की प्रतिज्ञा करते हैं । हमारे समाज के रिवाज के अनुसार दूध पीते बच्चों की शादी करने में शास्त्रों का स्थान ही कहां रहा ? कम से कम नौ वर्ष से छोटी बच्ची की तो शादी कभी नहीं की जा सकती । बच्चे बडी उम्रके होने पर उनका शरीर, गुण–दोषादि देखा जांचा जा सकता है । वर्ना जैसे–तैसे जोड देने पर हम उन्हें दुखी करते हैं । अतः शास्त्र के अनुसार शादी का रिवाज रखो । (तालियां) यही मेरी सलाह है ।

इसके पश्चात् स्त्रीओंकी प्राचीन महत्ता के बारे में कसरावद के पटेल कालुरामभाईने निम्न प्रकार प्रवचन किया था –

"बहनो ! कुछ साल पहले इस भारत भूमि में आप लोगों का नाम रोशन था । अपने पातिव्रात्य से आपलोगों ने भारतकी ख्याति दिन–दिगंत से फैलाई थी । आपने अपनी कोख रूपी खान से कई अनमोल नररत्न रुपी हीरे इस देश को दिये थे, जिन्होंने देश का कल्याण करने में ही अपना जीवन सार्थक किया था । बहनों ! आपका पूरा जीवन पति की सेवामें ही बीते यही मेरी अभिलाषा है ।

"बहनों ! इसी भारत भूमि में श्रीरामचंदजी के साथ सती सीता वनवास गई थी । इसी भूमि में भक्ति की साक्षात् मूर्ति स्वरूपा श्री राधिकाजी हुई हैं । रुक्मणी, सत्यभामा, मंदोदरी, तारा, अहिल्या आदि कई सतियों से परदेश विश्व में प्रकाशमान् था । आज भी होल्कर महाराज की महारानी अहिल्याबाई माता या देवी के रूप में दूर सुदूर के देशों में सुप्रसिद्ध हुई है, और अभी भी उनकी पूजा होती है । महारानी विक्टोरिया – उन्हें हिंद के लोग देवी–सती मानते हैं । हमारी वर्तमान महारानी श्री चंद्रावतीजी तथा इन्द्रावतीजी आदि पति सेवा में अति लीन हैं ।

"बहनों ! आप लोगों ने गरीबों में भी पतिव्रता स्त्रियां देखी होंगी । अपने अंध अपंग पति को राह दिखातीं, सहारा देतीं, उनका पालन करतीं हैं, लेकिन उनका त्याग नहीं करती । फिर आप तो सब कुलीन स्त्रियां हैं । आपको तो चाहिए कि सदैव पति भक्तिमें रहें, बच्चों को साफ–सुथरे रखकर उन्हें शिक्षा देने में उचित ध्यान रखें । समाज के अनिष्टकारी रिवाजों को ठुकराकर नये उत्तम रिवाजों को स्वीकार करना चाहिए । (तालियां)"

फिर मंडलेश्वर वाले मास्टरजी ने कहा कि कुवा गांव के भाईयों ने इस परोपकारी कार्य के लिये सभा बुलाकर जो कष्ट उठाया है उसके लिये तथा मा. अमीन साहब,

कालुरामभाई पटेल आदि ने जो परिश्रम किया है, उसके लिये हम बडे आभारी हैं। व्याह के रिवाजों में विशेष सुधार लाने की तथा बच्चों को शिक्षित करने की अति आवश्यकता है। उस पर हमारे सभी कुर्मी भाई सोचेंगे, ऐसी अपेक्षा है।

कडवा पाटीदार शु. समाज के सेक्रेटरी श्री पुरुषोत्तमदासजी ने हमारी कुलदेवी श्री उमा तथा उसके गांव ऊंझा के बारे में बहुत कुछ जानने योग्य प्रवचन करके प्रति वैशाखी पूनम के दिन लगने वाले मेले में पधारने का आग्रह किया। फिर माताजी के नाम से ठग लोग पैसा ऐंठ जाते हैं। उन्हें न देकर आप स्वयं अपने हाथों "श्री ऊंझा उमिया देवी संस्थान के अध्यक्ष शेठ दुर्गा प्रसाद लश्करी, दिल्ली दरवाजा, अहमदाबाद" को डाक में मनीआर्डर से भेजें। जिसकी सही–सिक्के (मुहर)वाली रसीद आपको मिलेगी। ये शेठजी माताजी की व्यवस्था करते हैं। अतः कोई व्यक्ति आप के यहां आए तब बिना पूरी जांच किये कुछ भी न दें। फिर भी पैसे इकट्ठे करके भेजना है, तो ऊपर के पते पर मनीआर्डर से ही भेजें अधिक से अधिक दस रुपया खर्च होता है। अतः हर एक व्यक्ति को एक बार तो कुलदेवी के दर्शन करने ही चाहिए।

फिर यह सभा अपने यहां अगले साल बुलाने के लिये निम्न प्रकार निमंत्रण आए हैं –

सभा भरने के लिये पा. भीलाजी केशव, छीतरजी मुकाती, ओंकारजी हीराजी, भीलाजी वराडिया, रखडुजी बांगा, भीलाजी – इन्होंने लिखित आमंत्रण दिया है।

श्रीदेवी स्वरूपा कालीबाई न्यादर भालकिया भी अपने दिल से कसरावद सभा भरने का आग्रहपूर्वक निमंत्रण देती हैं। ऐसी धर्मवान महिला को धन्यवाद है, जो एक स्त्री होने पर भी ऐसे जाति हित के लिये कितनी तत्पर है।

सुंद्रेल गांव में सभा भरने का निमंत्रण पा. भीमाजी झालुडिया, सीताराम साद, मुकुंदजी मुकाती तथा नारायणभाई की ओर से आग्रह सहित मिला है।

इन सभी निमंत्रणों में सभा जहां भी मिलेगी वहां का पूरा खर्चा उन परोपकारी जाति बंधुओं के सरपर होगा; यह जानकर हमें अत्यधिक खुशी होती है। हम फिर एक बार ऐसा न्यौता देने वालों को धन्यवाद देते हैं।

मा. प्रमुख महोदय ने विशेष रूप से काली बाई की प्रशंसा की। परमात्मा हमारी जाति में ऐसे स्त्रीरत्न पैदा करता रहे – ऐसी अभिलाषा व्यक्त की।

फिर हीराभाई रूसातने सभाके अधिकारियों को सदैव अपने कार्य की चिंता रखकर निःस्वार्थ सेवा करनी चाहिए, इस मतलब का विस्तृत लेख पढा था, जो भविष्य

में बालबोध में छपेगा। मा. होल्कर महाराज की पवित्र तथा शीतल छाया तले हम मिले तथा अपने समाज हित की महत्त्वपूर्ण चर्चा कर पाए अतः अहोभाव जताने के लिये एवं उनकी दीर्घायु की कामना करने के लिये अध्यक्ष महोदयने निम्न प्रकार विचार प्रकट किये –

"यह सभा, नेक नामदार परम कृपालु श्री होल्कर महाराजाधिराज व उनके समस्त परिवार को दीर्घायु प्राप्त हो, ऐसी परम कृपालु परमात्मा से प्रार्थना करती है।"

फिर तालियों के बीच यह प्रस्ताव मंजूर हुआ।

"यह सभा, नेक नाम शहंशाह ज्योर्ज पंचम एवं शहंशाह बानू मेरी की दीर्घायु चाहती है तथा उनको यूरोप के वर्तमान संघर्ष में शीघ्र विजय प्राप्त हो, इसके लिये परमात्मा से प्रार्थना करती है। तालियां।

"यह सभा, मा. चीफ ऐडमिनिस्ट्रेटर दूबे साहब, हमारी कृषिकार कौम की उन्नति के लिये जो ममता रखते हैं, उसके लिये उनका हार्दिक आभार मानती है। (तालियां)

"श्रीमान चीफ मिनिस्टर साहब के दिल में किसानों के प्रति अति ममता होने के कारण हमारे समाज में चलते बालविवाह तथा कर्ज लेकर खर्च करने के निष्ठुर रिवाजों को अंकुश में लाने के नियम बनाने के लिये हमें उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। मा. होल्कर सरकार महाराजा साहब का अपनी जनता के प्रति अथाह स्नेह है। वे सदैव प्रजा की उन्नति पर बडे उत्साह व दिलो जान से ध्यान देते हैं। ऐसे नेक राज्य में हमारी उन्नति शीघ्र होती है, अतः हमें स्वयं कोशिश करनी चाहिये तथा उनसे आवश्यक सहायता लेनी चाहिये।"

फिर सेक्रेटरी श्री ने बताया कि –

"यहां के स्थानीय अधिकारी अमीन साहबने भी जितना वे अपनी स्वंय की उन्नति के लिये परिश्रम करते हैं, उतना ही तीन दिन से हमारे लिये अविरत परिश्रम किया है। उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। पा. कालुरामजी यादव जाति के होने पर भी सभा की प्रवृत्ति जब से चालु हुई तब से चैन से बैठे नहीं हैं। तन, मन व धन से सहायता कर रहे हैं। उन जैसे सेवा–प्रिय पुरुषों को जितने धन्यवाद दिये जायं कम हैं। कुवां गांव के जातिजनों को मैं अंतःकरण से धन्यवाद देता हूं। इस सभा को अपने खर्चे से यहां बुलाकर उन्होंने समाज के उत्थान में पहल कर के अन्य बंधुओं के समक्ष एक आदर्श दृष्टांत उपस्थित दिया है। यह हमारा समाज सदैव याद रखेगा। उनकी जाति–भक्ति के लिये उन्हें धन्यवाद देना चाहिये। साथ ही मंडलेश्वर के स्कूल मास्तर साहब, पुरोहित मण्डली, (बुजुर्ग बापुजीभाई, सखारामजी, सुखलालजी आदि भाईओं), व्यास ब्रधर्स, दफ्तरदारजी आदि भूदेवों ने वास्तव में इस लोक में ब्राह्मण पद को सार्थक करके हमारी उन्नति में अथाह परिश्रम किया है। उन्हें मैं बारबार धन्यवाद देता हूं तथा पुनः प्रार्थना करता हूं कि ब्राह्मण के वचनों को देववचन मानने वाली इस भोली जाति की उन्नति व जागृति के लिये आप आगे भी प्रयत्नशील रहेंगे।

"साथ ही मुझे बताना चाहिए कि निमाड के प्रतिष्ठित पुरुषों सहित हीरा भाई मुकाती, महेतवाडा, गोपीनाथजी, देवाजी धेगदा, अमराजी वडवेल, मोगावा रा. भगवानलाल शेठ आदि

उदारचित्त परोपकारी नरवीर यदि इस प्रथम अवसर पर हमारे उत्साह में वृद्धि करने के लिये उपस्थित हुए होते, तो बडी प्रसन्नता होती । किंतु मैं मानता हुं कि किसी अनिवार्य कार्य के कारण वे पधार नहीं पाये हैं । अतः भविष्य में इस काम में वे हाथ बंटाकर हम पर उपकार जरुर करेंगे, क्यो कि वैसे महापुरुष ही कार्य को सिद्धि दे सकते हैं । ऐसे अनुभवियों के बिना हमारा काम नहीं चलेगा ।

"इस देशमें इस प्रकार की जागृति लानेवाले व्यास रामचंदजी हमारे पुरोहित हैं । वे अन्य ब्राह्मणों से अलग लगते हैं । हमारी जाति की उन्नति होने से – जागृति होने से कई भोले ब्राह्मण डरते हैं कि अब हमारा निर्वाह नहीं होगा । ऐसा रज्जू–सर्प वाला भ्रमपूर्ण भय भूदेव रामचंदजी को नहीं होता । उन्होंने सत्य मार्ग ग्रहण किया है । हमारी अज्ञान अवस्थामें हम ब्राह्मणों को भिक्षुक से अधिक सम्मान दे नहीं पाते । हम जागृत होंगे, तभी हमारे पुरोहित भी जागृत होंगे, ऐसी स्थिति में उनका स्थान ईश्वर के बाद का होगा । ऐसी उच्च भावना रखकर कार्य करनेवाले श्री रामचंदजी वास्तवमें धन्यवाद के अधिकारी हैं । मैं उन्हे अधिक कार्यकुशल बनने के लिये कहूंगा । सभा की स्थापना के बारे में जिनके मन संकीर्ण रहे होंगे, वे विरुद्ध प्रवृत्तियां करेंगे । ऐसे समय के लिये दृढ होकर तैयार रहें । इस प्रकार की जनहित की सेवा का कडवा जाति क्या बदला चुकाएगी ?... परमात्मा ही उसका फल देने के लिये समर्थ है । फिर एक बार मे श्री रामचंदजी को धन्यवाद देता हूं ।"

सराहना से आर्द्र बने श्री रामचंदजीने अश्रुभरी आंखों से उत्तर देते हुए बताया कि मैं यदि ब्राह्मण हूं, तो मैंने मेरा कर्तव्यपालन किया है । मुझे मेरा भावी मार्ग प्रदर्शित करके आपने मुझे अधिक अनुग्रहीत बनाया है । मैं तो केवल शिशुसदृश अवस्था में हूं ।

फिर व्यास रामचंदजीने गुजरात तथा बम्बई से तकलीफें झेलकर पधारे बंधुओं का तथा विशेषकर अध्यक्ष महोदय का आभार व्यक्त किया, जिस को तालियां बजाकर श्रोताओने समर्थन दिया था ।

सभा का कार्य पूर्ण होने की घोषणा करते हुए अध्यक्ष महोदयने अंतिम उपदेश दिया था कि –

"हमेशा कार्य का प्रारंभ सरलता से होता है, उस समय कई लोग सहयोग देने आते हैं । लेकिन समय बीतते काम की खूबियां तथा मुश्किलें सही रूप में प्रकट होने पर, सहायक मित्र दिखने बंद होते हैं । ऐसे विकट समय से लडने के लिये कार्यकर्ताओं को सदैव खाते, पीते, बैठते, उठते, घूमते, फिरते, अपने आसपास एक फौलादी दीवार जैसे युवक मंडल रचने का प्रयास करना चाहिये । इसी लक्ष्यबिंदु को सामने रखकर अपना तमाम संसार व्यवहार चलाना है । प्रति दिन नये–नये कर्मयोगी सेवक पैदा करना – यही संपत्ति करोडों के चन्दे से अधिक कीमती है । यहां हुए भाषण हमने सुने हैं, समझे भी होंगे; उसके लिये गुप्त या आम चर्चा भी की होगी । अब घर जाकर, जो हमारे जाति बन्धु यहां पधारे नहीं हैं; उन्हें भी इसका ज्ञान कराकर इस दिशा में प्रवृत्त करना है, यह हमारा सामान्य धर्म है इस के प्रति मैं आप लोगों का आग्रहपूर्वक ध्यान खींचता हूं । मातु श्री उमा हम सबको सुबुद्धि तथा दृढ सेवा भक्ति दें, ताकि बार बार ऐसे कामों के लिये हम एकत्र होवें । अब मैं सभा बरखास्त करते हुए आप सभी को नम्रतापूर्वक प्रणाम करता हूं ।" (तालियां)

मालवा मे जाति सभा (१९१७)

कडवा पाटीदार समाज एक विशाल समुद की तरह फैला हुआ है। इसका बडा हिस्सा गुजरात में बसा है और अन्य हिस्से काठियावाड, कच्छ तथा मालवा में भी बसे हैं। देशकी कई जातियों ने, जैसे जैसे शिक्षा में प्रवेश करना शुरु किया, वैसे वैसे अपनी जाति भी उन्नति के लिये १०–१२ वर्षों से प्रयत्न करने लगी। उसी के फलस्वरूप हम आज भी 'कडवा पाटीदार शुभेच्छक समाज' तथा 'श्री कडवा पाटीदार हितवर्धक महामंडल' नामकी दो संस्थाओं को देख रहे हैं। सुधार की प्रवृत्तियों के बारे में समाज के एक सिरे से दूसरे सिरे तक चर्चाएं चलने लगी हैं। किसी को कम किसी को अधिक सुधार करना पसंद आने लगा, और इस तरह ठेठ कच्छ तथा दूसरी ओर मालवा तक इन विचारों का फैलाव हुआ। कच्छ में भी जाति की स्थिति को सुधारने की नींव डाली गई और सुधार की इमारत बनने लगी।

मालवा में भी जातिबंधुओं ने अपनी उन्नति के लिये कोशिशें प्रारंभ की। उसी के फलस्वरूप "श्री कडवा पाटीदार सभा – निमाड" की स्थापना हुई। इसके उद्देश्य में (१) बच्चों को शिक्षा देना; (२) आधुनिक पद्धति से खेती करना; (३) खेती का स्कूल स्थापित करना; (४) सहकारी पेढियां (फर्म) चालू करना; (५) अनाथों की सहायता करना; (६) अनावश्यक व्यय बन्द करना; (७) अहितकर रिवाजों को रोकना; (८) समाज के कानून बनाना तथा (९) खेतीवाडीमें आती बाधाएं दूर करना आदि आदि सम्मिलित हैं।

सभा में नाम लिखाकर सदस्य बनना सभी मालवीय बंधुओं का कर्तव्य है। सदस्य बननेवाले जातिबंधु को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। दूसरी जाति का आदमी सदस्य नहीं बन सकेगा। सदस्यता शुल्क वार्षिक १ रू. रखा गया है। प्रतिवर्ष सभा की सामान्य बैठक होगी। सभा के अधिकारी निम्न प्रकार बहुमत से बने हैं –

पटेल देवाजी नानाजीभाई रुंसात – **प्रमुख**; पटेल भीलाजी नरसिंहभाई झालुडिया – मंत्री; पटेल हीरालाल देवाजीभाई – **कोषाध्यक्ष**; पटेल बालाराम कानाजीभाई चोपडा – **प्रबंधक**; तथा व्यास रामचंदजी **संचालक**

सभा के अधिकारी गण को उनके ऐसे परोपकारपूर्ण कार्य के लिये कोटि–कोटि धन्यवाद देते हैं तथा सभा के नेताओं को संचालन के लिये खास ध्यान देने योग्य मार्ग दर्शक शिखावन के रूप में लिया गया। 'हमारी संस्थाएं' विषयक गतांक (कडवा विजय पत्रिका) में प्रसिद्ध हुए लेख को ध्यान से पढ जाने का अनुरोध करते हैं। कार्य की शुरुआत सुंदर हुई है। उसी प्रकार उत्तम कार्य सिद्ध हो उसके लिये परमात्मा उन्हें सदैव आगे बढने का साहस दें तथा उनकी विजय होकर मालवीय बन्धुओं की शीघ्रोन्नति हो और अपने पूर्वजों की गौरवशाली भूमि में बसे हुए जाति बंधुओं के

साथ हिलमिल कर एक बने वैसी कृपा करने के लिये प्रभु से तथा मातुश्री कुलदेवी ऊमा से हम प्रार्थना करते हैं।

श्री निमाड कडवा पाटीदार सभा की दूसरी बैठक (१९१८)

यदि जागृति के इस युग में हम पिछडे रह जायेंगे तो हमारी जाति कौनसी स्थिति को प्राप्त होगी, इसका ख्याल हमें वर्तमान स्थित दे रही है। गत दस वर्षों से हम में कुछ जागृति आई हैं। लेकिन हमारे पूर्वजन्मों के तथा वर्तमान पापों का प्रायश्चित जैसे अभी भी पूरा न हुआ हो ऐसा हमारी कुछ स्थान पर मौन अर्थात् चुपचाप देखते रहने की वृत्ति से स्पष्ट होता है। बहन बेटियों के श्राप, मुखियागीरी के दौर में खिंचते जाने की तथा उसे बढावा देने की हमारी वृत्ति और अधर्म का पथ छोडकर सत्य धर्म के पथ पर चलने में हमारी लापरवाही अर्थात् प्रगति की दिशा में जाने अनजाने बने हुए पूर्व के पापों का प्रायश्चित क्या कमजोर पुरुषार्थ से हो पायेगा ? जन्म तथा मृत्यु प्राणी मात्र के लिये निर्मित है – ऐसा समझने पर भी मनुष्य पुरुषार्थ छोडता नहीं है, उसे त्याग देने की आवश्यकता भी नहीं हैं... लेकिन कौन सा पुरुषार्थ हितकारी है इसका निर्णय करने के लिये जिस प्रकार की बुद्धि की आवश्यकता है, उसके अभाव में द्रष्टि मर्यादा बहुत छोटी बनती हैं। फलतः पीढी दर पीढी भी दुखो का अंत नहीं आता। हम इस सत्य के अतिनिकट खडे हैं, यह बत हमारे बन्धुओं को शीघ्र मालूम हो जाय – ऐसे पुरुषार्थ की प्रथम आवश्यकता है।

गुजरात के विभिन्न प्रांतों की तरह निमाड–मालवा के प्रदेश में भी हमारे कडवा पाटीदार बसते हैं। उन्हें भी हमारी तरह अपनी उन्नति करने की इच्छा हुई है। कुछ हमें देखकर सीखे हैं। कुछ को दुखदायी स्थिति ने समझाया है। होल्कर स्टेट के कुवां गांव में इस सभा की पहली बैठक हुई थी। (कडवा विजय के) गतांक में हमने सूचना दी थी कि इस साल की दूसरी बैठक धार स्टेट के सुंदेल गांव में मिलेगी। इस बैठक की कार्यवाही का वृत्तांत इस अंक में प्रकाशित हुआ देखकर निमाड सभा के कार्यकत्ता बन्धुओं को हमारे पाठक धन्यवाद दिये बगैर नहीं रहेंगे, ऐसा हमें विश्वास है।

देशी तथा ब्रिटिश शासन में हमारी जाति कितनी महत्वपूर्ण है, फिर भी वह कौनसे दर्जे व स्थिति में है इसका जिसे पूरा ख्याल होगा वे ही वास्तव में अपने बन्धुओं की उन्नति के मार्ग में प्रस्थान किये बगैर नहीं रहेंगे। प्रत्येक बाबत में अलग अलग संस्थाओं द्वारा हमारी सांसारिक, आर्थिक व राजकीय उन्नति के लिये प्रवृत्ति होनी आवश्यक है। समस्त समाज का ऐक्य तथा शक्ति के प्रभाव से उन्नत स्थिति प्राप्त करानेवाली जो प्रभा उत्पन्न होती है, उसका छोटा सा दृष्टांत यह निमाड सभा की बैठक देती है। हमारे गुजरात के श्री

कडवा पाटीदार शुभेच्छक समाज के कुछ जाति भक्त सदस्यों के इस दूसरी बैठक में भी अच्छी तादाद (मात्रा) में उपस्थित रहने पर निमाड मालवा की हमारी जनता में नया जीवन आया है, ऐसा हमें कहना चाहिए।

निमाड जैसे सुदूर प्रांत में समय तथा पैसों का व्यय करके साथ साथ शरीर–शक्ति का भी व्यय हो जायेगा, ऐसा जानने पर भी समाज की उन्नति ही जिनका लक्ष्य है, उसी में दान और धर्म करने में अंतिम हेतु समाहित है – इस लक्ष्य के आधार पर इस शुभेच्छक समाज के जाति शुभेच्छकोंने छः दिन में रेल्वे तथा पैदल मिलकर ११०० मीलकी यात्रा की है। इन्हें छः रातों में केवल ४० घंटे का ही आराम प्राप्त हुआ है। उन्हें मिलाकर २८ घंटे नींद के व १२ घंटे अन्य प्रवृत्ति–निवृत्ति के लिये मिले थे। इस पुरुषार्थ को कुछ स्वार्थी या कार्य करने में असमर्थ भाई शायद शौक तथा आदत मानते होंगे फिर उनका पुरुषार्थ किस शुभ विशेषण के योग्य है, इसका भी साथ ही साथ विचार कर लेने का हमारा उनसे अनुरोध है।

निमाड सभा की इस दूसरी बैठक का फल हमारी कौम के लिये अत्यंत श्रेयस्कर आया है। धार स्टेट में हमारी कृषक जाति की अच्छी कद्र हुई है। मा. महाराजा की ओर से हमें सभी तरह से सहायता मिलेगी, ऐसा अनुमान है। इसका लाभ लेने हेतु समय को लक्ष में रखकर निमाड मालवा के बन्धु–गण अपना ध्येय प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे तो उनका कल्याण उनके निकट ही खडा है, ऐसी हमें पूर्ण श्रद्धा है।

हमारे समाज की आगामी बैठक

कहां और किस गांव में मिलेगी यह अभी कुछ तय नहीं हुआ है। समाज के प्रबंधकों तथा अध्यक्ष महोदयों से हमारी विनती है कि स्थान निश्चित करके जाति–उन्नति का कार्य आगे बढाने में नींद का त्याग करना जरुरी है। सभी लोग व्यवहार में खडे है। सभी को काम–धंधे हैं। मृत्यु तक आदमी को काम से मुक्ति नहीं मिलती। ...मिलेगी भी नहीं, क्योंकि हमारे प्रायश्चित पूर्ण हुए नहीं है। अतः वे शीघ्रता से पूर्ण हो जावें इसके लिये यह पुरुषार्थ करना है, ऐसा मानकर अब तक जो परिश्रम उठाया है, उसका शुभ परिणाम हम शीघ्र देख पायें – इस हेतु एक के बाद एक आती बैठकों में लंबा अंतराल पडने से जो बाधाएं खडी होती हैं उन्हें भूलना नहीं चाहिए।

महामंडल की जनरल मीटिंग

मा. पाटडी दरबार श्री की अध्यक्षता में प्रतिवर्ष मिलती है। उसी प्रकार इस साल भी निश्चित दिन को आयोजित हुई थी। लेकिन सदस्यों की संख्या की कमी के कारण नियमानुसार निश्चित संख्या नहीं होने के कारण महामंडल की जनरल मीटिंग की कार्यवाई मुल्तवी रखी गई है। निमाड सभा की दूसरी बैठक के अध्यक्ष कहते हैं –

कई जातियों के पास साधन नहीं होने पर भी अनुकूल संजोगों से पहले से अधिक आगे बढती है । अपने फण्ड और अच्छी संस्थाओं के होने पर भी अग्रगण्य विद्वान वर्ग के न होने से फण्डो की आवश्यकता कितना महत्त्व रखती है ? ...मेरी समझ के अनुसार तो अच्छे फण्डवाली संस्थाओं को चिरंजीवी बनाये रखने की कोशिश से बेहतर तो जाति का श्रेय हाथ में लिया जाय यही उत्तम है । सम्मान में खर्च किये जाते फण्डों में पैसे तो फिर भी आ जाते हैं, अर्थात् पैसों की कमी नहीं होती, लेकिन युवकों की जिंदगी का अमूल्य हिस्सा यदि व्यर्थ चला जाता है, तो फिर से हाथ नहीं लगता – यह बात जाति के फण्डों का प्रबंध करने वाले महाशयों को सीखने जैसी है ।

रा.ब. गोविंदभाई साहब को

मा. महाराजा के जन्मदिन की खुशहाली के अवसर पर उनकी राजसेवा की कद्र करके इन्हें राज–रत्न का सम्माननीय खिताब श्रीमंत सयाजीराव महाराजा ने इनायत किया है । इसके लिये पाटीदार समाज की ओर से हम मा. महाराजा साहब का आभार मानते हैं । साथ ही वास्तव में बडौदा राज्य के राजरत्न के रूप में शोभित हमारे मा. गोविंदभाई साहब राज्य की प्रजा तथा हमारा जाति के हित के लिये दीर्धायु प्राप्त करें । उनके हाथों पाटीदार जाति तथा समस्त प्रजा के हित के अनेक कार्य संपन्न हो – ऐसी दयालु प्रभु से हमारी प्रार्थना है ।

श्री इन्दुमती राजे की शादी

गौ–ब्राह्मण–प्रतिपालक महाराजा शिवाजी के वंशज कोल्हापुर के युवराज कुमार श्री राजाराय छत्रपति के साथ बडौदा में बडी धूमधाम से हुई है । श्रीमंत महाराजा अपनी जयेष्ठ पौत्री की शादी शास्त्रोक्त आज्ञानुसार करने के लिये भाग्यशाली बने हैं, यह जानकर देश की समस्त प्रजा में अपार खुशहाली फैल गई है । श्रीमति इन्दुमती राजे का सौभाग्य अखंड रहे, ऐसी अंतःकरण पूर्वक ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं ।

जाति बन्धुओं के जानने योग्य

श्री निमाड कडवा पाटीदार सभा की दूसरी बैठक (सुंद्रेल दि. ८ –९ एप्रिल १९१८)

अपनी जाति की उन्नति के लिये अपने समाज की तरह निमाड के बंधु भी वहां सदस्यों की बैठक हर साल बुलाते हैं । पिछले साल मुंबई वाले नारणभाई रामजीभाई मिस्त्री की अध्यक्षता में कुवां में बैठक हुई थी । अगली बैठक ऊपर निर्दिष्ट दिनांक को वीरमगाम वाले भाई चंदुलाल मणीलाल देसाई की अध्यक्षता में होगी ।

वहां जाने के लिये गोधरा से रतलाम जाकर वहां से गाडी बदल कर मह की छावनी स्टेशन पहुंच सकते हैं । मह से सुंदेल जाने के लिये मोटर मिलती है । मह स्टेशन पर सभासदों का

रावबहादुर गोविंदभाई हाथीभाई देसाई, बी.ए., एल एल. बी., एफ.आर.ए.आई.
सुबेदार साहब, कडी प्रांत, बरोडा स्टेट

आपश्रीने पाटीदार जातिमें से बुरे रीति–रिवाजदूर करने के लिये शिक्षा के प्रचार के लिये और जाति संगठन के लिये कार्य किया था। किसानसभाकी भी स्थापना की थी. अखिल भारतीय कुर्मी परिषद के सभापति के लिये आपको न्यौता दिया गया था. आप द्वितीय पाटीदार परिषद के प्रमुख रहे थे. बादमें श्री सयाजीराव गायकवाडने आपको 'राजरत्न' की पदवी दी थी. आप बरोडा स्टेट के दीवान भी थे.

सुंदेल ले जाने को इन्तजाम किया गया है । मालवा और निमाड के जाति बन्धु अपनी हरेक हिलचाल में हिस्सा लेते हैं । इस तरह हमें भी भाईचारा जता कर अपनी जाति की उन्नति के लिये सदरहुं सभा में हिस्सा लेने की जरूरत है । अपनी तरफ से कई बन्धु जाने वाले हैं । सो आप भी सुंदेल सभा में हिस्सा लेने के लिये तैयार हो जाईये ।

मेनेजर कडवा विजय, वीरमगाम

श्री निमाड कडवा पाटीदार सभा की दूसरी बैठक

इस सभा की वार्षिक बैठक इस बार धार स्टेट के सुंद्रेल गांव में हुई थी । निमाड एवं मालवा के विभिन्न गांवों तथा कच्छ, काठियावाड विगैरह गुजरात के स्थानों से भी इस सभा में हिस्सा लेने श्री क. पा. शु. समाज के सदस्य बडी मात्रा में उपस्थित रहे थे । सभा की अध्यक्षता करने के लिये वीरमगामवाले श्रीयुत् चंदुलाल मणिलाल से अनुरोध किया गया था और निमाड सभा के कार्यकर्ताओं के विशेष आग्रह पर उन्हें इस स्थान को स्वीकार करने के लिये गुजरात के भी कुछ सदस्यों ने विशेष विनती की थी ।

ता. ७ को सुबह रतलाम स्टेशन होकर गुजरात तथा निमाड मालवा के सदस्य महु स्टेशन पर दुपहर उतरे थे । वहां से घोडागाडी में बैठकर ३५ मील पर धामनोंद गांव जा पहुंचे थे । ता. ८ को सुबह धामनोंद स्कूल में गुजरात तथा मालवा के बन्धुओं को टी-पार्टी दी गई थी । पान सुपारी हो जाने के पश्चात् वहां से छः मील पर आये सभा स्थान सुंद्रेल गांव पहुंचने के लिये बैलगाडियां रवाना हुई थी । बीच में बीखरुन गांव के जातिजनों के विशेष अनुरोध पर उस गांवकी ओर से पान-सुपारी ग्रहण करने के लिये रुकना पडा था । इस समय एक विद्यार्थी ने बाल-विवाह से होते अनिष्ट तथा शिक्षा प्राप्त करने की आवश्यकता के बारे में कंठस्थ किया हुआ एक व्याख्यान दिया था । उसे सुनकर उक्त गांव के तथा अन्य गांवों से आए सभी भाईओं को बडी प्रसन्नता हुई थी । इस के बाद सभा में इसके लिये कोई प्रबंध होगा तो अच्छा होगा ऐसी कुछ सिफारिशें भी हिस्सा लेते जानेवालों को नेताओं, मुखी मुकातीओं की ओर से की गई थी । सुंद्रेल गांव शीघ्रता से पहुंचना जरुरी होने के कारण केवल आधे घंटे में ही यह कार्य संपन्न किया गया था । फिर भी सभा की बैठक के कामकाज की शुरुआत जैसे अपने ही गांव से होती हो, वैसे उमंग से बीखरून के जातिजन मेहमानों के साथ जुडकर एक जुलुस के रूप में सुंदेल आने निकले थे । सुबह ११ बजे के लगभग सुंद्रेल की सिवान में गाडियां ठहरी । अध्यक्ष तथा गुजरात से आए सदस्यों के स्वागत-सम्मान के लिये एक जुलूस के रूप में सुंदेल के नेता आए थे । बेण्ड के मधुर स्वरों तथा वालिंटीयरों के जयनाद के बीच

अध्यक्ष को पुष्पमाला तथा फूलों का गुच्छा अर्पण किया गया । फिर जुलूस सभा मण्डप से होकर सभापति के मुकाम पर गया था । वहां मकान-मालिक की ओर से बारात में पधारे सदस्यों तथा अन्य लोगों का सत्कार किये जाने के बाद सब बिखर गये थे । सम्मान समिति के अग्रणी तथा क. पा. शु. समाज के उपस्थित सदस्यों के साथ सभा की कार्यवाही का प्रबंध होने के बाद सभा का समय दोपहर तीन बजे का रखा गया था ।

सभी कार्यों में जैसे विरुद्ध पहलू होते हैं, उसी प्रकार निमाड की यह सभा भी विवादों से मुक्त न थी । सुंदेल तथा धामनोंद ये दोनों गांव निमाड के प्रदेश में अग्रिन होने का दावा करते हैं । कुछ भाईओं का ऐसा कहना था कि बाहर से आए किसी सदस्य से कुछ भी फीस लेना नहीं तथा सभा में प्रत्येक गांव के किसी भी भाई को सभी प्रकार के हक्क बिना मूल्य मंजूर रखना । कुछेक का कहना था कि स्त्रियों को इस सभा में कतई उपस्थित रहने न दिया जाय । कुछ कहते थे कि सदस्य हो या न हो, फिर भी जो-जो भाई बाहर से आए हों, उनके साथ गांव के लोगों को भी बिना मूल्य खिलाना । केवल दो ही पुराने ख्याल के आदमी कि जो जाति में मुखी हैं, उन्हें अपने से छोटे दर्जे के आदमियों ने सभा आयोजित करने की यह जो बडी प्रवृत्ति की यह पसंद नहीं था । उनसे अनुमति भी नहीं ली गई है । ऐसे उल्टे सीधे बहानों तले गांव तथा बाहरवालों को सभा में हिस्सा न लेने देने के लिए वे कोशिश करते थे ।

गांव के कार्यदक्ष सभा-संचालकों की युक्ति तथा खर्च करने की उदारता से इस तमाम प्रपंच का अंत आ गया था । प्रबंधकों ने अपने महाराजा मा. धार नरेश को प्रतिनिधि भेजने के लिए निमंत्रित किया था, अतः राज्य के मुख्य रेवेन्यू अधिकारी, खेतीवाडी ने सहकारी विभाग के उच्चाधिकारी तथा पुलिस विभाग के अफसर ने भी सुंदेल गांव में पडाव रखा था । कुछ विरोधियों की खटपट तथा उल्टी समझ से गांव में फूट पड जाने का भय उत्पन्न हुआ था । बाहर से आनेवाले तथा उनमें भी खास सभापति और गुजरात की मण्डली के उद्देश्यों को जाने बगैर वे किसी निर्णय पर आ नहीं सकते थे । तथा अपना फर्ज अदा करने के बजाय मा. महाराजा के उन्हें भेजने का उद्देश्य व्यर्थ जाने का बडा संशय अधिकारी वर्ग के दिल में उत्पन्न हुआ था ।

इन सब का कारण केवल हमारे जाति-स्वभाव की अज्ञानता का ही था । लेकिन दीर्घदर्शी अमलदार वर्ग ने बुद्धि का उपयोग करके सभा के कामों की शुरुआत होने से पहले गुजरात से आई मन्डली सहित तीन-चार आदमियों को अपने केम्प में बुलाया था । तब अहमदाबाद वाले मि. मगनभाई इन्जिनीयर, गणपतपुरा वाले मि.

छोटभाई, बडौदावाले मि. पुरुषोत्तमदास मास्तर तथा मि. माणेकलाल (नानुभाई) आदि अमात्य वर्ग से भेंट करने के लिये गए थे। उनके सभी प्रश्नों के बारे में तथा गुजरात और निमाड की सभा के उद्देश्यों, आशयों व कार्य-पद्धति से उन्हें संतोष हो - इस प्रकार खुलासा किया था। इससे वे बहुत प्रसन्न हुए थे। उसके उपरांत दो-चार विरोधियों को बुलाकर हिस्सा नहीं लेने के जो कारण उन्होंने दर्शाए थे वे गलत हैं, ऐसा समझाया था। वहीं केम्प में विपक्षियों तथा गुजरातिओं एवं अधिकारी-गण सभा की तमाम शंकाओं का प्रत्यक्ष में समाधान हो जाने से केवल सदस्य की फीस १ रू. लेने का जो प्रश्न था उसे गंभीर रुप लेने का जो प्रश्न था उसे गंभीर रूप देने के सिवा विरोधियों के सामने कोई चारा न रहा था। लेकिन प्रेक्षक के रूप में मुफ्त प्रवेश देने की सभा के संचालकों की उदारता से सारी बातों का फैसला हो गया था और नहा-धोने के बाद तीन बजे सभा मंडप ठसाठस भर गया था।

गांव के मंदिर का एक हिस्सा, बीच का चौक तथा सामने का दालान और खुली जमीन का उपयोग मण्डप बनाने में किया गया था। स्त्रियों के लिये विशेष प्रबंध करके चेक व मसहरी जैसे कपडों के परदे बनाए गए थे, जो मण्डप की शोभा में वृद्धि करते थे, तथा इस अलग व सुविधावाली व्यवस्था कार्यकर्ताओं की दक्षता प्रदर्शित करती थी। चंदोवा तथा ध्वजा-तोरणों से मण्डप की शोभा बढाई गई थी। अध्यक्ष तथा प्रतिष्ठित खास मुलाकातियों और सदस्यों के लिये कुर्सियों की व्यवस्था की गई थी। निमाड, मालवा तथा स्थानीय सदस्यों एवं प्रेक्षकों के लिये दरियां बिछाई गई। व्यासपीठ के ऊपर की छत में एक लंबा तथा तीन फीट चौडा काला पट्टा शोक प्रदर्शित करती निशानी-सभा के स्वर्गीय संपादक मि. पुरुषोत्तमदास के सम्मान में लगाया गया था। वह सभी दर्शकों का ध्यान आकर्षित करता था।

ठीक तीन बजे स्वयंसेवकों के जयघोष के बीच अध्यक्ष के मण्डप में उपस्थित होने के पश्चात् मंगलाचरण में उमियामाता की स्तुति वाद्यों के साथ प्रस्तुत करने के बाद सत्कार-समिति की ओर से व्यास रामचंन्दजी ने सभा का हेतु तथा अध्यक्ष का परिचय देनेवाला एक संक्षिप्त किंतु बोधप्रद भाषण दिया था। श्रीयुत् चंदुलाल को अध्यक्ष पद ग्रहण करने के लिये अनुरोध किया गया था, जिसे तालियों के द्वारा सभी दर्शकों ने समर्थन दिया। फिर सभाध्यक्ष के रूप में श्रीयुत् चंदुलाल अध्यक्ष स्थान पर बिराजे थे, और जातिजनों को संबोधित करके एक उपयोगी व मार्गदर्शक प्रवचन हिन्दी में दिया था।

इस दौरान वाणीभूषण कविरत्न महंत लक्ष्मणदासजी ने सभा का हेतु बडा ही उत्तम तथा आवश्यक और जाति का श्रेय करनेवाला, शास्त्रोक्त और व्यावहारिक

प्रमाणों के साथ विद्वतापूर्ण प्रवचन दिया था । राज्य के अमात्य वर्ग ने उत्साह व होशियारी से सभा में हिस्सा लिया था । उसके बाद खेतीवाडी विभाग के अधिकारी की ओर से अपने केम्प में रखे खेती के यंत्रों व हलों की समझ तथा खेतीवाडी के बारेमें राज्य की प्रजा को समझाना आवश्यक लगने से अध्यक्ष से प्रवचन के लिये समय मांगा गया था । ता. ९ की सुबह ७ से ९ बजे तक की अवधि तय हो जाने के बाद दर्शकों तथा सदस्यों को उस समय केम्पवाले बगीचे में उपस्थित रहने की सूचना दी गई थी । फिर शाम साढे छः बजे सभा बरखास्त की गई थी ।

अगली सुबह ता. ९ तो ८ बजे तैयार होकर सभा के संचालकों, पंडित लक्ष्मणदासजी और गुजरातियों तथा अन्य मण्डली के मुखिया सभा में प्रस्तुत करने के प्रस्ताव तैयार करने में व्यस्त हुए । इस दौरान कुछ सदस्य एवं गांव के सभी भाई खेतीवाडी विभाग अधिकारी के केम्प में गए थे । वहां यंत्र व हल बताकर उनके उपयोग व फायदे समझाए गए थे । गुजराती मण्डली से भेट करने का निमंत्रण अमात्य गण की ओर से प्रातः मिलने पर श्री मगनभाई, छोटाभाई, ईश्वरभाई, मोतीलालभाई, कच्छ–गढसीसावाले रतनशीभाई नारणजी मिस्त्री, पटेल मगनलाल भाईदेसाई, भक्तभाई, माणेकलालभाई रतलाम के टिकट कलेक्टर श्री मणिभाई आदि पंद्रह सदस्य गये थे । उनकी तथा स्टेट काउंसिल के सदस्य साहब व अन्य अधिकारियों के बीच एक घण्टे तक चर्चाएं हुई थी । गुजरात व धार स्टेट की कृषक प्रजा तथा खेतीवाडी के बारे में विवेचन हुआ था । मा. महाराजा की जनता के प्रति ममता तथा अमलदारों से प्रजा का संबंध जानने के लिये कई खुलासे हुए थे । कृषक समाज की उन्नति के लिये शहर में यथोचित पुरुषार्थ किया जाता है और किया जाएगा । कडवा पाटीदार कौम को राज्य की ओर से जब–जब जिस प्रकार की सहायता की आवश्यकता होगी वह मिलती रहेगी, ऐसा स्पष्ट हुआ था । सभा में हिस्सा लेने के लिये नहा–धोकर, भोजनादि लेकर ११ बजे सदस्यों व दर्शकों ने सभा में उपस्थित होना चालू किया था ।

अध्यक्ष के आगमन के बाद मंगलाचरण हुआ । फिर देसाई अमरसिंहभाई ने, जो जो प्रस्ताव सभा के समक्ष लाने थे वे प्रस्ताव तथा प्रस्तुतकर्ता व समर्थन देनेवालों के नाम पढकर सुनाए थे । उक्त प्रस्तावों के बारे में किसी को कुछ कहना हो तो नाम दर्ज कराने के लिये कहा गया तो दो–तीन नाम शिक्षा तथा बाल–विवाह के बारे में बोलने वालों के लिखे गए थे । फिर प्रस्ताव मंजूर हुआ कब माना जाता है तथा उस में सुधार के लिए बोलना हो तो सदस्यों को क्या करना चाहिए उसके बारेमें स्पष्टतः विवेचन किया था । मंजूर हुए प्रस्तावों के आशय तथा प्रस्तुतकर्ताओं और सहमति देनेवालों के नाम आदि निम्न प्रकार हैं –

१ ला प्रस्ताव : मा. शहंनशाह ज्योर्ज तथा महारानी मेरी के दीर्धायु की कामना करके इनकी यूरोपी संघर्ष में विजय हो इसलिये अध्यक्ष महोदय की ओर से ।

२ रा प्रस्ताव : धार के मा. महाराजा के परिवारसहित दीर्घायु की कमाना करके, अपना स्नेह प्रकट करने के लिये उन्होंने किया हुआ तार तथा सहायता करने अधिकारी गण को भेजा गया इसके लिये मा. महाराजा का आभार प्रदर्शित करने – अध्यक्ष महोदय की ओर से ।

३ रा प्रस्ताव : धार स्टेट के अफसरों ने सभा में उपस्थित होकर कीमती सहायता की है, इसका आभार प्रदर्शित करने–अध्यक्ष महोदय की ओर से ।

४ था प्रस्ताव : मा. धार सरकार ने मुक्त शिक्षा देने का जो चलन रखा है उसके लिये धन्यवाद तथा शिक्षा प्राप्ति के लिये सभी कदम उठाने के लिये मा. सरकार से अनुरोध आदि – प्रस्तुत कर्ता मास्तर पुरुषोत्तम दास । सहमति देकर विवेचन करनेवाले श्री नानुभाई, कालुभाई पटेल, हेमचंद हीराणी, भक्तिराम लासुरवाले, श्री रतनलाल, कुमारी लक्ष्मी (बेचरभाई मुकाती की सुपुत्री) तथा लीलावती बहन और चि. कनैयालाल (श्री लाजीभाई की संतानें) ।

श्री पुरुषोत्तमदास ने प्रस्ताव पेश करने के बाद विचक्षण विवेचन किया था । फिर श्री नानुभाई ने शिक्षा प्राप्ति के लिये राज्य की सहायता कितनी आवश्यक है तथा हमें क्या करना चाहिए, यह समझाया था । दूसरे सहमति देनेवालों के अपने भाषण पढ लेने के बाद कुमारी लक्ष्मी (वय ८ साल)ने प्रभावपूर्ण वाणी में सदस्यों के दिलों में बच्चियों के प्रति स्नेह उत्पन्न हो, ऐसा एक निबंध पढा था । फिर स्त्री वर्ग में से बहन लीलावती (वय १४ साल) श्री लाजीभाई की सुपुत्री ने स्त्रिओं को तालीम देने की आवश्यकता, उनका दर्जा तथा मूल्य समझाने वाला व्याख्यान दिया था । कौम में बाल–विवाह के रिवाज से बेमेल जोडे तथा स्त्रियों के प्रति तिरस्कार उत्पन्न होता है, इस बारे में मार्मिक प्रवचन करनेसे सदस्यों के दिलों में काफी असर हुआ था ।

५ वा प्रस्ताव : अधिकतम व अनुचित खर्चे एवं भोज आदि रोकने के लिये– वाणी–भूषण पंडित लक्ष्मणदासजी की प्रस्तुति तथा मिस्त्री नारणजी की सहमति ।

रा. मोतीलाल कालीदास और रतनशीभाई विशेष विवेचन करनेवाले थे, किंतु समयाभाव के कारण ऐसा न हो पाया ।

६ ठा प्रस्ताव : खेतीवाडी की उन्नति तथा हमारी आर्थिक स्थिति और राज्य की सहायता प्राप्त करने के बारे में प्रस्तुत कर्ता श्री छोटाभाई । सहमति देनेवाले श्री मगनभाई इंजीनियर थे । इस प्रस्ताव को पेश करते हुए श्री छोटालालभाई ने किसानों की फसल क्यों

सफल नहीं होती तथा कैसी जमीन और कौन सी खाद कैसा पाक देती है, यह बताया था। श्री मगनभाई ने कृषिकाम, कृषकों का संगठन और राज्य की सहायता के बिना चलाए रखने से यह स्थिति आ गई है, ऐसा बताया था। खेतीवाडी सुधारने के लिये यंत्र तथा अन्य साधन राज्य की ओर से दिये जाने चाहिए और कृषि सलाहकार तथा अमलदार के रूप में राज्य में कृषकों के पुत्रों को ही नियुक्त करना चाहिये। इनको तालीम देनी चाहिए आदि प्रस्ताव मा. महाराजा के समक्ष प्रस्तुत करने की आवश्यकता बताई और उपस्थित अधिकारियों को उसमें सहायता करने का अनुरोध किया था।

७ वां प्रस्ताव : इस सभा तथा गुजरात की सभा और समस्त समाजके हित में प्रयत्न करने वाले स्वर्गीय संपादक की मृत्यु का शोक प्रकट करने का तथा उनके परिवार के प्रति दिलासा व्यक्त करने का प्रस्ताव भाई अमरचंद पाडल्यावाले ने पेश किया था। कई लोगों ने उसे सहमति दी।

८ वां प्रस्ताव : बाल–विवाह की प्रथा से हमारी जो अवनति हुई है और अधर्मयुक्त रिवाज हम में घुस गए हैं, उन्हें सुधारकर लग्नप्रथा शास्त्रोक्त रीति से रखने के लिये – प्रस्तुत कर्ता पंडित वाणीभूषण, सहमति देनेवाले भाई अमरचंद, जगन्नाथजी, राजाभाई, रूपचंद, छीतरजीभाई मुकाती तथा भीलाजीभाई झालुडिया थे। पंडितजी ने यह प्रस्ताव पेश करके शास्त्रोक्त रीति से लग्न करने की प्रथा और आवश्यकता बताई थी। सभाजनों के मन पर अच्छा असर हुआ था।

९ वां प्रस्ताव : कन्याविक्रय को रोकना तथा

१० वां प्रस्ताव : हिन्दी भाषा को बढावा और 'कडवा विजय' में एक स्तंभ हिन्दी का रखने के लिये गुजरात की क. पा. शु. समाज से विनती करना–ये दोनों प्रस्ताव पंडित वाणीभूषणजी ने पेश किए थे। सभा में इनकी चर्चा के पश्चात् सहमति देनेवालों के लिये थोडा सा भी बोलने का वक्त नहीं होने के कारण केवल सहमति व्यक्त करके बैठ गए थे।

सभा का कामकाज बडे उमंग से–शीघ्रता से चल रहा था। इस दौरान धार स्टेट के अफसरों मा. नायब दीवान साहब सरदार आर. सी.एल.मण्डे तथा स्टेट काउन्सिल के मा. मेम्बर साहब श्री चीमनराय छाया, खेतीवाडी विभाग के अमलदार व को–ओपरेटीव सोसायटी विभाग के ऊपरी रजिस्ट्रार श्री देशमुख, पशु–चिकित्सालय के डाक्टर श्री एस.एन. धुरंधरे तथा पुलिस इन्सपेक्टर एवं शिरस्तेदार साहब आदि अमात्य वर्ग ने बडी सावधानी से तथा उत्साहपूर्वक इस सभा के कामों में भाग लिया था। मा. मण्डे साहब ने बालिकाओं तथा बच्चों के निबंध पढे जाने के बाद इन दो बच्चों को फिर से पढ सुनाने

का आग्रह किया। तब कुमारी लक्ष्मीबहन तथा चि.रूपचंद ने अपने निबंध फिर पढकर सुनाये थे। जिसका बडा अच्छा प्रभाव अधिकारी लोगों पर पडा था।

इस दौरान पादरा की समाज–सभा में कसरावद वाले एक गरीब विद्यार्थी को स्कोलरशिप देने के लिये वहां की मन्डली ने विनती की थी और वह स्कोलरशिप समाज के सुप्रसिद्ध शेठ दुर्गाप्रसादभाई की ओर से दी जानेवाली थी, इसका जिक्र संक्षेप में करके इस लडके को बुलाकर सभी के सामने स्कोलरशिप दी गई थी। देसाई अमरसिंहजीभाई वकील ने यह बात बयान की थी। दर्शकों ने आपस में शेठ दुर्गाप्रसादभाई की प्रशंसा की थी। अधिकारी वर्ग में उनके परिवार का परिचय देकर समाज के प्रति उनकी क्षमता के बारे में श्री मगनभाई इन्जिनियर ने प्रवचन दिया था। गुजराती भाईयों की समाज के प्रति ऐसी ममता के लिये सभा में अच्छा भाव पैदा हुआ था। सभा का समय पूर्ण हो जाने के पश्चात् भी लगभग सात–आठ मिनिट चर्चा चालू रही थी।

सहकारी रजिस्ट्रार श्री देशमुख ने आपस में सहायता करनेवाले मण्डलों के फायदे समझाकर हमारे कृषकों की उन्नति किस प्रकार हो सकती है तथा एकता से खेती को और कौम को कितने–कितने फायदे हो सकते हैं – इस बारे में बडा प्रभावपूर्ण तथा व्यावहारिक प्रवचन दिया था। खेतीवाडी और जावनरों के अस्पताल के ओफिसरों ने भी अपने विषय संबंधी प्रवचन करके आवश्यकता पडने पर सहायता लेने की सूचना दी थी। सरदार एलमण्डेसाहब ने सभा के कामकाज के बारे में अपना संपूर्ण संतोष व्यक्त करके पक्षों के मतभेदों का अंत आ जाने पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की थी। जो लोग शुभ कार्य में बाधाएं डालने का इरादा रखते थे, उन्हें प्रभावपूर्ण प्रमाण–दलीलों से संतुष्ट करके हंमेशा ऐसे शुभ कार्यों में लगे रहने का अनुरोध किया था।

मा. महाराजा की ओर से सभा के कार्यों में किसी भी अवसर पर सहायता देंगे तथा मा. महाराजा साहब की सभा के प्रति संपूर्ण ममता है आदि संदेशा सुनाया गया था। इस सभा का कार्य व हेतु अपनी ही प्रजा को लाभदायक होने के कारण उसे जारी रखने का अनुरोध किया था। मा. महाराजा इस सभा में हिस्सा ले सकते थे तथा आवश्यक सहायता दे सकते थे; किंतु सभा के संचालकों के डेप्युटेशन की अनुपस्थिति तथा उसके उद्देश्यों तथा कार्य–प्रणाली से अनजान होने के कारण वे पधार नहीं सके हैं, फिरभी अधिकारी वर्ग को सभा के तमाम कामों में हिस्सा लेकर सहायता करने का आदेश फरमाया था। मा. महाराजा की ओर से एक कन्याशाला सुंद्रेल् गांव में खोलने का हुक्म उसी समय जारी किया गया था। साथ ही इस सभा के कामों में अपनी रुचि तथा हिस्सा न ले पाने के लिये खेद व्यक्त करता हुआ मा. महाराजा का तार पढकर सुनाया गया था।

गुजरात से पधारे हुए तथा गांव के और बाहर के सभी सदस्यों व दर्शकों को महाराजा की ओर से एक डिनरपार्टी– भोज मेजबानी देने का न्यौत दिया था, जिसका सभा ने स्वीकार किया। अतः तीसरा दिन ता. १० कडवा पाटीदार जाति की प्रसन्नता में वृद्धि कर देनेवाला सिद्ध हुआ था। करीब संध्याकाल हो जाने पर तथा अमात्य वर्ग ने सभा में लम्बे समय उपस्थित रहकर जो परिश्रम लिया था उसका ख्याल करके अन्य सद्गृहस्थों तथा अमलदारों के लिये पान–सुपारी आदि से सन्मान किया गया था। श्री मगनभाई देसाई, अमरसिंहभाई और श्रीयुत् चंदुलालभाई आदिने उनके साथ बातचीत करके सभा के कार्यमें सहायता करने तथा जातिजनों का उत्साह बना रहे इस प्रकार सहायता देकर गुजराती मण्डल को बजा संतोष दिया था। फिर सभा के कामों में सहयोग देनेवालों का तथा प्रस्ताव आदि जहां जरूरी हो वहां भिजवा देने तथा अध्यक्ष महोदय का धन्यवाद मानने के लिये विभिन्न प्रस्तावों और कार्यवाही समेटते हुए श्री उमिया माताजी की जय जयकार बुलवाकर सभा की बैठक बरखास्त की गई थी।

उस दिन रात को श्री अमरसिंहभाई ने तहसीलदारी व्याख्यान दिया था जिसमें सभीने रात एक बजे तक हिस्सा लिया था। तीसरे दिन सुबह अधिकारी–गण से बातचीत करके जाति की स्थिति एवं उसमें विभिन्न सहयोगों द्वारा सुधार की गुंजाईश की चर्चा के लिये उनके केम्प में गये थे। मा. अमरसिंहजीभाई ने समाज की स्थिति और उसमें धर किये हुए अज्ञान के बारे में तथा राज्य की ओर से सहायता की आवश्यकता के बारे में काफी स्पष्टता की थी। फिर गुजराती मंडली के सभी सदस्यों का परिचय करवाया था। दुपहर को मा. महाराजा की ओर से दी गई दावत में करीब ७०० व्यक्ति शामिल हुए थे और मा. महाराजा की जय–घोषणा करके सभी अपने–अपने स्थान मुकाम पर जाने के लिये चल पडे थे।

२५ सदस्यों की गुजराती मंडली कुछ भाईओं के आग्रह से कसरावद आने के लिये निकली थी। कसरावाद में कालुभाई पटेल, औंकारजीभाई मुकाती तथा व्यास रामंचन्दजीभाई ने अपने यहां भोजन तथा चाय–नास्ते की दावत दी थी। वहां से महारानी अहल्याबाई की राजधानी का किला और नर्मदाजी का घाट देखने महेश्वर गये थे। वहां कुवांवाले हीराजीभाई रुंसात की ओर से चाय–पान–सुपारी हुए थे।

ता. १२ सुबह को टी–पार्टी तथा पान–सुपारी लेकर स्पेशल मोटरगाडी में बैठकर बडवाहडा स्टेशन पर आ पंहुचे थे, रात को वे रतलाम पहुचे थे। मिस्त्री विसरामभाई की ओर से गुजराती मंडली को रतलाम से जाने–आने के समय खाने–पीने व सोने का बडा अच्छा प्रबंध किया गया था। साथ ही अहमदाबाद वाले पाटीदार श्री मणिभाई टिकट कलेक्टरने इस सभामें भाग लेकर यात्रा करने में होने वाली असुविधाओं को टालने का हर संभव प्रयत्न किया था। इसके लिये गुजराती मंडली `. दोनों भाईयों का आभार प्रकट किया था। निमाड सभा के संचालकों ने जो परिश्रम करके गुजरात तथा मालवा आदि की मंडलियों का सम्मान–सत्कार करने का प्रबंध करके समाज सेवा के जिस उत्तम कार्य को सिद्ध किया है, उसके लिये उन्हें अधिकाधिक धन्यवाद !

श्री चंदुलाल मणीलाल देसाई (गुजरात)

१९१८ मे आपश्री निमाड अधिवेशन के अध्यक्ष थे.

श्री कडवा पाटीदार परिषद दशम् महोत्सव के भी अध्यक्ष थे.

आप जानेमाने समाज सुधारक थे.

श्री निमाड कडवा पाटीदार सभा में श्रीयुत् चन्दुलाल मणिलाल देसाई द्वारा अध्यक्ष स्थान से दिया गया प्रवचन(संक्षिप्त)

(दूसरी बैठक- मुन्देल, ता. ८-९ (अप्रेल, १९१८)

मेरे प्रिय भाईयों !

समाज हित के कार्यों की ओर ध्यान देकर आप सभी यहां उपस्थित हुए हैं, यह देखकर मुझे बडी प्रसन्नता होती है। हमारी निमाड पाटीदार सभा की यह दूसरी बैठक है। इसकी अध्यक्षता के लिये आप मुझे चुनकर जोखमभरी जिम्मेवारी मुझे सोंप रहे हैं, जिसे पूर्ण करने का मैं यथाशक्ति प्रयत्न करूंगा।

देश के विभिन्न प्रांतों से कष्ट उठाकर समय तथा पैसों की कुरबानी देकर हम यहां एकत्रित हुए हैं। इससे अनुमान होता है कि हमारा यहां इकट्ठा होना कितना आवश्यक है। कोई विशेष कार्य हम बिना प्रयोजन नहीं करते और उसमें भी ऐसा महान पुरुषार्थ तो विशेष आवश्यकता तथा उच्च अभिलाषा के बगैर किया नहीं जाता। इससे स्पष्ट है कि यहां एकत्रित होने का हमारा प्रयोजन आवश्यक व आनंददायी भी होगा।

केवल हमें ही आनंद होता हो, इससे बढकर हमारे समूचे परिवार को आनंद होता हो ऐसी बातों पर हमें अधिक आग्रह एवं प्रेम होना चाहिए। और इससे भी अधिक आनंद हमारे कई परिवारों से बने हमारे इस समाज के लिये कुछ कर पायें – उस में होना चाहिए। समझदार पुरुष समझ सकते हैं कि समाज के हित में ही हम सबका हित समाया हुआ है। अतः अगर हमारे भाई दारुण अवस्थामें हों और हम केवल अपना ही सुख बनाए रखना चाहेंगे, तो उससे हमारी मूर्खता के अलावा और कुछ नहीं प्रकट होगा।

यहां एकत्रित होने के प्रयास में हमने समाज–हित को ही प्रधान समझा है, अतः उसके अतिरिक्त किसी निजी या अन्य व्यक्ति के हित के साथ हमारी प्रवृत्ति को संलग्न करना नहीं चाहिए। अपने निजी हित की बलि दे कर ही हम समाजहित के लिये यहां इकट्ठे हुए हैं। इसको नहीं भूलकर सभी प्रसंग पर समाजहित के ख्यालों को ही आगे करके एक दूसरे को तन, मन, व धन से सहायता करने के लिये यथाशक्ति तैयार रहना चाहिए। यहां हम एक ही गांव या परगने के हित के लिये मिले नहीं है। बल्कि हमारी आबादी के विभिन्न हिस्सों का हित ध्यान में रखकर, सेकडों परिवार अथवा हमारे समस्त समाज का हित जिसमें समाया है वैसे पुरुषार्थ को हाथ में लेकर उसी दिशामें हमारे भाईओं को उन्मुख करने के लिये एकत्रित हुए हैं। कच्छ, *गुजरात*,

निमाड, मालवा जैसे दूर–सुदूर के प्रदेशों में हम बसते हैं, फिर भी एक ही परिवार का हमारा यह समाज है , यह कभी भी हमें भूलना नहीं चाहिए । दीर्घकाल हो जाने के कारण देशकाल के अनुसार हमारे पहनावों तथा बोली में आज एक दूसरे से भेद लगता है, लेकिन हमारे मुख्य रिवाज, धर्म तथा कुल या मूल प्रदेशों को देखते हुए हम एक ही जाति के भाई हैं – यह प्रतीत हुए बिना नहीं रहता ।

हमारे पूर्वज हमसे अधिक अच्छी स्थिति में थे । गुजरात, मालवा, कच्छ, निमाड आदि प्रत्येक प्रांत में अलग–अलग गांव बसाकर स्वयं एक मुख्य राजसत्ता के अधीन गांव या परगने के मालिक के रूप में शासन करते थे । गुजरात में कई गांव हमारे पूर्वजों ने बसाए हैं, इस बात के कई प्रमाण मौजूद हैं । उसी प्रकार मालवा में भी कई प्राचीन काल से गांव बसाने के लिये हमारे पूर्वज ही विख्यात हुए है । जिनके कई एतिहासिक प्रमाण आज भी मौजूद हैं । पूर्वजों के गांव बसाने की तथा हमारे प्राचीन वैभव से भरा युग जिसे जानना हो, उसे हमारे स्वर्गीय कर्मवीर बन्धु भाई *पुरुषोत्तमदास लल्लुभाई परीख* विरचित '**श्री कणबी क्षत्रिय उत्पत्ति अने इतिहास**' नाम के ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए ।

आज हम जिस पवित्र स्थान पर इकट्ठे हुए हैं वह सुंदेल गांव हमारे पूर्वज मुकुंद मुकाती तथा जीवणजी मुकाती ने बसाया है, यह जानकर आप सभी को प्रसन्नता होगी । यह पवित्र गांव हम जैसे बाहर के लोगों के लिये तो एक तीर्थस्थान समान लगता है । दशरथ नाम के हमारे एक पूर्वज इस गांव में दानेश्वरी के रूप में विख्यात हो गए हैं । उनके साथ उनकी धर्मपत्नी सती माता के नाम से भी आप शायद ही अपरिचित होंगे । उनका पवित्र देवालय दर्शन योग्य है । ऐसी कई सती माताए हैं । तथा दशरथ जैसे पूज्य व्यक्ति कई स्थनों पर हुए हैं । अभी हमारी स्थिति इतनी उच्च नहीं लगती, लेकिन उच्च थी – उसके प्रमाणरूप आज देश के सभी गांवों में कुर्मी अर्थात् कणबी ही ग्राम्य–सत्ता तथा जमींदारी भोग रहे हैं ।

देशकाल को लेकर हमारी तरह सभी राजवंशी परिवारों की स्थिति में भी परिवर्तन आ गया है । उनकी तरह हम भी जमीन–जागीरदारों व ग्रामपति से किसान बन गए हैं । व्यापार करने वाली कौम को जमीं–जागीरों से कम संघर्ष होने के कारण अपनी स्थिति में आ गए महान् परिवर्तनों का ख्याल नहीं आता । राज्यक्रांति का काल सदैव दुखदायी होता है । आज यूरोप खण्ड में जो महायुद्ध चल रहा है उसका यदि आपको ख्याल हो, तब हमारी स्थिति एक सामान्य किसान जैसी क्यों हो गई होगी – यह समझना आसान होगा । अभी–अभी यूरोप में साधारण छोटे–छोटे राज्य उलट पुलट हो गए हैं । अतः समस्त यूरोप खण्ड की आज जो दशा है, वैसी ही राज्यक्रांति के

काल में समस्त भारत वर्ष की थी। यूरोप के आज के छोटे राज्यों की जो स्थिति है, वह राज्यक्रांति के काल में हमारे कुर्मी क्षत्रियों की थी। केवल अंतिम साठ–सत्तर साल से इस प्रकार के कष्ट पडने बंद हुए हैं। फिर भी हमारे देश में प्रजा की उन्नति करने की ओर ही राजसत्ताएं प्रवृत्त हों – ऐसा नहीं लगता।

सौ–दौ सो साल पहले संसार के किसी भी देश से हमारा देश व्यापार– धंधे में कम नहीं था, अतः हमारे उत्पन्न किये माल पर दूसरें देशों को आधार रखना पडता था। हमारे पहले के राजा उत्तम कृषकों तथा कारीगरों को ललचाकर, इनाम देकर अपने–अपने प्रांतों में खींच ले जाते थे। उस काल में उत्तम कृषकों को जमीन तथा गांव बसाने के लिये शासन की ओर से विपुल धनराशि बक्षिश में मिल जाती थी और सभी प्रकार की आवश्यक सहायता व आश्रय मिल जाते थे।

हमारे देश के उद्योग–हुन्नर से अधिक आज अन्य देश बहुत आगे निकल चुके हैं, अतः हमारे हुन्नरों की दूसरे देशों को कोई परवाह नहीं है। उन देशों को केवल कच्चे माल की आवश्यकता रही है, जो उनके देशों में कम मिलता है... और हमारा देश दे रहा हैं। यह माल अधिकतर खेती की उपज है। खेतीवाडी में भी दिनों–दिन जमीन का सत्व घटता जा रहा है। ऋतुएं भी बहुत अनियमित होती जा रही हैं। कौन सी जमीन कैसी खेती या खाद के योग्य है, उसकी रासायनिक साधनों द्वारा जांच करने के जो साधन तथा ज्ञान अमेरिका जैसे देशों में है; वैसा हमारे पास कुछ भी नहीं है। उसके अलावा हमारी खेतीवाडी जो पहले विश्व में श्रेष्ठतम थी उतनी ही आज पर्याप्त जमीन होने पर भी गिर गई है।

हमारे कुर्मी भाई तन तोडकर महेनत करते हैं, फिर भी आज दीन होते जा रहे हैं। आप पूछेंगे कि हमारी सरकारे या राजा अन्य देशों की भांति जमीन को सुधारकर किसानों स्थिति सुधारने की कोशिश क्यों नहीं करते, ताकि हम और हमारा देश पूर्व की उच्च स्थिति प्राप्त कर सके ? इसका सीधा सा उत्तर यही मिल पाएगा कि पहले तो हम ही इतने अपूर्ण हैं कि हम अपनी समस्याएं राजसत्ताओं के सम्मुख पूर्ण ताकत से प्रस्तुत ही नहीं करते। क्यों नहीं – इसके कारण हम बादमें कहेंगे। मैं पहले यह कहूंगा कि सरकारें क्यों हमारी खेतीवाडी को शीघ्र सुधारना नहीं चाहती, ताकि हम अन्य देशों की तरह उच्च कोटि का माल उत्पन्न करके विदेशों का अवलंबन छोड दे ?

देशी या विदेशी सभी सरकारें अक्सर अपने खर्चे को सम्हालने का ख्याल पहले करती हैं। उसके बाद ही जो बचता है, उस राशि से अन्य लोगों की सहायता करती हैं। भाईओं ! में आपसे पूछता हूं कि हमारे देश की ३३ कोटि जनसंख्या में

से ६/३ अर्थात् ११ कोटि कुर्मि क्षत्रियों या कृषिकारों में से कौन सरकार के द्वार पर अनशन करके बैठा है, कि हमें दीजिए। आप इतने भी शक्तिमान नहीं हैं कि अपने दुःखों को सरकार के सामने पेश करे ! बल्कि जो सरकार के समक्ष जाकर आपकी ओर से मांगता है... अर्ज करता है – उससे जाकर भी हम अपनी स्थिति बता नहीं पाते हैं ।.... क्योंकि ऐसी तालीम से हम अनभिज्ञ हैं। हमें यह भी नहीं पता कि सरकार किसे किस प्रकार देती है। और यह भी नही चाहते कि अपनी ओर से कोई दूसरा विद्वान या राजनेता शासन से मांगे और उसे मिले क्या ऐसी दशा को आप पसंद करते हैं ? जो अपने लिये सरकार से जाकर मांगता हो, वह पहले अपनी जरूरतों के लिये मांगेगा या आपके लिये ? आपके बहानों तले वे विद्वान् देश के नेता–गण अपनी मांगे पहले रखेंगें। हालांकि उसमें हमारा हित है, फिर भी हम स्वयं ही क्यों न सरकार या राजाओं के समक्ष जाकर मांगे ?

क्या हममें कुछ मांगने जितनी भी शक्ति या बुद्धि नहीं है ? मैं कहूंगा, कुछ भी नहीं हैं। यह भी कहूंगा कि क्यों नहीं है ! लेकिन सरकारने तथा देशी राजाओं ने अपने खर्चों को बनाए रखने के लिये हम पर अधिक से अधिक कर डाले हैं। वे हमारी स्थिति से बहुत पहले से वाकिफ हो गए हैं। अतः अब वे हम पर अधिक कर डाल नहीं सकते। उनका खर्च पहले से अधिक बढता जा रहा है। हम यह नहीं समझ पाएंगे कि शासक इससे कैसे निपटेंगे ? लेकिन हमारी स्थिति सुधारने हमें अन्य देशों की स्पर्धा में उतरने के काबिल बनाने–हमारी उच्च आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिये सरकार से मांगे बिना, उसके आंगन में बैठ कर अनशन किये बगैर हम और कुछ भी कर पाने की स्थिति में नहीं हैं। यह बात अवश्य ध्यानमें रखना। मैं पहले भी आपको बता गया हूं कि हम अपनी जरुरतों को हमारे शासकों के सामने पूर्ण ताकत से प्रस्तुत कर नहीं सकते हैं और अब उसके जो कारण हैं, वह मैं बताऊंगा।

हमें शासकों से मांगने के तौर तरीके जान लेने चाहिए। हमारे पास भाषा का ज्ञान होना चाहिए। अपनी मांगों के बारे में प्रमाणों सहित बताना चाहिए। इकठ्ठा होकर जाना चाहिए। बलपूर्वक मांगना सीखना चाहिए... ।

हमारी मांगें शासकों के सामने पेश करने के लिये सबसे पहले हमें राजनीतिक भाषा बोलना तथा लिखना आना चाहिए, ऐसे शासकीय कायदे हमें बताते हैं। प्राचीन काल की तरह आज तुम स्वयं जाकर सीधे राजा के सामने अपने दुःखों को रो नहीं सकते। देशी राजाओं के सामने जाने के लिये तुम्हें कायदे तथा राज्य संविधान से वाकिफ होना चाहिए। ब्रिटिश शासन के संविधान के अनुसार तुम्हें अपनी मांगे धारासभा में सदस्यों के द्वारा पेश करानी चाहिए – तभी तुम्हें क्या कहना हैं, यह बात

सरकार के ध्यान आएगी। तुम स्वयं अपना केस समझा नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हें कायदों या संविधान का ज्ञान ही नहीं है। अतः दूसरे लोग हमारी मांगों के लिये बोलेंगे।

यह स्थिति, भाईओं, वाकई हितकारी नहीं है। हमें स्वयं ही अपनी मांगों को सरकार के सामने पेश करने के लिये शक्तिमान होना चाहिए। उसके लिये हमें कानून–कायदों व संविधान का अध्ययन करके तैयार हुए विद्वानों तथा समाज की पीडा को जाननेवाली संतानें पैदा करने की बडी आवश्यकता है। शिक्षा आदमी का आभूषण है। ज्ञानरूपी चक्षुओं को खोलकर मानसिक बुद्धि को घडनेवाली शिक्षा ही है। शिक्षा ही धर्म शास्त्रों को समझने की बुद्धि देती है, व्यवहार चलाने में हित–अहित की समझ हम में पैदा करती है।

जब तक अन्य जातियों से उच्च प्रकार के साधनों तथा विद्यालयों की विशेष व्यवस्था हमारी मांगों को देखते हुए हम प्राप्त नहीं कर सकेंगे, तब तक हमारी जो अधम स्थिति हुई है, उसे सुधार नहीं पाएंगे।

देश की अन्य कौमों से अधिक सभी शासकों को हमारी कुर्मी कौम पर अधिक आधार है। हमारी उपज के आधार पर राज्य का खर्चा चलता है, ऐसा कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। फिर हम अन्य जातियों तथा देशों के मुकाबले में शीघ्र ही आ पाएं या अमुक समय में आ जाए – ऐसा विशेष प्रबंध हमारे लिये शासकों को क्यों नहीं करना चाहिए ? ...इन तथ्यों को प्रमाणों के साथ हमें शासकों के सामने रखना चाहिए।

हमारे में शिक्षावृद्धि के लिये समाज की ओर से कुछ निधियां खोली जाती हैं। उन निधियों तथा उनके प्रबंधकों की कार्य–पद्धति को देखते हुए हम आगे आ सकेंगे, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई नहीं देती। जिन जातियों के पास साधन नहीं हैं, वे हमसे अधिक अच्छी स्थिति में होने के कारण हमसे पहले आगे बढती हैं। फिर हमारे फण्ड या ऐसी संस्थाओं के होते हुए भी, ऐसे विद्वानों के होने पर भी उन फण्डों की आवश्यकता किस काम की ? गरीब बच्चों को फीस तथा किताबों का प्रबंध करनेवाले जातिजनों की अब कमी मुझे नहीं दिखाई देती। अतः फीस या किताबों का प्रबंध करना ही फण्डों का कर्तव्य होता हो, तो फिर विद्वानों को तैयार करने की जो आवश्यकता है वह तो वैसी ही बनी रहती है। मेरे ख्याल से अच्छे फण्डों वाली संस्थाओं को अपना अस्तित्व बनाए रखने का लक्ष्य रखने से पहले समाज का श्रेय शीघ्रता से सिद्ध करने के बारे में सोचना चाहिए।

सन्मार्ग पर खर्चे जाने वाले फण्ड की राशि फिर प्राप्त हो जाती है, लेकिन युवकों की जिंदगी का जो समय बीता जाता है, वह नहीं लौटता । यह बात समाज के फण्ड इकट्ठा करनेवालों को खास सीखने जैसी है । इस हकीकत को भुला देने से उमदा निधियोंवाली संस्थाएं एतिहासिक द्रष्टिसे निरर्थक ही रहेगीं । हमारी जाति शिक्षा में पिछड गई है, वह किसी तरह आगे नहीं बढ पाएगी । मानसिक स्थिति में पिछडे रहने का कारण हमें बडी देर से मालूम हुआ है । देश की अन्य जातियां पढ–लिखकर हम पर अधिकार जमा कर आगे बढने लगी हैं.... और हम अभी अपनी स्थिति को सुधारने के लिये बच्चों को पढाए बिना नहीं चलेगा, ऐसा केवल सोचा करते हैं । बच्चों को पढाने की आवश्यकता है, ऐसा उपदेश देने की इस जमाने में किस जाति की अब आवश्यकता है ? उसके बारे में कुछ सोचेंगे तब हम देश की जातियों में कौनसा दर्जा रखते हैं वह आसानी से समझ सकेंगे । मेरी आपसे आग्रहपूर्वक विनती है कि सर्व प्रथम दूसरों के आधार पर हमारे हिताहित का जो अवलंबन है उससे शीघ्र मुक्त होने के प्रयास करने चाहिए और इस दिशा में सोचकर आप मुझसे सहमत होंगे – ऐसी मेरी अपेक्षा हैं ।

भाईओं । शारीरिक शक्ति के बारे में भी हमने काफी कुछ गंवा दिया है, बालविवाह के निष्ठुर रिवाज से पीढी दुर पीढी हमारी कौम में जो अमर शक्ति थी उसका विनाश होता गया है । उसके अलावा जो दैवी शक्ति हमारी कुर्मी क्षत्रिय जाति में थी, वह भी धर्मयुक्त जीवन के अभाव में नष्ट हो गई है । इस मुख्य शक्ति के नष्ट होने का कारण हमारा गृहस्थाश्रम है । जनसमाज में उत्तम प्रकार का व्यवहार रखकर सुखी होने के लिये उत्तम गृहस्थ व उसके योग्य गृहिणी चाहिये । स्त्री–पुरुष के जीवन एक दूसरे की सहायता पर आधारित हैं । इसीलिये 'अर्ध भार्या शरीरस्था' स्त्री–पुरुष का अर्धांग हैं" ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है ।

विद्वान पति का अशिक्षित स्त्री से संबंध होना दुःखदायी होता है, उसी प्रकार समझदार सुशील तथा व्यवहार कुशल गृहिणी का गंवार पति से संबंध होना दुःखदायी ही होता है । गुणों की असमानता वालीं शादियों से तो हाथ पैर बांधकर समुद्रमें कूद जाने जैसी स्थिति पैदा होती है । अतः शास्त्रों की आज्ञा का रहस्य यह है कि एक–दूसरे के अंगरूप एक ही स्वरूप के न हो, वैसे स्त्री–पुरुष को लग्न–ग्रंथिसे जोडना ही नहीं । पुरुष के जिम्मे बाह्य व्यवहार का बोझ है । उसी प्रकार गृहकार्य का बोझ स्त्री के सर पर है । अतः पति की आज्ञा को मानकर, धर्म को समझकर गृहस्थाश्रम को उज्जवल बनाने के लिये पूर्णतया योग्य बनी हुई तथा संतानों को पालकर उनके आरोग्य तथा विद्याभ्यास की संभाल रखने वाली स्त्रियां ही उत्तम गृहिणी बन सकती

हैं। ऐसे श्रेष्ठ गुण एवं अन्य भी सामान्य सद्‌गुण उसमें लाने के लिये पुरुष वर्ग की भांति स्त्रीयों को भी विद्याभ्यास करके अच्छी–अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करना आवश्यक है। मां–बाप का कर्ज यह है कि उन्हें इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध करा देने के साथ–साथ घरकाम तथा व्यावहारिक कामों की तालीम देकर सद्‌गुण तथा सुशीलता के उत्तम पाठों का रहस्य उनके कानों में प्रतिदिन डालते रहना चाहिए।

बेटियों को इस प्रकार तालीम देकर एक अंतिम पवित्र कर्ज उनके सर पर रहता है, वो है उनके लिये योग्य सद्‌गुण–सम्पन्न वर खोजकर बेटी की सहमति लेकर लग्न बंधनमें बांध देना। इस शास्त्रोक्त कर्ज को यथार्थ रूप में अदा नहीं करने वाले मां–बाप बेटियों के शाप से नर्क में जाते हैं।

ऐसे निःस्वार्थी गुण सम्पन्न मां–बापों के अभाव में हमारा संसार दुखदाई बना है। मैं नहीं मानता कि यहां हम जो बैठे हैं, उनमें से कोई हिंमतपूर्वक बता सके कि संसार रूप सागर को तैरने के लिये हमारा जोडा पूर्णतया योग्य है ! भाईओं। यह कितने अफसोस की बात है। स्त्री और पुरुष दोनों को अगर सदैव के लिये जोड देने की इस महत्व की बात में भी हम अन्य कौमों से बहुत पिछड हुए हैं अर्थात् दस साल में आते ब्याह तथा साल दो साल में बच्चों को ब्याह देने की प्रथा हमारी स्थिति में हीनता लाने वाली है – यह बात अब हमें मालूम हुई है। बाल्यावस्था में एक–दूसरे के गुणों को देख पाना कहां तक संभव है। लग्नबंधन एक उत्तम धार्मिक क्रिया है, लेकिन वह हमारे में राज्यक्रांति के कारण आ गये रिवाज को लेकर अधर्म को फैलाने वाली प्रथा हो गई है। उसे त्यागने के अलावा अब और कोई भी चारा नहीं है।

भाईओं ! मैंने एक विदेशी विद्वान की उक्ति पढी है कि "हिन्दुस्तान में लोगों को ठगता हो तो केवल धर्म के नाम पर ही ठगा जा सकता है।" यह बात कितनी सत्य है। माताजी तो साक्षात् सर्वत्र व्यापक हैं ! हमारे बच्चों को जहां–जहां तथा जब जब ब्याहें तो उन पर आशीर्वादों की वर्षा करने पधारती हैं। उनमें यदि यह शक्ति या प्रभाव न हो, तो उन्हें देवी या माता कौन मानेगा ? हमारी संतानों की योग्य उम्र में, शास्त्रोक्त विधि से, गुणावगुणों की जांच करके, ज्योतिषशास्त्रानुसार, उनकी जन्म राशि मिलाकर शुभ दिन पर शादी की जाय, तो क्या माताजी हम पर क्रोध करेंगी ?.... कभी नहीं करेंगी।

धर्मशास्त्रों के कहे अनुसार ही शादी करने की माताजी की आज्ञा है। माताजी कोई हमारे लग्न फैलाने का धंधा करनेवाले स्वार्थी भाईयों या पेट भरनेवाले भिक्षुक

ब्राह्मणों जैसी स्वार्थ बुद्धिवाली नहीं हैं । वह तो हमारी माता है । अतः उनकी यही इच्छा होगी कि हमारा जीवन कैसे धार्मिक बना रहे । धर्म के अनुसार चलने की सद्‌बुद्धि हमें उन्हीं ने दी है, जिसके परिणाम-स्वरूप हमने आज हमारी स्थिति को अधम बनानेवाले रिवाज को थोडा बहुत त्याग दिया है । इस रिवाज के त्याग देने से माताजी हम से नाराज होंगी या शाप देंगी, ऐसा कुछ अज्ञानी भाईओं को डर रहता हैं; उसका कारण केवल इतना ही है कि हम धर्म को समझ नहीं पाते । हमारे इस ओर के पाटीदारों एवं मालवा के भाईयों ने दस साल में एक ही दिन शादी करने से नुकसान होता, है यह समझकर उसे त्याग दिया है ।

गुजराती निमाडी भाईयों के लग्नों पर भी कन्या के पिता के रिवाज अनुसार लग्न करने की जो प्रथा है वह क्या बताती है ? शादी चाहे प्रति दस साल पर करें या सभी शुभ दिन पर करें, उसमें माताजी को गुस्सा होने का कोई कारण नहीं है । हमारे गुजरात में भी वर-कन्या की योग्यता देखकर योग्य वय पर शादी करने का रिवाज चालू हो गया है ।

दस साल पर ही शादी करने की प्रथा शास्त्र के विरुद्ध है । क्योंकि इससे हमें छोटे-छोटे बच्चों से पालने में झूलती फूल जैसी बेटियों को ब्याह देने की आवश्यकता खडी हो जाती है । गुणों की समानता का ख्याल किये बिना हम इस प्रथा से लिपटे रहने लगे हैं; जिससे बेमेल जोडे, करावा, कन्या-विक्रय तथा तलाक जैसे अधर्मयुक्त रिवाज हमारे में पनपने लगे हैं । छोटी वय के बच्चों में मृत्यु का प्रमाण विशेष होने के कारण उनकी शादी में होने वाला खर्चा व्यर्थ जाने से इतना धन कम हो गया है । फिर समधि-समधन के नखरों से परिवार में कलह की वृद्धि होने के अतिरिक्त इस रिवाज ने हमें कोई लाभ पहुंचाया है - ऐसा नहीं लगता ।

शिक्षा में हम पिछडे रह गए हैं इसका कारण भी हमारे बालविवाह हैं । पत्नी के घर में आते ही पति पढना छोड देता है । बहू को जल्दी घर लानी पडती है, क्योंकि कन्या को १३-१४ साल पर मासिक धर्म चालू हो जाता है; और १६ वर्ष में संसार चलाने योग्य समझी जाती है, किंतु २४ वर्ष का लडका संसार चलाने योग्य माना नहीं जाता । अतः दोनों की उम्र में करीब ६ से ८ साल के अंतर का कुदरती नियम रखना आवश्यक है ।

भाईओं ! आप यदि शास्त्रों को मानते हैं, धर्म के प्रति आपका स्नेह सच्चा है, तो आप अवश्य किसी निःस्वार्थ विद्वान् शास्त्री से पूछें । उसके कहे अनुसार अपने बेटों - बेटियों का ब्याह करना सोचें । बडौदा की मा. सरकार ने हमारी बरबादी के कारण हममें होते बालविवाह को ही बताया है । अतः शास्त्रो के विरुद्ध होते ऐसे

बाल–विवाहों को रोकने के लिये उन्होंने अपनी जनता के लिये कानून बनाया है और बाल विवाहों पर रोक लगाई हैं । मैं आशा रखता हूं कि आप भी वैसा कानून अपने अपने शासकों से चालू करवाने की कोशिश करेंगे तथा हमारे अज्ञानी भाईओं को ऐसे अधर्म–युक्त कर्म से बचा लेंगे ।

में इस बारे में आपसे पुनः विनती करुंगा कि जब आपके पुत्र–पुत्रियों की वय योग्य हुई हो तभी उनके गुण–दोष–कद–काठी तथा उम्र का उचित अंतर देखकर ही उन्हें शादी के बंधनों से जोडना । तभी हममें जो अधर्म, अज्ञान, कामजोरियां और साहसहीनता घर कर गई हैं, वे दूर रहेगी । सिपाही के भेष में कोई भिखारी भी आये तो उसे देखकर डर जाने की जो निर्बलता वर्षो से हमारे भीतर घुस गई है, वह कम होगी । तभी हम हमारी उन्नति के मार्ग प्रशस्त कर पाएंगे ।

विद्या की महिमा

प्रिय सज्जनों ! इस संसार में ईश्वर ने विद्या ही सबसे श्रेष्ठ इल्म बनाया है । कठिन से कठिन कार्य इससे सिद्ध होते हैं । वहुत से पशु–पक्षी बल में, वुद्धि में, समझ में, सुन्दरता में मनुष्य से बढकर होते हैं, परंतु मनुष्य के पास विद्यारूपी हथियार ऐसा है कि सब इसके बस में हैं । सूर्य अचानक अन्धकार से भयभीत होकर अस्ताचल की गोद में जा दबता है, चन्द्रमां आधे समय तक द्दष्टिमें आता है । परंतु विद्यारूपी सूर्य का प्रकाश सदा रहता है । रुपया पैसा जितना ही छुपाकर रक्खो तो भी उसको चोर चुरा ले जाता है, परंतु विद्या के अमूल्य रत्न को उजाड जंगलो में रात्रि को भी कोई नहीं ले सकता । दुष्ट और अन्यायी राजा भी इसे नहीं छीन सकता । कुटुम्वी मनुष्य भी इसमें से भाग नहीं मांगते । इससे सच्चा ज्ञान मिलता है और सर्व सुख प्राप्त होते हैं ।

विद्या माता के समान हमारी रक्षा करती है, और स्त्री के समान हमें आनन्द देती है । हमारे सब क्लेशों को दूर करती और संसार में हमारा यश फैलाती है । प्रिय जाति सज्जनों ! दौलत की अकड में ऐसे अनुपम रत्न का निरादर न करो, क्योंकि दौलत घर घर की कुतिया है, जो फटकारें सहन करती और खाती फिरती है । मैंने सैकडों धनवानों को देखा है कि धन न रहने पर जूतियां चटकाते और भीख मांगते फिरते हैं । परंतु विद्यावान मनुष्य सर्वदा आनन्द में रहते हैं । धन देने से घटता है, परंतु विद्या का धन ऐसा है कि जितना ही दिया जाय उतना ही बढता जाता है । किसी कविने कहा है कि –

रजा पंडित तुल्य नहीं, जानहु नर सिरताज ।
पंडित पूज्य जहान् में, नृपति पूज्य निज राज ।।

राजा की प्रतिष्ठा उसके देश में ही होती है और धनवान का आदर वे ही मनुष्य करते हैं, जो उससे धन प्राप्ति की इच्छा रखते हैं; परंतु विद्यावान मनुष्य सारे संसार में पूजनीय होता है, जहां जाता है वहां उसका आदर होता है। धनवान के उनके शत्रु होते हैं। विद्यावान का कोई भी शत्रु नहीं होता। इससे, प्रिय जाति सज्जनों ! आप लोग सोचो, विचारो, और विद्या के ऊपर जरा लक्ष्य दो व अपने प्रिय पुत्रों व प्रिय पुत्रियों को, विद्या की सुशिक्षा देकर सुशोभित करो। जाति को शिक्षा रूपी पहाड पर ध्वजा फहराते हुए दर्शन करो।

निमाड पाटीदार सभा और उसके विरोधी

मनुष्य को कुछ आदत पड जाती है, वह महा कठिनाई से छूटती है। यदि उसको कोई ऐसी आदत पड गई हो जो कि समग्र दुनिया से निराली और हानिकारक हो, परंतु वह उसको अच्छा गौरवशाली जानकर करता है, दूसरी तरफ समग्र दुनियां चाहे अच्छा और न्यायपूर्ण काम ही क्यों न करे, परंतु वह बुरी आदतोंवाला अभिमानी मनुष्य समग्र दुनियां के योग्य काम को भी अयोग्य ही बताता है। केवल बताकर ही नहीं रह जाता, बल्कि उसको तो यह बुरी आदतरूपी काल इस भांति ग्रस लेता है कि जिससे मदमें विभ्रमित हुए व्यक्ति की तरह दुनियां की व अपने भले-बुरे की भी परवाह फिर वह नहीं करता। मूर्खता के तीन चावल की खिचडी वह अलग ही पकाया करता है। परंतु परमात्मा की चराचर सृष्टि न्याय से भरी है। सत्य की जय और असत्य का सत्यानाश समय आने पर वह न्यायकारी करता ही है।

(हिरण्यकशिपु व प्रह्लाद, राम व रावण के उदाहरण देने के पश्चात्). . . अतः सत्यको लेश मात्र भी डर नहीं है। जब भी हुआ है, तब अन्याय और असत्य का ही सत्यानाश हुआ है और होगा।

बन्धुओं ! आपको अधिक कहना न होगा कि अपने गुजरात की "कडवा पाटीदार शुभेच्छक समाज" के आगेवान दरबार श्री लालसिंहजी तथा सेक्रेटरी महोदय और समस्त जाति-शुभचिंतकों ने जाति-सुधार के प्रयत्न करने के लिये, युवक-मंडल और जहां-जहां पाटीदार बन्धु निवास करते हैं, उन जिलों में कडवा पाटीदार समाज की उप समितियां स्थापित कर दी हैं। इसी के अनुसार निमाड में रहनेवाले अपने कडवा बंधुओं के हितार्थ "निमाड पाटीदार सभा" का जन्म सं. १९७२ वि. के पोष मास में होकर वह उत्तरोत्तर उन्नति कर रही है।

गत साल संवत् १९७२ के चैत्र मासमें निमाड सभा का पहला वार्षिक उत्सव कूवां गांव में हुआ। उसमें सरकारी अधिकारी, सदस्य गण, एवं निमाडवासी कुलमी

वंधुओं ने खुशीसे भाग लिया था। (यह सभा मुंबई के नारायणभाई कंन्ट्राक्टर की अध्यक्षता में हुई थी। इसका सविस्तार वर्णन 'कडवा विजय' में आया है तथा पुस्तक रूप में यह अलग भी छप चुका है)। उस जगह अन्य रेग्युलेशन पास होने के अलावा मृतक के घर पहले दिन 'सुखडी-प्रसाद' नामका ह्रदय-विदारक भोजन करने की दुःखदायी प्रथा है, जिसको बंद करने का शास्त्रोक्त प्रमाण ब्राह्मण गांव के श्रीमान श्रोत्रिय अमीन साहबने बताया तथा स्वजाति बंधु कवि अमरसिंहजी देसाई भाई वकील, वीरमगांव – इन्होंने सभा के छोटे-बडे, स्त्री-पुरुषों के ह्रदय में ऐसा भाव भर दिया था कि सैंकडों छोटे बडे नर-नारियों ने मरने वाले के यहां का (गरुड पुराण में भी निषिद्ध बताया हुआ) ऐसा अन्न (प्रसाद)[१] न खाने की प्रतिज्ञाएं की थी। यह व्रत पालने वाले सच्चे जाति हितैषी भाई-बहनों की कोई भी विद्वान् प्रशंसा किये बगैर नहीं रह सका। परंतु हमें खेद के साथ कहना पडता है कि जिस कार्य को शास्त्र, पुराण, विद्वान् निषिद्ध बताते हैं, यदि किसी को अच्छा लगता है तो भले ही उस मरे हुए के यहां का दुखमय अन्न से पेट भरकर आनंद मनाएं.... उन्हें कोई रोकता नहीं हैं, परंतु जिन भाई-बहनों ने यह वर्जित अन्न नहीं खाने, दुखी कुटुंब के साथ हमदर्दी दिखाने और किसी विद्वान् के श्रेष्ठ मार्ग पर चलने का व्रत धारण किया हो – तो उसके पीछे पडकर उसके व्रत को भंग करने का उद्यम करके अपनी अमानुषिकता का परिचय नहीं देवें।

झूठी गप्प

निमाड सभा की वैठक के बाद हम कई दफा गप्प उडाते सुन चुके हैं, कि अमुक कुलमी की मां मर गई, उसने दूसरे के यहां प्रेत भोजन न खाने की प्रतिज्ञा सभा में की थी, इसलिये गांववालों ने उसके यहां सुखडी करने से मना कर दिया और दंड लिया। कभी सुना अमुक का बाप मरा, उसने प्रतिज्ञा की थी इस वास्ते उसकी लाश को तीन दिन तक उठाया नहीं गया।... जब हमको मालूम हुआ और हमने उसकी तपास करवाई तो सब बातें झूठी निकली। यह गप्पें किसी भले मनुष्यों द्वारा कही हुई नहीं थी, परंतु ऐसे ही बिना तोल-माप के बुद्धिहीन मनुष्यों के धूर्त कार्य थे।

विरोधियों का अन्याय

निमाड पाटीदार सभा के मंत्री भीलाजीभाई झालुडिया के पिता कुवार सुदी ७ को देवलोक हो गए, उस रोज विरोधियों ने कुछ उटपटांग बातें उडाई थी। उसके

---

१. मृतक के घर पहले दिन प्रसाद कैसा किया जाता है, वह अपने इतिहास में मालवा प्रकरण में देखो।

समाचार हमें मिले । उसे सुनकर हमको हंसी आती है । वह बातें सर्व सभा प्रेमीजनों को मालूम होने के लिये ही हम यहां प्रकाशित करते हैं । पाठक इस वृत्तांत को पढकर हंसे बिना नहीं रहेंगे ।

दहनक्रिया करने के पहले ही से जो थोडे बहुत सभ्य आदमी सुखडी रांधने के लिये अर्थी को गांव के बाहर तक ही पहुंचाकर वापस लौट आते है, जैसा कि यह नियम है । यही यहां भी हुआ । परंतु विशेषता यह थी कि व्रत धारण किये हुए लोगों के पीछे सुखडी खाना ही चाहिए । फलाना शख्स न खायेगा तो हम भी नहीं खाएंगे, अमुक नहीं खावें तो उसे जाति के बाहर कर दो । थोडी देर के लिये ही यह बक–झक चलती रही । परंतु भीलाजीभाई ने खुद ही कह दिया कि जिसको खाना हो खावें..., न खावें उसकी कुछ परवाह नहीं । किसी का व्रत भंग करना सरासर अन्याय है ।

इसी का नाम सत्यव्रत है

विरोधियों के हजार डराने–दबानें से भी वे सच्चे व्रतधारी पुरुष तथा स्त्रियां न हठे और विरोधियों की अहम् भरी नौका में यहीं छेद हो गए । जिन्होंने प्रतिज्ञा की थी, वे दृढ रहे । इसके बाद उन विरोध भक्तों को एक और बात सूझी । वह पहले दिन की रांधी हुई सुखडी दस बीस सेर बची हुई थी, उसको बारहवें दिन पकती हुई कंसार (बाट) में गुप्त रीति से लाकर उस में मिला दी । परंतु सच्चे का रक्षक परमात्मा सदैव है । मिलावट की बात गुप्त न रह सकी । वह करतूत खुल गई और प्रतिज्ञा करनेवालों ने उस पंक्ति का भोजन नहीं खाया । अलग ही उनके लिये फिर दूसरा भोजन बनावाया गया ।

धन्य है उन दुखी भिलाजीभाई को जिन्होंने अपने घर अन्याय नहीं होने दिया । उनको भी हजार बार धन्यवाद है, कि जो प्रह्लाद की तरह अपनी कसौटी पर खरे उतरे । और न्याय के पथ पर चलते हुए किसी की परवाह नहीं की । इसी का नाम सत्यव्रत है कि "प्राण जाई पर वचन न जाई" ।

भाईओं ! अब वह जुल्मी नादिरशाही जमाना नहीं है, अब तो न्याय प्रिय अंग्रेज सरकार का राज्य है । जिसको इच्छा हो वही व्रत पाले, वही धर्म धारण करे । उसे कोई रोक नहीं सकता । अपने जो व्रत धारण किये हैं, उन पर डटे रहना है । अब हिम्मतवान् बनकर सुधर जाओ – और जाति भर को सुधारो । सत्यव्रत कैसे धारण करना, सो सब को सिखा दो । आप को याद होगा कि आजकल की आपत्तियों को दूर करने के वास्ते व्यक्तियों, को सभा –सोसायटिओं को हरेक सरकार मदद करती

है । उससे सहानुभूति रखती है । अन्याय से तंग करने वाले लोग तो क्या ऐसे लोगों के शिरोमणि को भी यह सरकार राह पर लाती है । ऐसे अन्याय के वास्ते कैसे कायदे बना रखे हैं, उसे देखो तो सही ! यदि कोई आदमी किसी का नुकसान न करे, अपने आप कोई प्रतिज्ञा ले या अपना व्यवहार सुधारे, तो उसमें क्या बुराई है ? उसको कोई तंग नहीं कर सकता – कोई जाति–बाहर नहीं कर सकता ।

आप यह बात दृढता से ध्यान में रखो कि गवर्नमेन्ट इसु धर्म की पालनेवाली है । वह अपना धर्म फैलाना चाहे तो दुनिया में एक ही रोज में लोगों को तंग करके अपना धर्म मनवा कर सब के धर्म और व्रत छुडवा सकती है...., परंतु नहीं । न्याय के रास्ते में हरेक मनुष्य अपना धर्म, कर्म, रीति, नीति सुधारकर चले, इसमें कोई अगर बाधा डालें तो उसकी ताडना के लिये कानून है । अन्याय करनेवालों को–गरीबों को दबाने वालों को सरकार राह पर लाती है ।

भाईओं ! अंतिम वाक्य यही है कि जाति की सभा सोसाइटियां जो–जो प्रस्ताव सुधार के लिये निकाले उसको केवल सुनकर इस कान से उस कान निकाल देना ही ठीक मत समझो, बल्कि उसका खूब विचार करो । तुम्हारे दिल में अगर सत्य जंचे तो उसे करो । तुम्हारे पीछे कोई उपदेशक तकादा या जुलम तो करता नहीं है । यह बात खूब ध्यान में रखो कि तुम हरिश्चन्द्र की तरह अपनी प्रत्येक प्रतिज्ञाएं पालने में कटिबद्ध रहोगे तो एक दिन ऐसा होगा कि सुधारों का विरोध करनेवाले भी आपकी तरह सत्यव्रती बन जाएंगे । अभी नहीं समझे हैं वे कभी न कभी समझेंगे, विचारेंगे, सुधरेंगे और दूसरों को सुधारेंगे, क्योंकि बडों का काम भी बडा होता है, और बडों की शोभा भी बडी है । उमिया माता हमारे बडों को सुबुद्धि दें जिससे जाति का सत्वर कल्याण हो ।

निमाडी पाटीदारों का आदर्श

निमाड प्रांत असल में शिक्षा में बहुत पीछे है । इसकी तथा इस प्रांत में बसने वाली जातियों की उन्नति करना मानो गागर में सागर को भरना है । निमाड देश की कडवा पाटीदार जाति बेचारी सुख और आनन्द की निद्रा में मस्त पडी हुई थी । उसको गुजरात के कुछ उत्साही स्वजाति सज्जनों ने जगाकर अज्ञान रुपी अन्धेरे से निकाल कर ज्ञान रपी सूर्य के सामने ले जाने का प्रयत्न किया है । इसमें केवल मुट्ठीभर बन्धुओं को छोडकर शेष जातिभाई बडे दुःखी हैं ।

उसका कारण यदि खोजा जाय तो केवल उनकी अज्ञानता ही प्रतीत होगी । जैसे एक अज्ञानी बच्चे को डोक्टर जब दवाई पिलाता है, तो डोक्टर यह भली प्रकार

जानता है कि में बच्चे का सचमुच हित कर रहा हूं । किन्तु बच्चा अपनी अज्ञानता से दवाई पिलाने वाले को गालियां देता है । ठीक इसी तरह हमारे निमाडी पाटीदार है, जिनको उंचे चढाने की कोशिश करते हैं । अब जरा जाति की ओर ध्यान दीजिए । जाति शब्द के दो अर्थ हो सकते है । सच्ची जाति तो वह है तो समस्त संसार को ही जाति मानकर अपने उदार चरित्रों से संसार को लाभ पहुंचावें, किंतु मनुष्य की सामर्थ्य नहीं कि वह बिना नींव में उन्नति किये सीधे संसार की उन्नति कर सके । इस कारण पहले छोटी मंजिल, फिर आगे बडी मंजिल, इस प्रकार ही संसार में ऊंचे कार्य हो सकते हैं । अतएव हमें प्रथमतः हमारी कडवा पाटीदार जाति को ही लेकर कार्यारंभ करना चाहिए ।

जाति के किसी भी अर्थ में उसकी उन्नति का विचार करते हुए हमें यह भी सोचना होगा कि उन्नति किसे कहते हैं । उन्नति के लिये यथेष्ट रूप से शिक्षा का प्रसार होना चाहिए । शिक्षा हिन्दी भाषा द्वारा होनी चाहिए । बालक और बालिकाएं दोनों को शिक्षित बनाए बिना उन्नति होना दुष्कर है ।

पाटीदार जाति में बालविवाह की प्रथा बडे जोर–शोर से प्रचलित है । उसका कारण केवल १२ वर्ष में एक ही दिन सब जाति भाईओं के बच्चों के एक ही साथ लग्न होना है ।

इस प्रथा से जितनी हानि हो रही है, वह अकथनीय है । इस कुप्रथा को मिटाना सभी पाटीदार बन्धुओं का कर्तव्य है ।

दूसरा दोष है कन्या विक्रय । यदि ध्यान दिया जाय तो इस निमाड प्रांत में कन्याविक्रय का जोर पाटीदार बन्धुओं में मानो घर कर बैठा है । आज इस पाटीदार कौम में आप देखेंगे तो पता लग जाएगा कि शायद २५ ऐसे माई के लाल निकलेंगे जो ऐसा धृणित कार्य करने से अचकाते हों । परंतु शेष जन इस महादुष्ट रिवाज 'कन्याविक्रय' को बेधडक पोषण दे रहे हैं । भाईओं ! यदि ऐसे मनुष्यों को सभा में उपदेश दिया जाय तो हम नहीं कह सकते कि वह सभा की बात मान सके ।

उनका कथन तो यहां तक है कि सभा हमें बिगाडती है, सभा हमें गहरे कूप में डालती है, सभा हमें आर्य–समाजी बनाती है – इत्यादि अपवाद सभा को लगाकर अपने मुंह मियां मिट्ठु बन जाते हैं ।

परंतु जहां तक अविधा दूर न होगी वहां तक कभी भी इनके हृदयमें सद्‌भाव उत्पन्न नहीं हो सकता । महात्मा तुलसीदासजी ने ठीक कहा है कि ढोल, गंवार, शूद्र,

पशु, नारी; ये सब ताडन के अधिकारी । ढोल, गंवार, शूद्र, पशु और स्त्री, इनको प्रताडना करने से ही सुधरते हैं । अतः जहां तक राज्य प्रबंध से बाल--विवाह तथा कन्या-विक्रय का प्रबन्ध करके नहीं रोका जायेगा तब तक सुधार होना दुष्कर है । हमारे प्रजाप्रिय मा. महाराज बडौदा नरेश ने गुजरात में बाल लग्न प्रतिबंधक कानून जारी करके प्रजा का उचित उपकार किया है । इसी तरह अन्य राजा-महाराजा भी अपने राज्य में ऐसे कानून जारी करें, तो प्रजावर्ग अत्यंत सुख पावें – ऐसी आशा है ।

विनीत

शंकरराव व्यास-कसरावाद

एक बालक की विचार श्रेणी

आज के दिन की यह घडी बहुत ही आन्द की है कि जो आप सरीखे जातिवन्धुओं के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । सुन्देल के सब ग्राम वासियों को विशेष करके हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने कृपा करके कुलमी भाईयों का दूसरा संमेलन करवाया । इसके बाद सभापति महाशय को प्रणाम करता हूं कि जिन्होंने इस, तुच्छ बुद्धिवाले को सभा में दो वचन कहने की अनुमति दी ।

भाईयों ! ऐसा कौन है जो सुख न चाहता हो ! परंतु खेद की बात है कि सुख सब कोई चाहते हुए जिन कारणों से सुख व आनंद की बहारें कुलमी जाति के बाहर ही हो गई है, उन कारणों को मिटाने की कोशिश कोई नहीं करता । अब यहां पर यह बात जानना जरुरी है कि वे कौन से कारण हैं, जिनसे सुख के द्वार सदैव के लिये बंद से हो रहे है । वे कारण (१) बचपन में लडकों की शादी कर देना, (२) करावे में लडकियों का पैसा लेना, (३) विद्या न पढाना, (४) मावदियों में हजारों रुपया खर्च करना तथा (५) सुखडी खाना..... यानि जिस रोज मृत्यु हो, उसी दिन मीठा भोजन करना ।

भाईयों ! आप किसी भी बगीचे में जाइए, तो प्रत्येक व्यक्ति खिले हुए फूलों को तोडेगा, लेकिन बिना खिले फूलों को 'कलियां ये इनमें सुगंध नहीं हैं' ऐसा कहकर छोड देगा । आप तो मनुष्य की गिनती में हैं, परंतु भौरे को देखिए, कि वह भी कलियों को छोडकर ले हुए कमल किंवा गुलाब के फूल पर बैठेगा । आप से मैं यह पूछता हूं कि आप लोग खेतों में जो अनाज बोते हो उसमें मक्का, ज्वार, गेहूं, तुअर आदि की फसलों को दाना पडते ही क्यों नही काट लेते ? क्योंकि बहुत दिन तक रहने से रखवाला रखना पडता है । दूसरे, चिडियां-ढोर आदि नुकसान कर जाते

है ।..... इतना नुकसान तो बच जाय । इसका जवाब आप यही देंगे कि दाना पड गया है, पर कच्चा है । कच्चा दाना किस काम का ?

इसी प्रकार मेरे पगडी वाले मुकातियों ! बचपन में शादी कर देना मानों कच्ची फसल को काटना है । इसमें तो (१) एक लडके को तीन-तीन चार-चार स्त्रियां और लडकियों के तीन-तीन चार-चार पति हो जाते हैं । (२) गर्मियां, परमा आदि की बिमारियां हो जाती है । (३) शक्ति का नाश हो जाता है, इससे स्त्रियों का व्यभिचार बढता है । (४) पच्चीस ही वर्ष की उम्र में युवक बुड्ढे जैसे दिखने लगते हैं । ऐसे अनेकानेक नुकसान हैं । देखो, जिस मांस और हड्डी के आप बने हों उसी के भीमसेन, अर्जुन, रावण आदि बने हुए थे । उनकी ताकत और तुम्हारी ताकत में इतना फर्क क्यों ? वे एक बाण में गंगा निकालते थे, अब तुम एक हजार बाण में निकाल दो तो तुम्हें भी वीर समझें । ये सब बचपन में ही शादी करने के दुष्परिणाम हैं ।

अब में असली दृश्य कविता के रूप में दर्शाता हूं -

निमाड के उन मुकातियों का करता हूं बयान,
जो कुरीतियों से जाति को कर रहे हैं वीरान !

नाना डुलारम सोवे, नानी पालने में रोवें
लाडा-लाडी की लगन कराई, मुकाती की करी विदाई ।
दुःख की उढाई चादर उन्हें, पतियों की आस बुझाई ।

पुत्र ने मां का छोडा नहीं अभी पयपान,
पौत्र-दर्शन की हमें इच्छा हुई बलवान ।
कम उम्र मे लिख रूक्का कर दिया बस लग्न,
अहा ! मातपिता हुए हैं आनन्द में मग्न ;
कर बाल-विवाह की रचना ।

पुनि भोगों में इतना, बल बुद्धि का हुआ बिगडना,
हो गया सत्य सुख का सपना !
बचपन में ब्याहते से अबहुं तो बाज आओ ।
बच्चों की करके शादी, करते हो क्यों बरबादी,
बुद्धि-बल और शान-शौकत मिट्टी में मत मिलाओ ।

भाईयों ! मुल्क भारत इसीसे हुआ है गारत ।
अब छोडो ये जिलाहत, दुनिया को क्यो हंसाओगे !

माहिर थी सारी खलकत, कहती थी जिसको जन्नत,
उस हिन्द को अब भाईयों, दोजख न तुम बनाओ ।

इस ब्याह बालपन से, आजिज है लाखों तन से,
दिन रोज रो रहे हैं, इनको तो अब बचाओ ।

पथरी, प्रमेह, गढिया, घर घर बिछाई खटिया ।
सुस्ती और रोगीपन से, दामन तो अब छुडाओ ।

हाय ! मेधाशक्ति अब देती नहीं है साथ,
माखीयां कैसे उडें, उठते नहीं हैं हाथ ।

प्राण से प्यारे सुतों का भूलकर परिणाम,
कर रहे हैं माता–पिता ही शत्रुओं का काम ।

दिन एक हो कि बधाई, लडके की मृत्यु सुनाई ।
सुखडी वालों की बन आई, अब मुर्दे पर दया न आई !

मुर्दे की क्रिया कर आए, घर दुख में समाए ।
मृतक घर मसान समें हैं ।

सुखडी वालों की कुछ कम है, घर क्यों खडे हैं ?
तीरथ भोजन को अडे हैं ।

मृतक घर तीरथ धर्म कहीं मृतक भोजन (तीर्थ)धर्म नहीं,
मांस से कुछ कम नहीं ।

कलपाकर मत कलपाओ, सुखडी को मांस समझाओ ।
अब अधिक न हाय सलाओ, निज कृत्यों पर शरमाओ !
बस प्रण से हट जाओ, कुरीतियों को जल्द मिटाओ ।
हां ! सचमुच बडे कडे हो, हां ! हठ पर अभी अडे हो ।
इस जाति से बहुत लडे हो, अवनति के लिये खडे हो ।

यो बीज पतन का तुमने, की नष्ट जाति तुमने ।
सद्धर्म की याद भुला दी, पापों में लता लगा दी ।
विद्या से विमुख किया है, दिल ऐसा कडा किया है ।

आफत में हमें ठेला है, मूर्खता का मंत्र दिया है ।
दुख कौन जो नहीं सहे हैं, जल से नित नेत्र बहे हैं ।
हो ऐसे दिन गये हैं, कुछ काम के नहीं रहे हैं ।

अब अधिक न हाय सलाओ, कुरीतियों को जल्द मिटाओ ।
यही देवचन्द का कहना ।

मुकातियों भूल मत जाना ।
श्री सभापति साहब कहना,
प्रिय मुकातियों भूल मत जाना ।

देवचन्द हीरालाल रूंसात, कडवा पाटीदार, कुवां

८. पाटीदार समाज की मासिक–पत्रिकाओं का समाज–जागृति में योगदान

- समाचार पत्रिकाओं का महत्व
- निमाड के संबंध में 'कडवा विजय' में छपे समाचार
- इन्दौर में बाल–विवाह प्रतिबंधक कानून
- निमाड–मालवा के पाटीदारों के लग्न
- अन्य सामयिक समाचार

समाचार पत्रिकाओं का महत्व

पाटीदार समाजकी मासिक–पत्रिकाओं का समाज–जागृति में योगदान

आधुनिक जीवन में तो रेडियो, टी.वी. जैसे द्रुतगामी विचार– विनीमय, संवाद–वाहन, शिक्षा एवं लोकमत जागृति के महत्वपूर्ण साधन बन गए हैं । परंतु पहले समाचार–पत्र, मासिक पत्र–पत्रिकाएं ही इस क्षेत्र में मुख्य भाग अदा करती थी । इस दृष्टि सें छपाई कार्य ओर पत्रकारिता के क्षेत्र में पाटीदारों का भी अमूल्य सहयोग रहा है । छपाई–कार्य में बाजीभाई अमीचंद पटेल का नाम विशेष उल्लेखनीय है । वे अहमदाबाद के निवासी थे और उनको 'छापगर' नाम से अधिकांश लोग जानते थे ।

हमारी जातीय मासिक पत्रिकाओं में कृषि–प्रचार और सुधार, शिक्षा का प्रचार, स्त्री–शिक्षा का प्रचार पर बल दिया गया था तो दूसरी ओर बाल–विवाह, प्रेत–भोज (मृत्यु–भोज) कन्या–विक्रय और दहेज आदि का विरोध किया गया था । इन मासिकों ने जन–जागृति के साथ–साथ देश की स्वतंत्रता की लडाई में भी अच्छा योग दान दिया था ।

जब देशमें राष्ट्रीय आंदोलन शुरु हुआ तब इन सामयिक मासिकोनें उन मुख्य समस्याओं को लेकर खूब प्रचार किया । रास–खेडा, बोरसद, अडास, माणसा, बारडोली जैसे सत्याग्रहों में पाटीदार किसान खूब आगे आए और कई नर–नारी जेल गए ।

पाटीदार छात्रालयों (आश्रम) के छात्र और शिक्षक–गण भी मैदान में आ गए थे । राष्ट्रीय नेताओं की एवं राष्ट्रीय–प्रवृत्ति की छोटी से छोटी हकीकत बेधडक इन पत्र–पत्रिकाओं में दी जाती थी । फिर वह चाहे लोकमान्य तिलक का अंग्रेजों के विरुद्ध तर्क–चातुर्य हो या वीर सावरकर का दुस्साहस हो ; गांधीजीका जेल जाना हो

या सरदार पटेल की फौलादी दृढता हो – इन मासिकों ने कभी संकुचित दायरे का अवलम्बन नहीं लिया था । अपनी जाति के साथ–साथ दूसरी जातियों के कुरिवाजों का भी उन्होंने स्थान–स्थान पर जिक्र किया था ।

दिनांक २१–८–८८ को श्री उमिया माताजी संस्थान के सहयोग से जाति–मासिकों के संपादकों एवं सह संपादकों की एक परिषद् का आयोजन किया गया था । ऊंझामें हुई इस परिषद् में डॉ. मंगुभाई पटेल ने पाटीदार समाज के मासिकों (१८८३–१९८०) पर विद्धतापूर्ण लेख पेश किया था । इन मासिकों की संख्या ५० से भीं अधिक है । जिसमें मध्यप्रदेश के 'पाटीदार–लोक' 'पाटीदार जागृति' और चुनार (यु.पी.) से दीपनारायणसिंह का पत्र 'कुर्मी हितैषी'का उल्लेख भी था । मध्यप्रदेश के हिन्दी मासिकों में गुजरातके बारे में काफी जानकारी दी गई है ।

इन मासिकों में भारतभर में जो कुर्मियों की प्रवृत्तियों, उनका संगठन तथा कुर्मी सभाओं का वर्णन देते थे, उनमें मुख्य निम्न थे –

विजय (१९०२) संपादक श्री मणीभाई पटेल
कडवा विजय (१९०७) संपादक श्री पुरुषोत्तम परीख
पाटीदार उदय (१९२४ करांची) संपादक श्री रतनजी पटेल
चेतन (१९२५) संपादक श्री बबाभाई पटेल
पटेल (१९३७) संपादक श्री मगनभाई पटेल
पटेल बंधु (१९०६) संपादक श्री कुंवरजी वी. महेता
पाटीदार (१९४० आणंद) संपादक श्री नरसिंहभाई पटेल

ये हमारे जाने माने मासिक थे । अफ्रिका ओर लंडन में भी पाटीदारों ने अपने संगठन खडे किये थे और निजि मासिक निकालते थे ।

गांधीजी की अफ्रिका की लडाई में पाटीदारों ने तन मन धन से सहयोग दिया था । समाज–उत्थान के लिये दान एकत्रित करने के लिये श्री कुंवरजी और कल्याणजी महेता तथा जेठालाल स्वामीनारायण ने आफ्रिका और रंगून का प्रवास किया था । सुभाषचंद्र बोस और आजाद हिन्द फौज को भी पाटीदारों ने खूब सहयोग दिया था । गांधीआश्रम (अहमदाबाद)में ५० हजार का दान सोमचंद रघुनाथजी पटेल ने दिया था ।

उपर्युक्त मासिकों में काफी महत्वपूर्ण लेख हिन्दी में प्रकाशित होते थे । जैसे कि 'कूर्मी क्षत्रिय महासभा' समस्त भारतवर्षीय कूर्मी क्षत्रिय नवमी, दशमी और ग्यारहवी परिषद, 'कणबी क्षत्रिय महासभा'. विचार उद्देश्य और सफलता, व्यसन मुक्ति तम्बाइ–ब्रह्मचर्य, पंच–प्रपंच, मेल से कार्य करने में सफलता, स्त्रियों की महत्ता, निमाडी पाटीदारों में धर्म का अभाव, निमाडी–मालवी पाटीदारों में लग्न, स्त्री–अवनति के कारण और मृत्युनोंध आदि के बारे में जानकारी दी जाती थी ।

हमारे जाने माने आख्यानकार और सुधारक श्री अमरसिंह देसाई मध्यप्रदेश के भी लोकप्रिय थे । उनके आख्यान 'माधा के पिता का प्रेत' और बाल विवाह हिन्दी में अनुदित हुए थे । नायक लोगों की भवाई में 'फंड झूलण' का खेल हिन्दी में छपा था हम यहां विस्तार भय के कारण सिर्फ महत्व के समाचारों की ही झलक दे रहे हैं –

निमाड के सम्बंध में 'कडवा विजय' में छपे समाचार

निमाडना पाटीदार अने धर्मनो अभाव

जुवो ! अंग्रेजो पोताना धर्मनो केवा अभिमानी छे. दर अठवाडीआमां एक दिवस, एटले दर रविवारे तेओए ईश्वरने भक्ति करवाने निमेलो छे. ते दिवसने तेओ धर्मना दिवस तरीके माने छे; ते दिवस नाना बालकथी ते वृद्ध माणस पर्यंत, कंगालथी ते धनाढ्य पर्यंत सर्व जातना स्त्री पुरुषो तेओना देवलमां एकत्र थई ईश्वर स्तुति करे छे, ईश्वरना गुण गाय छे, ईश्वरमां तेओ पोतानु चित्त चोटाडे छे, तेओना बाळकोने पण शाळामां पहेलाथी धर्मनो उपदेश करवामां आवे छे, वळी निशाळमां पाठ आरंभ करवानी पूर्वे ते बालकोनो शिक्षक प्रथम ईश्वर स्तुति गवरावे छे. एवी रीते न्हानपणथी ज तेओना कोमल अंतःकरण भूमि पर धर्मनुं बीज रोपवामां आवे छे, तेथी तेओना मनुष्यपणामां धर्मना रोपो नव पल्लव फल दायक वृक्ष थाय तेमां नवाई शुं ? पछी एओ धर्मासक्त अने धर्माभिमानी कहेवाय तेमां कोई पण नवाई जेवुं नथी.

हवे आपणा पाटीदार बन्धुओनी धर्म संबंधी अवस्था तरफ दृष्टि करो, बाळकोने धर्मनो उपदेश देवो तो एक कोरे रह्यो, परंतु उम्मरे पहोंचेला पुरुषोमांथी पण पोताना धर्ममां आसक्ति राखनाराओ जवल्लेज जोवामां आवशे. आपणामांना केटला लोको ईश्वरनी स्तुति करवानु साधन करता हशे ? हज्जारमां एक पण कष्टथी निकळशे. अने तेओ धर्म जाणी कर्म करता हशे तो तेओमांना केटलाक तेनो अर्थ बीलकुल समजता नहीं होय, पोपटनी पेठे पढी जाय एटले थयुं ते स्तुति, प्रार्थना, कथामां लखेलुं शुं छे, ते जाण्या विना तेओने यथार्थ आनंद मळेज कयांथी ? ने अर्थविना अज्ञानतिमिर टळवुं महा कठिन छे. हालमां आपणा धर्मनी आवी स्थिति जोवामां आवे छे. आपणा धर्म थी जो के आपणे तो विमुख छीए तो पण युरोपना विद्वान लोकों आपणा शास्त्रो, आपणा धर्मना ग्रंथो तथा आपणा अनादि स्वच्छ धर्मनो शोध करवामां चोमेर गुंथाया जोवामां आवे छे. आपणा पूर्ण पुरुषोए आपणे माटे धर्मना साधनोनो अखूट भंडार संचित करी राख्यो छे, जेने माटे आपणुं भारत वर्ष आखा विश्वमां अभीमानी गणाय छे. ए अखूट भंडारनुं शोधन करी जगत विख्यात प्रोफेसर, मेक्षमु जेवा विद्धानो, आखा विश्वने पोकारीने कहे छे के, "भारत वर्ष पोताना अनादि धर्मने माटे सर्वोत्कृष्ट छे"

जे वखते अन्य देशना लोको आवी रीतथी आपणा धर्मनी खुल्ले मोढे प्रशंसा करे छे अने आपणा देशना वासी बीजी न्यातना लोको आपणा धर्म उपर दृढ थाय छे त्यारे आपणे धर्मना माटे बेदरकार रहिये ए शुं शरम भरेलुं नथी ? वळी एक ठेकाणे ते देशनो एक बीजो विद्वान आवी रीते लखे छे के, "असलना हिन्दु ईश्वर संबंधी ज्ञान तत्वमां सर्व शिरोमणी हता अने ज्यां सुधी हिंदुस्थानना असली धर्म पुस्तकोनो तरजुमो आपणी अंग्रेजी भाषामां नहीं थाय त्यां सुधी आपणु (अंग्रेजोनुं) विज्ञान शास्त्र अपूर्ण रहेशे." शरम छे, पाटीदार बन्धुओने के, छती आंखे आंधला थवुं, छती दौलते कंगाल थई फरवुं, छता बळे दुर्बळ थवुं, छता उपाये निरुपाय थवुं, अने छता अन्ने भूखे मरवुं, आ बधानुं कारण आपणे आपणा धर्मथी विमुख अथवा अज्ञान छीए ते छे के कांई अन्य ? ते वांचनार विचार शो, अविद्वान–पुरुषो धर्मने बहाने आपणने केवी रीते ठगे छे, खोटा लोको जुठु बोली आपणने केवी रीते छेतरे छे ? विवाह अने कर्ममां तेओ घणीए वार आपणी आंखोमां घूळ छांटी जाय छे. तेओ जरुर पडता श्लोको अस्पष्ट केवल मोढे बोली जाणे छे, पोते तो अभण रह्या, तेथी तेवोनी चुक पण केवी रीते काढी शके ?

मारा पाटीदार बन्धुओ ! उठो, तमे उठो, आळस रुपी निंद्रामांथी जाग्रत थाओ; धर्मने माटे केटला वखत सुधी फांफा मार्या करशो ? धर्मनो फेलाव करवाने अने तेनुं मूळ स्थापन करवाने हिम्मत रुपी शस्त्र सजी तैयार थाओ. बीजा देशोना लोको तमोने वगोवे छे तेओ तेम करता बंध रहे एवा उपायनी योजना करो. व्यासादि महात्माओनो परिश्रम सफळ करवानो प्रयत्न करो. पण प्रयत्न करो. ए कहेवुं कोने लागु पडे छे ? धर्म उत्तेलन करवानो कोनो धर्म छे ? आ सवालोना जवाबमां खरेखर एवुं आवशे के, "धनवान पुरुषोनो", धन विना आजना वखतमां कांई बनी शकतुं नथी. धर्मनी उन्नति करवाने दाम (पैसो)ने हाम होय ए बे पदार्थनी अवश्य जरुर छे. हाम ने दाम न होय तो कांई पण थतु नथी. तेमज दाम होय ने हाम न होय तो पण तेवीज रीते थाय छे. माटे बेउ चीजोनो एकत्र संगम एकज पुरुषमां जोईए. पण हालमां हामनुं नामज दामवान पुरुषोमां नथी. हालमां आपणा धनवान पुरुषो पोताना धननो केवी रीते आप व्यय करे छे, अनुचित मार्गे पैसाने धुळधाणी करी नाखे छे. विवाह आदि अवसरोमां तेओ लाखो रूपियानी रकम, न्यातना जमणमां, वरघोडामां तथा निर्लज नारिओने नचाववामा फना करी नाखे छे. न्यात जमाडे छे तेमां न्यातिलाओ शुं तेओने जशनो गांसडो बंधावे छे ? जो सारी रीते पीरसवामां आव्युं होय तो सारु नहीं तो घेर जईने जमाडनारा अवगुण गावा मंडे छे. एकतो बिचारो जमाडे अने वळी पाछे अपजशनो धणी थाय ! एवी रीते मात्र एक दिवसमां बिना स्वार्थके अर्थनुं अनर्थ करी नाखे छे. वळी आपणा धनवान

पुरुषोने ममता पण कांई ओछी होती नथी. एक कोडीने वास्ते तेओ कोरटे चडे छे ! वकील बारीस्टरोना घर भरे छे. तेमां पण धननो दाट ओछो वळतो नथी ! काल कहेशे के "हुं शेठ छुं" बीजो कहेशे "तुं नहीं हुं शेठ छुं" तेमां पछी वांधो पडे एटले चालो कोरटमां धन पोताना घरमां न समाय एटले बिचारा शुं करे ? कोरटमां जई कोई जय मेळवी आवे नही; बेउजणा आखा गाममां निंदाय छे, आवी रीते आपणा धनवान पुरुषोनो पैसो धूळधाणीमां जाय छे. नथी धर्मोन्नतिना काममां जतुं, नथी संसारोन्नतिना काममां जतुं, नथी स्वदेशोन्नितिना काममां जतुं; केवुं दुःख जनक अने शरम भरेलु छे ? अरे धनवान पाटीदारो ! ईश्वरे तमोने धन आप्युं छे ते आवी रीते तेनुं गेर उपयोग करवा ? विचार करो, न्यातना शेठिया थवानी इच्छा राखनार धनवान पुरुषो, विचार करो. न्यातना शेठिया थशो एटले तमारा न्यातील्रओ तमोने शु खरानो शिरपाव आपशे ? सन्मार्गे जाय एवो तमारा धननो सदुपयोग करो तेथी तमारी किर्ती जगमां अमर रहे, तमारु नाम आखा विश्वमां नामांकित थाय, एवी रीते करो. एवी आ मारी दीन वाणीथी तमोने सूचना करुं छुं.

उपर अमें कही गया के धर्मने पुनःस्थापन करवानो धनवान पुरुषोनो धर्म छे अने हालमां धन विना कांईपण बनी शके तेम नथी. वळी अमे हिम्मत साथे कहीये छीये के ज्यां सुधी आपणा बाळकोने बाळपणथीज धर्मनो उपदेश देवामां नहीं आवे, बाळपणथीज तेओना कोमळ अंतःकरण उपर धर्मनुं बी वाववामां नहीं आवे त्यां सुधी आपणा धर्मनी उन्नति थवानी आशा राखवी फोकट छे. माटे खानगी निशाल्रे स्थापन करी धर्म पुस्तकोनुं धोरण रखाववानुं मुख्य कर्तव्य छे.

हालमां एवी खानगी निशाळोनी स्थापना कलकत्ता विगेरे शहेरोमां अने पश्चिमोत्तर प्रांतोमां पण कंई ठेकाणे "Angloveic" वेद शीखवा माटे स्कुल्रेनी स्थापना ते प्रांतोना आगेवान पुरुषोए करेल्री संभळाय छे. पण एवी स्कूल्रे ज्यां सुधी पाटीदार बन्धुओनी नजरमां नीची गणाएल्री रहेशे त्यां सुधी पाटीदार बन्धु धर्मथी विमुखज रहेशे.

"यतो धर्म स्ततो जय"

धर्म विना जय मळवो संभवित छे. माटे दरेक गाम, कसबा, तथा नगरमां वसता पाटीदार धनवानो पासे आस्वर्गीय फरज बजाववाने अमे अंतःकरणथी विनंती करीए छीए. मारा निमाडवासी कडवा पाटीदार बंधुओ तमे जरा कृषी धंधाथी उंची निघा करी जुओ अने बाळकोने शिक्षित करावो तमारा बाळकोने धर्म शिखववाने – धर्मनो उपदेश आपवाने, धर्मना मूल्यनी परीक्षा करावववाने, धर्मनो प्रसाद ग्रहण करावववाने तमारु तन मन अने धन सर्व उमंगथी खर्ची नाखो. सर्व एक संप थईने केळवणी खातानो भार माथे ल्यो, अने तमारा स्वधर्मनी उन्नति थशे, जेथीज तमारो धर्म विस्तार पामशे. तेथीज

तमारी किर्तीनो फेलावो आखा विश्वमां अचल रहेशे. आहा परम कृपालु परमेश्वर ? अमारा पाटीदार भाईओनी मति ठेकाणे आण, जेथी तेओने पोताना धर्मनी उन्नति करवानी प्रेरणा थाय, जेथी तेओने पोताना अनादि धर्मनुं अनुष्टान करे, जेथी तेओ पोताना धननो सदुपयोग करे, जेथी तेओ आखा जगतमां पोताना पूर्वजोनी पेठे सुख्याति पामे अने जेथीज अमारो अनादि शुद्ध धर्म उदय थाय.... तथास्तु.

कडवा विजय १९०९ पु. ३, अंक १

निमाड कडवा पाटीदारों का रिवाज

निमाड जिलेमें इस जाति के १५०० घर और ५० हजार की आबादी है । ये वैष्णव धर्म को मानते हैं और खेती करते हैं । ये लगभग अशिक्षित हैं । यहां १ % (प्रतिशत) शिक्षा हैं । कोई लडको को पढाते नहीं हैं । यह लोग सिर्फ कमाना और खाना हैं – ये दो ही काम जानते हैं । हर बार ग्यारह वर्ष के अंतर से ऊंजा से माताजी के नामसे भेजी गई लग्न-पत्रिका यहां आती है, तब विवाह होते हैं । यहां कुंवारी कन्या के रू. ३००-४०० और नातरे की कन्या के रू. १५०० तक लिये जाते हैं । कन्या-विक्रय होता हैं । ज्यादा दाम होने से गरीब लोगो में नातरे नहीं होते । इससे वे कुंवारे रह जाते और कुंवारे ही मर जाते हैं ।

स्त्री-जाति का पहनावा बहुत खराब है । बहु और बेटी सब कस्टा जैसे.. कपडे पहनते हैं । पुत्री का पैसा लेना (सारा पेटा) शास्त्र में भी यहां पाप माना जाता है । इनको हर साल लग्न करना चाहिये जिससे नातरे कम होंगे । अधिक लोग दो-तीन शादियां करते हैं और तीन-चार औरतें रखते हैं । इससे गरीब लोगों को कन्याएं नहीं मिलती । शास्त्र में पुत्री के लिये एक ही वर की आज्ञा है, लेकिन पुत्री का पिता लोभवश तीन-चार वर कराते हैं । कन्या को बार-बार नातरे भेज देता है । रू. १००० से १२०० तक बार बार लेता है । इस पाप के लिए इसको नरक में जाना पडेगा । छोटी उम्र के बच्चों की भी शादी की जाती है । पुत्री छोटी और लडका बडा यह भी जुल्म की बात है । हम सब भाईयों से निवेदन करते हैं कि हर साल पुत्री की उम्र ११ साल की हो, तब मुहूर्त निकाल कर विवाह करना चाहिये ।

कडवा विजय – १९०९

ANNUAL CONFERENCE OF ALL INDIA KURMI KSHATRIYA ASSOCIATION
(समस्त भारतीय कुरमी की सभा)

खबर दी जाती है कि समस्त हिन्द के समग्र कुलमी (कुरमी) क्षत्रिय एसोसीयेशन की वार्षिक बैठक सन् १९१०, दिस. की तारीख २५, २६ और २७ को.. प्रांत में पीलीभीत खाते लाला खूबचन्द ऑनरेरी मजिस्ट्रेट साहब की इनामत गंज मोहल्ला में स्थित हवेली में मिलेगी । इस अवसर पर समग्र हिन्द से सर्व कुनबी बंधु पधारने की कृपा करेंगे ऐसी

आशा रखी जाती है । मध्य हिन्दुस्तान में नागपुर के जाने माने बेरिस्टर– एट– लो मि. सी. विनायक ने सभा के प्रमुख स्थान पर बिराजने की अनुमति दी है, याने प्रमुख स्थान स्वीकार किया है । इसमें होने वाला कार्यक्रम यह रहेगा –

प्रथम दिन – प्रमुख का भाषण ।
"हिन्द के सहयोग में कुरमी क्षत्रिय प्रजा में एकता "

दूसरे दिन – **कुर्मियों को अपना क्षत्रियत्व (क्षात्र कुलादर्श) बनाए रखना, क्षत्रियत्व प्रस्थापित करना, धर्म और फर्ज के लिये तैयार रहना ।**

तीसरे दीन – **कुर्मी क्षत्रिय में प्राथमिक और व्यावहारिक शिक्षाका प्रचार और साधन ।**

हस्ताक्षर – *उमाचरण*
बी. ए. एल. एल. बी, वकील, पीली भीत
सेक्रेटरी – A. I. K. K. Association
कडवा विजय १९१०, 'पटेल बन्धु' – सूरत १९१०

निमाडी मालवीय कुलमीयों ध्यान दो

प्यारे भाईओ ! आपत् (आफत) कालमें जाति, अपरान्ह कालमें जाति, व्याह (विवाह) संबंधमें जाति, जन्म मरणमे जाति, अधिक कया गिनावे ! हर एक काम, बिना जातिके साथ बने, शोभायुक्त नहीं होता. कितने ही काम तो ऐसे हैं, जो बिना जातिके क्षणमात्र भी (पण) नहीं चल शकता ।

आप सब अपने जाति भाईओंको भूले हुए हो । आप केवल यहां जितने कुलमी बसते है (रहे छे) उन्हे भी (एमनेज) केवल अपनी समस्त ज्ञाति समजते हो, ओर जहां से आपकी उत्पत्ति जड (मुळ) उगी है, उस देशकों ओर उस जाति भाईयों को कुछ भी नहीं समझते । यहां तक की (एटले सुधी के) उनसे कुछ व्यवहार करने तक (सुधी) की तुम घृणा (बेपरवा) करते हो, यह अज्ञानता है । आज आप लोग (लोक) मालवे ओर निमाड में भली भांति से (सारी रीते) रहते हैं, परंतु आपका और आपके पूर्वजों का वह गुजरात उगम (उत्पत्ति) स्थान है । इतना सब कुछ होते हुए, जानते हुए भी (जाणवा छतां पण) आप गुजराती भाईयों को ओर गुजरात देश को भूले बैठे हो । यहां मालवेमें क्या होता है ? वैंहां गुजरातमें वो लोग क्या करते है ? आपकों उनकी ओर उनकों आपकी कुछ भी खबर नहीं है, वो बडे अफसोस की बात है ।

आज कल जमाना सुधारेका आ उपस्थित (उत्पन्न थयो न) हुआ है । हरेक जातियां सुधारे की पुकार मचा रही हैं, गुजरातमें कडवा जातिने कुछ कम (थोडी) उन्नति नहि की (करी) हैं । हजारों पाटीदार उंची शिक्षाएं पाकर (लईने) बडे बडे राजकार्यो पर विराजमान है । कितनेक व्यापार मे दत्तचित्त (घणा हुशीयार) हो फलीभूत

हो रहे हैं । कितनेक पश्चिमी रीतो पर खेती का सुधारा करने में उसकी आवश्यकता पूर्ण करने में सटे हुए है, उनका यही ख्याल है की मुख्य धंधा हमारे भाईयोंका अधिक में अधिक खेती का है । उसकी सुधारणा कैसी हो, थोडी भूमिमें अधिक माल (पाक) कैसे उपजे, थोडी मिहनत में (महेनतमां) बहोत लंबी जमीन में पियत (पीत) कैसी पुरी पड शके । फसल (मोसम) को अनायासे दैवी आपतियों से बचाने का क्या उपाय है । खेती से अधिक नजीकका संमंध ढोरो से है । वह किन किन उपायों से सुरक्षित, रोग हीन रह शकते है , आदि आदि अनेक उपयोगी विषयोंमें गुजराती पाटीदार बन्धु कटिबद्ध हो रहें है ।

सैकडों बन्धु–पाटीदार विद्यार्थियों के पढाने में सुविधा हो, इस लिए बोर्डींग स्थापन पर उनके खाने पीने का बन्दोबस्त कर रहे हैं । कितनेक भाई हरसाल देश देशसे अपने कडवा पाटीदार भाईयों को एकत्रित कर विशाल सभाएं कर रहे हैं उसमें ऐसे उपयोगी नियम (ठरावो) पास होते है कि जो पाटीदार मात्रको फायदेमंद (फायदाकारक) हो ।

श्री कडवा पाटीदार शुभेच्छक सभा, हरसाल गरीब कुलमीयों की, धनी कृपकोंकी (खेडूतोनी), छोटे बडे की, स्त्री पुरुषों की, समस्त जाति की भलाई सोचते हैं । जाति के छात्रावास (बोर्डींगो) बडी लागत लगाकर खोले हुए हैं । और इसमें भी अधिक उपकार यह कर रहे हैं कि जो लोग सभा में मेलावडेंके में शरीक (हाजर) नहीं हो सकते हैं, किसी कारणों से जातीबन्धु गुजरात के नियमीत स्थान पर सदा हाजीर होकर, जाती भाईओमें जात के उपकारमे, जाति की शुभ पंचायतोंमें भाग नहिं ले सकते, उनके लिए खास, सभा हर महिने "कडवा विजय"नामका मासिकपत्र प्रसिद्ध करती है । जिससे देश देश में, जिल्ले जिल्लेमें गांव गांव में और पाटीदारोंके घरघरमें सभा सोसाइटिओंके सुविचार घर बैठे, सुनने समझने और उनकी बातों से जानकार रहनेका हरएक जातीबन्धुओं को सुअवसर प्राप्त हो शकता है. उन शिक्षीत–अपने भाईयोकी शिक्षा अनुसार लोग भी अपने गांव के जात भाईयों को, कुटुंबिओंको ओर अपने संतानोकों अच्छे काममें प्रवृत्त होने की कोशीश कर सकते हैं ।

ऐसी अपनी जाती मात्रकों उपयोगी होनेवाली सभाओंमें कडवे भाई हजारों रुपे दान स्वरूप दे डालते हैं । जातिका हित और धनका सदुपयोग, देशमें अचल कीर्तिकों प्राप्त हो रहे हैं । गुजरात में साधारण लोग जिससे कि अधिक धन दिया जाना असंभव है, ऐसे महानुभाव जाती के प्रेमी गरीब किसान भी केवल एक एक रुपैया सालीना (दरसाल) सभामें दान देकर अपना नाम लिखा देते है, जिससे उन्हे घर बैठे सभा हर एक कामोमें निमंत्रित (आमंत्रण–बोलावे छे) करती है । सभामें जाने से समान दृष्टि

से जाति मंडप में मान देती है और कार्य वशात् न जाया जाय (न जई शकाय) तो सभाने क्या क्या काम किया वो उनके घर बैठे विवरण (विगतवार हकीकत) छपे कागजोंद्वारा पहुंचाया करती है । जिससे लाभ व दोकी चार आंखें होती हैं ।

निमाड मालवे में भी साधारण स्थिति के अच्छे कृषक (खेडूत) गृहस्थी है, पर केवल हडतोड तर्जकी किसानी (माफक) करना जानते है । नये सुधारोपर, जातीकी अश्लील परीपाटी पर (अधम दशापर), बालकोंकी विद्यावृद्धि पर कुछ विचार नहीं, निमाड छोड मालवे और मालवा छोड निमाडकी हदमें जाना पसंद नहि । दस पांच कोसकी (गाउथी)लडकी ब्याह (परणी) लाये या देदी, तो बडे कठीन दुर्ग (किल्ले) से पार पाये । निकम्मि (नकामी) पंचातियों में सालका चोथाई हिस्सा बिताना श्रेयस्कर, लाभ हानिका अपने व संतान के लिए विचार नहीं । किसी जाती कार्यकी सभा सोसायटीकी, कागजपत्रकी उपयोगी सलाहों की, परवाह नहीं करते हैं ।

भाईयों ! चाहे जैसे मखिचुस भाईकी गांठसे भी समयके हेरफेरसे निकम्मे कामोमें भी सेंकडों रुपे खर्च हो जाते है, तब जाति के, अपने कुटुंब के, अपनी संतान के हित को विचार कर केवल सवा रुपया खर्च करके केवल एक साल भरके लिए कडवा विजय मासिक पत्रके ग्राहक हो जाना कठिन क्यो ? इसमें आनाकानी कुछ मत किजीये । साल भरमें आप खुद इसकी उपयोगिता जानने लगेंगे । आज ही एक चिठ्ठी आप लिख भेजो, और अपने सगे संबंधी व जाति बन्धुओं से भी लिखवाईए । भाईओ ! दूसरे फिजुल (नकामा) कामोंकी तरह इसे भूलो मत 'ध्यान दों' चिठ्ठी या मनीओर्डर इस पते पर भेजना ।

पुरुषोत्तम लल्लुभाई तंत्री "**कडवा विजय**" विरमगाम (गुजरात)
आपका शुभाकांक्षी
रामचंद्र
(कडवा विजय १९१५)

बाल–लग्नकी ज्वाला

सैकडों जगह इस हत्यारे बाल–लग्न के रिवाज ने पायमाली (लंगडा बना दिया) की है और करता जा रहा है । तो भी टूटे हुए दिल के हम नादान पाटीदार इस रिवाज को अपनाए हुए हैं तथा और भी तन–मन–धन से पायमाल होते जा रहे हैं । ता. ५–१–१९१६ की रात्री को निमाड जिला के कसरावद गांव में एक ह्रदय विदारक रोमांचक घटना घटी । एक बाल विवाहित १४ वर्ष की कन्या पति के घर गई । वहां पति उद्धत होकर उसे पीटता और उसकी नाक काटने की धमकी देता । इस डर से कन्या अपने माता पिता के घर पुनः लौट आई । बापने बेटी को जमाई कुछ दुःख न दे इसके लिये पंचों से बार बार विनती की । जमाई उद्धत होने से कोई उसके विरोध में जमानत देने को तैयार नहीं हुआ ।

ता. ५-१-१६ को पिता के खेत से कन्या आ रही थी तब उसका पति मार्ग में से ही उसे जबरदस्ती अपने घर ले गया और घरमें लाकर बंद कर दिया। रात को उसके नाक और कान मूल में से ही काट दिये। बाद में पति को पुलीसने गिरफ्तार कर लिया।...... आगे क्या हुआ इसका पता नहीं लगा।

कडवा विजय १९१६, पृ. २०, अंक १-२

दिलसोज मरणो (दुखद असामयिक मृत्यु)

कुवां गामना इतिहास प्रसिद्ध पटेल अमराजी मुकातीना ३८ वर्षना युवान पुत्र हीरालालजीना स्वर्गवासनी दिलगीरी साथे अमे नोंध लईए छीए। पोते धनवान होवा छतां व्यवहार कुशल, परोपकारी ने मिलनसार तथा सादा हता। तेमना द्वारा ज्ञातिमां शीघ्र सुधारा थवानी अमारी आशा निराशामां बदलाई गई छे। तेओ पोतानी पाछळ वृद्ध माता अने संतान रहीत बे स्त्रीओने तजी स्वर्गवास थया छे। दयानीधान प्रभु ! ते स्वर्गस्थ बंधुना आत्माने शांति आपो अने तेमना कुटुंबी अने मित्रवर्गने तेमना अकालीन् स्वर्गवासथी आवी पडेल आफत सहन करवा ज्ञान बल आपो.

बाल समुद गामना नवयुवान बंधु विश्रामजी १६ वर्षनी आशाभरी उंमरमां पोतानां माता तथा नवोढा स्त्रीने तजी स्वर्गवासी थया छे. तेमना आवा अकाल मृत्युथी अमे घणा दिलगीर छीए। तेमना आत्माने प्रभु शांति आपो अने तेमना माता तथा युवान विधवाने दुःख सहन करवा पूरी रीते ज्ञान आपे तेवी प्रभुने अमारी नम्र प्रार्थना छे।

(कडवा विजय १९१६)

निमाडमां नातरानां लग्न वखते कन्या विक्रय सखत चाले छे. देवशयनी एकादशी पहेलां उतावलथी विधवानां मातपिता समंध करी दाम लेवा दोडादोडी करे छे. बिचारा परणनार आवा प्रसंगे घणाज अशांत बने छे. केमके केटलाक तो देवुं करी नातरा लग्न करे छे ने पाछळथी दागीना वगेरेमां पण खर्च थाय छे (बे हजार सुधाना घराणानी पण कबुलत थाय छे) कन्या विक्रयथी देखीतो महा जुलम ने कन्याओनुं जाहेर वेचाण जेवुं थाय छे. प्रभु ! मालवीय पाटीदारोने सुबुद्धि आपो ने तेमना अज्ञान कापो ए अम रंक कणबीनी प्रार्थना छे.

(कडवा विजय १९१६)

उक्त समाचारका हिन्दी अनुवाद

निमाड में नातरा के लग्न पर कन्याविक्रय का चलन अधिक था। देवशयनी एकादशी के पूर्व शीघ्रता से बेवा के माता-पिता सगाई करके रुपये ऐंठने के लिये स्पर्धा करते हैं। बेचारे शादीवाले ऐसे अवसरों पर बहुत परेशान होते हैं। क्योंकि कुछ लोग तो कर्ज करके करावा (नातरा) शादी करते हैं और बाद में गहने आदि में

भी खर्चा होता है (दो हजार एक के गहनों की कबूलात होती है) कन्याविक्रय स्पष्ट रूप से एक बडा जुल्म है तथा कन्याओं की यह आम नीलामी जैसी बात हो गई है। प्रभु ! मालवीय पाटीदारों को सदबुद्धि दें तथा उनके अज्ञान को दूर करे ऐसी हम गरीब कणबिओं की प्रार्थना है।

कडवा विजय – १९१६

तंत्री श्रीयुत् पुरुषोत्तम लल्लुभाई की मृत्यु पर शोक
कडवा विजय विरमगांव (गुजरात) की

गज़ल

पुरुषार्थि बन्धु पुरुषोत्तम, जी जला गये है।
गुजरात कडवा समाज सूनी, करके रुला गये हैं ॥१॥

हा ! फट रहा कलेजा, धीरज को कैसे धारे ॥
दुःख दर्द के गढे में, हमको गिरा गये हैं ॥२॥

सोई पडी थी जाति, गफलत की नींद में सब ॥
उसको जगा के बन्धु, कहां को चले गये हैं ॥३॥

गुजरात में था बोया, जात्योन्नति का तरुवर ॥
मालव निमाड में फल, उसका चखा गये हैं ॥४॥

सामर्थ्य थी ये किसकी, हलचल मचावे इतनी ॥
कडवा सभा बना के, अमृत पिला गये हैं ॥५॥

इच्छा जो आपको थी, कीने न दी प्रभु ने ॥
अध बीच डाल नैया, गोते खिला गये हैं ॥६॥

निज स्वार्थ छोड करके, तन मन से कीन्ही सेवा ॥
हमको आभारी करके, ऋणी बन गये हैं ॥७॥

उपकार इनके शंकर, हम कैसे भूल जावें ॥
जो जाति के लिये निज, तन मन जला गये हैं ॥८॥

रामचन्द व्यास कडवा सभा संचालक, कसरावद

(कडवा विजय – स्व. पुरषोत्तम परीख विशेषांक १९१८, पृ. ११, अंक १,२,३)

निमाडी मालविय भाईयों को आमंत्रण

समस्त जाति की महासभा मुंबई– डिसेम्बर ता. २८–२९–३०

हमारे निमाड मालवे के कडवा कुलमी पाटीदार बंधुओंको विज्ञप्ति कि अपने और कच्छ भाईयों की आने जाने की दुरस्ती के लिए अपनी समस्त क. पा. जाति की महासभा श्री कडवा पाटीदार शु. समाज का आठवा महोत्सव मुंबई मुकर्रर किया है । समय बहोत थोडा है, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्षकी १०–११–१२ शनी, रवि, सोम के तीन दिन बेठक रहेगी, इसलिए आपकी आनेकी खबर जल्दी भेजें । आपका पधारना बहोत जरूरी और आनंददायक बनेगा । जातिहित वोही अपना हित, शक्ति और ऐक्य है । आपस आपस के विचारों की आप ले करने से अपना हित और उन्नति के कारण जो कुछ जरूरी है समझ में आता हैं अपने विद्वान और धनवान भाईयों अपनी स्थिति समझ के योग्य मार्ग में प्रवृत्ति कर सकते हैं । सृष्टि की सर्व प्रजा का प्रारब्ध आजकल बहोतसा वेगसे नये बनाये जाते है । इस काल में वैसा कोन है जो अपना हित का विचार न कर सकें ? यह बात बहोत मननीय और विचारयुक्त है आप सोच लेवें ।

मुंबई को अपना आना जाना बहोत सफल होवेंगा । अपने मार्ग में नाशिकजी और त्रिंबकेश्वर–गोदावरीजी की बडी यात्रा है और कहते हैं कि मुंबई जैसी नगरी नहीं देखी इनका जन्म अफल है । यह बात भी सफल होगी अवल तरह की हरेक कारीगरी, नमूने, प्रसिद्ध जगाएं, दरीआ, जहाज ओर कारखाने देखने का लाभ जाति सेवा के साथ साथ मिल जायेगा । जाति सेवा इसलिये कही जाती है कि मुंबई की इस महासभा में समस्त जाति के बंधु पधारेंगें, अपने विस्तारों के मानते शाखा परशाखा खोली जायगी, कार्यवाही और वाहक मुकर्रर किये जायेंगे । देशी और विदेशी सरकारें के पास अपनी जरूरियात पेश करके समस्त जाति का हित करने को शिश जोर शोर से की जायगी । आशा है कि जो जातियां अपने पीछे चलनेवाली अपना पकाया खानेवाली है उनसे भी नीचे दरज्जे के हो जाने सरीखा यह जमाना है । वो समय के सब भाईओं अपनी स्थिति के सुधार के लिए पधारेंगे और अपनी उन्नति का प्रबंध करने में अपना ज्ञान शक्ति का दान जाति के कारण अवश्य ही करेंगे ।

सभा में आने जाने की और सब प्रकारकी खबर निम्न लिखीत पता से मिल जायेगी । अगाऊसे सूचना न कर सकें और बुंबई को सिधे आनेवाले भाईयों अपनी सुंदेल सभाकी बैठकके सभापतिजीके निम्न लिखित स्थान पर आवें ।

सूचना – बहोतसी मोंघवारी और भारी खर्चा होने पर भी सिरस्ते मुजब सरभरा– मेम्बर फी के रू. ३ बिछाना और जलपात्र साथ रखे.

भाई रामचंद्र लक्ष्मण व्यास	देसाई चंदुलालजी मळीलालजी
कडवा सभा संचालक	हीरामाणेक बील्डींग चौथा दादर
कसरावद (पो. मंडलेसर)	दादीशेठ अगीआरी लेन – गीरगाम रोड–बुंबई.

(पाटीदार – १९१८)

स्त्री अवनतिका एक कारण

प्यारी बहेनो ! भारत की प्राचीन सभ्यता किसी से छूपी नहीं है । इस देश के गंवार से गंवार स्त्री पुरुष रामलीला कृष्णलीलादि देख देख और सुन सुन कर पूर्वजोंके यश का गर्व रखते हैं । इसी पवित्र भूमिमें सीता जैसी पतिव्रता, सुमित्रा जैसी धर्मात्मा देवी उत्पन्न हो गई है, परंतु वर्तमान दशा के देखने से शोक होता है और हम लज्जा के गहरे समुद्र मे डूब जाते हैं ।

प्यारी माताओ ! वर्तमान समय में हमारी स्त्री जाति की बहुत बडी दूर्दशा हो चूकी है, इसका सबसे पहला कारण तो अविद्या है । भोजन खाने, वस्त्र पहिनने आदि के सिवा और कुछ नहीं जानती; हम अपने कर्तव्यो को बिलकुल भूली हुई हैं, हम कभी भी अपनी दीन दशा पर विचार नहीं करती और यही कारण है कि पुरुष जाति हमारे उपर मनमाने अत्याचार कर रही है, हमारे सब अधिकार छीन लिये और हमको पैर की जुती के तुल्य समझने लगी । पशु पक्षियों का हमसे कहीं अधिक सत्कार किया जाता है, तोते के पिंजरे से उड जाने पर कहीं अधिक शोक किया जाता है, परंतु हमारे मरने पर यह वाक्य कह जाते हैं कि ये स्त्री मर गई तो क्या "जीएगें नर तो बांधेंगे घर" यह तो पीछेकी बात है, पर कितनी ही जगह रोगग्रस्त स्त्रियो को यह वाक्य सुनकर परम धाम जाना पडता है कि "मरती भी नहीं, पाप कूटे, हम तो दूसरी ले आवेगें." ।

बहिनो ! पालतु कुत्ते,बिल्ली और गाय भैंस के बराबर भी हमारा आदर नहीं । अन्य जातियों को तो रहने दीजिये, परंतु अपनी ही कडवी जाति को ले लीजिये कि हमारी किंमत हजार या दो हजार रुपये एक घोडी के बरोबर कूत ली गई है, तब हमारे लिए कौन रौवे ? हम भी उन भैंस, बकरी, घोडी या कुत्तियों के समान अपने रंगरुप के मान से कम या अधिक किंमत में बेची जाती है – तब हमारा आदर कहां ? यदि हमारे समान एक भी पुरुष का इतना निरादर होता, तो हमे कोई अधिक बुरा नहीं लगता. केवल हमारे ही लिये इतना निरादर सहन नहीं होता, परंतु करें तो क्या । यदि हमे भी पुरुषो के समान अपने कर्तव्य पालन करने में स्वतंत्रता होती तो हम अपने कष्टो को तथा होते हुए अत्याचारों को स्वयं निवारण कर सकती । विचारनेका स्थान है कि मनु भगवान स्त्री जाति के वास्ते क्या कहते है. कि 'यत्र नार्यास्तु पूज्यंते रमन्ते तत्र देवताः' अर्थात् जहां पर स्त्रियो का आदर नहीं होता वहां सारे कार्य निष्फल जाते हैं, जिस स्त्री जाति के लिये ऋषी महामुनियों की यह सम्मति है, उसीकी आज यह दुर्दशा हो रही है । जिस प्रकार कोई पहाडी की चोटीपर सर्वदा घर बनाकर रहता हो, यदि उसके सर्व अस्त्र–शस्त्र छीनकर उसको एक कुएंमें डाल दिया जाय तो उसकी क्या दशा होगी ? ठीक उसी के तुल्य स्त्री जाति की दशा हो रही है, इस कारण प्रार्थना

है, कि आप इस सुविधा और अन्याय रुपी कुएंसे निकलने का प्रयत्न करें, क्योंकि जब कोई इस प्रकार गहरे कुएंमें गिर जाता है, तब उस मनुष्य को अन्य मनुष्य रस्सियों द्वारा उसके बाहर निकालने का प्रयत्न करते हैं, परंतु स्मरण रखने योग्य बात है, कि जब तक कुएंमें गिरा हुआ मनुष्य स्वयं यह इच्छा न करें कि मुझे बाहर निकलना है. तब तक निकालनेवालों का सारा प्रयत्न निष्फल है । इसी भांति जब तक स्त्री जाति स्वयं अपने आपको इस अविद्या रुपी कुएंसे निकलने और पुरुष जाति के घोर अत्याचार से बचने का प्रयत्न न करेगी, हाथ पैर न मारेगी तब तक कुछ सफलता प्राप्त नहीं हो सकती.

बहिनों ! पुरुष क्या जाने कि तुम्हे बहु की अवस्था मे क्या कष्ट सहना पडता है । पुरुष तुम्हारे बेजोंड अपाहिज, अज्ञान छोटा या बेमेल पतिराज मिल जाने पर होनेवाले सहस्त्र सहस्त्र वज्रघात होने के कष्ट समान दुःखको क्या पहिचाने । यदि इने गिने विरले पुरुषने तुम्हारे कष्टका सतांश जाना भी, तो उन्हे तुम्हारे लिये प्रयत्न करने की क्या पडी हैं ।

देवीयों ! यदि नव वधु की अवस्थामें, सासु के साम्राज्य के नीचे खूब डरकर काम करने पर भी, सास के मुखारविंद से तुम्हारे लिये जो कठिन से कठिन समस्याएं घर में खडी होती है, उस वक्त के कलह श्रोत के मध्य आपने खुब डूबकियां खाकर कारावास का पूर्ण अनुभव किया हैं । आपही ने ननंद, जेठानी और देरानी के बीच तीक्षण बचनों को अपने हृदय में स्थान देकर सुःख दुःखका अनुभव किया है । यदि इतना होने पर भी आंपके स्वामी राज आपके समान प्रकृतिवाले न होने से नित्य नए डंडेका स्वाद चखते हैं । यदि पतिराज किसी कारण से कुमार्गी है, तो अपने घर मे मनको धुनकर शांतिरुपी चद्दर से ढंकर महाव्रतधारी तपस्वीनी का काम तुमने किया हैं । यदि पतिराज तुम्हारी युवा अवस्था में बाल लीला वाले केवल खिलौनों के ही ज्ञाता थे, तो उस वक्त तुमने बेजोड सारस के दुःख को अनुभव किया । उस वक्त तुमने चाहे जितना जो कुछ मिल जाय, खाकर शांति स्वभाव धारण कर, मनको मार मसोस कर, कामेंदियो को वशमें रखकर स्वानका सा महायोगीका सा वृत पालन कर, जो कुछ संसार मे दुःख हैं, उन सभी दुःखोंका अनुभव किया है । बताईये अब आपके सामने होनेवाली कुमारियो को भी वारंवार यह दुःख होही रहा है, और जब तक तुम अनुभव प्राप्त दुःखों से स्त्री जात बालिकाओं को खुद बचाने का प्रयत्न न कर सकती हो, तो पुरुष जन आपको इस महा ज्वालाग्नि में से उबारने का प्रयत्न नहीं कर सकते.

बहिनो ! इस प्रकार पैरकी जूति बनी हुई स्त्री जाति की उन्नति सर्वथा असंभव है, क्योंकि जो जाति अपनी स्वतंत्रताको खो कर दूसरी जाति को अपने उपर प्रसन्नतापूर्वक

अत्याचार करते देखकर भी संतुष्ट रही है, अपने ईश्वर दत्त अधिकारों की कुछ परवाह नहीं करती, पैरों के तले कुचली जाने पर भी कान नहीं दबाती, वह कदापि संतुष्ट नहीं रह सकती । वह जाति सरासर निर्बल है, अपने पैर आप कुल्हाडी मार रही है, और आपही अपने नाश का कारण है । हमारे ज्ञानी ऋषिमुनि शास्त्रकारों ने स्त्री पुरुषको समान रुप से मिलाकर एक शरीर माना है, जिसका एक भाग स्त्री और दूसरा भाग पुरुष है, और इसीसे स्त्री को अर्धांगिनी बतलायी है । जिस पुरुष के पास स्त्री नहीं होती उसे अधूरा बतलाया है, वह धार्मिक कार्य अग्निहोत्रादि अकेले नहीं कर सकता है । रामायण पढने सुननेवाली बहने इस बात को अवश्य जानती हैं, कि श्री रामचंदजी को अश्वमेघ यज्ञमें त्यागी हुई सीता को बुलाना पडा था, यह जानकर भी स्त्री जाति को पैर की जूति रहा जाना चाहिये ? बहिनो ! विचारो, कहां अर्धांगिनी शब्द और कहां जूती !

प्यारी माताओं ! वर्तमान समय में स्त्री जाति के उपर घोर अत्याचार हो रहा है, उसके गले पर छुरी चलाई जा रही है । जिन पुत्रियों को आपने नौ मास गर्भ में रक्खी, उत्पन्न करते समय मृत्यु का सामना किया, और पालन करते हुए अत्यंत कष्ट सहन करने पडे और अब भी जिन्हे प्राणो के समान प्यार करती हो, उन्ही प्यारी पुत्रियो को बेजोड, बेमेल, पति मिलाने से बिलकुल नादान अवस्थामें संबंध करने, देवी सीतळा, चेचक और अन्य बचपन में होनेवाली बिमारीयो में अंधे लूले काने पति मिलने से, क्या कोई भी दुःख जो आपको तरुणावस्था से बुढापे तक भुगतना पडे थे उनमें से तुम्हारी प्यारी पुत्रियो को नहीं भुगतने पडेगें ? सगाई करते वक्त आपका प्रेम दूर हो जाता है, कि पुत्री ब्रह्मचारिणी युवा अवस्था को प्राप्त होती है, और उसका पति उंट के गले में बिल्लीका सा बंधा हुआ जगत को नजर आता है, या तो कलहमय जीवन उसी घर में पूरा पाडना पडता है, अथवा छुटकारा करते या करानेका नीच कृत्य करके, सब शास्त्रोंको भांड में झोंककर दुनियां से निराला कर्म अपनी पुत्रियों को स्वयं आप कराती हो, यदि ऐसा नहीं हुआ और कुल कुटुंब की लाजको भीतर से दाब रक्खी तो वही तुम्हारी प्यारी पुत्रियां आपघात करके मर जाती हैं । बहिनों ! एक ब्रह्मचारिणी का विवाह ब्रह्मचारी के ही साथ हो सकता है और उसीके होने में न्याय और धर्म है । आप बिना विचारे बिगर सोचे बिचारे छोटे से छोटे बालकों के साथ, बेमेल जोडी मिला देती हो । बडा अनर्थ और अन्याय का मूल है, बिलकुल शास्त्र विरुद्ध है । विवाह के समय वर कन्याके मध्य जो प्रतिज्ञाएं होती है, वह विचारने योग्य है । तुम्हारे ऐसे करने से सुकुमारी कन्याओं को जो असीम कष्ट होता है उस वक्त वे उनके सच्चे हृदय से जो आप देती है, उसके श्राप से आपको अवश्य परमात्मा दंड देगा । क्योंकि वे अज्ञान बालकियां क्या जाने ? तुम्हारे आंखों के सामने दुःख ही दुःख इस बेमेल

विवाह के ही कारण तुमने बरसते देखा है, फिर भी तुम्हारी प्यारी सुकुमारियो को उसी गड्ढे में डालनेको अनजान बिन अनुभवी पुरुषो के साथ साथ तुम भी खुशी से साथ देती हो । इधर नित्य प्रति इस अत्याचार से हमारी कोमल हृदई कन्याओं के हृदय चूर चूर हो रहे है । आनंदमय जीवन दुःखमय बन गया है, परंतु अभागिनी स्त्री जाति करवट तक नहीं लेती, क्या यह शोकको बात नहीं है ?

प्यारी माताओ ! जागो, अब सोते हुए बहुत काल व्यतीत हो गया, मान मर्यादा सब कुछ लुट गई । जो हुआ सो तो हो चुका, परंतु अब आंखें खोलकर देखो, कि संसार मे क्या हो रहा है ? अपनी अगामी संतान का सुधार करो, यदि समझदार स्त्रीसे मरे गये गुजरे पुरुष से या बिलकुल नादान, नासमझ और कुरुपा युवा से सबंध करनेका कह जाय तो वह कभी खुश नहीं होगी । तो आप सोचो कि उस प्रकार से उनके बालपन में हमारे मन समझाने को अच्छी व्याहन, या धनवाला ससरा, या एक दो दिन या एक दो महिने बडी उम्र के लडके के साथ उनका संबंध करके, उनका सारा जन्म भ्रष्ट कर देना क्या उन पर अन्याय बरसाना नहीं है ? कहां तक धीरज रक्खी जाय, कन्याओं की अज्ञान दशामें उन्हे तुम पति ढूंढ देती हो यही नहीं, परंतु उनके विधवा होजाने पर भी उनके योग्य पति उन्हे नहि मिलाने देती । रुपयो की लालचमें पडकर सुकुमारियो को फिर भी अंधे कुएंमें ढकेल देती हो । यदि छोटा या कुरुपा लडका नहीं देखा और तुम्हे पैसे लेने कि इच्छा न हुई तो बडे धनवान, बुड्ढेके गले अपनी कोमलांगी कुमारियो को बांध देती हो । वहां भी उन्हे दुःख का सामना करना पडता है । उठो सब मिलकर कमर बांध लो । अब आलश्यमें पडी रहनेका समय नहीं है । इस दुष्ट प्रथा को जड से उखाडने का प्रयत्न करो । आपको पुत्रियो के प्रति सच्चा प्रेम हो तो आप अपने मनमें दृढ संकल्प कर लो कि–बिगर पांच वर्ष की कन्या हुए, और उससे आठ वरस बडा लडका देखे बिगर संबंध नहीं करेगी । क्योंकि इस अनमोल विवाह ने दाम्पत्य प्रेमकी जडको खोकला बना दिया है । संसार मे अधर्म का राज्य फैला रक्खा है । स्त्रीवृत धर्मकी जडपर कुल्हाडी चला रक्खी है । और जगत जननी स्त्री जातिको पैरकी जूती की पदवी दे रक्खी है । इसी प्रथा के बल पर पुरुष जाति कहती फिरती है, "पुरानी जूती टुटी, नई पहिन लेंगे" "अंगी (चोली) का क्या धोना, औरत का क्या रोना" – जब तक स्त्री जाति इस दुष्ट प्रथा को जड से उखाडने का प्रयत्न न करेगी तब तक पुरुष जाति के हृदय में स्त्री जाति के प्रति सन्मान उत्पन्न नहीं हो सकता ।

मालवा निवासी – आपकी एक बहिन.

कडवा विजय १९१८. पृ. ११

इन्दौर में बाल-विवाह.

प्रतिबंधक-कानून

हमें यह प्रकाशित करते अंत्यत हर्ष होता है कि – श्रीमंत सयाजीराव गायकवाड सरकार के वडौदा राज्यमें घटित कानूनके अनुसार, इंदौरके श्रीमंत महाराजा साहेब सवाईकार तुकोजीराव होलकर सरकारने भी बाल-विवाह-प्रतिबंधक-कानून जारी करके, अपनी प्रजा की उठती हुई संतान की शारीरिक दशा सुधारने का लक्ष किया है । इस राज्यांतर्गत कडवा पाटीदारों की संख्या भी मालवा और निमाड जिलों में अधिकांश है, महाराजा साहेब ने तो अपनी सारी प्रजाके सुधारने के उदेश से धारा घडी है, परंतु सब जाति के लोगों की अपेक्षा जो कुछ अधिक विगाडा इस बाल-लग्न रुपी राक्षसी प्रथा से है वह अपनी कडवा जाति का है । यह कहना नही होगा कि इस समय महाराजा साहेब ने, यह योग्य कानून जारी करके हम दीन हीन कृषक धंधेवाली कडवा पाटीदार कौम की बिगडती हुई दशाको सुधारने में टूटते हुए घर को सहारा दिया है. मृतक के मुख में अमृतबुंद डालकर मानो जीवनदान दिया है. प्रभु ! श्रीमंत महाराजा इंदौर नरेश की दिर्घायुष्य करे ।

कानूनका मसौदा इस प्रकारका है –

इस कानून का नाम– "इंदौर-बाल-विवाह-प्रतिबंधक कानून" होगा. सन् १९१८ सप्टेम्बर से यह कानून अमल में लाया जायगा । इसका अमल श्रीमंत महाराजा साहब (इंदौर) के सारे राज्य में किया जायगा । इस कानून में जहां नाबालिग शब्द आया है, उसका अर्थ १८ वर्ष से कम उम्रका लडका और १२ वर्ष से कम उम्रकी लडकी समझी जाय । "बालविवाह का मतलब ऐसे लडके लडकियों से है, जिनकी उम्र १४ और १२ वर्ष की न हो गई हो, विवाहमें पाटनातरा भी शामिल समझना चाहिये ।

जब "नाबालिग" का विवाह करना हो तो उसके पालक, रक्षक या पिताने परगने के मुंसीफ को अर्ज देना चाहिये । विवाह में दोनो तर्फ "नाबालिग" हो तो और वर वधु दोनों के पिता तथा रक्षकों को मिलकर अर्ज देना चाहिये । मुंसिफ पंद्रह दिन के अंदर की कोई भी तारीख मुकर्रर करके वर वधूकी जाति के तीन असेसर नियुक्त कर उनके समक्ष जांच करेगा, पुरावा लेगा, और अपनी जांचको पूरी करके फैसला भी उसी दिन देवेगा । जहां कही मुन्सीफ और असेसरोंके अधिकांश लोग इस बात पर संतुष्ट हो जावेंगे कि प्रस्तावित विवाह मंजूर न किया जाय, वहां दोंनो पक्ष एक वर्ष तक जहां तक कि वर वधू बालिग हो जावे, विवाह नहीं कर सकेंगे ।

अगर कहीं लडकी के पिता या रक्षक इतने बिमार या बुढे हों की जब तक लडकी बालिग हो, वहां तक जीवित न रह सके तथा अन्य कोई ईसी प्रकारकी अडचन उपस्थित हो जावे तो मुन्सीफ सही सिक्के का हुकम विवाह करने के लिये दे सकेगा। पर यह परवानगी भी ९ वर्ष से कम उम्रकी वधु के लिये नहीं दी जायगी।

इस कानून के पास होने के ३ मास बाद अगर "नाबालिग" के विवाह की परवानगी के लिये अर्ज कोई करे और मुन्सिफ को इस बातका संतोष होवे कि कानून बनने से पहले वह सगाई (Contract) हो गई थी, तो उसे विवाह के लिये परवानगी मिलेगी, किसी भी हालतमें वर वधु शारीरिक परीक्षाके लिये कोर्टमें लाने के लिये मजकुर न किये जावेंगे।

जहां कहीं किसी मामले में असेसरों के अधिकांश लोगों में और मुन्सिफ में मतभेद हो जायगा, वहां मुन्सिफ और असेसरों को मुद्दो सहित मामला डिस्ट्रीक्ट जज्ज के पास भेजना पडेगा वहाँ इस मामले का फैसला ८ दिन के अंदर मे ही किया जावेगा, अगर डि. जज्ज परवानगी देना मुनासिब समझेंगे तो परवानगी दे देंगे। जिस मामले में डि. जज्ज और मुन्सिफ परवानगी नहीं दे तो उस मामले में अर्जदार पुनः हाईकोर्ट में अर्ज कर सकता है।

जब मुन्सीफ और डि. जज्ज किसी को हुकम देवे तो उस हुकम की एक कोपी परगने के सुबे (सूबेदार) के पास भी भेजी जायगी।

यदि कोई बालिग होने से पहले बिगर हुकम लिए बच्चों का विवाह करेगा वह इन्दोर दंड नीति की १०७ धारा के अनुसार दंडित किया जावेगा, वह दंड १०० रूपये पर्यंत होगा।

परंतु इसमें एक अपवाद यह कि वर या वधु जब तक की वह बालिग न हो और वह अपनी खुशी से विवाह करते हैं, तब तक वे इस धारा के अनुसार दंडित न होंगे, इस नियमानुसार कोई अपराध होने के दो वर्ष बाद कोई मुन्सीफ आंच नहीं कर सकेगा।

ऐसे विवाहों का रजिस्टर रचा जावेगा। इंदोर शहर और दूसरे सब कसबों में जहां म्युनिसिपालिटी स्थापित हैं, वहां म्युनिसिपालिटी के प्रेसिडेंट और जहां म्युनिसिपालिटी नहीं हैं, वहां इनामदार या जागीरदार या इस्त मुरारदार तथा पटवारी रजिस्टर रखेगा। इस प्रकार एन्ट्री की हुई कोपियां दूसरे मास के दस दिनके पहले रजिस्टर ओफिस के द्वारा मुन्सीफ के मार्फत सुबे के पास भेजी जायगी। सुबा (सूबेदार) इन 'एन्ट्रियों' का स्टेटमेंट बनाकर सरकार के पास भेजेगा। इस संबंध के किसी अपराध की जांच पुलिस नहीं कर सकेगी, इस संबंधमें मुन्सीफ कोर्ट सजा देगा तो उसकी कैफियत वह सुबा के पास भेजेगा।

वधु के पिता या रक्षक को रजिस्टरिंग आफिस में विवाह की इतला विवाह के बाद आठ दिन के अंदर २ देना चाहिये, और सर्टिफिकेट प्राप्त करना चाहिये । ऐसा नहीं करनेवाला अथवा झूठी सूचना देने वाला दंडका भागी होगा, यह दंड १०) रु. पर्यंत होगा ।

इंदोर म्युनिसिपालिटी के सुपरिन्टेन्डन्ट और परगने के अमीन समय पर इस प्रकार की व्यवस्था करते रहेंगे, जिससे ये नोंध ठीक ठीक हों.

यदि नियमों को तोडकर कोई विवाह हो जायगा उसके विवाह हकदार नहीं होंगे ।

(कडवा विजय १९१४, पृ. ११)

शोकजनक मृत्यु

बहुत से जरूरी लोकोपकारी मनुष्य के असमय उठ जाने से जरूरी कार्य अधूरे रह जाते हैं, अथवा उन कार्योंमें शिथिलता आ जाती है । ठीक इसी प्रकार दो मनुष्य निमाडके जात्युन्नतिका कार्य करनेवाले समाज के प्राणाधार रूप मर गये । जिनके नाम प्रकाशित बडे खेदके साथ करते हैं ।

एकतो, कुवां निवासी "निमाड पाटीदार सभा के प्रेसिडेंट देवाजीभाई रुसांत" के नवयुवक पौत्र, तुलसीरामी रुसांत हैं । इनकी अवस्था केवल २५ वर्ष की थी । समाज का पूरा अंग था । जाति में समाज विषयक झगडे करनेवाले द्रोहीयों के दांत खट्टे करनेमें शेर का काम करनेवाले युवक के असमय स्वर्गवास से यह सभा दुःख प्रकट करती है, और वयोवृद्ध समाज का उद्धार करने वाले प्रेसिडेंट साहेब को धैर्य देती है ।

दूसरे पाडल्या देवास स्टेट निवासी भाई अमरचंदजी, इनकी आयु अनुमान तीस वर्षकी थी । सं. १९६८ में जब दो टीम गुजरात से आई थी तब लग्नियाओं को एक भी ऐसा नहीं देकर खुद उंझा जाकर अपने हाथसे माता में लग्न बधाई के रुपये देकर पावती ले आये थे । इस प्रकार हिम्मत का सच्चा काम करनेवाले, इस निमाड के कुलमियों में यह पहिल ही व्यक्ति नजर आया था । इस प्रकार अपने धन, धर्म और जात्युन्नतिमें प्राणार्पण से कटिबद्ध रहनेवाले जातिवीर के स्वर्गवास से सभा दुःखी हुए बिगर नहीं रह सकती । माताजी उसकी और उसके प्यारे आत्मबंधु की आत्मा को सुखशांति प्रदान करें, तथा जाति कल्याणार्थे फिर उनका जन्म कडवा जातिमें दे यह प्रार्थना है ।

– सेक्रेटरी –

(कडवा विजय १९१८, पृ. ११)

आवश्यकता

अपने कडवा पाटीदार शुभेच्छक समाजने कई शाखा परशाखा खोली हैं, परंतु जाति के विस्तार के मानसे प्रचार का साधन चाहिये वैसा नही मिला है । अधिकांश कडवी दुनियां सुधार और शुभेच्छक समाज के नाम से ही अनभिज्ञ है, ऐसी दशा में प्रचारक के लिए कोई खास योजना करने की बडी भारी आवश्यकता है ।

मालवे में एक भजन मंडली मंच उपदेश के लिए फिर रही है, जोकि दूसरी किसी संस्था के तरफ से कुछ दिनके लिए है, परंतु अपने ऊपर अनुग्रह करके अपना भी कुछ कार्य कर रही है । जिसका असर नीमच के आसपास अच्छा पडा है, ऐसी मंडली से अच्छा प्रचार होता है ।

हमारे उपदेश प्रचार के लिए रा. रा. देसाई श्री अमरसिंहजीभाई कृत बाल–लग्न बलापा आदि संगीत अख्याना काफी है, उसके प्रचार के लिए दो तीन उपदेशक के साथ दो तीन भजन मंडलिया बनाने की आवश्यकता है, जो कि प्रत्येक प्रांतो में फिरकर अपने उपदेश प्रचार करे ।

जो भाई उपरोक्त अख्यानोंको अच्छी तरह सुना सकते हो, जो भाई गायक हो और गाने बजाने का काम कर सकते हो, और इन जाति हित के लिए वेतन या बिना वेतन से यह काम करने को राजी हो तो मुझसे पत्र व्यवहार करे ।

मालवीय भाई रामचंद्र व्यास
कडवा सभा संचालक, कसरावद (होलकर स्टेट)

गजल

(सनातन धर्मका डंका–मनालो जिसका जी चाहे ये राह)

मचांदो धूम शादी की यही विनती हमारी है ।।
गिरे हे धर्मसे भाई, हुई अब बहुत रव्वारी है ।।१।।

पडे क्यों रव्वाब गफलत में, उठादो बाल शादीकी ।।
धन बल हो गया छिन भिन, जिगर पर जख्मकारी है ।।२।।

जो हैं अब दीन हालत में, लगाओ सीने से उनको ।।
निकालो द्वेष को मनसे, सुधारा अबतो जारी है ।।३।।

अपनी कर्ज खोरीं ने, लाखों जुदा कर दिये भाई ।।
खबरलो सबकी प्रीति से, यही बिनती हमारी है ।।४।।

बेगाने हो गये अपने, बैगाने रव्वाबे गफलत में ।।
नहलावो ज्ञान गंगामें, यही नियत हमारी है ।।५।।

निकल कर लाल गोंदो से, बसे जाकर देशों में ।।
लो जल्दी से खबर उनकी, तुमने क्यों सुध बिसारी है ।।६।।

जहांतक हो सके शंकर, सुधारो जल्द रीतों को ।।
बजा है जगत में डंका, कूर्म कीर्ती जो भारी है ।।७।।

(कडवा-विजय १९१८)

आवश्यक निवेदन

उस जगत् नियंता श्री परब्रह्म परमात्मा की कृपासे "कडवा विजय" ने अपने दस वर्ष, उस जाति के सच्चे शुभचिंतक उन्नति वीर स्वर्गवासी पटेल पुरुषोत्तमदासजीके संपादकीय में सानंद समुन्नतियुक्त समाप्त किए ।

दस वर्ष में कडवा विजयने कडवा जाति की जो सेवा की है वह अकथनीय है । संपादक, प्रकाशक तथा सहायक महोदयों ने क्या क्या कष्ट सहन करके, इस कडवा जाति की विजयपताका चौखुंट भारत वर्ष में फहराई सो किसीभी कडवा जाति के शुभेच्छुकों से छिपी नहीं है ।

कडवा विजय की ही हलचल ने शुभेच्छक समाज को जन्म दिया । कडवा विजय ने ही जगत्माता श्री ऊमियांजी की शुभ यात्रा आरंभ करके कडवा जाति के लिए वैशाखी पूर्णिमां को एक स्मरणीय दिन बना दिया । कडवा विजय ने जाति के सहस्त्रों वर्ष के बिछुडे हुए भाईयों के हृदयमें गुजरात भूमि की पुनः याद दिलादी । बालक, वृद्ध, असमर्थ, निःसहाय जातिजनों की तरफ नूतन भाग्यशालियो का ध्यान आकर्षित कराया, उस बाललग्न रुप तोहमत कें भवर में अपने भाई, बहनो, कन्याओं की डूबती हुई नौका को बचाने के लिए शास्त्रोक्त लग्नप्रथा की डोरी डाल कर उसे डूबने से बचाया है । सारांश यह कि जाति को घोर निंद्रा से जगाने के लिए प्रथम प्रभाती कडवा विजय ने ही गाई । सारांश यह कि जात्युन्नति में अज्ञानता के कठिन कंटकों से बचाने के लिए कडवा विजय ने भानु का सा काम किया तथा अंधे रहन्नुमांओं को ऐनक का काम दिया ।

शुभेच्छक समाज की छठ्ठी बैठक के बाद, कडवा विजय के दशवें वर्ष के बाद, कडवा विजय के संपादक जातिसेवा के महान कार्य के पद से परमात्मा द्वारा खारिज कर दिए गए । दश वर्ष के बीच में सिर्फ आंखरी के एक दो वर्षो में कडवा विजय अनेक असुविधाओं के कारण तथा ग्राहको की आनाकानी के कारण कमीबे टाईम भी निकला होगा, परंतु इस ग्यारहवे वर्ष में कडवा विजय बरोबर हाजरी देता है । इतना ही नहीं पर मालवा निमाड आदि प्रांतों के बंधुओं को हितकर होने की इच्छा से, एक फार्म हिंदी लेखों से भी विभूषित किया जाता है । और भी कितनी अनेक बातों की वृद्धि की गई है ।

पाटीदार समाज धर्मशाला ओंकारेश्वर के पदाधिकारी

पीछे खड़े बांये से दांये : श्री दीपचंदजी मुकाती, श्री तिलोकचंदजी, श्री भगवानभाई

बीच में बैठे हुए बांये से दांये : शोभारामजी करोंदिया–अध्यक्ष, श्री नारायण अमीचंदजी, श्री शोभारामजी नान्द्रा–उपाध्यक्ष

नीचे बैठे हुए बांये से दांये : श्री दुलीचंदजी चिहडिया, श्री राजाराम गेंदालालजी, श्री बाबूजी बालसमुंद.

यूरोपीय महायुद्ध के कारण, कागज आदि की मंहगाई होने से जितने समाचार पत्र है, सबने अपना कुछ न कुछ आकार घटाकर मूल्य में वृद्धि की है। परंतु कडवा विजय ने वैसा कुछ नहीं किया।

सब कुछ आधार ग्राहकों पर है, इस लिए हमारी नम्र विनंती यह है कि जिन महाशयों के तरफ कडवा विजय का मूल्य एक दो या जितने साल का लेना है कृपाकर मनी-आर्डर से-

तंत्री कडवा विजय मगनभाई जी. इंजिनियर
३०३ वाडीगाम-अहमदाबाद.

इस पते पर भेज दें, अथवा व्ही. पी. से कडवा विजय भेजने की परवानगी लिखकर भेज देवें।

एक खास विनंती यह है कि जितने ग्राहक अनुग्राहक महाशय कडवा विजय के शुभचिंतक हैं, वे सब एक एक नया कडवा विजय का इस नये वर्ष के पहले बनाकर उनसे मूल्य भी भिजवा देवें, तो सोनेमें सुगंध जैसा काम होगा; क्योंकि जितने अधिक ग्राहक होंगे उतना ही उत्तम किंमत दार मासिक छप सकेगा। आशा है कि शुभेच्छक जन कडवा विजय की वृद्धि करने की तरफ पूर्णतया ध्यान देंगे। - **निवेदक**

निमाडी और मालवीय भाईओंके लिये समस्त कडवा जाति की महासभा मुंबई में मुकर्रर हुई.

डिसेम्बर ता. २८-२९-३० मार्गशीर्ष कृष्णपक्ष १०-११-१२ शनी, रवि, सोम.

पत्रव्यवहार और-आने जाने का ठिकाणा.

भाई रामचंद्र लक्ष्मण व्यास
कडवा सभा संचालक
कसरावद - (पो. मंडलेसर-इंदौर स्टेट.)

देसाई चंदुलालजी मणीलालजी.
हीरामाणेक बील्डींग-चौथा दादर
दादीशेठ अगीयारी लेन-नवीवाडी
गीरगांव-बंबई

(कडवा-विजय १९१८)

गांव-परगांव फिर के संगीत के साथ प्रचार करने की व्यवस्था रामचंद्र व्यास और छोगालालजी भजनिक ने की है। जो कोई बन्धु प्रचारार्थ उन्हे बुलाना चाहते हों, तो नीचे दिये हुए पते पर पत्र लिखिये -

सेक्रेटरी, निमाड पाटीदार परिषद
परिषद ब्रांच कसरावद-इंदोर स्टेट
(कडवा विजय-१९२०)

शोकजनक मृत्यु.

अत्यन्त शोक का विषय है कि श्रीयुत भीलाजी झालूडिया कुर्मी ग्राम सुन्देल राज्य धार के एक सुयोग्य पुत्र "कन्हैयालाल" जिसकी अवस्था चौदह वर्षकी भी नहीं होने पाई थी कि शनिवार तारीख १४ अगस्ट को अचानक (Liver Compliment) उदर रोग से मृत्यु हो गई। पाटकगण भीलाभाई झालुडियाके नामसे तो आप परिचित ही होंगे, कि जिनके परिश्रमसे श्री निमाड कडवा पाटीदार सभा की दूसरी बैठक स्थान सुन्देल में तारीख ८, ९, अप्रैल सन १९१८ ई. की. हुई थी, और बडे महापुरुष गुजरात और देश– विदेशों से पधारकर जातिहित के लिये अनेक प्रकार के उपदेश पूर्ण लेक्चर दिये थे। इसी सभा के आप मेम्बर है।. : . . . . गृहस्थ महाशयका यह इकलौता पुत्र होकर गृहकार्यका दारोमदार इसी पर निर्भर था। इसकी अचानक मृत्युसे माता, पिता, भगिनी आदि को जो शोक हुआ वह अकथनीय है। बालक के शीघ्र नीरोग के लिये बहुतेरा प्रयत्न वैद्य, डाक्टर आदि से कराया गया, लेकिन परिश्रम सफल होना परमात्मा को मन्जुर नहीं था। हरि इच्छा बलवान है, अब मेरी ईश्वरसे यही प्रार्थना है कि ऐसे सुयोग्य पुत्रकी मृतक आत्मा को शान्ति प्राप्त हो।

द्वारिकासिंहजी – मालवा
कडवा विजय – १९२०

स्वीकार व अभिप्राय

इन्दोर स्टेट के कसरावद शहरमें रहनेवाले शंकरलाल व्यास लिखित 'ऋण दर्पण' नामक एक छोटी किताब हमको अभिप्रायार्थ मिली है। इस पुस्तकमें ऋण (करज–देवा) किसी तरहसें होता है, कौनसी मूर्खताओं से बडे धनवान लोक धनहीन हो जाते है, और ऋण सें अनेक दुःख होते है। उनका बराबर वर्णन काव्यमें वार्तारुप से किया गया है। वार्ता 'केशव पटेल' की है कुलमी भाईयों को यह पुस्तक लाभकारक, आनंददायक है। मूल्य रु. २–० बहोत कमती रकखा गया गया है।

पर कर्ज लाकर खर्च करना यह बडी ही भूल है।
वह क्यों न डूबे जाति जो इस पक्षके अनुकूल है॥

क्षय रोगी हो जावे जैसा, ऋण को पाठक समझे वेसा।
हाड मांस अरु रक्त सुखावे, तैसहीं ऋणभी भाव दिखावे॥
इस कारण बचते रहो ऋणसे, ऋण हत्या नहि छुटे तनसे॥

(कडवा विजय १९२० पृ. १३, अंक ६–९)

निमाड मालवा के कडवा पाटीदारों के लग्न

वैशाख सुद तृतिया के दिन की सब लोग बांट देख रहे थे । वह तृतिया आके उपस्थित हो गई । आज बडी कठिन धूप पड रही है, जानवर भी इधस से उधर जाने में हिचकते हैं । सूर्य की ज्वालाग्नि पृथ्वी तल को भून रही है । ऐसे समय में इधर से उधर और उधर से इधर वर राजाओं के म्याने, डोली, गाडी आदि बाजे–गाजों के बीच जनवासे में पहुंच रही है । बाजो, तासो, और ढोल, डफ के एक साथ ही बजने से पास के मनुष्यों को एक एक की बात सुन नहीं पडती, जिधर देखो उधर वर वधुओं के पालक गण झुले नहीं समाते । हरेक गांव के अन्य जाति के लोग भी इस जगत पोषक जाति की खुशीमें खुशी मना रहे है । इस प्रकार खुशीका शुभ दिन देखने को सब लोग कोई चार महीने पहिले से, शुभ संवाद दाता लग्नियोंकी बांट देख रहे थे । खर सोद के हक्कदार महाशय ने अर्धवट गुजराती भाषा में लग्नपडे बना, दो ब्राह्मणों को भेजही दिया । लग्नियें आनेकी धूम जहां देखो वहां होने लगी । माताजी का कर लग्नियें ले जाते हैं । इस भोळे धर्मभाववाले मनुष्यों के गांवों में लग्नियों की पूजा सत्कार के सिवाय उनके कष्ट उठाने के बदले में भी हिरण्य दक्षिणाएं दे कर लग्न पंडितों को संतुष्ट किए जाने लगे ।

कितनेक गांवों के लोगों में शंका करके माताजी की भेंट लग्नियों के हाथ नहीं भेजते अपने गांवमें ही रखली । जो सीधे माताजी के नाम ऊंझा भेजेंगे, तो भी केवल निमाड प्रांत से ही अनुमान दो ढाई हजार रुपये लग्नियों के मार्फत लोगोंने माताजी में भेजने की कृपा की (इस हठीले स्वभाव के कारण माताजीकी आमदनी नाहक विंध्याचल पर चढ गई.)

कितनेही गांवों के लोगों ने लग्नियों से अनेक प्रकार के प्रश्न किये, जिसका प्रत्युत्तर लग्नियें यथायोग्य देकर लोगो को संतुष्ट करते थे । जब लोगों को ज्ञात हो जाता था कि, ये लोग गुजरातसे नहीं, ये तो मालवेसे आये है, तथा जो माताजी के नाम से हजारों रुपयें दिये जाते हैं वो माताजी मैं नही पहुंचते । सहज ही कह देते थे कि अपना क्या ? सदा से देते आये हैं सो अब भी देवेंगे, चाहे भले ही माताजी मे मत पहुंचो, इतनी बात आडिले स्वभाव की होती थी ।

ज्यों ज्यो लग्न के दिन नजदिक आते जाते थे त्यो त्यो लोगोंकी बहुत दौडा दौड होती थी । संबंध जोडने तोडने में सैंकडों लोग निश्चित नही थे, साथ ही कुलमी के गांव वाले सभी जाति के लोग शांत नहीं थे । कोई व्यापार के कारण, कोई हक्क, हकूक, वसुल करने के कारण, कोई साथी बनने और बदला–अदला चुकाने के सिरेभार के कारण सब विवाह के काम में जुते हुए नजर पडते थे । रातको नित्य बाना (जुलुस) निकाला जाता था । जिसमें भी कई प्रकार के झगडे हरेक गांवो में हो जाते थे । कोई जुलुस घर बुलाता था कोई वहां जाना पसंद नहीं करता था, कोई कहता था, वहां सदा

से जाते आये हैं वहां जाना ही चाहिये । मतभेद के कारण, मोहरमी अखाडोंकी तरह जुदे जुदे आखाडे (दल) अपने अपने मतों में मस्त फिरते थे । उधर वर वधुएं म्याने डोली, और झोपालों में निंद्रा निकालने के सिवाय कुछ नहीं करते थे । कितनेक इने–गिने बडी उम्र के लडके घोडों पर सवार दृष्टि पडते थे ।

सुधारक लोगों की गणना इस बार के लग्नो में करने का सोभाग्य भी निमाड को प्राप्त हुआ है । कितने ही गांवों में लडके और लडकियां खासकर कुंवारे रक्खे गये । एकाद जगह जबरी से ऐसे कुवांरे लडके–लडकी के लग्न उनके मुखियाओं ने कर दिये । इस प्रकार परिवार के हठीले पन पर हम खेद प्रगट किये बिगर नहीं रह सकते । दवाना नामना ग्राम के प्रतिष्ठित रईस शेठ, गजानंद भाई एक होनहार धर्मनिष्ठ और कुलमी जाति प्रेम रखनेवाले महानुभाव है । आपने ३–४ गांव के कुलमियों को भोज दिया । विवाह होने वाले छोटे छोटे बच्चो को देखकर आपने ऐसी रूढी पर अनिच्छा प्रगट की तथा बाल लग्न के हिमायतीदारों को बहुमूल्य बोध दिया । साथ ही जिन लोगोंने उन गांवों में लडके–लडकियां कुंवारे रख लिये, उनकी सराहना की । आप धन्यवाद के पात्र है । मालवे के इने गिने हट्टी मनुष्यो को छोडकर सब के मुख से यही सुनने में आया, कि लग्न तुट जाये तो अच्छा । क्योंकि इस बंधन में लोगों को बहुत कष्ट होता है । जिन के लडके कुंवारे रह जाते हैं, उनको बीच में कई साल तक मौका नहीं मिलता । इस प्रकार दूसरे लग्न दिवस तक बडे बडे लडके हो जाते हैं, और यह जाति बडे लडकों को खोडी समझते हैं । इस प्रकार गरीब घरों की जडें कट जाती हैं । बिगर कुंवार गत निकले नातरा होना भी पाप समझा गया है । इस कारण नातरा नहीं होने पाता । कन्या विक्रय के जालिम रिवाज के मारे नातरे में भी गरीबो की दाल नहीं गलती ।

गुजरात जिस जाति का उद्‌गम स्थान है; गुजरात के ही खून से यहांका खून बना है, उसी देवी श्री उमिया जी के सब सेवक लोग हैं । फिर गुजरात की रीति से अलग जाना, और गुजरात करे वैसा नहीं करना तथा माताजी की आज्ञा की भी परवाह नहीं करना... बडे आश्चर्य ! महान् पश्चाताप और खेदकी बात है, कि एक खून होने और एक माताजीकी आज्ञासे इठ दुराग्रह करके नाता तोड लेना कितनी गैरत की बात है । जिस माताजी के कारण आज दूर देशोंमें बैठे हुए भी अपने अपने कुटुंबी और वंशोंको भूल नहीं सके हैं, जब माताजी से ही नाता तोडने को उद्यत हों, वह लोग पुराने कुटुंब, गोत्र, और वंशों की संबंधवाले कहे जाय तो ताजुब ही क्या है ?

इधर की देशी रिसायतों में से एक दो इंदोर, धार जैसी रियासतों में खर्च व बाल लग्न प्रतिबंधक कानून करीब साल भर से जारी हुआ है, जिसकी बजावारी का अभी पूर्ण सिल सिल्ला नही बंधने के कारण जांच आरंभ नहीं हुई, जिसको ढील्रा कायदा समझ कर हुकमत की और कुछ भी ध्यान नहीं देकर ब्याह कर लेना बडी धृष्टता का काम किया है । क्योंकि कायदे की समझ पहले प्रकट हो चुकी है, और उसी माफक दूसरे बहुत से जात के लोंगो ने

परवानगीयां भी हंसील की – यही कुलमी जाति के लोगों में भी बहोत से लोगों ने परवानगी हांसिल कर कायदे को मान दे, बडे आदर का काम किया है। यह कहे बिगर नहीं रहा जाता के कायदे के नाम से किसी तरह परवानगी लेने वालोंसे भी, ये लोग अधिक सराहने योग्य और सरकार के कृपा भाजक हैं कि जिन्होंने कायदे को पूरी तरह सिर भाग्य करके अपने अज्ञान लडके कुलकियोंका ब्याह नहीं किया – धर्म, न्याय, और उच्च समाज में भी वे सराहने योग्य हैं जिन्होने सर्व संमति से ऐसी अनहोनी रुढीका बांध तोड दिया गया। विद्वान, देशके नेता, राजा, महाराजा, सबकी आंखों मे अनिष्ट ठहर चुकने वाली रुढी से अपने लाखों भाई किनारा कर चुके हैं। ऐसी दशामें फिर फिर कर कुएकी किनार झांकनेकासा उद्योग करने वालों को, समाज, विद्वान, देश और जातिके नेता और अपने राजा, महाराजा जिस भाव से देखेंगे, उससे भी अच्छे भाव से जरुर उन लोगोंको देखेंगे जो कि इस सुधारे के जमाने में जल्दी उन कायदे और सुधार के महत्व को समझ गये हैं।

उन प्रतिज्ञकों के कर्तव्य पर नजर डाले विगर रहा नहीं जाता जो सहस्रों वार, भरी सभाओं में जाति गंगाके बीच, पंच परमेश्वर के मध्य में खडे हो हो कर फजुल खर्ची नही करने, जवान मुरदों का घाटा नहीं खाने, कन्या द्रव्य नहीं लेने, और सबसे बडी प्रतिज्ञा बाल लग्न नहीं करने की कर चुकने वाले जो अपनी प्रतिज्ञाएं भंग कर चुके हो, उन लोगों की इस अज्ञानता के कर्तव्य पर अवश्य एक वार पश्चाताप रूपी प्रायश्चित करके जिन्होंके दागों को धो लेना चाहिए। एक वात गौर करने लायक है कि सदा के लग्न समर्थ कितनी ही बराते झगडें के कारण कुंवारी फेरी जाति थी, वैसा काम इस बार कई जगह सुनने में नहीं आया। यह संतोषकी बात है। गणेश बैठने के बाद कई एक घरो में मृत्युएं हो गई, परंतु लाचार इस बारह वर्षीय रुढी के कारण मरण शोक को छोडकर विवाह की खुशीही मनानी पडी.

कितनी जगह के ये समाचार सुने गये कि लग्नके दिन ही कन्याएं स्वर्गधाम सिधार गई, जिसके कारण उनके घर आने वाली बरातों को वापस फिरना पडा। इस प्रकार सब कुछ कष्ट दुःख सुख जोलते हुए परमात्मा की कृपासे, श्री माहामाया उमियाजी के आशीर्वादसे, सबके लग्न परिपूर्ण हुए। पंडितोंने "ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु, शषी, भौम, बुधस्य, गुरु, शुक्र, शनी, राहु, केतु, सर्वग्रहा शांतिकरा भवंतु – स्वाहः" के विधियुक्त महा मंत्र ए सप्तपदि मावरी फिराई। दूसरे दिन बरातें बिदा और तीसरे दिन आज पुनः आना गौना; माता पुजाई दर्शन कराई आदि रिवाजों से ब्याह सर्वत्र परिपूर्ण समाप्त किये गए। अब बाजों की झनकार, टनकार, भडभडाट, गानेकी धुनकार, वर–वधुओं की चिकार कई जगे सुनने में नही आती। सब लोग अपने सामयिक खेती के काम में लग गये, प्रभु उन नव वर वधुओं की जोडी आनंद रखे।

रामचंद्र लक्ष्मण व्यास

(कडवा विजय १९२० पु. १३, अंक ६–९)

अन्य सामयिक समाचार

ज्ञाति शुभेच्छकोंसे एक अपील

विनित–मालवीया रामचंद्र व्यास,
संचालक – कडवा पाटीदार परिषद, ब्रांच निमाड

अखिल भारत वर्षिय कडवा पाटीदार गणमान्य सज्जनों के सन्मुख एक अपील पेश करता हुं । जीसकी त्रुटियों के लिये क्षमा प्रदान कर– उसके अंतरिक भावको अपने हृदय मंदिरो में स्थान दे कृतार्थ करेंगे। इस आशा से दृढ हृदय कर आपके सन्मुख उपस्थित होता हुं ।

अपील येह हये के – अपनी कोम को गिरी अवस्थासे उठाने का मरते दम तक महाभागीरथ प्रयत्न करने वाले महा पुरूष के नामको हमने एकदम ही विसार दिया हये । उस सच्चे ज्ञाति सेवक के कर्मो पर उसकी निश्चल ज्ञाति भक्ति पर उसके निःस्वार्थ भावों पर हमने अपने दिलमें कुछ भी विचार नहीं किया, उस महाव्रत धारी ज्ञाति शुभेच्छक तपस्वीने, अपना सारा सर्वस्व त्याग कर महा योगी पद पाने के बदले "दास" पद पा लीया । हम लोगोने उस त्यागी पुरूष की क्या कदर की ? उसके उच्च पवित्र भावों को हमने कीस हद तक समझा । सो केवल एक हमारा हृदय ओर दुसरा परमात्मा के सिवाय अन्य कोई नहीं जान सकता; उसकी दासता के ऋण से मुक्त होने के लिये हमारे दिल में अभी तक कुछ भी विचार नहीं आया । इतना ही नहीं परंतु कालांतर में हम उसके नाम को भी भूल जावेगें ओर उसकी सेवा के ऋण से आभारी ही बने रहेंगे ।

मेरी विनय हय के – हम सभी लोग उस परमार्थ त्यागी पुरूष की महा सेवा का बदला किसी न किसी रूपमें चुका कर ऋण मुक्त होवें ।

उस 'दास' की सेवा के मर्म को हमारी भोळी जाति कुछ भी नहीं समझी ? समझी समझी वह – "श्री जगत जननी माता उमीयाजी" इसीसे इसको आपने पदरजको से वफाई के लीये महा शिवरात्री के शुभ पर्वकाल में अपने पास बुला लीया, वह दास इस लोक से चला गया परंतु उसके सत्वगुण भरी किर्ती इस लोकमें मौजूद हय, यही हम उसकी सेवाकी सच्ची सेवा समझे हों । यदि हम उसके त्याग को निःस्वार्थ त्याग समझे हो, यदी हम उसके मर मिटने को हमारे लिये मर मिटना समझते हों, तो उसकी सत्य किर्तीका विकास जगतमें करनाही । उसके ऋण से मुक्त होना हय, यदि हम एक "दास" के मर्म भावों को समझेगें तो कालांतर में हमें एसे अत्यन्त "दास" मिल सकेंगे ओर ज्ञाति का कल्याण होगा ।

स्वर्ग वासी पुरुषोत्तम लल्लुभाई उप नाम "दास" की पुण्य तिथि महा शिवरात्री समिप आ रही हये । उस दीन ऊमिया पति देवाधि देव महादेव का वृत्त दिवस हये । प्रत्येक भारतवासी वृत उपवास अपने को कृतार्थ मानता हये । साथ ही हम अपने "दास" की जयंती मनाकर अपने को कृतार्थ समझे ।

कडवा पाटीदार परिषद निमाड ब्रांचने दास जयंती मनानेका निश्चय किया हये । प्रांत के प्रत्येक पाटीदारो के गांव में दास जयंती निमित्य अग्निहोम, भजन-किर्तन, तथा जलसा आदि यथाशक्ति मनाने की योजना की हय, इस मुजब प्रत्येक प्रांत वासी कडवा पाटीदार बंधु "दास" जयंती मना कर अपने को कृतार्थ समझें । साथ ही दासका जीवन चरित्र संग्रह कर उसका प्रचार कडवा जाति के घर घरमें बिना मुल्य करनेका निश्चय किया हये, जीस महानुभाव के पास जीस सभा सोसायटी के पास पुरषोत्तम दासबंधु के जीवन चरित्र में दाखल करने लायक सामग्री हो वह "कडवा विजय ओफीस" में भेज कर अनुग्रह करियेगा । यह विशेष आशा हये ।

ज्ञाति (जाति) वर्तमान

अपनी जाति के सुधारे की हिल चल में भाग लेनेवाले गोर भाईयों में से एक पंडित सखारामजी शर्मा, सुन्देल, जि. निमाड वाले भी हयें । आप वारंवार अपनी परिषद की बेठक में तन, मन, धन से भी मदत करते हयें । सुंदेल की बेठक के भोजन खर्चे में आपने भी धन दीया था, अब आपने एक विद्वान साधु कहीं से रमते राम सुंदेल में आये थे उन को कडना जाति को गीरि दशा का भान करा के निमाड को कडवा जाति में प्रचार करने की प्रतिज्ञा करवाई हये । अब साधुजी वहीं हये । आप अच्छे गाते बजाते तथा उपदेश करते हये । ता. ११, १२, १३ दिसेंबर को सुंदेल में रामचंदजी व्यास द्वारा अमरसिंहजी देसाई भाई कृत । बाळलग्न बळापा ओर प्रेत भोजन का शंगित आख्यान हुए थे जीश में साधुजी पूर्ण भाग लेते थे । येह अपने गोरजीका उपकार हये । आशा हये हमारे पूज्य गोर महाराज उपरोक्त गोरजी के कार्यों , अवश्य शिक्षा लेंगे ।

* * *

निमाड परिषद ब्रांच का चोथा अधिवेशन मनाने के लिये पाडल्या, कवाणा सेठ देवाश के ज्ञातिबंधुओं की तरफ से परिषद को निमंत्रण आया हये. अभी तारीख नक्की नहीं हुई, थोडे ही समय में तिथि स्थिर हो जायगी ।

* * *

इसी अंक में अत्यंत एक अपील छपी हये । जीसे सभी सुधारक बंधु ध्यान दे पढेंगे ।

कडवा विजय १९२६ पृ. १४, अंक ६

जाति समाचार

निमाड पाटीदार परिषद पंच की प्रार्थना से श्रीमंत महाराजा साहेब इन्दौर ने अपने राज्य में किसानों को कम सुद पर कर्जा देने के लिये सर्वत्र बैक खोलने का नियम जारी किया । इस काम के लिये हमारी जाति महाराजा साहब का धन्यवाद करती है ।

इन्दौर से खेतीवाडी नामक मासिक पत्र निकलने लगा है । मध्यप्रदेश, मालवा, निमाड में यह पहला ही पत्र है । किसान भाईयों को इसके ग्राहक बनकर लाभ उठाना चाहिये । संपादक का पता यह है –

मैनेजर, खेतीवाडी समाचार
बोझांकिट मारकेट, इन्दौर

इसी फाल्गुन शुक्ल पक्ष में निमाड के कुवां गांव की वयोवृद्ध बहन सरशा ने मांवदी लायण देने वाली है । इनका एक ही पुत्र था जो, बहुत वर्ष हुए शांत हो गया । तब से आज तक दो जाति–भोज (मांवदी) दे चुकी हैं । यह तीसरी बार है । इस बार भी कम से कम ८–१० हजार रुपये खर्च कुये जायेंगे । क्या ही अच्छा हो यदि बा अपनी कुछ जायदाद कडवा पाटीदार विद्यार्थी आश्रम कडी (गुजरात) को दान कर दे तो जाति के विद्यार्थियों का जीवन सफल हो जाय और विद्यादान जैसा दूसरा दान नहीं है । आश्रम दान देने की खास एक ही जगह है । आशा है कि बा इस ओर भी अपनी नजर डालेगी । कडवा पाटीदार परिषद का वार्षिक उत्सव न होने से जातीय हल चल में एक प्रकार की शिथिलता आ गई है ।

हम युवक मंडल से आशा रखते हैं कि वे अपना वार्षिक उत्सव मनाकर परिषद के ठरावों (निर्णयों) को कामरूप में लाने का प्रयास करें जिससे जातीय सुधार का मार्ग साफ हो जाय । साथ ही मेंबर बढाने का यत्न भी किया जावें ।

कडवा विजय, १९२४

चेतन १९३०

(रामचन्द्र व्यास, कसरावद का संदेश)

इस साल माताजी लग्न निकालेगी इस आशा में सब लोग लग्न की तैयारियां कर रहे हैं । इन्दौर स्टेट में बाल लग्न प्रतिबंध एक्ट (कानून) है, लेकिन इसका अमल सख्त नहीं है । इसलिये कोई इसको ध्यान पर नहीं लेते । गत विवाह में दो चार भाईयों ने अपने दीकरा–दीकरी को कुंवारे रखा था । इससे ज्ञाति–पंच खफा हो गई थी । जाति नाराज हुई थी, किन्तु कानून होने से कुछ कर नहिं पाए ।

यहां बारिश न होने से सूखा जैसा है । और माता (शीतला) के रोग से असंख्य पशु हानि और कुछ नगर मे मनुष्य भी मर रहे हैं । इसलिये यहां इस परिषद में कोई आ नहीं पाया ।

परिषद इतना तो अवश्य कर सकेगी –

१. होल्कर राज्य को सख्त करने और इसके अमल के लिये निवेदन करें ।

२. ऊंझा से लग्निया लेकर मालवा में आए नहीं, ऐसा प्रतिबंध बडौदा राज्य के पास कराना

में परिषद की अंतःकरणपूर्वक सफलता की कामना करता हूं ।

चेतन, १९३०

निमाड (मालवा) के समाचार

इन्दौर राज्यमें बाल लग्न प्रतिबंधक धारा है, इस लिये छोटे बच्चों की शादी करनेवाले मां-बाप को दंड होता है; फिर भी बाल लग्न के आग्रही और बाल लग्न को मानने वाले बाल लग्न करने में गर्व का अनुभव करते हैं । कितने पाटीदार बंधु अपने दीकरे दीकरियों को स्वेच्छा से कुंवारे रखते हैं । बाल लग्न के हिमायती उन लोगों को जाति में से बहिष्कार करने के प्रस्ताव पास आ रहे हैं । यह सब छुपी रीत से करते हैं ।

जिन लोगोंने उपवीत (जनेउ) आर्य-समाज की धारण की है , उन लोगों को भी जाति से बहिष्कार करती है । पंच मेंबरों का यह ख्याल है कि उन लोगों की वजह से दंड और जुर्माना होता है । आगेवान पाटीदार पंचायतवाले अज्ञानी और भोले पाटीदारों को यह बात समझाते हैं कि उपवीत धारण करनेवाले राज्य को बाल लग्न करने वालो को दंड करने के लिये कहते हैं । इसलिये उन लोगों का भी बहिष्कार करना ।

धार स्टेट के पाटीदार भी यही वर्ताव कर रहे हैं और बाल लग्न के उत्सुक आगेवानों ने यही नोटिस निकाला है कि जो लोग अपने बच्चो की शादी की गई मुदत में नहीं करेंगे और जिन लोगों ने जनेऊ धारण की है और उतारते नहीं, उन सबको जाति से बाहर रखा जाय । इस प्रकार की नोटिस से और धमकियों से युवक उग्र हो गए तथा नोटिस का भंग करना शुरु किया और उपवीत धारण करने का आग्रह करने लगे ।

मालवा के हक्कदार (लग्न निकालने के अधिकारी पटेल) पटेलों ने इस साल लग्न निकाले हैं । सब लग्निया (लग्न का पडा-पत्रिका) लेकर गांव-गांव पहुंच गए हैं । लेकिन लग्न होंगे - ऐसा संभव नहीं लगता । कुवां के आर्यसमाजी श्री हीरालाल देवाजी रूंसात ने जो अपनी दो लडकियों और एक लडके को क्रमशः बडौदा (गुजरात) कन्या विद्यालय और शुक्लतीर्थ गुरुकुल में पढाते हैं, किंतु उनके कुटुम्बी जन उनको सताते हैं । इस वजह से बालकों की पढाई बंद करनी पडी और शीघ्र विवाह करना पडा । कुटुम्ब और जाति की परेशानी का यह फल था ।

चेतन १९३१, पृ. ५, अंक-५.

इन्दौर राज्य में कारज बंधी का कानून
(प्रेतभोज प्रतिबंधक कानून)

कसरावद के निवासी रामचन्द व्यास लिखकर भेजते हैं कि श्रीमंत होल्कर सरकारने सुधारकों की योग्य आवाज सुनकर सर्वप्रथम बाल लग्न प्रतिबंधक कानून बनाया था। इसके बाद वृद्ध लग्न बन्दी का कानून बनाया और खेती हो न सके ऐसी जमीन गिरवी न हो सतके ऐसा कानून बनाया था। किन्तु कुरूढि पूजकों का अंत न आया। इस लिये कारंजबंधी का कानून बनाया है। इसकी कलमें निम्न लिखित हैं –

१. *मृत मनुष्य के पीछे होता हुआ कोई भी भोज प्रेतभोज (कारज) गिना जायगा। अपवादः श्राद्ध आदि शास्त्रोक्त विधि का भोज कारज नहीं गिनेंगे।*
२. *प्रेतभोज में १०१ व्यक्तियों से ज्यादा को भोजन नहीं करा सकेंगे।*
३. *अगर किसी को १०१ व्यक्तियों से ज्यादा को भोजन कराने की इच्छा हो तो उनको अपने जिला–मेजिस्ट्रेट (सूबेदार) को लिखित अर्जी देकर परवानगी लेनी पडेगी। अगर सूबेदार को परवानगी मागनेवाले की आर्थिक स्थिति अच्छी लगे तो इनको ज्यादा से ज्यादा ४०० व्यक्तियों को भोजन कराने की अनुमति दी जा सकेगी।*
४. *मृत्यु के पीछे कोई लहांणा और बर्तन नहीं बेच सकेंगे।*
५. *दूसरा कोई व्यक्ति अगर किसी को इस कानून की कलम के विपरीत कारज करने के लिये और लहांणा करने के लिये दवाव डालेगा तो उसे सहायक माना जायगा।*
६. *नियम विरुद्ध कारज करनेवाले को, लहांणा करने वाले को और ऐसे कार्य में सहयोग देनेवाले को ५०० रू. दंड (जुर्माना) और कर पखवाडिया की कैद या दोनों सजा की जायगी।*
७. *अपने हुकुमत के जिले में अमुक शख्श (व्यक्ति) कारज करने का विचार करता है ऐसी खबर अगर जिला मेजिस्ट्रेट को देंगे, तो उस व्यक्ति तो मेजिस्ट्रेट कारज नहीं करने का नोटिस देगा।*
८. *यदि वह व्यक्ति नोटिस मिलने के बाद भी कारज करेगा तो वह १००० रू. का दंड और एक मास की कैद की सजा अथवा दोनों सजाओं का पात्र होगा।*
९. *इस कानून का उल्लंघन करनेवाले का नाम, इस कार्य में उसकी मदद करने वालों के नाम जिला मजिस्ट्रेट को देने वाले को अगर दी गई माहीति (जानकारी) सच्ची साबित हुई तो दंड की आधी रकम इनाम के रूपमें दी जायगी। अगर माहिती झूठी निकली तो माहिती देनेवाले को रू. १०० का दंड होगा।*

चेतन १९३१

गर्म तवे पर

इस कुटिलताभरी कहानी को लिखते कलम हाथ से छूटती है और हृदय कांपता है । परंतु संसार के आगे नीचा सिर झुका देनेवाली अनर्थोभरी कुलवान कुछ सुधार करेंगे - इस आशा में कलम हाथ में ठहरी हुई है ।

निमाड के (इंदोर राज्य) कुवां गांव में एक कुलवान कुटुम्ब में कसरावदकी एक लडकी संवत् १९७७ (स. १९२१) के लग्न तीथि में ब्याही गई थी । कुलवान सासुको बहु नहि रुची और अपने लडके को दूसरी स्त्री ला देनेकी धुन सवार हुई । चार पांच साल से बहु सासरे आ गई थी । परंतु उसको सुख से नहि रहने दी । अनेक प्रकार के कष्ट दिये । परंतु बहु सब सहन करती रही । साल भर से यह भी सुना जाता था कि अब कुलवान उसका छुटाछेडा कर देंगे, परंतु छोडने से कुलवानोको बट्टा लगता था । (यहां कुलवान लोग बहु की फारगती देने में लज्जा समझते हैं ।) इस वास्ते गत जेष्ट महिने में दुपहर को घरके खंभेसे बांधकर उसे यमलोक भेज दी ।

सासु, पति और इसका भाणेज तीन मनुष्यों को पुलिस ने पकडा है । सुना है, यहां उन्होंने जाहिर किया है कि चार दिन तक बहु को बिलकुल खाने को नहीं दिया । जिस रोज उसका खून किया उस दिन सुबह से उसको खेत में कांठी चुनने को ले गये थे । जितने मजूर खेत में थे उन सबने पानी पिया । परंतु बहूको पानी नहीं पिलाया । बारा बजे दुपहर को जब घर आये उन्हाले की कडक धूप तप रही थी । बहुने पानी पीना चाहा परंतु सासुने यहां भी पानी नहीं पीने दिया । पानी के बदले खंभेसे बांध दी और ऊपरसे लट्ठ प्रहार किये जिससे वह कुलिनता पर कालिमा पोतकर संसार से सदैव के लिये चली गई । मामला चल रहा है । नतिजा आगे मालूम पडेगा । लडकी बहुत सीधी थी । उसका नाम दया था । उसकी मृत्युकथा सुनकर हर एक कठोर हृदय को भी दया आ जाती है । इतना होते हुए भी कुलिनाता के पुजारी लडकी देने की ताकमे बैठे हुए हैं ।

(पटेल १९३७, पृ. १ अंक ४)

"राजा चाहे सो कर सकता है, वह जो कर वह गलत नहीं है" ऐसे अर्थवाली कहावत अंग्रेजीमें है । लेकिन ऊपर वर्णित घटना इस जमाने में यदि कोई राजा करता तो उसे अपना राज्य भोगना भी मुश्किल पड जाता, जब कि हमारे समाज में ऐसे कृत्य करनेवाले का बडप्पन अखंडित रहता है । यह भी एक आश्चर्य ही है न ! ऐसे निर्दय कृत्य करनेवाले को किस नाम से पुकारे ! और खुली आंखो से देखने पर भी वहीं की वहीं कन्या को देने वाले अंधे मां-बापों को क्या कहना ? ऐसी हत्याएं और गहरी उसांसों को रोकने के लिये सेवकों को प्राणो की बलि देने के लिये तैयार रहना पडेगा । केवल बातों से नहीं चलेगा । अभी भी ऐसे प्रश्नो को गंभीरता से नहीं सोचनेवाले फिर भी सयाने दिखनेवाले हमारी जाति में कम नहीं है ।

९. आधुनिक मध्यप्रदेश के कुलमी पाटीदारों में धार्मिक चेतना

श्री राम मन्दिर का इतिहास

श्री मालवा कुलमी पाटीदार श्री राम मंदिर हनुमान गढी न्यास उज्जैन (मध्य-प्रदेश)

भारत वर्ष के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक अति महत्त्वपूर्ण श्री महाकालेश्वर की नगरी उज्जयिनी के पश्चिम में शिप्रा नदी के तट रामघाट के पास हनुमान गढी पर श्री राम जानकी का एक साधारण एवं छोटा सा मन्दिर था। यहां की व्यवस्था पूजा आदि कार्य स्वामी रामदासजी महाराज के हाथों में था। उज्जैन धार, रतलाम, इन्दौर, मन्दसौर आदि जिलों के पाटीदार बन्धुओं के सम्मेलन एवं धार्मिक कार्यो के लिये यह मन्दिर प्रेरणा स्रोत था जहां प्रत्येक धार्मिक पर्व पर पाटीदार बन्धु हमेशा एकत्रित होते रहते थे। वह मंदिर आज भी पाटीदारों का प्रेरणा स्रोत है।

संक्षेप में, अपने समाज की अच्छी व स्वच्छ भावना का प्रतीक श्री राम मन्दिर है जो अब समाज की सर्वांगीण उन्नति का तथा समाज को संगठित कर एक पवित्र सूत्र में बांधकर पवित्र जीवन व्यतीत करने का पथ दर्शक है।

इस स्मारिका के पूर्व मन्दिर हनुमानगढी उज्जैन से अपने समाज ने ५४ वर्ष पूर्व, पौष सुदी १५, सम्वत् १९९१, तारीख १९, जनवरी १९३५ को एक "श्री कुलंबी कुल भूषण" के नाम से श्री महन्त राम कृष्णदासजी श्री गुरु १०८ श्री रामदासजी काठिया खाकी अखाडा के मार्गदर्शन में श्री मुकाती अम्बारामजी पिता श्री मोतीजी निवासी ग्राम, ढोलाना, ठिकाना मुलधान के प्रयत्नों से और सम्पादक श्री भगत घासीरमजी तारोद्या. कुलम्बी, निवासी बिडवाल जिला धार के द्वारा ११ सदस्यीय कुलंबी पंच

कमेटी के तत्वावधान में प्रकाशित हुई थी, जिस में श्री राम मंदिर हनुमान गढी का प्रारंभिक श्री गणेश कैसे हुआ, उसका विवरण दिया है; जो इस प्रकार है –

श्री लालचन्द महाजन निवासी बांकडिया बड उज्जैन ने सन् १९२० में महन्त श्री रामदास गुरु १०८ स्वामी हरभजनदासजी को श्री राम जानकी व हनुमानजी का मंदिर दान में दिया था। महन्त श्री रामदासजी ने श्री राम जानकी मूर्तियों को स्वामी बनाते हुए कुलम्बी समाज की एक कमेटी बनाई जिसमें निम्न ११ सदस्य थे :

(१) श्री मुकाती अम्बारामजी वल्द मोती ढोलाना, तेहसील बदनावर जिला धार।

(२) श्री पटेल सिद्धनाथजी वल्द कुंवरजी, सुवासा जिला उज्जैन।

(३) श्री पटेल अम्बारामजी बल्द भगाजी बडी खरसोदकला, तेहसील बडनगर, जिला उज्जैन।

(४) श्री पटेल धुंलजी सेठ उज्जैन।

(५) श्री कामदार नरसिंगजी वल्द रामजी लेवा वड़ी कडोद जिला धार।

(६) श्री पटेल लेवा भगवानजी, ग्राम चिकलिया, जिला धार।

(७) श्री पटेल लेवा चुन्नीलालजी वल्द नगाजी, तिलगारा, तेहसील बदनावर।

(८) श्री पटवारी गंगारामजी वल्द लछीरीमजी, वडा चिरौला, जिला उज्जैन।

(९) श्री मुकाती सोभारामजी वल्द दौलत रामजी, मडावदा खाचरोद, जिला उज्जैन।

(१०) श्री पटेल कोदरमलजी वल्द रामाजी दतोत्तर, जिला उज्जैन, एवम

(११) श्री पटेल नन्दरामजी ग्राम कमठाना, खाचरोद जिला उज्जैन।

के नाम से दिनांक २७–२–१९३४ को श्री सब रजिस्ट्रार उज्जैन के कार्यालय में हस्तांतरण लेख को पंजीयक क्रमांक ४३० सन् १९३४, पंजीयकरण करवाया और श्री राम जानकी हनुमानगढी को कुलमियों की उक्त कमेटी को हस्तान्तरण किया। उस हस्तांतरण लेख में श्री महन्त रामदारसजी ने कुलंबी समाज से उक्त मन्दिर के सम्बन्ध में यह इच्छा व्यक्त की कि इन ११ सकल पंचान को अख्तियार होगा कि वे किसी तरह से रुपया इकट्ठा करके मौजूदा इमारत मंदिर को तुडवाकर जल्दी पक्की इमारत बनावे या कोई नई जायदाद वास्ते मंदिर मजमूरा खरीद करें या तरक्की मंदिर में करे। श्री राम जानकी के मंदिर की यश कीर्ति सदा चारों तरफ फैली रहे।

हस्तांतरण लेख में श्री महन्त रामदासजी की देववाणी को अपने समाज ने तन मन धन से पूरा किया है।

पूर्व के उस ग्रंथ में श्री राम जानकी मन्दिर के हस्तांतरण के अलावा अपने समाज को श्री राम जानकी मन्दिर में दान देने के लिये प्रत्येक परिवार पर वार्षिक

* देखिये "कुलंबी कुल भूषण भाग – १"

चंदा रखा गया जो अभी तक प्रचलित है । अपने समाज के उस वक्त की कुरीतियों से निपटने के लिये कानून कायदे भी बनाये । नायक जाति का इतिहास कुलंबी जाति का इतिहास अम्बा देवी की आरती, गीत, भजन वगेरा का समावेश उस ग्रंथ में किया गया है । उज्जैन में कुंभ सिहस्थ मेले के अवसर पर अपने समाज के अतिथि दर्शनार्थियों के लिये भोजनालय की आवश्यकता का अनुभव हुआ तो श्री भगवान भोग भोजनालय का जन्म हुआ । श्री राम की कृपा से श्री भगवान भोग भोजनालय ने स्थायी रूप धारण कर लिया है । यह श्री राम मन्दिर की शोभा में चार चांद लगाता है ।

हमेशा की तरह दिनांक १–८–१९५३ ई. को पुनीत पर्व पर इसी मन्दिर पर आसपास के धर्म प्रेमी, समाज सेवी एवं समाज के मुखिया पाटीदार बन्धुओं ने इस मन्दिर के जीर्णोद्धार की आपस में चर्चा की । जिसने देखते ही देखते एक सम्मेलन का रूप ले लिया । इस सम्मेलन द्वारा सर्वानुमति से श्री राम जानकी मन्दिर के जीर्णोद्धार एवं जातीय उत्थान का निर्णय लेकर कार्य को संचालित करने के लिये ११ सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया । इस कमेटी में श्री नाथूलालजी मुकाती ढोलाना कला, श्री भगवानजी पटेल, चिकलिया, श्री नन्दरामजी पटेल, तिरोदिया, श्री जगन्नाथजी मुकाती, मडावदा, श्री शंकरलालजी पटेल, खरसोदकला श्री मोतीलालजी पटेल, धराड, श्री रामलालजी पटेल, करनाखेडी, श्री तुलसीरामजी पटेल दसई, श्री बद्रीलालजी मुकाती, मलवासा, श्री छगनलालजी वर्मा, उज्जैन एवं श्री भवरलालजी पाटीदार, पिपल्या, जोधा को लिया गया । इसी सम्मेलन में स्वामी श्री रादासजी महाराज द्वारा श्रीराम जानकी मन्दिर की आज तक की गई सेवा एवं पूजा की सराहना करते हुए तथा उनके शेष जीवन के निर्वाह के लिये रुपये ३०००) पाटीदार समाज की ओर से अर्पण कर मन्दिर की समस्त सम्पत्ति पर पाटीदार समाज ने अपना आधिपत्य स्थापित किया ।

अर्थ–व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इस सम्मेलन में यह तय किया गया कि मध्य भारतक्षेत्र में रहने वाले समस्त कुलमी भाई प्रति परिवार प्रति वर्ष एक रूपया मन्दिर की व्यवस्था हेतु प्रदान करें ।

लगन एवं ईमानदारी से सेवा की भावना एवं धर्म प्रकार का कार्य गांव–गांव प्रारंभ किया गया । तथा मन्दिर जीर्णोद्धार के कार्य को गति प्रदान करने के लिये दिनांक १२ व १३–१२–५४ को ग्राम बांगरोद में श्री मांगीलालजी सुवासावाले की अध्यक्षता में विशाल पाटीदार समाज का सम्मेलन हुआ । इस सम्मेलन में मन्दिर जीर्णोद्धार के साथ ही सामाजिक एवं रीति–रिवाज सम्बन्धी कठोर निर्णय लिये गये ।

इसके वाद इसी कार्य की रूपरेखा हेतु दिनांक १३–१–१९५७ ई. को चन्दा वसूली कार्य की रूपरेखा तैयार की गई । तथा मन्दिर के जीर्णोद्धार का दिनांक ३–२–६३ की बैठक में अन्तिम रूप से निर्णय लेते हुए निम्नानुसार मन्दिर निर्माण कमेटी में और सदस्यों को शरीक किया गया ।

(१)	श्री गोवर्धनलाल पिता तुलसीरामजी	बांगरोद
(२)	श्री दया राम पिता रूपाजी	पाडोनिया
(३)	श्री पन्नालाल पिता ऊंकारलालजी	भाटी बडोदिया
(४)	श्री चुन्नीलाल पिता दयारामजी	धराड
(५)	श्री नारायण पिता जगन्नाथजी	खेडावदा
(६)	श्री भेरूलालजी भगत	बिलपांक
(७)	श्री चम्पालालजी	कुमरवाडी
(८)	श्री मोहनलालजी पाटीदार	उमरथाना
(९)	श्री वालाराम पिता धन्नाजी	बांगरोद
(१०)	श्री हुकमचन्द पिता सिद्धनाथजी	सुवासा
(११)	श्री नारायण पिता भेरूलालजी	मडावदा
(१२)	श्री भेरूलालजी पिता ऊंकारजी	ढोलाना
(१३)	श्री जगन्नाथ पिता रामाजी	खरसोद खुर्द
(१४)	श्री डूंगरसिंह पिता हरिसिंह	खरसोद कला
(१५)	श्री नाथूरामजी पाटीदार	हतवारा
(१६)	श्री नन्दरामजी तारोदिया	विडवाल

इस मीटिंग में यह निर्णय भी लिया कि चन्दा प्रति घर एक से बढाकर दस रु. किया जावे । समस्त कार्यवाही सुचारु रुप से चलाने के लिये ग्राम बांगरोद तहसील रतलाम में कार्यालय प्रारंभ किया गया तथा कार्य का भार श्री गोवर्धनलालजी को सौंपा गया ।

मन्दिर के जीर्णोद्धार हेतु चन्दा इकट्ठा करने के कार्य में धीरे धीरे गति आई तथा इसी कार्य के लिये दिनांक १२–६–६३ बांगरोद में दिनांक १७–६–६३ को उज्जैन में, दिनांक १६–१–६४ को ग्राम बिलपांक में मिटिंग हुई, जिसमें चन्दा हिसाब की समिति १५ व्यक्तियों की श्री बद्रीलालजी मुकाती निवासी मलवासा वालों की अध्यक्षता में बनाई गई तथा हिसाब रखने का कार्य श्री पन्नालालजी भाटी बडोदिया एवं श्री चुन्नीलालजी धराडवालों के सुपुर्द कर तथा गांव–गांव रसीदें भेजकर चन्दा वसूली का कार्य प्रारंभ किया गया ।

मध्य भारत क्षेत्र के पाटीदार भाईयों की ओर से मन्दिर के जीर्णोद्धार हेतु जैसे जैसे चन्दा मिलता गया कमेटी के सदस्य श्री गोवर्धनलालजी, श्री रणछोड पिता

गोपालजी बादेडी, श्री भागीरथजी पाटीदार कमठाना उज्जैन ने गांव गांव चन्दा एकत्रित करने का कार्य किया। इन धर्म प्रेमी भाईयों के परिश्रम एवं त्याग तथा निर्माण-कार्य एवं ईमानदारी पूर्वक किये गये कार्य की सराहना दिनांक १८-११-६६ एवं दिनांक ११-५-६८ की बैठक में की गई तथा मन्दिर के निर्माण-कार्य में हुए खर्च की स्वीकृति प्रदान की गई।

श्री गोवर्धनलालजी की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने दिन रात परिश्रम करके धर्म स्तंभ रूपी मन्दिर का निर्माण-कार्य सुव्यवस्थित योजना बनाकर किया।

कमेटी द्वारा निर्माण-कार्य का लेखा-जोखा दिनांक १-५-६९ एवं २६-१-७१ की मीटिंग में प्रस्तुत किया हिसाब सर्वानुमति से पास किया गया। कार्य को द्रुतगति देने हेतु धनराशि एकत्रित करने के लिये यह तय किया गया कि मन्दिर-निर्माण में तल मंजिल के कमरों के लिये कम से कम दान की राशि रुपये ३,००१ तथा ऊपर की मंजिलों पर कम से कम दान की राशि रुपये २००१ निर्धारित की जावे।

भगवान श्रीराम की प्रेरणा से भक्त श्री गोवर्धनलालजी, श्री बद्रीलालजी पाटीदार, श्री रणछोडजी मुकाती बांदेडी, श्री भागीरथजी पाटीदार कमठाना, आदि ने मन्दिर निर्माण के लिये राशि एकत्रित करने हेतु मध्यप्रदेश के इन्दौर, उज्जैन, धार, मन्दसौर, रतलाम, सिहोर, देवास आदि जिलों के पाटीदार गांवों का भ्रमण करते काफी राशि एकत्रित की तथा मन्दिर का निर्माण कार्य करते रहे।

दिनांक २३-११-७३ को निर्माणाधीन श्रीराम मन्दिर में एक आम सभा आयोजित की गई। इस बैठक में मूर्ति-प्रतिष्ठा कार्य के सम्बन्ध में विचार किया गया, तथा अभी तक मन्दिर पर प्राप्त आय राशि ४,५७,७२२-४० एवं व्यय राशि ४,१०,७४७-५१ तथा सिल्लक रुपये ४६,९७४-७८ के प्रस्तुत हिसाब का अवलोकन कर स्वीकृत किया गया। मूर्ति-प्रतिष्ठा कार्यक्रम को अन्तिम रूप देने के लिये दिनांक २३-१२-७३, २०-२-७४ एवं १४-३-७४ को भी मीटिंग का आयोजन करके मूर्ति-प्रतिष्ठा के लिये दिनांक २३-३-७४ से १-४-७४ तक का कार्यक्रम तय किया गया। उज्जैन के इतिहास में पाटीदारों के विशाल सम्मेलन का यह प्रथम चरण था। सभा में श्रीराम लक्ष्मण एवं सीताजी की मूर्ति मन्दिर के मध्य में तथा पूर्व की तरफ श्री अम्बाजी एवं पश्चिम की तरफ श्री भगवान शिव की प्रतिमा की प्रतिष्ठा करने का निर्णय लिया गया।

प्रतिष्ठा-समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की सुव्यवस्था हेतु, भण्डार समिति, जल समिति, विद्युत समिति, पाण्डाल समिति आदि का गठन किया जाकर व्यवस्था को सुदृढ बनाया गया। समारोह में समाज सुधार, शिक्षा आदि विषयों पर भी विचार-विमर्श किया गया।

श्री राम मन्दिर

हनुमानगढी * उज्जैन * मंध्यप्रदेश

श्री मालवा कुलमी पाटीदार श्री राममंदिर हनुमानगढी
न्यास उज्जैन (म.प्र.)

आधार स्तम्भ

श्री १०८ श्री महन्त रामकृष्णदासजी

स्थान हनुमान गढ़ी रामघाट उज्जैन ।

गगन भेदी भगवान श्री राम की जय-जयकार भजन कीर्तन एवं मंत्रोच्चारण के साथ मिति चैत्र सुदी ९ (श्रीराम नवमी) संवत् २०३१ दिनांक १-४-७४ को मन्दिर में श्री राम, लक्ष्मण एवं सीताजी तथा श्री अम्बाजी एवं भगवान शिव की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई तथा पाटीदार बन्धुओं का एक विशाल जुलुस उज्जैन की प्रमुख सडकों पर निकाला गया । इस जुलुस में हजारों नर-नारियों ने भाग लिया । कार्य का संचालन श्री रामरतनजी पाटिल (पाटीदार) बिडवाल वालों ने किया ।

इस प्रकार मालवी कुलमी पाटीदारों का श्रीराम मन्दिर भी उज्जैन के प्रमुख मन्दिरों के साथ जुड गया । प्रारंभ से अभी तक इस मन्दिर में लाखों भक्तों ने आकर भगवान श्रीराम शिव एवं अम्बाजी की आराधना की है तथा मन्दिर के निर्माण कार्य की मुक्त कण्ठ से सराहना की है ।

दिनांक २१-४-७४ को एक आमसभा का आयोजन किया गया जिसमें प्रतिष्ठा समारोह के आय-व्यय का हिसाब रतनलाल पाटीदार द्वारा प्रस्तुत किया गया । तदानुसार समारोह के दौरान कुल आय रुपये १,६३,८८३-२० एवं व्यय रुपये १,०१,६८८-८४ तथा सिल्लक रुपये ६२,१९४-३६ पैसे रही । यह राशि निर्माण-कार्य में उपयोग करने का तय किया जाकर हिसाब स्वीकृत किया गया ।

मन्दिर निर्माण कार्य एवं समाज के रचनात्मक कार्यों के लिये निरन्तर बैठकें होती रही तथा समाज के समाज-सेवी एवं धमालु भाईयों ने तन-मन-धन से त्याग मय होकर कार्य किया जो सभी बधाई के पात्र है । मन्दिर की सम्पत्ति के विस्तार को देखते हुए दिनांक ११-१-७५ की बैठक में मन्दिर का ट्रस्ट बनाने का निर्णय लिया जाकर श्री किशनभाई पटेल की अध्यक्षतामें २१ सदस्यीय कमिटी का निर्माण किया गया, जिसे ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन एवं मन्दिर निर्माण की निगरानी का कार्य सौंपा गया । इसी बैठक में प्रत्येक जिले के लिये चन्दा समतियों का भी निर्माण किया गया तथा इन्हें चन्दा वसूली का कार्य सौपा गया ।

मध्य प्रदेश में श्रीराम मंदिर की कीर्ति दिनों दिन बढती गई । उज्जैन के प्रमुख मन्दिरों की तरह त्योहारों पर इस मंदिर में भी भक्तों की भीड होने लगी । मन्दिर में प्रत्येक धार्मिक त्योहार को धूमधाम से मनाना प्रारंभ कर दिया गया ।

दिनांक २०-४-७५ की बैठक में मंदिर के बहुमुखी कार्य एवं पिछले निर्णयों की समीक्षा की गई । निर्माण संबंधी खर्चों की जांच की जाकर स्वीकृति प्रदान की । ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन कमेटी द्वारा अभी तक ट्रस्ट का विधान एवं कार्यवाही नहीं करने के कारण इस कार्य के लिए निम्न तीन सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई -

१.	श्री रामचंन्द्रजी मुकाती	एडव्होकेट, इन्दौर
२.	श्री हरीरामजी पाटीदार	एडव्होकेट, रतलाम
३.	श्री परशुराम जी पाटीदार	एडव्होकेट, मंदसौर

ट्रस्ट निर्माण कमेटी के ट्रस्ट के लेख का प्रारुप तैयार कर मंदिर की कमेटी को भेजा। मंदिर की कमेटी ने ट्रस्ट लेख एवं ट्रस्ट की स्वीकृति तथा ट्रस्टियों की नियुक्ती के लिए दिनांक १०–७–७६ को एक आम सभा का आयोजन किया। इस सभा में मध्यप्रदेश एवं राजस्थान के प्रत्येक जिले के प्रतिनिधियों को बुलाया गया। श्री राम मंदिर में शाम को ६ बजे मीटिंग श्री आर. सी. मुकाती की अध्यक्षता में प्रारंभ्म हुई। विचार विमर्श के बाद ट्रस्ट को सर्वानुमति से स्वीकृति प्रदान की गई। प्रत्येक जिले को प्रतिनिधित्व प्रदान करते हुए निम्नानुसार ट्रस्टी नियुक्त किये गये –

१.	श्री अम्वारामजी गामी	देवगढ देवास	–	अध्यक्ष
२.	श्री गोवर्धनलालजी पाटीदार	वांगरोद, रतलाम	–	उपाध्यक्ष
३.	श्री मदनलाल पि. मोतीलालजी	खरसोद खुर्द	–	उपाध्यक्ष
४.	श्री बद्रीनारायणजी पाटीदार	उंज्जैन	–	कोषाध्यक्ष
५.	श्री हरीरामजी पाटीदार	रतलाम	–	सचिव
६.	श्री बद्रीलालजी पाटीदार	रुणजी, इन्दौर	–	मंत्री
७.	श्री आत्मारामजी पाटीदार	बडिया माडु देवास,	–	संयुक्त मंत्री
८.	श्री झुमकलालजी पाटीदार	सितामऊ मंदसौर,	–	सहायक मंत्री
९.	श्री भेरुसिंहजी पाटीदार	ग्वाली, सिहोर,	–	सहायक मंत्री
१०.	श्री बगदीरामजी पटेल	खाचरोद, धार,	–	सहायक मंत्री
११.	श्री भरतलाल पि. नाथुलालजी मुकाती	ढोलाना, धार	–	सदस्य
१२.	श्री गेंदालालजी पि. नंदाजी पटेल	दसई, धार	–	सदस्य
१३.	श्री देवराम पि, चुन्नीलालजी गुराडिया	लाल मुहा, मंदसौर	–	सदस्य
१४.	श्री अमरसिंहजी पाटीदार	करनावद, देवास	–	सदस्य
१५.	श्री पुरुषोत्तमजी पाटीदार	छोटा सराफा, इन्दौर	–	सदस्य
१६.	श्री नाथुलाल पि. जगन्नाथ	भूतजामली इन्दौर	–	सदस्य
१७.	श्री खुशालीराम पि. रामप्रसादजी	झालावाड	–	सदस्य
१८.	श्री नाथुराम पि. मनीरामजी	सिद्धपुरा चितौड	–	सदस्य
१९.	श्री शिवाभाई फोंगला पाटीदार	अन्जड निमाड	–	सदस्य
२०.	श्री पुरुषोत्तमभाई पाटीदार	बुरहानपूर, पूर्वी निमाड	–	सदस्य
२१.	श्री बगदीराम पि. शिवाजी झालवा	रतलाम	–	सदस्य

इस २१ सदस्यीय ट्रस्ट कमिटी के अलावा विधान अनुसार निम्न व्यक्तियों की नियुक्ति की गई :

(१) श्री आर सी मुकाती, एडव्होकेट – विधि सलाहकार
(२) श्री पुरुषोत्तम पि. परमानंद मुकाती रंगवासा, इन्दौर – ऑडिटर
(३) श्री दयाराम जी पाटीदार एडव्होकेट – मनावर ऑडिटर

उपरोक्त अनुसार कार्यवाही सर्वानुमति से संपन्न हुई तथा ट्रस्ट के पंजीयन की कार्यवाही प्रारंभ की गई। मंदिर का कार्य विधिवत् रूप से प्रारंभ हो गया। ट्रस्ट के पंजीयन में श्री आर. सी. मुकाती का विशेष योगदान रहा।

दिनांक २८–३–७७ की बैठक में मंदिर एवं समाज संबंधी रचनात्मक कार्य एवं चन्दा समिति का निर्माण किया गया जिस में निम्मानुसार व्यक्तियों को लिया गया :

(१)	श्री चतुर्भुज पिता गोपालजी मुकाती	वादेडी, धार
(२)	श्री गोवर्धनलाल पिता तुलसीरामजी	बांगरोद, रतलाम
(३)	श्री भागीरथ पिता जगन्नाथजी	कमठाना, उज्जैन
(४)	श्री बद्रीलाल पिता हीरालालजी	रूणजी, इन्दौर
(५)	श्री अम्बाराम पिता नानूरामजी	खाचरोदा धार
(६)	श्री रतनलाल पिता नंदरामजी	भीमाखेडी, रतलाम
(७)	श्री विसरामजी पाटीदार	दसई, धार
(८)	श्री मोहनलाल पिता नरसिंहजी	उमरथाना, रतलाम
(९)	श्री पन्नालाल पिता ऑकारजी भाटी	बडोदिया, रतलाम
(१०)	श्री तुलसीराम पिता उदाजी पटेल	विरमावल, रतलाम
(११)	श्री चुनीलालजी पिता दयारामजी	धराड, रतलाम
(१२)	श्री उंकारलाल पिता रूगनाथजी	वदनारा, रतलाम
(१३)	श्री मथुरालालजी पाटीदार	छोटा बोरिया, झालावाड
(१४)	श्री भेरुलालजी पिता रामलालजी	खेडा पिपलोदी, रतलाम
(१५)	श्री राधाकिशन पिता भागीरथजी	नेवरी, देवास
(१६)	श्री बापुसिंहजी मुकाती	महुखेडा, देवास
(१७)	श्री बापुलाल पिता मोतीलालजी	छोटी बोडिया, झालावाड
(१८)	श्री भेरुलालजी गमेरमलजी	गुराडिया, लालमूहा, मन्दसौर
(१९)	श्री लक्ष्मीनारायण पिता मारायामजी	मूंडला, धार

उपरोक्त कमेटी को मंदिर निर्माण कार्य चन्दा एकत्रित करने की व्यवस्था का भार सोंपा गया। दिनांक २८–४–७७ की बैठक में मंदिर के वर्ष १९६२ से ७५ तक एवं वर्ष १९७६ के हिसाब की आडिट रिपोर्ट श्री पुरुषोत्तम मुकाती द्वारा न्यास मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसे सर्वानुमति से स्वीकृत किया गया। साथ ही मन्दिर के अधीनस्थ पूरे वर्ष स्थाई अन्न क्षेत्र चालू करने के लिए ५५१–०० के ३६५ सदस्य बनाने का निर्णय किया गया। यह भी तय किया गया कि यह राशि स्थाई कोष के रुप में बेंक में जमा की जावे तथा इसके ब्याज की आय से अन्न क्षेत्र चलाया जावे।

दिनांक २३–११–७७ को न्यास मण्डल की बैठक में विधानानुसार बैठकों में अनुपस्थित रहने के कारण ३ सदस्य (१) श्री हरीराम जी पाटीदार, रतलाम (२) श्री बगदीरामजी पटेल, खाचरोदा–धार (३) श्री भरतलालजी मुकाती, दौलाना, धार के स्थान पर (१) श्री मोहनलालजी उमरथाना (२) श्री चतुर्भुज मुकाती बादेडी, धार (३) श्री गिरधारीलालजी दुलीचन्द पटेल, ढौलाना, धार को सर्वानुमति से न्यास मण्डलमें सम्मिलित किया गया।

दिनांक १८–१–७८ की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि मंदिर के सामने की धर्मशाला से सीधा रामघाट रास्ते को मिलाता हुआ चढाव बनाया जावे। इसके लिए यह निर्णय लिया गया कि दानदाताओं से एक पेढी पेटे रुपये ५०१ के हिसाब से राशि एकत्र की जावे तथा पेढी पर उनका नाम लिखा जावे।

श्री अम्बारामजी गामी अध्यक्ष द्वारा अस्वस्थता के कारण अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दिया गया, जिसे दिनांक १६–६–७८ की बैठक में प्रस्ताव क्रमांक २ अनुसार स्वीकृत किया गया तथा अध्यक्ष का कार्य भार श्री गोवर्धनलालजी उपाध्यक्ष को सुपुर्द किया गया। दिनांक २५–८–७८ की बैठक में सर्वानुमति से श्री गोवर्धनलालजी को अध्यक्ष, श्री देवराम पि. चुन्नीलालजी लालमुहा, गुराडिया (मंदसौर) उपाध्यक्ष, श्री आत्माराम पि. देवीसिंह बडिया मांडु देवास, सचिव, श्री मोहनलालजी उमरथान रतलाम, संयुक्त मंत्री एवं श्री पुरुषोत्तमजी पाटीदार सराफा, इन्दौर को सहायक मंत्री के पदों पर नियुक्त किया गया।

न्यास मंडल का विधिवत् रूप से पंजीयन दिनांक २–११–७९ को हुआ तथा पंजीयन क्रमांक ४६ है।

न्यास मण्डल के गठन के पूर्व श्रीराम मंदिर का संपूर्ण निर्माण कार्य तथा न्यास मण्डल के गठन के बाद मन्दिर के सामने की धर्मशाला एवं अन्न–क्षैत्र तथा रामघाट के रास्ते से श्रीराम मंदिर तक के चडाव एवं हनुमानजी तथा तुलसीदासजी के मन्दिर का निर्माण कार्य किया गया है। इस समस्त निर्माण कार्य में ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री गोवर्धनलालजी, मंत्री श्री बदीलालजी पाटीदार, श्री पुनमचन्दजी पटवारी कोद एवं अन्य धर्मप्रेमी बन्धुओं का सराहनीय सहयोग रहा। निःस्वार्थ भाव से सेवा एवं सहायत कर पाटीदार समाज के धर्म प्रेमी बन्धुंओ ने रामघाट के समीप हनुमान गढी में जो धर्म स्थली एवं प्रभु की आराधना का केन्द्र बनाया है, इसके लिये समाज एवं हिंदू धर्मावलंबी हमेशा उनके आभारी रहेंगे। इस समस्त निर्माण–कार्य पर ३१ दिसम्बर, ८१ तक मंदिर, धर्मशाला की भूमि एवं मूर्ति स्थापना पर कुल रुपये १०,३२,०४४–६० पैसे खर्च हो चुके थे। मंदिर का विस्तृत हिसाब अलग प्रस्तुत किया गया है।

मंदिर की व्यवस्था के लिये प्रबंधक के पद पर श्री रतनलालजी पाटीदार की प्रथम नियुक्ति की गई थी। इन्होंने माह फरवरी '७६ तक कार्य किया तथा सेवा से त्याग पत्र दे दिया। तदुपरान्त इनकी जगह श्री राधेश्याम पाटीदार को नियुक्त किया गया। इनके द्वारा कुछ अवैधानिक कार्य करने से न्यास द्वारा इन्हें सेवा से पृथक कर दिया गया। इसके बाद से अभी तक श्री बदीलालजी पाटीदार प्रवन्धक के रूप में कार्यरत हैं।

वैसे तो मंदिर पर वर्ष के सभी धार्मिक त्योहार उल्लास पूर्ण एवं भक्ति भावना से परिपूर्ण मनाये जाते हैं। किन्तु वर्ष १९८० के सिंहस्थ पर्व पर दिनांक २४–३–८० से ४–५–८० तक पाटीदार समाज द्वारा मंदिर के आधिन भगवान भोग के नाम से अन्न क्षेत्र का संचालन किया जो सराहनीय कार्य रहा। इस कार्य पर करीब ७०,००० रुपये खर्च किया गया।

दिन प्रतिदिन एवं सिंहस्थ पर्व पर श्रीराम मंदिर पर विशाल जनसमुदाय ने आकर श्रीराम, लक्ष्मण एवं जानकी की भव्य सुन्दर एवं कलात्मक सुसज्जित वस्त्रभूषण एवं श्रगार युक्त मूर्तियों के दर्शन किये*।

श्रीरामजी की सुन्दर छवि का वर्णन एक सखी के मुख से –

आज तो निहार रामचन्द को मुखार बिन्द
चन्दहू ते अधिक छवि लागत सुहाई री।

केसर को तिलक भाल, गरे सौहे मुक्त माल,
घूंघरवारी अलकन पर कुण्डल छबि छाई री॥

अनियारे अरुन नैन, बोलत अति ललित बैन,
मधुर मुस्कान पर मदनहु लजाई री॥

ऐसे आनन्द कन्द निरखत मिटजात द्वन्द;
छवि पर बनमाल कान्हर गई हो बिकाई री॥

इस प्रकार श्रीराम दरबार की छवि आपको हमेश याद आती रहेगी।

तो आईये प्रभु स्मरण करें : –

सर्व रोगो प्रशमनं सर्वोपदव्र नाशनम्
शान्तिर्दे सर्वरिष्ठानां
हरे नामानुकीर्तनम्॥

---

* देखिये 'पुष्पांजलि' – रजत जयंती वर्ष १९५६ से १९८२ श्री मालवा कुलमी पाटीदार, श्री राममंदिर हनुमान गढ़ी न्यास–उज्जैन

भगवान श्री हरि के नाम कीर्तन से शारीरिक मानसिक समस्त रोगों का शमन हो जाता है। स्वार्थ परमार्थ के बाधक सभी उपद्रव नष्ट हो जाते हैं और तन-मन-धन तथा आत्मा संबंधी सब प्रकार के अरिष्ठों की शान्ति हो जाती है।

आप जब उज्जैन आवें तो शिप्रा नदी के पवित्र तट रामघाट पर तो जरूर जायेंगे। बस इसी घाट के नजदीक हनुमान गढी है जहां पाटीदार समाज द्वारा धर्म प्राण जनता के लिये सुन्दर श्री राममंदिर का निर्माण किया है। श्रीराम के दर्शन करना न भूलें। पाटीदार समाज आपका हार्दिक स्वागत करता है।

विशेष खुशी की बात है कि इस राम नवमी के पुनीत पर्व पर रामभक्त गोस्वामी श्री तुलसीदासजी महाराज की मूर्ति की प्राण-प्रतिष्ठा का भी आयोजन किया गया है।

श्रीराम श्रीराम श्रीराम

संकलन कर्ता,
पुरुषोत्तम मुकाती
रंगवासा, इन्दौर

श्री मालवा कुलमी पाटीदार श्रीराम-मंदिर, हनुमान गढी न्यास-उज्जैन

१. न्यास का नाम

श्री मालवा कुलमी पाटीदार श्रीराम मन्दिर हनुमान गढी न्यास, उज्जैन।

२. न्यास का कार्यालय

श्री मालवा कुलमी पाटीदार श्रीराम मन्दिर हनुमान गढी, उज्जैन का कार्यालय श्रीराम मन्दिर उज्जैन रहेगा।

३. न्यास का उद्देश्य

ट्रस्टीगण निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ कार्य करेंगे : -

(१) श्रीराम मन्दिर एवम् हनुमान गढी में पूजा-अर्चा व्यवस्था व धार्मिक कार्यक्रम करना, न्यास की जायदाद की व्यवस्था करना तथा बढाना, धर्मशाला के यात्रियों की रहवास की व्यवस्था करना, गरीबों की मदद करना, धर्मशाला एवम् छात्रावास निर्माण व व्यवस्था मुख्य उद्देश्य हैं।

(२) संस्थान के स्वामित्व के मन्दिरों की सुचारू रूप से व्यवस्था करना तथा उनकी पूजा, अर्चा की व्यवस्था करना इस हेतु पुजारी पंडित व सेवकों की नियुक्ति करना, पगार तय करना, चुकाना तथा पृथक करना ।

(३) संस्थान के मन्दिरों पर आने वाले विद्वान संत–महात्माओं के निवास, भोजन, सत्कार की पूर्ण व्यवस्था करना ।

(४) न्यास संस्थान के स्वामित्व की वर्तमान में जो भी चल एवम् अचल सम्पत्ति है तथा कृषि भूमि, पेड, झाड है उनकी व्यवस्था करना तथा जो भी चडावा भेंट, दान आदि प्राप्त हो उसे सुरक्षित करना, बढाना, हिसाब रखना, तथा सम्पत्ति की वृद्धि करना ।

(५) न्यास संस्थान के हित में चल व अचल सम्पत्ति का क्रय व विक्रय करना ।

(६) पीडित, गरीबों की सहायता करना ।

४. न्यास की जायदाद

श्री मालवा कुलमी समाज ने दान देकर व कुलमियों से चन्दा एकत्रित करके परिशिष्ट (अ), (व), की जायदाद अर्जित की व बनाई है ।

५. न्यास की आय

परिशिष्ट में दर्शाई है ।

६. न्यास की व्यवस्था

न्यास मण्डल के इक्कीस सदस्य होंगे जो ट्रस्टीज कहलावेंगे ।

न्यास में जिलों का प्रतिनिधित्व निम्नानुसार है :–

	जिला	ट्रस्टियों की संख्या	
(१)	उज्जैन	२	दो
(२)	धार	३	तीन
(३)	रतलाम	३	तीन
(४)	मन्दसौर	२	दो
(५)	देवास	३	तीन
(६)	इन्दौर	२	दो
(७)	सिहोर	२	दो
(८)	झालावाड (राज.)	१	एक
(९)	चितौडगढ	१	एक
(१०)	निमाड	२	दो
	कुल	२१	इक्कीस

(७) इक्कीस सदस्यीय न्यास मण्डल का सदस्य सिर्फ कुलमी पाटीदार समाज का सदस्य हो सकता है। न्यास के पदाधिकारी भी कुलमी समाज के ही होंगे और न्यास मण्डल के सदस्यों में से ही चुने जावेंगे। इस न्यास की धर्मशालाओं में प्राथमिकता कुलमी समाज के ही सदस्य यात्रियों को ही दी जावेगी। पाटीदार समाज के अलावा यात्रियों को सिर्फ एक या दो दिन के रहवास के लिए अध्यक्ष या मंत्री की अनुमति से ही दी जा सकेगी।

(८) न्यास का स्टाफ एक पुजारी, एक सचिव और दो चौकीदार है जिनको पगार न्यास देगा।

(९) न्यास मण्डल का सदस्य बनने के लिए निम्न योग्यता आवश्यक है :
 (अ) कुलमी समाज का सदस्य हो।
 (ब) पच्चीस वर्ष से अधिक आयु हो।
 (स) न्यास के उद्देश्यों में निष्ठा रखने वाला हो।
 (द) और किसी प्रकार से अयोग्य न हो।
 (य) दिवालिया या कर्जदार न हो।

(१०) न्यास मण्डल की सदस्यता निम्न प्रकार से समाप्त होगी :
 (अ) स्वर्गवासी हो जाने से।
 (ब) मानसिक खराबी हो जाने से।
 (स) सदस्य पद से इस्तिफा दे देने से।
 (द) न्यास मण्डल की तीन बैठकों में भाग नहीं लेने से।
 (क) न्यास मण्डल के हितों तथा उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने से वह सदस्य न्यास मण्डल के बहुमत से अपदस्थ किया जा सकेगा।

(११) न्यास मण्डल के रिक्त स्थान की पूर्ति रिक्त पद किये जाने वाले सदस्य के जिले से नवीन सदस्य की नियुक्ति न्यास मण्डल बहुमत से कर सकेगा।

(१२) न्यास मण्डल की एक दस सदस्यीय व्यवस्थापक समिति होगी जो न्यास मण्डल के सदस्यों में से बहुमत से चुनी जावेगी। किसी भी पदाधिकारी का पद रिक्त होने पर न्यास मण्डल बहुमत से उस पद के लिए चुनेगा।

(१३) न्यास मण्डल बहुमत से अपने सदस्यों में से निम्न पदाधिकारियों को चुनेंगे जो न्यास तथा व्यवस्थापक समिति के भी पदाधिकारी होंगे।

पदों के नाम व संख्या

(१) एक अध्यक्ष
(२) दो उपाध्यक्ष
(३) एक कोषाध्यक्ष
(४) एक मंत्री
(५) दो संयुक्त मंत्री
(६) तीन सहायक मंत्री

नोट : पदाधिकारियों की दस सदस्यीय व्यवस्थापक समिति होगी।

श्री मालवा कुलमी पाटीदार श्री राममंदिर हनुमानगढ़ी
न्यास उज्जैन : पदाधिकारी एवं सदस्यगण

नीचे बैंठे हुए (बांये से दाये) श्री शांतिलालजी गामी, श्री बद्रीनारायणजी, श्री गोरधनलालजी (अध्यक्ष), श्री हेमरामजी (उपाध्यक्ष), श्री आत्मारामजी, श्री मदनलालजी

बीच में बैंठे हुए (बांये से दाये) श्री भेरुलालजी, श्री गोविंदरामजी, श्री नाथूलालजी सूत, श्री गेंदालालजी, श्री पुरुषोत्तमजी, श्री गीरधरलालजी, श्री शोभारामजी, श्री पुरुषोत्तमजी मुकाती, श्री चतुर्भुजजी,

ऊपर खडे हुए (बांये से दाये) श्री रामचंदजी मुकाती, श्री कन्हैयालालजी सूर्या, श्री मांगीलालजी, श्री मोहनलालजी, श्री नाथूलालजी

१४. कोरम

व्यवस्थापक समिति का कोरम चार सदस्यों का रहेगा । न्यास मण्डल का कोरम कुल सदस्यों का एक तिहाई होगा । कोरम के अभाव में बैठक एक घण्टे के लिए स्थगित कर दी जावेगी । एक घण्टे बाद उपस्थित सदस्य की यदि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अनुपस्थित हो तो उस दिन की बैठक के लिए अध्यक्ष चुनकर, बैठक हो सकेगी । उसी एजेन्डे पर विचार व निर्णय किया जा सकेगा ।

१५. बैठक

न्यास मण्डल की बैठक प्रति छः मास में एक बार होगी । आवश्यकता होने पर अध्यक्ष, न्यास या व्यवस्थापक समिति की बैठक कभी भी बुला सकता है ।

(१६) न्यास या किसी भी समिति की बैठक में भाग लेने वाले किसी भी व्यक्ति याने (ट्रस्टी या पदाधिकारी या सदस्य) को न्यास से प्रवास या खुराक खर्च नहीं दिया जावेगा । सभी निःशुल्क बैठक मे भाग लेंगे ।

समितियां

(१७) न्यास का कार्य सुचारू रूप से चले उसके लिए अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष निम्न समितियों का गठन कर सकेंगे –

(अ) चंदा व दान समिति

(ब) रचनात्मक कार्य समिति

प्रत्येक समिति के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष और मंत्री न्यास मण्डल के ही रहेंगे । न्यास के अध्यक्ष के निर्देशानुसार अपना अपना कार्य करेगी । न्यास का अध्यक्ष किसी भी समिति को समाप्त व पुनःगठन कर सकेगा और समिति के कार्य करने के लिए कानूनी सलाहकार समिति की सहायता से नियम बना सकेगा ।

(१८) न्यास मण्डल बहुमत से दो ऑडिटर्स की नियुक्ति दो वर्ष में एक बार करेगा । ये दोनों ऑडिटर्स संयुक्त या पृथक–पृथक न्यास समितियां आदि के हिसाब का ऑडिट कभी भी कर सकेंगे और हिसाब–किताब की ऑडिट– रिपोर्ट प्रत्येक अक्षय तृतीया (अखातीज) को या उसके पहले पेश करेंगे ! न्यास मण्डल बहुमत से किसी भी ऑडिटर को उचित कारण से अपदस्थ कर सकेगा और नवीन ऑडिटर नियुक्त कर सकेगा ।

(१९) न्यास की आय व बचत सिल्लक के रुपये बैंक में रखे जावेंगे । न्यास के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष तथा कोषाध्यक्ष के चैक पर संयुक्त हस्ताक्षर से ही बैंक से रुपये निकाले जा सकेंगे । न्यास का पैसा किसी भी व्यक्ति के पास नहीं रहेगा । न्यास की पूंजी को व्यवसाय में नहीं लगाया जावेगा ।

(२०) न्यास के दो तिहाई सदस्य इस लेख के किसी भी नियम को संशोधन कर सकेंगे ।

(२१) न्यास अपनी बैठक में पूरे वर्ष में आगामी बैठकों की तिथियां निर्धारित कर सकेगी । व्यवस्थापक समिति भी अपनी बैठकों की तिथियां वर्ष के पूर्व ही निर्धारित कर सकेगी ।

(२२) न्यास के हित के लिए न्यास की जायदाद की व्यवस्था (विक्री और खरीदी) न्यास मण्डल के सदस्यों के बहुमत से की जावेगी ।

(२३) न्यास का अध्यक्ष श्रीराम मन्दिर व हनुमान गढी की पूजा-अर्चन की व्यवस्था करेगा। बडे पैमाने पर धार्मिक कार्यक्रम की व्यवस्था भी अध्यक्ष न्यास मण्डल के बहुमत से करेगा । छोटे धार्मिक कार्यक्रम अध्यक्ष कर सकेगा । अध्यक्ष अपने अधिकार किसी अन्य पदाधिकारी को भी सौंप सकेगा या समिति गठित कर सकेगा ।

(२४) न्यास की कानूनी सलाहकार समिति होगी । समिति के एक अध्यक्ष व तीन सदस्य होंगे । यह समिति न्यास मण्डल और पदाधिकारियों को न्यास के कार्य करने में सलाह देगी और अध्यक्ष के निर्देशानुसार नियम भी बनावेगी ।

(२५) न्यास की व्यवस्था समिति के वर्किंग अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या कार्यवाहक मंत्री अपने पास दो सौ रुपये तक आवश्यकतानुसार रख सकेंगे । दो सौ रुपये से अधिक अपने पास नहीं रख सकेंगे । बैंक में रखे जावेंगे । चैक द्वारा चुकादा करना उचित होगा । दो सौ रुपये से अधिक रकम का चुकादा चेक द्वारा ही किया जावेगा ।

(२६) कुलमी समाज के पंचों ने दिनांक १०-७-१९७८ को निम्न उल्लेखित सज्जनों को ट्रस्टीज व पदाधिकारी नियुक्त किये हैं :

नाम	पद
(१) श्री अम्बारामजी गामी, देवगढ	अध्यक्ष
(२) श्री गोरधनलालजी पाटीदार बांगरोद, रतलाम	उपाध्यक्ष
(३) श्री मदनलालजी पिता मोतीलालजी खरसोद खुर्द	उपाध्यक्ष
(४) श्री बद्रीलालजी बाडमुकुन्दवाले, उज्जैन	कोषाध्यक्ष
(५) श्री हरीरामजी पाटीदार अभिभाषक, रतलाम	सचिव
(६) श्री बद्रीलालजी पाटीदार रुनजी, जिला- इन्दौर	संयुक्त मंत्री
(७) श्री आत्माराम पिता देवीसींगजी बढिया माण्डु, जिला-देवास	संयुक्त मंत्री
(८) श्री झमकलालजी अभिभाषक मन्दसौर,	सहायक मंत्री
(९) श्री भेरुसिंगजी ग्वाली सरपंच, सिहौर	सहायक मंत्री
(१०) श्री बगदीरामजी पिता भेरुलाल पटेल अभिभाषक, खाचरोदा, धार	सहायक मंत्री
(११) श्री भरतलालजी पिता श्री नाथूलालजी पाटीदार, ढोलाना	सदस्यगण
(१२) श्री गेन्दालाल पिता श्री नन्दाजी पाटीदार, दसई	सदस्यगण
(१३) श्री देवरामजी पिता चुन्नीलालजी लालमुटा गुराडिया, मन्दसौर	सदस्यगण
(१४) श्री अमरसिंगजी पिता श्री बोदाजी करनावद (देवास)	सदस्यगण

(१५) श्री पुरुषोत्तमजी पिता बदीलालजी सराफा, इन्दौर — सदस्यगण
(१६) श्री नाथूलालजी पिता जगन्नाथजी, भूत जामली — सदस्यगण
(१७) श्री खुशालीरामजी पिता रामप्रसादजी, झालावाड — सदस्यगण
(१८) श्री नाथूरामजी पिता मनीरामजी सिद्धपुरा, चित्तौड — सदस्यगण
(१९) श्री शिवाभाई फोंगला पाटीदार, अन्जड — सदस्यगण
(२०) श्री पुरुषोत्तमभाई बुरहानपुर, निमाड — सदस्यगण
(२१) श्री बगदीरामजी पिता शिवाजी झालवा — सदस्यगण

उपरोक्त विधान पाटीदार समाज की बैठक दिनांक १०–७–७६ को उज्जैन मंदिर पर सर्वानुमति से पारित कर अंगीकार किया गया ।

सहयोग के लिए बधाई

श्री राम मंदिर के निर्माण एवं व्यवस्था में जिन महानुभावों का तन, मन, धन से प्रारंभ से अभी तक मुख्य रूप से सहयोग रहा, वे समाज की ओर से बधाई के पात्र हैं ।

मिली जानकारी के अनुसार निम्न महानुभावों ने मंदिर हेतु चन्दा दान एकत्रित करने एवं निर्माण कार्य मे विशिष्ठ सहयोग प्रदान किया है –

(१) श्री गोवर्धनलाल पिता तुलसीरामजी पाटीदार – निवासी बागरोद, जिला रतलाम
(२) श्री रणछोड पिता गोपालजी मुकाती – निवासी बांरेडी, धार
(३) श्री भागीरथ पिता जगन्नाथजी पाटीदार – कठाना, उज्जैन
(४) श्री राधाकिशन पिता भागीरथजी – नवेरी, देवास
(५) श्री बगदीराम पिता शिवाजी पटेल – झालवा, रतलाम
(६) श्री बदीलाल पिता हिरालालजी पाटीदार – रुणजी, इन्दौर
(७) श्री अम्बाराम पिता नानूरामजी पाटीदार – खाचरोद, धार
(८) श्री ऊंकारलालजी पिता अग्गाजी पाटीदार – बदनारा, रतलाम
(९) श्री पन्नालाल पिता ऊंकारलालजी पाटीदार – भाटी बडौदिया, रतलाम
(१०) श्री देवाराम पिता चुन्नीलालजी गुराडिया – लालमुहा, मन्दसौर
(११) श्री भेरुलाल पिता गमेरलालजी – लालमुहा, मन्दसौर
(१२) श्री चुन्नीलाल पिता दयारामजी पटेल – धराड, रतलाम

उपरोक्त प्रमुख महानुभावों एवं समाज के धर्म प्राण भाईयों के लगन एवं उत्साह की नींव पर बना श्री रामजी का सुहावना मंदिर उज्जैन नगरी में पधारने वाले प्रत्येक दर्शनाभिलाषी का मन मोहित कर रहा है । वर्तमान में उज्जैन के धार्मिक स्थलों में अपना विशिष्ठ स्थान है।

आपके सहयोग से बना यह मंदिर समाज का गौरव है । इसके निर्माण में सहायता करनेवाले प्रत्येक महानुभावों के लिए न्यास मण्डल अपनी कृतज्ञता जाहिर करता है ।

न्यास मण्डल
श्री राम मन्दिर उज्जैन

श्री मालवा कुलमी पाटीदार श्रीराम मन्दिर न्यास, उज्जैन

(परिशिष्ट (अ) अचल-सम्पति का विवरण

क्रमांक	म्यु. नंबर व सर्वे नंबर	नाम स्थान व पूरा पता	चतु-सीमा	क्षेत्रफल फीट में	अनुमानित मूल्य	विवरण
१	२	३	४	५	६	७
१.	मकान नं. २३ गली क्र ४	मंदिर, धर्मशाला योगीपुरा खंबा मार्ग, महाराजवाडा वार्ड	पूर्व : प्लॉट मंदिर का प. : टोंकवाली बगीची उ. : गली ४ हनुमान गढी धर्मशाला द : विद्यानन्द धर्मशाला	६३' व ११' ७४' फीट ९७' फीट ७६' फीट	७,००,०००-०० सात लाख रुपये	
२.	मकान नं. ६२	हनुमानगढी धर्मशाला राम घाट मार्ग	पूर्व : दत्त मंदिर व चढाव प. मराठा समाज भूमि उ. : रामघाट मार्ग, बंबई धर्मशाला द. : गली नं. ४ मंदिर धर्मशाला	लंबाई ६६ फीट चौडाई ६५ फीट	३५,०००-०० पैतिस हजार रुपये	
३.	मकान नं. २३/४ से आगे	प्लाट २४ खंबा हरसिद्धि मार्ग योगीपुरा	पूर्व : हरसिद्धि मार्ग, रुद्र प. : मन्दिर धर्मशाला उ. : गली नं. ४ दत्त मन्दिर द. : विद्यानन्द धर्मशाला	लंबाई ६७ फीट चौडाई ४०. फीट	१५,०००-०० पन्द्रह हजार रुपये	
४.	सर्वे नं. २१०४	तालाब रुद सागर हरसिद्धि तलाव	पूर्व : जगन्नाथगारी भूमि प. : २४ खंबा मार्ग हरसिद्धि उ. : २४ खंबामार्ग हरसिद्धि द. : जगन्नाथ गारी भूमि	११५' फीट ११५' फीट ३९०' व २१८' ५५०' फीट	३९,०००-०० उंचालिस हजार रुपये	

अवन्तिका में हमारे गौरव स्थल

श्री मालवा कुलमी पाटीदार श्री राममन्दिर हनुमानगढी उज्जैन (१९७८)

- स्थान – क्षिप्रा के तट पर, महाकाल एवं हरसिद्धि मन्दिरों के पास स्वयं में दर्शनीय स्थल एवं एक भव्य मन्दिर
- ठहरने हेतु उपलब्ध लगभग ४० कमरे बरांडे एवं भोजन बनाने हेतु अलग स्थान
- व्यवस्था – न्यास मंडल द्वारा व्यवस्थापक श्री रतनलालजी पाटीदार

श्री कडवा कुलमी पाटीदार धर्मशाला कुशलपुरा उज्जैन (१९७८)

- स्थान – स्टेशन व अस्पताल के पास, शहर के मध्य, विशाल धर्मशाला.
- ठहरने हेतु उपलब्ध लगभग ५० कमरे, हाल, बराण्डे एवं भोजन बनाने हेतु अलग स्थान
- भावी योजना–संपूर्ण भवन, दुमंजिला बनाना सन्मुख निर्माण एवं प्रमुख द्वार बनाना
- व्यवस्था–अध्यक्ष लक्ष्मीचंदजी मण्डलोई लाहोरी शाजापुर
- व्यवस्थापक – १. श्री तखतसिंहजी नाहर बेरछा २. लक्ष्मीचंदजी नाहर बेरछा (शाजापुर)

श्री लेवा कुलमी पाटीदार मन्दिर एवं धर्मशाला श्री लालबाई फुलबाई चौराहा उज्जैन (१९७८)

- स्थान – अंकपात भैरवगढ मार्ग पर, धार्मिक एवं दर्शनीय स्थानों के मध्य, शान्त वातावरण
- ठहरने हेतु – उपलब्ध दो भवन, २० कमरे, हाल बराण्डे भोजन बनाने हेतु अलग स्थान
- पटीदार विद्यार्थिओं हेतु साल भर के लिये निःशुल्क २५ स्थान रिजर्व
- भावि योजना – जीर्णोद्धार एवं पास के नेहरे को छात्रालय में परिणित करना
- व्यवस्था – श्री लेवा कुलमी पाटीदार समाज संघ म. प्र. व. राजस्थान द्वारा
- अध्यक्ष – श्री सिद्धनाथसिंहजी मताना (शाजापुर)
- व्यवस्थापक – श्री माथुरालालजी खोरियाएमा (शाजापुर)
  भूतपूर्व अध्यक्ष देवसिंहजी भी इस कमेटी में संयुक्त हुए हैं ।

श्री अंबिका मन्दिर,धामनोद, जिला निमाड

पाटीदार समाज जिला निमाड द्वारा धामनोद नगर में कुलदेवी मां अंबिका (उमिया–बहुचरा) का मंदिर एवं धर्मशाला बनाई है । मंदिर के आसपास चार एकड

जमीन भी खरीदी है। इसी भूमि पर अंबिका माता के नाम से प्रति वर्ष मेला लगता हैं। कमेटी के ५ पुराने मेम्बरों के प्रयत्नों से ये कार्य हुए है। अब इसकी व्यवस्था नवयुवकों की एक व्यवस्थापक कमेटी करती है। मंदिर को सुन्दर एवं भव्य बनाया जा रहा है। जहां आज विशाल मंदिर एवं धर्मशाला है, वहीं पर बड के झाड नीचे छोटे से मंदिर में कुलदेवी की स्थापना की थी। बड का झाड एवं पुराना मंदिर अभी भी मौजूद है। इस मंदिर के निर्माण में समस्त पाटीदार समाज का सहयोग मिला है।

श्री अंबिका मन्दिर, धरगांव जिला निमाड

(१) **ट्रस्टगठन :** ग्राम धरगांव पाटीदार समाज के तत्कालीन अध्यक्ष श्री शंकरलाल हब्बूजी पाटीदार की अध्यक्षता में दिनांक २/१२/८५ को श्री अंबिका मंदिर निर्माण का निर्णय हुआ। स्व. प्रेमजी पाटीदार एवं स्व. लादूरामजी शेठ द्वारा दान की गई पुरानी धर्मशाला स्थल पर उनके वारिस श्री एडूभाई पाटीदार एवं श्रीरामजी पाटीदार से स्वीकृति ली गई। दिनांक ९/७/८६ के ट्रस्ट का पंजीयन कराया गया। प्रथम ट्रस्टी श्री बालाराम पूनाजी – अध्यक्ष, (२) श्री सीताराम पेमाजी – उपाध्यक्ष शंकरलाल हब्बूजी – सचिव (४) – श्री घीसालाल भगवतीरामजी–कोषाध्यक्ष थे।

(२) **निर्माण की योजना :** मन्दिर निर्माण हेतु धरगांव पाटीदार समाज द्वारा कपास, गुड, गन्ना, गेहूं, मूंगफली पर प्रतिकुंटल निर्धारित दर से प्रति वर्ष चन्दा लेने का सर्व सम्मति से निर्णय हुआ। साथ ही पारिश्रमिक रूप में बैलगाडी, ट्रेक्टर आदि निःशुल्क देवेंगे। मूर्तियां श्री नारायणजी पाटीदार धरगांव द्वारा स्वयं खर्च से स्थापित की जायेगी। प्याऊ के लिये भी शंकरलाल पाटीदार ने स्व. पिता सीतारामजी की स्मृति में बनाने की घोषणा की। वह योजना ५ वर्ष में पूर्ण की जायगी। अभी तक मंदिर निर्माण पर १ लाख ३५ हजार रुपये खर्च हो चुके हैं। वर्ष १९९१ के नवरात्रि महोत्सव के अवसर पर प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित करके मंदिर का शुभारंभ किया जायेगा।

(३) **भूमिपूजन :** दिनांक २९/१२/८५ को संक्षिप्त आयोजन करके भूमिपूजन किया गया था। बाद में श्री केशवलालजी पटेल, अध्यक्ष, श्री उमिया माताजी संस्थान, ऊंझा ने भी भूमिपूजन किया एवं पांच हजार रुपये मंदिर निर्माण हेतु दान दिये। इसी स्थल पर ऊंझा से करोंदिया ग्राम लाई गई अखंड ज्योति का दिनांक १८/४/८६ को स्वागत किया गया था।

मानव समाज में धर्म की प्रेरणा बनाये रखने एवं ग्रामवासियों की धार्मिक चेतना में वृद्धि करने हेतु यह मंदिर एवं धर्मशाला निर्मित की गई है। इसी धर्मशाला में समाज की बालवाडी भी प्रारंभ की गई है। इस तरह यह संस्थान धर्म, सामाजिकता एवं शिक्षा की त्रिवेणी स्वरूप प्रतिष्ठित होगा।

वर्तमान में ट्रस्टी गण निम्नानुसार है

(१) श्री घीसालाल भगवतीरामजी – अध्यक्ष
(२) श्री झापूभाई पाटीदार – उपाध्यक्ष
(३) श्री शंकरलाल सीतारामजी – सचिव
(४) श्री राधेश्याम बालूजी – कोषाध्यक्ष

॥ उमाम्बा शरणमस्तु जन्मान्तरेष्वपि ॥

श्री अम्बिका पाटीदार समाज धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट
जिला इन्दौर (म. प्र.)

कार्यालय रंगवासा (राउ)
(ट्रस्ट पंजीयन क्रमांक १९७ इन्दौर)

मध्यप्रदेश की औद्योगिक नगरी इन्दौर एवं महू के मध्य ग्राम राउ रंगवासा मार्ग पर स्थित न्यास की भूमि पर पाटीदार समाज की विशाल योजनाएं निम्नानुसार प्रस्तावित हैं –

(१) जगदम्बा मन्दिर का निर्माण
(२) कन्या विद्यालय एवं छात्रावास
(३) चिकित्सालय एवं प्रसूतिगृह
(४) धर्मशाला का निर्माण
(५) बाल विद्या मन्दिर

प्रथम चरण में मन्दिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है ।

पाटीदार भाईयों से विनम्र अपील है कि समाज की योजनाओं को मूर्तरूप देने के लिये भरपूर आर्थिक सहयोग प्रदान करें ।

– प्रकाशक

न्यास मण्डल की प्रस्तावित योजनाओं की रूपरेखा

श्रद्धालु पाटीदार भाईयों एवं बहिनों,

भारत वर्ष का इतिहास इस बात का साक्षी है कि यह धर्म, और संस्कृति का देश है ।. . . भारतीय संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिये एवं साधना तथा आराधना के लिये मन्दिरों का अपना विशिष्ठ स्थान है । हमारा समाज अपनी कुलदेवी एवं जगत जननी श्री उमियामाता एवं श्री अम्बिका माता की आराधना करता है । मध्यप्रदेश के मालवा क्षेत्र एवं निमाड क्षेत्र में हमारा समाज सैंकडों वर्ष पूर्व गुजरात से आकर बसा है । हमारा प्रमुख धन्धा कृषि है । हम दिनरात परिश्रम करके अन्न उपजाकर देश की भूखमरी को मिटाने के लिये अपना अपूर्व योगदान दे रहे हैं । अपना आर्थिक संकट मिटाते हुए हम परमार्थ का कार्य तो कर ही रहे हैं, किन्तु अपनी गाढे पसीने की कमाई को पुराने रीति रिवाज एवं रुढियों के जंजाल में फंसकर बरबाद कर देते

हैं ।. . . आज समय की पुकार है कि हम हमारे रीति रिवाज एवं रुढियों को सीमित करके अनावश्यक खर्च में बचत करके इस राशि को हमारे परिवार की शिक्षा का स्तर सुधारने, आदर्श भावना को जागृत करने एवं समाज तथा देश की सेवा में अर्पित करें ।

इन्दौर जिला पाटीदार समाज ने यह कार्य करने का कार्यक्रम प्रारंभ किया है । पिछले समय में कई बार समाज सुधार एवं शिक्षा का प्रसार करने के लिये सम्मेलनों के माध्यम से हमें अवगत कराया है । माह नवम्बर १९८१ में इन्दौर जिले के पाटीदार भाईयों की एक बैठक में काफी विचार विमर्श किया जाकर तय किया गया कि समाज की गतिविधियों को केन्द्रित करने के लिये इन्दौर जिले में योग्य स्थान पर भूमि खरीदी जावे । समाज में दानवीरों की कमी नहीं है । ग्राम रंगवासा के स्वर्गीय सेठ श्री पूनमचंद पिता अम्बारामजी पाटीदार ने उनके स्वामित्व की एक पहाडी भूमि राउ रंगवासा मार्ग पर स्थित १२ एकड भूमि में से ४ एकड भूमि दान में तथा शेष भूमि विक्री द्वारा देने का प्रस्ताव रखा । भूमि को समाज के कार्यकर्ताओं ने उपयोगी बताई तथा दान में ग्रहण करने एवं खरीदने का तय किया गया । कार्यक्रम को तत्काल प्रारंभ करने के लिये इन्दौर जिले के कुछ दानदाताओं से सम्पर्क स्थापित करके धनराशि एकत्रित की जाकर भूमि की विधिवत कार्यवाही कर रजिस्ट्री कराई तथा १२ एकड भूमि का स्वामित्व प्राप्त किया ।

भूमि का विधिवत् पूजन दिनांक २० फरवरी १९८४ को समाज का सम्मेलन बुलाकर किया गया । इस सम्मेलन में सर्वानुमति से तय किया गया कि भूमि का विकास कार्यक्रम बनाया जाकर समाज से आर्थिक सहयोग प्राप्त करके निर्माण कार्य प्रारंभ किये जावें । इसी भूमि पर बाद में दिनांक २५–१२–८३ एवं दिनांक १८–१–८७ को इन्दौर जिला पाटीदार समाज के सम्मेलन भी बुलाये गये । माह जनवरी १९८७ में कडवा पाटीदार कुलदेवी श्री उमिया माता संस्थान ऊंझा, उत्तर गुजरात के एक १५ सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने राउ आगमन के समय इस भूमि का अवलोकन किया । स्थान की महत्ता की प्रशंसा करते हुए उन्होंने शीघ्र ही निर्माण कार्य प्रारंभ करने की सलाह दी ।

न्यास मंडल द्वारा इस भूमि पर वर्तमान में निम्न योजनाएं प्रस्तावित की हैं –

		अनुमानित लागत
(१)	श्री अम्बिका श्री उमिया श्री अन्नपूर्णा माता का मंदिर	६ लाख
(२)	कन्या माध्यमिक विद्यालय एवं छात्रालय	१५ लाख
(३)	चिकित्सालय एवं प्रसूतिगृह	१० लाख
(४)	यात्रियों एवं समाज के कार्यों के लिये धर्मशाला	१० लाख
(५)	बाल विद्या मंदिर	७ लाख
(६)	आफिस, गोदाम, बगीचे आदि	३ लाख

श्री अम्बा माताजी

श्री सरस्वती माताजी

श्री अन्नपूर्णा माताजी

श्री उमियाधाम

रंगवासा – राऊ * जिला. ईन्दोर (म.प्र.)

उपरोक्त निर्माण कार्यों पर अनुमानित लागत ५१ लाख तक आने की संभावना है।

प्रथम चरण में भूमि को समतल बनाकर वृक्षारोपण एवं बाग बगीचे लगाने तथा माताजी का विशाल एवं आकर्षित मंदिर निर्माण करने की कार्यवाही प्रारंभ की जा चुकी है।

मन्दिर का निर्माण कार्य विधिवत पूजन करके दिनांक ३० मार्च १९८७ गुडी पडवा के शुभ दिन पर प्रारंभ कर दिया गया है। पानी की कमी की पूर्ति के लिये दान स्वरूप में समाज के भाई श्री वल्लभभाई पटेल, एवं श्री मनोहरलाल पाटीदार इन्दौर ने नलकूप खोदकर एवं मोटर पम्प लगाकर दिया। आश्चर्य की बात है कि इस भूमि के आसपास २०० से लगाकर ३०० फीट तक के नलकूप है जिनमें बहुत ही कम पानी है, किन्तु समाज की इस भूमि पर सिर्फ १२० फीट पर ही गंगा का प्रवाह उछाले लेता हुआ बाहर आया। इस आश्चर्य चकित घटना को हम माताजी का आशीर्वाद एवं शक्ति ही मान सकते हैं। निर्माण कार्य में पानी का सबसे वडा व्यवधान समाप्त करके हमें आव्हान किया है कि– हे मेरे सपूतों जागो एवं वर्तमान युग की धारा के साथ चलना सीखो। पानी रूपी अमृत का प्राप्त होना माताजी का आशीर्वाद समझकर इस भूमि को मध्यप्रदेश ही नही सारे भारत देश का एक गौरवशाली तीर्थस्थल एवं विद्या का केन्द बनाने में जुट जायें। वैसे देखा जाय तो समय की दौड में हम अन्य प्रगतिशील समाजों से काफी पीछे हैं, किन्तु आने वाले समय में हमें संगठित होकर आपसी राग–द्वेष छल कपट, ईर्ष्या एवं भेदभाव को भुलाकर समाज के चहुं मुखी उत्थान में जुटना है।

आईये हम इस शुभ कार्य में तन मन धन से अधिकतम आर्थिक सहयोग प्रदान कर हमारी योजनाओं को सफल बनावें।

पिछले चार वर्षो से समाज सुधार एवं फिजुल खर्ची रोकने के लिये इन्दौर जिले में सामुहिक विवाह समारोहों का आयोजन कर समाज का लाखों रुपया बरबाद होने से बचा रहे हैं। यह हमारी पुरानी रुढियों को समाप्त करने की ओर पहिला प्रयास है। इसके अतिरिक्त अन्य कुप्रथाओं को भी दिनोंदिन सीमित करते जा रहे हैं।

दानवीरों एवं परोपकारी भाईयों, माताओं एवं बहिनों से हमारी विनम्र अपील है कि इस वृहत् योजना को सफल बनाने में अपना अभूतपूर्व आर्थिक सहयोग प्रदान कर कार्यकर्ताओं को शक्ति प्रदान करें।

मां अम्बिका, मां उमां, मां अन्नपूर्णा का आर्शिवाद हम सबको मिलता रहे इसके लिये अन्तःकरण से प्रार्थना करते हैं।

विनीत,
श्री अम्बिका पाटीदार समाज धार्मिक
एवं पारमार्थक ट्रस्ट, रंगवासा

श्री उमिया धाम राउ–रंगावासा (इन्दौर)

उमिया धाम की स्थापना का इतिहास एवं भावी योजनाएं

(१) **शुभ संकल्प एवं भूमिपूजन :** श्री अम्बिका पाटीदार समाज धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट राउ रंगवासा (इन्दौर) ट्रस्ट की स्थापना सन् १९८१ (पंजीयन क्र. १९७) में की गई। इसी पावन स्थल पर पाटीदार समाजने मिलकर शुद्ध वातावरणमें भव्य मन्दिर निर्माण किया तथा इस पवित्र स्थल का नामकरण भी "उमिया धाम" दिया। इस पवित्र तीर्थ स्थल के विकास हेतु इन्दौर जिला पाटीदार समाजने तन–मन–धन से अभूतपूर्व सहयोग प्रदान किया।

(२) **अखंड ज्योति :** इस मन्दिर में ऊंझा से श्री उमिया माताजी की अखंड ज्योति लाकर स्थापित करने के उद्देश्य से दिनांक १२/३/९० को १३१ कार्यकर्ताओंका दल श्री परमानंद पाटीदार तिल्लौर खुर्द तथा श्री रामप्रसाद पाटीदार (बप्पा) खजराना के निर्देशन में रवाना हुआ। दिनांक १४/३/९० को ऊंझा से अखंड ज्योति लेकर यह उत्साही दल पैदल चलकर दिनांक २९/३/९० को कच्छ पाटीदार समाज भवन लावरिया भेरु (इन्दौर) पहुंचा। वहां से विशाल जुलूस जयघोष करते, पुष्पवर्षा करते, स्वागतातुर नरनारियों के साथ रंगवासा ग्राम के मंदिर पहुंचा। इस अखंड ज्योति को रंगवासा से खजराना ले जाकर दिनांक ३/९/९० के विशाल चल समारोह में सम्मिलित किया गया।

(३) **शोभा–यात्रा :** दिनांक ३ मई १९९० को माँ अम्बा, माँ उमा, माँ सरस्वती तथै गणेशजी व हनुमानजी की मूर्तियों की करीब ४ किलोमीटर लम्बी विशाल शोभायात्रा ग्राम खजराना गणेश मन्दिर से प्रांरभ होकर इन्दौर नगर के प्रमुख माग्रों से होती हुई शाम ४ बजे उमिया धाम पहुंची। इस विशाल चल समारोह में ६ बेण्ड, ३ हाथी, ११ घोडे, ११ ऊंट, २ बग्घियां, २२२ ट्रेक्टर–जीप–ट्रक–मेटाडोर, सैकडों की तादाद में स्कूटर, मोटर सायकलें, हजारों की तादाद में भक्तजन, माताएं–बहनें वाहनों में बैठकर तथा पैदल चलकर यात्रा कर रही थी। स्वअनुशासित एवं ऐतिहासिक पाटीदार समाज की विशाल शोभा–यात्रा की सर्वत्र प्रशंसा की गई। शोभायात्र का संचालन व्यवस्थित रूप से करने में ग्राम खजराना के पाटीदार कार्यकर्ताओं का सहयोग प्रशंसनीय रहा।

(४) **प्राण–प्रतिष्ठा समारोह :** दिनांक ७ मई से मई १९९० तक पंच दिवसीय प्राण–प्रतिष्ठा महोत्सव एवं पंच कुण्डात्मक यज्ञकार्य सम्पन्न हुआ। पंच कुण्डात्मक महायज्ञ प्रमुख आचार्य श्री कल्याणदासजी शास्त्री के सान्निध्य में प्रमुख यजमान न्यास मंडल के अध्यक्ष श्री रामचन्दजी पाटीदार एवं २९ अन्य यजमानों द्वारा सकुशल सम्पन्न किया गया। दिनांक ६ मई को मंदिर में स्थापित की जानेवाली ५१ वस्तुओं के नामकरण के लिये नीलामी की गई। जिससे न्यास मंडल को ४,४५,९५३ रुपये की आय हुई। नीलामी में अधिकतम बोली माँ जगदम्बा कलश के लिये १,००,१११ रुपये

की श्री लक्ष्मीनारायण गेंदालालजी पाटीदार निवासी केलोद की रही। दिनांक ६ मई को प्रातः १० बजे से दुपहर १२ बजे तक विधि विधान मंत्रोच्चार के साथ ५० हजार भक्त गणों की उपस्थिति, माँ उमिया की जयघोषों, शंखनादों, घंटाध्वनियों के बीच पांचों मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इसके पश्चात् उपस्थित जन समुदाय को महाभोग भंडारा में भोजन प्रसाद दिया गया।

(५) **कन्या छात्रावास एवं विद्यालय भवन का शिलान्यास :** दिनांक ७ मई १९९० को उमिया धाम पर एक हजार बालिकाओं के लिये २५० कमरों के विशाल कन्या छात्रावास एवं विद्यालय भवन का शिलान्यास मुख्य अतिथि श्री केशवलालजी पटेल, अध्यक्ष श्री उ. मा. संस्थान, ऊंझा के करकमलों से एवं श्रीमति गुलाबबाई पति रामनारायणजी पाटीदार खजराना की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। इस भवन की अनुमानित लागत ७५ लाख रुपये हैं। जिसके लिये आज निम्नानुसार विशेष दान घोषणाएं हुई –

नं.	नाम	रुपये
१.	श्री शेठ केशवलाल विठ्ठलदासजी पटेल, सिद्धपुर, उ. गुजरात	१,११,१११
२.	श्रीमती गुलाबबाई पति रामनारायणजी पाटीदार खरजाना	१,५५,१११
३.	श्री पुरुषेत्तमजी पाटीदार, उपाध्यक्ष उमिया धाम, इन्दौर	२,०१,१११
४.	श्री मनोहरलालजी पाटीदार, इन्दौर	१,६१,१११
५.	श्री हरिनारायण मुकाती, खजराना	२,५१,१११
६.	श्री रामचन्द्रजी पाटीदार, अध्यक्ष, उमिया धाम, रंगवासा	१,११,१११
७.	श्री चतुर्भजजी पाटीदार, उपाध्यक्ष, उमिया धाम, राऊ	१,११,१११
८.	श्री लक्ष्मीनारायण बिहारीलालजी मुकाती, राऊ	१,११,१११
९.	श्री मांगीलालजी मुकाती, तिल्लौर खुर्द	१,११,१११
१०.	श्री घनश्यामजी कटारिया, खजराना	१,२१,१११
११.	श्री बद्रीलालजी पाटीदार गलीवाले, खजराना	१,११,१११
१२.	श्री कच्छ पाटीदार समाज, नवलखा, इन्दौर	१,००,१११

इस अवसर पर कन्या छात्रावास हेतु कुल ४३ लाख रुपयों की आदर्श क्रांतिकारी घोषणाएं करके पाटीदार समाज ने बालिकाओं की शैक्षणिक प्रगति के लिये ऐतिहासिक साहस का परिचय दिया।

(६) **विशिष्ठ अतिथि :** प्राण प्रतिष्ठा समारोह के शुभ अवसर पर प्रमुख रूप से भी अरविन्दभाई पटेल, राज्यमंत्री, गुजरात शासन; श्री केशवलालजी पटेल अध्यक्ष एवं श्री माधवभाई पटेल, श्री मणीभाई पटेल (मम्मी), श्री बाबुभाई पटेल उपाध्यक्ष एवं ट्रस्टी गण ऊंझा, श्री कन्हैलालजी सूर्या, उपाध्यक्ष म. प्र. पाटीदार समाज श्री जयराम पाटीदार सहसचिव म, प्र. पाटीदार समाज; श्री चैनसिंह पाटीदार, पूर्व अध्यक्ष म. प्र. पाटीदार समाज; श्री गोरधनभाई पटेल, बडौदा, डो. मफतलाल पटेल एवं श्री

हर्षदभाई पटेल, धरती विकास मंडल अहमदाबाद; श्री जयंतिभाई पटेल संपादक उमिया दर्शन; अहमदाबाद, श्री रामेश्वर पाटीदार सांसद, खरगोन; श्री गजानन पाटीदार विधायक कसरावद; श्री भेरुलाल पाटीदार विधायक, महू (मा. राज्यमंत्री म. प्र. शासन) श्री मदनलाल पाटीदार अध्यक्ष, श्री राम मंदिर उज्जैन; श्री आत्माराम पाटीदार अध्यक्ष हाटपीपल्या छात्रावास; श्री शोभाराम अध्यक्ष औंकारेश्वर धर्मशाला; निमाड के प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता श्री मांगीलाल पाटीदार (पूर्व प्रांतीय सचिव), श्री खेमचन्दभाई पाटीदार, श्री आर. सी मुकाती एवं श्री शांतिलाल गामी एडवोकेट एवं गुजरात , महाराष्ट्र, राजस्थान व म.प्र के प्रतिनिधि प्रमुख रूप से उपस्थित थे ।

(७) न्यासमंडल की प्रस्तावित योजनाएं :

१. **जगदम्बा मंदिर :** आकर्षक एवं भव्य मंदिर बनकर एवं प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद दिनांक ७ मई १९९० से आम जनता के दर्शनार्थ खोल दिया गया है । लागत १० लाख रुपये है ।

२. **कन्या छात्रावास एवं विद्यालय :** दानदाताओं द्वारा १२५ कमरे निर्माण की घोषणा; ७५ लाख अनुमानित लागत, ६ठी से १२ वी तक की अध्यापन व्यवस्था, २५० कमरे । सामूहिक विवाह की बचत राशि ६० हजार कन्या छात्रावास निर्माण में प्रदान ।

३. **उद्यान, आफिस, गोदाम :** लागत लगभग १५ लाख रुपये ।

४. **नर्सिंग होम :** लागत लगभग ४० लाख रुपये । प्रदेश के पाटीदार चिकित्सकों से सहयोग का आश्वासन ।

५. **पथिकाश्रम (धर्मशाला) :** लागत अनुमानित ४५ लाख । तीर्थ स्थल पर आनेवाले श्रद्धालुओं के लिये आवास सुविधा ।

६. **बाल विद्यामंदिर :** लागत अनुमानित १५ लाख । बालवाडी एवं पूर्वी तक की शिक्षण सुविधा प्रस्तावित ।

७. **सामूहिक विवाहों का आयोजन :** पिछले चार वर्षों से समाज सुधार एवं फिजुल खर्ची रोकने के लिये इन्दौर जिले में सामूहिक विवाह समारोहों का आयोजन कर समाज के लाखों रूपये बरबाद होने से बचा रहे हैं । उमिया धाम पर प्रतिवर्ष सामूहिक विवाह आयोजित करते रहने का निर्णय लिया गया है ।

(८) न्यास मण्डल के पदाधिकारी, ट्रस्टीगण एवं पदेन सदस्य :

१. श्री रामचन्द पाटीदार, रंगवासा, अध्यक्ष
२. श्री पुरुषोत्तम पाटीदार, सराफा इन्दौर, उपाध्यक्ष
३. श्री चतुर्भुज पाटीदार, राउ, उपाध्यक्ष
४. श्री पुरुषोत्तम मुकाती, इन्दौर, सचिव
५. श्री बोंदरमल सूले, राउ, कोषाध्यक्ष
६. श्री रमेशचन्द सूर्या, राउ, सहसचिव

श्री अम्बिका पाटीदार समाज धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट

श्री उमियाधाम रंगवासा-राऊ जिल्ला इन्दोर (म. प्र.)

न्यास मंडल के सदस्यगण

प्रथम पंक्ति (बायें से) भीलचन्द्र मुले, बांदरमल मुले-कोषाध्यक्ष, मांगीलाल मुकाती

द्वितीय पंक्ति ,, ,, बालाराम पटेल, रामचन्द्र कैलोत्रा,

तृतीय पंक्ति ,, ,, रामजीभाई पटेल, चतुर्भुज पाटीदार, पुरुषोत्तम पाटीदार,

उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष

चतुर्थ पंक्ति (खड़े हुए) पुरुषोत्तम मुकाती-सचिव, रतनशीभाई पटेल, रमेशचन्द्र सूर्या

सहसचिव

पाटीदार समाज धर्मशाला, ओंकारेश्वर, पू. निमाड

अविस्मरणीय यादगार चित्र

प्राण प्रतिष्ठा चल समारोह में जिज्ञासु जनसमुदाय, राम मंदिर-उज्जैन

पाटीदार समाज धर्मशाला औंकारेश्वर (मान्धाता) निमाड (म.प्र.)

पावन भूमि भारत में बारह ज्योतिर्लिंग हैं । इनमें से एक औंकार ममलेश्वरं के नाम से विख्यात् मंदिर नर्मदा के पवित्र तट पर है । यह भारत प्रसिद्ध शिवालय एवं आकर्षक पर्यटक स्थल है । यहां बारहों महिने दर्शनार्थी आते रहते हैं ।

औंकारेश्वर क्षेत्र में लगभग सभी जातियों की धर्मशालाएं है । इसी श्रृंखला में निमाड जिले के पाटीदार समाज के बुजुर्गों एवं पूजनीय महानुभावों की प्रेरणा से धर्मशाला निर्माण की कल्पना साकार हुई । इसके प्रमुख प्रेरणा स्रोत–मोगावां के श्री नत्थू छीतरजी, नारायण अमीचन्दजी स्वर्गस्थ पूनमचंद भीखाजी तथा मंदोरी के श्री बालाराम अमीचन्दजी थे । इनके सहयोग से ग्राम ठनगांव के स्व. गणपतजी नारायणजी गोदावरिया ने १४,००० रुपये दिये । फिर शोभारामजी पाण करोंदिया तथा उक्त बुजुर्ग ग्राम महेतवाडा के स्व. बालमुकुन्द बालूजी पाटीदार से मिले; उन्होंने भी धर्मशाला हेतु १०,००० रुपये की घोषणा की । इससे प्रेरित होकर ये सभी सदस्य धर्मशाला के लिये भूमि देखने औंकारेश्वर गये । कुछ जमीनें देखी । धार्मिक कार्य में दैवी संयोग भी मिल गया । जिस भूमि का चयन वह ओंकारेश्वर ग्राम पंचायत के सरपंच ठाकुर शिवचरणसिंहजी के प्रयास एवं प्रस्ताव से १०० x ५० फीट की भूमि संयुक्त संचालक इन्दौर विभाग से निःशुल्क दि. २७–१–७५ को प्राप्त हो गई । फिर दिनांक ३–३–७५ को ग्राम पंचायत औंकारेश्वर से प्रस्तावित नकशे के आधार पर धर्मशाला निर्माण का आर्डर मिला ।

धर्मशाला निर्माण कार्य चालू करने हेतु पाटीदार समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों से संपर्क किया । इस धर्मशाला निर्माण का बीडा उठाया था – पाटीदार समाज के प्रतिष्ठित अध्यक्ष एवं दानदाता, समाज सेवी शेठ स्व. फत्तूलालजी माधवजी पाटीदार, ग्राम पथराड ने । प्रमुख सहयोगी रहे श्री शोभारामजी पाण करोंदिया, श्री दुलीचंद मोतीलालजी चुन्दडिया, श्री शोभाराम दल्लूजी नाँदरा । इसके अलावा बहुत से समाज सेवी सदस्यों ने सहयोग दिया । सर्व प्रथम ८० x ५० वर्गफीट में १६ कमरे, बीच में खुला चौक और बरामदावाला भवन बनाने का ठेका दिया । धर्मशाला का प्रथम चरण सन् १९७७ में बनकर तैयार हुआ । धर्मशाला में जगज्जननी माँ अम्बिका का मन्दिर भी बनाया गया; जिसमें मूर्ति लगभग ५००० रुपये खर्च करके ग्राम होदडिया के श्री ज्ञानचंदजी पाटीदार व श्री भगवान हीरालालजी

पाटीदार ने प्रतिष्ठित की। सन् १९८१ में धर्मशाला की ऊपरी मंजिल, रसोईघर, आदि निर्माण किये। अब धर्मशाला में कुल ३१ कमरे एवं एक बडा हौल है। इस धर्मशाला निर्माण में मुख्य रूप से निमाड जिले के पाटीदारों का सहयोग मिला है। इसके अलावा इन्दौर जिले के १२ ग्रामों तथा गुजरात के दानवीरों से भी सहयोग मिला है। धर्मशाला की कुल लागत रुपये ७ लाख है। गुजरात से श्री उ. मा. सं. ऊंझा से जब समाज यात्रा दल आया था, तब प्रमुख श्री केशवलालजी पटेल सिद्धपुर (उ. गुजरात) ने ४,००० रुपये प्रदान किये थे।

धर्मशाला में माँ नर्मदा की परिक्रमा वासियों को तथा साधु-संतों को सदाव्रत दिया जाता है। सदाव्रत के लिये अमरदान की पूंजी ९०,००० बैंक में फिक्स डिपोजिट है, जिसके ब्याज से सदाव्रत चलता है। कुछ ग्रामों से पाटीदार समाज गेहूं भी भेजता है।

धर्मशाला में यात्रियों की सुविधा के लिये गादी, रजाई, बिस्तर तथा रसोई बनाने के बर्तनों के साथ रसोई घर की व्यवस्था है। धर्मशालामें एक मेनेजर, एक चौकीदार, एक पुजारी तथा सफाई कर्मचारी नियुक्त हैं। धर्मशाला के ट्रस्ट का पंजीयन क्र. ३४७/८७ है। प्रथम न्यास मंडल के पदाधिकारी व सदस्य निम्नानुसार है।

(१) अध्यक्ष - श्री फत्तूलाल माधवजी पाटीदार, पथराड
(२) श्री शोभाराम भगवानजी पाण करोंदिया
(३) श्री शोभाराम दल्लूजी नांदरा
(४) श्री दुलीचन्द मोतीलालजी चुन्दडिया
(५) श्री नारायण अमीचन्दजी मोगावा
(६) श्री दीपचन्द नारायणजी भूदरी
(७) श्री भगवान हीरालालजी होदडिया
(८) श्री अमीचन्द जादवजी सुन्देल
(९) श्री केशव माधवजी बाल समुंद
(१०) तिलोकचन्द नत्थूजी सुरती साटकुर
(११) श्री राजाराम गेंदालालजी सिमरोल (मालवा) हाल मु. उमरीखेडा।

उपरोक्त न्यास मंडल के अध्यक्ष श्री फत्तूलालजी पाटीदार पथराड तथा सदस्य श्री अमीचंदजी सुन्देल का निधन होने से न्यास मंडल का पुनर्गठन किया गया। उसके अनुसार -
(१) श्री शोभाराम भगवानजी पाण करोंदिया अध्यक्ष हैं तथा
(२) श्रीमती सरस्वतीबाई बेवा फतूलालजी पथराड
(३) श्री घनश्याम गणपतजी गुलजरा (धामनोद) नये सदस्य हैं।

बाकी न्यासीगण यथावत् ही हैं। न्यास मंडल की मीटींग महिने में एक बार अमावस्या की पूर्व रात्रि (चौदस) को होती है। न्यासीगणों को किराया भत्ता नहीं दिया जाता। मीटिंग में धर्मशाला की व्यवस्था, आय-व्यय का लेखा-जोखा, निर्माण कार्य की व्यवस्था आदि के बारे में विचार व निर्णय किये जाते हैं।

श्री उमिया माताजी की "अखण्ड दिव्य ज्योति" पदयात्रा का इतिहास (मार्च, १९८६)

पश्चिम निमाड की तेहसील महेश्वर में बसा ग्राम–करोंदिया यह एक छोटा सा गांव है। इस ग्राम में पाटीदार समाज के ११० घर है। पाटीदार समाज की जनसंख्या १ हजार है। यहां के सभी पाटीदार कडवा पाटीदार है। एवं इनका मुख्य धंधा कृषि है।

यहां का पाटीदार समाज धर्मप्रेमी है। बहुत सी धार्मिक संस्थाएं है। एवं कई तरह के धार्मिक कार्यक्रम यहां होते रहते है।

यह ग्राम करीब १५० वर्ष पुराना है। इस ग्राम में संवत् १९९१ से रामलीला चालू हुई, जो अच्छे कलाकार द्वारा कलामय तरीके से (प्रतिवर्ष) २० वर्ष तक चलती रही और आसपास के परगनो में विख्यात हुई। यहां के पाटीदार समाज के द्वारा कार्तिक वदी तीस संवत् १९९७ को "श्री सनातन धर्म सभा करोंदिया" परगना महेश्वर, जिला–पश्चिम निमाड, होल्कर राज्य नाम की संस्था की स्थापना हुई। सभा का उद्देश्य भक्ति, ज्ञान, सदाचार एवं सेवा द्वारा सनातन धर्म का प्रचापर करना था। इस सभा के द्वारा प्रथम कार्यक्रम मार्गशीर्ष कृष्ण–पक्ष तीन याने दिनांक १८–११–१९४० को देश के प्रसिद्ध विद्वानों द्वारा सनातन धर्म प्रचार की सभा हुई, जिस में प्रसिद्ध विद्वान वयोवृद्ध युक्ति विशारद महोपाध्याय शद्धेय पंडित कालूरामजी शास्त्री अमरोधा निवासी पधारे तथा कई अन्य विद्वान पंडित पधारे थे। यह सभा चार दिन तक चली। इन चार दिनों में पुराण तथा गीता विवेचन, अवतार, मूर्ति पूजा, वर्ण व्यवस्था, भगवद् भक्ति प्रभृति विषयों पर विद्वानों के भाषण हुए।

शास्त्रीजी द्वारा सनातन धर्म का अनूठा प्रचार किया गया। इसी प्रकार द्वितीय सभा संवत् १९९८ में भी चार दिवसीय हुई; जिसमें पंडित कालूरामजी शास्त्री एवं पंडित अखिलानंदजी सरस्वती शामिल हुए थे। इस सभा में पाटीदार समाज के अग्रणी – स्वर्गीय श्री रामलाल गणेशजी, स्वर्गीय श्री शंकर भीलाजी, स्वर्गीय श्री द्वारका ओंकारजी, श्री शोभारम लखमणजी एवं ब्राह्मण समाज के स्वर्गीय पटेल श्री राजारामजी बिल्लौरे मुख्य अग्रणी थे। इस ग्राम में होल्कर राज्य द्वारा संवत् २००१ में विशाल कृषि प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था।

संवत् २०१३ से इस ग्राम में नवरात्री त्यौहार बडे धूमधाम के साथ मनाया जाने लगा। इसमें नवरात्री के नव दिन तक कई प्रकार के नाटकों का मंचन एवं लोकनृत्य किये जाते थे। इसे देखने के लिये कई परगनों से लोग उत्सुक होकर यहां पर आते थे। यह झांकियां कई परगनों में विख्यात हुई।

इस ग्राम में पाटीदार समाज अधिक होने से तथा धर्म के प्रति अच्छी आस्था होने से एक संत ने माताजी की प्रेरणा से ग्रामवासियों को कुलदेवी श्री उमिया माताजी की अखण्ड दिव्य ज्योति ऊंझा (उत्तर गुजरात) से पैदल लाने के लिए प्रेरित किया।

ग्रामवासी सोच विचार करने लगे। ६०० किलो मीटर पैदलयात्रा अप्रेल माह में करना बहुत कठिन एवं दुष्कर कार्य लगा; किन्तु यहां के नवयुवकों में उत्साह था एवं माताजी के प्रति श्रद्धा थी, परन्तु यह वर्ष सूखा था। पानी की समस्या बहुत कठिन थी और गर्मी का मौसम होने से बुजुर्गों को यह काम बहुत कठिन लगने लगा। उन्होंने युवकों को कई प्रकार से समझाया, मगर माताजी की कृपा ही ऐसी हुई की नवयुवकों में जोश एवं उत्साह और ज्यादा बढ गया व इस शुभ कार्य के लिए संत के साथ हो गये।

अखण्ड दिव्य ज्योति को इस ग्राम में लाने की तैयारियां शुरु हो गई। संत के साथ श्री रामचन्द्र शंकरलालजी पाटीदार व श्री देवनारायण द्वारकाजी पाटीदार कुलदेवी श्री उमिया माताजी की अखण्ड दिव्य ज्योति लाने की अनुमति लेने के लिए ऊंझा दिनांक १३-३-८६ के दिन पहुंचे। रात्री को संस्थान के सदस्यों की एक विशेष मीटिंग बुलाई गई, प्रतिनिधियों द्वारा माताजी की ज्योति निमाड ले जाने सम्बंधी चर्चा हुई। सभी सदस्यों ने इस कार्य के लिए एक मत होकर अनुमति प्रदान की व प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह कार्य अच्छा है इसके लिए सभी प्रकार की व्यवस्था करने का एवं पूरा-पूरा सहयोग देने के लिए कहा।

श्री उमिया माताजी संस्थान के प्रचार एवं प्रकाशन समिति के चेरमेन श्री मणीभाई पटेल (मम्मी) से विशेष चर्चा हुई। जब उनसे प्रतिनिधियों ने मध्य-प्रदेश के निमाड में माताजी की अखण्ड दिव्य ज्योति पैदल यात्रियों द्वारा ले जाने के लिए कहा तो वह खुशी से झूम उठे और बोले - यह एक महान कार्य होगा। जब ज्योति यात्रा निकलेगी तो गांव गांव में पाटीदार भाईयों को कुलदेवी मां ऊमिया का संदेश पहुंचेगा और ज्ञात होगा कि पाटीदार समाज की कुलदेवी माँ श्री ऊमिया हैं। माताजी की असीम कृपा से पूरे प्रदेश में पाटीदार भाई तेजी से विकास की ओर बढेंगे। यह शुभ समाचार लेकर प्रतिनिधि ग्राम करोंदिया वापस आये। संस्थान में हुई चर्चा ग्राम निवासियों को बताई गई। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड गई। गाँववालों एवं पुरुषों की संख्या बढने लगी, जो धीरे धीरे १४० तक पहुंच गई।

दिनांक २७ मार्च १९८६ की सुबह सूर्य की प्रथम किरण के साथ सभी यात्री तैयार होकर माताजी की अखण्ड दिव्य ज्योति लेने के लिए श्री ऊमिया माताजी की

जय घोष करते हुए, अपने अपने वाहनों में बैठने लगे । सम्पूर्ण ग्राम की माताओं, बहनों, युवकों एवं बुजुर्गों ने बिदाई दी तथा आशीर्वाद दिया और कहा कि जाओ – गाँव की युवाशक्ति वर्षों से जिस कुलदेवी माँ से हम दूर बसे हैं, उन स्वयं साक्षात माँ को श्रद्धा भाव तथा प्रेम से निमंत्रण देकर हमारे प्रदेश एवं गाँव में लाओ, ताकि हमारा पाटीदार समाज उनके दर्शन व आशीर्वाद से सुखमय बने ।

८५ पुरुष तथा ५५ महिलाओं का यह काफिला भजन–कीर्तन करता हुआ, ऊंझां के लिए रवाना हुआ । महेश्वर, धामनोद, धार, झाबुआ, दाहोद, संतरामपुर, लुणावाडा, मोडासा, हिम्मतनगर, वीजापुर, विसनगर होते हुए २८ मार्च सन् १९८६ को सूर्योदय की पहली किरण के साथ माताजी की जयकार के साथ एवं झूमते गाते ऊंझा नगर में श्री ऊमिया माताजी मंदिर के प्रांगण में पहुंचा । यहां पर संस्थान की ओर से सभी यात्रियों का स्वागत किया गया । यात्रियों के भोजन तथा विश्रांति गृह में ठहरने की उचित व्यवस्था की गई । ६०० किलोमीटर की यात्रा होने से सभी यात्रियों ने २८ मार्च को आराम किया । २९ मार्च के दिन सुबह ७ बजे से शाम ७ बजे तक ग्राम करोंदिया के यात्रियों ने अखण्ड कीर्तन का कार्यक्रम मंदिर प्रांगण मे रखा । इस कीर्तन में 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' द्वादश मंत्र का जाप किया गया । कीर्तन कार्यक्रम में ऊंझा नगर के सैकंडों नर नारियों ने निमाड से आये हुए यात्रियों के साथ पूरा दिन कीर्तन किया । शाम ७ बजे भोजन करने के पश्चात् रात्री ९ बजे संत द्वारा प्रवचन कार्यक्रम हुआ, जिसमें यात्रियों एवं ऊंझा नगर के सैकडों नर–नारियों ने प्रवचनों का लाभ लिया ।

अगले दिन ३० मार्च को सुबह हवन कार्यक्रम प्रारंभ हुआ । उसमें यात्रियों की ओर से आगेवान हवन कर्ता श्री हरिराम सीताराम तथा उनकी धर्मपत्नी श्रीमती भगवती बाई के द्वारा माताजी के पुजारी पूजनीय श्री सुखदेवजी शास्त्रीने सम्पूर्ण विधि विधान से हवन करवाया । हवन के पश्चात् "श्री उमिया माताजी जल अभिषेक एवं अठारह सौ वर्ष से प्रज्वलित "अखण्ड दिव्य ज्योति" की पूजा अर्चना की गई । माताजी की जयघोष करते हुए शास्त्रीजी ने निमाड के आगेवान श्री हरिराम पाटीदार को ज्योति सौंप दी । सभी यात्री व ऊंझा नगर के निवासीयों ने श्री ऊमिया माताजी की जय जयकार एवं कीर्तन करते हुए, कीर्तन मंडप में पहुंचे । ज्योति को रथ में विराजमान कर पूजा–अर्चना व आरती करके प्रसादी वितरण की गई ।

उसी दिन दोपहर बाद ऊंझा नगर में "अखण्ड दिव्य ज्योति" की शोभायात्रा निकाली गई, जिसमें महिलाओं द्वारा १०८ कलश यात्रा के साथ सैकडों महिलायें तथा पुरुष शामिल हुए । रथ के आगे आगे बैन्ड बाजे अपनी मधुर ध्वनि बिखेर रहे थे ।

पैदल यात्री झाँझ, मंजीरा एवं ढोलक बजाकर कीर्तन कर रहे थे। रथ के पीछे कलश यात्री व महिलाए भजन करते हुए चल रही थी। विडीयो कैमरा पुरी शोभायात्रा पर अपनी निगाहें दौडा रहा था। फोटो कैमरे जगह जगह अपने लाईट चमका रहे थे। इस प्रकार ऊंझा नगर के मुख्य मार्गों से होती हुई यह शोभायात्रा मंदिर के प्रांगण में समाप्त हुई। उसी दिन रात्री ९ बजे पैदल यात्रियों को छोडकर बाकी सभी यात्री निमाड के लिए रवाना हो गये। श्री ऊमिया माताजी ऊंझा के पुजारी श्री सुखदेवजी शास्त्री द्वारा पैदल यात्रियों के लिए शुभ मुहूर्त १ अप्रेल का निकाला गया।

१ अप्रेल १९८६ की सुबह सभी यात्री अपनी दिनचर्या निपट कर तैयार हुए। ज्योति लेकर रवाना होने की तैयारी शुरु हुई। संस्थान की ओर से बिदाई समारोह का कार्यक्रम रखा गया। जिसमें संस्थान के प्रमुख श्री केशवलालजी पटेल, सभी सदस्यगण, कर्मचारी गण, माताएं–बहनें एवं ऊंझा के नगरवासी पधारे। संत व माताजी के पुजारी शास्त्रीजी द्वारा प्रवचन हुए। प्रमुख श्री केशवलालभाई पटेलने पुष्पदार के साथ सभी यात्रियों को बिदाई दी। पैदल यात्रियों के प्रमुख श्री रामचन्द्र पाटीदार ने माताजी संस्थान तथा ऊंझा वासियों का आभार व्यक्त किया, और कहा कि आपकी ओर से जो सहयोग एवं प्यार मिला है, उसका वर्णन माँ शारदा के अलावा और कोई नहीं कर सकता है। भविष्य में समय–समय पर ग्राम करोंदिया निवासी आपके मार्गदर्शन व आशीर्वाद की आप सभी से आशा करते हैं।

सभी पैदल यात्री कुलदेवी श्री उमिया माताजी की "अखण्ड दिव्य ज्योति" लेकर माताजी की जय जयकार व भजन कीर्तन करते हुए रवाना हुए। ऊंझा नगर के सैकडों नर–नारी बिदाई देने के लिए साथ–साथ चलने लगे।

अगले दिन २ अप्रेल को विसनगर से सुबह यात्री रथ लेकर रवाना हुए। नगर के नर नारी नगर की सीमा तक माताजी की ज्योति व पैदल यात्रियों को बिदाई देने आये। यात्रियों के साथ एक मेटाडोर में थी, जिसमें उनका सामान व्यवस्थित रखा रहता था। गर्मी का मौसम, अप्रेल का तपता हुआ महीना, रास्ते में पानी की कठिन समस्या थी। यात्रियों को बीच बीच में पानी मेटाडोर में ड्रम भरकर लाते थे एवं प्यास बुझाते थे। श्री ऊमिया माताजी संस्थान ऊंझा की गाडी लेकर श्री चिमनभाई पटेल ने यात्रियों के लिए कई स्थानों पर व्यवस्था की।

पैदल यात्री शुरु शुरु में प्रतिदिन २५ से ४० किलोमीटर की यात्रा करते थे; मध्य चरण में ४० से ५० एवं अंतिम चरण में तो करीब ६७ किलोमीटर तक की एक दिन में यात्रा की। इसी प्रकार सम्पूर्ण गुजरात में जिन मार्गों से माताजी का रथ एवं यात्री गुजरात प्रदेश की १४ दिन की यात्रा करके मध्यप्रदेश में प्रवेश कर गए। इस

१४ दिन की यात्रा में जो प्रेम, सहयोग एवं सौहार्य मिला उसको यात्री अपने जीवन में तो क्या, इतिहास भी कभी नहीं भुला सकेगा ।

इस यात्रा ने ऊंझा से विसनगर, विजापुर, हिम्मतनगर, गढडा कम्पा, मोडासा, मेणीकम्पा, माही नदी, हीरापुर, लीमडी एवं दाहोद से होते हुए ९ अप्रेल को मध्य प्रदेश में प्रवेश किया । इधर झाबुआ, राजगढ, सरदारपुर, दसई एवं धार से धामनोद १६ अप्रेल'८६ के जिन सुबह पहुंचे । वहां पर नगर के स्त्री–पुरुष बेन्ड बाजे और मंगल गीत गाती हुई स्त्रियों ने कलश लेकर माताजी की अगवानी की । माताजी का स्वागत एवं पूजन किया । यहां से एक विशाल शोभायात्रा निकली । यात्री माताजी की ध्वजाएं लेकर भजन किर्तन करते हुए चल रहे थे । इस शोभायात्रा में धामनोद के आसपास के गांवों से भी जनता ट्रेक्टर, मोटर एवं मोटर साईकिलो से माताजी की आगेवानी करने आये थे । यह शोभायात्रा ९ किलोमीटर लम्बी थी । शहर के मुख्य मार्गो से होती हुई बहुचरा माताजी के मंदिर–प्रांगण में पंहुची । पाटीदार समाज की निमाड जिले के इतिहास में यह सब से बडी शोभायात्रा थी । यहां पर यात्रियों ने भोजन व विश्राम किया । आगे यहां से ज्योति लेकर बडवी, महेश्वर, मण्डलेश्वर एवं धरगांव से होते हुए शुभ दिन शुभ मुहुर्त में सुबह १८ अप्रेल सन् १९८६ तिथी रामनवमी के पावन पर्व पर ग्राम करोंदिया पहुंचे । यहां की जनता २३ दिन से माताजी की ज्योति की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रही थी । जैसे ही शुभ समाचार मिला – गाँव के स्त्री–पुरुष , युवा, बुजुर्ग, बच्चे एवं आसपास के गांवों की जनता सभी माताजी की आगेवानी करने के लिए बेन्ड बाजे, ढोल ढमाके, झांझ–मंजीरा, भजन कीर्तन, मंगल गीत एवं माताजी की जय घोष करते हुए पूजा की आरतियां लेकर दौड पडे । यहां पर गांव के व्यक्तियों द्वारा अपनी अर्धागिनीयों सहित माताजी की पूजा तथा आरती की गई । यहीं से एक विशाल शोभायात्रा प्रारंभ हुई जिसमें १०८ कलश लेकर कन्याएं शामिल हुई । हजारों स्त्री पुरुष भजन कीर्तन एवं माताजी की जय जयकार करते हुए बेन्ड बाजे के साथ आगे बढे । माताजी के रथ के आगे कुंकुम, गुलाल व फूलों से रास्ता बनाया जा रहा था । यह शोभायात्रा ग्राम के मुख्य मार्गों से होती हुई पाटीदार समाज धर्मशाला प्रांगण में पहुंची ।

यहां पर पाटीदार समाज द्वारा निर्मित धर्मशाला में माताजी की ज्योति को आदर एवं सम्मान के साथ आसन दिया गया ।

श्री उमिया माताजी की "अखण्ड दिव्य ज्योति" ऊंझा (उत्तर गुजरात) से ग्राम करोंदिया (मध्य प्रदेश) तक ६५० किलोमीटर की पदयात्रा १८ दिन में पदयात्रियों ने पूरी की । नीचे पदयात्रियों एवं कार्यकर्ताओं के नाम दिये जा रहे हैं –

(१) श्री रामचन्द शंकरलालजी पाटीदार - अध्यक्ष
(२) श्री हरीराम सीतारामजी पाटीदार - उपाध्यक्ष
(३) श्री देवनारायण द्वारकाजी पाटीदार - कोषाध्यक्ष
(४) श्री तेज करण रामेश्वरजी पाटीदार - सचिव
(५) श्री परमानन्द भगवानजी पाटीदार - उपसचिव
(६) श्री शंकरलाल बाबुलालजी पाटीदार - सदस्यगण
(७) श्री हरिराम गोपी चन्दजी पाटीदार - सदस्यगण
(८) श्री जगदीश तिलोकचन्दजी पाटीदार - सदस्यगण
(९) श्री जगदीश अम्बारामजी पाटीदार - सदस्यगण
(१०) श्री श्रीराम अमराजी पाटीदार - सदस्यगण
(११) श्री भोलूराम शिवाजी पाटीदार - सदस्यगण
(१२) श्री शंकरलाल हिरालालजी पाटीदार - सदस्यगण
(१३) श्री अम्बाराम फत्तुजी पाटीदार - सदस्यगण
(१४) श्री रामेश्वर गुलाबचन्दजी पाटीदार - सदस्यगण
(१५) श्री मोहनलाल हीरालालजी पाटीदार - सदस्यगण
(१६) श्री गणेश रामाजी पाटीदार - सदस्यगण
(१७) श्री ओमप्रकाश तुलसीरामजी पाटीदार - सदस्यगण
(१८) श्री नरेन्द गंगारामजी पाटीदार - सदस्यगण
(१९) श्री परमानन्द रामेश्वरजी पाटीदार - सदस्यगण
(२०) श्री परमानन्द भगवानजी पाटीदार - सदस्यगण
(२१) श्री किशोर जगन्नाथजी पाटीदार - सदस्यगण
(२२) श्री हुकुमचन्द फत्तुजी पाटीदार - सदस्यगण
(२३) श्री जगन्नाथ भगवानजी पाटीदार - सदस्य
(२४) श्री जगदीश राजनाथजी पाटीदार - सदस्य
(२५) श्री गजानन्द भोलूरामजी पाटीदार - सदस्य
(२६) श्री शोभाकचन्द भगवानजी पाटीदार - सदस्य
(२७) श्री दयानन्द तिलोकचन्दजी पाटीदार - सदस्य
(२८) श्री वासुदेव लालचन्दजी पाटीदार - सदस्य
(२९) श्री गजानन्द जगन्नाथजी पाटीदार - सदस्य
(३०) श्री वासुदेव बाबुलालजी पाटीदार - सदस्य
(३१) श्री महादेव गजानन्दजी पाटीदार - सदस्य
(३२) श्री सीयाराम ताराचन्दजी पाटीदार - सदस्य
(३३) श्री कृष्णचन्द सीतारामजी पाटीदार - सदस्य
(३४) श्री सदाशिव राजारामजी पाटीदार - सदस्य
(३५) श्री सुरेश बोंदरेजी पाटीदार - सदस्य
(३६) श्री नारायण तिलोकचन्दजी पाटीदार - सदस्य
(३७) श्री कृष्णचन्द रामलालजी पाटीदार - सदस्य
(३८) श्री भलाजी हरीशंकरजी पाटीदार - सदस्य
(३९) श्री मांगीलाल पाटीदार - सदस्य
(४०) श्री भीलाजी पाटीदार - सदस्य
(४१) श्री श्रीकृष्णकांत शर्माजी पुजारी - सदस्य
(४२) श्री संत स्वामी पुष्करानन्दजी महाराज - सदस्य

श्री उमिया माताजी मंदिर, ग्राम – करोंदिया

श्री उमिया माताजी सेवा ट्रस्ट करोंदिया का रजिस्ट्रेशन दिनांक १५–९–८७ को हुआ था। यह ट्रस्ट ग्राम करोंदिया में श्री उमिया माताजी का मंदिर समाज के सहयोग से बना रहा है।

ट्रस्ट के पदाधिकारी वर्तमान में निम्नानुसार है

(१) अध्यक्ष – श्री रमेशचन्द (गुरु) पाटीदार, कसरावद
(२) उपाध्यक्ष – श्री सदाशिव नानाजी पाटीदार, ऊंझा
(३) कोषाध्यक्ष – श्री घनश्याम नारायणजी पाटीदार, चुन्दड़िया
(४) सचिव – श्री रामचन्द शंकरलालजी पाटीदार, करोंदिया
(५) सहसचिव – श्री मेवालाल पूनमचन्दजी पाटीदार, मोगावां

भूमि–दान दाता : माताजी की अखण्ड ज्योति लाने के बाद ट्रस्ट की ओर से कुछ जमीन क्रय की गई तथा कुछ जमीन दानदाताओं से प्राप्त हुई। कुल जमीन लगभग तीन बीघा है। भूमिदाताओं के नाम इस प्रकार हैं –

(१) श्री गणपत दगडूजी पाटीदार, करोंदिया (२) श्री शोभाराम लक्ष्मणजी पाटीदार, करोंदिया (३) श्री ताराचन्द छीतरजी पाटीदार, करोंदिया (४) श्री मोतीलाल भीकाजी पाटीदार करोंदिया (५) श्रीमती पूनीबाई पति शोभारामजी सुनार।

शिलान्यास समारोह : श्री उमिया माताजी मंदिर का शिलान्यास समारोह (भूमिपूजन) श्री शेठ केशवलालजी पटेल अध्यक्ष महोदय श्री उ. मा. सं. ऊंझा के कर कमलों से सांसद श्री रामेश्वरजी पाटीदार खलधार के मुख्य अतिथित्व, श्री रमेश चन्दजी गुरु कसरावद की अध्यक्षता में तथा निमाड, मालवा, गुजरात के हजारों नर–नारियों की उपस्थिति में दिनांक ८–३–९० को हुआ था। इस दिन ग्राम में शोभा–यात्रा भी निकाली गई थी। इस मंदिर निर्माण के लिये श्री केशवलालजी पटेल का मार्ग दर्शन लिया गया। महेसाणा (उ.गुजरात) के शिल्पकार को मंदिर निर्माण का ठेका दिया गया है। मंदिर निर्माण में लगभग आठ लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है। मंदिर निर्माण शास्त्रोक्त विधि से किया गया है। इसमें हिम्मतनगर, अंबाजी (गुजरात), बालेश्वर एवं भरतपुर के पत्थर लगाये जावेंगे। मंदिर का मुख्य शिखर ५६ फीट ऊंचा, ७० फीट लम्बाई, ७२ फीट चौडाई रहेगी। मंदिर में ऊंझा मंदिर के समान तीन तरफ से सीढियां रहेगी। दिनांक ११–६–९० को शिलापूजन समारोह हुआ, जिसमें ९ प्रकार की शिलाओं का विधि–विधान से पूजन करके मुख्य शिखर की नींव में रखा गया। अभी तक मंदिर की ६ फीट ऊंची कुर्सी बनकर तैयार हो गई है एवं अब पूरा मंदिर पत्थरों को तराश कर सुन्दर नमूने से बनाया जा रहा है।

इसी दिव्य ज्योति एवं मंदिर स्थल पर विशाल पैमाने पर आदर्श सामूहिक विवाह आयोजित किये जाते हैं।

१०. पंच जाति संविधान और संगठनों द्वारा सुधारों की दिशा में आगे कूच

- कुलमी कुलभूषण पुस्तक (मालवा)
- निमाड जिले के पुराने विधान (१९४१)
- म. प्र. पाटीदार समाज का विधान (१९७४)
- पाटीदार हितैषी मण्डल, जिला निमाड का विधान (१९७६)
- पाटीदार समाज, जिला सिहोर का विधान (१९८०)
- मन्दसौर जिला पाटीदार समाज - व्यवहार संहिता (१९८२)
- पाटीदार समाज, जिला निमाड का संशोधित विधान (१९८६)
- पाटीदार समाज विकास की ओर (५२ गांव खरगोन)

कुलमी कुल भूषण पुस्तक

सामाजिक परिवर्तन लाने के लिये और इसमें सुधाकर के लिये लिखित संविधान की आवश्यकता रहती है। हम धर्म, जाति, संविधान, राज्यकानून, प्रतिज्ञा और युवकों के संगठनो द्वारा प्रतिज्ञाएं करके समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। जाति पंच का महत्व आज भी यथावत् बना हुआ है। इसमें परिवर्तन जरूर आ रहे हैं। पंच के कानूनों में प्रायश्चित, जुर्माना और जाति-बहिष्कार की परंपरा दिखाई देती है। उत्तर गुजरात में गोल प्रथा है। मालवा निमाड में गोल प्रथा नहीं है। रोटी-बेटी का व्यवहार मध्य प्रदेश, राजस्थान के पाटीदार समाज में प्रचलित है। घूंघट प्रथा निमाड प्रदेश में कहीं नहीं है। निमाड से ही सुधारों का श्री गणेश भी हुआ था। यहां आर्यसमाज का काफी प्रभाव रहा है। मालवा प्रदेश में घूंघट प्रथा आज भी है, लेकिन अब धीरे धीरे सुधार आ रहा है। इस प्रथा का कारण मालवा में मुसलमान शासकों का राज्य था ; जिसका प्रभाव मालवा की सभी जातियों पर पडा था। मध्य प्रदेश में प्रादेशिक संगठन है। सन् १९७४ इसे कडवा-लेवा समाज एक हो गया है। हम इस खंड में उदाहरण के लिये कुछ संविधानों को प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे हमें समाज की गति विधियों का पता चलेगा। सुधारों के लिये हर एक प्रदेश में पाटीदार परिषदों की शाखाओं की रचना की गई थी। निमाड प्रदेश की उपशाखा कसरावद में ऊंकारजी हीराजी दावडा (होलकर स्टेट में) तथा मालवा प्रदेश की उपशाखा बाबू भगतरामजी मेघरामजी ने कायम की थी।

मध्य भारतमें कडवे-लेवों को एक करने का श्रेय श्री १०८ श्री महन्त रामकृष्ण जी हनुमानजी उज्जैन को जाता है। उन्होंने कुलमी कुलभूषण नामक पुस्तक की रचना करके कुलमी पाटीदारों के लिये आचार संहिता बनायी थी। इस में लिखे नियमों की धाराओं

(दफाओं) के आधार पर जाति संविधान अस्तित्व में आया और सुधारों को गति मिली। इस किताब में दी गई दफाएं बडी दिलचस्पीवाली हैं; इस लिये नमूने के रूप में यहां देते हैं। श्री रामकृष्णदासजी ने गुजरात की बहुत प्रशंसा की है और म.प्र. के कुलमियों को गुजरात का अनुकरण करने का उपदेश दिया है। ऊंझा की उमिया माता और भवाईयों (नायकों) के साथ पाटीदारों के संबंधो तथा ऊंझा के जाति आगेवानों का भी उल्लेख किया है।

कमेटी के लेख की नकल

'कुलमी कुल भूषण' भाग-१ के आधार पर

पंच कुलम्बी लेवा व कडवा गुजराती

रा. रा. श्री पंच कमेटी उज्जैन मन्दिर हनुमान गढी रामघाट, उज्जैन

हम पंच नीचे सही करनेवाले लिख देते हैं ऐसा कि आज कमेटी में अपने मन्दिर के वास्ते आप पंच मेम्बरान ने जो २ नियम दस्तूर वगैरा इसकी व्यवस्था के वास्ते किये हैं व सिवाय रुपया १) घर साला देने का कायम किया है, सो हम सब पंच छोटे बडे को मंजूर है। अब इसमें किसी तरह का बाधा व झगडा नहीं डालेंगे। हंमेशा पंच के ठहराव के माफीक हम रुपया श्री महन्तजी रामकृष्णदासजी को देते रहेंगे, अगर नहीं देवेंगे तो पंच के ठराव माफीक सजा के अधिकारी होवेगें और फिर इसमें हम कोई तरह का पक्ष लेकर तड वगैरा नहीं पाडेंगे और जो इस कमेटी के बारे में पचास जनरल मेम्बरान चुने गये हैं सो हमको अच्छी तरह से मन्जूर है। इम मेम्बरान के खिलाफ हम पंच हरगीज नहीं जावेंगे। तन मन धन से इनका हुकम पालन हम सब पंच इलाखे व देश के करेंगे। यह लेख हम पंचों ने राजी खुशी से लिख दिया सो सही। इस लेख को अपना वंश रहेगा वहां तक मानते रहेंगे व इसका पालन करते रहेंगे। सिवाय इस साल के जो रुपया वसूल करना है सो यह रुपया मिती फागुन सुधी १५ संवत १९९० तक तमाम रुपये वसूल करके मन्दिर पर भेजकर रसीद हासील कर लेवेंगे बाद आयन्दा हमेशा सालाना यह रुपया मिती माह सुदी १५ की मुदत पर मनीओर्डर के जरीये भेजकर या खुद आकर हम हर एक गांव वार मेम्बरान आकर जमा कराकर रसीद ले जाया करेंगे। अगर इस लेख के लिखने के मुताबिक रुपया देकर या वसूल कराकर जमा नहीं करावेगे तो अव्वल तो एक रुपया के बदल दो रुपया देवेंगे जो ऊपर जनरल मेम्बरान लेख में आये हैं वो मेम्बरान जो समाज रुपया जुर्माना जाती बंद की सजा देवेंगे वो हम सब भूगतेंगे बाद पंच मेम्बरान से माफी मांगकर रुपया वसुल करेंगे। इसमें कोई इन्कार नहीं करेंगे यह लेख अपनी राजी खुशी रजा बंदी से लिख दिया सो सही के वक्त जरूरत काम आवे मिती माह विदि १४ संवत् १९९०

हाल मुकाम उज्जैन

द० मुकाती अम्बारामजी ढोलाणा।
नि० हीरालाल सुवासा।
नि० मोहनलालजी चिरोला।
द० रामलालजी फरनाखेडी।
द० नन्दरामजी।
द० कालुरामजी पटेल लेवा तितरी।
द० चोखालालजी नावदा।
द० नरसिंग भेराजी नावदा।
द० गोपालजी सोलंकी बडागाम
द० धुरजी बडागाम।
भेराजी अडदिया वगागांम
नि० चुनीलालजी लेवा संदला।
द० सिवाराम।
द० भागीरथजी लेवा डेलनपुर।
द० कालुरामजी जावडा।
नि० मोतीजी लेवा वक्तपुरा।
द० पिपलोदी खेडा।
द० कनीरामजीवडवेठ।
द० भुवानजी गाजनोद
द० अम्बारामजी पटेल खरसोद बडी
द० गोबालुआदी वरमावल
द० हरीरामजी लेवा बख्तगड
द० रूपाजी लेवा बख्तगड
द० पन्नालालजी बडी खरसोद
नि० रुगनाथजी बडी खरसोद
द० सुकरामजी
नि० कासीरामजी बामन्दा
बामन्दा कोदर तुलसीरामजी
द० नाथाजी भेराजी
नि० गंगारामजी वा सेमलादा
नि० गोपालजी लेवा सेमलादा
द० मोतीजा गजनी खेडी
द० पुनाजी
द० अम्बारामजी करमंदी
द० लेवा भगवानजी चिकलिया धार
द० चुनीलालजी वखतगढ

चौधरी कोदरजी
द० बावरजी।
द० रामकीशनजी।
द० गणेशजी रायपुरिया।
द० पुराजी।
द० देवरामजी।
द० अंबाराम रामगढ
द० नंदरामजी।
द० लालाजी शिवाजी।
द० रामाजी।
द० तुलसीरामजी खेडावाला।
द० मोडजी गरदोडी मंदसौर।
द० फतेलालजी लेवा बरमावल।
द० किशनजी वरगढ
द० नंदाजी भीमा खेडी।
द० बावरजी जिला जावरा।
द० देवराम
द० सिद्धनाथजी सुवासा
द० गंगारामजी पुनाजी चिरोला
नि० तुलसीरामजी वांगरोद
द० कुवरजी वांगरोद
द० दयारामजी बिलपाक
द० धुलजी
नि० नंदाजी भृत बिलपाक
द० पन्नालालजी
द० भेराजी
द० बाठीरजी
द० हिरालालजी
नि० गोपालजी महु
नि० रामाजी महु
नि० अम्बारामजी महु
द० चुनीलालजी उमरथाना
नि० नंदाजी
द० रूगाजी
द० रामाजी
द० धूराजी धाणी खेडीद
द० खिमाजी

द० हेमराजजी लेवा रुपाखेडा
द० जगन्नाथजी
नि० अम्बारामजी वांगरोद
द० पुना वांगरोद
नि० नंदाजी करमंदी
द० रुगाजी का
द० दयारामजी घराड
द० सिदाजी इंटावा
द० सिवाजी इंटावा
द० नराणजी घराड
द० पन्नालालजी मांगरोल
द० देवाजी मांगरोल
द० भागीरथजी मांगरोल
द० गिरधारी करमंदी
द० भागीरथजी बिलपाक
नि० दयारामजी
नि० केशरजी सेमलादा
द० पुनमचन्दजी लेवा सेमलादा
द० कदरजी भागीरथ सेमलादा
नि० किशनजी पिपलखुंटा
द० भागीरथ सरवच
द० सोभारामजी सरवच
द० भेराजी करेणी
द० मुकंदजी करेणी
द० दयारामजी अबोंदिया
द० रामाजी
द० मोहनलालजी दंतोडिया
द० मोतीजी
द० मथुरालालजी गजनी खेडी
द० पटेल भगवानजी वडगामा
द० अम्बारामजी कुंवाजागर
द० उंकारलालजी अमला
नि० भगवानजी बडोदिया
द० रणछोडजी रेनवाला
नि० नागेशरजी बिलप क
द० मुकाती सौभाराम ो मडावदा

(२७) दफा में के अगर कोई आदमी पंच की जाजम पर किसी को गाली देदे या पंच के भेजे हुवे नाई बलाई कोटवाल या ब्राह्मण, साधु, नायक, नट या दुसरा को भी आदमी जाति अथवा दूसरी जाति का जावे और पंच के हुक्म की तालीम न करते उन के साथ न जाते या कहने मुताबिक फला धरमादा का रूपया पैसे का या धान गेहुं, ज्वार वगेरे का नहीं देते, नकारा कर जाय वा गाली देके मारने दोडे या मारदे और कहे के पंच कौन होते, में नहीं देता । पंच अपने घर से देदे व साथ में पंच को भी गाली देवे या पंच का हुक्म नहीं माने, हरएक काम में ऐसे सख्शो पर जुर्माना रु.१। दिन ४ की मियाद है । मारदे उन पर जुर्माना रु. ५।) की मियाद है । पंच की जाजम पर मारदे या पंचो को गाली दे पाडे या पंचो को गाली देता हुवा जोर २ से चिल्लाता आवे ऐसे सख्शो पर जुर्माना रु. ५।।) की मियाद है । मारदेवे उन पर जुर्माना रु. ११) दिन २ सजा की मियाद है । सिखलाकर पक्ष करे उन पर जुर्माना रू. ४ दिन २ सजा की मियाद है । पंच मेम्बरान इन्साफ देनेवाले की उमंर ६० से लगात १००–१२५–१५० का हो वो सभा में गुन्हेगार छोटे बडे सब को या वेनीति से बोलने वाले बदमाश वगेरा को गाली देने का हक है । सब तरह का वो दे सकते बाकी उमर ५० के भीतर के मेम्बरान गाली नहीं दे सकते । फक्त नालायक वगेरा बदमाश को कह सकते न के इज्जतदार को देवें और देवे तो माफी मांगे वरना गाली बदल रु. १।) लेकर शरीक इन्साफ में करेगा वरना उस १ रोज सभा से अलग करके दूसरे रोज शरीक करे । यही सजा है, इस में पक्ष करे तो रू. ५) लेने की मियाद है ।

(३१) दफा में यह ठेराव के ब्याह होने के बाद लडकी उसके वारिस उमर ग्यारा बारा द्वारा बरस के बाद नहीं भेजे । कोई लडाई के कारण से या काम के लालाच से या सुसराल से भाग आवे लडाई वगेरा करके और यहां झूठ सांच बातें करके मुझे मारे व खाने को नहीं दे । सास, ससुर, जैष्ठ, देवर या जैठानी, ननंद, पति वगेरा लडे उस पर से नहीं भेजे और कहे के जाओ दावा करो, में अपनी लडकी तथा बहिन को नहीं भेजू । अगर हाथ लगाओगे या मारपीट करो तो पुलिस में पकडा दूंगा या खुद मारुंगा । ऐसा हीलत में उस आदमी को चाहिये कि उसी गांव के पंचो को फौरन दरख्वास्त देवे तो बाद पंच उसको बुलाकर पूछके हर सुरत से उस औरत को तथा घरवाले को समझा देवें ।

इतने पर भी नहीं माने और गाली वगेरा देवे पंचको या उस पति को या जमाई को संग फौरन बिलाहर्ज पंच मारफत गाडी में डलवाकर या उसके साथ सुपर्द करके रवाना करदे । इतने पर अदालत में जाय तो जाने दे । अगर रोक दे तो पंच जाकर जाप्ता से समझाकर छुडवा दे और फौरन उसको जाति से बंद करजे बाद लडकी

भेजने तो तैयार हो हमेशा के वास्ते तब गाली दी उसका व हुक्म उदूली का रु. ५) लेकर शरीक करे और इत्तला दे देवे के सुसराल से लड के आवे उसको एक रात रखकर वापस भेज दे और उधर उस लडकी को खाने वगेरा की तकलीफ हो या मार पीट की तकलीफ हो तो उस गांव के मेम्बरान को इतल्ला कर दे ताके चोक्सी करके उस लडकी का दुःख दूर करके बंदोबस्त करे । अगर दर असल आदमी बदमाश हो औरत को हमेशा तकलीफ दे मारे या सास ससुर दे मारे ऐसी हालत में उन पर जुर्माना रु. ५) की मियाद है ।

इतने पर भी नहीं माने तो जाति से बंद कर दे । बाद औरत तो बुला के पूछा जाय और वह फिर कहे के अब तकलीफ नहीं दे वरन मारे उस वक्त १) रुपया लेकर शरीक करे या माफी भी दे सकते है ।

(३८) दफा – में पंचायती रसोई में जूता समेत चले जाना और जूता समेत बाटी फेरना व बिगर काम रसोई के चोके में करना चाहे दस आदमी की रसोई हो या हजार की, परन्तु उस चोके में जूता समेत नहीं जाना या पगंत के पास में या नीचे जूता रख उपर बैठकर रसोई जिमना वगेरा अगर करे तो उस पर जुर्माना ४ आना एक वक्त बाद दुसरी वक्त से ८ आना की मियाद है । अव्वल एक वक्त माफी भी दे सकते है । इसमें पक्ष करे सिखलावे उन पर जूर्माना रु. १।) लेने की मियाद है ।

मुसलमान, भील, वागरी, बलाई यानी जिनके हाथ का जल पीते नहीं उन लोगों को जल लोटा से पीलावे, उसको मांजना अगर अब नहीं मांजे और लोटा घर में ले जाय या उससे जल पी लेवे उन पर जुर्माना १–२ आना तक लेने की मियाद है । शुरु एक दो वक्त माफी देने का भी हक है ।

इसमें पक्ष करे सिखलावे उन पर जूर्माना आना १) की मियाद है और न इन जाति को लोटा दे सकते हैं बलाई व इन जाति को परात में रोटी खाने को भी नहीं दे सकते न घर ले जाने को देवे । अगर देवे तो उपर मुताबिक सजा जुर्माना करे इतने पर भी नहीं माने तो बंद कर दे, बाद मन्जूर कर के शरीक करे ।

रसोई करने की जगह में लडाई करे गाली देवे मां बहिन की या मारदे या कहे या जूता लकडी एक एक शस्त्र छोटा उठाकर कहे के मारता हूं उस पर जूर्माना के गाली वाले पर १) आना । मारदे उस पर रु. १) व बता के कहे के मारता हूं उस पर रु. १।) की मियाद है । शुरु मुनासिब समझे तो एक माफी दे सकते है, वरना नहीं । इसमें पक्ष करे सिखलावे उन पर जूर्माना ।।) आना की मियाद है ।

(४४) दफा में ठेराव कि जो दफा ४८ में लड़का लड़की को मदरसे में भेजना लिखा है उस का और खुलासा के अव्वल अपने गांव में भेजे नहीं भेजे तो पंच मारफत भेजा जावे और घर के काम वगैरा खेती में, चरखी वगैरा में, गेहुं काटने में, किसी काम में छुट्टी नहीं देवे अगर बाले २ रखले तो रू. १।) जुर्माना का हकदार है।

अगर कोई जरुरी काम हो सगा सोई या बिमारी का तो पंच से अर्ज करे फिर पंच मुनासिब हो तो मंजूरी बहुत कम दिन यानी दो चार रोज की देवे ज्यादा नहीं और मास्टर सा. को चिठ्ठी लिखे, तब मदरसा से लड़का लड़की रोके अगर मुद्दत के अन्दर पिछा मदरसा में नहीं आवे तो जुर्माना ४ आना लेने की मियाद है। बारा महिने में पंद्रह दिन की छुट्टी से ज्यादा नहीं होना। बिमारी की बात अलग है।

लड़की को अच्छा बांचना आजाय रामायण, गीताजी, बस बाद बंद करले तो कोई हर्ज नहीं। तीन चार किताब तक पढ जाय और लड़कातो अच्छी तरह से पढाना चाहिये। बाद उज्जैन मंदिर पर बुलावे तो दफा ४८ के मुताबिक भेजेंगे और मास्टरजी को यह ईत्तला हो जाय के पंच मेम्बरान की तेहरीर बिना एक दिन की भी छुट्टी नहीं देना। लड़का लड़की को इसमें पक्ष करे सिखलावे उन पर जुर्माना दफा ४८ के माफीक सजा करे। शुरु माफी देवे दो तीन मरतबा, बाद नहीं देवेंगे। इससे भी ज्यादा कम छुट्टी देने का मौका आवे तो पंच को हक है, सो देख के करे।

गरीब के लड़का लड़की को पंचायती किताब कागज पट्ठी दवात कलम वगैरा कुल खर्चा दिया जावे। अव्वल पंचायती रुपयों से सब सामान सिलक रक्खे। जब तक पंचायती से खर्चा नहीं दे वो वहां तक तंग करके जुर्माना करके नहीं भेजे। बाद किताबें वगैरा देने से भी नहीं भेजे तो फिर भेज सकते हैं, अव्वल दहशत से या बंध कर के भेजते रहे, तो बाद जुर्माना करेंगे।

(४७) दफा में तमाखू देवी ने आजकल बहुत ही हालत बिगाडदी और अपनी जाति मे तो दस बरस के लडके पचास बरस के आदमी के सामने पीते है, बलके भील, वागरी, बलाई वगैरा से लेकर पीने लग गये। यह कितना नीच काम है कि चिलम साफी तमाखू का शरीक है और उसके घरमें के जल से भींजोई है सिवाय मुँह से लगी है और उसी में तमाखू है और लेकर पीते हैं।

इसके पीने से जीव नरकवासी होता है। इसके खाने व पीनेसे महाघोर पाप है। क्यो कि इससे बुद्धि खराब होती, तामस लाती क्रोध अज्ञान पैदा करती यानी हर तरह प खराब है।

सबब गांझा, चरस तम्बाकू खाना व पीना यह सब साफ बंद किया है, अगुर जो पियेगा उस परभी निचे लिखा ठेराव जुर्माना तमाखु का ही कायम रहेगा । देखिये तम्बाकु का आचरण कितना भ्रष्ट है–

परन्तु फिरभी इससे दिन पर दिन खराब हो रहे हैं, सिवाय इसकी पैदायस कार्तिक महात्म में गाय के कान की है, सबब इसको मध्यम की है, मांस के बराबर है, और आप यह भी नहीं सोंचे कि ब्राह्मण तक पीते हैं सो सब आजकल ऐश आराम में मस्त हैं ।

(४८) दफा में यह ठेहराव है के हर एक गांव के लडकें तथा लड़कीयें जैसे होशीयार हो जाय और उज्जैन मंन्दिर पर जैसे पंच तलब करते जाय दो चार लड़का लड़की भेजते रहे । बाद ठीक हौंने से सब घरबार कुल लडके व लड़कीयें भेजते रहेगे । अपने को भी अब गुजरात वासी भाईयों की सन्तान गुणवान विद्या से है, ऐसे इधर भी अपनी सन्तान को करने का है और जब ही अपना दुख दारिद्र मुर्खता अज्ञानता जायगी और सुख प्राप्त होगा । क्योकि विद्या के बिना किसी हालत में सुख व धन प्राप्त नहीं हो सकता लड़का पढने से गुणवान होकर धन पैदा कर सकता है । और लड़किया पढने से गृहस्थ के धर्म को जानने लग जाती है । तमाम पाप कर्म छोड कर शुभ कर्म करने लग जाती हैं । पति की सेवा सास ससुर की सेवा जेठ व देवर की सेवा ननद वगैरा की सेवा सब जानने लग जाती हैं ।

पति को गाली देना व पति को छोड कर दूसरे के पास जाना कैसा व कितना पाप होता है, सास ससुर को गाली देने या उन से काम कराने से कैसा पाप होता है, जैसे आज कल बहू सोती रहती है और सासू रोती जाती और घट्टी (चक्की) पीसती, जल भरती तमाम करती है और बहू काम कराती है । नहीं करे तो गाली देवे और बल्की मारे और अपने पति से भी गाली व मार दिलावे और अलमस्त पशु की तरह रहे । पाप पुन्य का ज्ञान भी नहीं । एक कहे वहां दस बात कहे, सास ससुर को पति को और उसी में आनन्द मनाती है, बुढापा में दुख देते है ।

यही पाप खेती बाल बच्चे सब घरको भुगतना पडता है । और अंत में नरकवासी होना पडता है । इसी तरह लड़का भी अपने माता पिता को वृद्ध अवस्था में गाली देता व मारता ऐसे पाप कर्म अनीति के करते और सुख चाहते हैं वो मूर्ख को तो कैसे मिलता अर्थात् नहीं मिलता ।

सबब लड़का लड़की को पढाना ही मुख्य समझा । वास्ते मदरसा कायम किया है । ये अव्वल अपने २ गांवो में पढने भेजो और फिर होशियार होने के बाद उज्जैन

मदरसा में बुलाया जावेगा, अपने गांव के मदरसे में नहीं भेजे तो दफा ४४ के मुताबिक कार्रवाई व बन्दोबस्त लड़का लडकियों का किताब कागज वगैरा का करके भेजें। विलाहर्ज बाद जिस वक्त पंच उज्जैन मदरसा में तलब करे पंच मारफत सो भेजते रहेंगे, अगर पंच मेम्बरान के सुपूर्द नहीं करे कहने मुताबिक मेम्बरान के उन पर जुर्माना रूपिया ५) दिन ८ सजा की मियाद है, अगर सजा के अन्दर लड़का लड़कीयें पंच के सुपूर्द नहीं करे तो फिर बिलकुल ही बंद करदे। बाद देने लड़का लड़की व मांफी मांगने के शरीक करें, इसमें पक्ष करे सिखावे उन पर जुर्माना रूपया ११) की मियाद है, शुरू एक वक्त माफी देवे।

(५३) दफा में अपनी जाति में देश काल का धर्म देख कर नातरा करने का रिवाज कायम है कि जिससे बहिन बेटी देवियों की बेईज्जती नहीं होवे, पर अब ईस में भी बहुत आनिती होती है। यहां तक कि नातरा वाली औरत के लडके को अगली औरत का लडका तथा भाई काका पिता वगैरा हिस्सा नहीं देते निकाल देते हैं। फिर वो राज पंच में गरीबी हालत में मारे मारे फिरते हैं। उनकी उमर भरतक सुनवाई तक नहीं होती। यह कैसा अनर्थ है। जिधर देखो व सुनो उधर अपनी जाति में हर एक बातों से अन्याय ही अन्याय हो रहा है और दिन पे दिन कर रहे हैं।

अगर ऐसा हो तो नातरा क्यो करते और करते तो फिर सब लडके को हिस्सा क्यो नहीं देते ? क्या उसको तुमने पैदा नहीं किया या तुम्हारे अंश से नहीं हुवा कि जिससे निकाल देते हो ? वास्ते अब ऐसा हरगीज नहीं करे। अगर ब्याहाता औरत का लडका व नातरा वाले का लडका आपस में जितने भाई हो, दो चार सब औरत के लडके को हिस्सा बराबर देवें। अगर माता पिता मर गये हो और भई काका हो तो वो आपस में लडाई न करते हिस्सा करले। अगर कोई नातरा वाली औरत के लडके को हिस्सा नहीं देवे और निकाल दे तो पंच मारफत हिस्सा करके दिलावे, जिस तरह से हो सके कम ज्यादा करके। अगर बिलकुल ही नहीं देता उस पर ११) रुपया १ महीना की सजा की मियाद है। अगर सजा के अन्दर नहीं समझे तो फिर जाति से बन्द करदे। हिस्सा के बाद शरीक करे। इसमें कोई पक्ष करे या सिखलावे उन पर जुर्माना ५) रु. ४ दिन की सजा की मियाद है। भाई भाई अलग हो गये हो और पट्टा वडे भाईके नामका हो और दूसरे बिना पट्टे से हांकते हो उस हालत में जमीन बारा महीने हांक ले बाद नहीं छुडवा सकते हैं।

अगर छुडावे और पट्टा अलग नहीं करवावे उस हालत पर जूर्माना रू. ५१ दिन १५ सजा की मियाद है। इतने परभी नहीं देवे तो जाती से बंद करके बाद कराने व पट्टा देने जमीन के शरीक करे। ईनमें पक्ष करे उन पर जुर्माना २५) रू. दिन १५ सजा की मियाद है।

(५८) दफा में ठेराव के आजकल नायक लोगों को बहुत ही तकलीफ होने लग गई, क्योंकि पंचो की देख रेख बंद हो गई । ज्यादा तो देना अलग रहा जो जो नेम अपने दादा परदादाओं ने बांध दिया है उसका भी पालन नहीं होता । अब जो पंचो ने नीचे ठेराव किया है उसी मुताबिक इनकी पालन करेंगे ।

कि जो जो गांव जिस नायक के हो और जो जो नेम बंधे हो उसी मुताबिक उसको देवें । जैसे रूप्या १) सामंद आठ ।।) आना सामंद यह पुराना ठहराव भी बराबर नहीं देते तो फिर इनका कैसे निर्वाह होगा, और यह कैसे बाल बच्चे घरके लोगोंको पालेंगे । क्योंकि न देवेतो यह लोग गाली देकर तथा जोर देकर डराकर तो मांग नहीं सकते बल्कि उल्टी गाली खावें और देवे नहीं, वास्ते अब गाली न देते बारबार दिया करें अगर नहीं देवे और नायक आकर पंचसे अर्च करे के मुझको न देते इस कदर गाली दी या ललकार दिया और देते नहीं उस पर से उसी वक्त उस आसामी को पंच का आदमी भेज कर बुलावे, बाद चोकसी करे । अगर दरअसल गाली दी हो, नहीं देता ऐसा कहे या गाली फिर बकने लगे तो उसको पहिले समझा देवे अगर फिरभी नहीं माने तो उस हालतमें २७ दफा के मुताबिक सजा देवे । बाद रुपया पंच मारफत वसुल कराकर देवे । इतने पर भी नहीं माने तो जाति से बंद करदे । बाद देने लगे और हंमेशा के वास्ते मन्जूर करे तब शुरू करे । अगर कोई आसामी गरीब हो तो बाकी निकाले और अगले साल दिलावे परन्तु छोडे नहीं, बाकी निकाले ।

(६१) दफा में ठेराव के अपने गौरजी महाराज का भी जो जो नेम दस्तुर ब्याह का व सालाना पहिले से चला आता है उसको बंद न करते अपने २ गोरजी को देते जाय । उनके वंश का पुत्र नहीं हो और कन्या हो तो उन बेटी जमाई को तथा उनके लडके लडकी को देते जाय । यह उजर नहीं लावे कि लडकी को या इस पुत्र को नहीं दे । क्योंकि लडका लडकी दोनो का हक है । वास्ते जो २ काम अपने बाप दादाओं से तथा सनातन से अपने घर मे चला आता है सो इन धर्म के मार्ग को मत तोडो और पालन करते रहो ।

अपने यहां लडकी का ब्याह होता है जब गौरजी का गोरदाफा लगता है । एक लडकी पिछे रु. ३।) व एक लुगडा व पाग दुपटा । सो इन में से आठ आना तो सिंचावन का पिछा गोरजी की तरफ से लाडी को देवे, बाकी तीन रु. ३ व लुगडा पाग दुपटा गौरजी का होता है । इस हिसाब से एक घर मे जितनी लड़कियों का ब्याह होता है, सब का अलग दिया जाता है ।

अब कोई मर जाय तब घाटा पर एक पद में से आधा तो गामोठजी को जाय व आधा गोरजी का होता है सो इनको देवें । सालाना आवे तो एक रु. १) भेंट करे या वक्त पर हो तो गुड गेहूं खाला वगैरा हो तो श्रद्धा मुजब देवे, अगर और भी कोई दस्तूर हो भूल चुक होती वोभी देवे ।

(६५) दफा में ठेरावके जो आदमी बुढ़ा बैल हाटमें जाकर बेच आते हैं । सो अपन को मालूम है कि मुंह में दात नहीं शरीर मे खून नहीं, फिर ले कर वह क्या करते हैं । सो यह बैल बूचड़ कारखाना में ले जा कर फिर इनको मार डालते हैं और खून चरबी हड्डी चाम तमाम काम में लेते हैं । सबब यह दोष अपने सिर होता है । क्योकि जवान उमर मे तो अपन खेती के काम में लेते हैं और वो बैल अपने को खूब कमा के खिलावे उसी बैलको बुढापे में उसकी सेवा न करते बैच देते हैं । लालच में आकर यह कितनी बेईमानी है और अधर्म पाप है । यही पाप पीछे गृहस्थ में भुगतना पडता है । क्योकि इसमें विचार करे तो असली कसाई तो बेचने वाले ही होते हैं । सबब अब बुढ़ा बैल बिना दांत वाला बिना खून वाला कि जिसमें चलने की शक्ति नहीं, उस बैल को हाट में जाकर किमत से नहीं बेचे या मुफ्त में भी नहीं देवे, उसकी सेवा अपने घर पर ही करे ।

(६६) दफा में के जो ३६ दफा में चमार भंगी को हाली रखना बंध किया है उसका इस दफा में खुलासा किया जाता है के अलबत्ता चमार को वो आदमी हाली रख सकता है उसके घर के मनुष्य लडके आदमी बहिन बहू बेटी वगैरा साथ काम करने नहीं जाय । नाई औरने, घास लाने, वखर हांकना, गाडी चडस वगैरा हर एक काम में बिलकुल नहीं जाते हो तमाम काम हाली मजदूरों से होता हो, व घर परभी पूरा परहेज रखते हो, तो रख सकते हैं ।

अगर ऐसा न करते हाली रखले और परहेज नहीं रक्खे और कोई आदमी तथा औरत लड़का वगैरा काम करने जाय और भेले हो जाय तो उस पर जुर्माना रु. १।) कि मियाद है व सब कपडे धोवे, स्नान करे और उस रोज चोका बहार रोटी खावे, बदल जाय तो दुना जुर्माना लिया जाय । इसी तरह दूसरा भी मनुष्य चमार के साथ जोड में रह कर काम करे, तो इसी मुताबिक सजा जुर्माना करे । इतने परही नहीं रूके तो बंद करदे । बाद माफी मागे आयन्दा के वास्ते, तब शरीक करे । इस में पक्ष करे सिखलावे उन पर जुर्माना रु. ११) की मियाद है व आयन्दा उसको भी चमार को हाली रखना ३६ दफा के मुताबिक छुडवा देवे ।

(८६) दफा में यह ठेराव के राज व पंच के मामला में मेम्बरान की बदली की जाय या और कोई कारण गुन्हा से खारिज करके बदली की जाय, ऐसी हालत में उन मेम्बरान का नाम राज से भी खारिज कराया जाय, जो कि उनकी राज तरफ से बेगार वगैरा माफ है, पटेली की वजासे सो शुरु कराया जाय और उनकी जगह दूसरे कायम होवे, उनकी माफ कराया जाय । और जो सूसम उनका हो दरीखाने दरबार का भेट वगैरा का इनसे दिलाया जाय इस में राज एतराज करे तो साफ अर्ज करना चाहिये कि जो मेम्बर हमारी जाति पंच में इन्साफ वगैरा में काम करेगा वही राज में करेगा । यह हमारा जाति कानून में ठहराव हो चुका है, जिस वक्त मेम्बरान का तबादला होवे एक तहरीर अदालत में देवे ताके वह भी तबादला खारिज की कार्रवाई करे । अगर कोई मेम्बर राज से मिल कर मंजूर नहीं कराने देवे कि हम तबादला नहीं करे, राज में तो इसी को रक्खेगे, तुम तुम्हारी जाति में खुसी चाहे वैसा करो । उस पर से उन मेम्बरान का न्योता बंद करके खारिज करदे । बाद मंजूर पंच के कहने माफीक करे तब रुपया ११) लेकर शरीक करे । इसी तरह जो काम पंच में करेगा वही राज में करेगा । इस में पक्ष करे सिखलावे उन पर जूर्माना ५) की मियाद है ।

(९९) दफा में यह ठैराव के जो दफा ६ में औरतों को गाली देना व नाचना बंद किया है । उसका और खुलासा के पांवना बैवाई सम्बन्धी की गाली बिलकुल बंध की जाती है । सिर्फ मेहमान आवे उस रोज घरकी औरते बधावा गाकर तिलक आदमी परसाई वगैरा करदे और मुकाम करदे । बस बाद तीन चार रोज रहे वहां तक औरतें गाली रसोई जिमती वक्त तथा शाम सुबह किसी भी वक्त नहीं गावे और न गाने दे । मैहमानों को रवाना करे उस रोज घरमें से औरतों को निकालने की जरुरत नहीं । आदमी रिती से विदा कर दे और रात को पतासा बाटने औरतों को न्योता दे नहीं और न पतासा लेवे, यह रेवाज बंद कर दिया है ।

(१०२) दफा में कि जो दफा ११ में नुकता विवाह का ठहराव किया है उसमें का थोडासा ठहराव इसमें किया है कि विवाह में लाडावाला लाडी वाला की हैसियत देख के बरात नें बैल गाडी, घोडा वगैरा ले जाय व कन्या वाला भी हैसियत देख के बुलावे । पहले दोनों पंच की मंजुरी लेवे, बाद पंच हैसियत से मन्जुरी देवे । उसी मुताबिक विवाह करे । लाडी के वास्ते रकम कपडां वगैरा सब हैसियत से ले जाने दे ।

अगर बिना इजाजत पंच के बाले २ ब्याह शुरु करदे उस पर जुर्माना रु. २१) की मियाद है और बादमें कहने मुजब काम करे इतने पर भी नहीं मन्जूर होवे तो उसके यहां जाना कतई बंद करदे और जाति से बंद करदे । इतने पर जो उनके यहां जाय जबर्न से उन पर जूर्माना रु. ११) की मियाद है, भूलमें चला जाय तो माफी देवे । बाद पंच के हुक्म को मन्जूर करे तब उस विवाह वाले को शुरु करे ।

अगर हैसियत से ज्यादा बरात ले जाय उस पर जूर्माना रु. २१) की मियाद है । और खर्चा कुल कन्या वाले का वापस हिसाब जोड़ कर दिलावे । इसी तरह मामेरा में भी मनुष्य गाडी लेजाय ज्यादा उस पर जूर्माना रु. ११) की मियाद है, और खर्चा खुद भूगते । इसी तरह विवाह में मामेरा मेंपावना में जो गाडी बैल साथ में हो घांस बैलों के खाने पुरता डाले, जैसे अपने घर पर डाला जाय । अगर ज्यादा डाले और बैल के सामने ज्यादा औंगाला का गंज देखे उन बैल वालों पर जुर्माना रुपया १।) की मियाद है । मनुष्यो के वास्ते तो अच्छी रसोई बनाई जाय और बैल बेचारे भूखे मरे यह कितना अन्याय अनर्थ महा पाप है । सबब ऐसा न करे । अब अगर खराव घास लावे और वक्त पर देवे तो पंच मुलाहिजा करे, अगर खराब हो और खाने लायक नहीं हो तो ऐसी हालीयत में उस पर जूर्माना रू. २१) की मियाद है । ब्याह व नुक्ता के काम में अगर छोटा काम पांवना वगैरा हो उस पर जुर्माना रु. ५) की मियाद है ।

अगर घांस घरका हो और सब एकसा हो और मोल नहीं लाया हो और न लाने की हैसियत हो उसका वोही घांस मन्जूर करे । परन्तु सब घांस में से अच्छा हो वो रक्खे । उस में भी चालाकी करके खराब घांस देवे, उन पर जुर्माना ५।) रुपया की मियाद है । इसमें पक्ष करे सिखलावे उन लोगों पर जुर्माना ५ रुपया की मियाद है भूल चूक की माफी भी देवे सिवाय ज्वार मक्की समेत औंगा में से पिंडी खिला देवे या पाडोशी का घांस खिला देवे यह नुकसान बैल वालों से दिलावे । जिन जिन लोगोने खिलाया उन पर जूर्माना १। की मियाद है ।

इसमें पक्ष करे उन पर जुर्माना १) की मियाद है । नुकसान देना मन्जूर नहीं करे तो साफ जाति से बंद कर देवे तथा देना मंजुर करे तब शुरू करे । ब्याह नुकता वाला मालीक हैसियत दार हो और अपनी खुशी से नहीं लेवे और माफी देवे तो मन्जुर करे । गरीब हो तो दिलाया जावे ।

(१०८) दफा में यह ठेहराव के जिस आदमी की औरत मर जाये और वो नातरा करना चाहे तो १२ महीने बाद कर सकता है, पहिले नहीं । जब तक १२ महीने से तैवार नहीं पुरे होवे वह आदमी दूसरी औरत नहीं ला सकता । अगर कोई ले आवे उस पर जुर्माना रु. १५) १५ दिन की सजा की मियाद है और औरत पिछी निकलवा कर उस के वारीस माता पिता भाई वगैरा के यहां भिजवावे । बाद १२ महीने पुरे होने फिर चाहे उस कों लावे तो ला सकता है, चाहे दूसरी लावे परन्तु १२ महीने के भीतर एक दिन भी नहीं रख सकता । अगर जूर्माना सजा के बाद नहीं निकाले तो जाति सेबंद करदे फिर जुर्माना १२ महीने के बाद रु. १०१ लेकर शरीक करे । सजा की हालत में उस के यहां सगा वगैरा बैन-बैटी कोई भी नहीं जावे । अगर जावे उस पर जुर्माना रु. १।) की मियाद है । भूल से चला जाय उसको माफी देवे । इस में पक्ष करे सिखलावे उन पर जुर्माना रु. १३) लेने की मियाद ।

(१०९) दफा में यह ठहराव कि अगर कोई विधवा औरत अपने घरका माल जमीन मकान व नगदी वगैरा दूसरे को खिलावे, अन्यायकारी से व पंच तथा पाडोसी या घर के जैठ देवर वगैरा मना करे, तो उस पर से कहे कि मेरा माल है, मेरी खुसी चाहे उसे खिलाउंगी मुझे कोई नहीं रोक सकता, ऐसा कहे और बात ठीक हो व चलन पुख्ता बिगडा हो तो अव्वल पंच समझा देवे, बाद नहीं हो तो पंच मारफत गाडीं में डालकर जबरन से ठिकाने दे देवे ।

व मालीयत सब उसके वारिस के सुपूर्द करे जिसका हकहो । अगर वारिस नहीं लेवे तो उसकी लडकी बहिन वगैरा के लडके के वो सुपूर्द करे या उसके साथ रवाना करदे, अगर जबरन से नहीं जाय तो बंद करदे, बाद जाने को मन्जूर हो और जाय, तब शरीक करे व बदमास हो व पंच ठीक समझे तो दफा ७६ व २१ के मुजब सजा देकर अलग करदे । इस में पक्ष करे सिखलावे उन पर जुर्माना रु. ५) की मियाद है ।

(११४) दफा में ठेराव के जैसे दफा में मन्जूरी देखके नुकता का ठेराव किया है इसी मुजब पांवना भी पंचों की मनजूरी लेकर करे तो हैसियत देखके मन्जुरी दे । उसी मुजब करे चाहे एक आदमी आकर रकम कपडे महीना जावे या नारेल रूपया दे जाय । अब अगर बिना पूछे पंचके पांवना कर ले उस पर जुर्माना रु. ५) लेने की मियाद है । और पंगत में नहीं जाय व न जाने दे । बाद माफी मांगने के मुनासिब समझे तब जाय व इजाजत दे । इस में पक्ष करे सिखलावे उन पर जुर्माना १।) की मियाद है ।

(११५) दफा में पांवना श्राद्ध व्याह नुकता हर किस्म की छोटी बडी पंगतमें जो पंचायती रसोई हो यानी पांच घर न्योता हो वो पंचायती रसोई मसझी जाय । ५ से कम घरु चोका ही समझा जाय । अब इस तरह की पंचायती रसोई में अव्वल कोटवालको इत्तला करे । बाद रसोई शुरु करे तो उस रसोई में पुडी करने का काम पडे तो घिरत (घी) में पुडी निकाले, तैल में नहीं निकाले । तैलका रिवाज बिलकुल बंद किया है । रसोई करने की हैसियत हो, उतनी करे वरना नहीं करे । क्योंकि पुडी में तैल नुकसान करता है, व तैल ठीक हो तो अलबता भजिया, मरमरी यह चीज तैल में मौका आवे कर सकते है । परन्तु तेल की जांच अव्वल पंच से करावे वो इजाजत दे तो करे वरना सब चीज घी से ही निकाले । पुडी तो बिलकुल ही तैल में नहीं करे । अगर अब करे तो जुर्माना रु. ५) की मियाद छोटी पंगत वाले पर बाद माफी मांगे मुनासिब हो तो दे व पंगत करे । बडी पंगत नुकता बगैरा में तैल की पुडी करे उस पर जुर्माना रु. ११) की मियाद है ।

(१२३) दफामें ठेराव के श्रीअम्बाजी का गरबा पंचायती से छोटे बडे सब गांव में साल भर मे पांच रोज करे । कुंवार या वैशाख में दोनों वक्त नहीं हो सके तो जब

फुरसत मिले तब जरुर करे । यह साधारण रीति से शास्त्र के प्रमाण से करे जैसे पांच दिन बराबर खंभ के निचे पं. ब्राह्मण परसाई को बुलाकर रोज थोडा २ हवन पूजन कराना । बाद गरबी गाना, फिर हो सके तो निचे लिखे मुताबिक गम्मत करे । फिर समाप्त करके अपने घर चले जाय । यही मुख्य काम है । जिससे महारानी प्रसन्न रहें और आशिर्वाद दे, तो अपने दुख दारिद का जल्दी नाश होकर सुख प्राप्त हो यह नेम भी अपना छूट गया ।

उल्टा पैसा इकठ्ठा करके रांडिया नचाते गाली मा बैन की देवे और रात भर मूर्खों की तरह मस्ती करना और महारानी मांतजी को दोष लगाना । अम्बाजी का गरबा मे लोग इस तरह चिल्लाने गाली देते हैं और अपनी माता बहिनों की शर्म नहीं करते अब ऐसा हरगिज नहीं करना । अपने २ गांव में श्रद्धा मुताबिक पांच रोज जोत जला देवे । उस पंचायती पांच रोज में कोई मानता वाला पैसा सामान घिरत रोशनी में देवे तो नहीं लेवे । उस में सब खर्चा पंचायती उगाही कर के लगावे या सिलक हो तो खर्च करे ।

अब इस मुजब नहीं करे और आगे हौकर इतराज करे और इसको रोके उस पर जूर्माना रु. ११) दिन १५ सजा की मियाद है, व उगाही फाला में पैसा नहीं दे, उस पर जूर्माना दफा २७ व ४३ की कार्रवाई करके वसूल करे । मुखिया नहीं करे व न करने दे उस पर जुर्माना रुपया १५ की मियाद है ।

श्री महारानी का गरबा का नेम या गरबा करावे उसमें एकतो रांडिया बिलकुल ही नहीं नचाना, बल्कि जनानी कपडा पहिन कर गरबी की परिक्रमा में भी नहीं फिर सकता है, व खराब खेल लाकर मां बहिनों के सामने तथा अपने बुजुर्गो के सामने मस्ती वगैरा करना और अपने खुदको व कुलको कलंकित करना यह दोष व बेइज्जती का काम है ।

अगर खेल करना हो तो अच्छे शोभायमान गुण भरे उपदेश के खेल करो कि जिससे अपने लडके सुधरते जांय व अपनी मां बहिनों की इज्जत बढे और वह भी इज्जत से गिरती हुई सम्भलती जाय, लडका गरबा में खराब खेल लाये नहीं, अगर लाये तो उसके माता पिता वारिस को खबर करदे व जवान हो तो खुद को सजा देवे ।

अगर गरबा में नचाना हो तो नायक को बुलाकर कपडे पहिना कर नचा सकते हो, वरना नहीं तो पांच दिन जोत जलाकर विधि पूर्वक हवन पूजन गरबी भजन गायन कर गरबा ठंडा करदे । परन्तु खराब खेल न करे । खराब आचरण से उलटे माताजी नाराज होते हैं, प्रसन्न नहीं होते यह अज्ञानता है । वास्ते अगर दुसरी जाति का भी

गरबा कराकर रंडीया नचावे तो बंद करदो । अपनी महाराणी माताजी के नाम पर सामने मत नचाने दो । इतने परभी नहीं रुके तो उस गरबा में पैसे भी नहीं देना व न जाना ।

इसके खिलाफ करेगा उस पर जुर्माना रुपया ५) दिन १५ की सजाकी मियाद है । बाद बंद करदे फिर मांफी मांगे और हंमेशा यह खेल करना वगैरा सब छोडे, तब शरीक करे । खुशी के काम में भी रांडिया नही नचाना ।

जबरन नचावे तो उपर लिखे मुजब सजा जुर्माना करे । पंचको न मानते हुए कहे कि तुम क्या कर सकते हो, उस पर जुर्माना २५) महिना १ की सजाकी सख्त मियाद है । बाद बंद करदे । मांफी मांगे तब शरीक करें ।

(१३७) दफा में अगर कोई गुन्हा की सजा दो जगह अलग २ भूल से कायम हो गई हो तो दोनों का आसरा लेकर फैसला में उसी अन्दाज से सजा जुर्माना कायम कर देंगे । आयन्दा दूसरी बार छपने में सुधार गल्तियों का हो जायगा ।

सिवाय जो आटे साटे की सगाईयां व विवाह नातरा किया हुवा है, रुपया पैसा लेकर या बिना आटे साटे रुपया लेकर विवाह सगाई नातरा विधवा का किया हुवाहो वह अब तमाम सगाई विवाह नातरा लडाई या रुपया के कारण से या एक लड़की के मरजाने से दूसरा कहदे कि मेरी आटे साटे की सगाई विवाह है, अब यहां सगाई नहीं करुं या यहां नहीं भेजुं या रुपया अडाव देवे के इनने रुपया और बाकी लेना है । लेकर सगाई रखूंगा तथा भेजूंगा या जबानी करार या लेखी करार बतावे कि यह करार किया था कि तुमारे भाई लडका बगैरा की सगाई विवाह नातरा करादूंगा वरना इतने रुपया दुंगा नहीं तो सगाई नातरा विवाह नहीं करना व मांग नहीं भेजना, दुसरी जगह देदेना सौ अब में नहीं भेजूं या सगाई रखुं या विवाह न करुं और न रकम वगैरा दुंगा ।

ऐसा हर किस्म का सच्चा झूठा उजर बताकर लड़की तथा औरतों को रोक दे, उस पर जुर्माना दफा १–२–५ के मुजब करे व उसी मुताबिक सगाई कायम रखे व पति के यहां बहिन बेटी को भेजे, उसको कोई तरह का रुपया लेख वगैरा का उजर न सुनते उसी मुताबिक कायम रखे । इसमें पक्ष करे सिखलावे उन परभी ईन्ही दफा मुजब सजा जुर्माना करेंगे ।

(१३८) दफा में जो शुरु मन्दिर के ठेराव में श्रीमहन्तजी का अन्नी रुपया हाथ खर्च का कायम किया है उसका फिर खुलासा कि वह अन्नी रुपया की सिलक श्रीमहन्तजी के पास अलग न रहते पंच के खजाने में पंच के जिम्मे मय हिसाब के रहेगा । परन्तु श्री महन्तजी चाहें उस वक्त खजानची के पास से खर्चा के लिये रुपया ले सकते व हिसाब सिल्लक की जांच भी कर सक्ते हैं ।

अगर उस के खिलाफ श्रीमहन्तजी अपनी सिल्लक का हक बताकर जबरन से लेना चाहे और कहे के हम अलग हमारे पास रक्खेगे या उचित या अनुचित कर्म में खर्च करेंगें या फेंक देंगे, हमारी राजी चाहे सो करेंगे, परन्तु लेंगे जरुर–ऐसी हालत में उनको समझा देवे, नहीं समझे तो साफ इतराज करदे कि आप को नहीं मिलेगा । शुरु ठेराव के मुताबिक व रजिस्ट्री के लेख के मुताबिक आपको अनुचित कर्म में लगाने का कोई हक हांसिल नहीं है ।

इतने पर भी नहीं समझे और अपने अवगुणों को दूर नहीं करे । तो रजिस्ट्री के लेख मुताबिक पंच मेम्बरान को हक है के उनको गादी से अलग कर दुसरे महन्तजी को मुकर्रर कर देवे, इसमें पक्ष करे, सिखलावे उन लोगों पर जुर्माना रुप्या १०१ की मियाद है । व जाति से बंद करदे । बाद झुठा पक्ष व सिखलाना छोडे तब शामिल करे ।

(१४०) दफा में के कोई आदमी अपनी बेटी बहिन भानेज को सुसराल से जमाई समेत सिखला कर उस जमाई के माता पिता भाई काका वगैरा से लडाई कराके विरुद्ध करके पास बुलाले या खुद लडाई करके आवे अपने पास रखले, उस पर जुर्माना रुपया २१ दिन १५ की सजा की मियाद है । बेटी जमाई को वापस भेजे या अपने शामिल से अलग करे और अलग रहने लगे तब शामिल करे ।

अगर लडकी बिमार हो तो उसको रहने दे । जमाई को अलग करदे या उन के माता पिता के यहां भेज दे । आराम होने के बाद आकर लेजाय या माता पिता की राजी होतो रहने दे । वरना नहीं रहेने दे । जिससे घर मे नणद भोजाई सासु बहु वगैरा में झगडा न हो, न धर्म व इज्जत की मर्यादा मिटे । इस में पक्ष करे सिखलावे उन पर जुर्माना रुपया १५ की मियाद है । क्यो कि बेटी जमाई पास में शरीक रखने से बेइज्जती होती है, तथा घराने की बदनामी आती है । दुख हो तो वहां जाकर पंच के जरिये उन के माता पिता वारिस से दूर करावे और समझा कर चले आवे ।

सिवाय जो ४६ दफाके मुताबिक गौदी गया हुवा लड़का गौदी वाले घर पर रहते हुवे या वापस वहां से निकाला हुवा या न रहते अपनी खुशी से पीछा अपने खास माता पिता भाई वगैरा के यहां चला आवे और फिर उन से राजी से या हक बताके लडाई जबरन कर के दावा वगैरा कर के हिस्सा लेना चाहे तो नहीं ले सकता । क्योंकि उसका हक जिस रोज से घर से निकल दुसरे घर गौदी चला गया या धर्म पत्र ले कर वारिस हो गया, उसी रोज से हट गया ।

निमाड़ जिले के पुराने विधान

(संवत् १९९८ में छपी पुस्तक के आधार पर)

"कुलमी कुल भूषण" पुस्तक से निमाड़ के कुलमियों को भी प्रेरणा मिली । ग्राम करोंदिया में सनातन धर्म सभा हुई थी, उसमें श्री कालूराजी शास्त्री धर्म पर व्याख्यान देने पधारे थे । उन्होंने "कुलमी कुल भूषण" पुस्तक पढकर सुनाई थी । श्री कालूरामजी शास्त्री के सामने कुलमी-पाटीदार पंचों ने यह दिया कि इस पुस्तक की दफाएं निमाड़ में भी लागू की जावें । फिर धामनोद मंदिर की सदर कमेटीमें महाराजजीने वह ठहराव सुनाकर खलधार पंचों को यह काम सौंपा कि इस पुस्तक को छपवाकर गांव वार बांट देना । खलघाट पंच कमेटी ने यह काम पूरा किया । यह निवेदन भी पुस्तक में लिखा कि इन ठहरावों को भी नहीं तोड़ना, क्योंकि यह विधान पूरे मालवा निमाड़ के पंचों का बनाया हुआ है । यदि तोडोंगे, तो पूरी कड़वा-लेवा जाति में आपकी तौहीन होगी । यदि सब पंच मेम्बरान इकट्ठे होकर निमाड़ जिला के पंचों से जवान पूछेंगे, तो हम पंचों को जवाब देना भारी पडेगा । विधान की एक छोटी पुस्तक पाटीदार घनश्यामदास उज्जैन की लिखी हुई खलधार पंच तरफ से हर एक गावं को भेजी जाती है (ता. ३-८-१९४१) ।

श्री कुलम्बी पंच कड़वा

यह कमेटी अपने पांचों परगनो को मिलाकर बनाई है - (१) महेशरिया (२ धरगांव (३) बागोद (४)कसरावद (५) धामनोद-खलघाट । इस रा.रा. श्री माताजी के मंदिर की पंच कमेटी घामनोद ने महाराजजी कालूरामजी शास्त्री के सामने ठहराव किया कि करोंदिया कमेटी में जो कलमें कायम की हैं, आज से वे सभी कलमें पांचों परगनों में लागू की जाती हैं । अब इसी के मुताबिक इन्साफ करेंगे । सब ग्रामों में नियमों की पुस्तक भेजी है । पाटीदार पंचों को इकट्ठा करके सुना देना और सही करा लेना । इस तरह आज से पांचों परगनो के पंचों को ये ठहराव मान्य रहेंगे । जो कोई मंजूर नहीं करेगा, वह पांचो परगनो का गुन्हेगार होगा । अब इसी विधान के अनुसार इन्साफ करते जाना ।

दफाओं का खुलासा :

(१) यदि कोई मनुष्य हत्यावाला जाति समाज में आना चाहे तो दफा १३५ में उज्जैन मंदिर के ग्यारह मेम्बरान की मंजूरी लेकर कमेटी करे, ऐसा है । परन्तु अपने जिले के पांचों परगनों के पंचों की भी मंजूरी लेकर कमेटी करे । यदि जिले के पंचों की मंजूरी के बिना कमेटी करेगा, तो उल्टा पंच का गुनेहगार ठहरेगा । अब इन्साफ लेखी में करे । जुर्माना का रुपया और फैसले के कागजात पंचायती

दफ्तर मे रखें । जबानी फैसला नहीं करना; ताकि वक्त पर झगडा पडे, तो फैसले की नकल बताई जा सके ।

(२) यदि किसी विधवा औरत को अमल रह जाय, गिरादे, बदचलन हो जाय, उसको दफा २, ७५, ७६, १९, २१ के मुताबिक सजा देकर अलग कर दे । शिकायत झूठ निकले, तो माफी करके या जुर्माना करके जाति में शरीक कर ले । यह अधिकार पंच को है । परन्तु सारनी करके शरीक नहीं करे । अब औरतों की सारनी करना बंद करदी है । हत्या के मामले में सारनी कर सकते हैं ।

(३) किसी जीवित पति की औरत का नातरा कर लिया या सगाई छोड दी हो या रुपयों वास्ते विवाह नहीं करता तथा जवान लडकी को ससुराल नहीं भेजता तो पंच मार्फत इन अधूरे झगडों का निकाल करवाना । रुपया दिलाकर औरत का झगडा नहीं चुकाना मांग वापस दिलाना ।

(४) अपने जिलेमें तम्बाखू पीते हैं, यदि भूल से किसी दूसरे की चिलम पी लेवे तो दफा २८ के मुताबिक शरबत की पंगत करके शरीक करे । सादा स्नान कर ले । मन्दिर मे सीधा सामान रखे ।

आप पंचों को कहा जाता है कि आप धामनोद कमेटी के ठहरावो के अनुसार पुराने, अधूरे झगडों में फैसला करे । आप धर्मानुसार पक्षपात रहित होकर इन्साफ करे । दो चार बदमाश आदमी, औरत को सजा देकर ठीक मुकाम पर कर दोगे तो परमेश्वर चाहेगा, तो थोडे दिनों में काम लेन पर आकर सुधार हो जायगा । इस कदर आज धामनोद कमेटी ने कुल ठहराव कायम किये हैं । सब गांव वार पंचों ने महाराजजी के सामने सही कर दी हैं । सब पंचों ने मंजूरी दी है, सो सही । इन सब कलमों का खुलासा बडी किताब में हैं । बडी किताब उज्जैन मंदिर से मंगवाकर अपने गांव में रखना । उसमें देखकर इन्साफ करना ।

(५) अब श्री बेचराजी के पुजारी को मंदिर की सेवा पूजा से एक-दो-चार गांव या एक परगना के पंच बन्द नहीं कर सकते । यह हक हंमेशा पांचों परगना के पंचों का है । इस पुजारी को एक चौकी धान हरेक परिवार से देवे । गांव वार पुजारी आवे तो दफा १२२ के मुताबिक पंचमेम्बरान घर घर से दिलावें । इसका हिसाब पुजारी बराबर रखे । पंचों के पूछने पर हिसाब बतावे । यह ठहराव जिला पंच ने किया है । वक्त जरुरत काम दैंगा ।

अब श्री महाराजजी आप पंचों के ठहरावो के अलावा अपनी तरफ से कुछ बातों का खुलासा करते हैं-

(१) पहिली कलम यह है कि आपके इधर मृतक की सुकडी का रिवाज बहुत ही बुरा और अधर्म है । मरने वाले के घर वाले रोने पीटने के बजाय पहले सुकडी वास्ते सामान इकट्ठा करने पर मजबूर किये जाते हैं । दूर नर्मदाजी ले जाना हो तो नगदी रुपये का इन्तजाम करके ले जाना पडता है । मुर्दा घर पर पडा है, और मिठाई खाने वाले मीठा बनाने लग जाते हैं । नर्मदा तट पर तीरथ भोजन के नाम पर यह 'प्रेत-भोज' करना कितना बडा अधर्म और अन्याय है । फिर घाटा खर्च की पंगत भी देना पडती है । सोचो, उस घरवाले की क्या हालत हो जाती होगी । इस मृतक घर का अन्न खानेवालों का सब दान, पुण्य,तीर्थ-व्रत नाश हो जाता है और वह कर्जदार हो जाता है । इस तरह दोनों तरफ से हानि होती है । अगर सुकडी खाने या घरधनी जबरन से खिलावे, उसको दफा ११ के मुताबिक गुनाहगार होंगे । पंच गण को अख्तियार है कि वे सुकडी खानेवाले और खिलाने वाले से दण्ड वसूल करे । अब मरनेवाले के संग जाने वाले लोग अपने घर से पैसे, धाणी, भुगडा, फरियाल करने को ले जावें, उसके घरका न खावें । वापस घर आने पर भी मृतक-घर कुछ न खावें । गांव में हित्तुभाई या कुलमी समाज घर भोजन करियाल वगैरा करे या वापस अपने घर आकर भोजन करें । वास्ते यह रिवाज अब बन्द किया है । जो पक्ष लेकर जबरन से मीठा करावे या तड पाडे, उन लोंगों पर दफा ५६ के मुताबिक जुर्माना करें ।

(२) दूसरी कलम यह है कि आपके इधर घूंघट का चलन नहीं है । इस बाबद हमारा कहना यह है कि घर पर ससुर, पति, जेठ और बडों के सामने थोडा घुंघट करे । बाजार मे समाज में कहीं बहू-बेटी जावें तो, थोडा घुंघट निकाले । बाजारु लोगो के सामने , लुच्चो गुण्डो के सामने खुल्ले मुंह से नहीं निकलें । इससे स्त्रियों की इज्जत बढेगी । आप खुद समझदार है । इस मामले में आप अपनी बहू बेटियों को सही रास्ता बतावें ।

मिती चैत्र सुदी १५, संवत् १९६८
मुकाम माताजी मंदिर, धामनोद

होल्कर स्टेट, जिला निमाड, ग्राम करोंदिया में सनातन धर्म सभा की कार्यवाही का वर्णन (संवत् १९९७ वि.)

सदर कमेटी में पंडित कालूराम शास्त्री गांव- अमरोदा, जिला-कानपुर वाले महाशयजीने सनातन धर्म सभा में व्याख्यान दिये । इस कमेटी में आपने कुलम्बी पंचायती के उज्जैन मंदिरवाले श्री रामकृष्ण दासजी महाराज की लिखी किताब 'कुलमी कुलभूषण' पढकर सुनाई । यहां हाजिर सभी गांवों के पंचोंने अपनी सही करके यह ठहराव किया कि इस पुस्तक में की चन्द कलमें पांचों परगनों में लागू की जाती हैं । जो हाजिर नहीं

है, उस गांव के पंच सही करके चैत्र सुदी १३ को अगली कमेटी में धामनोद माताजी के मंदिर मे पेश करेंगे । अब कुलमी पंच गण 'कुलमी कुलभूषण' किताब के अनुसार पंच फैसले करेंगे और इसकी दफाओं को लागू करेंगे । यही सब पंचों से विनय है । मिती अगहन वदी ६ संवत् १९९७ को जाति सुधार की कलमों का ठहराव किया, जो 'कुलमी - कुलभूषण' किताब पर आधारित है । इस पुस्तक में १४१ दफाएं हैं ।

सनातन धर्मसभा में करोंदिया कमेटी के सदस्यों, गांव के पंचों, इटावदी पंचों की सही (दस्तखत) हुई । मिती पोस वदी ६, संवत् १९९७ को शुरु करके श्री महाराजजीनें गांव वार फिरकर ठहराव सुनाकर निम्न गांवों के पंचों की सहियां ली -

खलघाट, सुंद्रेल, बगडीपुरा, धेगदा, पेडूमी, भुवाणिया, झाकराड, डोगर, लोहारी, पटलावद, विखरेण, गुलझरा, बैगन्दा, मोगरडी, इटावदी, मेतवाडा, करोली, बडवेल, बबली, मौगांव, चुनडीया, करोंदिया, मोदे, झापडी, कौडीया, कुंडिया, सोमाखेडी, गुलावड, मंडोरी, बिलवावडी, भूदरी, होदडिया, पाडल्या, छोटा करोंदिया, कवांणा, कस्बा, बंडेरा, कतरगांव, कुम्म्या, बहेंगाव, पथराड, नांदरा, गोगाम, धरगाम, सुलगाम, खरगुण, मण्डेश्वर, ठमगाम, मातपुर, कांकरिया ।

नर्मदा पार के कसरावद परगना के निम्न गांव के पंचों की सहियां कराई गई (मिती चैत्र वदी ५. सं. १९९७ से शुरु करके) -

बीलगांव, बडी कसरावद, बडगाम, माकडखेडा, मोगाम, छोटी कसरावद, सालदा, बिठेर, साटकुट, एवं धामनोद कमेटी पंच मेंबरान (मांगीलाल पाण, भिलाजी गाडरिया, नथुजी गुजरिया, सीतारामजी अर्जुनजी मिठा) ।

बडी छालपा में आयोजित सकल पाटीदार पंचों के
बृहद् संमेलन में निम्न निर्णय लिये गए थे :

('लेवा पाटीदार समाज' विक्रम सं. २०२५ पुस्तिका के आधार पर)

१. हमारे पूर्वजों ने जाति में सगाई सम्बन्ध कायम रखने बाबद बहुत सोच विचार कर उत्तम नियम बनाया है । उसको आज सभी जाति भाई बराबर पालन करते आए हैं । इस नियम को सभी जाति भाइयों ने हमेशा के लिए पालन करना चाहिए ।

२. सगाई करते समय लडके की आयु और लडकी की आयु में ५ वर्ष का अन्तर होना चाहिए । अर्थात् लडकी से लडका ५ वर्ष बडा हो, ऐसा देखकर सगाई का काम करना चाहिए । छोटी उमर मे मंगनी करने की प्रथा बन्द की जाती है । इसलिए अब जितनी बडी उमर मे सम्बन्ध किए जावेंगे उतना ही भला होगा ।

३. मंगनी के समय लडके वाले ने लडकी के घर जाकर एक तीवारी तथा खारक देकर सम्बन्ध पक्का करना चाहिए ।

४. लडकी के पिता को चाहिए कि सगाई के सम्बन्ध में कभी भूलकर भी रुपए नहीं लेवे । और लडके के पिता को भी चाहिए कि वह लडकी वाले को रुपए का लालच न बतावे ।

५. विवाह के समय लडके की आयु १८ वर्ष तथा लडकी की आयु १४ वर्ष की होनी चाहिए । अर्थात् सरकार द्वारा निर्धारित कानून को मान्यता देना चाहिए ।

६. प्रत्येक माता-पिता का प्रधान कर्तव्य है कि वह अपने लडके को कम से कम कक्षा ११ वीं तक तथा अपनी लडकी को कक्षा ४ थी तक शिक्षण अवश्य ही दिलावें । इस प्रकार सरकार द्वारा 'शिक्षा प्रचार' की योजना को सबल बनाना चाहिए । कोई अधिक पढाना चाहे तो उत्तम होगा ।

७. लडकी को विवाह के दूसरे ही दिन आणा भी भेज देना उत्तम होगा ।

८. विधवा स्त्री की फारकती में केवल ५०) रुपये और उसका कुल जेवर देना चाहिए । यदि विधवा स्त्री के पास दूध पीती सन्तान हो उसने साथ ले जाना चाहिए । और परवरीश कर उसको पहिले कुटुम्ब को सौंप देना चाहिए ।

९. समाज में प्रचलित 'गुडपान' की प्रथा बिलकुल ही निरर्थक है । इसलिए इस प्रथा को बन्द करना हितकारी है । केवल लडकेवाले ने विवाह के समय लडकी के यहां 'गणेश पूजन' के दिन टीप तथा तीवारी दे आना चाहिए ।

१०. कोई भी मवेशी नात, मंछोडी या रस्से सहित मौत से मर जावे तो 'गल बन्धन' का कोई दोष नहीं माना जावेगा ।

११. यदि विधवा स्त्री को गर्भ रह जावे तो उसको पृथक कर देना चाहिए । क्यो कि जाति में पुनर्लग्न की प्रथा होने से किसी भी विधवा स्त्री को ऐसा पाप कर्म न करके जाति रिवाज के मुताबिक दूसरा घर बार सहर्ष कर लेना चाहिए ।

१२. कोई भी जाति बिरादरी का पंचायती मामला कभी भी कोर्ट में नहीं ले जाना चाहिए । जाति पंचायती का मामला जाति के पंचों में ही निपटाना चाहिए ।

१३. कोई भी जाति बन्धु अपनी एक स्त्री के होते हुए बिना योग्य कारण के कभी भी दूसरी स्त्री न करे । यदि पहिली स्त्री से सन्तती न हो, सन्तती होकर जीवित न रहती हो अथवा स्त्री दोनों आंखों से रहित हो, ऐसी हालत में ग्राम के पंचों की परवानगी लेकर चाहे तो दूसरी योग्य अवस्था की विधवा स्त्री से पुनर्लग्न किया जावे । बिना कारण दूसरी स्त्री नहीं की जावे । इस प्रकार सरकार द्वारा निर्धारित 'बहु विवाह' प्रतिबन्धक कानून को भी मान्यता दी जावे ।

१४. विधवा स्त्री जब तक किसी जाति के व्यक्ति से पुनर्लग्न करने की स्वीकृति देकर उसकी ओर से लाई हुई तागली पंचों के सामने उसका नाम निश्चित कर नहीं पहिनती, तब तक कोई भी बात पक्की नहीं मानी जावे ।

१५. किसी भी लडकी को यदि उसकी ससुराल वाले बिना कारण नहीं ले जाते हो तो उसके सम्बन्ध में जाति पंचों से ही निर्णय लेना चाहिए । कोर्ट से तलाक नहीं कराना चाहिए । क्योंकि जाति पंचों का निर्णय ही लाभ दायक हो सकता है ।

१६. मरने के पश्चात् पिता-माता को कर्जदार बनाना लडकी का कर्तव्य नही है । इस लिए 'माडा' बाटने की प्रथा बिलकुल ही बन्द रखना उत्तम है ।

१७. जिन मामलों में कोर्ट जाति के पंचों का ही पुरावा (प्रमाण) मांगती है, उन मामलों में जाति के पंचों द्वारा ही निर्णय लेना उत्तम होगा ।

१८. विवाह के समय 'पालकी' की प्रथा अब उपयुक्त नहीं है । इसलिए इस प्रथा को बन्द किया जाना उत्तम है ।

१९. लग्न के पश्चात् रात्री को ही चौरी तथा लग छोडने की रस्म पूर्ण की जाकर दूसरे दिन प्रातः बारात रवाना कर देना उत्तम होगा । विवाह में केवल एक ही पंगती देना हितकारी है ।

२०. "दरो अष्टमी" की प्रथा बिलकुल ही बन्द की जाती है ।

२१. "जलपूजा" के अवसर पर केवल पूजन किया जावे । मेहमान बुलाने की प्रथा बन्द की गई है । बाद में चाहे तो कपडे पहिनाने के लिए बुला सकते हैं ।

२२. मृत्यु के पश्चात् होने वाला 'प्रेत-भोजन' बन्द किया जाता है । दूर जाने पर केवल फलीहार करना चाहिए ।

२३. पाटीदार समाज के प्रत्येक घर मे रामायण और गीता की एक - एक प्रति होनी चाहिए । कृपा करके इस ओर अवश्य ही ध्यान देवेंगे ।

मध्यप्रदेश (कुलमी) पाटीदार समाज विधान १९७४

१. अ. **संस्था का नाम** - 'मध्यप्रदेश पाटीदार समाज' रहेगा ।

ब. **कार्य क्षेत्र** - संस्था का कार्य क्षेत्र म. प्र. होगा । परंतु सुविधा एवं समयानुसार सीमा बढाई जा सकेगी ।

स. **प्रभाव** - विधान स्वीकृत होते ही प्रभावशील हो जावेगा ।

द. **चुनाव** - संस्था की कार्यकारिणी सभा के सदस्यो का चुनाव प्रति तीसरे वर्ष माह मई में किये जायेंगे ।

इ. **कार्यालय** – *संस्था का मुख्य कार्यालय हनुमान गढी उज्जैन शहर मे रहेगा और आवश्यकता एवं सुविधानुसार कहीं भी कार्यालय खोला जा सकेगा ।*

२. **परिभाषाएं** – *इस विधान में जो शब्द उल्लेखित होंगे उनके अर्थ व वाक्य की निम्न परिभाषाएं दी जाती हैं ।*

अ. *पाटीदार समाज – पाटीदार समाज से आशय कुलमी समाज (कडवा और लेवा) से है ।*

ब. *वयस्क – का अर्थ है कि पुरुष १८ वर्ष या अधिक आयु का और महिला १८ वर्ष से अधिक आयु की वयस्क कहेंगे ।*

स. *सदस्य – सदस्य से अर्थ इस विधान की धारा ५ अनुसार बने सदस्य से है ।*

द. *कोष – से आशय है संस्था का कोष ।*

इ. *पदाधिकारी – से आशय है कि इस विधान के अन्तर्गत पदों हेतु चुने हुए या नामांकित ।*

फ. *नियम – से आशय इस विधान की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत बने नियम जो इस विधान की धाराओं के समान हैं, प्रभावशील होंगे ।*

ग. *व्यक्ति से आशय है पुरुष या महिला जो पाटीदार समाज के हैं ।*

व. *जिले – से जिले से चुने हुए प्रतिनिधियों को मिलाकर साधारण सभा बनेगी*

३. **संस्था के उद्देश्य** – *इस संस्था का उद्देश्य पाटीदार समाज का संगठन करना और संस्था के सदस्यो को (१) शैक्षणिक (२) आर्थिक (३) सामाजिक (४) सांस्कृतिक एवं धार्मिक (५) बौद्धिक शारीरिक विकास करना तथा जाग्रति पैदा करना, बन्धुत्व, सहकारिता तथा आपसी सहयोग की भावना को जाग्रत करना एवं प्रोत्साहन देना ।*

४. **संस्था के उद्देश्य पूर्ति के साधन** –

अ. *संस्था के संगठन हेतु संस्था की कार्यकारिणी इस विधान की धारा २० के अन्तर्गत कमेटी कायम करेगी, जो संस्था के सदस्य बनाने की व्यवस्था करेगी और पत्रिका के माध्यम से प्रचार व प्रसार करेगी ।*

ब. *शैक्षणिक, बौद्धिक एवं शारीरिक विकास हेतु पुरुष महिलाओं एवं बालकों की शैक्षणिक उन्नति करने के लिए पुरुष एवं महिला मण्डल कायम करना, प्रौढ, बालक एवं बालिकाओं की शिक्षण संस्था या मण्डल की स्थापना*

करना, बाल समाज की स्थापना करना, गरीब विद्यार्थियों की शिक्षा हेतु छात्र–वृत्तियां एवं ऋण की सुविधा दिलाना, छात्रावास और विद्यालय खोलना व चलाना, वांचनालय स्थापित करना और चलाना, खेलकूद की व्यवस्था करना और खेलकूद की प्रतियोगिता रखना ।

स. आर्थिक – संस्था के सदस्यो के आर्थिक विकास हेतु (१) कृषि सम्बन्धी आवश्यक उपकरण, बीज, खाद, यन्त्र, ऋण उपलब्ध करना व दिलाना (२) कृषि संबंधी शासकीय सहायता की जानकारी देना व उपलब्ध कराने में सहयोग देना (३) ग्रामीण बैंक खोलना (४) कृषि सम्बन्धी उद्योग धंधों की स्थापना करना (५) आधुनिक कृषि कार्य के तरीके से अवगत करना व उपलब्ध कराना (६) आर्थिक सहयोग व आर्थिक विकास के लिए विज्ञानशालाएं, कृषि यन्त्रो का प्रशिक्षण देना तथा संस्था के शिक्षित सदस्यो को आर्थिक राय देना और सहायता करना ।

द. सांस्कृतिक और समाज विकास और बन्धुत्व भावना
संस्था के सदस्यो का अच्छा चरित्र निर्माण करना, नैतिक जागृति, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए सभाओं और उत्सवों का आयोजन करना, मनोरंजक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना, समाज की सभ्यता का विकास करना, अपनी पुरानी सभ्यता को संरक्षण देना और अन्य समाज तथा विदेशी सभ्यता से अवगत कराना, संस्था के सदस्यो में बंधुत्व की भावना उत्पन्न करना व आपसी सहयोग के लिए जागृत करना ।

५. सदस्यता –

पाटीदार समाज का कोई भी वयस्क व्यक्ति जो इस विधान के अन्तर्गत बने नियमों में आस्था रखता हो संस्था का सदस्य बनने योग्य है । संस्था की सदस्यता की श्रेणियां निम्न प्रकार से रहेंगी –

अ. साधारण सदस्यता – जो व्यक्ति २ रुपये शुल्क देगा वह तीन वर्षकी अवधि के लिए सदस्य बना लिया जावेगा । किन्तु उसे ३ वर्ष से कम अवधि के लिए सदस्य नहीं बनाया जा सकेगा ।

ब. क्रियाशील सदस्यता और आजीवन सदस्य – जिन व्यक्तियों ने स्थापना के समय ५ रुपये दिए हैं वे, संस्थापक सदस्य कहलावेंगे । (२) जो भी साधारण संस्था के लिए २५ सदस्य साधारण सदस्य बनाएगा, वह क्रियाशील

सदस्य माना जाएगा । (३) जिन व्यक्तियों ने संस्था के स्थायी कोष में १०१ रुपये का अनुदान दिया है वह आजीवन साधारण सदस्य हो जावेगा ।

स. साधारण एवं क्रियाशील सदस्य को विधिवत् फार्म भरकर संस्था के अधिकृत पदाधिकारी को देना होगा ।

६. **सदस्यता समाप्त –**

सदस्यता निम्न स्थितियों में समाप्त हो जावेगी –

अ. मृत्यु होने पर

ब. सदस्यता पद से त्याग पत्र स्वीकृत होने पर

स. निश्चित अवधि के एक माह निर्धारित शुल्क नहीं देने पर और

द. कार्यकारिणी सभा २/३ मत से सदस्यता समाप्ति का प्रस्ताव स्वीकृत होने पर ।

७. **संगठन के अंग –**

अ. जिस गांव में पाटीदार समाज के पाटीदार रहते हैं उस गांव में कम से कम १० सदस्य बन जाने पर उन सदस्यो की पाटीदार समाज ग्राम समिति स्थापित की जावेगी । ग्राम समिति में केवल एक संयोजक होगा जो ग्राम समिति का कार्य व प्रतिनिधित्व करेगा ।

ब. तेहसील पाटीदार समाज समिति : – धारा ७ (१) के अनुसार उस सम्बन्धित तेहसील के गांव के लिए तेहसील पाटीदार समाज समिति की साधारण सभा का गठन होगा । ये साधारण सभा के सदस्य अपने में से तेहसील पाटीदार समाज समिति का १ अध्यक्ष, १ उपाध्यक्ष, १ मंत्री, १ कोषाध्यक्ष, १ संगठन मंत्री, एवं १ सह मंत्री को मिलाकर कुल २१ सदस्य की कार्यकारिणी समिति का निर्वाचन करेंगे । यह कार्य कारिणी समिति पाटीदार समाज के अधीन रहकर उसका कार्य और प्रतिनिधित्व करेगी ।

स. जिला पाटीदार समाज – जिले की समस्त तेहसील पाटीदार समाज समितियों की कार्यकारिणी, समितियों के समस्त सदस्य जिला पाटीदार समाज (संस्था) के साधारण सदस्य होंगे । यह साधारण सभा जिला पाटीदार समाज की सर्वोपरि निकाय होगी । परन्तु इस विधानके अन्तर्गत अंगीकृत उद्देश्यो के विपरीत कार्य करने का अधिकार नहीं होगा । जिला पाटीदार समाज की साधारण सभा के सदस्य अपने में से १ अध्यक्षक्ष, १ उपाध्य, १ मंत्री, १

कोषाध्यक्ष, १ संगठन मंत्री, १ सहमंत्री को मिलाकर कुल २१ सदस्यो की कार्यकारिणी समिति का निर्वाचन करेगी तथा म. प्र. पा. समाज की साधारण सभा में कम से कम पदेन सदस्यो के अलावा ५ प्रतिनिधि या अपने जिले की प्रत्येक तेहसील के एक एक प्रतिनिधि जो भी अधिक संस्था के हो के मान से प्रतिनिधि मण्डल का निर्वाचन कर भेजेगी ।

द. *म. प्र. पाटीदार समाज – प्रदेश के प्रत्येक जिले के पाटीदार समाज संस्था की साधारण सभा द्वारा निर्वाचन प्रतिनिधि सदस्य एवं पदेन सदस्य म. प्र. पाटीदार समाज की साधारण सभा के सदस्य होंगे और ये सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष, तीन उपाध्यक्ष, एक सचिव, एक कोषाध्यक्ष, एक उपकोषाध्यक्ष, प्रत्येक जिले के लिए एक संगठन सचिव एवं एक सहसचिव के अतिरिक्त २१ सदस्य कार्यकारिणी समिति में निर्वाचन करेंगे ।*

८. **साधारण सभा के कर्तव्य व अधिकार –**

अ. *साधारण सभा वर्ष में एक बार सुविधानुसार बुलायी जायगी (ब) साधारण सभा अपने में से दो अंकेक्षक चुनेगी जो लेखा जोखा एवं आय व्यय के परिक्षण की जानकारी रखते हो (स) साधारण सभा में वार्षिक बजट स्वीकृत होगा । (द) साधारण सभा में कार्यकारिणी सभा व पदाधिकारियो द्वारा किया गया कार्य का लेखा जोखा सुनाया जावेगा व स्वीकृत किया जावेगा ।*

क. *साधारण सभा की बैठक का कोरम १/३ रहेगा और कोरम पूर्ण नहीं होने की दशा में सभा की कार्यवाही अध्यक्ष के आदेशानुसार स्थगित की जा सकेगी । परन्तु बैठक उसी दिन एक घण्टे बाद की जावेगी चाहे कोरम पूर्ण हो या न हो । स्थगित बैठक की कार्यवाही पुनःप्रारंभ करने पर भी कोरम नहीं हुआ तो इस धारा की उपधारा का कार्य साधारण सभा अपने उपस्थित सदस्यो से कर सकेगी । किन्तु इस बैठक में उन्हीं प्रस्तावों पर विचार होगा जिसकी सूचना पूर्व में दी जा चुकी है ।*

ख. *अगर विशेष साधारण सभा समाज के साधारण सदस्यो द्वारा बुलाई जाती है तो ऐसी सभा कोरम के अभाव में भंग कर दी जावेगी ।*

घ. *साधारण सभा के १/३ सदस्य हस्ताक्षर करके अध्यक्ष से साधारण सभा की विशेष बैठक बुलाने की मांग कर सकते हैं और यदि अध्यक्ष के ही विरुद्ध आरोप हो तो सचिव से विशेष बैठक की मांग कर सकते हैं । ऐसी स्थिति में बैठक बुलाना अनिवार्य होगा ।*

९. **कार्यकारिणी सभा का गठन कर्तव्य व अधिकार –**

अ. कार्यकारिणी सभा के पदाधिकारियो के अतिरिक्त २१ सदस्य होंगे जो साधारण सभा में से निर्वाचित किये जावेंगे तथा खडे होने के लिए क्षेत्र का कोई प्रतिबन्ध नहीं रहेगा । (ब) यदि किसी जिले में उपरोक्त सदस्य किसी कारणों से निर्वाचित नहीं हुए तो निर्वाचित कार्यकारिणी सभा निर्धारित सदस्यो को मनोनीत कर सकेगी । (स) कार्यकारिणी सभा की बैठक ३ माह में एक बार होगी तथा आवश्यकता होने पर अध्यक्ष या सचिव ७ दिन पूर्व सूचना देकर बैठक बुला सकते है । कार्यकारिणी का कोरम १/३ रहेगा (क) कार्यकारिणी सभा का कार्य विधान के अनुसार सुचारु रुप से चले उसके प्रस्ताव स्वीकार करना (ख) इस विधान में दर्शाए उद्देश्यो की पूर्ति हेतु नियम बनाना । (घ) कार्यकारिणी सभा का कोई भी सदस्य लगातार तीन बेठकों में अनुपस्थित रहे तो वह कार्यकारिणी सभा का सदस्य नहीं रहेगा और बाद की बैठकों में भाग नहीं ले सकेगा । किन्तु उसके द्वारा अनुपस्थिति का पर्याप्त कारण बताने पर उसे अनुपस्थित रहने की माफी कार्यकारिणी सभा दे सकेगी । कार्यकारिणी सभा किसी कारण से किसी पद या स्थान के रिक्त हो जाने पर साधारण सभा के किसी भी सदस्य के सहयोजन द्वारा पूर्ति कर सकेगी । (ड.) कार्यकारिणी सभा साधारण सभा के द्वारा स्वीकृत बजट के अनुसार कार्य करेगी और आवश्यकता होने पर कार्यकारिणी सभा अस्थाई कोष में से खर्च कर सकेगी जिसका ब्योरा अगली साधारण सभा में प्रस्तुत करना होगा (च) कार्यकारिणी सभास्वयं के संचालन एवं सहयोग हेतु अपने में से या साधारण सभा के सदस्यों में से कमेटियां भी नियुक्त कर सकेगी और ऐसी कमेटियां कार्यकारिणी सभा के निर्देशन में कार्य करेगी । (छ) स्वीकृत बजट के अतिरिक्त अस्थाई कोष में से आवश्यकतानुसार खर्च की स्वीकृति हेतु अगली साधारण सभा में प्रस्तुत करना । (ज) कार्यकारिणी सभा के सदस्य समाज के प्रति अपने द्वारा किये गये कार्यों के लिए व्यक्तिगत तथा सामुहिक रूप से जिम्मेदार होगे (झ) समाज के नियमों का उल्लंघन करने पर कार्यकारिणी सभा किसी भी सदस्य को सदस्यता से पृथक कर सकेगी या अन्य दण्द दे सकेगी । (ण) कार्यकारिणी सभा उपस्थित सदस्यो के बहुमत से प्रस्ताव स्वीकृत करेगी । बराबर के मत होने पर अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा ।

१०. **अध्यक्ष के अधिकार व कर्तव्य –**

अ. साधारण सभा तथा कार्यकारिणी सभा का कार्य संचालन करना ।

ब. कार्यकारिणी में एक–रूपता बनाए रखना ।

स. संस्था को आर्थिक हानि से बचाये रखना तथा उसके कोष की वृद्धि का प्रयास करना ।

द. संस्था की साधारण सभा कार्यकारिणी सभा एवं अन्य कमेटियों को मार्गदर्शन देना ।

क. स्वीकृत बजट के अतिरिक्त अस्थाई कोष से आवश्यकतानुसार खर्च की कार्यकारिणी सभा से स्वीकृति लेना ।

ख. आवश्यकता होने पर कार्यकारिणी सभा की विशेष बैठक बुलाना ।

११. **उपाध्यक्ष के कर्तव्य व अधिकार –**

अध्यक्ष के कार्य के सहायक होना तथा उनकी उपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त कर्तव्य पालन व अधिकार का उपयोग करना ।

१२. **सचिव के कर्तव्य व अधिकार –**

अ. अध्यक्ष की अनुमति से कार्यकारिणी और साधारण सभा की बैठक बुलाने की व्यवस्था व उसका विवरण रखना । विवरण का लेखन अगली बेठक में प्रस्तुत होगा ।

ब. संस्था की ओर से पत्र व्यवहार करना ।

स. कार्यकारिणी के नियमानुसार किए जाने वाले प्रत्येक कार्य की व्यवस्था करना ।

द. प्रतिवर्ष आगामी वर्ष का अनुमानित बजट कार्यकारिणी समिति में पेश करना तथा साधारण सभा में पेश कर स्वीकृत कराना ।

क. सचिव कार्यकारिणी के कार्य एवं जांच किए हुए हिसाब का वार्षिक विवरण तैयार करेगा और साधारण सभा में पेश करेगा ।

ख. बजेट की स्वीकृति के अतिरिक्त अधिक से अधिक १०० रु. तक खर्च करना, किन्तु इसकी स्वीकृति कार्यकारिणी की अगली बैठक में ले लेना होगा ।

ग. प्रतिवर्ष संस्था के हिसाब को कार्यकारिणी द्वारा नियुक्त व्यक्ति से अथवा ऑडिटर से ऑडिट करवा कर संस्था की कार्यकारिणी व साधारण सभा में स्वीकृत कराना ।

घ. संस्था के उद्देश्यो का प्रसार व प्रचार करना ।

१३. **उपसचिव के अधिकार व कर्तव्य –**

अ. सचिव के कार्य में सहायक होना तथा उनकी अनुपस्थिति में सचिव के समस्त कर्तव्य पालन व अधिकारों का उपयोग करना ।

१४. **प्रचार मंत्री के अधिकार व कर्तव्य –**

अ. संस्था के संगठन का प्रचार करना और संस्था को संगठित बनाए रखना ।

ब. संस्था के प्रचार हेतु पत्रिका निकालने की व्यवस्था करना ।

९. **कार्यकारिणी सभा का गठन कर्तव्य व अधिकार –**

अ. *कार्यकारिणी सभा के पदाधिकारियो के अतिरिक्त २१ सदस्य होंगे जो साधारण सभा में से निर्वाचित किये जावेंगे तथा खडे होने के लिए क्षेत्र का कोई प्रतिबन्ध नहीं रहेगा । (ब) यदि किसी जिले में उपरोक्त सदस्य किसी कारणों से निर्वाचित नहीं हुए तो निर्वाचित कार्यकारिणी सभा निर्धारित सदस्यो को मनोनीत कर सकेगी । (स) कार्यकारिणी सभा की बैठक ३ माह में एक बार होगी तथा आवश्यकता होने पर अध्यक्ष या सचिव ७ दिन पूर्व सूचना देकर बैठक बुला सकते है । कार्यकारिणी का कोरम १/३ रहेगा (क) कार्यकारिणी सभा का कार्य विधान के अनुसार सुचारु रुप से चले उसके प्रस्ताव स्वीकार करना (ख) इस विधान में दर्शाए उद्देश्यो की पूर्ति हेतु नियम बनाना । (घ) कार्यकारिणी सभा का कोई भी सदस्य लगातार तीन बेठकों में अनुपस्थित रहे तो वह कार्यकारिणी सभा का सदस्य नहीं रहेगा और बाद की बैठकों में भाग नहीं ले सकेगा । किन्तु उसके द्वारा अनुपस्थिति का पर्याप्त कारण बताने पर उसे अनुपस्थित रहने की माफी कार्यकारिणी सभा दे सकेगी । कार्यकारिणी सभा किसी कारण से किसी पद या स्थान के रिक्त हो जाने पर साधारण सभा के किसी भी सदस्य के सहयोजन द्वारा पूर्ति कर सकेगी । (ड.) कार्यकारिणी सभा साधारण सभा के द्वारा स्वीकृत बजट के अनुसार कार्य करेगी और आवश्यकता होने पर कार्यकारिणी सभा अस्थाई कोष में से खर्च कर सकेगी जिसका ब्योरा अगली साधारण सभा में प्रस्तुत करना होगा (च) कार्यकारिणी सभास्वयं के संचालन एवं सहयोग हेतु अपने में से या साधारण सभा के सदस्यों में से कमेटियां भी नियुक्त कर सकेगी और ऐसी कमेटियां कार्यकारिणी सभा के निर्देशन में कार्य करेगी । (छ) स्वीकृत बजट के अतिरिक्त अस्थाई कोष में से आवश्यकतानुसार खर्च की स्वीकृति हेतु अगली साधारण सभा में प्रस्तुत करना । (ज) कार्यकारिणी सभा के सदस्य समाज के प्रति अपने द्वारा किये गये कार्यों के लिए व्यक्तिगत तथा सामुहिक रूप से जिम्मेदार होंगे (झ) समाज के नियमों का उल्लंघन करने पर कार्यकारिणी सभा किसी भी सदस्य को सदस्यता से पृथक कर सकेगी या अन्य दण्द दे सकेगी । (ण) कार्यकारिणी सभा उपस्थित सदस्यो के बहुमत से प्रस्ताव स्वीकृत करेगी । बराबर के मत होने पर अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा ।*

१०. **अध्यक्ष के अधिकार व कर्तव्य –**

अ. *साधारण सभा तथा कार्यकारिणी सभा का कार्य संचालन करना ।*

ब. *कार्यकारिणी में एक–रूपता बनाए रखना ।*

स. संस्था को आर्थिक हानि से बचाये रचना तथा उसके कोष की वृद्धि का प्रयास करना ।

द. संस्था की साधारण सभा कार्यकारिणी सभा एवं अन्य कमेटियों को मार्गदर्शन देना ।

क. स्वीकृत बजट के अतिरिक्त अस्थाई कोष से आवश्यकतानुसार खर्च की कार्यकारिणी सभा से स्वीकृति लेना ।

ख. आवश्यकता होने पर कार्यकारिणी सभा की विशेष बैठक बुलाना ।

११. **उपाध्यक्ष के कर्तव्य व अधिकार –**

अध्यक्ष के कार्य के सहायक होना तथा उनकी उपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त कर्तव्य पालन व अधिकार का उपयोग करना ।

१२. **सचिव के कर्तव्य व अधिकार –**

अ. अध्यक्ष की अनुमति से कार्यकारिणी और साधारण सभा की बैठक बुलाने की व्यवस्था व उसका विवरण रखना । विवरण का लेखन अगली बेठक में प्रस्तुत होगा ।

ब. संस्था की ओर से पत्र व्यवहार करना ।

स. कार्यकारिणी के नियमानुसार किए जाने वाले प्रत्येक कार्य की व्यवस्था करना ।

द. प्रतिवर्ष आगामी वर्ष का अनुमानित वजट कार्यकारिणी समिति में पेश करना तथा साधारण सभा में पेश कर स्वीकृत कराना ।

क. सचिव कार्यकारिणी के कार्य एवं जांच किए हुए हिसाब का वार्षिक विवरण तैयार करेगा और साधारण सभा में पेश करेगा ।

ख. बजेट की स्वीकृति के अतिरिक्त अधिक से अधिक १०० रु. तक खर्च करना, किन्तु इसकी स्वीकृति कार्यकारिणी की अगली बैठक में ले लेना होगा ।

ग. प्रतिवर्ष संस्था के हिसाब को कार्यकारिणी द्वारा नियुक्त व्यक्ति से अथवा ओडिटर से ओडिट करवा कर संस्था की कार्यकारिणी व साधारण सभा में स्वीकृत कराना ।

घ. संस्था के उद्देश्यो का प्रसार व प्रचार करना ।

१३. **उपसचिव के अधिकार व कर्तव्य –**

अ. सचिव के कार्य में सहायक होना तथा उनकी अनुपस्थिति में सचिव के समस्त कर्तव्य पालन व अधिकारों का उपयोग करना ।

१४. **प्रचार मंत्री के अधिकार व कर्तव्य –**

अ. संस्था के संगठन का प्रचार करना और संस्था को संगठित बनाए रखना ।

ब. संस्था के प्रचार हेतु पत्रिका निकालने की व्यवस्था करना ।

स. पत्रिका हेतु सम्पादक मण्डल की स्थापना कार्यकारिणी की स्वीकृति से करना ।

१५. **कोषाध्यक्ष के अधिकार व कर्तव्य –**

अ. संस्था की आय–व्यय का व्यवस्थित लेखा–जोखा रखना ।

ब. संस्था का कोष सुरक्षित रखना ।

स. स्वीकृत बिलों का भुगतान करना ।

द. एक सौ रुपये से अधिक नगद सिलक अपने पास नहीं रखना । अधिक रकम अपने पास होने पर उस राशि को बैंक में जमा करना ।

क. वर्षान्त में संस्था का हिसाब सचिव के सहयोग से आडिट करवाना होगा ।

ख. एक सौ रुपये से अधिक रकम का भुगतान चैंक से किया जावेगा ।

१६. **ऑडिटर का कर्तव्य एवं अधिकार –**

अ. संस्था के हिसाब का त्रिमासिक निरीक्षण कर अध्यक्ष को वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट पेश करना तथा कार्यकारिणी द्वारा लेखा–जोखा एवं अन्य सलाह मांगने पर सलाह व सहयोग देना ।

ब. यदि संस्था के हिसाब में गबन जैसी स्थिति हो तो अध्यक्ष को तुरन्त सूचना देना ।

१७. **चुनाव की पद्धति –**

साधारण सभा एक तीन सदस्यीय चुनाव मण्डल का गठन करेगी जो चुनाव की प्रक्रिया निर्धारित कर कार्यकारिणी एवं पदाधिकारियों का चुनाव कराएगा ।

१८. **बैठक या सभा की सूचना –**

साधारण सभा की बैठक बुलाने के लिए सदस्यों को कम से कम १५ दिन के पूर्व सूचना देनी होगी और कार्यकारिणी की बैठक के लिए १ सप्ताह पूर्व सूचना देनी होगी । सूचनाएं अण्डर पोस्टल सर्टिफिकेट से भेजी जाएगी और यदि किसी को सूचना समय में प्राप्त नहीं होती तो बैठक या सभा की कार्यवाही अवैधानिक नहीं होगी ।

१९. **अविश्वास का प्रस्ताव –**

अ. साधारण सभा के १/३ सदस्यों के हस्ताक्षर से अध्यक्ष सचिव या कार्यकारिणी सभा को आरोप और कारण सहित निवेदन करने पर साधारण सभा की विशेष बैठक बुलाई जावेगी, जिसमें कार्यकारिणी या पदाधिकारी के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव उपस्थित सदस्यों के बहुमत से स्वीकृत हो सकता है, किन्तु साधारण सभा के समस्त सदस्यों में से कोरम २/३ सदस्यों का होगा । जिसके खिलाफ आरोप होगा वह अध्यक्षता नहीं करेगा ।

ब. कार्यकारिणी सभा के २/३ सदस्यों के हस्ताक्षर से अध्यक्ष या सचिव को आरोप और कारण सहित निवेदन करने पर कार्यकारिणी की विशेष बैठक

बुलाई जा सकेगी, जिसमें पदाधिकारियों के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव उपस्थित सदस्यो के बहुमत से स्वीकृत हो सकता है, किन्तु कार्यकारिणी सभा के समस्त सदस्यो में से २/३ सदस्यों का कोरम होना अनिवार्य है ।

२०. संस्था का कोष

अ. साधारण सदस्यता की ५० प्रतिशत राशि जिला समिति के पास रहेगी । शेष राशि व अन्य रकम मुख्य कार्यालय को भेज दी जावेगी ।

ब. बैंक से रकम अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष या सचिव में से किन्हीं दो के हस्ताक्षर से निकाली जावेगी ।

इस विधान की धारा ३–४ की पूर्ति हेतु और चुनाव संबंधी कार्यकारिणी सभा नियम बना सकेगी । विभिन्न कार्य सम्पूर्ण करने के लिए विभिन्न कमेटियों का भी गठन किया जा सकेगा । कार्यकारिणी सभा एक पांच व्यक्तियों की सलाहकार समिति नामांकित कर गठन कर सकेगी और उस से राय ले सकेगी । यह नामांकित सलाहकार समितियां संस्था की सलाहकार समिति होगी । इसका अध्यक्ष समाज का अध्यक्ष ही होगा । कमेटियों का कार्यालय अध्यक्ष या कार्यकारिणी सभा के कार्य काल तक रहेगा ।

२१. चुनाव विषयक झगडे –

कोई भी उम्मीदवार चुनाव के संबंध में बने नियमों के अनुसार अपने चुनाव के विषय में उस चुनाव के परिणाम की घोषणा हो जाने के ७ दिन के अन्दर संस्था के अध्यक्ष के समक्ष शिकायत कर सकेगा । कार्यकारिणी द्वारा नामांकित सलाहकार समितियां शिकायत की सुनवाई व जांच करेगी और शीघ्र ही संबंधित पक्षों के पास अपने निर्णय भेज देगी और यह निर्णय अन्तिम होगा ।

२२. विवादग्रस्त प्रश्नों का निर्णय –

अ. इस विधान के अधीन इसमें लिखे प्रावधानों, विषयों, व्याख्याएं अथवा कार्य करने की रीति के सम्बन्ध में व कोई भी विवाद किन्हीं दो या दो से अधिक सदस्यो, सभाओं, कमेटियों या पदाधिकारियों के बीच उठनेवाले प्रश्न, झगडे या विवाद का निपटारा या निर्णय संस्था का अध्यक्ष सलाहकार समिति की राय से कर देगा । ऐसे निर्णय अन्तिम होंगे । वे संस्था के समस्त सदस्यो व पदाधिकारियों पर लागू होंगे और उनमें से कोई भी सदस्य अदालत में नहीं जा सकता ।

ब. कोई विशेष परिस्थिति उपस्थित होने पर जिसकी चर्चा विधान में न की गई हो इस विधान के अन्तर्गत चुने या नामांकित पदाधिकारियों को कार्यकारिणी सभा व उसके सदस्यो की या कमिटियों को उचित कार्य करने

का अधिकार होगा । यदि ऐसा कार्य करने का अधिकार इस विधान के अन्तर्गत न दिया गया हो तो ऐसा कार्य करने वाला कार्यकारिणी सभा की अगली बैठक में स्वीकृति के लिए रखेगा और यदि ऐसा कार्यकारिणी सभा द्वारा किया गया तो साधारण सभा की अगली बैठक में स्वीकृति के लिए रखा जावेगा ।

२३. सदस्यता रजिस्टर –

अ. समाज का एक सदस्यता का रजिस्टर जिले के कार्यालय में रखा जावेगा ।

ब. प्रतिनिधि सभा का रजिस्टर मुख्य कार्यालय में रहेगा ।

२४. नियम –

जो भी नियम बनाए जावेंगे, वे विधान की धाराओं के विपरीत नहीं होंगे और यदि कोई नियम विधान की धारा के विपरीत होगा तो वह शून्य होगा ।

२५. एडहाक कमेटी एवं पदाधिकारी –

इस विधान के प्रभावशील होने के पूर्व जो एडहाक कमेटी, विधान निर्माण कमेटी और अन्य कमेटियां बनाई गई हैं और जो पदाधिकारी है वे इस विधान के अन्तर्गत निर्वाचित एवं नामांकित किए ही माने जावेंगें । एडहाक कमेटी व अन्य कमेटियां व पदाधिकारी इस विधान के अन्तर्गत प्रथम चुनाव होगा उस समय तक कार्य करती रहेगी । एडहाक कमेटी व पदाधिकारियों ने भी उचित कार्य प्रथम चुनाव के पूर्व किए हैं, वे वैध माने जावेंगे । विधान निर्मात्री समिति विधान के स्वीकृत होते ही भंग मानी जावेगी ।

२६. **संस्था का वर्ष –**

इस संस्था का वर्ष एक जूनसे प्रारंभ होकर अगले वर्ष की ३१ मई तक का होगा ।

२७. **संस्था के कर्मचारी –**

कार्यकारिणी संस्था का कार्य चलाने हेतु वेतन पर कर्मचारी भी नियुक्त कर सकेगी ।

२८. **विधान में परिवर्तन –**

साधारण सभा की बैठक में दो तिहाई बहुमत से इस विधान के प्रावधानों में आवश्यक संशोधन किए जा सकेंगे, किन्तु स्थगित बैठक को विधान में संशोधन करने का अधिकार नहीं होगा ।

नोट : यह विधान समाज की संस्थापक सभा द्वारा दिनांक २–१०–७४ को हनुमान गढी उज्जैन में स्वीकृत किया गया – अध्यक्ष

पाटीदार हितैषी मंडल, जिला निमाड (म. प्र.)

(महेश्वर, कसरावद, धामनोद क्षेत्र)

स्थापना १० अक्तूबर १९७६

समाज का विधान

(भाग १)

प्रस्तावना, उद्देश्य, नाम, कार्यक्षेत्र, मुख्यालय, समितियों का गठन आदि

प्रस्तावना :

भारत एक कृषि प्रधान देश है । भारत के नव निर्माण में कृषकों का विशेष योगदान है । कृषक वर्गों में पाटीदार समाज एक विशिष्ट स्थान रखता है । हमारा समाज एकता, दृढता, मेहनत के लिए प्रसिद्ध रहा है । गौरवशाली प्रतिभाओं तथा विभूतियों को जन्म देने वाला समाज वर्तमान में संगठित नहीं है तथा उसमें कुछ रुढियां और परम्परागत रीतियां फैली हुई हैं । देश और समाज की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुकूल हमारे समाज में भी सुधार करना अत्यन्त आवश्यक है । देश के कई प्रदेशों में बसे हुए असंगठित पाटीदार समाज को पुनः संगठित करने एवं उसमें सुधार करने के उद्देश्य से उज्जैन में म. प्र. पाटीदार समाज का गठन किया गया है तथा अखिल भारतीय पाटीदार समाज के गठन की योजना भी चल रही है । समाज में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाने के उद्देश्य से हम महेश्वर, कसरावद तथा धामनोद क्षेत्र के पाटीदार समाज के सदस्य गण '**निमाड पाटीदार समाज**' का गठन कर रहे हैं ।

उद्देश्य :

इस संगठन के उद्देश्य निम्नानुसार हैं –

१. समाज संगठन तथा समाज सुधार,

२. शैक्षणिक एवं आर्थिक उन्नति, एवं कृषि में सुधार

३. परस्पर सहयोग एवं सद्भावना,

४. नवयुवकों को संगठित करना व उनका सक्रिय सहयोग लेकर समाज में क्रांति लाया ।

नाम एवं कार्यक्षेत्र :

महेश्वर, कसरावद, धामनोद तीनों क्षेत्रों के पाटीदार समाज के संगठन एवं सुधार हेतु एक जिला स्तरीय संगठन बनाया गया है जिसका नाम '**पाटीदार हितैषी मंडल जि. नि.**' रखा गया है । इस मंडल का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण खरगोन एवं धार जिला रहेगा ।

मुख्यालय एवं पत्र व्यवहार :

निमाड जिले का केन्दीय स्थान धामनोद है जहां कुलदेवी मां अम्बाजी का पवित्र मंदिर भी है, अतएव जिले का मुख्यालय धामनोद रहेगा। वर्तमान में कार्यालय, अध्यक्ष के निवास स्थान, ग्राम-पथराड, पोस्ट -पथराड में रहेगा। पत्र-व्यवहार जिला सचिव के वर्तमान स्थान धरगांव के पते पर भी किया जा सकता है। यह परम्परा भविष्य में भी कायम रखी जावेगी, जब तक कि मण्डल की प्रतिनिधि सभा अन्यथा निर्णय न करे।

सदस्यता :

सदस्यता के लिए निम्नानुसार व्यवस्था रहेगी -

१. **साधारण सदस्य :** प्रत्येक ग्राम की समिति अपने अपने ग्राम में प्रत्येक घर के मुखिया को सदस्य बनावें। इस हेतु प्रवेश शुल्क दो रूपये लिया जावे। इस प्रकार बनने वाले सभी सदस्य इस संगठन के साधारण सदस्य कहलावेंगे।

२. **सम्माननीय सदस्य :** सभी स्तर की समितियां किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सम्माननीय सदस्यों के रूप में चुन सकती है। ऐसे सदस्य कार्यकारिणी समिति की बैठकों में भाग ले सकते हैं एवं पद ग्रहण कर सकते हैं।

समितियां :

संगठन को चलाने हेतु नीचे लिखे अनुसार समितियां होंगी -

१. ग्राम समिति
२. तहसील कार्यकारिणी समिति
३. जिला कार्यकारिणी समिति
४. प्रबंधकारिणी समिति
५. साधारण सभा
६. ओडिट समिति

जिला कार्यकारिणी समिति का गठन -

दि. १०-१०-७६ को मां अम्बाजी के पवित्र मंदिर धामनोद में तीनों क्षेत्रों के पाटीदार बन्धुंओं की एक बृहत् सभा हुई जिस में **पाटीदार हितैषी मंडल, जिला निमाड** नामक संगठन का निर्माण हुआ। इस में तीनों क्षेत्रों के चुने हुए प्रतिनिधि एवं अन्य सम्माननीय सदस्य एकत्र हुए। समस्त उपस्थित सदस्यों की सभा में प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों का चुनाव सर्व सम्मति से हुआ जिसका विवरण निम्नानुसार है -

१	अध्यक्ष	श्री फत्तू लालजी पाटीदार	पोस्ट पथराड
२	उपाध्यक्ष	" ठाकुरलालजी बराडिया	मु. पो. कसरावद
३	"	" लक्ष्मणजी झालूडिया	सुन्देल
४	कोषाध्यक्ष	" जगन्नाथजी पाण	धामनोद
५	सचिव	" मांगीलाल जी पाटीदार	अध्यापक कवडया
६	उपसचिव	" घीसीलालजी पाटीदार	अध्यापक (सोमाखेडी) कसरावद
७	"	" भगवान पाटीदार	अध्यापक धामनोद
८	"	" जगन्नाथजी पाटीदार	अध्यापक धामनोद
९	संगठन व प्रचार सचिव	" धनश्यामजी पाटीदार	मु. पो. गुलजरा
१०	संगठन व प्रचार सचिव	" ठाकुरलालजी पाटीदार	सोमाखेडी
११	संगठन व प्रचार सचिव	" गजाननजी मण्डलोई	बालसमुन्द
१२	प्रांतीय कार्य कारिणी सदस्य	" शंकरलालजी पाटीदार	दवाना
१३	प्रांतीय कार्य कारिणी सदस्य	" नारायणजी पंडित	नान्द्रा
१४	प्रांतीय कार्य कारिणी सदस्य	" शोभारामजी पाण	करोंदिया
१५	प्रांतीय कार्य कारिणी सदस्य	" कृष्णाजी पाटीदार	धामनोद
१६	प्रांतीय कार्य कारिणी सदस्य	" शंकरलालजी सरोज	कुआं
१७	प्रांतीय कार्य कारिणी सदस्य	" बाबुलालजी चन्देल	सुन्देल
	(एवं अन्य सदस्य)	–	–

तेहसील स्तरीय समितियों का गठन

महेश्वर क्षैत्र (महेश्वर, बडवाह) – सर्व प्रथम ग्राम चुन्दडिया में समाज सुधार हेतु सम्मेलन हुआ, फिर ओंकारेश्वर, करोंदिया व सोमाखेडी में सम्मेलन हुआ। तत्पश्चात् दि. १८–६–७६ को ग्राम धरगांव में महेश्वर क्षेत्र के ५६ ग्रामों के पाटीदारों की एक सभा हुई। इस सभा में प्रत्येक ग्राम से कार्यकारिणी के लिए चुने गये सदस्य भी सम्मिलित हुए। समस्त सदस्यों की उपस्थिति में प्रबंधकारिणी समिति के पदाधिकारियों का चुनाव सर्व सम्मति से हुआ –

१	अध्यक्ष	श्री फत्तूलालजी पाटीदार	पथराड
२	उपाध्यक्ष	" राजाराम मुकाती	महेतवाडा
३	"	" बालाराम पाटीदार	पाडल्या
४	कोषाध्यक्ष	" सुकदेवजी पटेल	समसपुरा (महेतवाडा)
५	सचिव	" मागीलाल पाटीदार	इटावदी (महेश्वर)
६	सह सचिव	" बाबुलाल पाटीदार	झापडी (धरगांव)
७	संग.व प्रचार सचिव	" ठाकुरलाल पाटीदर	सोमाखेडी
८	"	" शिवलाल पाटीदार	झापडी (धरगांव)
९	परामर्शदाता	" घीसालाल पाटीदार	मण्डलेश्वर
१०	"	" किशनलाल पाटीदार	धरगांव
११	संयोजक	" मांगीलाल पाटीदार	कवडिया (सोमाखेडी)
१२	सह संयोजक	" नारायण पंडित	नान्दा
	एवं अन्य सदस्य	–	–

वैद्य मनीषी
स्व. श्री गोपालजी चौधरी

श्री गोरधनलालजी
श्री मालवा कुलमी पाटीदार
श्री राममंदिर उज्जैन के अध्यक्ष

श्री सुमनाकरजी
समाजसेवी–साहित्य मनीषी

श्री पूरणमलजी पाटीदार
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी

अल्प बचत अभियान में प्रशंसनीय योगदान के लिये मा. वि. वरगांव के प्रधान अध्यापक श्री मांगीलाल पाटीदार को शील्ड प्रदान करते हुए राज्यमंत्री श्री प्यारेलाल.

२. कसरावद क्षेत्र (कसरावद, राजपुर)

दिनांक २२–८–७६ को कसरावद में कसरावद एवं राजपुर तहसील के समस्त २२ ग्रामों के पाटीदार समाज के निर्वाचित प्रतिनिधियों का सम्मेलन हुआ, उसमें दोनों तहसीलों के लिए तेहसील स्तरीय कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया जिसके पदाधिकारी निम्नानुसार हैं –

अ.नं.	पद	नाम	ग्राम (पता)
१	अध्यक्ष	श्री हरिभाई पाटीदार	भीलगांव (कसरावद)
२	उपाध्यक्ष	" लक्ष्मणजी बांगा	कसरावद
३	"	" भोलुराम पाटीदार	घटवां
४	सचिव	" घीसीलाल पाटीदार	अध्यापक कसरावद
५	सह सचिव	" चम्पालाल पाटीदार	माकडखेडा (कसरावद)
६	कोषाध्यक्ष	" बेचरजी पटेल	बालसमुन्द
	(एवं अन्य सदस्य)	–	–

३. धामनोद क्षेत्र (धरमपुरी तह.)

दिनांक १०–१०–७६ को ग्राम धामनोद में धामनोद–क्षेत्र के समस्त ग्रामों के पाटीदार समाज के निर्वाचित प्रतिनिधियों की मीटींग हुई, जिस में तहसील स्तरीय कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों का चुनाव हुआ एवं समिति का गठन भी किया गया :

अ.नं.	पद	नाम	ग्राम
१	अध्यक्ष	श्री मांगीलाल पाटीदार	सुन्दैल
२	उपाध्यक्ष	" गेंदालाल पाटीदार	धामनोद
३	सचिव	" देवचन्द पाटीदार	सुन्दैल
४	कोषाध्यक्ष	" धनश्याम पाटीदार	गुलझरा (धामनोद)
	(एवं अन्य सदस्य)	–	–

(भाग २)

पारित नियम, निर्णय का अधिकार, कल्याणकारी योजनाएं, सुझाव आदि

समाज–सुधार हेतु पारित प्रस्ताव एवं ठहराव ।

नियम नं. १ – विवाह तथा संस्कार सम्बन्धी

(अ) मंगनी करने बाबद : लडके लडकी की सगाई (मंगनी) विवाह योग्य उम्र होने के लगभग ही की जावे । सगाई और विवाह के बीच का समय १ से २ वर्ष का होना चाहिए । सगाई सोच समझकर की जावे । सगाई के बाद रिश्ते टूटने नहीं चाहिए ।

(ब) रूप्पा (तिवारी) बाबद : रूप्पा (तिवारी) में सोने की केवल २ रकमें दी जावें जिसका अधिकतम वजन ३ तोला होगा । इसी प्रकार चांदी की ३ रकमें दी जावें ।

यह सीमा अधिकतम है, कम तो कितनी भी हो सकती है । यह रूसम गणेश पूजन से लेकर बारात तक ही किया जावे ।

(स) विवाह की तिथि बाबद : विवाह की तिथि प्रति वर्ष अक्षय तृतीया तय की जाती है । यदि लडका लडकी दोनों पक्ष की राजी रजामंदी हो तो वसंत पन्चमी पर भी लग्न किये जा सकेंगे । जिन परिवारों में लडके लडकी दोनों की शादियां हो तो वे अपनी सुविधानुसार उक्त दोनों तिथियों के १-१ दिन आगे पीछे भी विवाह की तिथियां तय कर सकते हैं ।

(द) बारात के समय बाबद : बारात एक ही समय की रखी गई है, किन्तु विशेष परिस्थिति में जैसे दूरी आवागमन की सुविधा को देखते हुए दोनों पक्ष मिल जुलकर दो समय की बारात भी रख सकते हैं ।

नियम नं. २ कपडों के लेन देन बाबद

विवाह तथा अन्य किसी भी रूसम (अवसर) में वर वधू को कपडे वगैरह दिये जावें लेकिन अन्य किसी सगे-सम्बन्धियों को किसी भी प्रकार के कपडों का लेन-देन नहीं करे । इस नियम के अन्तर्गत कपडे लेने वाला पूर्ण रूप से दोषी माना जावेगा ।

नियम नं. ३ – खाणा तथा बाना बाबद

मंगनी, खाणा, टीका, रुप्पा, डाल आदि समस्त रूसमों में महेमान जावें, तब खाणे के रूप में केवल एक रूपया ही दिया जावे । विवाह में बाना भी एक ही रुपया दिया और लिया जावे ।

नियम नं. ४ – तलाक (पावती) तथा पुनर्विवाह बाबद

प्रथम बार विवाह होने के बाद तलाक (पावती) बिल्कुल बन्द रहेगा, किन्तु कारणवश या मन मुटाव होने से दोनों पक्षों का आपसी तय हो जावे तो विवाहित लडका भी नातरा ही करेगा । कुंवारी लडकी से विवाह नहीं करेगा । यह नियम महिलाओं की सामाजिक स्थिति सुधारने एवं पुरुषों के नैतिक स्तर को उंचा उठाने के लिए आवश्यक होने से कडाई के साथ पाला जावे । विधुर होने की स्थिति में या लडका पक्ष निर्दोष हो (जिस का प्रमाण-पत्र जिला कमेटी से प्राप्त करना होगा) और लडके की विवाह योग्य उम्र हो तो ग्राम कमेटी की सिफारिश पर तेहसील या जिला कमेटी की स्वीकृति से शादी कर सकेगा । नियम में इस छूट का उपयोग सोच-विचारकर किया जावे ।

पावती होने की दशा में दोनों पक्षो की राजी रजामंदी आपस में घर बैठ कर हो तो लडका लडकी दोनों पक्ष १५० रु. १५० रु. पंच कमेटी को देवेंगे । एक तरफा निर्णय होवे तो जो पक्ष पावती चाहेगा वह ३०१ रू. अकेला ही देगा । यदि पावती तहसील कमेटी के सामने होगी तो कमेटी को ५०१ रु. देने होंगे व जिला कमेटी के

सामने पावती होगी तो ७०१ रु. देने होंगे । तेहसील व जिला कमेटियां अपना हिस्सा रखकर शेष धनराशि लडका लडकी दोनों पक्ष की ग्राम कमेटियों को आधी आधी बांट देवेंगी । जहां पावती हो उसी ग्राम में उसी दिन रुपये ले लिए जावें और बाद में पात्रतानुसार भेज दिये जावें ।

नियम नं. ५ – कडवा–लेवा सम्बन्ध बाबद

कडवा लेवा पाटीदार वर्गों में विवाह सम्बन्ध, इस विधान के अनुसार कायम किये जा सकते है ।

नियम नं. ६ – मृत्यु भोज के सम्बन्ध में

किसी की मृत्यु होने पर पहले दिन के तीरथ भोजन में और घर पर भी मीठा भोजन नहीं करेंगे । नर्मदा तट से दूर के लोग घाट पर सेव, परमल, भुगडे आदि नास्ते के रूप में दे सकते हैं । ग्यारहवां, बारहवा (नुक्ते) भी सीमित किये जावें । पहले की रीति अनुसार चिट्ठियां न लिखी जावें ।

नियम उल्लघन के बाद निर्णय का अधिकार

समाज के सदस्यों ने अपनी उन्नति एवं सुधार हेतु उक्त नियम बनाये हैं । अनुशासन का सम्मान करनेवाले सदस्य तो इनका पालन करेंगे ही । संगठन यह विश्वास करता है कि इन नियमों, प्रस्तावों, ठहरावों तथा आज के बाद भी पास किये जाने वाले नियमों का कोई भी सदस्य उल्लंघन नहीं करेगा । यदि कोई सदस्य इनके विरुद्ध कार्य करे तो ग्राम समिति के सामने उसकी शिकायत की जावेगी । ग्राम समिति अपने ग्राम के ऐसे प्रकरणों को सुनेगी एवं निमयानुसार निर्णय देगी ।

निर्णय न देने या न लेने की दशा में तेहसील एवं बाद में जिला कार्यकारिणी में शिकायत की जावें, अपने अपने कार्यक्षेत्र में इनके निर्णय अन्तिम होंगे । जो सदस्य समितियों के निर्णय को नहीं मानेंगे वे इस संगठन की सदस्यता से हटा दिये जावेंगे । नियम उल्लंघन करने पर समितियां गलती करनेवाले पक्ष पर अधिकतम ५०१ रु. तक आर्थिक दण्ड कर सकती हैं । समाज के कोई भी सदस्य समितियों के पदाधिकारियों को अपशव्द नहीं बोलेंगे । अनुशासन का उल्लंघन करनेवालों को भी समयानुसार उचित तरीके से दंडित किया जा सकेगा ।

भविष्य की कल्याणकारी योजनाएं

१ – अनिवार्य शिक्षा : समस्त पाटीदारों का यह पवित्र कर्तव्य है कि वे अपने पुत्र पुत्रियों के सुखी एवं समृद्ध भविष्य के लिए उनके उचित शिक्षण की व्यवस्था करें । अपने अपने ग्रामों में उपलब्ध शिक्षा सुविधानुसार उन्हें पढा दी जावे । अपनी आर्थिक

परिस्थिति एवं सुविधानुसार बालिकाओं को माध्यमिक एवं उच्चत्तर माध्यमिक कक्षाओं तक पढाया जावे । बालकों को व्यावसायिक उच्च शिक्षा दिलाई जावे ।

२ – **छात्रावास व्यवस्था :** जिला कार्यकारिणी यह महसूस करती है कि समाज के बालक–बालिकाओं की उचित शिक्षा–व्यवस्था हेतु किसी उचित स्थान पर बालक बालिकाओं के लिए छात्रावास बनवाये जावें एवं समाज के योग्य व्यक्तियों को उनके संचालन का भार सौंपा जावे ।

३ – **प्रतिभावान छात्रों का सम्मान :** समाज के प्रतिभावन छात्र–छात्राओं को पढाई हेतु आर्थिक सहायता दी जावे । ऐसे होनहार बालक–बालिकाओं को समाज सार्वजनिक रूप से पुरस्कृत कर सम्मानित करें ।

सुझाव

पाटीदार बन्धुओं को अपने स्वयं के समाज के एवं देश के भले के लिए कुछ समयोचित सुझाव दिये जा रहे है । इन सुझावों को अपने जीवनमें कार्यान्वित कीजिए –

१ – **परिवार नियोजन :** *परिवार नियोजन के क्षेत्र मे पाटीदार समाज सदैव से ही अग्रणी रहा है । फिर भी इस क्षेत्र मे काफी कार्य करना है । पाटीदार बन्धुओं से निवेदन है कि वे अधिकाधिक नसबन्दी आपरेशन करवाकर शासकीय योजना को सफल बनाने में सक्रिय योगदान देवें ।*

२ – **अन्न उत्पादन :** *पाटीदार समाज उन्नत बीज वैज्ञानिक कृषि–यंत्र, उर्वरकों के प्रयोग एवं सिचाई सुविधा का उपयोग करने का पक्षपाती रहा है । अपने कठोर श्रम एवं दूर दृष्टि का उपयोग अधिक अन्न उत्पादन के लिए करते हुए देश को इस क्षेत्र मे आत्म–निर्भर बनाने में योगदान देते रहिए ।*

३ – **दहेज प्रथा उन्मूलन :** *पाटीदार समाज इस कुप्रथा का विरोधी रहा है । वर्तमान युग की मांग के अनुरूप पाटीदार नवयुवकों को दहेज 'न लेने एवं न देने' की प्रतिज्ञा करनी चाहिए ।*

४ – **सामुहिक शादियों का आयोजन :** *समाज के छोटे एवं गरीब वर्ग को ऊंचा उठाने, फिजूल–खर्ची रोकने प्रदर्शन की भावना को दबाने, एवं समानता लाने के उदेश्य से सामुहिक शादियों को आयोजन किया जावे । यह योजना पहले ग्राम–स्तर से प्रारंभ की जावे । समाज के बडे सेवाभावी एवं सुधारवादी सदस्यों को इस क्षेत्र मे उचित पहल करनी चाहिए ।*

अन्त में हम सब यह प्रतिज्ञा करते है कि हम देश और समाज में होने वाले क्रांतिकारी तथा सुधारवादी कार्यक्रम में सहयोग देवेंगे ।

विशेष : दिनांक १२–१२–७६ को ग्राम नान्द्रा में महेश्वर तेहसील पाटीदार समाज के अध्यक्ष पद पर श्री गजानन शोभारामजी पाटीदार, ग्राम करोंदिया वाले चुने गये है ।

सचिव	समस्त सदस्य गण	अध्यक्ष
पाटीदार हितैषी मंडल	पाटीदार हितैषी मण्डल	पाटीदार हितैषी मंडल
जिला निमाड (म. प्र.)	जिला निमाड (म. प्र.)	जिला निमाड (म. प्र.)

पाटीदार समाज जिला, सिहोर – म. प्र.

कार्यक्रम स्थान ग्राम कनौद मिरजी

तहसील : आष्टा : जिला – सिहोर (म. प्र.)

दिनांक : १८/२/८०

विषय : पाटीदार समाज सुधार संबंधी विषय पर अमल करना एवं आवश्यक सुझाव देना ।

पाटीदार समाज जिला – सिहोर, म. प्र. की जिला – समिति की बैठक दिनांक ६/२/८० को ग्राम कन्नोद मिरजी, तहसील आष्टा ,जिला सिहोर में संपन्न हुई । बैठक में समाज सुधार संबंधी प्रस्ताव पारित किये गये हैं जो निम्नानुसार है : –

१. सगाई के संबंध में :

समस्त उपस्थित सदस्यों ने यह निर्णय किया है कि बच्चे बच्चियों के सगाई संबंध–बच्ची ५ वर्ष एवं बच्चा ८ वर्ष से कम उम्र में नहीं करेंगे । सगाई तय करने में केवल रु. बाटकी देकर ही संबंध किये जावें । राखी आदि त्योहार पर कपडे आदि नहीं किये जावें ।

सगाई संबंध के समय रकम व कपडे की रस्म नहीं की जावे, बल्कि शादी करने के कुछ दिन पहले ही यह रस्म पूरी की जावे ।

२. शादी (विवाह) के संबंध में :

बच्चे–बच्चियों की शादी तब तक नहीं की जावे जब तक कि दोनों शादी के योग्य जवान नहीं हो जावें । नियम अनुसार बडे होने पर ही शादी की जावे ।

३. नुक्ता के संबंध में :

(अ) माता–पिता या अन्य किसी का मोसर नुक्ता के समय साधारण भोज दिया जावे । शक्कर आदि नहीं गाली जावें यदि किसी व्यक्ति को शक्कर गालना है तो वे छः मासी में यह कार्य कर सकते हैं ।

(ब) माता या पिता के मरने के बाद की रस्म में केवल उनके लडके पगडी की रस्म पूरी करेंगे, अन्य कोई व्यक्ति इसे नहीं करेगा ।

(स) नुक्ते में कपडे आदि पहनाना बन्द किया जावे, किसी को भी कपडे नहीं पहनाये जावे ।

४. शादी करने के बाद संबंध तोडने के बारे में :

(अ) शादी करने के बाद कोई भी व्यक्ति संबंध नहीं तोडेंगे । यदि कोई शादी करने के बाद लडकी छोड देंगे तो लडके वाले ५०० रुपया लडकी वाले को देंगे । यदि छोडने के बाद लडकी का नातरा किया जाता है तो वह ५०० रुपये लडकी वाले ग्राम के समाज की पंच को देना पडेगा । इसके बाद ही संबंध तोडना माना जावेगा, अन्यथा लडके वालों का समाज से बहिष्कार किया जावेगा । वहां अन्य कोई भी व्यक्ति सम्बन्ध नहीं करेंगे ।

यदि लडकी में कोई कमी हो या लडकेवालों को लडकी छोडने पर मजबूर होना पडे तो वहां की ग्राम की समाज की पंच के कहे अनुसार बिना किसी रुपये जमा किये भी सम्बन्ध तोडना माना जावेगा ।

(ब) शादी करने के बाद यदि लडकी ससुराल नही जाती है या लडकी के पिता या अन्य घर वाले नहीं भेजते हैं, बावजूद बिना किसी विशेष कारण के लडकी वालों को १०,००० रुपये नगदी पंच द्वारा वसूल किये जावेंगे अथवा लडकी वालों का सामाजिक बहिष्कार किया जावेगा तथा आगे कोई भी व्यक्ति उनके यहां सम्बन्ध नहीं करेगा । जो भी रकम लडकी के पास या उसके घरवालों के पास होगी वह लडके वालों को दे दी जावेगी । केवल छिंचावनी की रकम नहीं दी जावेगी । पंच द्वारा जो भी रुपया लडकीवालों से वसूल किया जावेगा उसमें से १ हजार रु. पंच के पास रहेंगे, शेष रुपये लडके वालों को दिये जावेंगे ।

५. अन्य :

समाज द्वारा प्रतिबंधित दुर्व्यसनों पर रोक लगाने के सम्बन्ध में पाटीदार समाज द्वारा प्रतिबंधित दुर्व्यसन जैसे – मदिरापान, मांस आदि का उपयोग करना मना है । यदि कोई व्यक्ति मदिरा पान करते हुये या अन्य ऐसे दुर्व्यसन उपयोग करते पाया गया तो समाज द्वारा उसे दण्डित किया जावेगा, जिसमें से ५०१ रुपया नगदी समाज पंच को जमा करने होंगे । यदि बार बार इस प्रकार यह पाया जावेगा तो समाज का कोई भी व्यक्ति उनसे सम्बन्ध नहीं करेगा एवं समाज के किसी भी कार्य जैसे शादी नुक्ता या अन्य में न तो निमंत्रण देगा और न ही किसी भोज में शामिल किया जावेगा ।

उपरोक्त सभी नियमों का कठोरता से पालन किया जावेगा । नियम का पालन नहीं करने वालों पर सामाजिक नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी तथा मध्यप्रदेश पाटीदार समाज सम्मेलन मे भी उक्त प्रकरण उठाया जावेगा ।

समस्त पाटीदार समाज सदस्य

जिला – सिहोर (म. प्र.)

मन्दसौर जिला पाटीदार समाज
व्यवहार–संहिता सन् १९८२

मन्दसौर जिले के पाटीदार समाज के २७० गांवों के प्रतिनिधियों एवं ग्राम समितियों के पदाधिकारियों का यह पंचम् महाअधिवेशन, पाटीदार समाज की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं संगठनात्मक उन्नति तथा प्रगतिशील समाज की स्थापना के उद्देश्यों के लिये सर्वानुमति से यह **मन्दसौर जिला पाटीदार समाज व्यवहार संहिता** पारित करता है और आज से इसे ग्राम समितियों के द्वारा पालन करने के लिये अपने अपने गांव में प्रभावशील किया जाता है ।

अध्याय १ – संगठन

अध्याय में संहिता का नाम, प्रभाव, उसके तहत बनी ग्राम–समितियां, उनका गठन, उनके कार्य, अधिकार, कर्तव्य एवं कार्य–प्रणाली सम्बंधी नियमों का वर्णन है ।

अध्याय २ – सामाजिक प्रथाएं एवं व्यवहार

— मन्दसौर जिला पाटीदार समाज का यह पंचम अधिवेशन समाज का सामाजिक प्रथाओं में निम्न प्रकार से संशोधन करता है । ये संशोधन मन्दसौर जिले के प्रत्येक गांव में प्रभावशील होंगे तथा इन्हें ग्राम समितियां अपने अपने गांव में कार्यान्वित करेंगी ।

सगाई

— समाज में लडके अथवा लडकियों की सगाई तय करने की उम्र पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है, परन्तु सगाई जब भी तय की जाती है उस समय लडके की आयु लडकी से ४ वर्ष अनिवार्य रूप से अधिक होनी चाहिए ।

टीका

— सगाई तय हो जाने के पश्चात् टीका आवश्यक नहीं है । यदि कोई स्वेच्छा से करना चाहता है तो लडके लडकी की शादी होने के एक या दो वर्ष पूर्व ही सम्बन्ध कर सकेगा । यदि इस नियम का उल्लंघन करके कोई टीके की रस्म अदा की गई और बाद में सगाई छूट गई तो उसकी सुनवाई किसी ग्राम, तहसील, जिला अथवा प्रांतीय समिति में नहीं की जावेगी ।

— सगाई की रस्म अदा करते समय कन्यापक्ष की ओर से वर पक्ष को अधिक से अधिक ५१ रुपया, नारियल व एक पोषाक से अधिक नहीं दिया जावेगा । इस शर्त का उल्लंघन किये जाने पर ऐसी रस्म का ग्राम समिति के सदस्य तत्काल बहिष्कार कर देंगे और उस रस्म में कोई सहयोग प्रदान नहीं करेंगे ।

— चिडी : टीके के पश्चात् कन्या पक्ष के यहां कन्या की शादी होने से एक या २ वर्ष पूर्व कोई चिडी अथवा सोनेचांदी के जेवर चढाने की रस्म वर पक्ष द्वारा सम्पन्न नहीं की जावेगी । इस बीच केवल उस परिवार में किसी शादी के समय अथवा खुशी के अवसर पर केवल एक जोडी कपडे भेंट स्वरूप दिये जा सकते हैं । इस नियम का उल्लंघन करके यदि चिडी की रस्म अदा हुई तो ग्राम समिति के सदस्य उस में भाग नहीं लेंगे और सगाई टूट जाने की दशा में चिडी लौटाने के लिये कहीं भी सुनवाई नहीं की जावेगी ।

— चिडी तथा टीका की रस्म के समय अधिक से अधिक १२ मेहमानों की मेहमानदारी से अधिक का आयोजन नहीं किया जावे ।

विवाह

— व्यक्तिगत रूप से बालविवाह करने की सभी प्रथाओं को एवं सामुहिक १० साली बाल विवाह की प्रथा को समाप्त किया जाता है ।

— प्रत्येक ग्राम समिति के सदस्य आज से हिन्दू विवाह विधान तथा बाल विवाह प्रतिबंध कानून में दर्शाई लडके की आयु २१ वर्ष एवं लडकी की आयु १८ वर्ष पूर्ण होने के पश्चात कभी भी अपने लडके व लडकी की शादी सम्पन्न कर सकते हैं । यदि इन विधानों के प्रावधानों का उल्लंघन कर के बाल विवाह किये जाते हैं तो यह पुलिस दस्तंदाजी अपराध होगा । पुलिस हस्तक्षेप से परिवार व समाज की बडी मान–हानि तथा आर्थिक व मानसिक परेशानियां होगी । अतः ग्राम समितियां अपने ग्राम में बाल विवाह पर प्रभावी रूप से प्रतिबन्ध रखने के लिये अधिकृत की जाती हैं ।

— समाज में कानून बालिग विवाह सम्पन्न करने की प्रथा का प्रचलन प्रारंभ किया जाता है । इस दिशा में बाल विवाहों से उत्पन्न गौना प्रथा को समाप्त किया जाता है । गौना प्रथा की मेहमानदारी एवं जमाई पावणा की प्रथा को समाप्त किया जाता है ।

— आज से पूर्व में हुए सभी बाल विवाहों की गौने की प्रथा में पाटीदार समाज के सदस्यगण असहयोग करेंगे । इससे बाल विवाहों पर प्रतिबंध लगेगा ।

— विवाह वैदिक पद्धति से बदस्तूर सम्पन्न किये जावेंगे ।

— बालिग विवाह को प्रोत्साहन देने व बाल विवाहों को समाप्त करने की दिशा में समाज में विवाहों की प्रत्येक वर्ष की वैशाख मास की अक्षय तृतीया से पूर्णमासी तक की एवं वसन्त पंचमी के आसपास की किन्हीं शुभ तिथियों पर विवाह व्यक्तिगत रूप से अपने अपने घरों पर अथवा सामुहिक रुप से ग्राम में ग्राम समिति की देख रेख में एक पंडाल, एक आचार्य, एक प्रीतिभोज, एक बैण्ड तथा एक व्यवस्था के अन्तर्गत सम्पन्न किये जा सकते हैं । परंतु प्रतिबंध यह रहेगा कि इन विवाहों में सामुहिक विवाह के नाम से अवयस्क लडके व लडकियों का बाल विवाह किसी भी दशा में सम्पन्न नहीं किया जा सकेगा ।

— सामुहिक विवाहों को प्रोत्साहन देने के लिये तहसील कार्य समिति एवं जिला कार्य समिति अपने तहसील एवं जिले मे किसी उपर्युक्त स्थान पर एक पंडाल, एक आचार्य, एक प्रीतिभोज, एक बैण्ड एवं एक व्यवस्था के अन्तर्गत सामुहिक विवाहों का आयोजन कर सकती है ।

— इन सभी व्यक्तिगत तथा सामुहिक विवाहों में किसी भी बरात में बरातियों की संख्या ५१ से अधिक नहीं होंगी ।

— बरातियों को प्रीतिभोज स्वागत एवं प्रस्थान के पूर्व के दो भोज से अधिक नहीं दिये जाये ।

— बराती वधु पक्ष के साथ, मधुर, अनुशासित, सभ्य तथा संयमित व्यवहार करेंगे व विवाह की सभी धार्मिक रस्मों को शांतिपूर्ण सांस्कृतिक सौहार्द पूर्ण वातावरण में संपन्न किये जाने में मदद करेंगे ।

— बरात में समाज से भिन्न आचार–विचार वाले (जैसे मांसाहारी एवं नशा पता करनेवाले) व्यक्तियों को नहीं लाया जावेगा ।

— आतिशबाजी, रडियों के नृत्य, अश्लील प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगाया जाता है तथा बेंड–बाजों की फिजूल खर्चो से बचा जावे ।

मौसारा

- वर या वधू के घर मौसारा केवल नाना-मामा का ही स्वीकार किया जावेगा। अन्य रिश्तेदारों के मौसारों पर प्रतिबंध लगाया जाता है। नाते दारी के अन्य दस्तूर पूर्ववत् पालन किये जा सकते हैं।
- मौसारा वर वधू पक्ष के घर जो मामा पक्ष का होगा, उस में वर वधू उनके माता-पिता, ताऊ, भाई एवं काका तक या संयुक्त परिवार तक सीमित रहेगा। अन्य निकट के कुटुम्बियों तक मौसारे के कपडे देने पर प्रतिबंध लगाया जाता है।
- मौसारों में साथ आने वाले मौसारियों की संख्या १५ स्त्री-पुरुष से अधिक नहीं होगी। मौसारियों द्वारा कपडे न देते हुए नकद राशि भेंट स्वरूप दी जा सकेगी।
- वर पक्ष या बरातियों द्वारा दहेज, उपहार, कपडे-लत्ते पेरावणियां आदि मुंह से मांगे जाने पर ऐसे बरातियों का ग्राम समिति बहिष्कार कर देगी और उनके साथ कोई सहयोग व सहानुभूति नहीं रखेगी तथा उनके विरुद्ध अपनी बैठक में निंदा का प्रस्ताव पारित कर जिला व तहसील कार्य समिति को भेज देगी।
- बाल विवाहों पर प्रभावी ढंग से प्रतिबंध लगाने एवं बालिग विवाहों को मनमाने ढंग से विच्छेद कर देने तथा दूसरा विवाह कर लेने की प्रवृत्ति पर प्रतिबंध लगाने की दिशा में ग्राम समिति अपने ग्राम में रचाये गये बालिग विवाहों का पंजीकरण करेगी। जिला कार्य समिति द्वारा निर्धारित पंजीयन रजिस्टर ग्राम समिति के सचिव के पास भेजा जावेगा। जिसमें सचिव अपने ग्राम में संपन्न होने वाले विवाहों का पंजीकरण करेगा। पंजीयन शुल्क ग्राम समिति के कोष में जमा रहेगा।
- ग्राम कार्य समिति अपने गांव समाज में बाल विवाह सम्पन्न होने से रोकने के निम्न सामाजिक उपाय करेगी -

  (अ) विवाह की तैयारियों के पूर्व सम्बन्धित पक्ष को समझाएगी तथा परामर्श देगी।

  (ब) लिखित सूचना पत्र, चेतावनी, असहयोग आदि के उपाय करेगी।

  (स) यदि इन उपायों से भी सम्बन्धित पक्ष न मानें तो वर- वधू व उनके माता पिता के नाम पते सहित इस संभवित विवाह की सूचना तहसील व जिला कार्य समिति के पदाधिकारियों को भेजेगी। इस पर से तहसील व जिला पदाधिकारी बाल विवाह को रोकने में सर्व प्रथम सामाजिक उपायों का सहारा लेने और अंत में उनको कानून का सहारा लेने के लिये अधिकार दिया जाता है।

विवाह-विच्छेद

- आज दिनांक ९-५-८२ से रचाये जाने वाले सभी बालिग विवाह अविच्छेदनीय हैं।
- बहु विवाहों की प्रथा को समाप्त किया जाता है।
- दूसरा विवाह, पूर्व विवाह के सामाजिक अथवा कानूनी रूप से विच्छेदन के अंतिम हो जाने के पश्चात् अथवा उसके पहले पति या पत्नी के मृतक हो जाने के पश्चात् रचाया जा सकेगा। ऐसे विवाहों में किसी भी पक्ष के पूर्व पत्नी अथवा पति जीवित नहीं होगे, लेकिन विशेष परिस्थिति में पूर्व पत्नी की सहमति से कोई सदस्य दूसरी पत्नी कर सकेगा।

— विवाह का कोई एक पक्ष मनमाने तौर पर विवाह का विच्छेद कर देता है और सामाजिक तौर से अथवा कानून न्यायालय से तलाक लिये बिना दूसरा पति या पत्नी करना चाहता है तो ऐसा करने पर प्रतिबंध लगाया जाता है । यदि इस प्रतिबंध का उल्लंघन करने का कोई पक्ष तैयारी करता है तो उस पक्ष को समाज का कोई भी सदस्य अपनी लडकी अथवा लडका नहीं देगा तथा उनके साथ विवाह का आयोजन नहीं करेगा । यदि इस प्रतिबंध का उल्लंघन करके कोई पक्ष ऐसे लडके व लडकी को अपनी लडकी या लडका देगा तो ग्राम समिति अपनी बैठक आयोजित करके, उनका सामाजिक रूप से बहिष्कार कर देगी तथा समाज में उनके सभी निमंत्रण निरस्त कर दिये जावेंगे ।

— सामाजिक रूप से केवल बालिग विवाह के दोनों पक्षों अर्थात वर एवं वधू की आपसी सहमति से उनके विवाह का विच्छेद हो सकेगा । परन्तु शर्त यह है कि ऐसी आपसी सहमति ग्राम समिति के समक्ष प्राप्त कर ली गई हो । ऐसी आपसी सहमति वधू के विवाह के ग्राम की समिति के द्वारा प्रदान की जा सकेगी ।

— आज से पूर्व या बाद में जिन बालक बालिकाओं के बाल विवाह सम्पन्न किये गये होंगे तो उनके विवाह–विच्छेदन के सम्बन्ध में कोई शिकायत ग्राम समिति को सुनने का अधिकार नहीं होगा । तथा ऐसे पक्षों को इस संहिता के अन्तर्गत कोई सहायता एवं सहयोग नहीं दिया जावेगा ।

— वैवाहिक विवादों को न्यायालय में जाने के पूर्व दोनों पक्षों में आपसी समझौते द्वारा समाधान के लिये जिला पाटीदार समाज के अन्तर्गत प्रत्येक तहसील के लिये एक समझौता बार्ड गठित करने हेतु जिला पाटीदार समाज को अधिकृत किया जाता है । जिला अध्यक्ष अपनी कार्य समिति की सहमति से ११ सदस्यों को इस बोर्ड में मनोनीत कर उसकी कार्यप्रणाली निर्धारित कर सकेंगे ।

अध्याय ३ – परिवार

— हमारे समाज के परिवारों की जीविका प्रधान रूप से कृषि व्यवसाय पर अवलम्बित है । अब कृषि भूमियां आसामी से उपलब्ध नहीं होंगी, इस कारण हमारे समाज का रहन–सहन और जीवन–स्तर के आदर्शों में गिरावट नहीं हो, इसलिए ग्राम समितियां अपने ग्राम में 'छोटे परिवार सुखी परिवार' के आदर्शों को अपनावेगी और परिवारों को अधिक सन्तानों के बोझ से बचाने के राष्ट्रीय कार्यक्रमों में सहयोगी देगी ।

— परिवार के मुखिया एवं ग्राम समिति का यह दायित्व होगा कि हमारे ग्राम की युवा पीढी के अच्छे स्वास्थ्य, खान–पान की शुद्धता और जीवन के नैतिक आदर्शों को प्रोत्साहन के कार्यक्रम आयोजित करती रहेगी ।

— प्रथम शिशु के गर्भ में आने के समय गोद भरने अगरनी की प्रथा युक्ति युक्त नहीं है, अतः गोद भरने या अगरनी की प्रथा समाप्त की जाती है । अगरनी व गोद भरने की प्रथा में बहुत बडी मेहमानदारी आयोजन के खर्च की बचत की जाकर, वह बचत बच्चे की भविष्य निधि बैंक में सुरक्षित रखी जा सकती है ।

— खुशियां जन्म के पूर्व नहीं जन्म के पश्चात् मनाना बुद्धिमानीपूर्ण है, अतः अगरनी के खर्चों को जन्म के पश्चात् उसकी शिक्षा पर करने के लिये सुरक्षित करने का सुझाव दिया जाता है ।

अध्याय ४ – शिक्षा

— परिवार में शिशुओं के लालन–पालन की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जावेगा । इस दिशा में ग्राम समितियां अपने ग्राम में शिशु–मंदिर, बालवाडी आदि संचालित करेगी ।

— प्रत्येक परिवार के कर्ता का यह अनिवार्य कर्तव्य होगा कि वह अपने परिवार के लडके एव लडकियों की समान रूप से ५ वर्ष की आयु से उन्हे गांव की पाठशाला में भर्ती करावेंगे और उनकी हायर सेकेन्ड्री तक अनिवार्य शिक्षा करावेंगे ।

— ग्राम समिति का यह कर्तव्य है कि वह अपने ग्राम में लडकियों की शिक्षा के लिये गांव में प्रायवेट कन्या पाठशाला संचालित करे ।

अध्याय ५ – व्यवसाय

— पाटीदार परिवार के सदस्य अब एक मात्र कृषि पर अवलंबित नहीं रह सकते हैं, अतः कृषि के साथ हमारे समाज के युवकों को नौकरी, व्यवसाय, व्यापार, दुकानदारी, दस्तकारी, कला–कौशल, तकनीकी व्यवसायों में लगाया जावे और ग्राम समितियां उनके साधन, सुविधाएं आदि उपलब्ध कराने के कार्य करेगी ।

अध्याय ६ – सामाजिक प्रथाएं

— समाज में प्रचलित मृत्यु–भोज की प्रथा को समाप्त किया जाता है ।

(अ) भविष्य में ११ वें एवं १२ वें दिन के धार्मिक क्रियाकर्म पर उपस्थित हुए निकट के रिश्तेदारों के ही भोज होंगे । ऐसे अवसर पर अब खुले जातीय भोज नहीं किये जावेंगे ।

(ब) ११ वें व १२ वें दिन के रिश्तेदार व कुटुम्बियों के भोज को मृत्यु भोज नहीं माना जावेगा, उसे पगडी भोज अथवा श्रद्धांजली कार्यक्रम कहा जावेगा ।

(स) ऐसे कार्यक्रम में पगडी की रस्म के पूर्व सभी कुटुंम्बी व रिश्तेदार दो मिनिट खडे होकर मृतक को मौन श्रद्धांजली अर्पित करेंगे तत्पश्चात् शोक निवारणार्थ पगडी का कार्यक्रम होगा ।

(द) मृत्यु भोज की सामूहिक चिट्ठी लिखने की प्रथा को समाप्त किया जाता है । यदि कहीं से ग्राम समिति के क्षेत्र में ऐसी चिट्ठी या निमंत्रण प्राप्त हो तो उनका ग्राम समिति बहिष्कार कर देगी ।

(क) मृत्यु भोजों की चिट्ठियां फाडने, तेडा बुलावा देने, तथा काकडियों को सपरिवार न्यौते देने की प्रथाओं को समाप्त किया जाता है ।

(ख) अब किसी की मृत्यु पर उनके उत्तराधिकारी ११ वें १२ वे दिन के कार्यक्रम के अवसर पर उनके रिश्तेदारों को होने वाले श्रद्धांजली या पगडी कार्यक्रम की दिनांक व समय की सूचना व्यक्तिगत पत्र द्वारा दे सकेंगे ।

(ग) ऐसे अवसर पर अब पगडी केवल मृतक के उत्तराधिकारियों के अतिरिक्त उनके छोटे भाई अथवा भतिजों को ही बंधाई जावेगी । अन्य कुटुम्बियों को ऐसी पगडी नहीं बंधाई जावेगी । उस पर प्रतिबन्ध लगाया जाता है ।

(घ) मृत्यु भोजों को जन्म देने वाली चकडोल, सुखडी, उठावना तथा मृत्यु से सम्बन्धित श्राद्ध तथा वर्षी आदि की प्रथांओं को समाप्त किया जाता है ।

— मृतक की पगडी अथवा श्रद्धांजली कार्यक्रम आयोजित करना भी अनिवार्य नहीं है । मृतक का कुटुम्बियों द्वारा घाटा कार्यक्रम भी किया जावे तो मातमपुरषी अर्थात वैठने के लिये रिवाज में रिश्तेदारों को १२ दिन के अन्दर ही यह रस्म पूरी कर लेनी अनिवार्य है । घाटा कार्यक्रम के पश्चात् मृतक के नाम वैठने पर महिलाओं द्वारा विलाप करने की झूटी प्रथाओं को समाप्त किया जाता है ।

— वैठने की रस्म के पालन के समय रिश्तेदारों की महिलाओं द्वारा वैठने के पश्चात् मृतक की सहानुभुति में रोना आवे तभी महिलाओं को रो लेना चाहिये, अन्यथा झूठमूठ दिखावे के लिये प्रथागत रोने की प्रथा को समाप्त किया जाता है ।

— मृत्यु की सभी सनातनी प्रथागत प्रथाओं के विरूद्ध ग्राम समिति एवं युवक संगठन को अपने ग्राम में सत्याग्रह एवं धरना आन्दोलन तथा उनका वहिष्कार करने के सभी अधिकारों से वेष्ठित किया जाता है, ताकि इन सामाजिक कुप्रथाओं को प्रभावी ढंग से समाप्त किया जा सकें ।

महिला जागृति

— महिलाओं द्वारा घूंघट या पर्दा करने की प्रथा को समाप्त किया जाता है । अव ग्राम समितियां अपने ग्रामों में महिला मण्डल के गठन करवा कर महिला जागृति अभियान के अन्तर्गत नारी शिक्षा पर अधिक वल देगी ।

युवक

— मध्यप्रदेश पाटीदार समाज के शाजापुर अधिवेशन में पारित प्रस्ताव के अनुसार गठित सरदार पटेल युवक संगठन अलग से समाज का युवक संगठन नहीं होगा, वल्कि ग्राम स्तर से लेकर प्रांत स्तर तक यह संगठन, ग्राम समितियों, तहसील कार्य समितियों व जिला कार्य समितियों के निर्देशन व नियंत्रण के अन्तर्गत उनका सहायक संगठन होगा तथा इन सभी स्तर की समितियों में समाज सेवादल के रूप में कार्य करेगा ।

ग्राम समितियों के कोष

— प्रत्येक ग्राम समिति के अन्तर्गत ग्राम समिति का कोष होगा, जिसमें ग्राम पाटीदार समाज के दान, चन्दा, अनुदान आदि की रकम जमा होगी और ग्राम समिति के पास हिसाव लिखा जायेगा ।

ग्राम समिति के कोष में विवाह–शुल्क, टीका, चिडी आदि कार्यक्रमों के अवसर पर सदस्यों द्वारा स्वचेछा से दी गई दान की रकम, सामाजिक दण्ड की पुरानी व नई रकम, ग्राम समाज की चल–अचल सम्पत्ति से आय की रकम जमा रहेगी तथा उस रकम को ग्राम समिति इस संहिता में दर्शाये उद्देश्यों के लिये ग्राम में खर्च करने की अधिकारिणी होगी ।

— अभी तक ग्राम पाटीदार समाज के पंचों के पास जो पंचायती रकम है, वह अपने ग्राम के निर्वाचित कोषाध्यक्ष को तुरन्त जमा कराई जावे तथा ग्राम समिति के अध्यक्ष को यह रकम सम्वन्धित व्यक्ति से कोष में जमा कराने की कार्यवाही करने के लिये अधिकृत किया जाता है ।

— ग्राम समिति अपनी बैठक में समाज की रकम जिस व्यक्ति या पंच या पंचो के पास जमा है, उसका उनसे हिसाब लेगी और रकम वसूली की कार्यवाही करेगी ।

— मन्दसौर जिला पाटीदार समाज ट्रस्ट द्वारा और नीमच में विद्यापीठ स्थापना के लिये ग्राम के सदस्यों से ट्रस्ट के प्रस्तावों के अनुसार जो चन्दा, दान, अनुदान की राशि संग्रहित की जावेगी, उसे संग्रहित करने में ग्राम समिति के सभी पदाधिकारी सहयोग प्रदान करेंगे तथा ट्रस्ट द्वारा उन्हें अपने ग्राम में सदस्यों से रकम संग्रह करने के लिये अधिकृत करने पर वह रकम मय हिसाब के मंदसौर ट्रस्ट में जमा कराने के लिये उत्तरदायी होंगे । परन्तु जावद, नीमच तथा मनासा तहसील के ग्रामों की रकम नीमच U.C.O. बैंक में ट्रस्ट के खाते में जमा कराई जावेगी ।

— ग्राम समिति अपने ग्राम में रचनात्मक कार्यों के लिये साधारण सभा की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार अपने सदस्यों से अनिवार्य निर्धारित चन्दे की रकम वसूल करने की अधिकारी है ।

— ग्राम समिति के सचिव मध्यप्रदेश पाटीदार समाज की सदस्यता शुल्क की राशि प्रतिसदस्य २ रुपये वसूल करके जिला पाटीदार समाज को मय रसीद कट्टे के प्रतिवर्ष भेजने के लिये उत्तरदायी होगी । इसमें से १/४ ग्राम,१/४ तहसील, १/४ जिला व १/४ प्रांत का भाग है ।

(अ) रसीद कट्टा जिला कार्य समिति द्वारा ग्राम समिति के पास भेजा जावेगा ।

(ब) ग्राम समिति निर्धारित प्रारूप में अपने ग्राम में सदस्यता रजिस्टर रखेगी । उस में सदस्यों के नाम पते अंकित किये जावेंगे ।

अध्याय ७ – ग्राम समिति के वार्षिक अधिवेशन

— ग्राम समिति अपने ग्राम में पाटीदार समाज का प्रतिवर्ष एक वार्षिक अधिवेशन आयोजित करेगी, उसमें समाज के सभी परिवारों के सदस्य आमंत्रित होंगे ।

— अधिवेशन में ग्राम समिति की आय–व्यय का हिसाब प्रस्तुत किया जावेगा तथा समाज की प्रगति का प्रतिवेदन सुनाया जावेगा तथा भावी ग्राम समाज विकास की योजना स्वीकार की जावेगी ।

— ग्राम समिति इस अवसर पर सामूहिक भोज भी आयोजित कर सकती है ।

— इस अवसर पर रात्रि को सांस्कृतिक मनोरंजन के कार्यक्रम आयोजित किये जा सकते हैं ।

जिला पाटीदार समाज कार्य समिति

१. प्रहलाद पाटीदार – अध्यक्ष
२. रामेश्वर पाटीदार – उपाध्यक्ष
३. गणेशराम पाटीदार – सचिव
४. चैनराम पाटीदार – सहसचिव
५. झमकलाल पाटीदार – संग–सचिव
६. अम्बालाल पाटीदार – सदस्य
७. भंवरलाल पाटीदार – सदस्य
८. बालाराम पाटीदार – सदस्य
९. बंशीलाल पाटीदार – सदस्य
१०. श्रीलाल पाटीदार – सदस्य

पाटीदार समाज – जिला निमाड का संशोधित विधान
(मध्यप्रदेश – १९८६)
भाग – १

उद्देश्य, नाम, कार्यक्षेत्र, मुख्यालय, समितियों का गठन, कार्यप्रणाली आदि ।

अपने प्रथम प्रगतिशील विधान के अनुसार समाज ने अपनी कई परम्परागत रूढियों, रीतियों को त्याग कर देश की प्रगति के अनुरूप सुधार किये हैं । हमारा संविधान प्रगति शील है एवं समय समय पर परिस्थितियों के अनुसार उसमें आवश्यक संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन किये जाते हैं । उसी संदर्भ में विधान का यह द्वितीय संस्करण दिनांक १०.४.१९८६ गुडी पडवा संवत् २०४३ से लागू किया जा रहा है ।

उद्देश्य – पूर्ववत्

नाम एवं कार्यक्षेत्र

इस संगठन का नाम "पाटीदार समाज, जिला निमाड" है । कार्यक्षेत्र की दृष्टि से महेश्वर तहसील को दो भागों में बांटा गया है, जिसके मुख्यालय क्रमशः मणडलेश्वर एवं उससे संबंधित २४ ग्राम व दूसरा, नान्द्रा एवं उससे संबंधित सम्बन्धित ३३ ग्राम रहेंगे । कसरावद एवं उससे सम्बन्धित २४ ग्राम, धामनोद एवं उससे सम्बन्धित २१ ग्राम रहेंगे । इस प्रकार इस संगठन के अन्तर्गत वर्तमान में १०२ ग्राम हैं ।

सदस्यता :

प्रत्येक ग्राम की समिति अपने अपने ग्राम में प्रत्येक घर के मुखिया को सदस्य बनावें । इस हेतु सदस्यता शुल्क रु. २ (दो रुपये) लिये जावें । इस प्रक्रिया को ३ वर्ष में चुनाव के पूर्व अनिवार्य रूप से दोहराई जावें । किसी भी समिति में पद ग्रहण करनेवाले व्यक्ति का साधारण सदस्य बनना जरुरी है ।

समितिया

संगठन को चलाने हेतु नीचे लिखे अनुसार समितियां होगी –

१. ग्राम समितियां : *ग्राम के प्रत्येक घर का मुखिया इस समिति का सदस्य होगा । ग्राम समिति अपने लिए एक कार्यकारिणी का चुनाव करेगी ।*

२. तहसील कार्यकारिणी समिति : *चारों क्षेत्रो की अपनी अपनी तहसील स्तरीय कार्यकारिणी समितियां रहेगी ।*

३. जिला कार्यकारिणी समिति : *चारों क्षेत्रो के लिये अपनी–अपनी एक जिला स्तरीय कार्यकारिणी समितियां रहेंगी ।*

४. प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति : *तहसील एवं जिलों का कार्य चलाने के लिए अपनी– अपनी प्रबन्धकारिणी समितियां होंगी ।*

चुनाव एवं कार्यकाल

तहसील एवं जिला स्तर समितियों के निर्वाचन म. प्र. पाटीदार समाज के विधान के अनुसार होते रहेंगे एवं उनका कार्यकाल भी प्रांतीय स्तर के निर्देशों के अनुसार रहेंगा । निर्वाचन प्रक्रिया की जानकारी समय समय पर विधान के अन्तिम पृष्ठो पर जोड दी जावेगी ।

साधारण सभा

चारों क्षेत्रो के सभी पाटीदार सदस्यो की एक साधारण सभा रहेंगी । इस सभा की बैठक आवश्यकता अनुसार ही होगी, परन्तु वर्ष में एक बार साधारण सभा का व्यापक सम्मेलन अवश्य होगा । तहसील स्तरीय व्यापक सम्मेलन भी वर्ष में एक बार अपनी सुविधानुसार होगा । इसकी तारीख, समय, स्थान, तथा व्यवस्था की सूचना कार्य–कारिणी समितियां देवेंगी ।

ओडिट समिति

समाज के वित्तीय विषयों के विशेषज्ञो की चार सदस्यीय ऑडिट समिति रहेगी । वह समय समय पर ग्राम कमेटी से लेकर जिला कमेटी तक का ऑडिट करेगी ।

सदस्यों की उपस्थिति :

समस्त कार्यकारिणी समितियों के सदस्य मीटिंगो में उपस्थित रहेंगे । लगातार ३ मीटिंगो में अनुपस्थित रहने पर सदस्यता निरस्त की जाकर नये सदस्यो का चुनाव विधान के नियमों के अन्तर्गत कर लिया जावेगा ।

अवधि

उक्त वर्णित समस्त समितियों का कार्यकाल प्रान्त के विधान के अनुसार रहेंगा । नई समितियों के गठन तक पुरानी समितियां कार्य करती रहेंगी । नई समितियों का गठन होते ही पुरानी समितियां भंग हो जावेगी । किसी भी प्रकार की समिति के कोई सदस्य, समिति से सम्बंधित नियमों का उल्लंघन करेंगे तो उन्हे समितियों की अवधि समाप्ति के पूर्व भी पृथक् करने का अधिकार जिला कमेटी को ही रहेगा ।

कोरम (गणपूर्ति) – पूर्ववत्

आय के स्रोत

जिला कार्यकारिणी आवश्यकतानुसार ग्राम कमेटियों को आवश्यक निर्देश देकर समय–समय पर अपने आय के साधन जुटावेगी । जैसे – १० सदस्यता शुल्क, २

तलाक के निमित्त निर्धारित राशि, ३ समाज के नियमों का उल्लंघन करनेवालों से आर्थिक योगदान की राशि ४ बेंकों में जमाराशि से प्राप्त व्याज ५ दान के रूपयों से प्राप्त राशि... आदि । यह समाज की उन्नति हेतु अच्छे कार्यों पर खर्च की जावेगी ।

कार्यकारिणी के अधिकार

ग्राम समिति : *पूर्ववत्*
कार्यकारिणी समिति : *पूर्ववत्*
प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति : *पूर्ववत्*

भाग – २

समाज के उत्थान हेतु पुरुष एवं महिलाओं के नैतिक स्तर को ऊंचा उठाने हेतु नवयुवकों को सामाजिक कार्यों के लिये दिशा दर्शन हेतु एवं महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार हेतु पारित प्रस्ताव एवं ठहराव

नियम क्रमांक १

विवाह तथा संस्कार सम्बन्धी

(अ) मंगनी करने बाबद : *पूर्ववत्*

(ब) रूप्या (तिवारी) बाबद : *पूर्ववत्*

(स) विवाह तिथि के बाबद : *विवाह की तिथियां प्रतिवर्ष अक्षय तृतीया एवं बसन्त पंचमी तय की जाति है । अक्षय तृतीया पर सुविधानुसार वैशाखी सुदी दुज से वैशाख सुदी सप्तमी तक और बसन्त पंचमी से सप्तमी तक रहेगी । पढने वाले वयस्क युवक, युवतियों के परीक्षा नियमों के अनुसार विवाह की तिथियों में छूट देने का अधिकार जिला कार्यकारिणी को होगा । यह छूट परीक्षा समाप्ति की तिथी के बाद ३ दिन की अवधि में होगी ।*

(द) बारात के समय बाबद : *पूर्ववत्*

(य) सामूहिक शादियों का आयोजन : *समाज हित में शादियों का आयोजन सामूहिक रूप से रखना उचित होगा ।*

नियम क्रमांक २

कपडों के लेनदेन बाबद : पूर्ववत्

इस नियम के अन्तर्गत कपडे लेने एवं देने वाला दोनों ही दोषी माने जावेंगे । ऐसे प्रकरणों की ग्राम कमेटी खोजबीन करके परिस्थितियों अनुसार निर्णय दे । निर्णय नहीं मानने की दशा में प्रकरण तहसील में भेजे जावें ।

नियम क्रमांक ३

खाना तथा बाना बाबद : पूर्ववत्

नियम क्रमांक ४

तलाक, पावती तथा पुनर्विवाह बाबद

(अ) गृहस्थ जीवन की शुरुआत विवाह संस्कार से होती है । विवाह हो जाने के पश्चात् जीवन–पर्यन्त पति–पत्नी में प्रेम भाव व एकता बनी रहना आदर्श परिवार का द्योतक है । किन्तु अपवाद स्वरूप कुछ परिस्थितियों में मन मुटाव व अन्य कारणों से तलाक की स्थिति निर्मित हो जाती है । ऐसे परिवार बुद्धिहीनता, असहनशीलता या स्वार्थपन के परिचायक हैं । ऐसी स्थिति में तलाक हो जाने के बाद तलाकशुदा लडका कुंवारी लडकी से शादी नहीं कर सकता है । उसे तलाकशुदा या विधवा लडकी से नातरा ही करना होगा । पाटीदार समाज का कोई भी व्यक्ति लेवा या कडवा अपनी कुंवारी लडकी की शादी ऐसे तलाकशुदा लडके से सामाजिक नियमों के अनुसार या कोर्ट मेरेज के नियमानुसार नहीं करेगा । इस नियम का उल्लंघन करने वाले लडके और लडकी पक्ष के व्यक्ति या परिवार समाज की सदस्यता से तीन वर्ष तक पृथक रहेंगे । ऐसें परिवार जन जिला कार्यकारिणी में आवेदन करते हैं तो आवेदन कि तिथि से तीन वर्ष की अवधि के पश्चात जिला कार्यकारिणी अपराध की परिस्थितियों की नजरमें रखते हुए निर्णय दे सकती है । उसी प्रकार नियम उल्लंघन करनेवाले के सहयोगी भी समान रूप से अपराधी माने जावेंगे । वे भी नियम उल्लंघनकर्ताओं की तरह तीन वर्ष के लिए समाज की सदस्यता से पृथक हो जावेंगे ।

(ब) विधुर होने की स्थिति में विवाहित लडका भी नातरा ही करेगा, कुंवारी लडकी से विवाह नहीं करेगा । नियम उल्लंघन करने पर उन पर भी नियम क्रमांक ४ (अ) के अनुसार दण्ड की प्रक्रिया लागू होगी ।

(स) विधवा या तलाकशुदा लडकी से कोई कुवांरा लडका शादी करता है, तो समाज में नई क्रान्ति के रूप में यह एक आदर्श विवाह माना जावेगा ।

(द) कोई भी पुरुष अपनी इच्छानुसार एक ही बार नातरा कर सकता है । यदि किन्हीं कारणों से उसका सम्बंध विच्छेद होता है तो उसे पुनः नातरा करने के लिये तहसील कमेटी से निर्णय लेना होगा । या परिस्थितिवश वह जिला कमेटी में भी आवेदन करके स्वीकृति प्राप्त कर सकता है । यह निमय बार बार तलाक या नातरा की प्रवृत्ति पर रोक लगाने लिए है । किन्तु विधुर या निःसंतान पुरुष के लिए यह बन्धनकारक नहीं रहेगा ।

(य) पावती होने की दशा में दोनों पक्षो की राजी रजामन्दी से आपस में घर बैठकर हो तो भी लडका लडकी दोनों पक्ष रुपये ५००–५०० ग्राम कमेटी को देवेंगे ।

एक तरफा निर्णय होवे तो जो पक्ष पावती चाहेगा वह र. १००१ अक्षरी रुपया एक हजार एक अकेला ही देवेगा । यदि पावती तहसील कमेटी में होगी तो रु. १२०० जमा करना होंगे । जिला कमेटी के सामने पावती होगी तो रु. १५०० जमा करवा कर तलाकनामा लिखवाये, जिस पर क्रमशः ग्राम कमेटी व तहसील कमेटी अथवा जिला कमेटी के किन्हीं दो पदाधिकारियो के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है । समाज में यह तलाकनामा तब ही मान्य होगा जब कि उस तलाकनामे के रुपयों की रसीद कट्टे से कट चुकी हो । यह धनराशि लिये या दिये बिना यदि पावती की जाती है, तो वह समाज में मान्य नहीं होगी व दोनों पक्ष तीन वर्ष तक के लिऐ समाज की सदस्यता से पृथक रहेंगे । ग्राम स्तर पर तलाक की राशि का आधा भाग लडके के ग्राम कमेटी को और आधा लडकी की ग्राम कमेटी को दिया जावेगा । तहसील स्तर पर रु. २०० कमेटी के पास रहेंगे । तथा ५००–५०० रुपये सम्बन्धित लडके लडकी की ग्राम कमेटी को भेजे जावेंगे । जिला स्तर पर प्राप्त राशि में से रु. ५०० जिला कमेटी अपने पास रखेगी और ५००–५०० रुपये लडका लडकी की ग्राम कमेटी को भेज दिये जावेंगे । दहेज एवं गहनों का लेन–देन भी कमेटी के समक्ष ही कर दिया जावें । सामूहिक शादी में प्राप्त दहेज के बर्तन आदि भी लडकी को वापस दिये जावेंगे ।

नियम क्रमांक ५

कडवा लेवा सम्बन्ध बाबद : पूर्ववत्

नियम क्रमांक ६

मृत्यु भोज के सम्बन्ध में : पूर्ववत्

पहले दिन के कडवा वगैरा में शामिल होने पर किसी भी प्रकार का प्रतिबन्ध किसी के साथ नहीं माना जावेगा ।

नियम क्रमांक ७

आय व्यय के बंटवारे के सम्बन्ध में

इस विधान के अनुसार प्राप्त आय का ग्राम समितियां आधा हिस्सा अपने पास रखकर आधा हिस्सा तहसील कमेटी को भेजेगी । तहसील कमेटी अपनी आय का आधा हिस्सा वर्ष में एक बार ३१ दिसम्बर को जिले में जमा करेगी । जिला "आर्थिक योगदान से प्राप्त राशि" में से आधा अपने पास रखकर २५ प्रतिशत तहसील को व २५ प्रतिशत सम्बन्धित ग्राम को देगी । सदस्यता राशि प्रांतीय विधान के अनुसार प्रांत, जिला, तहसील तृथा ग्राम समितियों में वितरित होगी ।

नियम उल्लंघन करने के बाद निर्णय का अधिकार :

पाटीदार समाज के विधान के इस द्वितीय संस्करण के नियम समाज की उन्नति में सहायक है । इन नियमों का पालन करना समाज के प्रत्येक सदस्य का अनिवार्य कर्तव्य है । किन्तु नियमों के उल्लंघन करने की स्थिति में ग्राम समिति अपने अधिकार क्षेत्र के अनुसार प्रकरणों को सुनेगी एवं निर्णय देगी । उसी प्रकार तहसील कमेटी, जिला कमेटी भी अपने अधिकार क्षेत्र के अनुसार प्रकरणों पर निर्णय देने में सक्षम रहेगी । क्रमशः एवं ग्राम तहसील समिति के पास अपने क्षेत्र के अन्तर्गत मंगनी रुप्पा (तिवारी), कपडों का लेन-देन, खाना तथा बाना, पावती, मृत्यु भोज के विषय रहेंगे व नहीं सुलझने की स्थिति में ही प्रकरण जिले में लाये जावेंगे । जिला प्रकरणों पर केवल जिला कमेटी ही विचार करके निर्णय देने में सक्षम है । जैसे (१) विवाह की तिथि, (२) तलाक या विधुर होने के बाद पुनर्विवाह के प्रकरण ।

नियम उल्लंघन करनेवाले व्यक्ति या परिवार पर समितियां "समाज के लिए आर्थिक योगदान की राशि" का निर्धारण विभिन्न स्तर की परिस्थितियां देखकर अपने अपने विवेक से करेगी । समाज के सदस्य अपने सामाजिक सम्बन्धो के प्रकरणों को समाज की संबंधित समितियों में ही पेश करें व निर्णय देवें ।

निर्णय देने की समयावधि :

किसी भी प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र देने के दिनांक से ग्राम समिति व तहसील समिति २-२ माह में तथा जिला कार्यकारिणी तलाक, पुनर्विवाह से सम्बन्धित प्रकरणों को छोडकर) ३ माह में अपने निर्णय दे देगी । न्याय सस्ता व सुलभ देने हेतु इस नियम का पालन किया जावें ।

निर्णय की घोषणा :

जिला पाटीदार समाज की सदस्यता से पृथक किये जानेवाले व्यक्तियों की घोषणा विभिन्न स्तर की समितियों में की जावें । निर्णय की सूचना जिला, तहसील व ग्राम कमेटी को दी जावें ।

अनुशासन का पालन :

समाज का कोई भी सदस्य समितियों के पदाधिकारियो को अपशब्द नहीं बोलेगा । अनुशासन का उल्लंघन करनेवालों को भी सभी प्रकार की समितियां अपने कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत उचित तरीके से दण्डित कर सकती है ।

भविष्य की कल्याणकारी योजनाएं व सुझाव :

१. अनिवार्य शिक्षा : पूर्ववत्

२. छात्रावास व्यवस्था : *जिला कार्यकारिणी ने छात्रावास निर्माण हेतु जिला स्तर पर एक "छात्रावास निर्माण समिति" का गठन कर लिया है । समाज के शिक्षा प्रेमी सदस्यो से आग्रह है कि आप तन, मन, धन से सहयोग करें ।*

३. विद्यालय चलाना : *पाटीदार समाज के माध्यम से निजी स्तर पर शासन द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाएं स्थापित कर अपने बालक–बालिकाओं को अच्छी शिक्षा के साथ–साथ उनमें सुसंस्कार डालें एवं प्रतिभावान् छात्रो को सम्मानित एवं पुरस्कृत किया जावें ।*

४. दहेजप्रथा उन्मूलन : *पूर्ववत्*

५. वैवाहिक सर्वे : *समाज के विवाह योग्य पुत्र–पुत्रियो का सर्वे प्रतिवर्ष ग्राम स्तर पर किया जाकर उसकी जानकारी तहसील एवं जिला कमिटी को दी दावें । इस कार्य हेतु निर्धारित प्रपत्र छपवाकर संकलन का कार्य जिला कार्यकारिणी करेगी ।*

६. समाजसेवियों का सम्मान : *समाज के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष कार्य करनेवाले सेवाभावी व्यक्तियों का समय–समय पर सार्वजनिक रूप से सम्मान करें ताकि नवयुवकों को कार्य करने की प्रेरणा मिलें ।*

सचिव	समस्त सदस्य	अध्यक्ष
पाटीदार समाज	*पाटीदार ग्राम,*	*पाटीदार समाज*
जिला निमाड	*जिला निमाड (मध्यप्रदेश)*	*जिला निमाड*

पाटीदार समाज, जिला निमाड (म. प्र.) में सम्मिलित ग्रामों की सूची

महेश्वर क्षेत्र : कुल ५७ (सत्तावन) ग्राम :

१. **मुख्यालय – मण्डलेश्वर** : बडवेल, महेतवाडा,करोली, कांकरियां, समसपुरा, इटावदी, मातमूर, मिर्जापुर, बडवी, खराडी, मोहना, काकडियामहू, उरवाय, महेश्वर, बबलाई, चौली, ठनगांव, मण्डलेश्वर, छोटी खरगोन, सोमाखेडी, गुलावड, चिकली, बागदरा व सांगवी ।

२. **मुख्यालय नान्द्रा** : धरगांव, गोगावां, सुलगांव करोंदिया, सुल्तानपुरा, हरसगांव, चुन्दडिया, मोगाँवा, कवडिया, कुन्डिया, मोहद, भूदरी; ढापडी, मन्दोरी, किरन्या, देव पिपल्या, बिल बावडी, नान्द्रा, पथराड, कतरगांव, कुम्भ्या, बहेगाँव, नर्मदा नगर, बन्डोरा, करही, पाडल्या, होदडिया, कवाणा, करौन्दिया (बयड का), वणी, बोर बावडया, आसतरिया, बडवाहा ।

कसरावद क्षेत्र : कुल ग्राम २४ (चौबीस)

कसरावद, छोटी कसरावद, भीलगांव, बालसमुंद, साटकूर, काटकूर काछीपुरा, सत्राटी, मगरखेडी, पीपलझा. घटवा, कुंआ, करेवाँ, दबाना, सांवदा, बिठेर, मोंगावां, सामेडा, भग्यापुरा, काकरियां, बडगाँव, सेमल्दा, गोगावाँ, खरगोन ।

धामनोद क्षेत्र : कुल २१ (इक्कीस) ग्राम :

धामनोद, सुन्देल, गुलझरा, पटलावद, विखरौन, डोंगरगांव, लोहारी, झाकरुड, बगवानिया, धेगदा, चन्दावड, पेडमी, भवान्या, मैगांव, पन्धाना, बैगन्दा, खलघाट, मोरगढी, वासीवलवारी, डेवर, निमरानी ।

शुभकामनाएं एवं बधाई संदेश

पाटीदार समाज, जिला निमाड द्वारा समाज के चहुंमुखी विकास के लिये प्रगतिशील इस विधान के निर्माण को प्रोत्साहन पोषक निम्न महानुभावों के 'शुभकामना संदेश' भी मिले –

श्री चैनसिंह पाटीदार, अध्यक्ष – म. प्र पाटीदार समाज ।
श्री परशुराम पाटीदार, पूर्व अध्यक्ष म. प्र. पाटीदार समाज ।
श्री रामेश्वर पाटीदार. प्रधान संपादक 'पाटीदार जागृति' (मासिक) ।
श्री हरिराम पाटीदार, प्रांतीय उपाध्यक्ष ।
श्री राधेश्याम पाटीदार, पूर्व संपादक 'पाटीदार जागृत्ति' ।
श्री प्रहलाद पाटीदार, सचिव–म. प्र. एवं राज. पाटीदार समाज ।

शपथ प्रतिज्ञा पत्र

हम पाटीदार समाज के समस्त सदस्यगण सत्य निष्ठापूर्वक एवं कुलदेवी माँ अम्बा (उमिया) की शपथ लेकर प्रतिज्ञा करते हैं कि :

"हम समाज एवं राष्ट्र की भलाई एवं सुधार हेतु सदा कार्य करेंगे । हम समाज के नियमों का पालन करेंगे और समाज के सदस्यो से पालन कराने का प्रयत्न करेंगे ।"

समाज का यह विधान महेश्वर तहसील, मडलेश्वर एवं नान्द्रा क्षेत्र, कसरावद, धामनोद क्षेत्र, (जिला निमाड, मध्यप्रदेश) के समस्त पाटीदारों की स्वीकृति से बनाया है । हमारे इस स्व–निर्मित विधान का हम पालन करेंगे ।

हस्ताक्षर

सदस्य गण, पाटीदार समाज,
जिला निमाड (मध्यप्रदेश)

"पाटीदार समाज विकास की ओर" ५२ गांव खरगोन

पाटीदार समाज ५२ ग्राम खरगोन : पश्चिम निमाड, मध्यप्रदेश में गुजरात से आकर बसे । यहां पर पाटीदार समाज अपने सामाजिक रीति रिवाज के बंधनों में रहकर पूर्व में गांव वार पंच, नियुक्त होकर सम्पूर्ण ५२ ग्रामों में बसे । पाटीदार समाज के चुनिन्दा पंचों के आवश्यकता अनुसार सम्मेलन हुआ करते थे और सम्मेलनों में जाति के रीति अनुसार निर्णय भी किया करते थे । उस समय कम पढे लिखे लोग होने से जाति रीति रिवाज में कई ढकोसलावाद भी चला करते थे । सम्पूर्ण पाटीदार समाज का मुख्य धंधा कृषि ही था । धीरे धीरे समाज में शिक्षा का स्तर उठने लगा

और ढकोसला वाद छोडकर प्रगति की दिशा में शिक्षित बन्धुओं द्वारा कदम समय समय पर उठाये गये । समाज में धीरे धीरे पारिवारिक स्थितियां बदलती गई और प्रकृत्ति मार से त्रस्त होकर शिक्षितों द्वारा ढकोसला वाद जैसे मृत्यु भोज, विवाह, गौना, आदि पर अनापशनाप खर्च करने पर प्रहार करते हुए समाप्ति की ओर कदम बढाये गए ।

सामूहिक शादियों के आयोजन पर विचार-मंथन : प्रथम गंधावड तथा घोदया में ५२ गांव के सकल पाटीदार पंच एकत्रित होकर श्री विष्णुराम जी सनावधा (सुमनाकर) वयोवृद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अध्यक्षता में प्रथम सामूहिक शादियों का कैंप वर्ष १९८२ में ग्राम सिनगुन में करने का निर्णय लिया जिसमें वर वधू संख्या ४२ की शादियां की गई । दूसरा केम्प १९८३ में ग्राम [illegible]गांव में सामूहिक शादियां का आयोजन होकर वर वधू संख्या ९५ की शादियां की गई । तीसरा केम्प १९८४ में ग्राम गंधावड में किया जाकर वर वधू संख्या [illegible] की शादियां की गई । चौथा केम्प १९८५ में ग्राम घोदया में किया जाकर वर वधू संख्या १३६ की शादियां की गई । पांचवा केम्प १९८६ में ग्राम टेमला में किया जाकर वर वधू संख्या ४५ की शादियां की गई । छट्ठा केम्प १९८७ में ग्राम अधावण में आयोजित कर वर वधू संख्या ६६ की शादियां की गई । सातवां केम्प १९८८ में ग्राम पीपरी में आयोजित कर वर वधू संख्या ५१ की शादियां की गई ।

यह सभी शादियाँ (सामूहिक-विवाह) कृषि से फुर्सत के समय अखाती तीज पर की गई है । इसी ५२ गांव के चुने हुने पंच जो पुराने थे, उनमें से करीब-करीब आधे से अधिक का स्वर्गवास हो गया । शेष में कुछ नये पंचो की भरती की जाकर उनके द्वारा समाज का संचालन हो रहा था ।

अक्टुबर १९८६ में विकास शील विचार धारा के युवकों द्वारा नये सिरे से समाज की एक कार्यकारिणी की बैठक में विचार किया जाकर महालक्ष्मी के मंदिर में समाज का एक दिवसीय बृहद सम्मेलन आयोजित किया जाकर सर्वानुमति से पाटीदार विकास समिति के गठन का निर्णय लिया गया ।

श्री सुमनाकरजी की अध्यक्षता में उन्हें ५२ गांवों से १३ सदस्यों की एक कार्यकारिणी गठन करने हेतु अधिकृत किया गया । इनके द्वारा पाटीदार विकास समिति के अध्यक्ष पद पर श्री बालकृष्णजी पाटीदार, टेमला; उपाध्यक्ष पद पर श्री मांगीलालजी पाटीदार, डोंगरगांव; सचिव पद पर श्री काशीरामजी पाटीदार, धेगांव; कोषाध्यक्ष पद पर श्री सदाशिवजी पाटीदार, पीपरी; सह सचिव पद पर श्री चन्द्रकान्त पाटीदार गंधावड; सदस्यों के पदों पर श्री मयाराम पाटीदार, दसनावल; श्री मांगीलाल पाटीदार, मोटापुरा; श्री मोहन पाटीदार, गोपालपुरा; श्री घनश्याम पाटीदार, टेमरनी; श्री लखनलाल पाटीदार अभिभाषक, मेणगांव; श्री शिवराम पाटीदार, सिनगुन; श्री गप्पूभाई पाटीदार, छालपा; श्री मुरारभाई पाटीदार, अधावण । इस प्रकार १३ सदस्यों की कार्यकारिणी

गठित की गई, जिसकी प्रथम बैठक अध्यक्ष के ग्राम टेमला में हुई । दूसरी एवं तीसरी बैठके श्रीराम धर्मशाला खरगोन में हुई । जिसमें समाज के विकास एवं रुढिवादिता छोडकर आगे प्रगति की ओर बढने हेतु विचार–विमर्श किया गया ।

पश्चिम निमाड जिले का प्रमुख शहर खरगोनमें पूर्व वयोवृद्ध पाटीदार समाज के पंचों द्वारा धर्मशाला निर्माण हेतु भूमि १८ वर्ष पूर्व क्रय की गई थी । उस भूमि पर धर्मशाला सह छात्रावास निर्माण करने का निर्णय लिया गया । धर्मशाला निर्माण के निर्णय के पश्चात् एक सकल पाटीदार समाज की बैठक खरगोन में आयोजित कर धर्मशाला निर्माण हेतु दान के लिए चर्चा की गई–उसी बैठक में –

(१) श्री बालकृष्ण पाटीदार (२) श्री सदाशिव पाटीदार (३) श्री मुरार पाटीदार (४) श्री मयारामभाई पाटीदार (५) श्री लखनलाल पाटीदार (६) डो. शंकरलाल पाटीदार एवं ग्राम बनिहार पाटीदार बन्धुओं की ओर से तथा ग्राम इच्छापुर पाटीदार बन्धुओं की ओर से दान दिये गये । श्री मांगीलाल पाटीदार, श्री पंढरीनाथ पाटीदार डोंगरगांव, श्री किशनलाल पाटीदार एवं अन्य बन्धुओंने दान देकर निर्माण में सहयोग दिया । श्री भगवान बाबा पाटीदारने धर्मशाला–निर्माण में व दुर्गा मंदिर में प्रतिमा लाकर स्थापित करने का संकल्प किया ।

सामूहिक शादियों के केम्प की बचत राशियां भी धर्मशाला के निर्माण में प्राप्त हुई ।

धर्मशाला सह छात्रावास, खरगोन (ऑरंगपुरा) में कुन्दा नदी के किनारे पर (२५ कमरों, एक ६० x ६० का होल, रसोई घर, चार शौचालय, ४ स्नान गृह) निर्माण करने का कार्य वर्ष १९८७ में प्रारंभ किया गया । वर्तमान तक २५ कमरे, होल, एवं दुर्गा मंदिर–कार्य पूर्ण किया गया है । शेष कार्य निर्माणाधीन चल रहा है । सम्पूर्ण कार्य पर करीब ६ लाख से ऊपर व्यय होने की सम्भावना हैं । वर्ष १९८८ से कमरों में छात्रों को रहने का प्रवेश भी दिया जा रहा है । यह धर्मशाला सह छात्रावास निर्माण से समाज की प्रगति में तीव्र गति आ गई है और समस्त पाटीदार बन्धु कार्य से सन्तुष्ट होकर प्रसन्नता व्यक्त कर रहें हैं ।

पाटीदार विकास समितिने धर्मशाला कम छात्रावास का निर्माण कार्य पूर्ण कर इसे न्यास (ट्रस्ट) बनाकर विधिवत् संचालन करने का निर्णय लिया है एवं इसका पंजीयन कराने की कार्यवाही प्रारंभ की जा चुकी है ।

संवत् २००८ में सकल पाटीदार समाज ५२ ग्रामों की ओर से मध्य ग्राम पीपरी में मां श्री अंबे का मंदिर निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाकर सकल पाटीदारों का वृहद सम्मेलन होकर प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई । अब यह एक दर्शनीय रमणीय स्थान है । (यह जानकारी पाटीदार समाज विकास समिति की ओर से श्री काशीराम पाटीदार और सुमनाकरजी ने भेजी है) ।

११. अधिवेशनों का इतिहास

- o 'श्री कुर्मी क्षत्रिय बन्धु संघ' मध्यभारत के दो अधिवेशन सन् १९४३ एवं १९४६ ई.
- o संयुक्त प्रांतीय कुर्मी क्षत्रिय सभा का वृहत् अधिवेशन सन् १९४४
- o म. प्र., राजस्थान पाटीदार समाज में प्रगति एवं परिवर्तन (सन् १९४० से १९४४)
- o म. प्र. पाटीदार समाज संगठन का इतिहास और पांच अधिवेशनों का प्रभाव
- o म.प्र. पाटीदार समाज की कार्यकारिणी महासभा के पदाधिकारी (वर्ष १९७८, १९८१, १९८५, १९८८)
- o युवा-जागृति

श्री कुर्मी क्षत्रिय बन्धु संघ' मध्य-भारत क्या है ?[१]

आजका जमाना संगठन का जमाना है। आज संगठित देश व जातियां संसार में जीवित रह सकती हैं और असंगठित मनुष्यों का जीवन दुःखद ही रह जाता है। जो बात एक मनुष्य के लिये लागू होती है वहीं जाति और देश के लिये भी हुआ करती है। आज हमारे कुर्मी-क्षत्रिय-समाज की क्या दशा है, इस पर विचार करने से हृदय कांप उठता है, और वाणी मौन हो जाती है। जहाँ संसार की अन्य जातियां अपनी तेज रफ्तार से उन्नति पर है वहां हमारे समाज में फूट, मुकद्मेंबाजी, ईर्ष्या व आलस्य ने घर कर लिया है। जो जाति किसी समय में वैभवसम्पन्न थी वही जाति आज घोर अन्धकार में सोई हुई है। इस कटु सत्य को पढकर उपेक्षा कर देने से कुछ नहीं होगा। उसके लिये तो उन कारणों को स्थिरता एवम् दृढता पूर्वक ढूंढ निकाल कर उनका यथोचित रूप से निराकरण करना होगा जिनके कारण हमारी परम प्राचीन जाति की दुःखद दशा हो रही है।

प्रत्येक जाति की उन्नति का आधार है उस जाति में रहनेवाले मनुष्यों में शिक्षा, प्रेमपूर्ण सम्बंध एवं प्रखर उत्साह। जब तक यह नहीं होता तब तक समाज की ये निर्बलताएं दूर होना असंभव ही नहीं, वरन् अत्यन्त कठिन हैं।

१. श्री कुर्मी-क्षत्रिय-बंधु संघ मध्यभारत प्रकाशन नकल की फाईल श्री छगनलाल वर्माजी के परिवारों से मिली है, लेकिन जर्जरीत हालत में पढना मुश्किल है।

म. प्र. पाटीदार समाजके भूतपूर्व अध्यक्ष

श्री किसनसिंह पटेल

अध्यक्ष : म.प्र. पाटीदार समाज
प्रथम अधिवेशन

प्रो. खेमचंदभाई पाटीदार

अध्यक्ष : द्वितीय–तृतीय
म.प्र. पाटीदार समाज अधिवेशन

श्री परशुराम पाटीदार

म.प्र. पाटीदार समाज चतुर्थ
अधिवेशन अध्यक्ष

श्री चैनसिंहजी पाटीदार

अध्यक्ष : म.प्र. पाटीदार समाज
पंचम अधिवेशन

म.प्र. पाटीदार समाज चतुर्थ अधिवेशन पर सचिव श्री मांगीलालजी पाटीदार सम्बोधित करते हुवे, समीप बैठे है श्री भेरूसिंह दुपाडा, श्री शिवनारायण इन्दरीया, श्री पुरुषोत्तम मुकाती, छगनलालजी वर्मा

स्व. श्री छगनलाल वर्मा

अध्यक्ष : कुर्मी क्षत्रिय बंधु संघ
(मध्य भारत)

डॉ. प्रहलाद पाटीदार

वर्तमान अध्यक्ष
म. प्र. पा. समाज, मंदसौर

कुर्मी–क्षत्रिय–समाज की यह दशा देखकर गंभीरता पूर्वक विचार करने के बाद ता. १४ व १५ अक्टूम्बर सन् १९४३ मिती कार्तिक सुदी १–२ के शुभ अवसर पर कुर्मी–क्षत्रिय–समाज में एकता, शिक्षण व समानता की वृद्धि के लिये इस श्री कुर्मी–क्षत्रिय–बन्धु–संघ, मध्यभारत की स्थापना, मुकाम श्री झरनेश्वर महादेव, ग्राम सिरोल्या में की गई है।

संघ का मुख्य उद्देश्य कुर्मी क्षत्रिय समाज की उन्नति व सेवा भाव है। विशेष कर –

(१) कुर्मी–क्षत्रिय–समाज में परस्पर प्रेम संगठन व सम्बन्ध स्थापित करना।
(२) समाज हित की दृष्टि से धार्मिक, अध्यात्मिक, नैतिक, आर्थिक, शारीरिक एवम् विद्योन्नति के लिये प्रत्येक उचित उपायों को व्यवहार में लाने के लिये प्रचार करना।
(३) समाज के गरीब रोगियों और विधवाओं की यथाशक्ति सेवा अथवा सहायता करना।

समाज के अनुभवी एवम् उदार मन वाले सज्जन गण व नवयुवकों से प्रार्थना है इस संघ की शाखाएं मध्यभारत के प्रत्येक ग्रामों मे जहां कुर्मी–क्षत्रिय–बन्धु आबाद हों वहां शीघ्र से शीघ्र स्थापन करने में आप व अपने मित्रों से हार्दिक सहयोग लेकर जाति संगठन के अत्यन्त आवश्यक कार्य को पूरा करने में तन–मन–धन से तत्पर रहेंगे।

संघ की योजनाएं तभी सफल हो सकती हैं जब कुर्मी–क्षत्रिय–बन्धु इस ओर अपनी सहानुभूति और क्रियात्मक प्रेम का परिचय देंगे। इस जाति के उत्साहित नवयुवकों के दिव्य प्रयत्नों से ही कुर्मी क्षत्रिय समाज का जीवन फिर से गौरवशाली और चिरस्मरणीय हो सकता है। इति शुभम्

भवदीय **प्रधान** मंत्री
छगनलाल वर्मा

कुर्मि–क्षत्रिय–बन्धु–संघ मध्यभारत का प्रथम अधिवेशन

प्रस्ताव :

१. यह सम्मेलन जाति की उन तमाम कुरीतियों का बहिष्कार करता है जिसके कारण कुर्मी क्षत्रिय समाज का आर्थिक नुकसान ही नहीं बल्कि नैतिक पतन भी हुआ है, साथ ही जाति बन्धुओं से अनुरोध करता है कि वे ऐसी कुरीतियों को दूर करने में संघ को ज्यादा से ज्यादा सहयोग प्रदान करें।

२. यह सम्मेलन कुर्मी क्षत्रिय समाज के अन्दर शिक्षा के अभाव पर दुःख प्रगट करता है, और अपने जाति बन्धुओं से साक्षर बनने व अपनी होनहार संतानों को विद्याभ्यास कराने की ओर ध्यान देने के लिये प्रार्थना करता है।

३. यह सम्मेलन अपने भाईयों से विनय करता है कि वे आपसी झगडे, मुकदमेबाजी, फूट, ईर्ष्या, द्वेष, जिनके कारण जाति बरबाद हो रही है, अपने में से निकाल कर प्रेम, संगठन व परस्पर सम्बन्ध पैदा करें।

४. यह सम्मेलन अनुभव करता है कि अध्यात्मिक, धार्मिक और शारीरिक उन्नति के लिये यज्ञोपवीत–संस्कार, ब्रह्मचर्य पालन व चरित्र गठन की अभिलाषा से भगवान रामचन्द्रजी जैसे आदर्श महान विभूतियों के जन्मोत्सव मनाना व उनके जीवन से शिक्षा ग्रहण करना चाहिये ।

५. यह सम्मेलन अपने भाईयों का ध्यान, कृषि की उन्नति नवीन तरीको व साधनों द्वारा करने एवं उसके सहायक गाय बैल व अन्य पशुओं की अच्छे ढंग पर पालने की ओर आकर्षित करना चाहिये ।

६. यह सम्मेलन यह जरूरी समझता है कि वर्तमान जमाने में प्रचारार्थ एक जातीय मासिक पत्र का होना आवश्यकीय है, जिसके लिये पांच महानुभावों की एक समिति कायम की जावेगी, जो मासिक पत्र निकालने की योजना तैयार करेगी ।

७. यह सम्मेलन शिक्षा की पूर्ति के लिए और कुर्मी क्षत्रिय समाज के होनहार संतानों को योग्य शिक्षित व कृषि के विशेष अनुभव के लिये एक कुर्मी क्षत्रिय विद्या मंदिर की स्थापना करने के लिये प्रार्थना करता है । साथ ही धनवान सज्जनों से आग्रह है कि वे इस शुभकार्य में तन, मन, धन से सहयोग देवें ।

८. यह सम्मेलन श्रीमंत महाराजा ग्वालियर की दीर्घायु के लिये ईश्वर से प्रार्थना करता है और रियासत से पशु निकासी की रोक पर संतोष प्रगट करता है । साथ ही मध्यभारत की देशी रियासतों से जहां पर पशु निकासी चालू है वह बंद करने के लिये अनुरोध करता है, जिसके कारण होने वाले पशु धन का नाश तथा कृषि जीवन में आनेवाली बाधा दूर हो ।

श्री कुर्मी क्षत्रिय बन्धु संघ मध्यभारत के अगले अधिवेशन तक के लिये और उपरोक्त प्रस्तावों को क्रियात्मक प्रचार व संघ का सुचारु रूप से संचालन करने के लिये साधारण समिति के द्वारा चुने हुए १२ सदस्यो की एक कार्यकारिणी कायम की गई है, जिनके पदाधिकारी निम्न लिखित हैं –

(१) सभापति : श्रीमान बाबूरामेश्वरजी कोदारिया, इन्दौर स्टेट
(२) उपसभापति : श्रीमान् असिस्टेन्ट अमीन रामनारायणजी वर्मा, अभयपुर
(३) प्रधानमंत्री : श्रीमान् छगनलालजी वर्मा, उज्जैन
(४) संयुक्त मंत्री : श्रीमान् पटेल लखमीचंदजी, बेरछा टाउन
(५) संयुक्त मंत्री : श्रीमान् पटेल सूरतसिंहजी, सुनवानीगोपाल
(६) निरीक्षक : श्रीमान् आसिस्टेन्ट मास्टर लक्ष्मीनारायणजी, कानड
(७) मंत्री, विद्या प्रचार : कुंवर दौलतसिंहजी विद्यार्थी, सरोल्या
(८) मंत्री, संगठन प्रचार : श्रीमान् बाबू दौलतसिंहजी, झोकर
(९) मंत्री, कृषि प्रचार : श्रीमान् जगन्नाथजी, सुनवानीगोपाल
(१०) मंत्री, बन्धुत्वभाव प्रचार : श्रीमान् जगदेवसिंहजी, सुनवानीगोपाल
(११) मंत्री, अर्थ संग्रह प्रचार : श्रीमान् पटेल साहब पूनमचन्दजी, तलावद
(१२) मंत्री, अर्थ संग्रह प्रचार : पटेल साहब परवतसिंजी, बोलाई

भवदीय

छगनलाल वर्मा, मुसद्दीपुरा उज्जैन

प्रधान मंत्री

श्री कुर्मी. क्ष. बंधु. संघ, मध्यभारत

"श्री कुर्मी क्षत्रिय बन्धु संघ मध्यभारत" की नियमावली
(संवत् २०००)

१ नाम

इस संस्था का नाम "श्री कुर्मी क्षत्रिय बन्धु संघ मध्यभारत" रखा गया है।

२. उद्देश्य

इस संघ का प्रधान उद्देश्य "कुर्मी क्ष. समाज की उन्नति व सेवा भाव" है। उद्देश्य की सफलता के लिये निम्न कर्तव्यों की ओर संघ का विशेष ध्यान होगा –

१. कुर्मी क्ष. समाज में परस्पर प्रेम संगठन व सम्बन्ध स्थापित करना।

२. समाज के हित की दृष्टि से धार्मिक, आध्यात्मिक, नैतिक, आर्थिक, शारीरिक एवं विद्योन्नति के लिये प्रत्येक उचित उपायों को व्यवहार में लाने के लिये प्रचार करना।

३. समाज के गरीब रोगियों की और विधवाओं की यथा शक्ति सेवा अथवा सहायता करना।

नियमावली पाटीदार समाज का संविधान है। नियमावली में सदस्य, संगठन, विधान परिवर्तन, नियमोपनियम, साधारण समिति, कोरम, अधिकार, सभा का कार्य, पदाधिकारीयों, प्रचारमंत्री और ग्राम समिति की विस्तृत चर्चा की गई है।

सदस्य कौन बन सकता है –

प्रत्येक कुर्मी (कूलमीस, कुनबी, कुलंबी पाटीदार, सिंधतिया) लेवा, कडवा, जिसकी उम्र १८ वर्ष से कम की न हो वो मध्यभारत में रहता हो व संघ के नियत पत्र पर नियमानुसार आवेदन पत्र (प्रवेश फार्म) भरने और सालाना चन्दे के चार आने पेशगी जमा करने पर संघ के सदस्य बन सकते हैं।

कुर्मी क्षत्रिय बन्धु मालवा

"जागो !" जहां संसार की अन्य जातियां जाग्रत एवम उन्नति पर अग्रसर है; समय का भी यही संकेत है "उठो या मिटो" ऐसी दशा में हमारा भी कर्तव्य है कि जाति की उन्नति के लिये तन, मन, धन अर्पण कर दें। यही सोचकर "कुर्मी क्षत्रिय बन्धु मध्य भारत" की स्थापना व उसके कार्यकर्ताओं का चुनाव श्री १०८ स्वामी महाराज आत्मानन्दजी सरस्वती की अध्यक्षता में ता. १४ व १५ अक्टूबर १९४३ को स्थान श्री झरनेश्वर महादेव ग्राम सरोलिया में करना तय हुआ है। इस अवसर पर जो भी जाति प्रेमी नवयुवक सज्जन जाति सेवार्थ आना चाहें वे आनेवाले दशहरे के पहिले सूचना पत्र श्री छगनलालजी सी. कुर्मी मुसद्दीपुरा, उज्जैन के पते से अवश्य भेंजे जिससे इन्तजाम करने में आसानी रहे।

कुंवर दौलतसिंहजी सरोलिया

नोट : इस पत्र को ज्यादा से ज्यादा अपने जाति बन्धुओं को पढाने का कष्ट करें।

श्री कुर्मी क्षत्रिय बन्धु संघ
मध्य–भारत का द्वितीय अधिवेशन

ता. १९, २०, २१ फरवरी १९४६ स्थान स्टेशन–कालीसिंघ. (उज्जैन टू भोपाल रेलवे)

बन्धुओं !

वर्तमान घटनाओं को देखते हुए यह बात मालूम होती है कि संसार के इस परिवर्तनशील समय में असंगठित जातियों का अस्तित्व खतरे से खाली नहीं है। इस लिये स्वजातीय भाईयों का कर्तव्य है, कि वह समाज की उन्नति के लिये शिक्षा, आर्थिक, नैतिक और सामाजिक सुदृढ एकता की बहुत ही आवश्यकता को समझें व एक दिल होकर संघ की आवाज को बुलन्द बनाएं, तभी हमारी जाति जाग्रत एवम् उन्नति शील बन सकती है। अपने भाईयों से प्रार्थना करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्थित होकर विद्वान नेताओं के सुन्दर भाषणों के सुनने का लाभ अवश्य प्राप्त करें।

न जाति प्रेम हो जिसमें, मोहब्बत न हो भाई की।
वह मुर्दा कौम है जिस में, बू न हो एक ताई की ॥

विनीत –

परबतसिंह जगन्नाथसिंह

मंत्री – स्वागत समिति कालीसिंघ

श्री कु. क्ष. बं. सं. मध्य भारत के प्रथम अधिवेशन की रूपरेखा
(दि. १४–१५ अक्तूम्बर, सरोलिया)

श्री कुर्मी क्षत्रिय बंधु संघ मध्य भारत की स्थापना और उसके कार्यक्रम की रूप रेखा ऐसी थी। सभा दिनांक १४–१०–४३ शाम को १० बजे से १ बजे तक चली। यह संमेलन स्वामीजी श्री आत्मानंदजी महाराज सरस्वती मुन्दौरल (इन्दोर स्टेट) की अध्यक्षतामें हुआ था, जिस में विद्वतापूर्ण भाषण हुए। जैसे, ईश्वर स्तुति श्री दोलतसिंहजी विद्यार्थी, ग्राम सरोल्या; जाति उन्नति व उसका महत्व श्री बाबू रामेश्वरजी कोदरिया (स्टे. इन्दोर, पो. महू); जाति संबंधी जिम्हेदारियां व कर्तव्य पर आसीस्टन्ट मास्टर श्री लक्ष्मीनारायणजी कानड (ग्वालियर स्टेट); कृषि उन्नति पर आसिस्टन्ट अमीन साहब रामनारायणजी वर्मा अभयपुर (जि. ग्वालियर); जाति सुधार पर श्री शंकरलालजी खांती (जामली, जि. इन्दोर); संघ पर श्री जमादार साहब पूणसिंहजी मौना (औंकर, जि. ग्वालियर) और संघ की आवश्यकता पर श्री छगनलालजी वर्मा (उज्जैन) विगैरह ने संभाषण दिये थे।

बाद में साधारण सभा की बेठकें बार बार बेरछा में मिलती रही । इसकी रिपोर्ट और हिसाब–किताब श्री छगनलालजी की हस्तलिखित फाईल में लिखे हैं । इन साधारण सभा की सब बैठको की कार्यवाही की नोंध भी की है ।

कुर्मी क्षत्रिय बंधु संघ में शंकरलालजी (इन्दोर), बाबू रामेश्वरजी (पीपलरला), रामचंदजी बाबू दोलतरामजी (लाहोरी), दोलतसिंहदी (कूवां), बाबू दोलतसिंहजी, (झोंकर), जगन्नाथजी (बोलाई), जगदेवसिंहजी (सुनवानीगोपाल) ने अच्छा कार्य किया था।

दि. १५–१०–४३ को जो कार्यक्रम हुआ उसमें अध्यक्ष श्रीमान बाबू रामेश्वरजी थे । संघ स्थापना पर श्री १०८ स्वामी आत्मानंदजी सरस्वतीजी ने भाषण दिया था । और आधुनिक समस्या पर श्री रामकिसनजी (पलासिया), संगठन के उद्देश्य के बारे में श्री छगनलालजी (उज्जैन) वर्णव्यवस्था और कुर्मी जाति की उत्पत्ति पर श्री जगदीशसिंहजी मास्टर (पलासिया) संगठन पर श्रीमान दोलतसिंहजी (झोंकर) पशुपालन पर रामगोपालजी (इन्दोर) संघ की विशेषता पर श्रीमान दोलतसिंहजी विद्यार्थी (सरोल्या) एवं हमारा कर्तव्य पर सभापति रामेश्वरजीने शोध पूर्ण आख्यान दिये । बाद में प्रस्ताव पसार किये गए और पदाधिकारीयोंकी नियुक्तियां की गई । इन प्रस्तावोमें जाति संगठन, कुरिवाजों की नाबूदी और शिक्षा प्रचार पर जोर दिया गया था ।

श्री कुर्मी–क्षत्रिय बंधु संघ मध्यभारत का द्वितीय अधिवेशन कालीसिंध में कम उम्र में विवाह और नुक्ती (मृतक भोज) जैसी कुरीतियों की निन्दा की गई । इस संघ का काफी प्रचार हो रहा था । इसके प्रचार के लिये रामेश्वरीजी पटेल और दौलतभाई काम कर रहे थे । दौलतभाई अपने अनुभव में लिखते हैं– संघ के स्थायी प्रचार की दृष्टि से यह अनुभव में आया है कि हमारे समाज के लेवा व कडवा में आपसी खान–पान में किसी भी तरह की रुकावट नहीं है । ऐसी हालत में दृष्टि संबंध पैदा करके आगे कदम बढाने के लिये प्रचार करना बहुत ही जरूरी समझता हूं । यह बात प्रस्ताव के रूप में संमेलन में प्रस्तुत हुई ।

इस सम्मेलन में स्वर्गीय बाबू शंकरलालजी राउ, स्वर्गीय वयोवृद्ध पटेल सालगरामजी एवं स्वर्गीय श्री पूरनसिंहजी की मृत्यु पर शोक प्रकट किया गया और उनकी आत्मा की शांति के लिये ईश्वर से प्रार्थना की गई ।

द्वितीय कुर्मी अधिवेशन में पारित प्रस्ताव :

इस संमेलन में मेलादा मंडी के पुरोहितजी ने लिखकर कुछ प्रस्ताव दिये –

१. कोई प्रस्ताव पास करे व बाद में प्रमाणित अमल करे ।

२. एक स्थायी निधि कायम करे जिस में कम से कम एक लाख रूपया एकत्रित एक साल में करें । एक रूपया से लेकर जितना भी देना चाहे ले लेवे । इसकी

रसीद देवे । छपाकर रसीदें दी जावे । इस निधि से जाति उन्नति के सब काम अच्छी तरह से चल सकेंगे ।

३. जातीय संगठन के लिये फिरकेबंदी तोड दी जावे जिससे लेउवे कडवे आदि एक हो जावें ।

४. मृत्युभोज किसी भी नाम से करना बंद किये जावें । वह रूपया जाति संमेलन में लगावें ।

५. जातीय प्रचारक मुकर्रर किये जावें ।

६. कम उम्र की शादियां नहीं की जावें, यह वंश नाश करने की कुप्रथा है । इससे बडी हानियां होती हैं ।

चर्चा के बाद निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किये गये –

१. यह संमेलन अनुभव करता है कि लेवा–कडवा कुर्मी एक ही समाज की दो शाखाएं हैं, जो समय के कारण से आपसी खानपान कायम रहते हुऐ भी इनमें सिर्फ लडकी व्यवहार (शादिया) ही बंद है । समय को देखते हुए यह हमारे लिये लज्जाजनक है । यह ठीक नहीं । अपने तमाम स्वजाति लेवा, कडवा बंधुओं से निवेदन है कि सभापति रामेश्वरजीने आपसी मतभेदों को दूर कर विवाहादि पुनीत कार्यों को आरंभ करदें ।

२. यह संमेलन कम उम्र में विवाह करने और नुकता (मृतक भोज) करने की प्रथा की निन्दा करता है । और अपने स्वजाति बंधुओं से अनुरोध करता है कि कानून के अनुसार अमल करके इसे बंद करने की कोशिश करें ।

३. श्री कुर्मी क्ष. बं. सं. म. भारत के प्रथम अधिवेशन के प्रस्ताव नं. ६ व ७ के अनुसार यह सभा अपने यहां नीचे दिये गये महानुभावों की एक स्थायी कमेटी बनाना तय करती है, जो विद्यामंदिर की एक योजना बनाकर आवे । बाद में कार्यकारिणी सभा में पेश करें । साथ ही एक स्वजातीय मासिक पत्र की योजना भी पेश करें ।

सदस्य (१) बाबु श्यामसुंदरलालजी (एडवोकेट, मंदसोर)

(२) छगनलालजी वर्मा मुसद्दीपुरा, उज्जैन

(३) पूरणमजी पटेल, बेरछा

(४) चौधरी रामगोपालजी अंजड (बडवानी स्टेट)

(५) भाई देवचंदजी ढोली, कुवां (होल्कर स्टेट)

(६) रामेश्वरजी गोपालजी कोदरिया (होल्कर स्टेट)

(७) भवानी रामजी उंकारजी, देवगढ

(८) प्रभुदयालजी जमादार मैंसोदा ।

शेष तीन मेम्बरों को सभा पसन्द करेंगी ।

४. यह अधिवेशन स्वीकृत प्रस्तावों का प्रचार करावे तथा धनसंग्रह करने के लिये वेतन देकर यह कार्य करावें, भ्रमण करके संगठन और संघ को मजबूत बनावे और उनके आदर्शों को फैलावें ।

इस अधिवेशन के फलस्वरूप हम कह सकते हैं कि श्री कु. क्ष. बं. सं. मध्यभारत नामक गठबंधनने लेवा–कडवा के एक्य शिक्षा का प्रचार और जाति मासिक के विचारों का बीज बोया था । जिसके फलस्वरूप हमें सन् १९७४ में 'मध्यभारत पाटीदार समाज' के रूप में मिला । इसलिये पाटीदार समाज की प्रगति और परिवर्तन में उसका योगदान कम नहीं रहा है ।

अखिल भारतीय कुलमी क्षत्रिय अधिवेशन में और वहां से आने के बाद में सब कुलमी अपने प्रांतों में संगठन बनाने लगे थे । जिसका एक उदाहरण निम्न है –

उपर्युक्त अधिवेशन से ही प्रेरित होकर

१. चौ. शिवदास प्रसादसिंह रईस, अध्यक्ष (स्टेट वरीपाल)
२. डा. शंकरसिंह प्रधानमंत्री एवं
३. चौ. मथुराप्रसाद

ने मिलकर २७, २८, २९ दिसं. १९४४ को स्थान सजेती, तहसील घाटमपुर, जिला कानपुर में जाति के बहुमुखी सुधार एवं विकास के लिये एक बडा सम्मेलन जोर शोर से बुलाया था ।

म. प्र. व राजस्थान पाटीदार समाज में प्रगति एवं परिवर्तन (१९४०–१९८८)

पाटीदार समाज आज सारे भारत वर्ष में फैला हुआ है । सामाजिक प्रगति और परिवर्तन से खेती के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी इसका योगदान महत्पूर्ण रहा है । मध्यप्रदेश के पाटीदार अफीम और लहसून की खेती में नाम बना चुके हैं । लक्कड बाजार, सूत उद्योग, तेल उद्योग में देश में और विदेश में पाटीदारों ने अपने पुरुषार्थ से और सच्चाई से नाम बनाया है । कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसको पाटीदारों ने छूआ न हो । चाहे वह हीरे का उद्योग हो या साबून का उद्योग हो । विदेश में भी पाटीदारों ने अपने संगठन बनाये हैं । गुजरात के पाटीदारो ने लंदन और आफ्रिका में १९०२ के अरसे में संगठन बनाये थे । रंगून में बर्मा के मोती– माणेक के उद्योग के लिये काफी मात्रा में पाटीदार गये थे ।

लंदन (ब्रिटेन) में अभी अभी सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा रखनेका एक समारोह हुआ और गुजरात समाचार नामक समाचार पत्र गुजराती भाषा में लंदन में पाटीदारोंने शुरु किया।

आफ्रिका के सत्याग्रह में गांधीजी को सहयोग देने वाले पाटीदार थे। रंगून बर्मा में सुभाषचंद्र बोझ की आजाद हिन्द फोज को सहयोग देने वाले पाटीदार थे।

पाटीदार समाज पहाडों से निकलनेवाली एक बहती हुई नदी के समान है, जो निरंतर आगे बढती रहती है। उसके मार्ग में कई रोडे आये। कभी कभी उसकी प्रगति की धारा मंद भी हो गई, परंतु उसमें नया जीवन डालनेवाले उत्साही कार्यकर्ता आगे आये और उसको गति दी एवं आज मध्यप्रदेश पाटीदार समाज के नाम से सुगठित एवं सोद्देश्यपूर्ण संस्था के रूप में आपके सामने हैं। अखिल भारतीय पाटीदार संगठन के बारे में भी कुछ गति-विधियां हो रही हैं।

वे पाटीदार जो खेती के व्यवसाय के साथ जुडे रहे, वे किसान हुए एवं 'पटेल पाटीदार' नाम से परिचित हुए। महाराष्ट्रमें पाटिल कहलाये। जो लोग व्यापार में चले गए वे लोग बनिये बन गये। अब किसान जगत का तात वाली कहावत रही नही है। *किसानो नें व्यापार मे भी काफी प्रगति की हैं। विदेश में आजकल पटेलिया मोटेल्स (होटल) बना रहे हैं। उत्तरी ध्रुव पर अगर आपको मोटेल देखने को मिले तो जरुर मान लेना कि यह मोटेल पाटीदार की होगी। पाटीदार लोग गिनती वाले हैं, लेकिन इसकी गिनती जाडी होती है। इसकी सज्जनताभी खुरदरी होती है कभी वह किसी को स्पर्श करें तो भी वह कांच पेपर घीस रहा हो, ऐसा आभास होता है। उसकी भाषा तो कडक है ही, लेकिन उनका हृदय और वृत्ति निर्मल होती है।*

म. प्र. पाटीदार समाज की प्रगति और परिवर्तन पर एक नजर :

उज्जैन के राजा विक्रमादित्य द्वारा मालवा, गुजरात व पंजाब आदि के प्रदेशों को विदेशी जातियों के आक्रमण से निरापद किये जा कर स्थाई शांति व व्यवस्था कायम कर देने से विक्रम की प्रथम सदी के बाद पंजाब से कोटा और मंदसौर (दशपुर जनपद) के मार्ग से होकर मालवा के एवं गुजरात के अंचलों में कुर्मी (पाटीदार) समाज के परिवार बसने लगे।

समाज की ऐसी स्थिति में कुछ कुर्मी मालवा में भी बसे और कुछ गुजरात के ऊंझा के आसपास के क्षेत्रों में बसने लगे, परन्तु मालवा के अन्ततः कुर्मी भी गुजरात में अपने कुटुम्बियों के साथ रहने की लालसा से निकलते गये और गुजरात में बसते गये। गुजरात में भारी अकाल के समय कुछ कुर्मी मध्यप्रदेश चले गये। अतः गुजरात, म. प्र., राजस्थान के नाम और गौत्र संज्ञाओमें समानता है। गुजरात के कुर्मी खेती के लिये भारतभर में मशहूर थे। होलकरोंने उनको आमंत्रित किया।

म.प्र. पाटीदार समाज के चतुर्थ अधिवेशन में मुख्यमंत्री श्री चिमनभाई पटेल अतिथि विशेष के रुपमें पधारे थे. श्री परशुरामजी पाटीदार और श्री किसनभाई पटेल दिखाई देते है. गुजरातके मुख्यमंत्री के रुप मे श्री चिमनभाई पुनः पदारुढ हुए हैं.

पाटीदार समाजका चतुर्थ अधिवेशन : शाजापुर

मुख्य अतिथि श्री चिमनभाई पटेल का स्वागत करते हुए श्री हरीराम पाटीदार समीप बेठे हैं श्री किशनभाई पटेल.

म. पाटीदार समाज चतुर्थ अधिवेशन

शाजापुर (म.प्र.)

श्री छगनलालजी पाटीदार, श्री अजयकुमार सेन्डो, सिद्धनाथ पटेल, श्री लक्ष्मीचंदजी भेमसिंह पाटीदार, किशनभाई पटेल, पुरुषोत्तम पाटीदार, डॉ. राजेन्द्रप्रसाद पाटीदार

सरदार पटेल युवा संगठन उज्जैन को सम्बोधित करते हुए डॉ. पाटीदार मंच पर बैठे श्री भानुभाई पटेल, श्री बद्रीलाल पाटीदार, श्री चैनसिंह पाटीदार, श्री परशुराम पाटीदार, श्री रमेशचंद्र जुझारिया

कहा जाता है कि कुर्मी परिवार गुजरात से नवी सदी के प्रारंभमें पुनः मालवा की ओर आकर्षित हुऐ और शाजापुर, उज्जैन, मन्दसौर, धार के क्षेत्रों में बसे । इन पाटीदारों को आगे चलकर मालवी पाटीदार पुकारा गया, क्योंकि इनमें १० वर्षीय लग्न पद्धति प्रचलित नहीं थी ।

परन्तु १६वी सदी के अन्त के मध्य समय के लगभग गुजरात के आसपास क्षेत्रों से कई पाटीदार परिवार मालवा के इन्दौर, उज्जैन, देवास, रतलाम एवं मन्दसौर क्षेत्रों में आकर बसे हैं । ये पाटीदार परिवार विशेष रूप से अपनी ऊंझा की १० वर्षीय सामुहिक विवाह पद्धति साथ लेकर आये, इसलिये इन्हें गुजराती कुर्मी पाटीदार कहे जाते रहे हैं । इसके पश्चात निमाड व खरगौन क्षेत्रों में भी गुजरात से पाटीदार परिवार आकर बस गये हैं । मध्यप्रदेश में मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, देवास, सिहोर, राजगढ, झाबुआ, इन्दौर, भोपाल, धार, खरगोन, खण्डवा के जिलों में कुर्मी–कुल्मी–कुलम्बी पाटीदार आदि के नाम से पुकारा जाता है ।

मध्यप्रदेश में 'पाटीदार लोक' श्री रमेश्वर पाटीदार, भंवरलाल पाटीदार, परशुराम पाटीदार एवं राधेलाल पटेल के द्वारा सन् १५ अगस्त १९५२ में प्रकाशित व संचालित हुआ है । इसका सम्पादन सन् १९५७ तक श्री रामेश्वरजी करते रहे है । 'कडवा विजय' पत्रिका ने कहा – 'एक तीथिना लग्ननी अधर्म्य लग्न प्रथाएं समाप्त करों' मृत्युना लाडू बंद करों' । पाटीदार लोक ने मंत्र फूंका 'बाल विवाह समाप्त करों' 'मृत्यु भोज बंद करों' । जिसमें समाजसुधार एवं संगठन आदि विषयों पर लेख, कविता आदि प्रकाशित होते थे । दिनांक २७–२–१९३४ में उज्जैन में 'कुलम्बी कुल भूषण' नामक दण्ड संहिता कडवा व लेवा पंचोंने प्रकाशित की थी; जो सुधार के लक्ष्यों के लिये बनाई गई थी ।

सन् १९४० में मंदसौर जिले के लासूर के पटेल श्री भगतीरामजी एवं भंवरलालजी पटेल निवासी बरूजना व उनके साथियों ने बाल विवाह बंद कराने का कदम बाल विवाह प्रचलित कानून का सहारा लेकर उठाया था । दस वर्षीय विवाह की रोकथाम हेतु ग्राम पिपलया जोधा में श्री भंवरलालजी के यहां होने वाले एक सामाजिक भोज में एक सभा आयोजित करके इस प्रथा के गुणदोष के ऊपर विचार किया गया । परन्तु सफलता नहीं मिली । १९५० में भाई रामेश्वर पाटीदार प्रधान सम्पादक 'पाटीदार लोक' ने 'बाल विवाह' की बुराई पर एक छोटी पुस्तिका प्रकाशित की व समाज की मीटिंग मन्दसौर नगरपालिका भवन में करके बाल–विवाह रोकने के प्रयास किये गये; पर वे निष्फल रहे । इस प्रकार बाल विवाह रुका तो नहीं, किन्तु समाज में एक वैचारिक क्रांति अवश्य उत्पन्न हुई ।

इसके पूर्व श्री छगनलालजी वर्मा एवं उनके साथियोंने श्री कुर्मी क्षत्रिय बंधु संघ (मध्यभारत) १५–१०–१९४३ में स्थापित किया जो अपने कालीसिंध के १९४६ के अधिवेशन के पश्चात् समाप्त हो गया । इस संस्था के अध्यक्ष श्री रामचन्द्रजी पिपलरांवा थे और प्रधानमंत्री गोवर्धनलालजी अभयपुर थे ।

इस संस्थाने भी मध्यप्रदेश के कुर्मी समाज में सुधारों की हलचल पैदा की थी ।

सन १९४८–१९४९ में शाजापुर, राजगढ एवं झालावाड जिले में प्रसिद्ध समाजसेवी एवं दानी स्व. शेठ श्री नाथुलालजी पटेल (पीपल्या कुलमी) राजगढ एवं स्व. तपस्वी रामलखनदासजी ने श्री लेवा कुर्मी समाज हितैषी संगठन कायम किया; जिसका प्रथम अधिवेशन सन् १९४९ में श्री बालाजी (म.भा.) में हुआ । इसके माध्यम से समाज सुधार के कार्यक्रम प्रस्तुत किये गये । अपने क्षेत्र में उनके कार्यक्रम सिद्धनाथजी पटेल (मताना) श्री हरिनारायणजी पटेल (मोमन वडोदिया) एवं श्री सीतारामजी पटेल खोरिया (मा शाजापुर) आदि ने 'श्री लेवा कुलमी समाज संघ म. प्र. व राजस्थान' नामक संगठन की प्रवृत्तिओंमें सहयोग देकर समाज को नई दिशा दी और आगे बढाया । इस संघ का प्रभाव समाज की प्रगति एवं परिवर्तन पर अच्छा प्रभाव पडा ।

गुजरात में यही कार्य सन् १९०९ में कडवा पाटीदार परिषद के गठन व अधिवेशन द्वारा हुआ था । यह संगठन कडवा पाटीदार शुभेच्छक समाज के नामसे बाद में 'कडवा पाटीदार परिषद' के नाम से जाना गया । इसमें दो प्रतिनिधि मालवा और निमाड के थे । मालवा के सेक्रेटरी जावद के भक्तिरामजी मेघराजजी और निमाड के सेक्रेटरी कसरावद के ओंकारजी हीराजी दावडा थे । ऐसा समाज चरोतर पाटीदार का भी हुआ । बाद में जानेमाने कडवों और लेवोंने संगठन करने का प्रयास किया । जैसे गोविंदभाई देसाई ने उत्तर गुजरात में किसान मंडल की १९१० में नींव डाली । कुंवरजी और कल्याणजी महेता नाम के दो भ्राताओं और बडौदा के बहेचरदास सयाजीराव और छोटुभाई मगनभाई बेरीस्टर, डो. पीताम्बर पटेल, और चुनीलाल वनमालीदास, भावनगर के मुळजीभाई जेठाभाई, सूरत के पुरुषोत्तम फकीरभाई; बडौदा के पुरुषोत्तमभाई मास्तर, कच्छ के नारायण मीस्त्री, पोपटभाई पटेल, वीरमगाम के कुमार रायसिंहजी देसाई और पुरुषोत्तम परीख, ध्रांगध्रा के अमरसिंह देसाई और जाने माने प्रोफेसर जेठाभाई स्वामिनारायणने लेवा कडवा पाटीदार समाज–सुधारके प्रयास किये ।

बांझ, मोता, भावनगर, गोंडल (सौराष्ट्र)में पाटीदार परिषदे हुई । गोंडल की परिषद में गांधीजी अध्यक्ष पद पर थे । पाटीदार समाज के सुधार की दिशा में उन्होंने सुझाव भी दिये थे । खेती और शिक्षाक प्रचार की दिशा में काफी निर्णय लिये गये । सुधार होने लगे और कुरीतियों की समाप्ति होने लगी । लेवे और कडवे एक दूसरे के संमेलनों में आने जाने लगे । दोनों संगठनों के मासिक–पत्रों में दोनों समाजें की प्रगति और परिवर्तनो के बारे में खबरें भी छपने लगी । सरदार वल्लभभाई पटेल, विठ्ठलभाई पटेल, नरसिंहभाई पटेल (संपादक 'पाटीदार') श्री मगनभाई बेरीस्टर, गोविंदभाई देसाई, दरबार गोपालदास देसाई,

कुमारी मणिबेन पटेल (सरदार पटेल की सुपुत्री) और श्रीमती भक्तिबा (दरबार गोपालदास की पत्नी) लेवे पाटीदारो नें कडवा पाटीदार परिषदों के आतिथ्य पद स्वीकार किये थे और उन महानुभावो नें कडवे–लेवे का भेद मिटा कर 'पाटीदार' बनने का उपदेश दिया था। अहमदावादमें क. पा. युवा संगठनने प्रेतभोज उन्मूलन हेतु जाफराबाद में संघर्ष किया तब सरदार पटेलने पूर्ण सहयोग दिया था। दरबार गोपालराय और सरदार पटेल ने बाल–शादी के खिलाफ आवाज उठाई थी। सरदार को भी जाति बहिष्कार का भोग बनना पडा था।

सन् १९१० से गुजरातकी पाटीदार महिलाओंमें जागृति आई थी। १९२० में घाटकोपर (मुंबई) में अधिवेशन हुआ। इसमें महिलाएं आई थी। कच्छ पाटीदार समाज के अधिवेशनमें भी कच्छी महिलाएं आई थी। जब आर्यसमाजी नारायणजी मिस्त्रीने पीराणा पंथ के खिलाफ आवाज उठाई और स्वधर्म में वापस आने की बात की, तब कई महिलाओंने भी पीराणा पंथ छोडकर हिंदू बनने के आंदोलन में सहयोग दिया था।

कु. मणिबेन पटेल, श्रीमती भक्तिबा देसाई, श्रीमती डाहीबेन और श्रीमती पार्वतीबेन देसाई जैसी महिलाओंने लेउवा समाज में दहेज और विधवाओं पर होते अत्याचारों के विरोधों में आवाज उठाई। कुलीनशाही के विरुद्ध भी संघर्ष किया। इन जागृत बहनोंने भगिनी समाज की रचना की थी और कई परिषदें भी की थी।

सोनासण (हिंमतनगर) तोरणा (खंभात) और बावळामें जो परिषदें हुई, उनके साथ ही साथ कडवा पाटीदार महिलाओं नें महिला परिषदों द्वारा बाल विवाह निषेध, लडके लडकी का भेद मिटाने के लिए और महिलाओं में शिक्षा वृद्धि के लिये काफी प्रचार किया। इसमें श्रीमती पार्वतीबेन पुरुषोत्तम पटेल (बावला)ने बहुत सहयोग दिया था।

गुजरातभर में अब महिला जागृति आ गई है। जगह जगह महिला संगठनों का जन्म हुआ है। महिलाएं अपने अधिकारों के लिए जाग्रत हो गई हैं। सन् १९८६ में ऊंझा में भूज की श्रीमती भानुबेन की अध्यक्षतामें महिला परिषद का आयोजन हुआ जिसमें बारह हजार महिलाओं ने भाग लिया था। इस संमेलन के पूर्व श्रीमती पार्वती मंगुभाई पटेल और उनकी सहकार्यकर्त्रियों ने समाज यात्रा भी की थी। इस संमेलन को सफल बनाने में पार्वती बेन का भी सहयोग रहा।

इस संमेलन से स्त्रियोंमें जागृति अवश्य पैदा हुई, लेकिन सुधार की दिशा में अधिक काम नहीं हुआ।

सन् १९७४ में मध्यप्रदेश में शिक्षा का प्रचार होने से और सुधारात्मक आंदोलन के जोर पकडने से जागृति पैदा हुई है। मध्यप्रदेश में स्त्रियों में शिक्षा का प्रचार कम है। लडकियों के लिये पढने की सुविधाए नहीं है। बाल विवाह की मात्रा ज्यादा होने से वहां दसवी कक्षा के बाद पढाई बंद कर देते हैं। १९७४ से महिला संमेलनभी होते रहते हैं। गुजरात से बहनोको भी आमंत्रित करके विचारों का आदान–प्रदान करते हैं। मालवा पर मुस्लिम शासन का प्रभाव होने से अभी भी समाज में घूंघट प्रथा ज्यादा है। घूंघट की प्रथा मालवा निमाड में अधिक है। अब कन्या छात्रावास शुरु हो रहे हैं और जागृति आ रही है।

"म. प्र. पाटीदार समाज संगठन का इतिहास"
(पाटीदार समाज पर पांच अधिवेशनों का प्रभाव)

सन् १९५५ में इन्दौरमें श्री परशुरामजी तथा भाई खेमचंदजी के प्रयासों से श्री पाटीदार युवक मण्डल नामकी संस्था स्थापित हुई, जिसके तत्वावधानमें सन् १९५७ में अखिल भारतीय पाटीदार समाज संमेलन आयोजित हुआ । इसमें मध्यप्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान तक के ४०० प्रतिनिधियोंने भाग लिया था और इसकी अध्यक्षता ऊन निवासी श्री विष्णुरामजी 'सुमनाकर' ने की थी । यह संमेलन मध्यप्रदेश पाटीदार समाज के विभिन्न जिलों के पाटीदारों को संगठित करने और जागृति पैदा करने की दिशा में सफल रहा और इसमें 'पाटीदार लोक' पत्रिका को जीवित रखने का प्रयास किया गया ।

१९५९ में पाटीदार समाज का संगठन बना, जिसके संयोजक श्री परशुरामजी थे । सन् १९६० में मन्दसौर जिले में १० वर्षीय प्रथा के अन्तर्गत सामुहिक बाल लग्न का वर्ष आया । बाल-विवाहों को रोकने के लिये मन्दसौर जिले में श्री परशुराम पाटीदार श्री रामेश्वरजी, श्री भँवरलालजी पिपलिया, (जोघा) एवं श्री प्रभुलाल पटेल चिल्लोद पिपलिया के प्रयासों से 'कुर्मी पाटीदार संघ' की स्थापना की गई । श्री परशुरामजी को उसका सचिव एवं श्री प्रभुलाल पटेल को उसका अध्यक्ष निर्वाचित किया गया । बाल-विवाह एवं मृत्युभोजों को समाप्त करने के लिये एक आन्दोलन चलाया गया जिसमें मन्दसौर कलेक्टर एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री कैलाशनाथ काटजू का राजकीय सहयोग लिया गया । इससे बहुत सारे बाल-विवाह होते हुए रूक गए और सामाजिक जागृति एवं चेतना की एक जोरदार लहर चली । नवयुवकों ने बाल-विवाह विरोध में अनशन किये और इससे बाल विवाहों का घर घर में विरोध शुरू हुआ । सन् १९६८ में ग्राम राऊ में 'श्री पाटीदार समाज इन्दौर', भाई खेमचंदजी के व उनके क्षेत्रिय साथी श्री किशनभाई, श्री रामचन्द्र मुकाती, श्री हरिनारायण हरनिया आदि के प्रयासों से 'श्री पाटीदार समाज इन्दोर' प्रस्थापित हुआ परन्तु संस्था का विधान पारित करने के लिये दिनांक १-१२-६८ को बुलाई गई बैठक में विधान की धाराओं को लेकर विवाद खडा हो जाने से बाद में संस्था एक दिन भी नहीं चल पाई ।

दिनांक २-१०-१९७४ को मंदसौर नगर में मंदसौर जिले के सामाजिक कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित हुई जिसमें 'मन्दसौर जिला पाटीदार समाज' की स्थापना की गई । संस्था का अध्यक्ष श्री परशुराम पाटीदार को चुना गया । श्री प्रहलाद पाटीदार उपाध्यक्ष एवं श्री मोहनलाल पाटीदार सचिव चुने गये । संस्थाने अपना पहला अधिवेशन सन १९७४ में मन्दसौर नगर में ही आयोजित किया और संगठित होकर समाज सुधार का

बिगुल बजाया गया। कृत संकल्प कार्यकर्ताओंने अगले वर्ष ग्राम प्रतापपरा तथा बाद में नीमच में अपने अधिवेशन आयोजित किये और अति उत्साह में दिनांक २-१०-७४ को 'मंदसौर जिला पाटीदार समाज' 'संस्था के तत्वाधान में मध्यप्रदेश पाटीदार समाज के प्रबुद्ध कार्यकर्ताओं का श्रीराम मन्दिर पर एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें प्रांत व राजस्थान के सुदूर जिलों से प्रतिनिधि उपस्थित हुए तथा दिनांक २-१०-७४ को मध्यप्रदेश पाटीदार समाज संगठन की स्थापना की गई। संगठन के अध्यक्ष श्री किशनभाई गवली पलासिया इन्दौर एवं परशुराम पाटीदार मन्दसौर के सचिव और सहसचिव श्री रामनारायणजी गामी नियुक्त किये गये। जिले वार कार्य समिति में तीन तीन सदस्य लिये गये। आगे चलकर संस्था का प्रजातांत्रिक विधान पारित किया गया और उसके लक्ष्यों के अनुरूप मध्यप्रदेश पाटीदार समाज को संगठित करने एवं उसकी सामाजिक जागृति के सुधारवादी कार्यक्रमों को लागु करने के लिये उज्जैन में मध्यप्रदेश पाटीदार समाज का पहला प्रांतीय अधिवेशन बुलाया गया जिसमें प्रत्येक जिले से सभी सुधारवादी ५ हजार कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इसमें समाज संगठन और सुधार के क्रांतिकारी प्रस्ताव पारित किये गये।

१ : बाल विवाह की प्रथा को समाप्त किया गया।

२ : प्रतिवर्ष अक्षय तृतीया एवं वसन्त पंचमी पर बालिग सामुहिक विवाहों का आयोजित करने का संकल्प पारित किया गया।

३ : कडवा लेवा भेदभाव समाप्त कर विवाह सम्बन्ध स्थापित किये जाने का संकल्प पारित किया गया।

४ : मृत्यभोज की प्रथा को समाप्त किया गया तथा मृत्युभोज की चिट्ठियां नहीं लिखने का संकल्प पारित किया।

५ : 'शिक्षा हमारे समाज के विकास का मूल मंत्र है' नारे को कार्यान्वित करने के लिये प्रत्येक जिले में जिला पाटीदार समाज ट्रस्ट स्थापित किये जाकर छात्रावासों के निर्माण का संकल्प पारित किया गया।

अधिवेशन के मुख्य अतिथि पूर्व श्रम मंत्री श्री श्यामसुंदर पाटीदार, श्री कांतिभाई पटेल (इन्दौर) एवं श्री राजामणि पटेल (जो राजस्व मंत्री रहे), एम. एल. ए. श्रीमती शान्ताबेन पटेल विशेष अतिथि थे। अधिवेशन की अध्यक्षता श्री किशन भाई पटेल गवली पलासिया (इन्दौर) एवं अधिवेशन की कार्यवाही का संचालन सचिव श्री परशुराम पाटीदार एडवोकेट (मन्दसौर) ने किया। श्री छगनलालजी स्वागताध्यक्ष ने स्वागत भाषण दिया। संमेलनमें कृषि को छोड अन्य उद्योगों एवं व्यवसाय में आर्थिक विकास के लिये आव्हान किया गया।

मध्यप्रदेश पाटीदार समाज संगठन के प्रत्येक जिलेवार जिला पाटीदार समाज कार्य समितियों का निर्वाचन किया गया और जिलेवार अधिवेशन आयोजित किये जाकर संगठन को मजबूत करने का आव्हान किया गया। अधिवेशन समाज को संगठित करने की दिशामें बहुत सफल रहा।

शीघ्र सन् १९७८ में मध्यप्रदेश पाटीदार समाज के जिला स्तर पर निर्वाचन करवाये गये और विधान के अनुसार प्रांतीय कार्य समिति के निर्वाचन सम्पन्न हुए। उसमें श्री खेमचंद भाई को अध्यक्ष एवं श्री राजाराम पाटीदार सचिव चुने गये। प्रथम अधिवेशन के प्रस्तावों को कार्यान्वित करने के लिये उज्जैन में ही **दूसरा प्रांतीय अधिवेशन** आयोजित किया गया। उसमें महिला सम्मेलन का भी श्री गणेश किया गया। तथा समाज सेवियों एवं प्रतिभाओं का सम्मान एवं उन्हें पुरस्कृत करने की प्रथा प्रचलित हुई।

प्रसिद्ध साहित्यकार एवं समाजसेवी श्री विष्णुरामजी सनावदा 'सुमनाकर' एवं श्री रामेश्वरजी पाटीदार प्रधान सम्पादक 'पाटीदार लोक' एवं श्री छगनलालजी वर्मा का सम्मान किया गया। मध्यप्रदेश पाटीदार समाज स्मारिका प्रकाशित की गई जिसका सम्पादन श्री भंवरलालजी कुल्मी व्याख्याता ने किया। सम्मेलन में गुजरात के श्री केशवभाई पटेल ऊंझा ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं मणिभाई भी सम्मिलित हुए थे। सम्मेलन की अध्यक्षता श्री खेमचंदभाई ने की।

अधिवेशन के पश्चात् सचिव श्री राजाराम पाटीदार संगठन चलाने में असमर्थ रहे और उन्होंने सचिव पद से त्याग पत्र दे दिया। फलस्वरूप श्री मांगीलाल पाटीदार व्याख्याता निवासी कवडिय (निमाड) को संगठन का सचिव निर्वाचित किया गया। श्री मांगीलाल पाटीदार ने सचिव पद पर रह कर समाज संगठन की दिशा में दृढतापूर्वक कार्य किया। इन्दौर जिला पाटीदार समाज के तत्वावधान एवं आमंत्रण पर संगठन का तृतीय अधिवेशन रंगवासा ग्राम में आयोजित हुआ, जिसमें निमाड व मालवा पाटीदार समाज ने बडा उत्साह दिखाया और लगभग ४ हजार प्रतिनिधियों ने सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के संकल्प लिये। महिला सम्मेलन में घूंघट प्रथा को समाप्त किया गया। समाज में व्याप्त छूट-मेल (तलाक) आदि की बुराई को समाप्त करने के लिये प्रभावी कदम उठाये गये।

इन्दौर में छात्रावास निर्माण करने के लिये एक समिति का गठन किया गया। श्री जगन्नाथजी पटेल जोशी, गुराडिया; श्री पुरुषोत्तम मुकाती, रंगवासा; श्री चतुर्भुजजी, राऊ; श्री रामचन्द्रजी, रंगवासा तथा मोटा भाई ने व गांव रंगवासा की जनता ने अधिवेशन को सफल बनाने में अथक परिश्रम किया। अधिवेशनकी अध्यक्षता श्री

खेमचंद भाई अध्यक्ष मध्यप्रदेश पटीदार समाज ने की और मुख्य अतिथि श्री परशुराम पाटीदार एडवोकेट, अध्यक्ष मंदसौर जिला पाटीदार समाज एवं श्री रामेश्वरभाई पाटीदार विशेष अतिथि थे। श्री मांगीलाल पाटीदार सचिव ने अधिवेशन की कार्यवाही का संचालन सफलतापूर्वक किया। मध्यप्रदेश पाटीदार समाज के विधानानुसार निर्वाचन का निर्णय लिया गया तथा तहसील स्तर सें समितियों का गठन कर निर्वाचन सम्पन्न करने के लिये श्री प्रहलाद पाटीदार (प्राध्यापक, डिग्री कॉलेज मंदसौर) को निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया जिन्होंने संगठन के निर्वाचन तहसील स्तर से प्रांत स्तर तक सफलतापूर्वक सम्पन्न किये।

अप्रैल माह १९८१ में प्रांतीय महासभा की कार्यसमिति के निर्वाचन निर्विरोध सम्पन्न हुए। उसमें श्री परशुराम पाटीदार एडवोकेट मंदसौर तृतीय प्रांतीय अध्यक्ष और श्री मांगीलाल पाटीदार व्याख्याता कवडिया सचिव निर्वाचिन किये गये।

कार्य समिति ने शाजापुर जिला पाटीदार समाज के निमंत्रण पर शाजापुर नगर में संगठन का **चतुर्थ अधिवेशन** दिनांक ३०-३१ मई १९८१ को आयोजित किया; जिसमें मध्यप्रदेश एवं राजस्थान पाटीदार समाज के सभी जिलों को मिलाकर १० हजार प्रतिनिधियोंने भाग लिया। अधिवेशन की अध्यक्षता श्री परशुराम पाटीदार अध्यक्ष मध्यप्रदेश पाटीदार समाज ने की। कार्यवाही का संचालन श्री मांगीलाल पाटीदार सचिवने किया। मुख्य अतिथि श्री किशंनभाई तथा गुजरात प्रांत के पूर्व मुख्यमंत्री श्री चिमनभाई पटेल थे।

शाजापुर अधिवेशन में युवा संमेलन, महिला संमेलन के अतिरिक्त किसान संमेलन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम की नई विधाओं को भी प्रारंभ किया गया। अधिवेशन में १- बाल विवाह, २-बाल सम्बन्ध, ३-मृत्यु भोज, ४-विवाह विच्छेद, ५-अंध विश्वास आदि कुप्रथाओं पर प्रहार किये गये और उन पर प्रभावी प्रतिबंध लगाने वाले संकल्प पारित किये। प्रतिभाओं एवं समाज सेवियों के सम्मान किये गये। शाजापुर में छात्रावास निर्माण के लिये एक लाख रुपये एवं भूमि दान की घोषणा भी की गई।

मध्यप्रदेश पाटीदार समाज की रीति नियमों का प्रचार-प्रसार करने के लिये समाज की प्रांतीय कार्य समिति द्वारा पत्रिका प्रकाशन का संकल्प पारित किया गया तथा संगठन का कार्यालय-भवन निर्माण करने का प्रस्ताव पारित किया गया।

अधिवेशन को जिला पाटीदार समाज के अध्यक्ष श्री भेरूसिंहजी दुपाडा, स्वागताध्यक्ष श्री लखमीचन्दजी पटेल लाहोरी, श्री निर्भयसिंहजी बोलाई, श्री हिंमतसिंहजी, श्री भीमावत, श्री दुलीचंद पाटीदार व्याख्याता, श्री मणीशंकर व्याख्याता एवं श्री शिवनारायण इंद्रिया (एडवोकेट, शाजापुर)ने सफल आयोजन के लिये अहम् भूमिका निभाई।

अधिवेशन के निर्णय के अनुसार प्रांतीय कार्य समिति ने 'पाटीदार जागृति' प्रकाशन का निर्णय लिया और २-१०-१९८१ को समाजसेवी श्री निर्भयसिंहजी बौलाई ने प्रथम अंक का विमोचन किया। जागृति के संरक्षक कार्य समिति के पदेन अध्यक्ष बनाये गये। श्री खेमचन्दभाई को पाटीदार जागृति का प्रधान सम्पादक नियुक्त किया गया। इन्दौर से छपाई व प्रकाशन प्रारंभ हुआ। शीघ्र ही पत्रिका का प्रकाशन समाज में लोकप्रिय होता गया, परन्तु श्री देवचन्दभाई ने अपनी निजी कठिनाईयों के कारण प्रधान सम्पादक पद से त्याग पत्र दे दिया और कार्यसमिति के निर्णय के अनुसार पाटीदार जागृति का प्रकाशन मन्दसौर जिला पाटीदार समाज को मन्दसौर से प्रकाशन करने के लिये कार्यभार सौंपा गया। श्री प्रहलाद पाटीदार व्याख्याता मंदसौर को प्रबन्ध सम्पादक एवं श्री रामेश्वर पाटीदार (पूर्व 'पाटीदार लोक' के सम्पादक) को प्रधान सम्पादक नियुक्त किया गया। तब से आज दिन तक नियमित रूप से पाटीदार जागृति मंदसौर से प्रकाशित हो रही है।

गुजरात एवं मध्यप्रदेश पाटीदार समाज, द्वारा अखिल भारतीय पाटीदार समाज का गठन प्रस्ताव पारित किया जा चुका है। गुजरात प्रांत से ऊंझा संस्थान के अध्यक्ष श्री केशवभाई पटेल, श्री मणिभाई (मम्मी); इतिहासकार डॉ. मंगूभाई पटेल, श्री मणिबेन पटेल, जयंतिलाल पटेल व उनके साथियों ने मध्यप्रदेश की यात्राएं की हैं और गुजरात एवं मध्यप्रदेश पाटीदार समाज की एकता व संगठन कायम करने की भूमिका तैयार की है। मध्यप्रदेश एवं गुजरात पाटीदार समाज के कार्यकर्ताओं का एक ऊंझा में सन् १९८७ में सम्मेलन भी आयोजित हुआ है, जिसमें गुजरात एवं मध्यप्रदेश पाटीदार समाज के लिये ऐतिहासिक रूप से एकता स्थापित करने की दिशा में मार्ग प्रशंस्त हुआ है।

सन् १९८५ में मध्यप्रदेश पाटीदार समाज के आम निर्वाचन सम्पन्न हुए जिसमें श्री चैनसिंह पाटीदार (अभयपुर) अध्यक्ष एवं श्री प्रहलाद पाटीदार व्याख्याता (मंदसौर) सचिव चुने गये हैं। श्री चैनसिंह की अध्यक्षता में मंदसौर जिले के नगर नीमच में मध्यप्रदेश पाटीदार समाज का **पांचवा अधिवेशन** २१ व २२ मई १९८८ को सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। जिसमें ७ हजार कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। गुजरात से केशवभाई पटेल के नेतृत्त्व में प्रतिनिधि मण्डल ने भाग लिया है और मुख्य आतिथ्य ग्रहण किया है। जिसकी पूर्ण रिपोर्ट 'पाटीदार जागृति' 'धरती' और "उमियादर्शन" (अहमदाबाद) के जून अंकों में प्रकाशित हुई थी।

सन् १९८८ में १ मई को ग्राम समिति के, १५ मई को तहसील समिति के, २९ मई को जिला कार्यसमिति के एवं १२ जून को प्रांतीय कार्यसमिति के चुनाव प्रो. बंसीलाल पाटीदार (विधि व्याख्याता, माधव कालेज-उज्जैन, प्रांतीय निर्वाचन अधिकारी) के निर्देशन में सम्पन्न हुए, जिसमें डॉ. प्रहलाद पाटीदार मंदसौर प्रांतीय अध्यक्ष एवं श्री रमेशचंद पाटिल बदनावर (धार) प्रांतीय सचिव चुने गये हैं। उपाध्यक्ष

हरीराम पाटीदार (एडव्होकेट – रतलाम) कन्हैयालाल सूर्या मउखेडा (तह. बागली), डॉ. शंकरलाल पाटीदार (भोपाल) और सहसचिव श्री जयराम पाटीदार पिपल्या (उज्जैन), कोषाध्यक्ष श्री मानसिंह पाटीदार (उज्जैन), उपकोषाध्यक्ष श्री जगन्नाथ भालोट (नलखेडा), चुने गये ।

(मध्यप्रदेश पाटीदार समाज के १९५० से लेकर सन् १९८८ तक की प्रगति और परिवर्तन के श्री परशुराम पाटीदार, एडवोकेट (मन्दसौर) प्रत्यक्ष साक्षी हैं । अपने पास उपलब्ध रेकार्ड के आधार पर जो सामग्री भेजी है, उसे यहां आधार मानकर इतिहास में लिखा है । में उनके इस सहयोग के लिये आभारी हूं । – **लेखक**)

इसके पूर्व हमने मध्यप्रदेश पाटीदार समाज के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवे अधिवेशनों की गतिविधियों की चर्चा की हैं । दूसरे अधिवेशन के अवसर पर म. प्र. पाटीदार समाज की एक महत्त्वपूर्ण स्मारिका प्रकाशन का श्रेष्ठ कार्य किया गया था । इस स्मारिका में म. प्र. में कुलमी समाज कितने गांवों में बसा हुआ है, उसकी परिवार संख्या सहित जानकारी दी है । समारिका के संपादक श्री भंवरलाल कुलमी प्राध्यापक और श्री बंसीलाल पाटीदार प्राध्यापक अभिनन्दन के अधिकारी हैं । यह स्मारिका द्वितीय अधिवेशन मुकुट की चन्द्रिका समान है । इस संबंध में म. प्र. पाटीदार समाज के सचिव श्री राजाराम पाटीदार ने कहा –

"मुझे अत्यन्त हर्ष हो रहा है कि मध्यप्रदेश पाटीदार समाज के द्वितीय प्रान्तीय अधिवेशन के अवसर पर आपको एक स्मारिका उपलब्ध हो रही है । यह स्मारिका मध्यप्रदेश के मालवा, निमाड एवं राजस्थान के १६–१७ जिलों में दूरदराज में बसे गांवों के पाटीदार बन्धुओं को नजदीक लाने एवं एक सूत्र में बाधने में सहायक होगी । इसमें विभिन्न जिलों की तहसीलवार अपने समाज के गांवो की परिवार संख्या आदि के साथ जानकारी दी जा रही है ।

समाज का विकास तभी सम्भव है जब हमारा प्रत्येक बन्धु अपने मन में यह ठान ले कि बच्चों को शिक्षा दिलावे, उन्नत ढंग से खेती करे एवं समाज के विकास कार्यों में अपना सहयोग प्रदान करे । समाज में कुछ कुरीतियां हैं–जैसे बाल विवाह, मृत्युभोज आदि एवं अन्य कार्यों में अपनी क्षमता से अधिक खर्च करना । इन बातों पर यदि थोडा ध्यान दिलाया जावे तो अवश्य ही समाज बहुत शीघ्र आगे बढ सकता है ।

मुझे पूर्ण विश्वास है गांव स्तरीय, जिला स्तरीय अधिवेशन एवं प्रान्तीय अधिवेशन समय समय पर होते रहेंगे एवं उनके माध्यम से समाज सुधार के लिए शिक्षित किया जावेगा, तो अवश्य ही उसका असर होगा; क्योंकि 'रसरी आवत जात ते सिल पर परत निसान' बार बार की समझाईश अवश्य अपना असर करेगी ।"

म. प्र. पाटीदार समाज के अध्यक्ष श्री खेमचंदभाई पाटीदार ने कहा –

"उठो जागो और जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो, कार्य में लगे रहो ।"

मध्यप्रदेश पाटीदार समाज के लिये यह एक आव्हान है । जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये उठ खडा हुआ है, और जिसने आगे कदम बढाने का निर्णय ले लिया है; प्रत्येक व्यक्ति और समाज फिर वह कितना ही छोटा या गिरा हुआ क्यों न हो, यदि एक बार दृढता से यह

निर्णय कर लेता है कि उसे आगे बढना है, अपनी दुर्बलताओं से उपर उठना है, अपनी कमियों को दूर करना है, तो फिर कोईभी शक्ति, कोई भी ताकत उसे अपने मार्ग से हटा नहीं सकती ।

आप जानते ही हैं कि यदि किसी व्यक्ति के शरीर का आधा अंग लकवे से पीडित हो तो वह व्यक्ति अपने पैरों पर खडा नहीं रह सकता । उसी तरह यदि समाज का एक अंग महिलाओं का अशिक्षित पीडित एवं दकियानूसी रहा तो भी समाज आगे नहीं बढ सकता; क्योंकि सामान्यतः पुरानी रूढियों को बदलने में महिलाये ही आडे आती है । इस लिये पाटीदार समाज महिलाओं को शिक्षित एवं जाग्रत करने का भी संकल्प करता है । कहा गया है कि "एक गुणवती माता सौ अध्यापकों से भी वढकर है" ।

अतः मेरा समस्त पाटीदार भाई एवं वहिनों से निवेदन है कि वे खुले दिमाग से सोचें, सामाजिक झूठी मान्यताओं को त्यागे, शिक्षा एवं आर्थिक क्षेत्र में आगे आवें एवं समाज के साथ पूर्ण सहयोग करते हुए अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करे तथा देश की प्रगति में हाथ बटावें । इसी में आपका भला है, समाज का भला है, देश का भला है ।

सन १९७८ की गणना के आधार पर पाटीदार समाज एक दृष्टि में (मालवा-निमाड एवं राजस्थान क्षेत्र)

क्रम.	जिला	प्रदेश	कुल पाटीदार गाँवों की संख्या	कडवा पाटीदार गाँवों की संख्या	लेवा पाटीदार गाँवों की संख्या	कडवा लेवा सम्मिलित गाँवों की संख्या
१	राजगढ	म. प्र.	३१	८	२२	१
२	शाजापुर	म. प्र.	१४२	६४	७७	१
३	उज्जैन	म. प्र.	८८	८०	६	२
४	भोपाल	म. प्र.	१५	४	९	२
५	सिहोर	म. प्र.	२३	१८	५	–
६	देवास	म. प्र.	५१	५१	–	–
७	इन्दौर	म. प्र.	१९	१९	–	–
८	रतलाम	म. प्र.	१६९	९१	६९	९
९	झाबुआ	म. प्र.	१९	४	१३	२
१०	धार	म. प्र.	१६३	५६	१०४	३
११	खरगोन	म. प्र.	१६२	९०	७२	–
१२	खंडवा	म. प्र.	७	–	६	१
१३	मन्दसौर	म. प्र.	२५९	१८१	६६	१२
१४	झालावाड	राजस्थान	७५	१५	५६	४
१५	चितौडगढ	राजस्थान	४२	१९	२१	२
१६	उदयपुर	राजस्थान	३	–	३	–
१७	कोटा	राजस्थान	५	५	–	–
	योग		१२७३	७०५	५२९	३९

(म. प्र. पाटीदार समाज स्मारिका १९७८ से साभार)

मध्यप्रदेश पाटीदार समाज

श्रीराम मन्दिर, हनुमानगढी, उज्जैन

पंजीयन क्र. ७२७५ दिनांक २८–१०–७८

चतुर्थ अधिवेशन (शाजापुर) द्वारा पारित प्रस्ताव

प्रस्ताव

म. प्र. पाटीदार समाज का चतुर्थ विशाल एवं एतिहासिक अधिवेशन शाजापुर में दिनांक ३० एवं ३१ मई १९८१ को प्रांतीय अध्यक्ष श्री परशुराम पाटीदार–मन्दसौर की अध्यक्षता, मा. श्री चिमनभाई पटेल–पूर्व मुख्यमंत्री, गुजरात एवं श्री किशनभाई पटेल गवली पलासिया के मुख्य आतिथ्य, पाटीदार समाज, जिला शाजापुर के संयोजन तथा लगभग दस हजार प्रतिनिधियों की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ ; इस अधिवेशन के अन्तर्गत खुला अधिवेशन, युवा सम्मेलन, किसान सम्मेलन, महिला सम्मेलन, आयोजित किये गये । विभिन्न सम्मेलननों में पारित प्रस्तावों को प्रांतीय अध्यक्ष द्वारा खुले अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया, समस्त उपस्थित प्रतिनिधियों ने हाथ उठा कर समर्थन किया एवं सर्वानुमति से प्रस्तावों को पारित किया । ये समस्त प्रस्ताव अब नियम बन गये हैं तथा दिनांक १ जून १९८१ से म. प्र. पाटीदार समाज के सम्पूर्ण १३ जिलों में लागू माने जाते हैं। विश्वास है, आप सभी सदस्य गण इन नियमों को मानेंगे एवं अपने २ ग्रामों तेहसीलों व जिलों में लागू करने एवं मनवाने में सहयोग प्रदान करेंगे ।

१. सगाई

(अ) बाल सम्बन्ध या बाल सगाई ही बाल–विवाह की जनक है । अतः यह प्रस्ताव सर्वानुमति से पारित किया गया कि बालक बालिकाओं की सगाई तय होने पर भी टीका की रस्म शादी के १ या २ वर्ष पूर्व ही सम्पन्न की जावे । इसका उल्लंघन कर यदि सगाई की रस्म पूरी कर ली गई और विवाह के पूर्व सगाई टूट गई, तो उसकी सुनवाई ग्राम, तहसील, जिला या प्रदेश स्तर पर नहीं की जावेगी ।

(ब) हिन्दू विवाह अधिनियम के पालन के लिये यह निर्णय लिया जाया है । कि समाज में सगाई तय करते समय लडके की आयु लडकी की आयु से कम से कम ३ वर्ष अधिक होगी, ताकि विवाह के समय पुलिस दस्तंदाजी अथवा मुकदमेबाजी से बचा जा सके ।

२. विवाह

(अ) समाज के किसी २ जिलों में प्रचलित बाल–विवाह तथा बाल–विवाह की प्रथाओं को समाप्त किया जाता है । आज से भविष्य में समाज में हिन्दू विवाह ही सम्पन्न किये जावेंगे ।

(ब) विवाह के खर्चों तथा अपव्ययों को घटाने के लिये ग्राम, तेहसील, जिला एवं प्रदेश समितियों द्वारा बालिग सामूहिक विवाहों के आयोजन किये जावे एवं सामूहिक विवाह की पद्धति को प्रोत्साहित करें।

(स) विवाह की तिथियां : हमारी सामाजिक एवं आर्थिक दशाओं को देखते हुए म. प्र. पाटीदार समाज में बालिग सामूहिक अथवा पृथक बालिग विवाह अक्षय तृतीया से पूर्णिमा तक की किसी शुभ तिथियों या वसंत पन्चमी के आसपास की किसी शुभ तिथी पर प्रतिवर्ष आयोजित किये जावे।

३. विवाह–विच्छेद

(अ) सर्वानुमत से यह निर्णय लिया जाता है, कि आज से जो पृथक या सामूहिक बालिग विवाह सम्पन्न किये जावेंगे ऐसे विवाह सम्बन्ध अब हिन्दू विवाह अधिनियम के प्रावधान के अनुसार कोर्ट से अथवा समाज की स्वीकृति से ही विवाह विच्छेद किये जावेंगे।

ऐसे विवाह यदि मनमाने तौर से विच्छेद कर देवेंगे, तो समाज का कोई भी व्यक्ति उसे अपनी लडकी नहीं देगा या ऐसे व्यक्ति से विवाह नहीं करने देगा। इस नियम का उल्लंघन करने वाले पक्षों तथा उनके माता–पिता का सामाजिक बहिष्कार किया जावेगा एवं उनके सारे सामाजिक निमंत्रण निरस्त कर दिये जावेंगे।

(ब) विवाह विच्छेद के लिये कोई भी पक्ष अपनी ग्राम समिति, तेहसील, जिला या प्रांतीय समिति में नियमानुसार अनुमति प्राप्त करने का आवेदन कर सकेगा। ये समितियां हिन्दू विवाह अधिनियम में लिखित तलाक के प्रावधानों के अनुसार न्यायसंगत तरीके से विवाह विच्छेद की अनुमति दे सकेगी।

नाबालिग विवाह करने वाले सदस्यों को इन प्रस्तावों के अन्तर्गत कोई संरक्षण प्राप्त नहीं होगा।

यह सम्मेलन गहराई से इस निष्कर्ष पर पहुंचा हैं, कि यदि समाज में बालिग विवाह किये गये तो गौना प्रथा, तिवारी, श्रावणी, चीडी, आदि प्रथाएं समाप्त हो जावेंगी तथा समाज इन कुप्रथाओं पर होने वाले अपव्ययों से बच जावेगा।

४. मृत्युभोज

(अ) समाज में प्रचलित मृत्युभोज की प्रथा को समाप्त किया जाता है। भविष्य में अब ग्यारहवे बारहवे पर उपस्थित हुए कुटुम्बी एवं निकट के रिश्तेदारों के ही भोज होंगे। अब जाति–भोज नहीं होंगे। ऐसे भोजों को मृत्युभोज नहीं कहा जावेगा।

(ब) विवाह एवं मृत्यु के समय होने वाले भोज दो समय से अधिक के नहीं होंगे।

५. शिक्षा

(अ) समाज में बालक–बालिकाओं को शिक्षा की सुविधाएं व साधन जुटाने के लिये प्रत्येक जिले के उच्च शिक्षा के उपयुक्त स्थान पर छात्रावास भवन निर्मित किये जावें ।

(ब) छात्रावास भवन या अन्य सामाजिक भवन निर्माण करने के लिये प्रत्येक जिला पाटीदार समाज की कार्यसमिति अपने जिले का पाटीदार समाज ट्रस्ट गठित कर उसे इन्डियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत अनिवार्यत पंजीकरण करवायेगी । इस ट्रस्ट में उस जिले की परिस्थितियों के अनुसार धन संग्रह किया जावेगा । छात्रावास से शिक्षा की सारी सुविधाएँ व प्रोत्साहन देने के कार्य किये जावेंगे ।

६. संगठन

(अ) म. प्र. पाटीदार समाज के प्रत्येक ग्राम में ग्राम समितियों का गठन १५ अगस्त १९८१ तक जिला कार्यसमितियों की देखरेख में पूरे किये जावेंगे । ग्राम समिति में १ अध्यक्ष, १ उपाध्यक्ष, १ कोषाध्यक्ष, १ सचिव, १ सहसचिव, एवं ६ सदस्य निर्वाचित किये जावेंगे । इसकी सूचना प्रांतीय समिति को दी जावे । म. प्र. पाटीदार समाज की स्मारिका आगामी अधिवेशन के पूर्व प्रकाशित की जावेगी जिसमें सारे संगठन के पदधिकारियों के नाम प्रकाशित किये जावेंगे । प्रत्येक तेहसील एवं जिला निर्वाचन अधिकारी गण भी अपने अपने क्षेत्र की ग्राम समितियों के गठन करने में सहयोग करेंगे ।

(ब) समितियों के गठन तक जितना सदस्यता शुल्क प्राप्त हो, उसका ५० प्रतिशत प्रांतीय समिति को एवं ५० प्रतिशत जिला समिति को भेजा जावे ।

(स) युवा संगठन : म. प्र. पाटीदार समाज जा के अन्तर्गत युवक–युवतियों का एक संगठन बनाया जावे इसका नाम 'सरदार पटेल युवा संगठन' रखा जावे, इस संगठन का कार्य ग्राम तेहसील व जिला स्तर पर भी प्रारंभ किया जावे । म. प्र. पाटीदार समाज की महासभा की आगामी बैठक में इस युवा संगठन का विधान पारित करवाया जावे एवं बाद में विधिवत चुनाव करवाये जावें ।

७. प्रांतीय समाचार का प्रकाशन

प्रांतीय पाटीदार समाज के एक मासिक पत्र का प्रकाशन किया आए । जिसकी सारी वैधानिकताएं प्रांतीय कार्यसमिति अपने निर्णय के अनुसार पूर्ण करेगी । समाचार पत्र के कार्य हेतु स्थायी कोष स्थापित किया जाए । इसके लिए अनुदान या चंदा एकत्र करने के लिए प्रांतीय समिति को अधिकृत किया जाता है ।

८. केन्द्रीय कार्यालय

संगठन एवं सामाजिक गतिविधियों के संचालन के लिये म. प्र. पाटीदार समाज का एक केन्द्रीय भवन अत्यावश्यक है । अतएव म. प्र. पाटीदार समाज का प्रांतीय भवन किसी उपयुक्त स्थान पर निर्माण करने की स्वीकृति प्रांतीय समिति को दी जाती है । भवन के लिए कोष संग्रहित करने के लिए दान, तहसील, जिला स्तरीय संगठनों से पूर्ण सहयोग लिया जावे ।

९. आर्थिक प्रस्ताव

(अ) सर्वानुमति से प्रस्ताव पारित करते हुए म. प्र. शासन से अनुरोध किया जाता है कि मध्य भारत में कृषि अनुसंधान की सुविधाओं, राष्ट्र के उत्पादन बढाने के साधनों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उज्जैन में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लेवे ।

(ब) राज्य के कृषि महाविद्यालयों एवं विश्वविधालयों में ग्रामीण किसानों के शिक्षित छात्रों की प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने के लिए प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश देने बाबद शासन से अनुरोध किया जाता है ।

(स) म. प्र. पाटीदार समाज शासन से यह अनुरोध प्रतिवेदन करता है कि जब शासन कृषि उत्पादनों के मूल्य निर्धारित करें, उस समय किसानों के प्रतिनिधियों को निर्णय की प्रक्रिया में उचित प्रतिनिधित्व दिया जावे । म. प्र. पाटीदार समाज मूलतः कृषिप्रधान समाज है, अतः ऐसी प्रक्रिया में हमारा प्रतिनिधित्व अनिवार्यतः लिया जावे ।

(द) म. प्र. भूराजस्व संहिता की धारा १६४ में २० अप्रेल १९८१ को अध्यादेश द्वारा संशोधन किया गया है, यह संशोधन गैर आदिवासी कृषकों के हितों के विपरीत है । अतः शासन को प्रतिवेदन देने व प्रतिनिधि मंडल भेजने के लिये श्री हरिराम पाटीदार एडव्होकेट रतलाम (अध्यक्ष किसान सम्मेलन), श्री आर. सी. मुकाती–इन्दौर, श्री दयाराम पाटीदार एडव्होकेट–मनावर (धार), डो. राजेन्द्रकुमार पाटीदार, कुक्षी (धार), व श्री परमानंदजी पटेल घटवां (निमाड) को अधिकृत किया जाता है । यह समिति म. प्र. पाटीदार समाज के नाम से संपूर्ण कार्यवाही करने हेतु अधिकृत की जाती है ।

१०. महिला जाग्रती

महिला सम्मेलन के निर्णयानुसार समाज में प्रचलित घुंघटा प्रथा को समाप्त किया जाता है । नारी शिक्षा व संगठन में महिलाओं के सहयोग को प्रोत्साहन दिया जावे ।

म. प्र. पाटीदार समाज के समस्त पदाधिकारीगण, स्वागत समिति के पदाधिकारीगण व संयोजक समिति, जिला शाजापुर के समस्त पदाधिकारियों की आज्ञा से मध्य प्रदेश के १३ जिलों के समस्त ग्रामों में प्रसारित करने हेतु सचिव म. प्र. पाटीदार समाज द्वारा प्रकाशित व प्रेषित –

भेरूसिंह पाटीदार	लक्ष्मीचंद मंडलोई	परशुराम पाटीदार (एडव्होकेट)
अध्यक्ष	अध्यक्ष	अध्यक्ष
शिवनारायण इन्दिया	डो. दुलीचन्द पाटीदार,	मांगीलाल पाटीदार
सचिव	प्राध्यापक	सचिव
संयोजन समिति	सचिव	म. प्र. पाटीदार समाज
जिला शाजापुर	स्वागत समिति	
	शाजापुर अधिवेशन	

पाटीदार समाज प्रान्तीय विशाल पंचम अधिवेशन

दिनांक २९ व २२ मई १९८८

स्थान : पाटीदार छात्रावास प्रांगण, महू नसीराबाग रोड, नीमच

वन्धुओं,

आज सारे विश्व में लगभग सभी समाज संगठित होकर अपना शैक्षणिक और आर्थिक विकास करने में जूटे हुए हैं। हमारा पाटीदार समाज मुख्यतः खेतीहर समाज होकर देहातों में निवास करता है इस कारण उनमें शिक्षा व संगठन का अभाव है और इसी कारण हम लोग अपनी सामाजिक और शैक्षणिक समस्याओं पर सामूहिक रुप से एक जगह पर बैठकर विचार नहीं कर पा रहे हैं। अपनी इन कमियों के कारण ही समाज पिछडा हुआ है। समाज के प्रवुद्ध वर्ग ने समाज में चेतना उत्पन्न कर स्थान–स्थान पर छात्रावासों का निर्माण, विद्यालयों की स्थापना, सामूहिक विवाह का आयोजन आदि कार्यो को प्रारंभ कर दिया है किन्तु समाज का आम व्यक्ति अभी न तो इस संगठन में जुड पा रहा है और न उसमें सामूहिक रुप से विकास के कार्यो में सहयोग देने की प्रवृत्ति है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति में सामाजिक चेतना उत्पन्न करने, संगठन को मजवूत बनाना समाज की प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने, शैक्षणिक स्तर को ठीक करने, महिलाओं में जागृति पैदा करने, आदि कार्यो के लिये दिनांक २१ व २२ मई ८८ को नीमच में एक विशाल प्रान्तीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है जिसमें म. प्र., राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात के प्रवुद्ध विद्वानों को आमंत्रित किया जा रहा है। आशा है इस सम्मेलन में समाज के वृद्धा, युवा, महिलाएं

आदि हजारों की संख्या में भाग लेकर इस सम्मेलन को सफल बनाने की कृपा करें । २१ मई को प्रतिनिधि सम्मेलन में सम्मिलित होने वाले प्रत्येक महानुभाव निर्धारित धन राशि देकर स्वागत समिति के सदस्य बनें । और अपनी संगठन शक्ति का परिचय दें ।

संयोजन समिति
प्रान्तीय पाटीदार समाज

नीमच प्रांतीय अधिवेशन

नीमच, दिनांक २१ व २२ मई १९८८ को मन्दसौर जिला पाटीदार समाज के तत्वावधान में दो दिवसीय म. प्र. एवं राजस्थान पाटीदार समाज के संगठन का पांचवा प्रान्तीय अधिवेशन मन्दसौर जिले के नीमच नगर में मन्दसौर जिला पाटीदार समाज ट्रस्ट द्वारा निर्मित हो रहे छात्रावास भूमि पर आयोजित हुआ । यह आयोजन म. प्र. पाटीदार समाज कार्य समिति के निर्णय अनुसार आयोजित किया गया, जिसमें म. प्र. एवं राजस्थान के पाटीदार समाज के जिलों से ही प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं हुए बल्कि गुजरात पाटीदार समाज के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हुए । अधिवेशन के प्रतिनिधियों के लिये भव्य पण्डाल एवं संचालन मंच सुसज्जित किया गया । पण्डाल और मंच प्रतिनिधियों एवं अतिथियों से खचाखच भरा हुआ था, प्रतिनिधियों में हमारे समाज के गणमान्य पटेल, मुकाती मुखियाओं के अतिरिक्त नई पीढी के युवाओं एवं महिलाओं युवतियां अधिवेशन स्थल की शोभा बढा रही थी । प्रतिनिधियों में शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक एवं राजनैतिक क्षेत्रों में अपना वर्चस्व रखनेवाले प्रतिनिधिगण उपस्थित थे । अधिवेशन प्रारम्भ होने के पूर्व अधिवेशन स्थल पर हर्षोल्लासमय हलचल से यह प्रतीत होता था कि पाटीदार समाज के रुढिवादी गढ ढह रहे हैं और समाज प्रगतिशील दिशा ग्रहण करने के लिये कटिबद्ध है । उद्घाटन के अवसर पर लगभग ७ हजार प्रतिनिधियों से पण्डाल खचाखच भरा हुआ था ।

ऐसी स्वर्णिम बेला में निर्धारित समय पर अधिवेशन के मंच पर म. प्र. पाटीदार समाज के अध्यक्ष एवं गुजरात से पधारे मुख्य अतिथि केशवलाल पटेल अपने साथियों सहित मंच पर उपस्थित थे । अधिवेशन की अध्यक्षता म. प्र. एवं राजस्थान पाटीदार समाज के अध्यक्ष श्री चेनसिंह पाटीदार ने की । सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय ने माँ अम्बा एवं समाज के गौरव राष्ट्र पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल को माल्यार्पण किया । श्री रामनिवास पाटीदार एडवोकेट सचिव स्वागत समिति नीमच ने अधिवेशन आयोजन की रिपोर्ट प्रस्तुत की । मंच पर बिराजे अतिथियों का स्वागत समिति के पदाधिकारीगण

एवं विभिन्न समितियों के प्रभारियों ने माल्यार्पण द्वारा किया। स्वागताध्यक्ष श्री रामेश्वर पाटीदार प्रधान सम्पादक जागृति ने स्वागत भाषण दिया। जिस में उन्होंने प्रतिनिधियों को अधिवेशन को सफल बनाने की अपील की तथा समाज हित में महत्त्वपूर्ण सर्व सम्मत निर्णय लेने का आग्रह किया। गुरुकुल गायत्री आश्रम, अभयपुर की बालिकाओं ने मंगल गान गाया। नीमच युवाओं का स्वागत गीत प्रभावशाली रहा।

तत्पश्चात् विधिवत् उद्घाटन की कार्यवाही सम्पन्न की गई। पूर्व प्रांताध्यक्ष श्री परशुराम पाटीदार मन्दसौर ने दीपप्रज्जवलित कर एवं मां अम्बा एवं सरदार पटेल, को माल्यार्पण कर अधिवेशन का शुभारम्भ किया। श्री परशुराम पाटीदार ने अपने उद्‌घाटन सम्बोधन में पाटीदार समाज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं म. प्र. पाटीदार समाज संगठन की पृष्ठभूमि के सम्दर्भ में प्रतिनिधियों को आव्हान किया की पाटीदार समाज अपने मतभेदों को छोडकर एक मंच पर संगठित होकर पिछडी हुई सामाजिक व्यवस्था से प्रगतिशील समाज रचना में रुपान्तरण करें। अपना समाज पिछडा हुआ है। यह सामाजिक जीवन दर्शन छोडे बिना गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं कर सकता है। इस हेतु अध्यक्ष महोदय ने संगठन के लिये ग्राह्य विषयों को अधिवेशन के प्रतिनिधियों के लिये विचारार्थ प्रस्तुत करने का निवेदन किया।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से डो. प्रह्लाद पाटीदार प्रांतीय सचिव ने अधिवेशन के संचालन का कार्यभार सम्भाला एवं विषयवार विषयों पर प्रतिनिधियों को उद्‌बोधन करने के लिये आमन्त्रित किया।

प्रस्तुत विषयों पर श्री हरिरामजी पाटीदार एडवोकेट प्रांतीय उपाध्यक्ष ने अपने सम्बोधन में समाज में व्याप्त बाल विवाहों को समाप्त करने के लिये ग्राम स्तर पर संगठन द्वारा जागृति पर बल दिया। श्री पुरुषोत्तम मुकाती जिला सहसचिव इन्दौर ने अपने उद्‌बोधन में कहा कि राऊ में उमियाधाम संस्थान में कन्या शिक्षा की दिशा में छात्रावास का निर्माण किया जा रहा है और महिला शिक्षा पर विशेष जोर दिया। पूर्व प्रांताध्यक्ष श्री खेमचन्दभाई ने समाज में जागृति पैदा करने के लिये "पाटीदार जागृति" के प्रकाशन की आर्थिक स्थिति सुदढ करने की योजना पर प्रकाश डाला। झाबुआ जिले के कर्मठ समाजसेवी श्री रणछोडलाल पाटीदार करवड ने संगठन के पदाधिकारियों से आग्रह किया कि समाज के प्रत्येक गांव में जागृति के अंक सदस्यता अभियान द्वारा पहुंचाये जावें ताकि समाज को प्रगतिशील दिशा दी जा सके।

जिला पाटीदार समाज मन्दसौर के अध्यक्ष शिवनारायण पाटीदार ने 'संगठन शक्ति कलियुगे' विचार दर्शन पर प्रकाश डाला तथा युवा पीढी को शिक्षित करने

का उत्तरदायित्व बुजुर्गों को वहन करने का आव्हान किया। मन्दसौर जिले के सचिव श्री परमानन्दभाई ने विवाह के बाद लडकी को अकारण छोडने की दुषप्रवृत्ति को समाप्त करने के लिये ठोस कदम उठाने का आव्हान किया। श्री भंवरलालजी पाटीदार-स्थापक पाटीदार लोक ने अधिवेशन प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि समाज में मनमाने तरीके से तलाक या छुटमेल करने की जो परिपाटी प्रचलित हो रही है, उसे तत्काल कुचल दी जानी चाहिए ओर समाज के जो सदस्य बिना सामाजिक अनुमति के या बिना न्यायालय कि अनुमति के मनमाने तौर पर शादी शुदा लडकियों का तलाक करते है उन परिवारों का सामाजिक बहिष्कार किया जावे तथा ऐसे लडको को समाज का अन्य कोई भी सदस्य अपनी लडकी न दे इस प्रकार का प्रतिबन्ध लगाया जावे। उल्लंघन करने की दशा में उनका सामाजिक बहिष्कार किया जावे। इसके साथ ही इसी विषय पर निमाड के प्रतिनिधि श्री मांगीलाल पाटीदार पूर्व प्रांतीय सचिव ने अपने ओजस्वी सम्बोधन में कहा कि मनमाने तलाक एवम छूटमैल को निमाड में प्रतिबन्धित करके प्रभावी अंकुश लगाकर इस कोढ का उन्मूलन किया जा रहा है। उन्होंने निमाड के सफल प्रयोग को सभी प्रांतों में लागू करने का आग्रह किया। श्री नर्मदाप्रसाद माधव भोपाल पूर्व संदेश पत्रिका सम्पादक ने पाटीदार जागृति के प्रकाशन को चिरस्थायी करने एवं उसके स्तर को ऊंचा उठाने के लिए पाटीदार समाज के प्रत्येक क्षेत्र द्वारा उसको अपनाया जाने एवं विज्ञापन द्वारा उसकी आय में वृद्धि करने की अपील की। भोपाल से आये डो. शंकरलाल पाटीदार भोपाल ने समाज को सम्बोधित करते हुए कहा कि समाज बाल विवाह छोडे एवं सामूहिक विवाहों को अपनाये एवं सम्मेलन में मय दम्पति के उपस्थित रहें। तथा बालकों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। मालवा के कवि श्री शंकरलाल नया रुपाखेडा रतलाम ने लोगों को अपनी तुकबदी से खूब हंसाया।

श्री भेरुलाल पाटीदार समाज के लोकप्रिय विधायक गवलीपलासिया ने पाटीदार समाज की राजनैतिक स्थिति का सारगर्भित विश्लेषण करते हुए प्रतिनिधियों को अपने सम्बोधन में कहा कि जब तक समाज राजनैतिक क्षेत्र में अपना वर्चस्व कायम नहीं करता तब तक उसका सामाजिक एवं आर्थिक पिछडापन दूर नहीं हो सकता। पाटीदार समाज हमारे राष्ट्र की रीढ की हड्डी है। उसे अपने बलाबल को समझना होगा तथा राजनैतिक क्षेत्र में आगे बढने के लिए एक वोट बैंक बनाते हुए आगे बढना चाहिए। गुजरात पाटीदार समाज के झुझारु कार्यकर्ता एवं ऊंझा संस्थान के श्री मणीभाई पटेल उर्फ मम्मी तथा गोवर्धनभाई पटेल ने मध्यप्रदेश एवं गुजरात पाटीदार समाज की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक एवं राजनैतिक स्थिति के तुलनात्मक सम्बोधन में कहा

मध्यप्रदेश महिला अधिवेशन में : महिला जागृति का एक दृश्य

कि म. प्र. पाटीदार समाज बिना किसी भेदभाव और बिना सामाजिक उपभेदों के एक विधान, एक मंच और एक पण्डाल के नीचे संगठित होकर सामाजिक रूप से उन्नति कर चुका है, और उसमें अपनी कुरीतियों और परिपाटियों का उन्मूलन कर बालिग सामूहिक विवाह परिपाटी का प्रचलन कर दिया है, जिससे समाज तेजी से विकास की ओर बढ रहा है; परन्तु म. प्र. पाटीदार समाज आर्थिक एवं राजनैतिक रूप से पिछडा हुआ हैं। गुजरात पाटीदार समाज सामाजिक संगठन एव एकता एवं सामाजिक कुरीतियों से पिछडा है किन्तु आर्थिक एवं राजनैतिक रूप से आगे बढा हुआ है। इसके लिए अखिल भारतीय स्तर पर संगठन के प्रयास किये जाने चाहिए। इन्दौर के कवि श्री राजारामजी पाटीदार उमरीखेडावाले ने सम्मेलन में बहुत मनोरंजक कविता सुनाई।

अन्त में ऊंझा संस्थान के अध्यक्ष श्री केशवभाई पटेल मुख्य अतिथिने अपना लिखित भाषण पढा तथा म. प्र. पाटीदार समाज को शुभ कामनाएं व्यक्त की। तत्पश्चात ४ बजे महिला सम्मेलन प्रारंभ हुआ। महिला संम्मेलन की अध्यक्षता गुजरात प्रान्त से पधारी श्रीमती लीलाबहन आचार्य, महिला टीचर्स ट्रेनिंग कोलेज अहमदाबाद ने की और सम्मेलन का संचालन श्री अजयकुमार सेण्डों राउ ने किया। महिला सम्मेलन का उद्‌घाटन भाषण कमलाबहन नारायणगढ ने दिया और अपने सम्बोधन में कहा कि म. प्र. पाटीदार समाज संगठन पुरुषो के उत्थान के लिये ही कार्य कर रहा है, परन्तु नारी उत्थान के लिये कोई कार्यक्रम नहीं किये जाने के आरोप लगाये। उन्होने कहा कि जब तक नारी नहीं उठेगी, पुरुष नहीं उठेगा और राष्ट्र नहीं उठेगा। नारी को शिक्षित होना अनिवार्य है। श्रीमती उमा झुझरिया उज्जैन ने सम्मेलन के प्रतिनिधियों से प्रश्न किया कि वे ऐसे सम्मेलनों में अपनी पत्नियों के साथ नहीं उपस्थिति होते। क्या नारी को सदैव ही पिछडी हुई स्थिति में रखना चाहते हो ? तो समाज का एकांकी विकास होगा। उपस्थित महिलाओंसे अपील की कि वे घूंघट छोड दे। श्रीमती अल्का पाटीदार मन्दसौर ने अपने सम्बोधन में कहा कि नारी के पिछडे होने का कारण नारी ही हैं। वह स्वयं ही नारी की प्रगतिशीलता की विरोधी है। नारी जब उन्नति की ओर कदम बढाती हैं तो नारी ही उन कदमों की आलोचना करती है। इस लिये नारी स्वयं संगठित होकर उनका मुकाबला करें।

अभयपुर की श्रीमती गायत्री पाटीदार ने नारी शिक्षा की दिशा में पुरुषों की तरह महिला छात्रावास निर्माण करने की बात कही। अध्यापिका श्रीमती लीला पाटीदार ने कहा कि बच्चों को अच्छे संस्कार शिक्षित मां ही दे सकती है। प्राचार्य श्रीमती लीला बहन ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि पुरुष का जीवन नारी के बिना

अपूर्ण है और नारी पुरुष के बिना । अतः गृहस्थ जीवनरूपी गाडी के दोनों पहिये समानरूप से स्वस्थचित्त होने चाहिये । परन्तु कालगति मे हमारे समाज की महिलाये पिछड गई । इसलिए समाज और हमारी गृहस्थी का विकास असन्तुलित रुप से हो रहा है । यह पुरुषों का दायित्व हैं कि पुरुष नारी को अपनी बरावरी में सम्भागी बनाये । इसके लिये प्रत्येक गांव में कन्या पाठशाला समाज के लोगों को संचालित करना चाहिए । यह कार्य गुजरात में संचालित हो रहा है । विशेष कर नारी को सम्बोधित कर उनहोंने कहा कि महिलाये अपने आप को हीन और पिछडी स्थिति में न समझे । वे सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक एवम् राजनैतिक तथा संवैधानिक स्थिति से पुरुष के बराबर दर्जे की अधिकारिणी है । उन्हें अपना समान अधिकार समाज के हर क्षेत्र में मिलना चाहिए । नारी शक्ति स्वरुपा हैं व अबला नहीं है । नारी सिंहवाहिनी दुर्गा, अम्बा है ।

दिनांक २२ मई ' ८८ को प्रातः ८ बजे से युवा सम्मेलन डो. जगदीश मनावर, (प्रांतीय संयोजक सरदार पटेल युवा संगठन) की अध्यक्षता में तथा पूर्व सांसद रामेश्वरभाई पाटीदार खलघाट तथा मन्दसौर जिला पाटीदार समाज के अध्यक्ष श्री शिवनारायणजी पाटीदारने सफल संचालन किया । सम्मेलन को उद्‌बोधित करते हुए स. प. यु. सं. के प्रांतीय सहसंयोजक श्री गिरिराज अम्बावतिया शाजापुर ने युवाओं का आव्हान किया कि समाज का भविष्य युवाओं पर निर्भर करता है, वे समाज के स्तंभ है, समाज संगठन में युवा आगे आये । श्री रामचन्द्र पथिक, नारायणगढ ने कहा कि युवा चन्द्रशेखर आजाद, भगतसिंह एवं सरदार पटेल के आदर्शो पर चले । श्री रामलालाजी पाटीदार एडवोकेट, मन्दसौर ने कहा कि युवाओं के सामने वर्तमान समय चुनौतियों से भरा हुआ है । कु. अल्पना पाटीदार मन्दसौर ने कहा कि जब तक बहने हायर सेकण्डरी शिक्षा प्राप्त न कर ले तब तक उनके सम्बन्ध नहीं करना चाहिए । श्री रामचन्द्र मुकाती एडवोकेट इन्दौर ने बाल विवाहों के कानूनी पहलु पर प्रकाश डालते हुए बताया कि २१ वर्ष से कम उम्र के लडके एवं १८ वर्ष से कम उम्र की लडकी की शादी करना अपराध है । कु. हेमा पाटीदार गेवास ने बताया कि महिला जीवन भर दूसरे पर आश्रित रहती है । कु. ललिता ग्वालियर ने कहा कि बाल सम्बन्ध शिक्षा में सबसे बडी बाधा है । श्रीमती पुष्पा पाटीदार नीमच ने कहा कि पुरुष स्त्रियों को समानता का दर्जा देने में हिचकिचाते है । कु. इन्दुबाला मन्दसौर ने कहा कि म. प्र. पाटीदार समाज संगठन का सपना तब तक पूरा नहीं होगा जब तक की नारी शिक्षित न होगी । श्री प्रभुलालाजी पाटीदार दुदरसी (नीमच) ने अपने मरणोपरांत मृत्युभोज न करने की बसीयत की । तथा मृत्युभोज में सम्मिलित न होने की प्रतिज्ञा की । श्री परशुराम पाटीदार मन्दसौर ने भी इसी प्रकार की वसीयत को दोहराया ।

मुख्य अतिथि ने अपने ओजस्वी सम्बोधन में कहा कि समाज का आर्थिक पिछडापन दूर करने के लिये हमें कृषि के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय, शासकीय, अशासकीय सेवा में प्रवेश करना चाहिए। डो. जगदीश पाटीदार ने अध्यक्षीय भाषण में समाज की तरुणाई को सरदार पटेल के आदर्शो पर चलने के लिये कटिबद्ध हो जाने का आह्वान किया।

छात्र जगत के प्रतिभावान् छात्रों को पुरस्कार एवं प्रशंसा पत्र प्रदान किये गये।

भोजनोपरांत १२ बजे से खुला अधिवेशन प्रारभ्भ हुआ। मुख्य अतिथि केशवलाल पटेल ने मन्दसौर जिला ट्रस्ट के ट्रस्टियों एवं कमरा निर्माण करनेवाले दानदाताओं का अभिनन्दन किया। श्री रामनिवास एडवोकेट नीमच ने नीमच छात्रावास की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। दोपहर १.३० बजे शुभ मुहूर्त में श्री धनराज पाटीदार जवासा ने छात्रावास भवन का सभी ट्रस्टियों की उपस्थिति में शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री केशवलाल पटेल ऊंझा ने १११११ रुपये नीमच छात्रावास में दान देने की घोषणा की। श्री रमेश पाटिल ने बदनावर व धार में निर्माणाधीन छात्रावास की रिपोर्ट प्रस्तुत की। श्री लक्ष्मीनारायण पाटीदार धामेडा ने जावरा एवं रतलाम छात्रावास ट्रस्ट की गतिविधि पर प्रकाश डाला। सामूहिक विवाह समिति कोद एवं बिडवाल द्वारा सभी जोडों को जागृति के आजीवन सदस्य बनाने पर दोनों समितियों के अध्यक्ष द्वय श्री रामेश्वरजी कोद एवं गिरधारीलाल पटेल बिडवाल का स्वागत किया गया। डो. मंगुभाई पटेल अहमदाबाद ने कुल्मी पाटीदार समाज के इतिहास पर प्रकाश डाला। आप अपनी अस्वस्थता के बावजूद भी श्री जयन्तीभाई (सम्पादक 'उमिया दर्शन') मासिक के साथ गुजरात से सपत्निक पधारे थे। डो. मंगुभाई पटेलने अपना क्षात्र धर्म वापिस लाने का अनुरोध किया। शाहुकार और कुरुतियों हमारे दुश्मन है। किसान प्रश्नों की चर्चा करते हुए संगठन बनाने पर उन्होंने जोर दिया।

खुले अधिवेशन में प्रांतीय सचिव डो. प्रहलाद पाटीदारने प्रांतीय स्तर पर लागू किये जानेवाले सर्वमान्य प्रस्तावों को पारित करवाया।

ठीक २ बजे श्री राजमणी पटेल राजस्व राज्यमंत्री म. प्र. शासन के मुख्य आतिथ्य में किसान सम्मेलन प्रारंभ हुआ। जिसका संचालन किसान नेता श्री घनश्याम पाटीदार एडवोकेट, नीमच ने किया। प्रथम वक्ता श्री परशुराम पाटीदारने कहा की नलकूपो की खुदाई के कारण पहले से निर्मित अरबों रुपये के कुए बेकार हो गये। नलकूप लगाने वाले किसान शहरी पूंजीपतियों के शोषण के शिकार हो रहे है और गरीब कृषक कुए सूखने से परेशान है। श्री गणेशराम पाटीदार नीमच ने कृषि को उद्योगों का दर्जा देने की पेशकश की। श्री नानालाल पाटीदार सुवासरा ने लहसन,

धनिया व अफीम के उचित मूल्य दिलाने एवं मण्डी में कृषकों के शोषण को समाप्त करने की मांग की । अफीम संबंधी कानून के कठोर कर दिये जाने से पुलिस एवं अफीम विभाग झूठे प्रकरण बनाकर भारी भ्रष्टाचार कर रहा है, शासन इस सम्बन्ध में तुरन्त कार्यवाही करें ।

श्री माधवलाल पाटीदार पालसोडा ने बहुत ही, सटीक रुप से कहा कि राजस्व विभाग में नामान्तरम प्रकरणों में अधिकारियों द्वारा भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है उस पर तुरन्त रोक लगाई जावे । निमाड के प्रगतिशील किसान नेता श्री गजानन्द पाटीदार (कसरावद) ने कहा की खुल्ले बाजार मे प्राप्त राशायनिक खाद बीज दवाई आदि किसानी वस्तुओं पर किसान को जो मूल्य अदा करना पडता है वे ही वस्तुएं सहकारी समितियों में पांच प्रतिशत अधिक मूल्य पर वेची जा रही है । समितियां कृषकों का खुला शोषण कर रही है ।

विशेष अतिथि श्री श्याम सुन्दर पाटीदार (विधायक, मन्दसौर) ने कहा कि किसान स्वय अपनी आर्थिक सामाजिक और राजनैतिक परिस्थितियों में तालमेल स्थापित कर संगठित होकर आगे बढे ।

मुख्य अतिथि श्री राजमणी पटेल राजस्व मंत्री ने अपने सारगर्भित सम्बोधन में कहा कि निश्चय ही किसानी परिस्थितिया जटिल हैं और राजस्व विभाग में मछली की तरह फंसा हुआ है । शासन ने इस दिशा में राहत देने के लिये कई कदम उठाये है । किसानों की ओर से राजस्व मंत्री को लिखित ज्ञापन भी दिया गया । अध्यक्ष महोदय श्री चेनसिंहजी ने अपना लिखित भाषण पढा और अधिवेशन के आयोजकों को इस सफल आयोजन के लिये भूरी भूरी प्रशंसा की एवं धन्यवाद दिया ।

आभार प्रदर्शन श्री रामनिवास पाटीदार एडवोकेट ने किया । जन गण मन राष्ट्रीय गान के साथ अधिवेशन का समापन हुआ ।

म. प्र. एवं राजस्थान पाटीदार समाज

पंचम प्रांतीय अधिवेशन दिनांक २१ व २२ मई, नीमच

अध्यक्षीय-भाषण

स्वजातीय बन्धुओं,

मध्यप्रदेश एवं राजस्थान पाटीदार समाज के पंचम प्रांतीय अधिवेशन में प्रांत के कौने-कौने से अपने व्यक्तिगत काम धन्धों को छोड कर इस चिल चिलाती झुलसा देने वाली गर्मी में आप लोंगो ने पधार कर अधिवेशन की शोभा बढाई है । यहां आकर आपने अपने संगठन के प्रति स्नेह एवं समर्पण का परिचय दिया है । आपका

उद्देश्य स्वार्थसिद्ध नहीं बल्कि समाज के व्यापक हित के लिये आपका समर्पण है। अतएव मैं अपना पवित्र कर्तव्य समझते हुए आपकी उज्जवल भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आप स्वजातीय बन्धुओं का हार्दिक अभिनन्दन करता हूं।

हमारा पाटीदार समाज भारत वर्ष में बहु संख्यक समाज हैं। देश काल के अनुसार पाटीदार समाज अनेक नामों से जाना जाता है – जैसे कुर्मी, कुनबी, कुल्मी, पटेल, पाटीदार आदि। हमारा यह समाज विशेषकर उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, बिहार, उडीसा, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात आदि प्रांतो में बसा हुआ हैं। स्कन्द पुराणमें कुर्म ऋषि की परंपरामें ८० वंशो का उल्लेख मिलता है। हमारे महान ग्रंथ, वेदपुराण, रामायण, महाभारत आदि में पाटीदार समाज की गौरव गरिमा मिलती हैं। आर्य संस्कृति की इस महान जाति की गौरव गरिमा शास्त्र सम्मत हैं।

मध्यप्रदेश पाटीदार समाज संगठन की स्थापना २ अक्टूबर १९७४ को उज्जैन में मन्दसौर जिले के पाटीदार समाज के प्रबुद्ध कार्यकर्ताओं द्वारा की गई हैं।

प्रथम अधिवेशन उज्जैन में दिनांक १०–११ जनवरी १९७६ को श्री किशनभाई मुकाती इन्दौर की अध्यक्षता में हुआ।

श्री खेमचन्द भाई की अध्यक्षता में द्वितीय अधिवेशन उज्जैन में १३–१४ मई १९७८ को तथा तृतीय अधिवेशन इन्दौर में २–३ जून १९७९ को सम्पन्न हुआ।

चतुर्थ अधिवेशन शाजापुर में ३०–३१ मई १९८१ को श्री परशुरामजी पाटीदार मन्दसौर की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ।

इस अधिवेशन के अवसर पर हमें विचार करना हैं कि क्या हम प्रगति की ओर बढ रहे हैं ? या उन्ही रुढियों से ग्रस्त होकर आर्थिक संकटों में फसे हैं ? रुढियो से ग्रस्त समाज अपनी भावि पीढी के लिये आशिक्षा, गरीबी, एवं कर्ज का बोज लाद कर चला जाता है। अर्थप्रदर्शन के दिखावटी समारोह बन्द करके अपनी गाढी कमाई को उद्योग, व्यापार, शिक्षा एवं प्रगति के कार्यो में लगाने की ओर ध्यान दीजिये।

समाज संगठन : आज समाज संगठन की प्रासंगिकता तीव्रता से अनुभव की जा रही है। छिन्नभिन्न भारत को पुनर्गठित करनेवाले महान नेता सरदार वल्लभभाई पटेल से प्रेरणा लेकर भारत में बिखरे समाज को संगठित करने में लग जाईये। संगठन के माध्यम से ही परिवर्तन एवं सुधार हो सकेंगें। गांव से लेकर प्रदेश तक का संगठन हम सबके प्रयास से सफल हो गया है। अब अखिल भारतीय पाटीदार समाज की और बढना है। म. प्र., राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश को मिलाकर यह प्रयास भी सफल हो जावेगा।

शिक्षा : सुसंस्कारी शिक्षा व्यक्तिगत जीवन का प्राण है । इस बात को ध्यान में रखकर कालेज स्तर तक के लिये छात्रावासों के निर्माण का शुभारंभ हुआ है । मन्दसौर, हाटपीपल्या, सोमाखेडी, मण्डलेश्वर में छात्रालयों का लाभ मिलने लगा है । जावरा, नीमच, रतलाम, धार, बदनावर, खरगोन, उज्जैन, शाजापुर, भोपाल, झालावाड में भी भवन निर्माणाधीन हैं । वर्तमान में देवालयो से भी अधिक जरुरत शिक्षालयों की हैं ।

महिला जागृति : गाडी के दो पहियों की भांति समाज में नारी का भी समान महत्व मानकर महिलाओं को भी संगठन में बराबरी का दर्जा देना जरुरी है । बालिकाओं की शिक्षा के प्रति विशेष प्रयत्न करने है । यदि भावी पीढी को सुसंस्कारित बनाना है, तो स्त्री शिक्षा पर पहले ध्यान दिजिये ।

युवा जागृति : युग–युगान्तर इतिहास साक्षी है कि अत्याचार, अनाचार, भ्रष्टाचार, दुराचार से संपर्क करने में युवकों का योगदान व बलिदान सर्वोपरि रहा है । आज का नव युवक मार्ग भ्रष्ट होता जा रहा है । शिक्षा के द्वारा उन्हें भी सुसंस्कारित बनाया जा सकता है । अब सरदार पटेल युवा संगठन बन गया है । मैं युवको से अपील करता हूं कि इस संगठन में शामिल होकर समाज की प्रगति में अपना योगदान दीजिये ।

सामूहिक शादियां : सामूहिक शादियों से समय, धन और श्रम की बचत होती हैं । सामूहिक शादियों से लाभ ही लाभ हैं । बसंतपंचमी और अक्षय तृतीया पर म. प्र., राजस्थान के कई स्थानो पर सामूहिक शादियां होने लगी हैं । जिन क्षेत्रो में सामूहिक शादियां नहीं हो रही हैं, वे भी प्रयास करें । हम सब उनके साथ हैं ।

राजनीति : राजनीति एवं धर्मनीति दोनों से मानव का कल्याण होता हैं । इस लिये सुयोग्य व्यक्तियों को राजनीति में जाकर, विधानसभा, संसद, मंत्रीमंडलो में शामिल होकर समाज की प्रगति में सेवा भाव से कार्य करना चाहिये । हमारा कर्तव्य हैं कि योग्य, त्यागी, गंभीर तथा सेवाभावी उमीदवारों को चुनाव में विजयी बनायें ।

पाटीदार जागृति : हर संस्थान को प्रचार प्रसार के लिये पत्रिकाओं की आवश्यकता होती है । 'पाटीदार जागृति' हमारे समाज की आत्मा है । हम सब मिलकर इसे पाटीदार समाज के प्रत्येक ग्राम व घरों तक पहुंचावे । सामूहिक शादियों के अवसर पर सभी जोडों को सदस्य बनावें । प्रत्येक गांव में कमसे कर आजीवन तथा १० वार्षिक सदस्य बनाना आवश्यक हैं ।

चैनसिंह पाटीदार
अध्यक्ष, म. प्र. एवं. राजस्थान पाटीदार समाज

म. प्र. एवं राजस्थान पाटीदार समाज के पंचम प्रांतीय अधिवेशन में पारित प्रस्ताव

मन्दसौर जिले के नीमच नगर में दिनांक २१ व २३ मई १९८८ को सम्पन्न म. प्र. एवं राजस्थन पाटीदार समाज के पंचम प्रांतीय अधिवेशान में सर्वानुमति से निम्न प्रस्ताव पारित किये गये । इन्हें पारित करने की तिथि २२ मई से ही म. प्र. एवं राजस्थान के प्रत्येक जिले मैं लागू किये जाते हैं :

शिक्षा एवं छात्रावास

आज शिक्षा समाज की अनिवार्य आवश्यकता है, इस हेतु प्रत्येक जिले में छात्रावास निर्माण किये जाएं । जिन जिलो ने जहां ट्रस्ट गठित नहीं है, वहां विधिवत ट्रस्ट गठित किये जावें । इसके लिये जिला पाटीदार समाज सक्रिय पहल करे और आगामी दो वर्षो में छात्रावास भवन पूर्ण करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जावें । जहां ट्रस्ट गठित हो चुके है और छात्रावास निर्माण कार्य चालू है उनको त्वरित गति से पूरे किये जाकर छात्रों को आवास सुविधा प्रदान कर राहत दी जावे । विभिन्न जिलो में शैक्षणिक व सामाजिक न्यासों द्वारा त्रय की गई भूमि पर छात्रावासों के निर्माण को ही प्रथम प्राथमिकता दी जावें । अर्थात छात्रों के रहने के लिये पर्याप्त कमरे भोजनालय कक्ष वाचनालय, मीटिंग हाल आदि का निर्माण होने के बाद ही विश्रामगृह, संस्कार भवन, धर्मशाला या मन्दिरों के निर्माण की योजना बनाई जावें ।

छात्रावास निर्माण हेतु कोष एकत्रित की रीति–नीति अपने–अपने जिले की परिस्थितियों के अनुरुप प्रति परिवार या जमीन के आधार पर प्रति वर्ष अनिवार्य चन्दा एकत्रित किया जावे । जिला पाटीदार समाज की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति किसी भी संस्था के लिये चन्दा एकत्रित नहीं करेगा ।

विभिन्न जिलो में निर्माणाधीन छात्रावासों या भविष्य में निर्मित होने वाले छात्रावासों के निर्माण की एक रुपता तथा रहनेवाले छात्रों के समान आचार संहिता तैयार किया जावेगा । छात्रावासों में समाज के किसी भी जिले के छात्र को प्रवेश पाने की पात्रता होगी । छात्रों को प्रवेश अहर्तादायक परीक्षा के प्राप्तांको एवं पालकों की आर्थिक स्थिति के आधार पर दिया जावेगा ।

ग्राम स्तर पर ग्राम समितियां समाज के बाल मंदिर संचालन कर बालकों को सुसंस्कारित शिक्षा देने की समुचित व्यवस्था करें । इन बालमंदिरों में अध्यापन हेतु समाज के सुशिक्षित पुरुष या महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर नियुक्ति दी जावें, महिला मण्डल स्थापित कर ग्राम स्तर पर महिलाओं में व्याप्त रुढिवाद को मिटाने एवं मातृशक्ति को जगाने के प्रयास किये जावें ।

पाटीदार जागृति पत्रिका

संगठन की मुख्य पत्रिका पाटीदार जागृति की आर्थिक स्थिति सुदृढ करने के लिये तथा समाज की प्रगतिशील नीतियों एवं कार्यक्रमो को प्रत्येक गांव एवं प्रत्येक घर में पहुंचाने के लिये अधिक से अधिक सदस्य बनाये जावें। कम से कम प्रत्येक गांव में दो आजीवन एवं ५ वार्षिक सदस्य ३१ अक्टूबर ८८ तक अवश्य बनाये जावें। जिला पाटीदार समाज के अध्यक्ष पर यह दायित्व हैं कि वे तहसील एवं ग्राम समिति के सहयोग से इस कार्य को पूर्ण करें।

कार्य समिति के निर्णयानुसार ग्राम समिति के अध्यक्ष एवं सचिव पत्रिका के वार्षिक सदस्य एवं तहसील जिला व प्रांत समितियों के प्रत्येक पदाधिकारी को आजीवन सदस्य बनना अनिवार्य हैं। यह कार्य १२ जून १९८८ को होने वाले प्रांतीय कार्यकारिणी के निर्वाचन तक हो जाना चाहिए।

प्रतिवर्ष विभिन्न जिलों में सामूहिक विवाह आयोजित करनेवाली समितियों के पदाधिकारियों से निवेदन हैं कि विवाह मंडप में आये हुवे प्रत्येक जोडे को आजीवन सदस्य बनाया जावें, तथा सामूहिक विवाह के विज्ञापन एवं आय-व्यय का हिसाब जागृति में प्रकाशनार्थ भेजा जावें।

समाज के प्रत्येक व्यवसायिक संस्थान के मालिकों से अनुरोध हैं कि वे जागृति को विज्ञापन प्रदान कर आर्थिक सहयोग प्रदान करें।

पत्रिका के स्तर को सुधारने एवं इसकी उपयोगिता को बढाने के लिये तथा अधिकृत व विश्वसनीय खबरों की प्राप्ति हेतु प्रत्येक तहसील स्तर पर संवाददाता नियुक्त किये जावें। इस हेतु इच्छुक व्यक्ति प्रबन्ध सम्पादक पाटीदार जागृति मन्दसौर को अपनी योग्यता एवं समाज सेवा के विवरण सहित आवेदन प्रस्तुत करें।

सम्पादक मण्डल के प्रत्येक सदस्य की न्यूनतम योग्यता प्रतिवर्ष ५ आजीवन एवं २५ वार्षिक सदस्य बनाने की तय की जाति है। इसे पूरा न करने पर वार्षिक बैठक में अन्य योग्य व्यक्ति को सम्पादक मण्डल में मनोनीत कर लिया जावेगा।

संगठन

समाज के आम निर्वाचन के दौरन जिन गांवों में ग्राम समितियां नहीं बन पाई हैं, उन प्रत्येक गांवो में प्रांतीय निर्वाचन १२ जून १९८८ के पश्चात् भी ग्राम समितियां गठित की जाने का कार्य तहसील समितियां करे और इसकी सूचना जिला एवं प्रांत के सचिव को भेजी जावें।

विवाह

प्रत्येक जिले में जिला पाटीदार समाज की कार्य समिति के तत्वावधान में उपर्युक्त स्थान पर प्रतिवर्ष वसन्त पंचमी या अक्षय तृतीया पर सामूहिक बालिक विवाह आयोजित किये जायें। लडके - लडकियों को सामूहिक विवाह में पंजीयन करने के पूर्व उनकी आयु के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होंगे।

यदि किसी क्षेत्र में किन्हीं कारणवश सामूहिक विवाह आयोजित नहीं हो पावे तो ग्राम समितियां ग्राम स्तर पर ही बसंत पंचमी या अक्षय तृतीया पर ही विवाह आयोजित करें ।

विवाह विच्छेद या छूटमेल

समाज में मनमानें तौर पर विवाह के बाद वधू या बहु को छोडने की प्रथा फैल रही हैं । यह प्रथा समाज के लिए घातक है और इस प्रथा पर प्रतिबन्ध लगाने की अत्यन्त आवश्यकता है । अतः समाज में मनमाने तलाक पर प्रतिबन्ध लगाया जाता है और समाज की प्रत्येक तहसील में बसनेवाले पाटीदार समाज में तलाक के प्रकरण का निराकरण करने के लिये प्रत्येक तहसील के लिए जिला पाटीदार समाज एक ११ सदस्यों की परिषद का गठन करें । इस परिषद को छूटमेल या तलाक से संबंधित प्रकरण के सुनवाई करने का अधिकार दिया जाता हैं । परिषद तलाक स्वीकृत करने के पूर्व दोनों पक्षों में समझौता करायगी और समझौता न होने की दशा में तलाक स्वीकृत कर सकती हैं ।

जब तक इस परिषद से कोई भी समझौता नहीं हो जता हैं, तब तक किसी भी पक्ष को दूसरी शादी करने का अधिकार नहीं होगा । परिषद का निर्णय पाटीदार जागृति में प्रकाशित किया जावेगा ।

जिन लडके–लडकियों का बाल विवाह रचाया गया हैं उनमें छूटमेल के प्रकरण की सुनवाई करने का अधिकार परिषद को नहीं होगा ।

बाल विवाह से अभिप्राय है कि विवाह के समय लडकी की आयु १८ वर्ष और लडके की आयु २१ वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए । यह परिषद बाल संबंध या बाल विवाह के छूटमेल हो जाने के प्रकरणों की सुनवाई नहीं करेगा क्यों कि बाल संबंध ही बाल विवाह का जनक हैं और बाल विवाह ही छूटमेल या तलाक का कारण होता है ।

परिषद से तलाक लिये बिना विवाह के किसी पक्ष को कोई अपना लडका या लडकी देगा तो उस लडका या लडकी देने वाले पक्ष को सामाजिक नियमों का उल्लंघन कर्ता माना जावेगा और परिषद उस पर उचित कार्यवाही करके तुरन्त प्रभावशाली करेंगी ।

मृत्यु भोज या प्रेत भोज

मृत्यु भोज या प्रेत भोज समाज में समाप्त किये जाते हैं एवं आज से मृत्युभोज की चिट्ठियां नहीं लिखी जावेगी । मृतक के कुटुम्बी एवं निकट रिश्तेदार १२ वे के दिन श्रद्धांजलि कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं । १२ वे दिन उपस्थित होने वाले शुभ चिंतको को सादा भोजन कराया जावेगा ।

आर्थिक

वर्तमान युग में वहीं व्यक्ति परिवार या समाज सुखी एवं समृद्ध माना जाता हैं जिसकी आर्थिक स्थिति सुदृढ होती है । चूंकि हमारा समाज मूलतः कृषक समाज हैं अतः कृषि उपजों के लाभदायक मूल्यों की प्राप्ति समाज की आर्थिक समृद्धि की पहली पूर्ति है । कृषि उपज मण्डियों में व्याप्त व्यापारियों, आडतियों एवं हम्मालों की तानाशाही एवं शोषणकारी प्रवृत्तियों से पाटीदार बन्धुओं की सुरक्षा के लिए ग्राम स्तर पर समाज के गोदाम बनाये जावे । प्रांतीय स्तर पर समाज का पटेल बैंक स्थापित किया जावे जिसकी शाखायें समाज के हर गांव में खोली जावे । यह बैंक ग्राम स्तर पर गोदाम में रखी गई ऊपजों की जमावट के आधार पर उत्पादक कार्यो हेतु ऋण प्रदान करें । इस हेतु ग्राम स्तर पर साख एवं विपणन सहकारी समितियां भी स्थापित की जावें ।

उपरोक्त प्रस्तावों का पालन समाज की ग्राम स्तर से लगाकर तहसील जिला एवं प्रांतीय स्तर तक की समितियों के पदाधिकारियों एवं सदस्यों को करना अनिवार्य होगा । जिला स्तर पर भी इनका उल्लंघन होगा तो उस स्तर की कार्य समिति दोषी पदाधिकारी को पद से हटा सकेगी एवं उस पद पर अन्य सदस्य कों निर्वाचित कर सकेगी । समस्त कार्यवाही जागृति में प्रकाशित की जावेगी ।

प्रांताध्यक्ष

श्री चेनसिंहजी पाटीदार

म. प्र. एवं. राजस्थान समाज पाटीदार

किसान सम्मेलन में ज्ञापन

नीमच, २२ मई १९८८ के मन्दसौर जिले में नीमच में आयोजित म. प्र. पाटीदार समाज का यह अधिवेशन माननीय श्री राजमणी पटेल राजस्व राज्यमंत्री म. प्र. के मुख्य आतिथ्यमें सम्पन्न किसान सम्मेलन में पारित प्रस्ताव के माध्यम से शासन से मांग करता हैं कि : –

१ कृषि उद्योग का प्राथमिक अंग है । अतः कृषकों को भी उद्योगो के समान सारी सुविधाएं प्रदान की जावें ।

२ ट्यूबवेल के द्वारा कृषि के क्षेत्र में कृषकों की बडी भारी हानि हो रही है कारण की टयूबवेल से पडौसी कृषक का कुवा सुख जाता है या वह ट्यूबवेल स्वयं थोडे दिनो में सुख जाता हैं। इन ट्यूबवेलों से होने वाली हानि को राज्य शासन वहन करे ।

३ कृषकों को कृषि उत्पाद न्यायोचित मूल्य दिलानें की व्यवस्थ तुरन्त की जावे। मंडियों द्वारा कृषको के शोषण को समाप्त करें। व्यापारियों के शोषण पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिये मंडियों का प्रशासन आई. ए. एस. अधिकारियों की नियुक्तियों द्वारा किया जावें।

४ किसान को कृषि में नुकसान की भरपाई बीमा योजना द्वारा की जावें।

५ नारकोटिक्स एण्ड सायको सबस्टन्स एक्ट के कानून के कठोर प्रावधानों के कारण झूठे प्रकरणों के कारण हो रहे भ्रष्टाचार को रोका जावे।

६ विद्युत का अनुबन्ध बोर्ड एवं कृषक दोनों पर समान रुप से द्विपक्षी रुप से लागू किया जावें।

७ ग्रामीण किसानों के लडकों का एग्रीकल्चर कालेज में भर्ती के लिये कोटा निर्धारित करें।

८ ग्राम में स्वास्थ्य सेवाएं नगण्य हैं, क्वालीफाइड डाक्टर गांव में दवाखाना खोलता ही नहीं हैं। अतः नीम हकीमों के द्वारा ही इलाज कराने पर विविश होना पडता हैं। इस समस्या के हल के लिये कम से कम मेडिकल शिक्षण संस्थानों में डिप्लोमां कोर्स खोला जावे और ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों के शिक्षण के लिये सुविधाएं उपलब्ध कराई जावें।

९ पाटीदार जाति को पिछडी जाति में घोषित किया गया है, परन्तु कुछ जिले में विषेशकर धार व झाबुआ के कुल्मी पाटीदार समाज के विद्यार्थियों की शैक्षणिक छात्रवृत्ति नहीं दी जाती हैं, इस भेदभाव को मिटाकर छात्रवृत्ति दी जाने के आदेश दिये जावें।

१० कृषकों की मांग की गणना करने एवं कृषि उपजों के लागत पर आधारित मूल्य निर्धारित करने हेतु एक लागत मण्डल तैयार किया जावे जिसमें घरेलु एवं क्रयकिये गये खाद, बीज दवाई जल आदि की लागत तथा परिवार के सदस्यों के श्रम एवं किराये पर लगाये गये बाह्य श्रमिकों के पारिश्रमिक को भी जोडा जाकर युक्ति युक्त प्रति हेक्टर एवं प्रति क्विंटल लागत ज्ञात की जावे। ताकि राजस्व अधिकारी कृषकों की आय का मनमाना आंकलन न कर सके तथा मण्डियों में उपजों की लागत से भी कम मूल्य पर निलामी कर सके।

डो. प्रह्लाद पाटीदार
मन्दसौर

मध्यप्रदेश पाटीदार समाज

श्री राम मन्दिर हनुमान गढी उज्जैन (म.प्र.)

मध्यप्रदेश पाटीदार समाज के १९७८ के पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी के सदस्यों की सूची :

१. अध्यक्ष : श्री खेमचंदभाई पाटीदार, पाटीदार मशीनरी स्टार्स, मनावर, जिला धार (म. प्र.)

२. सचिव : श्री राजारामजी पाटीदार, बी. एस. सी. (आनर्स), ५ अशोकनगर, उज्जैन

३. कोषाध्यक्ष : श्री सेठ बद्रीनारायणजी पाटीदार, कमीशन एजेन्ट, दौलतगंज, उज्जैन

४. उपाध्यक्ष : १. श्री छगनलालजी वर्मा, १२, मुसद्दीपुरा, उज्जैन
२. श्री आत्मारामजी देवजी पाटीदार, ग्राम बडिया, मांडू, पो. देवगढ, जिला देवास
३. श्री निर्भयसिंहजी नायक, गांव पो. बोलाई, जिला शाजापुर

५. उपसचिव : श्री रामनिवास पाटीदार, सब इन्जिनियर पी.एच.ई. गम्भीर प्रोजेक्ट, उज्जैन

६. उपकोषाध्यक्ष : श्री रामनारायणजी गामी व्याख्याता, सतीगेट, उज्जैन

७. संगठन सचिव : १. श्री हरीसिंहजी बद्रीलालजी पाटीदार, ग्राम व पोस्ट खरसोद, कला, जिला उज्जैन
२. श्री उमरावसिंहजी पाटीदार, ग्राम भूतिया बुजुर्ग पो. भूतिया जिला देवास
३. श्री रामरतनजी पाटीदार, ग्राम. पो. बिडवाल, जिला धार
४. श्री कनुभाई पटेल, तम्बाकू के व्यापारी, नीमच, जि. मन्दसौर
५. श्री पन्नालालजी पाटीदार, ग्राम व पोस्ट बिलपांक, जिला रतलाम
६. श्री रामचन्दजी केलोत्रा, ग्राम व पोस्ट कोदरिया, जिला इन्दौर
७. श्री भेरूसिंहजी जालमसिंहजी, ग्राम गुवाली, पो. जावर, जिला सिहोर
८. श्री देवीसिंहजी भीमावत, ग्राम पो. तिलावद, गोविन्द, जिला शाजापुर
९. श्री मांगीलाल पाटीदार प्रधान पाठक, ग्राम पोस्ट कवडिया, जिला खरगोन

८. केन्दीय कार्यकारिणी के सदस्यगण :
१. श्री बालचन्दजी कुल्मी बी.ई.ज्यू. इन्जिनियर फोन्स, देवास गेट, उज्जैन
२. " गोवर्धनसिंहजी गोठी, ६८, लक्ष्मीनगर, उज्जैन
३. " सेठ भ्रमरसिहजी बोन्दाजी पाटीदार, ग्राम व पोस्ट कसरावद जिला देवास
४. " कन्हैयालाल बालारामजी सूर्या, ग्राम महूखेडा पो. नेवरी, जिला देवास
५. " अर्जुनभाई तेल्या पाटीदार ग्राम व पोस्ट कुक्षी जिला धार
६. " डो. राजेन्दकुमार पाटीदार, ग्राम व पोस्ट कुक्षी, जिला धार
७. " सुखलालजी पाटीदार, एडवोकेट, मन्दसौर
८. " रामलालजी प्रभुलालजी एडवोकेट, ग्राम व पोस्ट नाराणयगढ, जि. मन्दसौर
९. " चुनीलालजी पाटीदार, ग्राम व पोस्ट घराड, जिला रतलाम
१०. " भंवरलालजी पाटीदार, ग्राम व पोस्ट पीपल्या जोधा जिला रतलाम
११. " किसनभाई पटेल, ग्राम व पोस्ट गवली पलासिया, जिला इन्दौर
१२. " हरिनारायणजी हरन्या, पाटीदार सदन, ४८-ए जानकी नगर, इन्दौर
१३. " आत्मारामजी पटेल, ग्राम व पोस्ट करनोद - मिरजी जिला सिहोर
१४. " वैजनाथप्रसादजी, ग्राम व पोस्ट खोखराकला, जिला शाजापुर

१५. " शिवनारायणजी इन्दिया, एडवोकेट, शाजापुर
१६. " ठाकुरलालजी पाटीदार ग्राम पोस्ट सोमाखेडी, जिला खरगौन
१७. " गजानन्दजी मंडलोई, ग्राम व पोस्ट बालसमुन्द, जिला खरगोन
१८. " परशुरामजी पाटीदार, एडवोकेट, नई आबादी, मन्दसौर
१९. " माखनसिंह पटेल C/O रायल बस सर्विस, १६४, टागोर मार्ग, इन्दौर
२०. " पुरषोत्तम भाई पटेल, बुधवारा, बुरहानपुर, जिला खण्डवा
२१. " जगन्नाथजी भालोट, चेरमेन, नगरपालिका नलखेडा, जिला शाजापुर
२२. " मधुसूदनजी देसाई, ग्राम पोस्ट सुनेल, जिला झालावाड (राजस्थान)
२३. " लक्ष्मणजी झालुडिया, ग्राम पोस्ट सुन्देल, जिला धार
२४. " रामप्रसादजी बोहरा, भूतपूर्व एम. एल. ए., झालावाड (राजस्थान)
२५. " डा. एस. एल. पाटीदार, एम. बी. बी. एस., एम. एस., ५४३, एन. ३ बी. सेक्टर, पिपलानी, भोपाल
२६. " नर्मदा प्रसाद माधव, एम. टेक., ५९, टोली वाली मस्जिद रोड, भोपाल.

म. प्र. पाटीदार समाज का चुनाव मण्डल :

अध्यक्ष : प्रो. बी. एल. कुल्मी, १७ बैताल मार्ग माधवनगर उज्जैन
सदस्य : १. श्री बदीलालजी नायब तहसीलदार उज्जैन
२. श्री डो. जी. पी. पाटीदार, पाटीदार नर्सिंग होम ११, सुभाष मार्ग इन्दौर ३

म. प्र. पाटीदार समाज के आडिटर्स :

१. प्रोफेसर भंवरलालजी कुल्मी १७, बेताल मार्ग, माधव नगर उज्जैन
२. श्री हरिनारायणजी हरण्या पाटीदार सदन ४८, ए. जानकी नगर इन्दौर
३. श्री चतुरभुजजी पाटीदार ग्रा. बांदोडी पो. सरदारपुर जिला धार

मध्यप्रदेश पाटीदार समाज की जिला इकाईयों की जिलावार पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी के सदस्यों की सूचियां सन् १९७८

१ जिला शाजापुर

अध्यक्ष : श्री भेरुसिंहजी पाटीदार ग्रा. पो. दुपाडा तहसील शाजापुर
उपाध्यक्ष : " जगन्नाथजी भालोट ग्रा. पो. नलखेडा तहसील सुसनेर
सचिव : " शिवनाराणजी इन्दिया एडवोकेट आजाद चौक शाजापुर
सहसचिव : " लक्ष्मीनारायणजी पाटीदार ग्रा. गांवडी पो. मंगलाज तहसील शाजापुर
संगठन सचिव : " भागीरथजी पाटीदार ग्रा. पो. चाकरोद तहसील शुजालपुर
कोषाध्यक्ष : " मणीशंकर मण्डलोई, प्राध्यापक डिग्री कालेज शाजापुर

जिला कार्यकारिणी के सदस्यगण :

१. श्री हिम्मतसिंहजी आलाउमरोद वाले ग्रा. बेरछा मण्डी पो. बेरछा
२. " दौलतसिंहजी मण्डलोई ग्रा. लाहोरी पो. लडावद तहसील शाजापुर
३. " डो. शिवनारायणजी नायक ग्रा. पो. बोलाई तहसील शाजापुर

४. " डॉ. भागीरथजी नाहर ग्रा. पो. बेरछा तहसील शाजापुर
५. " घांसीरामजी पूत्र सूरतसिंहजी कुलमी ग्रा. लाहोरी पो. लडावद तहसील शाजापुर
६. " जगदीशप्रसादजी माखनसिंहजी कुलमी ग्रा. लाहोरी पो. लडावद तहसील शाजापुर
७. " डॉ. के. सी. मण्डलोई महुपुरा शाजापुर
८. " राजमलजी भीमावत शाजापुर
९. " उंकारसिंहजी पुत्र भागीरथजी पाटीदार ग्रा. पो. तिलावद गोविन्द
१०. " जयनारायणजी पाटीदार ग्रा. पो. उगली तहसील शुजालपुर
११. " नरसिंहजी पाटीदार ग्रा. पो. बेहरावल तहसील शुजालपुर
१२. " रामेश्वरजी पाटीदार ग्रा. कोहडिया पो. पीलवास तहसील सुसनेर
१३. " लक्ष्मीनारायणजी पुत्र भवरलालजी पाटीदार ग्रा. लोलकी पो. सोमाखेडी
१४. " पीरूलालजी पुत्र गोपालजी पाटीदार ग्रा. पो. मोडी तहसील सुसनेर
१५. " शंकरलालजी ग्रा. सालियाखेडी पो. सोयतकलां तहसील सुसनेर

म. प्र. पाटीदार समाज की साधारण सभा के प्रतिनिधि :

१. श्री निर्भयसिंहजी नायक ग्रा. पो. बोलई तहसील शाजापुर
२. " बैजनाथ प्रसादजी लेवे ग्रा. पो. खोकराकला तहसील शुजालपुर
३. " देवीसिंहजी भीमावत ग्रा. पो. तिलावद गोविन्द तहसील शाजापुर
४. " ओमप्रकाशजी मण्डलोई ग्रा. लाहोरी पो. लडावद तहसील शाजापुर
५. " शिवनारायणजी गोठी अध्यापक ग्रा. पो. तलखेडा तहसील सुसनेर

२ उज्जैन

अध्यक्ष : श्री बदीलालजी जगन्नाथजी पटेल ग्रा. तोवरी खेडा पो. तराना
उपाध्यक्ष : " हरिसिंहजी बदीलालजी पाटीदार ग्रा. पो. खरसोद कालां
सचिव : " गोवर्धनसिंहजी गोठी लक्ष्मीनगर कालोनी उज्जैन
सहसचिव : " बालचन्दजी कुलमी ज्यू. इन्जिनियर फोन्स देवास गेट उज्जैन
संगठन सचिव : " रामेश्वरजी पाटीदार सी. आई. एक्साईज, देसाई भवन, फीगंज उज्जैन
कोषाध्यक्ष : " सेठ बदीलालजी पाटीदार कमिशन एजेन्ट दौलतगंज उज्जैन

जिला कार्यकारिणी के सदस्यगण :

१. श्री मानसिंहजी आत्मारामजी पाटीदार ग्रा. सामगी पो. तराना
२. " रामेश्वरजी गामी अध्यापक ग्रा. पो. माकडोन तहसील तराना
३. " जगन्नाथजी कनीरामजी पाटीदार ग्रा. कलाल खेडी तहसील खाचरोद
४. " नाथूलालजी पूनमचन्दजी पाटीदार ग्रा. मडावदा तहसील खाचरोद
५. " गेन्दालालजी नरसिंहजी पाटीदार ग्रा. पो. मोलाना तहसील बडनगर
६. " रमेशचन्द दौलतसिंहजी पाटीदार ग्रा. पो. सुवासा तहसील बडनगर
७. " सेठ मोहनलालजी पाटीदार ग्रा. पो. ताजपुर तहसील उज्जैन
८. " दुलीचन्दजी नाहर एडवोकेट बेरछावाले कार्तिक चौक उज्जैन
९. " बालमुकुन्दजी पाटीदार ग्रा. पेटलावाद तहसील महिदपुर
१०. " कालुरामजी रामसिंहजी पाटीदार ग्रा. नोगांवा तहसील तराना

म. प्र. पाटीदार समाज के साधारण सभा के प्रतिनिधि :

१. श्री छगनलालजी वर्मा १२, मुसद्दीपुरा उज्जैन
२. " रामनारायणजी गामी व्याख्यता. भागसीपुरा उज्जैन
३. " राजारामजी पाटीदार ५, अशोकनगर उज्जैन
४. " शंकरलालजी पाटीदार ग्रा. पो. मोलाना तहसील बडनगर
५. " रामनिवासजी पाटीदार सब इन्जीनियर गम्भीर प्रोजेक्ट उज्जैन

३ जिला भोपाल

अध्यक्ष : श्री डॉ. शंकरलालजी पाटीदार ६४३ एन. ३बी, सेक्टर पिपलान भोपाल
उपाध्यक्ष : " राजारामजी गुजराती ग्राम. बावडिया कलां पो. मिसरोद तहसील भोपाल
सचिव : " जगनतनारायण नगोना ८, तलैया रेतघाट, भोपाल
संगठन सचिव : " ठाकुरप्रसाद पाटिल, भोपाल
कोषाध्यक्ष : " मुरलीधर पाटिल, भोपाल

जिला कार्यकारिणी के सदस्यगण :

१. श्री नर्बदाप्रसाद माधव ५९, टोलवाली मस्जिद रोड भोपाल
२. " जमनाप्रसाद पटेल–भोपाल
३. " राधाकृष्ण इन्दौरिया ग्रा. पो. तूमडा तह. भोपाल
४. " सुन्दरलाल पाटीदार–भोपाल

४ जिला सिहोर

अध्यक्ष : श्री आत्मारामजी पाटीदार, ग्रा. अरोलिया पो. आष्टा
उपाध्यक्ष : " आत्मारामजी पाटीदार ग्रा. पो. कन्नौद मीरजी तह आष्टा
सचिव : " भेरुसिंहजी कोठारी ग्रा. पो. खजूरिया कासम आष्टा
सह सचिव : " दरियावसिंहजी ग्रा. गुवाली पो. जावर आष्टा
संगठन सचिव : " भेरूसिंहजी ग्रा. गुवाली पो. जावर आष्टा
कोषाध्यक्ष : " दरियावसिंहजी पाटीदार ग्रा. पो. गुराडिया वर्मा आष्टा

जिला कार्यकारिणी के सदस्य :

१. श्री रतनसिंहजी पाटीदार ग्रा. पो. जसमत तह. आष्टा
२. " हीरालालजी पाटीदार ग्रा. पो. नीलवड पो. जसमत तह. आष्टा
३. " नारायणसिंहजी पाटीदार ग्रा. पो. पगारिया हाट पो. जसमत तह. आष्टा
४. " रामभाउजी पाटीदार ग्रा. पो. बरखेडा तह. आष्टा
५. " सिद्धनाथजी पाटीदार ग्राम वैजनाथ पो. खमखेडा तह. आष्टा
६. " मांगीलालजी पाटीदार ग्राम जावर खजूरिया पो. जावर तह. आष्टा
७. " तुलसीरामजी पाटीदार ग्रा. बरछापुरा पो. गुराडिया वर्मा तह. आष्टा
८. " रामकिशनजी पाटीदार ग्रा. गुवाली पो. जावर तह. आष्टा
९. " आत्मारामजी पाटीदार ग्रा. रामपुरा पो. खाचरौद तह. आष्टा
१०. " हीरालालजी पाटीदार ग्रा. लाकिया पो. खजूरिया कासम तह. आष्टा

११. " सूरजसिंहजी पाटीदार ग्रा. पो. गुराडिया वर्मा तह. आष्टा
१२. " आत्मारामजी पाटीदार ग्रा. पो. खजूरिया कासम तह. आष्टा
१३. " मोतीलालजी पाटीदार ग्रा. पो. खजूरिया कासम, तह. आष्टा
१४. " नारायणसिंहजी पाटीदार ग्रा. गुवाली पो. जावर तह. आष्टा
१५. " सूरजसिंहजी पाटीदार ग्राम. रामपुरा पो. खाचरोद तह. आष्टा
१६. " नारायणसिंहजी पाटीदार ग्रा. हरनिया गांव पो. खडी तह. आष्टा
१७. " रतनसिंहजी पाटीदार ग्रा. नीलवड पो. जसमत तह. आष्टा

५ जिला देवास

अध्यक्ष	श्री सेठ अमरसिंहजी बोन्दाजी पाटीदार ग्रा. पो. करणावद तहसील बागली
उपाध्यक्ष	श्री सेठ दरियावसिंहजी भवानीरामजी ग्रा. पो. देरिया साहू
उपाध्यक्ष	श्री सियारामजी नारायणसिंहजी ग्रा. पो. दत्तोतर तहसील देवास
सचिव	श्री आत्मारामजी देवाजी पाटीदार ग्रा. बडिया माणडू पो. देवगढ तहसील तह. बागली
सह सचिव	श्री कन्हैयालालजी सूरिया ग्रा. महुखेडा पो. नेवरी तह. बागली
संगठन सचिव	श्री उमरावसिंहजी सालगरामजी ग्रा. भूतियावुजुर्ग पो. भूतिया तह. बागली
संगठन सचिव	श्री राधाकिशनजी भागीरथजी ग्रा. पो. नेवरी तह. बागली
कोषाध्यक्ष	श्री बदीलालजी जगन्नाथजी बारिया ग्रा. पो. देवगढ तह. बागली

जिला कार्यकारिणी के सदस्यगण

१. श्री उमरावसिंहजी सिद्धनाथजी ग्रा. पो. इकलेरा माताजी तहसील सोनकच्छ
२. श्री रामचन्दजी सिद्धनाथजी ग्रा. पो. राजोदा तहसील देवास
३. श्री जगदीशचंदजी दरयावसिंहजी पाटीदार ग्रा. पो. हाटपीपल्या तह. बागली
४. श्री रामनारायणजी देवीसिंहजी ग्रा. बेगरी पो. बागली तह. बागली
५. श्री अम्बारामजी सिद्धनाथजी ग्रा. पो. मानकुण्ड तह. बागली
६. श्री सेठ गंगारामजी ग्रा. गुराडियाकलां पो. चापडा तह. बागली
७. श्री देवीसिंहजी ग्रा. छतरपुरा पो. बागली
८. श्री बदीलालजी गणपतजी ग्रा. पो. आमलाताज तह बागली
९. श्री बोन्दाजी रुगाजी कचेरीवाला ग्रा. पो. करणावद तह. बागली
१०. श्री आशारामजी हरीजी ग्रा. भमोरी पो. चापडा तह. बागली
११. श्री रतनसिंहजी देवीसिंहजी ग्रा.नानूखेडा पो. आमलाताज तह. बागली
१२. श्री छीताजी धन्नाजी ग्रा.पो. अरलावदा तह. बागली
१३. श्री अम्बारामजी बाबूलालजी ग्रा.खजूरिया बीना पो. हाटपीपल्या तह. बागली

म. प्र. पाटीदार समाज की साधारण सभा के प्रतिनिधि

१. श्री शेठ अम्बारामजी भवानीरामजी गामी पो. देवगढ तहसील बागली
२. श्री जगदेवसिंहजी सालगरामजी ग्राम पो. सुनवानी गोपास तहसील देवास
३. श्री शान्तिलालजी अम्बारामजी गामी ग्राम पो. देवगढ तहसील बागली
४. श्री मधूसुदनजी निर्भयसिंहजी नाहर गांव पो. पीपलरावां तहसील सोनकच्छ

६. जिला इन्दौर

अध्यक्ष	श्री जगन्नाथजी चुन्नीलालजी पाटीदार ग्रा. पो. जोशी गुराडिया तहसील महु
उपाध्यक्ष	श्री गोपालजी धूलचन्दजी मुकाती ग्रा. पो. राऊ तह. इन्दौर
सचिव	श्री पूनमचन्दजी जगन्नाथजी मुकाती ग्रा. पो. रंगवास इन्दौर
सहसचिव	श्री रामचन्दजी केलोत्रा ग्रा. पो. कोदरिया तहसी महु
संगठन सचिव	श्री रामचन्द्र चुन्नीलालजी पाटीदार ग्राम पो. खजराना तहसील इन्दौर
कोषाध्यक्ष	श्री रामचन्द मुकुन्दरामजी ग्राम पो. रंगवासा

म. प्र. पाटीदार समाज की साधारण सभा के प्रतिनिधि

१. श्री शंकरलालाजी पटेल ग्रा. पो. जामली तहसील महू
२. किशनभाई पटेल ग्रा. पो. गवलीपलासिया तह. महू
३. श्री हरिनारायणजी हरण्या पाटीदार सदन, ४८ ए जानकीनगर इन्दौर
४. श्री नन्दराम देवरामजी ग्रा. पो. हरसोला तहसील महू
५. श्री मांगीलालजी पाडोलिया गांव पो. तिल्लोरखुर्द तहसील इन्दौर

७. जिला रतलाम

अध्यक्ष	श्री हरिरामजी पाटीदार एडवोकेट गांव पो. बराड, तहसील रतलाम
उपाध्यक्ष	श्री भंवरलालजी पाटीदार, ग्रा. पो. पीपल्या जोधा, तह. जावरा
सचिव	श्री विहारीलालजी पाटीदार एडवोकेट गांव पो. शिवपुर तहसील रतलाम
सहसचिव	श्री पन्नालालजी पाटीदार गांव पो. बिलपांक तहसील रतलाम
संगठन सचिव	श्री किशोरीलालजी पाटीदार गांव पो. बांगरोद, तहसील रतलाम
कोषाध्यक्ष	श्री रामचन्दजी काग गाव पो. सैलाना तहसील सैलाना

जिला कार्यकारिणी के सदस्यगण

१. श्री ऊंकारलालजी पाटीदार गांव पो. रिंगन्या तह. रतलाम
२. श्री नानालालजी पाटीदार गांव पो. खेडा पिपलोदी तह. रतलाम
३. श्री भेरूलालजी (राष्ट्रपति) गांव पो. बिरमावल तह. रतलाम
४. श्री नानुरामजी बंगाली गांव पो. जसवाडाखुर्द तह. रतलाम
५. श्रीकालुरामजी पाटीदार गांव पो. धामेडी तह. जावरा
६. श्री हरिरामजी शाह गांव पो. कलालिया तह. जावरा
७. श्री कनीरामजी शाह गांव पो. बडायलामाता तह. जावरा
८. श्री शंकरलालजी पाटीदार सैलाना तहसील सैलाना
९. श्री भेरुलालजी पाटीदार गांव पो. करिया तहसील सैलाना
१०. श्री राजमलजी पाटीदार गांव पो. निपान्या लिला तहसील आलोट
११. श्री जयन्तीलालजी पाटीदार गांव पो. उपरवाडा तह. जावरा
१२. श्री शंकरलालजी पाटीदार, गांव पो. जावरा तह. जावरा
१३. श्री बदीलालजी पाटीदार गांव पो. मोन्दीधरमसी तह. जावरा
१४. श्री रामेश्वरजी पाटीदार गांव पो. हनुमन्तिया तह. जावरा
१५. श्री रतनलालजी पाटीदार गांव पो. खोखरा तह. जावरा

म. प्र. पाटीदार समाज की साधारण सभा के प्रतिनिधि

१. श्री चुन्नीलालजी पाटीदार गांव पो. धराड तहसील रतलाम
२. श्री मोहनलालजी पाटीदार गांव पो. उमरथाना तह. रतलाम
३. श्री तुलसीरामजी पाटीदार गांव पो. बिरमावल तह. रतलाम
४. श्री लक्ष्मीनारायणजी पाटीदार गांव पो. गौन्दीधरमसी तह. जावरा
५. श्री रामेश्वरजी पाटीदार गांव पो. हनुमन्तिया तह. जावरा

८ जिला धार

अध्यक्ष	डॉ. राजेन्द्र कुमार पाटीदार गांव पो. कुक्षी तह. कुक्षी
उपाध्यक्ष	श्री रामरतनजी पाटिल गांव पो. बिडवाल त. बदनावर
सचिव	श्री तुकारामजी पाटीदार एडवोकेट गांव पो. मनावर तह. मनावर
सहसचिव	श्री अर्जुनसिंहजी तेल्या पाटीदार गांव पो. कुक्षी तहसील कुक्षी
संगठन सचिव	श्री कुंवरजीभाई पाटीदार गांव पो. सुसारी तहसील कुक्षी
कोषाध्यक्ष	श्री हीरालालजी पाटीदार गांव सीलकुआं पो.. कुक्षी तहसील कुक्षी

जिला कार्यकारिणी के सदस्यगण

१. श्री तुलसीरामजी गामी गांव. पो.. कोद तह. बदनावर
२. श्री गेन्दालालजी पाटीदार गांव पो. कोदई तह. बदनावर
३. श्री गेन्दालालजी पाटीदार गांव पो. दसाई तह. सरदारपुर
४. श्री विश्रामजी पाटीदार गांव पो. दसाई तह. सरदारपुर
५. श्री विश्रामजी पाटीदार, गांव पो. वांदेडी तह. सरदारपुर
६. श्री रामेश्वरजी पाटीदार गांव पो.. मनावर तहसील मनावर
७. श्री पूंजाजी पाटीदार गांव पो. सिरसाला व्हाया मनावर तहसील मनावर

म. प्र. पाटीदार समाज की साधारण सभा के प्रतिनिधि

१. श्री खेमचन्दभाई पाटीदार, पाटीदार मशीनरी स्टोर्स मनावर तह. मनावर
२. श्री हरीभाई मण्डवाडिया गांव सुसारी तह कुक्षी

९. जिला निमाड (खरगोन)

अध्यक्ष	श्री फतूलालजी पाटीदार ग्रा पो. पथराड व्हाया वडवाह जि. प. निमाड
उपाध्यक्ष	१. श्री ठाकुरलालजी पाटीदार (बराडिया) ग्रा. पो. कसरावद जि. प. निमाड
	२. श्री लक्ष्मणजी झालुडिया ग्राम. पो. सुन्देल जि. धार
सचिव	१. श्री मांगीलालजी पाटीदार प्रधान पाठक गाँव पो. कवडिया जि. प. निमाड
सहसचिव	१. श्री घीसीलालजी पाटीदार अध्यापक गांव पो. कसरावद जि. प. निमाड
	२. श्री भगवानजी पाटीदार अध्यापक गांव पो. धामनोद जि. धार
	३. जगन्नाथजी पाटीदार अध्यापक गांव पो. धामनोद जि. धार
संगठन सचिव	१. श्री ठाकुरलालजी पाटीदार गांव पो सोमाखेडी जि. प. निमाड
	२. श्री गजान्दजी मण्डलोई गांव बालसमुन्द जि. प. निमाड
	३. श्री घनश्यामजी पाटीदार गांव गुलझरा पो. धामनोद जि. धार
कोषाध्यक्ष	श्री जगन्नाथजी पाण गांव पो. घामनोद जि. धार

जिला कार्यकारिणी के सदस्य

१. श्री शोभारामजी पाण गांव करोंदिया पो. धरगांव जि. प. निमाड
२. श्री नारायणजी पण्डित गांव पो. नान्दा जि प. निमाड
३. श्री कृष्णाजी चम्पालालजी पाटीदार गांव पो. धामनोद जि. धार
४. श्री बाबूलालजी चन्देल गांव पो. सुन्देल जि. धार
५. श्री शंकरलालजी सरोज गाव पो. कुआ जि. प. निमाड
६. श्री शंकरलाल्जी पाटीदार (मास्टर) गांव पो. दवाना प. निमाड

१०. जिला मन्दसौर

अध्यक्ष श्री परशुरामजी पाटीदार एडवोकेट नई आवादी मन्दसौर
उपाध्यक्ष श्री प्रहलादजी पाटीदार प्राध्यापक हाउसिंगबोर्ड कालोनी मन्दसौर
सचिव श्री रामनिवासजी पाटीदार एडवोकेट, नीमच
सहसचिव श्रीसुखालालजी पाटीदार एडवोकेट मन्दसौर
संगठन सचिव श्री परमानन्दजी पाटीदार गांव पो. सावाखेडा जि. मन्दसौर
कोषाध्यक्ष श्री वालाराजजी पाटीदार गांव पो. सेमलियाहीरा जि. मन्दसौर

जिलाकार्यकारिणी के सदस्यगण

१. श्री बन्शीलालजी पाटीदार गांव पो. तितरोद
२. श्री वालकृष्ण लक्ष्मीनारायणजी पाटीदार गांव पो. गरोठ
३. श्री नानालाल तुलसीरामजी पाटीदार गांव पो. गुराडियाप्रताप
४. श्री कालूराम बाबूलालजी पाटीदार गांव पो. नयामाला हेडा
५. श्री परशुराम भंवरलालजी पाटीदार गांव पो. देवरी खवासा
६. श्री कैलाशचंद नंदलालजी एडवोकेट गांव पो. मनासा
७. श्री भूवानीरामजी पाटीदार गांव पो. उमरिया
८ श्री शिवराम ऊंकारलालजी एडवोकेट गांव पो. पीपल्या मंडी
९. श्री कन्हैलालजी भूवानीरामजी एडवोकेट गांव पो. नारायणगढ
१०. श्री शिवनारायणजी पाटीदार अध्यापक गांव पो. नारायणगढ
११. श्री माधवला भेरुलालजी पाटीदार गांव पो. पालसोडा
१२. श्री रामप्रसाद नारायणजी पाटीदार गांव पो. लासुर
१३. श्री कन्हैलाल रामनारायणजी पाटीदार गांव पो. सुवाखेडा
१४. श्री जानकीलाल सालगरामजी एडवोकेट गांव पो. वौरदा
१५. श्री देवरामजी पटेल गांव पो. गुराडिया प्रताप

म. प्र. पाटीदार समाज के साधारण सभा के प्रतिनिधि

१. श्री रामेश्वर नाथुलालजी पाटीदार अध्यापक गांव पो. जनकपुर
२. श्री रामलाल प्रभुलालजी एडवोकेट गांव पो. नारायणगढ
३. श्री विष्णुनारायणजी एडवोकेट गांव पो. मनासा
४. श्री नन्दलाल बसन्तीलाल पाटीदार श्रीराम मेडिकर स्टोर मन्दसौर
५. श्री बालकृष्ण लक्ष्मीनारायणजी एडवोकेट गांव पो. गरोठ
६. श्री नानालाल लक्ष्मीनारायणजी पाटीदार गांव पो. गुराढिया प्रताप
७. श्री घनश्याम नहेरुलालजी पाटीदार एडवोकेट नीमच
८. श्री कनुभाई पटेल तम्बाकू के व्यापारी नीमच

कार्य समिति, म. प्र. पाटीदार समाज के पदाधिकारियों व सदस्यों के नाम व पते

अ. नं.	नाम	पद	ग्राम/शहर	पोस्ट	तेहसील/जिला
१.	श्री परशुरामजी पाटीदार	अध्यक्ष	नई आबादी	मन्दसौर	मन्दसौर
२.	श्री नारायणसिंहजी पाटीदार	उपाध्यक्ष	बडा इकलेरा	बडा इकलेरा	नरसिंहगढ राजगढ
३.	श्री हरिरामजी पाटीदार	उपाध्यक्ष	डालुमोदी बाजार	रतलाम	रतलाम
४.	श्री किशोरसिंहजी पाटीदार	उपाध्यक्ष	राजेन्द्र प्रसाद मार्ग	शाजापुर	शाजापुर
५.	श्री दयारामजी पाटीदार	कोषाध्यक्ष	मनावर	मनावर	धार
६.	श्री चतुर्भूजजी पाटीदार	उपकोषाध्यक्ष	राउ	राउ	इन्दौर
७.	श्री मांगीलालजी पाटीदार	सचिव	कवडया	व्हाया मंडेश्वर	महेश्वर, खरगोन
८.	श्री बदीलालजी पाटीदार	सह सचिव	चापडा	चापडा	बागली, देवास
९.	श्री भंवरलालजी पाटीदार	संग सचिव	पीपल्या जोधा	पी. जोधा	जावरा, रतलाम
१०.	श्री घनश्यामजी पाटीदार	संग सचिव	नीमच कंट	नीमच	नीमच, मन्दसौर
११.	श्री मांगीलालजी पाटीदार	संग सचिव	मोठापुरा	लिक्खी	खरगोन, खरगोन
१२.	श्री शिवनारायणजी इन्दिया	संग सचिव	चौक बाजार	शाजापुर	शाजापुर
१३.	श्री रामरतनजी पाटील	संग सचिव	बिडवाल	बिडवाल	बदनावर, धार
१४.	श्री पुरुषोत्तमजी मुकाती	संग सचिव	४,कानुनगो बाखल	इन्दौर	इन्दौर
१५.	श्री रमेशचन्द जुझारिया	संग सचिव	बैंकऑफ इण्डिया	करही	महेश्वर, खरगोन
१६.	श्री नर्मदाप्रसाद माधव	संग सचिव	४९, टोलवाली	भोपाल मस्जिद रोड,	भोपाल
१७.	श्री बाबूलालजी गामी	संग सचिव	माकडोन	माकडोन	तराना, उज्जैन
१८.	श्री छोगालालजी पाटीदार	संग सचिव	सतवाडा	बडगांव माली	खण्डवा
१९.	श्री पुनमचन्दजी पटेल	संग सचिव	परवलिया	परवलिया	पेटलावद, झाबुआ
२०.	श्री आत्मारामजी पाटीदार	संग सचिव	कन्नौद मिरजी	कन्नौद मिरजी	आष्टा, सिहोर
२१.	श्री रामप्रसादजी पाटीदार	संग सचिव	ब्यावरामांडु	ब्यावरामांडु	सारंगपुर, राजगढ
२२.	श्री चन्दकांतजी जाटीदार	सदस्य	गन्धावाड	गन्धावाड	खरगोन
२३.	श्री काशीरामजी पाटीदार	सदस्य	धेगांव	धेगांव	खरगोन
२४.	श्री खेमराज नगीना	सदस्य	शेखपुर बोंगी	खरदोनकला	शुजालपुर, शाजापुर
२५.	श्री माखनसिंह पाटीदार	सदस्य	चाकरोद	चाकरोद	शुजालपुर, शाजापुर
२६.	श्री चुनीलालजी पाटीदार	सदस्य	धराड	धराड	रतलाम, रतलाम
२७.	श्री शिवरामजी पाटील	सदस्य	धावरिया बाजार	रतलाम	रतलाम
२८.	श्री रामनिवासजी पाटीदार	सदस्य	महु रोड	नीमच	नीमच, मन्दसौर
२९.	श्री झमकलालजी पाटीदार	सदस्य	सीतामऊ	सीतामऊ	मन्दसौर
३०.	श्री ठाकुरलालजी पाटीदार	सदस्य	सोमाखेडी	सोमाखेडी	महेश्वर, खरगोन
३१.	श्री सीतारामजी पाटीदार	सदस्य	हरसोला	हरसोला	महु, इन्दौर
३२.	श्री ओमप्रकाशजी पाटीदार	सदस्य	जामली	जामली	महु, इन्दौर
३३.	श्री राधेकृष्णजी इन्दौरिया	सदस्य	तुमडा	तुमडा	भोपाल

३४. डो. शंकरलालजी पाटीदार	सदस्य	६५३, एन ३ बी सेक्टर, पीपलानी	भोपाल	
३५. श्री रामेश्वरजी कुल्मी	सदस्य	पीपल्या कुल्मी	पी. कुल्मी	खिलतीपुर, राजगढ
३६. श्री रामकृष्णजी पाटीदार	सदस्य	पाडल्या माताजी	पा. माताजी	सारंगपुर, राजगढ
३७. श्री लक्ष्मीनारायणजी गाम्मी	सदस्य	माकडोन	माकडोन	तराना, उज्जैन
३८. श्री मदनमोहनजी पाटीदार	सदस्य	मक्सीरोड	कालीदास मार्ग	उज्जैन
३९. श्री फूलचन्दजी पाटीदार	सदस्य	भंडारिया रोड	सिविल लाईन	खण्डवा
४०. श्री राधेश्यामजी पाटीदार	सदस्य	बांदौडी	बांदौडी	सरदारपुर, धार
४१. श्री विश्रामजी पटेल	सदस्य	दसई	दसई	सरदारपुर, धार
४२. श्री मोहनलालजी पाटीदार	सदस्य	खसावा	खसावा	पेटलाद, झाबुआ
४३. श्री छोगालालजी पाटीदार	सदस्य	रामगढ	करडावद	पेटलावद, झाबुआ
४४. श्री मोहनलालजी पाटीदार	सदस्य	करनावद	करनावद	बागली, देवास
४५. श्री जगदीशचन्दजी पाटीदार	सदस्य	हाटपीपल्या	हाटपीपल्या	बागली, देवास
२०. संगठन सचिव श्री हीरालाल पाटीदार		गुराडिया जोगा	पंचपहाड	झालावाड राज.

मध्यप्रदेश पाटीदार समाज की ३१ मई, १९८४ को नव निर्वाचित केन्द्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारियों एवं सदस्यों की सूची

क्रम	पद	नाम	ग्राम/पोस्ट	तहसील	जिला
१.	अध्यक्ष	श्री चैनसिंह पाटीदार	अभयपुर	शाजापुर	शाजापुर
२.	उपाध्यक्ष	श्री हरिराम पाटीदार वकील	जैन कोलोनी	रतलाम	रतलाम
३.	उपाध्यक्ष	श्री दयाराम पाटीदार वकील	मनावर	मनावर	धार
४.	उपाध्यक्ष	श्री शेठ चतुर्भुज पाटीदार	राऊ	इन्दौर	इन्दौर
५.	सचिव	श्री प्रहलाद पाटीदार	हाउसींग कोलोनी	मन्दसौर	मन्दसौर
६.	कोषाध्यक्ष	श्री मानसिंह पाटीदार	सामगी	तराना	तराना
७.	उपकोषाध्यक्ष	श्री अरमसिंह पाटीदार	करनावद	बागली	देवास
८.	सह सचिव	श्री वल्लभप्रसाद, प्राचार्य	डोंगरगांव	सुसनेर	शाजापुर
९.	संगठन सचिव	श्री आर. एस. चौधरी	बामन्दाखुर्द	बदनावर	धार
१०.	संगठन सचिव	श्री खेमराज नगीना	शेखरपुर बोंगी	शुजालपुर	शाजापुर
११.	संगठन सचिव	श्री रामेश्वर पाटीदार	पिपल्या कुल्मी	खिलचीपुर	राजगढ
१२.	संगठन सचिव	श्री राजाराम पाटीदार	सिमरोल	महु	इन्दौर
१३.	संगठन सचिव	श्री हीरालाल पाटीदार	घटवां	ठीकरी	खरगोन
१४.	संगठन सचिव	श्री भंवरलाल पाटीदार	पिपल्या जोधा	जावरा	रतलाम
१५.	संगठन सचिव	श्री नानालाल पाटीदार	गुराडिया प्रताप	सीतामऊ	मन्दसौर
१६.	संगठन सचिव	श्री डो. शंकरलाल पाटीदार	नै. रो. विशेषज्ञ सिविल हास्पीटल, देवास	देवास	देवास
१७.	संगठन सचिव	श्री मदनलाल पाटीदार	पिपल्या राघौ	बडनगर	उज्जैन
१८.	संगठन सचिव	श्री पुनमचन्द पाटीदार	परवलिया	थालन्दला	झाबुआ
१९.	संगठन सचिव	श्री एस. एल. पाटीदार	२१ ए, कल्चुखां नगर चेतक ब्रीज के पास हबीबगंज भोपाल	भोपाल	भोपाल

२१.	सदस्य	श्री वरदीचन्द पाटीदार	पिपल्या विशन्या	मल्हारगढ	मन्दसौर
२२.	सदस्य	शेठ भगतराम पाटीदार	जीरन	नीमच	मन्दसौर
२३.	सदस्य	श्री लक्ष्मीनारायण पाटीदार	रांकोदा	जावरा	रतलाम
२४.	सदस्य	श्री रामचन्द काग	सैलाना	सैलाना	रतलाम
२५.	सदस्य	श्री रामनारायण वर्मा	आय.टी.आय. के पास मक्सी रोड,		उज्जैन
२६.	सदस्य	श्री रामेश्वर पाटीदार	माकडोन	तराना	उज्जैन
२७.	सदस्य	श्री पुरुषोत्तम पाटीदार मुकाती	४, कानूनगो बाखल जूना राजवाडा		इन्दौर
२८.	सदस्य	श्री रामप्रसाद पाटीदार	रंगवासा	इन्दौर	इन्दौर
२९.	सदस्य	श्री विष्णुप्रसाद पाटीदार	C/o पाटीदार फोटो स्टुडियो	सुसनेर	शाजापुर
३०.	सदस्य	श्री खेमराज पाटील	सेमलिया	शुजालपुर	शाजापुर
३१.	सदस्य	श्री रामेश्वर पाटीदार	मनावर	मनावर	धार
३२.	सदस्य	श्री बगदीराम चौहान, वकील	धार	धार	धार
३३.	सदस्य	श्री रुपसिंह पाटीदार, वकील	१०, जोशीपुरा देवास	देवास	देवास
३४.	सदस्य	श्री अम्बाराम नाहर	पीपलरावां	सोनकच्छ	देवास
३५.	सदस्य	श्री जगन्नाथ पाटीदार	मोगावां	महेश्वर	खरगोन
३६.	सदस्य	श्री शिवराम पाटीदार	नान्दा	महेश्वर	खरगोन
३७.	सदस्य	श्री गणपतलाल पाटीदार	रायपुरिया	पेटलावद	झाबुआ
३८.	सदस्य	श्री दयाराम पाटीदार	कोदली	पेटलावद	झाबुआ

म. प्र. एवं राजस्थान पाटीदार समाज नवनिर्वाचित प्रांतीय कार्य समिति, सन् १९८८

१.	अध्यक्ष	प्रो. प्रहलाद पाटीदार, ५ हाउसिंग बोर्ड कालोनी, नई आवादी, मन्दसौर (म. प्र.)
२.	उपाध्यक्ष	श्री हरिराम पाटीदार, एडवोकेट, जैन कोलोनी, पैलेस, रतलाम (म. प्र.)
३.	उपाध्यक्ष	श्री कन्हैयालाल सूर्या, ग्रा./पो. महुखेडा, तह. बागली, जिला देवास (म. प्र.)
४.	उपाध्यक्ष	डो. शंकरलाल पाटीदार, २१, कस्तूरबा नगर, चेतक ब्रीज के पास, हबीबगंज, भोपाल
५.	सचिव	श्री रमेशचन्द्र पाटिल, स्टेट बैंक ओफ इन्दौर, ब्रांच बदनावर, जिला धार (म. प्र.)
६.	उप सचिव	श्री जयराम पाटीदार, पिपल्या राधो, पो. करोहन, तह. व जिला उज्जैन (म. प्र.)
७.	कोषाध्यक्ष	श्री मानसिंह पाटीदार, ग्रा. सामगी, तह. तराना, जिला उज्जैन (म. प्र.)
८.	उपकोषाध्यक्ष	श्री जगन्नाथजी भालोट, ग्रा. पो. नलखेडा, जि. शाजापुर (म. प्र.)

संगठन सचिव

९. श्री घनश्याम पाटीदार एडवोकेट तह. नीमच जि. मन्दसौर (म. प्र.)
१०. श्री खेमराज नगीना ग्रा. शेखपुर बोंगी तह. काला पीपल जिला शाजापुर
११. श्री हीरालाल पाटीदार ग्रा. पो. घटवां तह. ठीकरी जिला खरगोन (म. प्र.)
१२. श्री लक्ष्मीनारायण पाटीदार ग्रा. रांकोडा तह. जावरा जिला रतलाम
१३. श्री महादेवप्रसाद नाहर एडवोकेट, सोनकच्छ, जिला देवास
१४. श्री ठाकुरप्रसाद पाटिल ५९, टोलवाली मस्जिद रोड, भोपाल
१५. श्री शम्भुलाल पाटीदार ग्रा. करवड तह. पेटलावद जिला झाबुआ

१६. श्री आर. एस. चौधरी ग्रा. बामन्दाखुर्द तह.बदनावर जिला धार
१७. श्री राजाराम पाटीदार ग्रा. सिमरोल तह. महू जिला इन्दौर
१८. श्री गेंदालाल पाटीदार ग्रा. मौलाना तह. बडनगर जिला उज्जैन
१९. श्री आत्माराम पाटीदार ग्रा. कन्नौद मिर्जी तह. आष्टा जिला सिहोर
२०. श्री कालूप्रसाद रावतिया ब्यावरा माण्डू तह. नरसिंहगढ जिला राजगढ

सदस्यगण

२१. श्री जानकीलाल पाटीदार एडवोकेट तह. रोड, गरोठ जिला मन्दसौर
२२. श्री रामनिवास पाटीदार एडवोकेट, ४, महू रोड, नीमच, जिला मन्दसौर
२३. श्री रामचन्द माधोलालजी पाटीदार मुगावली तह. व जि. सिहोर
२४. श्री सुरजसिंह बोंदाजी पाटीदार ग्रा. रामपुरा तह. व जि.सिहोर
२५. श्री अन्तरसिंह पाटीदार ग्रा. हाटपिपल्या तह. बागली जि. देवास
२६. डॉ. शंकरलाल पाटीदार नेत्ररोग विशेषज्ञ ३९, बहादूर शाह मार्ग, देवास
२७. श्री खेराज पाटिल ग्रा. सेमलिया तह. कालापीपल जिला शाजापुर
२८. श्री जयनारायण चौधरी ग्रा. गुदरावन तह. नलखेडा जिला शाजापुर
२९. श्री भारत कटारिया ग्रा. पाटपाला पो. हरसोदन तह. व जिला उज्जैन
३०. श्री मांगीलाल पाटीदार ग्राम फरनाखेडी तह. खाचरोद जिला उज्जैन
३१. श्री गुलाबचन्द केशवजी पाटीदार ग्रा. बालसमुन्द तह. कसरावद जिला खरगोन
३२. श्री मोहनलाल पाटीदार ग्रा. करोंदिया तह. महेश्वर जिला खरगोन
३३. श्री शंकरलाल अंबारामजी अध्यापक ग्रा. पो. धराड, तह. जिला रतलाम
३४. श्री रामेश्वर शंकरलालजी प्र. अध्याप, पो. भीम तह. आलोट जि. रतलाम
३५. श्री खेमचन्दभाई पाटीदार ८५, गोपालबाग, इन्दौर
३६. श्री नरेन्द्कुमार पाटीदार, टेलिफोन एक्सचेन्ज, धार
३७. श्री बालाराम सिद्धनाथजी पटेल, ग्राम गवलीपलासिया तह. महू जि. इन्दौर
३८. श्री कैलाशचन्द्र मांगीलालजी पाटीदार, तिल्लोरखुर्द ते. व. जिला इन्दौर
३९. श्री दुर्गाप्रसाद कुंवरजी पाटीदार ग्राम मिश्रोद ते. जिला भोपाल
४०. श्री नर्मदाप्रसाद माधव ५९ टोलवाली मस्जिद रोड, भोपाल
४१. श्री मांगीलाल अंबारामजी, ग्रा. सारंगी, ते. पेटलावद जिला झाबुआ
४२. श्री रणछोडलाल पूनाजी ग्रा. रायपुरिया, ते. पेटलावद जिला झाबुआ
४३. श्री प्रो. बंसीलालजी पाटीदार, वदेन सदस्य, डी. ३४, ऋषिनगर, उज्जैन

प्रांतीय महासभा के अन्य सदस्य

४४. श्री ईश्वरसिंह इटावावाले, पाटीदार क्लाथ स्टोर्स, तराना, जि. उज्जैन
४५. श्री बद्रीनारायणजी पाटीदार, दौलतगंज ते. जिला उज्जैन
४६. श्री जगदीशचन्द पाटीदार, बडनगर ते. बडनगर जि. उज्जैन
४७. श्री कन्हैयालाल पाटीदार ग्रा. पो. बिछडौद तह. घटिया जि. उज्जैन
४८. श्री मदनलाल पाटीदार ग्रा. पो. धिनोदा तह. खाचरोज जि. उज्जैन
४९. श्री रमेशचन्द्र पाटीदार ग्रा. पो. बिछडौद तह. घटिया जि. उज्जैन
५०. श्री गणेशराम पाटीदार, कृषि सेवा केन्द्र, नीमच, जिला मन्दसौर
५१. श्री चम्पालाल पाटीदार ग्रा. पो. भैंसोदा तह. मानपुरा जि. मन्दसौर

५२. श्री परमानन्द पाटीदार ग्रा. पो. साबाखेडा तह. व जिला मन्दसौर
५३. श्री राधेश्याम पाटीदार देना बैंक मन्दसौर तह. व जिला मन्दसौर
५४. श्री रामेश्वर पाटीदार ग्रा. पो. जनकपुर तह. जावद जि. मन्दसौर
५५. श्री सालगराम पाटीदार अध्यापक ग्रा. दुधाखेड़ी पो. अंतरालिया तह. मानपुरा जि. मन्दसौर
५६. श्री परशुराम पाटीदार एडवोकेट दशपुर कुंज के पास मन्दसौर तह व जिला मन्दसौर
५७. श्री मदनलाल राधाकिशनजी पाटीदार ग्रा. पो. बरथून तह. मनासा जिला मन्दसौर
५८. श्री रामलाल पाटीदार एडवोकेट ग्रा. पो. टकरावद तह. मल्हारगढ जिला मन्दसौर
५९. श्री राजमलजी पाटीदार ग्रा. पो. तूमडा तह हुजूर जिला भोपाल
६०. श्री मुरलीधर पाटिल ५९ टोलवाली मस्जिद रोड भोपाल
६१. श्री पुरुषोत्तम पाटीदार ग्रा. पो. रापडिया तह. हुजूर जिला भोपाल
६२. श्री घनश्याम पाटीदार ग्रा. पो. खजराना तह. व. जिला इन्दौर
६३. श्री ओमप्रकाश पाटीदार सेठ ग्रा. पो. कुटी तह. महू जिला इन्दौर
६४. श्री रामचन्द केलोत्रा ग्रा. पो. कोदारिया तह. महू जिला इन्दौर
६५. श्री आर. सी. मुकाती २२ खातीपुरा इन्दौर
६६. श्री चतुर्भुज पाटीदार २२ खातीपुरा इन्दौर
६७. श्री दयाराम पाटीदार एडवोकेट मनावर जिला धार
६८. श्री वी. आर. चौहान २२ प्रताप मार्ग सरदारपुर जिला धार
६९. श्री औंकारलाल पाटीदार ग्रा. पो. दसई तह. सरदारपुर जिला धार
७०. डॉ. जगदीश पाटीदार ग्रा. पो. मनावर जिला धार
७१. श्री बोंदरजी पटेल ग्रा. पो. आड्डू तह. व. जिला धार
७२. श्री शिवनारायण पाटीदार ग्रा. पो. कोद तह. बदनावर जिला धार
७३. श्री गेंदालाल पाटीदार ग्रा. पो. आलोड जिला रतलाम
७४. श्री भंवरलाल पाटीदार ग्रा. पो. पिपल्या जोधा तह. जावरा जिला रतलाम
७५. श्री वृजगोपाल पाटीदार ३६, राजेन्द नगर, रतलाम
७६. श्री शान्तिलाल पाटीदार सूरजपोल पैलेस, रतलाम
७७. श्री धन्नालाल पाटीदार ३१, शास्त्रीनगर जावरा जिला रतलाम
७८. श्री मानसिंहजी पाटीदार सोमवारिया शाजापुर
७९. श्री रामेश्वर पाटीदार ग्रा. पो. भैंसोदा तह. नलखेडा जिला शाजापुर
८०. श्री गिरिराज अम्बावतिया नीमवाडी शाजापुर
८१. श्री जगदीश पाटीदार आगर जिला शाजापुर
८२. श्री चैनसिंहजी पाटीदार ग्रा. पो. अभयपुर जिला शाजापुर
८३. श्री अम्बाराम पाटीदार ग्रा.पो. तनोडिया तह. आगर जिला शाजापुर
८४. श्री देवसिंहजी पाटीदार ग्रा. पो. कन्नौद मिर्जी तह. आष्टा जिला सीहोर
८५. श्री हरिनारायण पाटीदार ग्रा. पो. बगोरिया मुंगावली सीहोर
८६. श्री शिवनारायण पाटीदार ग्रा. पो. नीलवड जिला सीहोर
८७. श्री भेरुसिंह कोठारी ग्रा. पो. खजूरिया कासम जिला सीहोर
८८. श्री खतीलाल पाटीदार ग्रा. पो. मुंगावली तह. व जि. सीहोर
८९. श्री सियाराम पाटीदार ग्रा. पो. दत्तोतर तह. व जिला देवास
९०. श्री आत्माराम पाटीदार ग्रा. पो. बडिया मांडू तह. बागली जिला देवास

९१. श्री अमरसिंहजी पाटीदार ग्रा. पो. जामगोद तह. सोनकच्छ जिला देवास
९२. श्री परसराम पाटीदार ग्रा. पो. करनावद जिला देवास
९३. श्री गंगाराम पाटीदार ग्रा. पो. जामगोद तह. सोनकच्छ जिला देवास
९४. श्री रणछोडलाल पाटीदार ग्रा. पो. करवड तह. पेटलावद जिला झाबुआ
९५. श्री पूनमचन्द पाटीदार ग्रा. पो. परवलिया, तह. पेटलावद, जि. झाबुआ
९६. श्री गोवर्धनलाल पाटीदार ग्रा. पो. सारंगी, तह. पेटलावद, जि. झाबुआ
९७. श्री जगन्नाथजी कालूजी पाटीदार ग्रा. पो. खवासा, तह थांदला, जिला झाबुआ

युवा जागृति

संगठन के रुप में सर्वप्रथम पाटीदार समाज की स्थापना सन १९५५–५६ में इन्दौर में पाटीदार युवक मंडल नामक संस्था से हुआ। इस में उस समय बाहर से विद्याभ्यास हेतु से आये विद्यार्थी एवं इन्दौर के चंद व्यवसायी ही सम्मिलित थे। उस समय इसका उद्देश्य विद्यार्थीवर्ग की कठिनाईयों को दूर करने एवं विभिन्न क्षेत्रों में बसे हुए समाज को एक–दूसरे के सम्पर्क में लाना था। पहले हम देख चुके है, उस संगठन को श्री परशुरामजी और श्री श्यामसुंदरजी, खेमचंदजी, भंवरलालजी जैसे कार्यकर्ता मिले थे। बाद में इस संगठन ने मध्यप्रदेश पाटीदार समाज का रूप धारण कर लिया। बाद में इस का कार्यक्षेत्र युवकों तक सीमित न रहते समाज तक पहुंचा दिया। निम्न लिखित उदाहरण में हमें युवकों की शक्ति का परिचय मिलता है।

सन १९६४ में फसल पर वाणिज्य कर आरोपित करने एवं सम्पति कर लगाने के विरोध में पाटीदार युवक मंडल ने शासन को प्रस्तुत करने के लिये एक प्रतिवेदन तैयार किया। जिस पर गांवो में बसे पाटीदार समाज के जो पूर्व तथा एक कृषक समाज भी है, हस्ताक्षर करवायें गये एवं तत्कालीन श्रममंत्री श्री श्यामसुंदरजी पाटीदार का सहयोग लेकर शासन तक अपनी आवाज पहुंचाई गई। जिस पर शासन ने उदार दृष्टिकोण अपना कर अचल सम्पत्ति कर को वापस लिया।

१८८८ में ऊंझा उमिया माताजी संस्थान के कारभारी गणपतराम दशवर्षीय शादी के नाम पर मुहुर्त निकालने के लिए और भेजने के लिये मालवा–निमाड के पाटीदारों को अंधेरे में रखते थे और धन कमाते थे। ये गणपतराम चाणस्मा, सिध्धपुर के ब्राह्मणों को मालवा–निमाड भेजते थे। दो तीन मास रह कर मालपूडा खाते और पाटीदारों के पाससे धन आदि प्राप्त कर लेते थे। इस बात की एक युवकको शक हुआ तो वह पैदल चल कर ऊंझा आया और यहां से मुहूर्त ले गया। कसरावद के युवकों ने ज्योत के लिये पदयात्रा की। इस रूप में युवा शक्ति का दर्शन दिखाता है।

सरदार वल्लभभाई पटेल जयन्ति मध्यप्रदेश के युवक युवतियां हर वर्ष धूमधाम से मनाते हैं। उज्जैन में चार साल से 'सरदार युवा संगठन' स्थानीय पाटीदार धर्मशाला कुशलपुरा में कार्यरत है।

मध्यप्रदेश पाटीदार समाज के अध्यक्ष सरदार जयंति के समारोह में संदेश और अपील बार बार जारी करते थे। यहां एक नमूना दिया जा रहा है।

युवकों के नाम अपील

म. प्र. पाटीदार समाज एवं राजस्थान

पाटीदार समाज प्रदेश में एक विशाल समाज है।.... समाज में अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। जैसे बाल विवाह, अशिक्षा, दहेज, मृत्युभोज, बाल सम्बंध, शादी के सम्बंध विच्छेद, खर्चीले भोज आदि इन बुराईयों से समाज की प्रगति की गति धीमी हो गई है। यदि समाज को प्रगतिशील बनाना है तो इन कुप्रथाओं का पुरे जोर से मुकाबला कर इन्हें दफनाना होगा।. . .

वल्लभभाई जयन्ति के शुभ अवसर पर हम प्राण-पण से शपथ पूर्वक अम्बाजी के सामने प्रण करते हैं कि इन निम्नांकित तीनों प्रस्तावों का हम पालन करेंगे और दूसरों से भी पालन करवायेंगे।

१. बालविवाह।

२. दो मिती में शादी करना।

३. मृत्युभोज।

४. **पाटीदार जागृति :** संगठन की एक मात्र पत्रिका पाटीदार जागृति समाज रुपी शरीर में रक्त संचार का सशक्त साधन बनती जा रही है। अतएव प्रत्येक ग्राम, तहसील, जिला एवं प्रांतीय समितियों के सभी पदाधिकारियों का यह नैतिक दायित्व है कि वे जागृति की आजीवन सदस्यता ग्रहण कर ले।

सचिव	सौजन्य	अध्यक्ष
प्रो. प्रहलाद पाटीदार	**सरदार पटेल**	**चैनसिंह पाटीदार**
म. प्र. पाटीदार समाज	युवा संगठन म. प्र.	म. प्र. पाटीदार समाज

युवा जाग्रति

हमारा समाज गावों में बसता है और एक ग्रामीण समाज है। अतः जब तक हमारा संगठन का तंत्र गांवो तक खडा नहीं होता है, हम अपने सुधारवादी कार्यक्रमों में सफल नहीं हो सकते है। अतएव पाटीदार युवा संगठन, नारायणगढ में २६-१२-८१ को पीपल्यामण्डी में एक विशाल युवा सम्मेलन आयोजित किया और जिला पाटीदार समाज कार्य समिति से अनुरोध किया कि ३० जनवरी १९८२ को बसन्त पंचमी के शुभ अवसर पर सम्पूर्ण जिले में पाटीदार समाज के गांवों में एक ही दिन ग्राम समितियोंका निर्वाचन करवाया जावें।

बसन्त पंचमी (३० जनवरी १९८२) की शाम को ही २८० गांवों में ग्राम समितियों का निर्वाचन करवाने हेतु प्रत्येक गांव के लिये एक एक निर्वाचित अधिकारी नियुक्त किया गया। ऐसे गांवो में पहुंचना जहां आवागमन के कोई साधन नहीं है और फिर

उन ग्रामीण बन्धुओं को समाज की ग्राम समिति के सदस्य बनाना और निर्वाचन करवाना एक टेडी खीर थी। क्योंकि पढे लिखे एव सभ्य कहे जाने वाले शहरों में बसे हुए समाज के तथाकथित बुद्धिजीवियों में भी समाज के संगठन एवं सुधार के लिये त्याग एवं लगन की भावना दिखाई नहीं देती है। फिर भी पाटीदार विद्यार्थी मण्डल मन्दसौर, नीमच, रामपुरा एवं पाटीदार युवा संगठन नारायणगढ के सदस्यों को निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किये गये। निर्वाचिन अधिकारियों को पाटीदार समाज छात्रावास मन्दसौर में एवं नारायणगढ में प्रशिक्षण दिया गया।

२०० निर्वाचित अधिकारी युवा जोश खरोश के साथ समाज में क्रान्ति का उद्घोष करने के लिये निकल पडे। कुछ गावों में इनका स्वागत तो कुछ गांवों में रात भर रहकर मंदिरों या छपरो में अपनी रात गुजारनी पडी।

इस अभियान का सुखद परिणाम आज जिले में अनुभव हो रहा है। अभी तक जिले में १६२ गांवों में विधिवत ग्राम समितियों का गठन हो चुका है और सरदार पटेल युवा संगठन के लगभग ३००० सदस्य हैं। ग्राम समितियों के साथ-साथ सरदार पटेव युवा संगठन के भी निर्वाचन सम्पन्न हुए। ग्राम समितियों एवं युवा संगठन के अध्यक्षों, सचिवों एवं निर्वाचित अधिकारियों का एक प्रतिनिधि सम्मेलन जिला अध्यक्ष प्रो. प्रहलाद पाटीदार की अध्यक्षता में दिनांक ८ व ९ मई १९८२ को मन्दसौर में सम्पन्न हुआ। उसमें लगभग ५०० प्रतिनिधियों की उपस्थिति नें जिला पाटीदार समाज की व्यवहार संहिता पारित की गयी और उसे ९ मई १९८२ से लागू कर दी गयी। व्यवहार संहिता को प्रकाशित करवाई गयी और प्रत्येक गांव में भेजी गयी। युवकों ने शपथपूर्वक इसे मानने का वचन दिया।

भविष्य में जिला पाटीदार समाज का लक्ष्य वृहद सम्मेलनों में समय, शक्ति एवं धन की बर्बादी एवं परेशानीसे बचकर १०-१५ गांवों में क्षेत्रिय सम्मेलन आयोजित कर युवक समाज की संगठनात्मक प्रगतिशील सुधारवादी एवं क्रान्तिकारी विचार धारा को गांवों में बस रहे हमारे बन्धुओं तक पहुंचाना है। यही युग की आवश्यकता है और समाज की सच्ची सेवा है।

अब म. प्र. में पाटीदार समाज संगठन के साथ साथ सहयोग के लिये "सरदार पटेल युवा संगठन" विधिवत् कार्य कर रहा है। उसके प्रादेशिक स्तर पर पदाधिकारी एवं सदस्य चुने जाते हैं। सरदार पटेल जयंति (३१ अक्टुबर) के अवसर पर ग्राम से लेकर प्रदेश स्तर की सभाएं होती हैं। नवयुवकों में नई क्रांति एवं प्रेरणा आ रही है। वे सामूहिक शादियों, छात्रावास निर्माण, आश्रम स्थापना, बालवाडी शुभारंभ में मददगार हो रहे हैं। म. प्र. एवं राजस्थान पाटीदार समाज अपने नवयुवकों को कार्य करने के अवसर उपलब्ध कराता है। इस तरह युवा जागृति की संभावनाए म. प्र. में बहुत अधिक हैं। युवक जागृति में डो. श्री जगदीश पाटीदार मनावर तथा श्री गिरीराज अंबाबातिया शाजापुर, श्री धूलजीभाई पाटीदार उज्जैन का सराहनीय योगदान रहा है।

१२. सुधारों में सरगर्मी

निमाड–मालवा अंचल में सामूहिक शादियों की धूम

पूरे म.प्र. में खासकर निमाड़, धार, इन्दौर, शाजापुर, देवास जिलों में सामूहिक विवाह बडी संख्या में होने लगे हैं। सबसे पहले १९८० में (अक्षय तृतीया) मा रेवा के पावनतट पर राजघाट (बड़वानी) में सामूहिक शादी का शंखनाद गूंजा था। वहां डाक्टर हीरालाल पटेल (बडवानी) तथा श्रीधरभाई जोतपुरा (मनावर) व उनके अनेक साथियों ने धूमधाम से ५१ जोड़ो का सामूहिक विवाह आयोजित किया था। फिर तो निमाड़–मालवा क्षेत्र में अक्षयतृतीया और बसंतपंचमी पर सामूहिक शादियों की धूम मच गई। अभी तक राजघाट, मनावर, अंजड़, कुक्षी, धार, धामनोद, नान्द्रा, करोंदिया, गवलीपलासिया, कोदरिया, हरसोला उमियाधाम (राऊ रंगवाला); खरगोन क्षेत्र के ५२ गामों में, हाटपीपल्या (देवास); सारंग (झाबुआ) कोद–बिडवाल घार बिलयांक खरसौंद कलां (उज्जैन), नलखेड़ा, मोहनबडौदिया, मैंसौदा (मन्दसौर)तूमडा, खोकरा कलं तथा गैलानी (राजस्थान) आदि ग्रामोंमे २१ से लेकर १५१ जोडों के सामूहिक विवाह समारोह सफलता पूर्वक आयोजित किये जा चुके हैं। यह प्रथा काफी लोकप्रिय होती जा रही है। 'सुख–सुविधा–समृद्धि के प्रतीक' के रूप में सामूहिक विवाह म.प्र. पाटीदार समाज में अधिकाधिक अपनाये जाएंगे, ऐसी आशा है। वर्तमान में म.प्र. पाटीदार समाज के प्रत्येक जिले में सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित होने लगे हैं और सामूहिक विवाह सामाजिक प्रथा का रूप ग्रहण करते जा रहे हैं। इन सामूहिक शादियों के अवसर पर जहां जहां से ऊंझा उमिया माताजी को कंकुपात्रिकाएं और निमंत्रण जाते हैं, वहां वहां हर समारोह में कुलदेवी माँ उमिया के आशीर्वाद स्वरूप पानेतर (वधुओं को साडियां), कंकु ओर माताजी के फोटो भेजे जाते हैं।

समाज सुधार के लिये सजग म.प्र. पाटीदार समाज

प्रेरणा और प्रगति :

भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत के निर्माण में कृषकों का विशेष योगदान सदैव से रहा हैं। कृषक वर्गों में पाटीदार समाज एक वशिष्ट स्थान रखता है। हमारा समाज एकता, दृढता एवं मेहनत के लिये प्रसिद्ध रहा है। गौरववाली प्रतिभाओं तथा विभूतियों को जन्म देने वाला पर समाज वर्तमान में पूरी तरह संगठित नहीं है, तथा उसमें कुछ पुरानी रूढियां घर किये हुए हैं। देश और समाज की बदलती हुई परिस्थिवियों के अनुकूल हमारे समाज में भी सुधार करना अत्यन्त आवश्यक प्रतीत हुआ। देश के कई प्रदेशों में बसे हुए असंगठित पाटीदार समाज को पुनः संगठित करने एवं उसमें सुधार करने के उद्देश्य से उज्जैन में म.प्र. पाटीदार समाज का गठन किया गया है तथा अब राऊ (ईन्दौर) में अखिल भारतीय पाटीदार समाज का गठन भी किया जा चुका है।

पंजाब से लेकर महाराष्ट्र तक एवं गुजरात से लेकर उत्कल (उड़िसा–बिहार) तक बसे हुए, नामों उपनामों के कारण अपने आपको भूले हुए, समाज को मां अम्बा, उमिया, दुर्गा की छत्रछाया में एक करने के सद्प्रयास शुरु हो गये हैं। महाकाल की नगरी उज्जैन में पावन क्षिप्रा–तट पर प्रतिष्ठित श्रीराम मंदिर से सुधार एवं उत्थान के शंखनाद की यह गूंज चितौड–झालावाड़ से लेकर मालवा–निमाड़ के पठारो–मैदानों से होती हुई सत्पुडा की श्रेणियों तक प्रतिध्वनित हो रही है। विन्ध्य और सत्पुडा के मध्य मां रेवा के कछार में यह ध्वनि सर्वाधिक मुखरित हुई है। अनेक बार सुधार के प्रयासों से थककर–अब पडाव डाले पडे हुए पाटीदार समाज में एक नई स्फूर्ति आई है और उसनें चैतन्य होकर नये जोश के साथ मंजिल की ओर कदम बढा दिये हैं। म.प्र. पाटीदार समाज के सदस्य अब कमर कसकर समाज सुधार के मैदान में उतर आये हैं। वे अब विधान के नियमों का पालन करते हुए फिजुल–खर्ची से बच रहे हैं। अब कोई कुरीति, रूढि, अंधविश्वास और बहकावे उनकी प्रगति में रोडा नहीं बन सकते। प्रदेश का संगठन अखिल भारतीय संगठन के साथ कंधे से कंधा मिला कर चलने को कृत संकल्प है।

नोट : निमाड़ में सामाजिक प्रगति और परिवर्तन, म.प्र. में शिक्षा की प्रगति और रीति रिवाजों की विस्तृत जानकारी श्री मांगीलाल पाटीदार प्राध्यापक ग्राम कवडिया (निमाड़) ने दी है।

निमाड में समाज सुधार का ऐतिहासिक विश्लेषण

१. सामाजिक क्रांति का शंखनाद :

निमाड़में सामाजिक क्रांति का शंखनाद सर्वप्रथम कुवां ग्राम में हुआ था। गुजरात से "पाटीदार शुभेच्छक समाज" नाम की संस्था के कार्यकर्ता सन् १९१६में कुवां आये थे। उन्होंने बालविवाह और मृत्युभोज पर प्रतिबन्ध लगाने पर जोर दिया था। कुवां ग्राम के श्री. हीरालालजी रूंसात (ढोली) और हीरालालजी चोबला सबसे पहले समाज सुधार का बीडा उठाया था। हीरालालजी ढोलीने सबसे पहले बाल संबंध और बाल विवाह की प्रथा का विरोध किया। उन्होंने अपनी दो पुत्रियों को गुजरात के आर्य समाज गुरुकुल में शिक्षा दिलाई और बालिग होने पर विवाह किये। उस समय पाटीदार समाज ने हीरालालजी रूंसात का घोर विरोध किया। उनको जाति से बहिष्कृत कर दिया यहां तक कि पानी–पनघट, चिलम–हुक्का तक बन्द किये थे। लगभग २५ वर्ष तक स्व. हीरालालजी ने सामाजिक बहिष्कार की पीडा झेली थी। इस तरह उन्होंने समाज सुधार की दिशा में ठोस अभियान चलाया था। उसीका लाभ आज निमाड़ में सर्वत्र मिल रहा था। आज निमाड़ गर्व से कह सकता है कि हमारे यहां बाल संबंध, बालविवाह, घुंघट प्रथा, मृत्युभोज बिल्कुल नहीं है।

२. आर्य समाज का प्रभाव :

कुवां ग्राम में आर्य समाज की स्थापना सन् १९२५ के आसपास हो गई थी। आर्य समाज के प्रभाव से कुवां तथा आसपास के ग्रामों में समाजसुधार का वातावरण तैयार हुआ। इसी कारण इस क्षेत्रमें कृषि, शिक्षा, उद्योग, व्यापार में भी पहले प्रगति हुई – उसका प्रभाव आज भी स्पष्ट दिखाई देता है।

३. सुन्देल ग्राम में सुधार :

सन् १९१६में गुजरात की "पाटीदार शुभेच्छक समाज" संस्था के सुधारक सुन्देल ग्राम (जिला धार) भी आये थे। तत्कालीन धार स्टेट के पंवार महाराजा साहब की ओर से उनके दीवान साहब को भेजकर पाटीदार समाज की सभा, प्रीतिभोज आदि की व्यवस्था हुई थी। छुआछूत, जातिपांति भेदभाव का उस समय खूब प्रचलन था। धीरे धीरे इन कुप्रथाओं का अंत करके पाटीदार समाज ने प्रगति की राह पकडी थी। आज भी सुन्देल ग्राम समाज सुधार के कार्यों में आगे ही रहता है। इसी तरह कसरावद में भी आर्यसमाज की गतिविधियों के कारण आसपास के ग्रामों में समाज सुधार की दिशा में कार्य प्रारंभ हुआ था।

४. पुराने प्रयास :

निमाड़ पाटीदार समाज में सुधार के लिये विगत ५०–६० वर्षों से प्रयास किये जाते रहे हैं। तब भारतीय परंपरा के अनुसार जाति पंचायतें थी। ग्राम वार, समूहवार, परगना वार, और सबसे ऊपर जिला पंचायत थी। जाति समाज के मंगनी, विवाह,

छूटमेल, नातरा, तलाक (पावती–कारगती) गोदप्रथा, जायदाद संबंधी विवाद और सामाजिक गुनाह जैसे मामलों में पाटीदार समाज के बुजुर्ग चौपाल–ओटला पर बैठकर सार्वजनिक निर्णय देते थे, और गुनेहगार उनके निर्णयों को सिर माथे लेकर स्वीकार करते थे। जीवहत्या के मामलों में सारणी व तारणी की प्रथाएं थी। इस अनुशासन का पाटीदार समाज में अभी भी खूनी असर है। आज भी समाज द्वारा दिये गये निर्णयों को गुनेहगार और समाज के लोग स्वीकार करते हैं।

६. वर्तमान में समाज सुधार :

भारत की राजनीतिक संवतंत्रता के बाद सामाजिक वातावरण में भी अनुशासन तोडकर उच्छृखलता के लक्षण दृष्टिगोचर होने लगे थे। ऐसा लगने लगा था कि पाटीदार समाज दिशा हीन होकर सामाजिक गौरवशाली परंपराओं को छिन्नभिन्न करने पर उतारु हो रहा है। इस पर अंकुश लगाने तथा समाजसुधार के लिये समाज के बडे बुजुर्ग और हितैषी लोग प्रयत्न करते रहें–इसी उद्देश्यसे म.प्र. पाटीदार समाज संस्था की विधिवत स्थापना श्रीराम मंदिर, हनुमान गढी उज्जैन में हुई। इसी तारतम्य में 'पाटीदार हितेषी मंडल' संस्था की स्थापना श्री बेचरा माताजी मंदिर धामनोंद में १० अक्तूबर १९७६ में हुई। इस संस्था के प्रथम अध्यक्ष स्वर्गस्थ शेठ फत्तूलालजी पाटीदार ग्राम पथराड वाले थे। उन्होंने समाज सुधार के लिये तन मन धन से सहयोग किया था। उनके भगीरथ प्रयत्न से ही ओंकारश्वर में पाटीदार समाज धर्मशाला का निर्माण एवं श्री अम्बिका मंदिर की स्थापना हुई है। पाटीदार समाज जिला निमाड़ ने समान आचार–विचार, रीतिरिवाज वाले पाटीदार समाज के १०२ ग्रामों के लिये अपना स्वर्निर्मित जातीय विधान बनाया है। समय समय पर इसमें संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन होते रहते हैं। इन नियमों में विशेष कर ((१) दो तिथियों (वसंतपंचमी और अक्षयतृतीया पर सामूहिक विवाह) पर ही विवाह (२) छोड़मेल करने वाले या विधुर युवक को कुवांरी लड़की से विवाह करने पर प्रतिबन्ध (३) सगे–संबंधियों को कपडों के लेन देन पर प्रतिबंध (४) खाणे, बाने, टीके में केवल १) रुपया देने के नियम विशेष रूपसे लागू किये हैं।

म. प्र. में शिक्षा की प्रगति

निमाड क्षेत्र में शिक्षा की प्रगति

वर्तमान समय में निमाड़ क्षेत्र में सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक प्रगति के लिये प्रयास किये जा रहे हैं। सन् १९७६ में म.प्र. पाटीदार समाज की स्थापना एवं पाटीदार समाज जिला निमाड़ के गठन के पश्चात् शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया

गया । शिक्षा की प्रगति, उचित शिक्षा, धार्मिक, चारित्रिक, शारीरिक विकास, नैतिक शिक्षा के विकास हेतु समाज ने अपनी नीति संस्थाएं प्रारंभ की हैं । इनमें श्री अम्बिका वालमंदिर – धामनोद, श्री उमिया बाल विद्याश्रम–सोमाखेडी, श्री उमिया कन्या छात्रावास मंडलेश्वर, सरदार वल्लभभाई पटेल प्राथमिक विद्यालय–कसरावद, श्री पाटीदार समाज छात्रावास एवं धर्मशाला खरगोन, श्री पाटीदार समाज धर्मशाला औंकारेश्वर आदि संस्थाएं एवं प्रतिष्ठान स्थापित करके शिक्षा क्षेत्रमें जागृति एवं प्रगति के प्रयास किये जाने लगे हैं ।

(१) श्री उमिया बाल विद्या आश्रम, सोमाखेडी

स्थापना का उद्देश्य : म.प्र. पाटीदार समाज के आव्हान पर निमाड़–जिला पाटीदार समाज ने सामाजिक, शैक्षणिक, कृषि उन्नति के प्रयास शुरू किये । इसी उद्देश्य से ग्राम सोमाखेडी में निमाड जिले के प्रबुद्ध पाटीदार सदस्यों की महती सभा हुई, जिसमें समाज के बालक बालिकाओं के उचित शिक्षण के साथ साथ उनकी धार्मिक, चारित्रिक, शारीरिक, राष्ट्रीय, नैतिक शिक्षा की प्रगति एवं जीवन जीने की कलाओं का विकास करने के उद्देश्य से ग्राम सोमारवेडी में श्री उमिया माताजी ट्रस्ट का गठन किया गया, तथा ट्रस्ट के अधीन श्री उमिया बाल विद्या आश्रम की स्थापना का निर्णय लिया गया ।

आदर्श दान : इस महान् लक्ष्य की पूर्ति का सारा श्रेय श्री मांगीलाल बेचरजी भूत (पाटीदार) सोमाखेडी वालों को है । उन्होंने अपनी २.३३ एकड़ (लगभग पोने चार बीघा) कृषिभूमि दान में देकर शिक्षा की ज्योति जगाई । उसी भूमि पर यह आश्रम स्थापित किया गया ।

स्थापना एवं शुभारंभ : शिक्षा की इस ज्योति को प्रज्वलित करने में श्री उमिया माताजी संस्थान ऊंझा (गुजरात) के प्रमुख शेठ केशवलालजी पटेल ने श्री उमिया बालविद्या आश्रम को ७१००१) रुपये नगद दान देकर शिक्षा के लिये ऐसी पावन गंगा प्रवाहित की, जो निमाड़–मालवा में आज सतत प्रवाहित हो रही है । इन्ही भामाशाह श्री केशवलाल पटेल के कर – कमलों द्वारा श्री चैनसिंहजी पाटीदार प्रांतीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में दिनांक ६/१/८७ को आश्रम का शिलान्यास सम्पन्न हुआ । म.प्र. गुजरात के गणमान्य महानुभावों की उपास्थिति में संस्था की स्थापना हुई । इस संस्था का भवन पाटीदार समाज के सक्रिय सहयोग से लगभग दस लाख रुपये की दान राशि से बनकर तैयार हुआ । दिनांक २०/६/८७ को इस आश्रम–भवन का उद्‌घाटन श्री सेठ केशवलालजी पटेल के ही करकमलों से सम्पन्न हुआ । इस कार्यक्रम की

अध्यक्षता श्री बाबूलालजी दीपचंदजी पटेल (अहमदाबाद) ने की थी। इस अवसर पर गुजरात से गणमान्य बन्धु पधारे थे, साथ में माता बहिनें भी पधारी थी। इससे शिक्षाके साथ साथ सामाजिक स्तर पर एकता व संगठन मजबूत हुए।

श्री उमिया बाल विद्या–आश्रम की प्रगति : उद्घाटन के तत्काल बाद १/७/८७ से इस संस्था में कक्षा १ से ४ तक का शिक्षण प्रारंभ हो गया। शुरु वर्ष १२५ बालक बालिकाएं अध्ययनरत रही। छात्रावास में १६ बालक रहे। द्वितीय वर्ष में १६५ बालक एवं ५८ बालिकाओं ने शिक्षा प्राप्त की तीसरे वर्षमें ३५० छात्र–छात्राएं थे। वर्ष १९९० में लगभग ४०० छात्र–छात्राएं थी। छात्रालय में ४० छात्राएं तथा २०० छात्र थे।

श्री उमिया कन्या छात्रावास की स्थापना : इस संस्था में अध्ययनरत बालिकाओं की आवास सुविधा के लिये श्री उमिया कन्या छात्रावास की स्थापना का निर्णय समाज ने लिया। दिनांक २१, फरवरी, १९८८ को श्री कमलकिशोरजी पाटीदार (खलघाट) की अध्यक्षता में, श्री भैरोसिंहजी पाटीदार शाजापुर के मुख्य आतिथ्य में, श्री छगनलालभाई गोविन्द भाई पाटीदार माणावदर जिला जूनागढ सौराष्ट्र (गुजरात) के कर कमलों से छात्रालय भवन का शिलान्यास हुआ। इस अवसर पर संस्था का वार्षिक उत्सवभी आयोजित हुआ था। बालक–बालिकाओं की प्रगति से प्रसन्न होकर समाज ने भरपूर दान दिया।

उमिया माताजी ट्रस्ट, सोमाखेडी के ट्रस्टी गण :

१. अध्यक्ष :	श्री हरिश्चन्द्र द्वारकाजी पाटीदार, कवड्या
२. उपाध्यक्ष :	श्री शंकरलाल खुशालजी पाटीदार, सोमाखेडी
३. कोषाध्यक्ष :	श्री दुलीचंद मोतीलालजी पाटीदार, चुन्दडिया
४. सचिव :	श्री लक्ष्मीनारायण विश्रामजी, सोमाखेडी
५. संरक्षक :	श्री मांगीलाल बेचरजी भूत, सोमाखेडी
६. सदस्य :	श्री बाबूलाल बेचरजी भूत, सोमाखेडी
७. सदस्य :	श्री भगवान नारायणजी मुकाती, भूदरी
८. सदस्य :	श्री गजानन बालजीरामजी मंडलोई, बालसमुंद
९. सदस्य :	श्री गुलाबचन्द शंकरलालजी मोगावां
१०. सदस्य :	श्री हरिशंकर बाबूलालजी पाटीदार करही
११. सदस्य :	श्री घनश्याम गणपतजी पाटीदार गुलझरा (धामनोद)

सहयोगी ग्राम सोमाखेडी के सब पाटीदारों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। संचालक मण्डल के सदस्य और कार्यकर्ता निष्ठापूर्वक कार्य कर रहे हैं।

---

* ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष श्री दुलीचन्दजी पाटीदार का असामयिक निधन के कारण रिक्त पद की पूर्ति उनके ही परिवार से करते हुए उनकी स्मृति को बनाये रखा है।

श्री अम्बिका बाल मन्दिर, धामनोद

स्थापना : पाटीदार समाज के जिला सम्मेलनों, मीटिंगों में बारबार शिक्षा के प्रचार –प्रसार के लिये प्रस्ताव पारित होने तथा शिक्षाप्रेमी सदस्यों द्वारा शिक्षाकी जागृति के लिये आह्वाहन करते रहने से धामनोद के गणमान्य सदस्यों के मनमें शिक्षा की संस्था प्रारंभ करने की इच्छा हुई। सर्वप्रथम माताजी के मन्दिर में बालवाडी का शुभारंभ हुआ। फिर दिनांक १/१/८१ को श्री अम्बिका बालमन्दिर की विधिवत् स्थापना हुई। आज वर्तमान में इस बालमन्दिर में लगभग ४२५ छात्र–छात्राएं शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। १० शिक्षक तथा ४ भृत्य हैं।

संचालक मंडल : (धामनोद नगर के निवासी)

(१)	प्रथम अध्यक्ष	स्व. जगन्नाथ दयारामजी पाटीदार
(२)	वर्तमान अध्यक्ष	श्री बालमुकुन्द जगन्नाथजी पाण
(३)	सचिव	श्री सीतारामजी घनश्यामजी पाटीदार
(४)	उपाध्यक्ष	श्री राजाराम घनश्यामजी
(५)	कोषाध्यक्ष	श्री गेंदालाल मुरारजी
(६)	सहसचिव	श्री गजानन हीरालालजी और अन्य सदस्य हैं।

बत्ती जलती रही–शिक्षा की ज्योति फैलती रही :

धामनोद में सर्वप्रथम माताजी के मन्दिर के पास की ४ बीघा बाडी (कृषि भूमि) खरीदने के लिये श्री मांगीलाल ओंकारजी, श्री दयाराम नांनजीरामजी, श्री मांगीलाल छीतरजी, स्व. बालमुकुन्द विश्रामजी, जगन्नाथ छीतरजी ने विशेष प्रयत्न किये थे। पाटीदार समाज धामनोद को एकत्रित किया। बाडी खरीदने के लिये एक रात में चिमनी के उजाले में समाज ने रुपये इकट्ठे किये। यह तय किया कि आज की रात बत्ती जलती रहेगी, जब तक कि पूरे रुपये इकट्ठे नहीं हो जाते। इस प्रकार समाज सेवकों का लक्ष्य एक रात में पूरा हुआ। आज उसी भूमि पर शिक्षा की ज्योति प्रकाशित हो रही है, जहां श्री अंबिका बाल मन्दिर की स्थापना होकर बच्चे उचित शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

श्री उमिया कन्या छात्रावास, मंडलेश्वर

स्थापना का उद्देश्य : पाटीदार समाज की वयस्क बालिकाओं के उचित शिक्षण के लिये निमाड़ गिले की मीटिंग में प्रस्ताव पारित करके मंडलेश्वर में कन्या छात्रावास निर्माण करने का निर्णय किया गया। इस हेतु 'श्री उमिया पाटीदार समाज ट्रस्ट' का गठन एवं पंजीकरण करवाया गया। इसके ११ सदस्य निम्नानुसार है :

(१)	श्री शुकदेव गोपालजी पटेल समसपुरा	– अध्यक्ष
(२)	श्री घीसालाल हीराजी पाटीदार मंडलेश्वर	– उपाध्यक्ष
(३)	श्री धन्नालाल सीतारामजी पाटीदार कुन्डया	– कोषाद्यक्ष
(४)	श्री शोभाराम भगवानजी पाण करोंदिया	– सचिव
(५)	श्री राजाराम शंकरलाल सड़वा मंडलेश्वर	– भूमिदाता

(६) श्री देवनारायण शंकरलाल सड़वा मंडलेश्वर – भूमिदाता
(७) श्री शंकरलाल हब्बूजी पाटीदार धरगावं – सदस्य
(८) श्री जगन्नाथ पूनमचन्दजी पाटीदार मोगावां – सदस्य
(९) श्री नत्थूलाल जादवजी पाटीदार नान्दा – सदस्य
(१०) श्री भोलूराम गंगाराम पटेल घटवां – सदस्य
(११) श्री नारायण मांगीलालजी पाटीदार सुन्दैल – सदस्य

आदर्श आर्थिक सहयोग : मंडलेश्वर में छात्रावास स्थापित करने हेतु नगर के सड़वा (पाटीदार) वन्धुओंने १.५० एकड़ (लगभग २.२५ वीघा) भूमि दान में दी है। बालिकाओं की तत्काल आवास व्यवस्था के लिये एक बना बनाया पक्का भवन खरीदने की योजना बनाई। इस हेतु पाटीदार समाज के ३० सदस्यों नें ५–५ हजार रुपये देकर १ लाख २५ हजार कीमत का भवन खरीद कर कन्या छात्रावास प्रारंभ करने हेतु दिया। इस कन्या छात्रालय में कक्षा ६ से कालेज स्तर तक की छात्राओं की आवास–भोजन एवं उचित मार्गदर्शन की व्यवस्था की गई। भवन को पूर्ण सुविधायुक्त बनाया गया एवं सुयोग्य वार्डन (महिला अधीक्षिका) की नियुक्ति की गई। यहां ५० छात्राएं हैं।

विशेष : संस्थापक अध्यक्ष श्री शुकदेवजी पटेल ने स्वास्थ्य की खरावी के कारण स्वैच्छा से पदत्याग किया है। वे संचालक मंडल के सदस्य बने रहेंगे। श्री शोभाराम जी भगवानजी पाण को सर्वानुमति से अध्यक्ष चुना गया है।

शिलान्यास समारोह :

मां रेवा के पावन तट पर, महामण्डलेश्वर मंडन मिश्र की तपोभूमि, आद्यशंकराचार्य के चरणों से पवित्र माटी पर मण्डलेश्वर में दिनांक २५ मई, १९८९ को उमिया कन्या छात्रावास का शिलान्यास समारोह शेठ श्री केशवलालजी पटेल, अध्यक्ष श्री उ.मा. सं. ऊंझा के करकमलों से, श्री कमल किशोरजी पाटीदार खलघाट के अध्यक्ष श्री चतुर्भुजजी पाटीदार उपाध्यक्ष उमियाधाम राऊ के मुख्य आतिथ्य में तथा म. प्र. गुजरात के सामाजिक कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में हुआ। दान में मिली १.५० एकड़ भूमि के अलावा क्रय की गई ३.५० एकड़ भूमि (कुल ५ एकड़ = ८ वीघा) पर एक भव्य भवन की आधार शिला रखी गई। इस अवसर पर सेठ केशवलालजी पटेल, श्री कमलकिशोरजी पाटीदार, श्री घनश्यामजी कटारिया (खजराना) श्री शंकरलाल हब्बूजी पाटीदार ने विशेष दान की घोषणाओं से समाज को प्रोत्साहित किया।

भवन निर्माण :

उक्त भूमि पर वर्ष १९८९–९० से ही ४० पक्के कमरों, भोजनालय, आवासगृह, शौचालय, बाथरुम से युक्त एक भव्य भवन का निर्माण कार्य शुरु किया गया। यह भवन वर्ष १९९१ की गर्मी तक पूर्ण हो जायेगा एवं जुलाई १९९१ से यहां छात्राएं रहने लग जावेंगी। इस भवन पर अभी तक लगभग १२ लाख रुपये खर्च हो चुके हैं। भवन पूर्ण होते होते इस

पर लगभग २५ लाख रुपये खर्च हो जायेंगे। आने वाले वर्षों में यहां बगीचा, सुरक्षा हेतु दीवाल, वायर फेन्सिंग, प्रवेश द्वार और कर्मचारी क्वाटर्स बनाने प्रस्तावित हैं।

विशेष सहयोग :

श्री उमिया माताजी संस्थान, ऊंझा (उ. गुजरात) की ओर से उनके प्रस्ताव-ठहराव (जहां पाटीदार समाज की कन्याओं के लिये छात्रावास-विद्यालय बनाये जावे, वहां अधिकतम सवा लाख रुपये दिये जावें) के अनुसार इस संस्था को भी १.२५ लाख रुपयों का बहुत बडा योगदान मिला है।

सरदार वल्लभभाई पटेल प्राथमिक विद्यालय, कसरावद (प. निमाड़)

उद्देश्य : हमारे समाज के नन्हें मुन्नों को उचित मार्गदर्शन देकर जिम्मेदार सदस्य और सच्चे देश भक्त व नागरिक बनाने, इनके व समाज के सुन्दर भविष्य के लिये इस विद्यालय की स्थापना की गई है।

स्थापना एवं शुभारंभ : पाटीदार शिक्षा प्रसारक समिति कसरावद द्वारा संचालित इस विद्यालय की स्थापना कसरावद नगर में की गई है। इस विद्यालय का प्रारंभ सन् १९८६ में किया गया है। प्रति वर्ष एक अगली कक्षा प्रारंभ की जाकर कक्षा ५ तक का शिक्षण दिया जावेगा। सुविधाओं के बारेमें आगे प्रगति हो रही है।

संचालक मंडल : इस संस्था के संस्थापक सदस्य एवं संचालक मंडल के सदस्य निम्नानुसार हैं।

(१) डॉ. श्री डी. एन. पाटीदार
(२) डॉ. श्री एस. सी. पाटीदार
(३) डॉ. श्री चुन्नीलालजी पाटीदार
(४) श्री बालकृष्णजी पाटीदार अध्यापक
(५) श्री घीसीलालजी पाटीदार अध्यापक
(६) श्री मांगीलालजी पाटीदार अध्यापक
(७) श्री गजाननजी पाटीदार, अध्यापक
(८) श्री गजाननजी पाटीदार, जीनवाले
(९) श्री ठाकुरलालजी बराडिया
(१०) श्री राजारामजी बराड़िया

पदाधिकारी : वर्तमान में डॉ. श्री डी.एन पाटीदार अध्यक्ष हैं, तथा श्री ओमप्रकाशजी पाटीदार सचिव हैं।

विशेष : यह संस्था कसरावद तेहसील क्षेत्रमें ग्रामों मे शिक्षा की प्रगति के लिये एक आदर्श मार्गदर्शक संस्था के रूपमें विकसित हो रही है।

श्री पाटीदार समाज छात्रावास एवं धर्मशाला, खरगोन
(खरगोन, कसरावद, ऊन, सेगांव क्षेत्र)

उद्देश्य : पाटीदार समाज के नवयुवकों की उच्च स्तरीय स्कूली एवं कोलेज की शिक्षा व्यवस्था करने एवं उनके आवास की सस्ती सुगम व्यवस्था करने के उद्देश्य से तथा समाज की धार्मिक, सामाजिक गतिविधियों को चलाने हेतु श्री पाटीदार

समाज छात्रावास एवं धर्मशाला की स्थापना खरगोन नगर में की गई । इस पुनीत कार्य हेतु आधा एकड़ भूमि क्रय की गई है ।

शुभारंभ एवं भवन व्यवस्था : इस प्रतिष्ठान् का शिलान्यास सितम्बर १९८६ में हुआ एवं उसी समय से भवन निर्माण भार्य प्रारंभ किया गया । इस भवन में १० फीट x १० फीट के २५ कमरे एवं ६० फीट x ३० फीट का एक सभाकक्ष बनकर तैयार हो गये हैं । इस भवन में श्री अम्बिकाजी का छोटा सा मंदिर भी बनाया गया है । इस भवन के निर्माण के लिये लगभग ५ लाख की धनराशि समाज ने अर्पित की है । इस धनराशि से भवन समय सीमा में बनाकर तैयार करने का श्रेय संस्था के अध्यक्ष श्री बालकृष्णजी पाटीदार ग्राम टेमला एवं कार्यकारिणी के सदस्यों को है ।

कार्यकारिणी के सदस्य :

(१) अध्यक्ष श्री बालकृष्णजी पाटीदार ग्राम टेमला
(२) उपाध्यक्ष श्री मांगीलाल चुन्नीलालजी पाटीदार डोंगरगावं
(३) कोषाध्यक्ष श्री सदाशिवजी पाटीदार ग्राम पीपरी
(४) सचिव श्री काशीरामजी पाटीदार धेगांव और अन्य सदस्य हैं ।

छात्रावास व्यवस्था :

वर्ष १९८८ से छात्रावास में विद्यार्थियों को ३०) रू. मासिक शुल्क पर रहने की सुविधा प्रदान करदा गई है । छात्रों के लिये आवास, विद्युत, पानी आदि की समुचित व्यवस्थाएं की गई हैं । राजस्थान में भी छात्रावासों का विकास हुआ है ।

बालवाडियों का शुभारंभ :

म. प्र. में पाटीदार समाज के छोटे छोटे बच्चों की शिक्षा के लिये बालमंदिर, बालवाडियां, शिशु–मन्दिर प्रारंभ हुए हैं । पाटीदार समाज बहुल–प्रत्येक ग्राम में बालमंदिर स्थापित करने का लक्ष्य तय किया गया है । बालमंदिरों की स्थापना में श्री केशवलालजी पटेल, प्रमुख श्री उमिया माताजी संस्थान ऊंझा (उ. गुजरात)वालों से प्रेरणा एवं सहयोग मिला है । निमाड़ क्षेत्र में अभी तक नीचे लिखे अनुसार बालमंदिर शुरू हुए हैं :

(१) श्री उमिया बालमंदिर, सोमाखेडी तेह. महेश्वर
(२) श्री उमिया बालमंदिर, कवडिया, तेह. महेश्वर
(३) श्री उमिया बालमंदिर, (१) करोंदिया तेह. महेश्वर
(४) श्री उमिया बालमंदिर, (२) करोंदिया तेह. महेश्वर
(५) श्री उमिया बालमंदिर, धरगांव, तेह. महेश्वर
(६) श्री उमिया बालमंदिर, समसपुरा, तेह. महेश्वर
(७) श्री उमिया बालमंदिर, महेतवाड़ा, तेह. महेश्वर
(८) श्री उमिया बालमंदिर, विखरौन, तेह. धरमपुरी (धार)

इनके अलावा धार जिले के कुक्षी तथा मनावर नगरों में भी पाटीदार समाज द्वारा संचालित शिशुमंदिर एवं प्राथमिक शालाएं चल रही हैं ।

मालवा क्षेत्र में शिक्षा की प्रगति

मालवा पाटीदार समाज में शिक्षा के प्रति रूझान शुरु से ही रहा है। बडे शहरों के संपर्क एवं प्रभाव से ग्रामीण अंचलो में शिक्षा की प्रगति के लिये प्रयास किये गये हैं। इनमें कुछ प्रमुख संस्थाओं के विवरण निम्नानुसार है :

(१) गुरुकुल गायत्री आश्रम, अभयपुर, जिला शाजापुर :

इस संस्था की स्थापना म.प्र. पाटीदार समाज के पूर्व अध्यक्ष, समाजसेवी एवं अनुभवी कर्मठ कार्यकर्ता श्री चैनसिहंजी पाटीदारने सन् १९७९ में की थी। संस्थापक–संचालक की भावना उत्कृष्ट है। विश्वविद्यालयों के पुस्तकीय ज्ञान से ऊबकर उन्होंने व्यवहारिक ज्ञान की पूर्ति, छात्रोंमें चरित्र, नैतिकता, जीवन जीने की कला का विकास करने के उद्देश्य से इस आदर्श आश्रम एवं विद्यापीठ की स्थापना की थी। प्रारंभमें प्राथमिक स्तर तक ही पढाई शुरु की गई। फिर माध्यमिक स्तर तक और सन् १९८९ से हाईस्कूल स्तर की पढाई शुरु की गई है। एक व्यक्ति के साहस, द्रढ प्रतिज्ञा एवं निस्वार्थ सेवा के प्रतिफल के रूप में यह आश्रम म.प्र. पाटीदार समाज में गौरवशाली स्थान पा चुका है। यहां गुरुकुल में विशेष रूप से शिक्षित एवं दीक्षित छात्र–छात्राएं शिक्षा, खेलकूद, प्रतिस्पर्धाओं तथा शारीरिक प्रगति के क्षेत्र में विशेष उल्लेखनीय स्थान प्राप्त कर चुके हैं। इस आश्रम के संचालन में श्री लक्ष्मीनारायणजी पाटीदार अभयपुर वालों का सक्रिय योगदान है। यहां छात्र–छात्राओं के लिये छात्रावास व्यवस्था है। भवन व्यवस्था, खेलकूद के मैदान, जल व्यवस्था, प्राकृतिक पर्यावरण सभी सराहनीय है। यहां के वार्षिकोत्सवों के समय निमाड़, मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र के गणमान्य पाटीदार कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी आते रहते हैं। इस संस्था से प्रेरणा लेकर म.प्र. पाटीदार समाज अन्य जगहों पर भी ऐसे आश्रम स्थापित कर रहा है।

(२) पाटीदार समाज छात्रावास हाटपीपल्या (जिला. देवास)

देवास जिल के पाटीदार समाज का संक्षिप्त इतिहास

प्राचीन संगठन : देवास जिले के अंतर्गत बागली तेहसील में ३४ गांवों, सोनकच्छा तेह. में १२ गांवों, देवास तेह. में १० गांवों–ऐसे कुल ५६ गांवों में पाटीदार समाज आबाद है। इससे जुडे हुए सिहोर जिले के ३५ गांवों में पाटीदार समाज बसा हुआ है। इस तरह कुल ९१ गांवो का एक समाजिक संगठन है। जिले के सबसे बडे ग्राम करनावद में पाटीदार समाज द्वारा निर्मित श्री अंबिका मन्दिर सामाजिक गतिविधियों का केन्द्र है।

पुराने समय में सामाजिक न्याय एवं प्रकरणों की सुनवाई के लिये पंच कमेटी थी। प्रमुख कार्यकर्ताओं सर्वश्री भवानीरामजी देवगढ, गणेश रामजी करनावद, बालारामजी महुखेडा, जगन्नाथजी लीम्बोदा, धन्नालालजी अरलावदा, बालारामजी

नानूखेडा द्वारा निर्णय दिये जाते थे। करीब ४० वर्ष पूर्व तक इन गांव पंचायतों की बडी प्रतिष्ठा थी। पक्ष-विपक्ष अपने मुकदमों की सुनवाई और निर्णय मानते थे। पंचों का निर्णय सर्वोपरि माना जाता था। उस वक्त लोग कसम खाने और झूठ बोलने से डरते थे।

देवास जिले के सुधारकों के प्रयास से निम्न प्रथाओं की लगभग समाप्ति हो गई है।

(१) मृत्युभोज : कार्यकर्ताओं के प्रयास से मृत्युभोज समूल नष्ट तो नहीं हुआ हैं, फिर भी सामान्य तौर पर समाप्त होता जा रहा है। अब केवल एक दिन गांव के एवं कुटुम्बी-रिश्तेदार ही मृत्युभोजमें शामिल होते है। इनमें भी कई लोग आते जरूर है, लेकिन मृत्युभोज नहीं करते और ऐसे ही चले जाते हैं। इसका रिश्तेदार बुरा नहीं मानते।

(२) बाललग्न एवं विवाह समारोह : अब बाल विवाह भी समाप्त हो गये हैं। समाज ने सामूहिक विवाह प्रथा उत्साह पूर्वक अपना ली है। इसमें भी वयस्क वर-वधुओं को ही प्रवेश दिया जाता है। जिले की प्रमुख शिक्षासंस्था - पाटीदार समाज छात्रावास हाटपीपल्या में भव्य एवं विशाल समारोह आयोजित हो रहे हैं। सन् १९८८ से सामू. विवाह वसंतपंचमी पर एक ही स्थान पर होने लगे हैं। सामू. विवाहों से पुरानी कमरतोड खर्चीली प्रथा समाप्त हो गई है। मामा पक्ष को कुटुम्ब पेरावणी, मामेरा जैसी रूढीवादी प्रथाओं से मुक्ति मिली है। छोटे बडे, गरीब अमीर का भेद मिटा है।

(३) कृषि : देवास जिला कृषिप्रधान है। पाटीदार समाज का भी प्रमुखधन्धा कृषि ही है। यहां हर प्रकार की नकद एवं खाद्य व उपयोगी फसलें होती हैं। पाटीदार समान ने उन्नत तरीकों से कृषि को उपयोगी समझकर उत्पादन में अपनी प्रतिष्ठा बढाई है। जिले के अधिकतर नवयुवक व्यापार एवं शासकीय सेवाओं में भी लगे हैं, जिनका प्रतिशत २० के लगभग है।

(४) संगठन : पाटीदार समाज में ग्राम स्तर, तेहसील स्तर एवं जिला स्तर के समाजिक संगठन हैं। जिनके चुनाव प्रति ३ वर्ष में होकर म.प्र. पाटीदार समाज संगठन से जुडे हुए हैं।

(५) शिक्षा की प्रगति के लिये प्रयास : सर्वप्रथम सन् १९५८ में ग्राम देहरिया साहू में श्री आत्माराम पाटीदार के प्रयासों से जिला का सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन के अध्यक्ष शेठ श्री अमरसिंहजी पाटीदार-करनावद, मुख्य अतिथि शेठ श्री अंबारामजी गामी-देवगढ़ एवं सभा संचालक श्री आत्माराम पाटीदार बडिया माण्डू वाले थे। दूसरा सम्मेलन ग्राम करनावद में हुआ। तीसरा सम्मेलन श्री आत्माराम पाटीदार के कृषि फार्म बडिया माण्डू में सन् १९७६में हुआ। इन सम्मेलनों में शिक्षा की प्रगति के लिये हाटपीपल्या में छात्रावास बनाने के प्रस्ताव

पारित हुए । समाज के दानी मानी सदस्यों ने दानराशि देना प्रारंभ किया । दिनांक २०/७/७७ को ३.५५ एकड़ भूमि १८२०० रुपये में खरीदी । छात्रावास निर्माण कार्य के लिये चन्दा-समिति बनी । जिससे श्री आत्माराम पाटीदार, श्री जगदीश चन्दपाटीदार, श्री नारायण प्रसाद पाटीदार, श्री कन्हैयालाल सूर्या, श्री राधाकिशन पाटीदार प्रमुख थे । ग्राम चुरलाय में सर्वप्रथम १२००० रु. चन्दा प्राप्त हुआ । इसी वर्ष हाटपीपल्या की भूमि में कुआं खुदवाया । भवन बनाने का कार्यारंभ हुआ ।

दिनांक ८/९/८७को गुजरात पाटीदार समाज के सदस्य समाज-यात्रा पर सेठ केशवलालजी पटेल अध्यक्ष श्री उमिया माताजी संस्थान ऊंझा के नेतृत्व में देवास जिले में पधारे । देवास, नेवरी, चापडा, करनावद एवं हाटपीपल्या में सम्मेलन में शामिल हुए । इस शुभ अवसर पर छात्रावास के कार्यालय भवन का शिलान्यास श्री केशवलालजी पटेल के करकमलों से सेठ श्री अमथालालजी पटेल बम्बई के मुख्य आतिथ्य में तथा सेठ श्री अमरसिंहजी करनावद की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ । सभा का प्रभावशाली संचालन श्री आत्माराम पाटीदार ने किया । इस पावन अवसर पर श्री केशवलालजी पटेल एवं श्री अमथालाल्जी पटेलने २५-२५ हजार रुपये दान दिये ।

इस समाज-यात्रा का देवास जिले के पाटीदार समाज पर व्यापक प्रभाव पडा एवं यह सोचने को मजबूर हुए कि गुजरात, बम्बई, ईन्दौर से आकर दानदाता हमारे बालकों के लिये दान देते हैं, तो हमको भी दान देना चाहिए, और अब जिले के पाटीदारों में दान देने की होड सी लगी हुई है । इस समय हाटपीपल्या छात्रावास में ३४ कमरे तथा ३ हाल है । संस्था का आफिस, कुआ, ट्यूबवेल, पायखाने, बाथरूम्स हैं । सन् १९८२ से छात्रावास में बालकों को प्रवेश दिया जा रहा हैं । संस्था के पास १० एकड़ भूमि है । बच्चों को दूध पिलाने के लिये दो होस्टन गायें हैं । अभी तक इस भवन के निर्माण कार्यों पर लगभग १४ लाख रुपये खर्च हो चुके हैं ।

छात्रालय में समय की मांग को देखते हुए सन् १९८९-९० से श्री उमा विद्या मंदिर भी प्रांरभ किया गया है । प्रथम वर्ष में कक्षा १ से ५ तक शासन से मान्यता प्राप्त कर १५० बालकों को प्रवेश दिया गया । शिक्षा सत्र वर्ष १९९०-९१ से कक्षा ६ठी प्रारंभ की गई है । अब १९० बालक अध्ययनरत हैं । ११५ आवासीय बालक हैं । साथ ही कक्षा ७ वी से १२ वी तक के ३३ बालक छात्रावास में रहकर सरकारी स्कूलों में पढने जाते हैं । छात्रावास का अपना निर्धारित दैनिक कार्यक्रम है, जिसके अनुरूप छात्रालय संचालित होता है । छात्रों को चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है । प्रधाना चार्यसहित ८ शिक्षक, तथा ११ भोजन, सफाई, सुरक्षा हेतु कर्मचारी नियुक्त हैं । संस्था की आगामी योजना के अनुसार इस विद्यालय को इन्टर कालेज तक पहुंचाने के लिये संस्था के कार्यकर्ता दृढ़ संकल्पित हैं । देवास जिला पाटीदार समाज की मान्यता है कि श्री सेठ केशवलालजी पटेल एवं श्री उमिया माताजी संस्था ऊंझा (उ. गुजरात) के भाई-बहिनों की समाज यात्राओं से म.प्र. में शैक्षणिक जागृति आई है ।

(६) देवास जिले के संस्थान :

पाटीदार समाज जिला देवास द्वारा निम्नलिखित सामाजिक संस्थान स्थापित किये गये हैं :

(अ) देवालय :

ग्राम करनावद, देहरिया साहू, गुराडिया कला, छतरपुरा, नयापुरा, चांसिया, लिम्बोदा, देवगढ, बडियामांडू, मानकुंड, नेवरी, महुखेडा, नानूखेडा, कन्नौदमिर्जी, अरोल्या, भमोरी ग्रामों में श्रीराम मंदिर, हनुमान मंदिर, राधाकृष्ण मंदिर तथा श्री अंबिका मन्दिर है ।

(ब) शिक्षालय :

हाटपीपल्या, करनावद, दैहरिया साई, लिम्बोडा बडिया मांडू, मानकुंड, महुखेडा, दत्तोतर, भमोरी में बालवाडियां, प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाएं एवं छात्रालय हैं ।

(क) धर्मशालाएं :

हाटपीपल्या, करनावद, देहरियासाहू, गुराडिया कला, छत पुरा, नयापुरा, लिम्बोदा, बडियामांडू, मानकुंड, नेवरी, महुखेडा में समाज की धर्मशालाएं हैं ।

देवास जिले के सामाजिक कार्यकर्ता छात्रावास भवन निर्माण ट्रस्ट, मालवा पाटीदार समाज शिक्षा समिति, सामूहिक विवाह समिति के पदाधिकारी एवं सदस्य जिनके अथक प्रयासों द्वारा सामाजिक एवं शैक्षणिक–चेतना आई हैं, वे निम्न हैं –

क.	नाम	पद
१.	श्री आत्माराम पाटीदार बडीया मांडू	अध्यक्ष
२.	श्री राधाकिशन जी नेवरी	उपाध्यक्ष
३.	श्री सेठ बाबूलाल जी करनावद	–
४.	श्री मांगीलाल पाटीदार देवगढ़	–
५.	श्री कन्हैयालाल जी सूर्या महुखेड़ा	सचिव
६.	श्री जगदीश चन्दजी हाटपीपल्या	सह सचिव
७.	श्री शिवनारायण जी हाटपीपल्या	कोषाध्यक्ष
८.	श्री अंतरसिंहजी पाटीदार हाटपीपल्या	संगठन सचिव
९.	श्री शान्तिलाल जी गामी हाटपीपल्या	ट्रस्टी
१०.	श्री ओमप्रकाश जी राव हाटपीपल्या	सदस्य
११.	श्री नारायण सिंहजी भमोरी	सदस्य
१२.	श्री रामरतन जी देवरिया साहू	सदस्य
१३.	श्री सियाराम जी दत्तोतर	सदस्य
१४.	श्री परसराम जी करनावद	सदस्य
१५.	श्री बाबूलाल जी करनावद	सदस्य

१६. श्री अम्बारामजी पाटीदार मान कुंड	सदस्य
१७. श्री हीरालाल जी मुकाती महुखेडा	सदस्य
१८. श्री रामप्रसादजी खजूरिया बीना	सदस्य
१९. श्री अर्जुनसिंहजी मुकाती चांस्या	सदस्य
२०. श्री वापूसिंहजी कारणावद	सदस्य
२१. श्री वावूवालजी (सरपंच) नयापुरा	सदस्य
२२. श्री नारायण सिंहजी नयापुरा	सदस्य
२३. श्री शेठ मोहनलाल जी भमोरी पी.टी.सी. इन्दौर	सदस्य
२४. श्री चम्पालाजी हाटपीपल्या सलाहकार एडवोकेट	सदस्य
२५. श्री रूपसिंह जी देवास	सदस्य
२६. श्री लक्ष्मीनारायण जी सरीया आडीटर	सदस्य
२७. श्री राधेश्यामजी मुकाती मानकुंड	सदस्य

शेठ श्री अम्बाराम जी गामी, सेठ श्री अमरसिंह जी छात्रावास निर्माण के प्रमुख सहयोगी थे । आपने चंदा भी दिया और धनाभाव के समय निर्माण कार्य नही रूके इसलिये एडवांस रुपये देकर आत्माराम पाटीदार, राधाकिशनजी पाटीदार का उत्साह वढाते रहते थे । उन्होंने इस नश्वर शरीर का त्याग किया है, परन्तु कार्यकर्ता आज भी उनको श्रद्धा से याद करते हैं ।

पाटीदार समाज छात्रावास, मन्दसौर

पाटीदार समाज ट्रस्ट (न्यास) मन्दसौर

(१) स्थापना एवं उद्देश्य : मन्दसौर जिले के संपूर्ण पाटीदार समाज में उच्च शिक्षा का विकास एवं समाज का सांस्कृतिक उन्नयन करने के उद्देश्य से मन्दसौर में दिनांक २ अक्तूबर १९७५ का "अंविका विद्यापीठ"की स्थापना की गई है । ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन दिनांक २६/८/७६को किया गया है ।

(२) अंबिका विद्यापीठ की योजनाएं व निर्माण कार्य : मन्दसौर में नई आवादी संजीत मार्ग पर एक लाख वर्ग फीट भूमि क्रय की गई ! इस विद्यापीठ की आदर्श योजनाओं में छात्रावास, बैंक, दुकानें, पुस्तकालय, अंबिकामंदिर, समाज सभागृह, उत्सव भवन, भोजनालय , अस्पताल निर्माण करना प्रस्तावित है । वर्तमान में २८ पक्के कमरे, ९ दुकानें तथा एक सभागृह निर्मित हो चुके हैं । छात्रावास की स्थापना २७ दिसम्बर १९७८ से हो चुकी है । उसमें लगभग ५० छात्र निवास करते हैं ।

(३) नीमच छात्रावास : मन्दसौर जिला पाटीदार समाज ट्रस्ट के अतर्गत नीमच में भी छात्रालय निर्माण हेतु एक ट्रस्ट का गठन करके ७५००० वर्ग फीट भूमि क्रय करके अभी ८ पक्के कमरों का छात्रावास भवन तथा बाउण्ड्री–वाल निर्मित किये हैं। इसी भूमि पर २१, २२ मई १९८८ को.म.प्र. एवं राजस्थान पाटीदार समाज का पंचम अधिवेशन हुआ था।

मन्दसौर जिला पाटीदार समाज ट्रस्ट के ट्रष्टियों की सूची –

	नाम	गांव	पद
१.	श्री वालाराम मुकाती,	सेमलिया हीरा	अध्यक्ष
२.	श्री रामदयाल मुकाती,	रीछालालमुहां	सचिव
३.	श्री देवराम पटेल,	गुराडिया लालमुहां	कोषाध्यक्ष
४.	श्री रतनलाल पाटीदार,	सावाखेडा	संगठन–सचिव
५.	श्री भवानीराम पाटीदार,	उमरिया	सहसचिव
६.	श्री परशुराम पाटीदार, एडवोकेट,	मंदसौर	सदस्य
७.	श्री प्रहलाद पाटीदार,	५, हाउसिंग कोलोनी, मंदसौर	सदस्य
८.	श्री वरदीचन्द पाटीदार,	पीपल्या विशन्या	सदस्य
९.	श्री चेतराम पाटीदार,	चिलोदपीपलिया	सदस्य
१०.	श्री शिवराम पाटीदार, एडवोकेट,	पीपल्या मंडी	सदस्य
११.	श्री त्रिदेव पाटीदार,	गौशाला सदन, मंदसोर	सदस्य
१२.	श्री रामचन्द्र पाटीदार, (नाकेदार)	नारायण गढ़	सदस्य
१३.	श्री प्रेमनारायण पाटीदार,	बोलिया	सदस्य
१४.	श्री कन्हैयालाल कापडिया,	बरडियाअमरा	सदस्य
१५.	श्री मूलचन्द पाटीदार,	लासूर	सदस्य
१६.	श्री प्रभुलाल पाटीदार,	दुदरसी	सदस्य
१७.	श्री रामेश्वर पाटीदार,	जनकपुर	सदस्य
१८.	श्री गणेशराम पाटीदार,	महूरोड, नीमच	सदस्य

पाटीदार समाज द्वारा स्थापित अन्य संस्थाएं :

सरदार पटेल सरस्वती शिशु मन्दिर, अंतरालिया, जिला शाजापुर
श्री उमा बालमंदिर हाटपीपल्या, जिला देवास
श्री सरस्वती शिशु मंदिर, दत्तोतर, जिला देवास
श्री उमा विद्यामंदिर, बडियामांडू, जिला देवास
श्री सरस्वती बाल मंदिर, देहरिया साहू, जिला देवास
श्री उमिया पाटीदार विद्यामंदिर, तिलमोर खुर्द, जिला इन्दोर
श्री उमिया पाटीदार विद्यामंदिर, रंगवासा, जिला इन्दोर
श्री उमिया पाटीदार विद्यामंदिर, आंबा चंदन, जिला इन्दोर
श्री उमिया पाटीदार विद्यामंदिर, गवली पलासिया, जिला इन्दोर
श्री उमिया पाटीदार विद्यामंदिर, जामली, जिला इन्दोर
श्री सरदार पटेल विद्यामंदिर, भैंसोदा, जिला मन्दसौर
श्री सरदार पटेल विद्यामंदिर, सांजलपुर, जिला मन्दसौर
श्री सरदार पटेल विद्यामंदिर, बोरदा, जिला मन्दसौर
श्री सरदार पटेल विद्यामंदिर, बरडिया अमरा, जिला मन्दसौर

इन संचालित संस्थाओं के अलावा (१) रतलाम, (२) जावरा, (३) बदनावर, (४) नीमच (५) उज्जैन, (६) उमियाधाम राउ–रंगवासा (७) शाजापुर, (८) भोपाल में बालक–बालिकाओं की शैक्षणिक सुविधा के लिये छात्रावास निर्माण की योजनाएं चल रहीं हैं। कहीं भवन निर्माणाधीन है, कहीं भूमि क्रय कर ली गई है, ट्रस्ट पंजीकृत हो गये हैं, धनराशि संग्रहीत हो रही हैं। ये सब संस्थाएं शीघ्र पूरी हो जावेगी, तब प्राथमिक से लेकर कालेज तक के छात्र–छात्राओं की आवास व शिक्षण सुविधा में काफी वृद्धि हो जावेगी। प्र. प्र. के प्रत्येक जिले के कार्यकर्ता अपने अपने स्तर, सुविधाएं और साधनों के अनुसार शिक्षा संस्थाएं कायम करने के लिये तन मन धन से जुटे हुए हैं।

राजस्थान के वांसवाडा, सागवाडा और डूंगरपुर स्थानों पर पाटीदार समाज के छात्रावास संचालित हैं। राजस्थान पाटीदार समाज इन छात्रावासों के लिये प्रति परिवार एक रूपया नगद और दस किलो अनाज प्रति वर्ष देता है। इससे कई गरीब एवं होनहार छात्र–छात्राओं को निःशुल्क आवास व्यवस्था तथा अध्ययन सुविधाएं दी जाती हैं। यह जानकारी श्री धनेश्वर पाटीदार (SDM) राजस्थानवालों ने ऊंझा सेमिनार में दी थी। यह एक अनुकरणीय और समाज के लिये आदर्श उदाहरण है।

अखिल भारतीय संगठन का प्रथम चरण

श्री रामजी मंदिर में हुई जन्माष्टमी की मीटिंग में न्यास–मंडल के सदस्यों ने निर्णय किया की अभी तक गुजरात एवं मध्यप्रदेश के पाटीदारों का सामाजिक दृष्टि से मिलन नहीं हुआ है। बाद में श्री राम मंदिर उज्जैन के ट्रस्टिओं और श्री उमिया माताजी संस्थान ऊंझा के ट्रस्टियों का मिलन हुआ। श्री रामजी मंदिर के पदाधिकारी १३/९/८६ को प्रथम समाजयात्रा पर गुजरात (उंझा) पहुंचे, जिसमें अध्यक्ष श्री गोवर्धन लालजी पाटीदार, श्री राम मंदिर के सचिव आत्मारामजी पाटीदार, कोषाध्यक्ष श्री बद्रीनारायणजी और अन्न क्षेत्र के उपाध्यक्ष श्री राधाकिशनजी, प्रबंधक श्री रतनलालजी, सह सचिव श्री मांगीलालजी, सह सचिव श्री पुरुषोत्तमजी, आडिटर श्री पुरुषोत्तमजी मुकाती और अन्य सामाजिक कार्यकर्ता थे।

९/१/८७ को श्री उमिया माताजी संस्थान के प्रमुख श्री केशव लालजी के साथ ऊंझा ट्रस्ट के पदाधिकारी समाज–यात्रा के लिए मध्यप्रदेश पहुंचे। उनका भव्य स्वागत हुआ। गांवों में उत्साह अप्रतिम था। इस दौरे में श्री आत्माराम पाटीदार–सचिव राममंदिर ट्रस्ट उज्जैन, श्री राधाकिशनजी, श्री चैनसिंहजी–अध्यक्ष म.प्र. पाटीदार समाज, श्री लक्ष्मीनारायणजी पाटीदार ने इस सप्त दिवसीय समाजयात्रा में साथ रह कर भ्रमण प्रोग्राम का नेतृत्व किया। अतः म.प्र. एवं गुजरात पाटीदार समाज के मिलन का श्रेय श्री राममंदिर उज्जैन को है। यह रामजीमंदिर आज भी पाटीदारों का प्रेरणा स्रोत हैं।*

---

* जानकारी के लिये देखिये 'उमियादर्शन' मासिक

चार साल में मध्यप्रदेश और गुजरात में जो कुछ समाजयात्राएं और सामूहिक विवाह समारोह दोनों प्रदेशों के बीच हुए उसका पूरा विवरण 'उमियादर्शन' के सम्पादक श्री जयंतीभाई पटेल ने दिया है।

दस वर्षीय विवाह की समाप्ति के साथ ही मध्यप्रदेश और गुजरात के संबंधों में रूकावट आने लगी थी । म. प्र. और गुजरात को पुराने समय में जोडने वाली शक्ति मां उमा के आदेश से होने वाली शादियां थी ।

ऊंझा में श्री उमिया माताजी मंदिर का १८वीं शताब्दी समारोह हुआ था । उससे भारत भर के पाटीदारों में एक नई हवा, एक नयी उमंग, एकता की उत्कट भावनाएं पैदा हुई । सारे पाटीदार समाज में उत्साह आ गया । इस उत्सव से जो नई जागृति आई, उससे पाटीदार समाजमें संगठन की रूपरेखा बनी । १८ वीं शताब्दी समारोह का आयोजन अखिल भारतीय संगठन का प्रथम चरण था ।

मध्यप्रदेश, राजस्थान और गुजरात के कार्यकर्ताओं का सेमिनार

१४ और १५ नवम्बर १९८७

श्री उमिया माताजी संस्थान, ऊंझा द्वारा आयोजित मध्यप्रदेश राजस्थान तथा गुजरात के पाटीदार कार्यकर्ताओंका सेमिनार ऊंझा माताजीके सभागृह में श्री उमिया माताजी संस्थान, ऊंझाके अध्यक्ष सेठ श्री केशवलाल विठ्ठलदास पटेल की अध्यक्षता में दिनांक १४ और १५ नवम्बर (१९८७) के दिन सम्पन्न हुआ था । इस सेमिनार में इन तीनों प्रदेशों के लगभग ७५० कार्यकर्ता उपस्थित रहे थे, जिसमें ७० बहनें भी थी ।

सेमिनार के अध्यक्ष महोदय आदरणीय शेठ श्री केशवलाल पटेलने पधारे हुए मेहमानों का, कार्यकर्ताओं का, बहनों का, हृदय से स्वागत किया था । और श्री उमिया माताजी की तस्वीर के सामने दीप प्रकट कर उद्घाटन किया था । स्वागत प्रवचन करते हुए उन्होंने बताया था कि,

'मुझे आज बहुत खुशी होती है कि आज हमारी कुलदेवी मां उमियाजी के सांनिध्यमें मध्यप्रदेश और गुजरात के कार्यकर्ताओं का सेमिनार हुआ है । पाटीदार समाज के इतिहास में यह गौरव की घटना है ।

म.प्र.मे हमारा प्रवास हुआ । आप लोगों के परिचय में हम आये । हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि हमारे भाई इतने दूर है, दूर रहते हैं । हमें नजदीक आना चाहिए । १८वीं शताब्दी के शुभ अवसर पर एक दूसरे को मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था । एक दूसरे की आर्थिक, सामाजिक परिस्थितियां समझने के लिये हमने इस सेमिनार का आयोजन किया । आप सब भाई–बहनें इतने दूर दूर से हमारे निमंत्रण को स्वीकार करके यहां आये हैं । मध्यप्रदेश के कार्यकर्ता भाई–बहनें बहुत दूर से आये हैं । मैं इन सभी भाई बहनों का हृदय से स्वागत करता हूं । श्री उमिया माताजी संस्थान और ऊंझा के नगरजनो की ओर से भी आपका स्वागत करता हूं ।

गुजरात और मध्यप्रदेश के समाजक्षेत्र मे कार्यकरने वाले कार्यकर्ता यहां उपस्थित हैं। आप सबको मेरी प्रार्थना है कि इस सेमिनार के अवसर पर ऐसे विषयोंकी चर्चाएं करे, फलश्रुति निकालें कि जिस से समाज के लोगों को नयी राह, नई दिशाएं प्राप्त हो।

आज समाज में परिवर्तन की जरुरत है, क्योंकि जगत के सारे समाज परिवर्तन की ओर जा रहे हैं। सभी के साथ कदम मिलाना हमारा कर्तव्य हैं। यदि हम अपने गलत रिवाजों को नहीं छोडेंगे या मृत्यु एवं शादी के वक्त जरुरतों से ज्यादा खर्च करते रहेंगे, तो हम अपना विकास नहीं कर पायेंगे। आज स्वस्थ सुखी समाज निर्माण के लिए स्त्री शिक्षा की अनिवार्यता है। स्त्रियो को नहीं पढायेंगे तो समाज का विकास कैसे होगा ? हम किसान भी हैं। अपनी कृषक परिस्थिति की भी चर्चा करनी होगी, साथ साथ अखिल भारतीय स्तर पर पाटीदार समाज का गठन होना जरुरी है। गठन कैसे किया जाय और समाजमें नया नेतृत्व किस तरह पैदा किया जाय इत्यादि विषयों की आप खुले मनसे इस सेमिनार मे चर्चा कीजिए और सेमिनार के अंत में समाज परिवर्तन की नई दिशाएं सारे पाटीदार समाज के सामने रखेंगे, ऐसी आशा रखता हूं।'

उंझा, श्री उमिया माताजी संस्थान के मंत्री श्री मणिलाल नारायणदास पटेल (घंटी)ने दस साल की संस्थान की प्रगति की रिपोर्ट दी थी। उन्होंने बताया था कि, '१८वी शताव्दी महोत्सव के बाद हमें बहुत बडा फायदा यह हुआ कि हम सब नजदीक आये। इस अवसर पर ५० लाख रुपए इकट्ठे हुए। आठ लाख महोत्सवमें खर्च हुआ। शेष ४२ लाख बचे, उसमें से यात्रियों के लिए यह यात्रा धाम बनाया। १० लाख रुपयों से माताजीके मंदिर के दरवाजे चांदीके बनवाये। सातलाखकी यज्ञवेदी बनाई हैं। ऐसी यज्ञवेदी गुजरात में कहीं पर भी नहीं हैं। पवित्रधाम अम्बाजीमें २५ लाख का सुंदर यात्रियों के लिए निवास स्थान बनाया हैं। मंदिर के नजदीक में दस वीघा जमीन रखी हैं, जिसका मूल्य आज ६ लाख का है। अहमदावाद में ३४ लाख की जमीन खरीद ली है। इस पर पाटीदारों के उत्कर्ष के लिए सेवा केन्द्र शुरु कर रहे हैं।

माताजी की कृपा से हम सामाजिक जागृति एवं सेवा का कार्य भी कर रहे हैं। स्त्री शिक्षा के लिए आज तक विभिन्न छात्रावासोंमें ९० हजार रुपए दिए हैं। विधवा स्त्रियों के बच्चों को पढाने की फीस माताजी की ओरसे भी दी जाती हैं। बाढ या सूखे वक्त भी मदद या लोन दिया जाता हैं। पांच लाख रुपए आज तक लोन दिये हैं। इस तरह समाज परिवर्तन का कार्य भी माताजी की ओर से नियमित रूप से हो रहा है।"

इसके बाद श्री उमिया माताजी संस्थान के प्रचार एवं प्रकाशन समिति के अध्यक्ष की मणिभाई पटेल(मम्मी) ने मध्यप्रदेश के पाटीदारों की सामाजिक, आर्थिक परिस्थिति

का चित्र अंकित किया था । इसके बाद मध्यप्रदेश पाटीदार समाज के अध्यक्ष चैनसिंहजी ने बताया था कि, "वर्षों से हम अपनी जन्मभूमि को भूल गये थे, उमिया मां के मार्गदर्शन में हम सब इकट्ठे हुए हैं ।" चैनसिंहजी के प्रवचन के बाद मध्यप्रदेश, राजस्थान एवं गुजरात के विभिन्न जिले के कार्यकर्ताओं ने अपने जिले की सामाजिक परिस्थिति का स्पष्ट चित्र अंकित किया था । इन्दोर के श्री रामचंदजी मुकाती ने बताया था कि. "समाजमें डाक्टर, एडवोकेट या इन्जिनियर हो जाने से परिवर्तन नहीं आयेगा, परिवर्तन लोगों को जागृत करने से ही आता है ।" पश्चिम निमाड़ (खरगोन) के मांगीलालजी पाटीदार ने बताया था कि, निमाड़ में उमिया कन्या छात्रालय शरू हुआ है । राष्ट्रके नक्शे पर हमारा कोई निशान नहीं है, इसलिए अखिल भारतीय पाटीदार समाज बनना चाहिए ।"

शाजापुर जिले के कार्यकर्ता श्री राजमल धीमावतजी ने कहा था कि "भाई भाई के बीच जायदाद के झगडे हो रहे हैं । अदालत में हमें नहीं जाना चाहिए । इसके लिये पाटीदार अदालत होनी चाहिए ।"

इनके अलावा पुरूषोत्तम मुकाती (इन्दोर), उज्जैन के रमेशचंद्र जुझारिया, मध्यप्रदेश पाटीदार समाज के सचीव डो. प्रह्लादभाई पाटीदार, राजस्थान के धनेश्वरजी पाटीदार (SDM), सुरत, अमदाबाद, बडौदा, भावनगर से कार्यकर्ता आये थे । गुजरात के डो. मंगुभाईने गुजरात और मध्यप्रदेश के पाटीदारों के संबंध के बारे में विद्वतापूर्ण व्याख्यान दिया ।

दूसरी सभा में

१. जन्म, मृत्यु और शादी के अवसर पर अपने समाजमें होनेवाले फिजूल खर्च और गलत रिवाजों के बारे में क्या करना चाहिए ?

इस विषय के कन्वीनर राजस्थान के धनेश्वरजी पाटीदार, बडौदा के श्री केशवलाल पटेल, बम्बई के हर्षदभाई पटेल रहे थे । जन्म, मरण और विवाह के अवसर पर गुजरात और मध्यप्रदेश के गांवोमें लोग काफी खर्च करते हैं । ये सारे खर्च कम करने के बारेमें चर्चा हुई थी, और इनमें जो फिजूल खर्च है, ये खर्च बंद करने का निर्णय लिया गया ।

२. शिक्षा और खास करके स्त्री शिक्षा का विस्तार कैसे बढा सकते हैं ?

श्री रमेशभाई जुझारिया, श्री पुरुषोत्तम मुकाती और गुजरात के प्रि. रणछोडभाई शामिल थे । डो. लीलाबहनने स्त्री शिक्षा का विस्तार बढाने के लिए विविध सुझाव दिये । लड़की को कमसे कम एस.एस.सी. तक पढ़ानी चाहिए । साथ साथ स्त्रियों को पढने की सुविधाएं करनी चाहिए । मध्यप्रदेश से आई हुई बहनों ने भी अपने प्रदेश में स्त्री शिक्षा की परिस्थिति का चित्र अंकित किया था ।

३. कृषि को ध्यान में रखते हुए आर्थिक परिवर्तन कैसे लाया सकता है ?

इस विषय के कन्वीनर डो. प्रह्लादभाई पाटीदार (मन्दसौर) तथा श्री राजारामजी पाटीदार रहे थे । कृषि की विविध समस्याएं है । सरकारकी ओर से जो समस्याएं है, ऊन समस्याओं का निराकरण सरकार के प्रतिनिधियों के साथ बैठ कर हो सकता है । आर्थिक परिवर्तन लाने के लिये सामाजिक रीतरिवाजों के पीछे, शादी और मृत्यु के अवसर पर फिज़ूल खर्च रोक कर धन को बचाना चाहिए ।

४. पाटीदार समाज में फैली हुई गलत अंधश्रद्धाओं, वहमों और जड़रुढियों को मिटाकर परिवर्तित युगके साथ कदम मिलाने के उपाय क्या हैं ?

इस विषय के कन्वीनर श्री हरीराम पाटीदार रतलाम वाले थे ।

गुजरात में प्रेतभोजन, बालविवाह, बालसंबंध, गोद भरना, सगाई, बच्चे का जन्म इत्यादि अवसर पर ठीक ठीक खर्च किया जाता है । विधवा विवाह गुजरात में है । गोल प्रथा और आमने–सामने विवाह (साटांपेटां) की प्रथा है । मध्यप्रदेश के रतलाम, मंदसौर, मालवा क्षेत्र में बालविवाह, बालसंबंध भी होता है । रतलाम जिले में प्रेतभोजन है । दूसरे जिलो में सीमित हुआ हैं । वहम, जादूमंत्र इत्यादि भी मध्यप्रदेश में कम हो गया है । गुजरात और मध्यप्रदेश में काफी समानता हैं ।

ये सारे कुरिवाजों को बंद करना चाहिए, साथ साथ स्त्री शिक्षा बढानी चाहिए । हर वर्ष, पाटीदार समाज का सम्मेलन होना चाहिए । नवयुवकों को मा उमियाजी के सामने इकट्ठे कर के समाज सुधार के लिए प्रतिज्ञाएं लेनी चाहिए । अपने गोत्र में शादी नहीं करनी चाहिए ।

५. अखिल भारतीय स्तर पर पाटीदार समाज का गठन कैसे किया जाय और समाज में नया नेतृत्व किस तरह से पैदा किया जाय ?

इस विषय के कन्वीनर थे डो. मंगुभाई पटेल, श्री खेमचंदभाई पाटीदार और परुशुराम पाटीदार । अखिल भारतीय स्तर पर पाटीदार समाज का गठन करने का निर्णय लिया गया और नया नेतृत्व सारे समाजमें पैदा करने के लिए विविध प्रकार के सुझाव पेश किए गये थे । तालुका, जिला स्तर पर संगठन करने का निर्णय किया गया ।

इस तरह पांचों विषयों पर सुंदर चर्चाएं हुई । दूसरे दिन रविवार सुबहमें ८–३० से १–०० बजे तक कन्वीनरों ने अपने विभाग की रिपोर्ट पेश की ।

सेमिनार से नई एकता : 'हम पाटीदार हैं ।'

श्री उमिया माताजी संस्थान उंझाने अभूतपूर्व कार्य यह किया कि मध्यप्रदेश और गुजरात के अग्रगण्य कार्यकर्ताओ को सेमिनार में निमंत्रित किया । राजस्थान

और मध्यप्रदेश के साथ गुजरात के कार्यकर्ता नजदीक आये। एक दूसरों की परंपराओं, रुढियों रीत रिवाजों की जानकारी मिली। साथ साथ यह भी समझ में आया कि तीनों प्रदेश के लोग किस ढंगसे अपना विकास कर रहे है, किस राह पर आगे बढ रहे हैं।

मध्यप्रदेश की विशेषता यह रही कि राजनीतिमें अपना ऐसा कोई आदमी नहीं है कि अपनी आवाज राज्य तक पहुंचा सके। १२५० गांवोमें फैला हुआ मध्यप्रदेश-राजस्थान का समाज है। वे सब एक दूसरों के साथ शादी व्यवहार करते हैं। वहां कोई बंधन नहीं है, गोल प्रथा नहीं है।

गुजरातमें प्रचलित गोलप्रथा से मध्यप्रदेश के कार्यकर्ता आश्चर्यमूढ बन गये थे। उन्होंने बार बार इस प्रश्न को छेडा और 'गोलप्रथा' जानने का प्रयत्न किया। गोलप्रथा की वजह से बालविवाह, बाल संबंध और आमने सामने शादी होती है, यह उनकी समझ में आया।

मध्यप्रदेश और राजस्थान से आये हुए सभी कार्यकर्ताओं की एक ही आवाज थी कि 'कडवा' 'लेवा' शब्दों का प्रयोग मत करो। पाटीदार शब्द का उपयोग करो, पाटीदार बनो। गोलप्रथा हमारे विकास में बाधक है। इस लिए गोलप्रथा तोडो और समग्र भारत के पाटीदार एक बनो। ऐसा नहीं करेंगे तब तक परिणाम नहीं मिलेगा, यह मर्म (रहस्य) समझ लो।

डो. प्रह्लाद पाटीदार, श्री परशुरामजी और अन्य मध्यप्रदेश के कार्यकर्ताओं का स्पष्ट मत था कि इस संमेलन में लेवाओं को बडी मात्रा में आमंत्रित करना चाहिये था। मध्यप्रदेश जैसा कडवा-लेवा का संगठन गुजरात में आसान नहीं हैं। परिवर्तन होने लगा है। शादियां भी आपस में बढ रही हैं। मध्यप्रदेश में भी कडवा-लेवां में शादीयां होती हैं, लेकिन बडी मात्रा में नहीं होती।

श्री उमिया माताजी संस्थान, ऊंझा

माताजी के १८ वीं शताब्दी महोत्सव के शताब्दी वर्ष को महिला जागृति वर्ष के रूप में मनाने हेतु समाज कल्याणी देवी जगदम्बा उमा का बहनों को १० मुद्दो का संदेश

- पुत्र पुत्री के बीच भेद न रखें।
- पुत्रवधू को पुत्री के समान मानें।
- बालविवाह जड-मूल से बंद किया जाय।
- बेवा-त्यक्ता बहनों को पुनर्लग्न के लिए प्रोत्साहित करें।

- बहनों को स्त्री-शिक्षा के साथ गृह जीवन की उपयोगी शिक्षा दें ।
- अंधश्रद्धा, वहम और रूढिवादिता से मुक्त होकर सही अर्थ में शक्तिस्वरूपा मां उमा के उपासक बनें ।
- समय के परिवर्तन के साथ अपने सामाजिक रस्मरिवाजों को भी बदलें ।
- हमारे सामाजिक प्रश्न अदालतों में न ले जाकर समाज द्वारा हल करें ।
- दिन में एक बार परिवार के साथ भोजन करें ओर प्रार्थना करें ।
- गांव-गांव उमा महिला मंडलों की स्थापना करें ।

प्रेषक
प्रचार और प्रकाशन समिति,
१८ वीं शताब्दी महोत्सव शताब्दी वर्ष
श्री उमिया माताजि संस्थान, ऊंझा

अखिल भारतीय पाटीदार संगठन का दूसरा चरण

आपको जानकर हर्ष होगा कि पहले ऊंझा में श्री उमिया माताजी संस्थान, ऊंझा, (गुजरात) की ओर से पाटीदार समाज का एक सेमिनार आयोजित किया गया था, जिसमें मध्यप्रदेश, गुजरात, राजस्थान एवं अन्य प्रांतों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। उक्त सेमिनार में यह निर्णय लिया गया था कि अखिल भारतीय स्तर पर पाटीदार समाज का एक संगठन बनाया जावे एवं जिन प्रान्तों में प्रान्तीय संगठन नहीं है, वहां भी प्रान्तीय संगठन गठित किये जावें। इन सभी प्रान्तीय संगठनों का सम्बन्ध अखिल भारतीय पाटीदार समाज संगठन से रहेगा । इस निर्णय को कार्यरूप देने के लिये अखिल भारतीय पाटीदार समाज संगठन हेतु उक्त संयोजन समिति का भी गठन किया गया है । संयोजन समिति के एक सद्स्य डॉ. मंगूभाई पटेल पाटीदार समाज का एक खोज पूर्ण इतिहास भी लिख रहे हैं, जो शीघ्र ही आपको उपलब्ध भी हो सकेगा ।

इस पावन उद्देश्य को अमल में लाने के लिये संयोजन समिति ने अखिल भारतीय पाटीदार समाज संगठन के गठन हेतु बैठक का आयोजन किया है । बैठक में निम्न विषय विचारार्थ रखे गये हैं ।

१. अखिल भारतीय पाटीदार समाज संगठन की रूप रेखा के विषय में विचार ।

२. अखिल भारतीय पाटीदार समाज संगठन के विधान हेतु विधान निर्मात्री समिति का गठन ।

३. अखिल भारतीय पाटीदार समाज संगठन की अर्थ व्यवस्था बाबत विचार ।

४. अखिल भारतीय पाटीदार समाज संगठन की विशाल सम्मेलन बाबत विचार ।

५. अखिल भारतीय पाटीदार समाज संगठन की संयोजन समिति के सहयोगार्थ एवं तदर्थ समिति (एडहोकबोडी) का गठन ।

६. अन्य विषय संयोजक की अनुमति से ।

अतः आपसे निवदन है कि आप इस पुनीत कार्य में सहयोग प्रदान करने हेतु बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें एवं अपने रचनात्मक विचारों से समाज का मार्ग दर्शन करें । संयोजन समिति आपकी आभारी रहेगी ।

बैठक का स्थान : उमिया धाम राऊ (रंगवासा) जिला इन्दौर

विनीत
खेमचंदभाई पाटीदार
संयोजक
अखिल भारतीय पाटीदार समाज संगठन

अ.भा.पा.स. संगठन का प्रधान कार्यालय चतुर्भुज पाटीदार का निवास, 'राम स्नेही भवन' ए.बी.रोड, राऊ, जि. इन्दौर (म.प्र.) है, जहां संगठन की बैठकें होती हैं । इन्दौर में इसका संमेलन बुलानेका भी सोच रहे हैं । अभी इस संस्था का संविधान तैयार हुआ है । इस संगठन के बारे में एक तूफान भी आ गया । अभी शान्त हुआ है । संगठन के पदाधिकारी निम्न लिखित हैं –

संयोजक : खेमचन्दभाई पाटीदार, इन्दौर, **सचिव** : चतुर्भुज पाटीदार–राऊ, जिला–इन्दौर (म.प्र.), **कोषाध्यक्ष** : रामजीभाई पटेल–इन्दौर, **विधि सलाहकार** : आर. सी. मुकाती–एडव्होकेट, हायकोर्ट इन्दौर और परशुराम पाटीदार–एडव्होकेट, मन्दसौर, **सह संयोजक** : डो. मंगूभाई पटेल–अहमदाबाद (गुजरात), हीरालाल पाटीदार–झालरा पाटन (राजस्थान), **सहसचिव** : मांगीलाल पाटीदार–कवड़िया (महेश्वर), **संगठन सचिव** : राजाराम पाटीदार–उमरी खेडा, तह. महू, जिला–इन्दौर, आत्माराम पाटीदार–बड़िया मांडू (देवास) है ।

भारतीय किसान संघ, मध्यप्रदेश

संगठन की आवश्यकता हर जगह रहती है क्योंकि संगठन में शक्ति है यह भावना हमारे दिमाग मे हंमेशा बनी रहनी चाहिये । किसान के नाते हम सब एक हैं, भाई–भाई हैं, ऐसी भावना अगर हमारी हंमेशा रहती है तो हमें गलत तरीके से कोई भी व्यक्ति चाहे वह कर्मचारी हो या व्यापारी हो दबा नहीं सकेगा....।

हमको चाहिये कि हमारे आपसी झगड़े भी शासन के पास ले जाने के बजाय आपस में ही मिल बैठकर हल कराने का प्रयास करना चाहिये, क्योंकि हम अपने ही भाई को नीचा दिखाने मात्र के लिये अनावश्यक धन कभी-कभी अवैध रूप से भी खर्च करते हैं जो हमारी गरीबी बनाये रखने में सहायक है। इस बुराई को भी मिटाना होगा।

सभी किसान बन्धु जाग्रत होकर अपनी उन्नति करें इसके लिये आवश्यक है कि हम परम्परागत खेती से ऊपर उठकर कृषि सम्बंधी सरकारी योजनाओं की जानकारी रखते हुए आगे बढें।.....

गुजरात, मध्यप्रदेश व राजस्थानके किसानों की अनेक समस्याए हैं उनके बारे में भी समय-समय पर संबंधित अधिकारियों को एवं शासन को अवगत कराते रहते हैं जिनका हल होना किसान हित में अत्यन्त आवश्यक है : (१) बिजली की समस्या भयंकर रुप से विद्यमान है। लोगों को कभी भी समय पर एवं पूरी बिजली नहीं मिलती है। हमेशा किसानों को कटोत्री का सामना करना पड़ता है इससे हम सब बहुत ही परेशान है सरकार को चाहिये उत्पादन व्यवस्थित कर यह परेशानी दूर करें। (२) उत्पादन बढाने के लिये पानी सिंचाई के लिये आवश्यक है इसकी भी व्यवस्था छोटे-छोटे बांध अथवा स्टापड में और नलकूप खोदकर भी हर खेत को पानी दिया जाना चाहिये। (३) मंदसौर, रतलाम जिले में अफीम की खेती होती है। नये पट्टे दिया जाना चाहिये तथा भाव भी बढाया जाना चाहिये। (४) अकाल जैसी स्थिति में राहत कार्य खोलना चाहिये और तौजी (राजस्व) माफ करना चाहिये। (५) सरकार फसलों के समर्थन मूल्य बांधती है, किन्तु माल खरीदी व्यवस्था ठीक से नहीं करती। खरीदी केन्द्र आवश्यक रूप से हर मंडी स्थान होना चाहिये।

किसान ही एक ऐसा वर्ग है जो अपनी बात मनवाने में असमर्थ रहता है जबकि सभी वर्ग जो संगठित रहते हैं – जैसे कर्मचारी, व्यापारी आदि किसी न किसी तरीके से अपनी मांग मनवा लेते हैं। अगर किसान भी संगठित होकर एक स्वर में बोलें तो किसी भी मांग को स्वीकार करवा सकने में किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो सकती।

अतः समस्त किसान बन्धुओं से निवेदन है कि भारतीय किसान संघ के झंडे के नीचे आकर किसानों के शोषण की एवं अपनी समस्याओं को सुलझाने और किसानों को सम्पन्नता की और आगे बढाने के लिये भारतीय किसान संघ के सदस्य बनाकर ग्राम ग्राम में समितियां बनाकर इसके संगठन को मजबूत बनावे, जिससे हम सब मिलकर रचनात्मक ढंग से अराजनैतिक तौर पर सभी समस्याओं का मुकाबला कर सकें।

निष्कर्ष :

अब पाटीदार समाज का संगठन सुदृढ होना कठिन नहीं है। परिस्थितियां बदल रही हैं। केवल हम अपना "मिथ्याभिमान" नामक अवगुण, जिसे पाटीदार गुण मानता चला आ रहा है, उसे त्याग देवें। गुजरात में कहावत है – "**पाटीदार भाई को मारे, ठाकरडां खा के मारे और राजपूत कहकर मारे।**" मध्यप्रदेश (मालवा)में एक मुहावरा सुनने को मिला – "**कुलमी को कुलमी मारे, दूजो मारे किरतार।**" इतिहास बाबत भ्रमण के समय यह मुहावरा अभयपुर में सुना था। इससे भी पाटीदार के सामर्थ्य, शक्ति का पता चलता है, साथ ही पाटीदार ही पाटीदार की प्रगति में रोडे अटकाते हैं, यह भी चरितार्थ होता है। आखिर हम कब तक मिथ्याभिमान, ढोंग, बाहरी दिखावा, थोथी सामाजिक प्रतिष्ठा बनाये रखने के लिये – खर्चीली शादियां, प्रेतभोज, बालसंबंध, बालविवाह जैसी कुरीतियां से चिपके रहेगे! इससे बचना हमारा धर्म है। बेटा–बेटी का भेद निकाल कर दोनों की अच्छी शिक्षा का प्रबन्ध करें। मालवा के बारे में जो प्रसिद्ध कहावत सुनी, उसके अनुसार अपने समाज की तरक्की को एवं इस प्राचीन मान्यता को सही करने हेतु उन्नत कृषक बनने का प्रयत्न करें –

"मालव भूमि गहन गंभीर
डग डग रोटी पग पग नीर।"

मालवा, गुजरात के पुरातन संबंध के बारे में गुजराती गीत हमें एकता का संदेश दे रहा है –

"मेंदी तो वावी मालवे
एनो रंग गयो गुजरात..."

गुजरात ने पुनः अपने पारिवारिक एवं सामाजिक संबंधों को कायम करने हेतु मेंहंदी का पौधा म.प्र. और राजस्थान में उगाया है। अभी इसका रंग और गहरा बन रहा है। हम सब मिलकर इसे इतना पीसें कि जिससे हम सबका रंग मेंहंदी जैसा हो जाय। कहा गया है –

"सुखी होता है इन्सान हजारों ठोकरें खाने के बाद।
रंग लाती है, हीना पत्थर पै घिस जाने के बाद॥"

जब अंबे

जब उमिया

उपसंहार

कुलमिओं की उत्पत्ति, उनके स्थानांतरण, उनके आंतरिक गुण एवं विशिष्टताओं की चर्चा करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर आ सकते हैं कि पाटीदार मूलतः क्षत्रिय हैं। उनकी रग-रग में क्षात्र रक्त बहता है। भारतभर में बस रहे विविध शाखाओं के क्षत्रिय एक ही जाति के थे। एक लम्बे कालक्रम में उनके स्थानांतरण एवं व्यवसाय भेद के कारण उनके कुल व रहन-सहन में निरंतर परिवर्तन आते रहे हैं।

गुजरात, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, उत्तर भारत और राजस्थान के पाटीदारों में काफी आत्मीय संबंध रहे थे। मालवा में कणबी पाटीदारों के दो विभाग हैं - 'दरा' और 'कराड' नाम से वे पहचाने जाते हैं। खानदेश के पूर्वी विभाग में कुछ 'लेउव' पाटीदार हैं। पंजाब के गुर्जरों में भी 'लेवी' नामकी प्रजाति है। गुर्जर और जाट भी लेउवा-कडवा पाटीदार ही हैं। उनमें विवाह की रस्में काफी मिलती-जुलती हैं। सन् १९११ में संपन्न आखिरी दस वर्षीय विवाह के बाद उस प्रथा में परिवर्तन आया। एक ही तिथी के दिन व्याह-प्रथा में सारे पाटीदारों को जोडने वाला जो तत्व था, वह प्रथा में परिवर्तन आने से खत्म हो गया। इससे समाज भी काफी मुक्त बना।

पाटडी दरबार के संबंधिओं ने सामाजिक प्रश्नों के बारे में जब भी पाटीदार जाति की सभाएं बुलाई तब उनके निमंत्रण मालवा, निमाड, खानदेश, येवला व बुरहानपुर तक भेजने के प्रमाण मौजूद हैं। उन प्रदेशों से सन् १८६५ में प्रतिनिधि उस सभा में आये थे। इतना ही नहीं, मगर गुजरात में जब-जब भी कडवा-लेउवा-आंजणा पाटीदार परिषदें बुलाई गई उस में अयोध्या, बिहार के प्रतिनिधि भी उपस्थित होने के उल्लेख हैं। अखिल भारतीय समस्त कुलमी अधिवेशनों में बाराबांकी, आगरा, पीलीभींत, अहमदाबाद, लखनऊ में गुजरात के श्रेष्ठ नरवीरों ने प्रमुखपद स्वीकार करके विशिष्ट नैतृत्व भी प्रदान किया था। वे जानेमाने नरवीर थे - प्रा. जेठालाल पटेल (स्वामीनारायण), श्री सयाजीराव गायकवाड के बंधु श्री संपतराव गायकवाड, होमरूलीस्ट श्री मगनभाई चतुरभाई बार-एट-लो, भारत की मुख्य धारासभा के अध्यक्ष श्री विठ्ठलभाई झवेरभाई पटेल, श्री कुंवरजीभाई महेता और श्री छोटाभाई रायजीभाई ये सब अग्रगण्य कार्यकर्ता थे।

इस इतिहास में हम रतलाम, इन्दौर, उज्जैन, भोपाल, जबलपुर, जयपुर, उदयपुर और कोटा में व्यावसायिक कारणों से जा बसे पाटीदारों की प्रगति व परिवर्तन की चर्चा पुस्तक के विस्तार-भय से कर नहीं सके। जैसा कि जबलपुर के क्षेत्र में समूचे

बीडी उद्योग का विकास गुजरात से आ बसे पाटीदारों ने किया है । आज वह सौ साल से अधिक पुराना व्यवसाय प्रस्थापित हो चुका है । श्री मोहनलाल और हरगोविंद पटेल जैसे साहसी पाटीदार अपना नसीब आजमानें दोरी–लोटा लेकर ही निकले थे । वे अपने परिश्रम से समाज में आज अपना नाम प्रतिष्ठित कर पाए हैं ।

श्री परमानंदभाई पटेल आज समूचे मध्यप्रदेश में पहचाना हुआ नाम है । उनकी धर्मपत्नी श्रीमती ज्योत्सना बहन ख्यातनाम 'लश्करी' परिवार की सदस्या थी । बिलास में दियासलाई का उत्पादन करनेवाले पाटीदार अमृतलाल हउसा थे । ये सब अपने आप में अनोखी दिलचस्प बातें हैं ।

समग्र मध्यप्रदेश व राजस्थान में शिक्षा का प्रमाण बहुत ही कम है । गुजरात के पाटीदारों की कन्याएं इन्जिनियर, डोक्टर, वकील यहांतक कि आई.ए.एस. तक बन चुकी हैं । मध्यप्रदेश का पाटीदार समाज इस दिशा में अभी प्रारंभ ही कर रहा है । बालविवाह का ऊंचा प्रमाण व कृषि ही एक मात्र व्यवसाय होने से शिक्षा की दिशा में उदासीनता ही बर्ती जा रही है । दूसरी और जाति–संबंधों के बारे में, कन्या की लेन–देन के बारे में, रोटी–बेटी व्यवहार में मध्यप्रदेश का पाटीदार समाज गुजरात के पाटीदार समाज की अपेक्षा बहुत ही आगे रहा है । समग्र मध्यप्रदेश इन व्यवहारों का कार्यक्षेत्र है । गुजरात की गोल पद्धति या (विवाह में) साटां–तेखडां प्रथा मध्यप्रदेश में देखने को ही नहीं मिल रही । व्यसनों से भी यह समाज काफी मुक्त है । विनय–विवेक में भी काफी उदार है, मगर प्रेतभोज की बाबत में वह सुधार नहीं ला पाया है ।

कडवा लेउवा पाटीदार एकता की बाबत में मध्यप्रदेश पाटीदार समाज गुजरात से काफी आगे निकल गया है । "पाटीदार याने पाटीदार" ऐसा कहने के वे सही हकदार हैं । उनकी सामाजिक संगठन व्यवस्था बेनमून है । उस संगठन का उपयोग राजकीय स्तर पर करना चाहिए । सामूहिक विवाह की बाबत में शाजापुर और नीमच को बाद करते हुए पूरा मध्यप्रदेश पाटीदार समाज आगे हैं । गुजरात में यह परिस्थिति विपरीत है । मालवा–निमाड में वसंत पंचमी और अखात्रीज के दौरान ही सामूहिक विवाह के दिवस निश्चित किये गये हैं । अतः उन विस्तारों में सामूहिक विवाह का प्रमाण अधिक पाया जाता है – और यह स्वाभाविक है, क्योंकि वे मानते हैं कि किसी भी महिने में विवाह की मुक्ति देने से कृषि पर उसका असर पडता है ।

गुजरात में से विदेशों में व्यवसाय हेतु या नौकरी हेतु से जाकर स्थिर हुए पाटीदारों की संख्या बडी है । मध्यप्रदेश के पाटीदारों का इस ओर बिलकुल ही लक्ष्य नहीं है । शिक्षा की कमी इसका कारण हो सकती है । मालवा की अपेक्षा निमाड में

प्रगति और परिवर्तन तेजी से आ रहे हैं। मालवा के परिवारों में संकुचितता, पर्दा–प्रथा, और कुलीनशाही के कुछ लक्षण घर कर गये हैं। उन में परिवर्तन लाना बहुत ही आवश्यक है। मध्यप्रदेश के पाटीदार समाज में दहेज का दूषण देखने को नहीं मिलता। मगर उसका महिला–वर्ग गुजरात के पाटीदार महिला वर्ग से बहुत कम मुक्ति एवं स्वतंत्रता की श्वास लेता नजर आता है, जिसका मुख्य कारण शायद शिक्षा का अभाव है।

गुजरात और मध्यप्रदेश के पाटीदार समाज को यदि कोई जोडने वाला तत्व है, तो वह है *'उमिया–माताजी संस्थान–ऊंझा'*। सन् १९१३ के फाल्गुन महिने में निमाड–प्रदेश के बंगडीपुरा, सुन्देल, महेतवाड, कसरावद, धामनोद, साटकूट, काछीपुरा विगैरह गांवों के यात्रा–संघ ने द्वारिका जाते वक्त ४७ रुपये का छत्र चढाया था। दूसरे यात्रा–संघ में पाटीदार रामजी गाडरिया, पा. माधाजी जिराती, पा. माधवजी भीखाजी, पा. कानजी कालुजी विगैरह ने रुपये 'एक सो सवा पांच' की चांदी की थाली बनाकर उमिया माताजी को भेंट चढाई थी।

मध्यप्रदेश पाटीदार समाज की संरचना के आधारस्तंभ एवं "कुलमी कुलभूषण" के रचयिता श्री रामकृष्णदासजी ने भी अपने उपदेश व लेखन में गुजरात के पाटीदारों की प्रगति व उनमें आ रहे परिवर्तनों को स्वीकारने के लिये वार वार मालवा–निमाड के पाटीदारों को विनती की थी। उनकी अटल श्रद्धा की आज विजय हुई है। इसका हम सब को आनंद है।

१८ वी शताब्दि का उमिया माताजी महोत्सव इन दोनों प्रांतों के पाटीदारों को जोडनेवाला एक और प्रेरकबल सिद्ध हुआ है – इस सत्य का हम इन्कार नहीं कर सकते। दोनों प्रांतों के समाजों में आमने–सामने कई समाज यात्राएं हुई और उन समाज यात्राओं के फलस्वरूप ही जन्म लिया बंधुता एवं आत्मीयता ने।

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामयाः ।
सर्वे भद्राणि पश्यंतु मां कश्चिद् दुःख भाग्भवेत् ।।

ADDITIONAL EXTRACTS FROM ENGLISH BOOKS WRITEEN BY EUROPEAN SCHOLARS.

HUNTER'S STATISTICAL ACCOUNT OF BENGAL,

VOL. XI. PAGES 46 AND 47

"Kurmis though generally engaged in agriculture, make good soldiers and were good-deal employed as such before the Mutiny."

"Mr. Magrath suspects that Kurmis are found in Madras, Chhuta Nagpur, Orissa ans among the Marathas."

"Sivaji was a Kurmi and the Rajas of Gwalior and Satara are said to be of the same race."

"Kurmis make good soldiers and before the Mutiny many of them were so employed."

IP. DALTON'S ETHNOLOGY OF BENGAL

"In the Province of Chutia Nagpur, the ancestors of the people now called Kurmis appear to have obtained a footing among the aborigina triles at a very remote period, and in more than one part of Manbhum have supplanted them."

"There are traditions of struggles between them and the Kolarian aborigines of these regions and though the latter generally managed to hold their own, we find in some placed Kurmi villages established on sites which we know from the groups of rude stone pillars or cenotaphs still conpicuous to have been once occupied by bhumiji or Mundas, and in other places vestiges of ruined temples appertaining to Hindu and Jain settlements, both most likely beloning to successive generations of Kurmis, amidst vil lages that have for ages been occupied by Bhumiji. The Kurmi Settled in the Western part of Manbhum told me they had been there fifty two generations. The PANCHET Raja clams just so many descents from the deserated child that is said to have founded his race. A babe was discovered in the woods by the Kurmis draw ing its nourishment from a cow. Thisbabe they took and brought up, and after wards adopeted as their Raja. As the family can not trace back their origin rationally outside the limits of the District and as there is no particular reason for supposting them to be Bhumij or Munda, I think that they are more likely to be Kurmi extraction than descended from the cow-nutured foundling."

CARNEY'S RACES, TRIBES AND CASTES OF OUDH.

"Well-to-do members of these classes adopt the honorary distinc tion of Chowdhri. There were formely many and still are some Kurmi landed proprietors in Oudh. A Tupa sub-division containing more than 50 villages was formerly owned by them in Fyzabad."

ELLIOT'S HISTORY, FOLKLORE AND DISTRIBUTION OF RACES, N.-W.P., AND OUDH

"There are several Kurmis or Kunbis among the Marathas and the Gwalior as well as the Satara families are of that stock."

REVEREND SHERRING'S TRIBES AND CASTES, VOL.I. PAGE 156-157 (N.W.P. AND OUDH AND BENGAL.) KUMBHI.

"In some parts of the country members of this caste have large possessions in land. In the year 1848, out of 3 l estestes of which the parganna of Dhata in the Fatehpur District was con posed, no fewer than twenty seven were in the hands of the Kumb his, there called Kurmis, which circumstance, it was rightly conjectured, was the chief cause of the thriving condition of that Praganna."

BOMBAY PRESIDENSY AND CENTRAL PROVINCES.

"The Kurmis and Kunbis are in reality one class of people, and yet are known in various parts of the country by these separate designations, and under them are sub

divisions in to numbers tribes some of which do not intermarry. They are very industrious and persevering commonly thrifty and frugal, and living in the enjoyment of health and much social comfort."

THE PRINCIPAL NATIONS OF INDIA

"The kunbi is fond of asserting his independence. The following are some of his porverbs : "Where it thunders there the Kunbi is a landlord;" "Crores follow the Kunbi but the Kunbi follows no man."*

W. CROOKE'S TRIBES AND CASTES OF N.W.P. AND OUDH.

"COLONEL DALTON regards the Kurmis of Bihar as some of the earli est Aryan colonists of Bengal, a brown tawny coloured people, of an average height, well proportioned rather highly farmed, and with a fair amount of good looks."

"In Oudh** they (Kurmi) have traditions of having been land owners before the Rajput conquest and Mr. Butt remarks that the same is the case in lucknow."

"In Gorakhpur are found the Patanwars. Saithwars, whom DOCTOR BUCHANAN indentifies with the Audhias of Behar who claim there to be of the highest dignity and the purest blood and are usually Cultivators, while in Begel they often enlist in the native army or serve as constables."

BOMBAY GAZETEER, SATARA, VOL. XIX
PAGE 75.

"Marathas are found all over the district. The 1881 Census includes them under KUnbis from whom they do not form a separate caste. The distinction between Kunbis and Marathas is almost entirely social, the Marathas seem to have no histories or rege dary evidence as to when and from where they came in to the district. Though some what fairer in colour and more refined manners as a class cannot be distiguished from Kunbis with whom all eat and the poorer marry."

BOMBAY GAZETTEER, BELGAUM, VOL. XXI.
PAGE 126.

"The Marathas are returned as numbering 1,9300 and are found all over the district. They have come in to the district from Satara and other parts of the Deccan... They wear the sacred thread and are careful to perform the regular Hindu observances. Cultivating Marathas are called Kunbis or Kulvadies...The Marathas have no objection to dine with them but they do not as a rule intermarry. There is no objection to a so of Maratha marrying Kunbi daughter, and occasionaily daughters of poor Marathas are given in marrige to a rich kurbi... The Mahathas are hard workig storng, and hardy and hospitable, but hot tempered. As soliders they are brave and loyal... They are ladholders, husbandmen, pleaders, traders, labourers, soliders, writers, messengers and servants."

BOMBAY GAZETTEER, KHANDESH, VOL XII
PAGE 68

"Marathas are said to have originally come from Nasik, Poona, Satars and Ahmadnagar during the regian of the last Peshwa; are of 2 classes.. Though generally called Marathas, they have spe cial surmnaes known to familar friends, such as Gaekwar, Mahante, Jagtap, Sinde, Nimbalkar ad Pavar. They eat with Tilola or Pajna and other kunbis."

BOMBAY GAZETTEER, KOLHAPUR, VOL. XXXIV
PAGE 65.

"Marathas are returnd as numbering 62287 and are foud over the whole State. The Kolhapur Marathas have a special interesr as their head the Maharaja of Kolhapur is the only representative of Sivajee the founder of the Maratha power...Marathas can not be

---

*. अनुवाद – कोटि चलैं कुन्बी के पीछे । कुन्बी नहिं काहू के पीछे ॥

**. Sitapur Settlement Report, 73; Lucknow Settlement Report. 138

distingished from Marathi speaking Deccan Kunbis with whom all eat and the poorer intermarry... Kolhapur Marathas claim to belong to 4 branches or us as, Brahma vuns or the Brahma Branch, Shesh vuns or the Serpent branch, Som vuns or the Moon branch and Surya vuns or the Sun branch."

"At the Khati feast Marathas sit in full dress each with a sword by his side. Marathas do not allow widow marriage, known othing of polyandry and practise polygamy."

IMPERIAL GAZETTEER OF INDIA, NEW EDITION, VOL V

Pages 97 and 98. AHMEDABAD DISTRICT.

"The Kunbis who number 101000 are an important class. Some have risen to high positions in Government service or have acquired wealth in trade but the majority are engaged in Agriculture and, form the greater part of the peasant proprietors in Gujarat. There is no real difference of caste between Kunbis and Patidars though Patidar will not now intermarry with ordinary Kunbis. The latter are divided in to 3 classes - Levas Kadvas, Anjana. Female infanticide owing to the ruinous expenses attached to marriage having bee found prevalent among the Kunbis the provisons of Bombay act VIII of 1870 were applied to the Kadva and Leva Kun bis. Next in position to the Kunbis are the Rajputs."

VOL, VIII BOMBAY PRESIDENCY , PAGES 300 AND 304

"The general proportion of females recorded in 1901 is 938 to 1000 males in British Districts. In Sindh the proportion is very low. An excess of Females over males is noticeable among the low castes and wild tribes. Infanticide formerly prevalied among the Rajputs and Kunbis of Gujarat but is believed to be no longer practised. The cause of this barbarous practice was the diffculty of securing bridegrooms from the sections of these castes with whom custom prescribed that intermarriage should take place."

"The Marathas consist of 1900000 Kunbis, 350000 Konkanis, and 1500000 Marathas not otherwise specified. The term Maratha is in some respects loosly applied, that it is difficult to determine its precise sighificance, let is variously used to describe members of the various castes living in Maharashtra those whose mother tongue is Marathi, and more coriectly perhaps to designate the descendants of Sivaji's warriors including the Maratha Kunbis and below Ghat Maratha who were the backbone of the Peshwa's Confederacy It is the common impression at the present day that tha Marathas properly so called are divided in to two groups which do not intermarry, but Kunbi or agriculturist being the inferior, and the warrior, landwner of high class Maratha claim ing superior origin..... But the dividing line is not of the natuere of permenet barrier and can be passed by wealthy Kunbis with ambition in proportion to their means."

VOL. XIII PAGE 247, HYDRABAD STATE

"The Kapus of Kunbis the great agriculatural caste in the state number 2953000 porsons or 26 percent of the whole population."

VOL XVI, PAGES 261 AD 262, MADRAS PRESIDENCY

"Of the Hindu castes of Madras the largest are the Kapus numbering 25760000 in 1904. They are divided and subdivided in endless sub-castes which keeps serverally or eve to eat together."

VOL. XVI, PAGES 436, MAHARASHTRA.

"Maharasthra is the coutry of the Marathas who form 30 percet of its population.... The term is now reserved for the decedants of the old fighting stock, a hardy and vigorous class once the terror of India, now merged very largely in the cultivating class known as Kunbi...... Three Million persons in the Konkan and Deccan retured themselves as Marathas in the Bombay Presidency, found of their traditions of deeds of valour embodied in the ballads of the country-side. The Maratha peasantry are a frugal and peace loving people content to extort a bare subsistance from the stomy. Deccan uplands or the rocky spurs of the Ghats. At holiday season they make pligrimages to numerous slines of saints and neroes scattered over the country side and expand small sums in harmless merry-making

when the business of the pilgrimage has been disposed of it is possible that the Marathas are connected with the Reddis of the Telugu."

VOL XVIII, pages 193 and 194 Mysore State

"The Hindus have been arranged in ti 72 castes or classes, of these the strongest unmerically are Wakkaligars (1287000)

The Wakkaligars (in Hindustani Kunbi) are the ccultivators or ryots. They include numberous tribes some of Kanarese andsome of Telugu origin who neither eat together not intermarry. Their headmen are called Gaudas.......The Wakkaligars are mostly vege tarians and do not drink intoxicating liquor. The Ganadekra who form nearly one half of the class, are purly Kanarese, found chiefly in the central and southern tracts. They represent the subjects of the ancient Gangavans which formed the nucleus of the Ganga Empire.At the Present day they are followers sowertsive and some of vishnu..next in number we the Morasu Wakkaligars, chiefly in Kolar and Bangalore Districts. They appear to have been originally immigrants from a district called Marasu-nad to the east of Mysors whose chiefs formed settlements at the end of the fourteenth century in the past round Nadi-droog... In the old days many of them acted in the Kandachar or native militia. They are not only cultivators but sometimes trade in grain. The Reddis are found cheifly in the east and north and have numerous sub- diviisons. To some Extent they seen to be of telugu origin and have been supposed to represent the subjects of the ancient Ratto vade or kingdom of Rattos."

REVD. SHERRING'S HINDU TRIBES AND CASTES, VOL. III P. 258.

THE UNITY OF THE HINDU RACE.

"The Kunbhi, or kurmi caste as it is variously styled, is in point of numbers the principle branch of the cultivating castes, and as every body acquainted with the subject knows, is a very fair representative of all such castes. The kurmi has a strong bony hand natural to a man of his employment. His complexion is of a deep Mahogay colour, never black nor apporaching to it. He is sometimes and in Upper India frequently, tall and powerful, is manly, outspoken, and idepndent in manner, and is altogether free from the cringing obsequiousness so peculiar to many of the self-contemning outcastes below the Sudras. As a drowback to this, he is rather dull of intellect whjch is no matter of sur prise considering the nature of his duties, which in every coun try execise a deadening infulence on the understanding. These castes exhibit various qualities, not seen in lowe castes, and forning striking characteristics of the higher. They are free from the servility and sense of fear, amounting frequently to terror which are so distressigly visible among the outcaste races in their intercourse with the superior castes."

GOVERNMENT ORDER, No 251-VIII-186A-6 dated 21st March 1896 to the Inspector General of Police, N. W. P., and Oudh

Police Department.

3 His Honnor is, However, of opinion that Kurmis constitute respectable community which he would be reluctant to exclude from Government service."

*

"तुविकूर्मिन" Indra, Rv.8-37-2 Indira."

Sanskrit Wortherbuch. (St. Petersburg edn. of 1864).

"Tuvi Kurmi is, is i, or tuvi-Kurmin, i, ini, i, veda. efficaious, an epithet of Indra."

Prof. M. Williams, Sanskrit-English Dictionary

*

"Koormees - These people state that they migrated from the south 1200 years ago. They claim desent from Raja Bal Bhudr, a sooraj bans, who lived in the Tretrayug, the second age of the world."

Memo. on the prevailing in the district of Jhanse.

"Kunbis, including the four divisions of Anjana, Kadva, Lava and Matia, with a strength of I, 4IO, 422, from I4.26 percent of the Hindus of Gujarat. They claim to be of Kshatriya stock. According to one story they are desendants, and according to another the followers of Lava and Kush, children of Ram and Sita, who driven out of Ayodhya and settled in Mathura, and again to move, passed through Marwar in to Gujarat. Their arrival in Gujarat is supposed to have taken place about two thousand years ago."

Bombay Gazetteer, VOL. IX. Part I.

"Ramchandra had two sons, one Lava and ore Kush. From Lava came Lavas and from Kush the Kadvas."

Bombay Gazetteer, VOL. IX. Part I.

Kurma, as, as......name of a son of Gritsmada, author of several hymns of the Rigveda."

Prof. M. Williams' Sanskrit-English Dictionary.

*

पटेल। पटेल शब्द पदवी प्रतीत होता है जो इस समय मध्य भारत वर्ष में बहुधा ग्रामाधीश या प्रधान पुरुष का उप पद होता हुआ पाया जाता है। धारा नगराधिपति सुप्रसिद्ध भोज नरेन्द के संवत् १९७८ के लिखे दान पत्र स्थ – 'परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर श्री भोज देवः कुशली नागह्रद पश्चिम पथकान्तः पाति श्री वीराण के समुपगतान्समस्तराज पुरुषान्ब्राह्मणोत्तरान्प्रति निवासि पट्टकिल जन पदादींश्च समादिशति' इस वाक्य में प्रयुक्त पट्टकिल शब्द पर प्राचीन लेखमाला नामक पुस्तक में टिप्पनी रूप में यह लिखा है कि 'अधुना एषां पटेल इति नाम्ना व्यवहारः' इस आधार पर कहा जा सकता है कि पटेल शब्द पट्टकिल का अपभ्रंश है। जो हो, बाम्बे प्रेजिडेन्सी में पटेल नामक एक कूर्मी कुल या जातीय विभेद पाया जाता है जो बाम्बे गजेटीयर मे लिखे अनुसार चन्द वंशान्तर्गत है॥

चौधरी। चौधरी शब्द संस्कृत चक्रधारी का अपभ्रंश माना जाता है। संस्कृत में चक्र शब्द राष्ट्र, सेना, ग्राम, समूह, जन समुदाय, आदि का वाचक है और धृ धातु का धारण करना है। इन्हीं में पाणिनिसूत्र 'सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये ३–२–७८।' द्वारा णिनि (इनि) प्रत्यय लगाने से चक्र (राष्ट्रं, सैन्यं, ग्राम समूहं, जन समुदायं वा) धर्तुं शीलमस्य अर्थ में चक्रधारिन् शब्द बनाता है और फिर चक्रधारिन से 'सौच ६–४–१३' आदि सूत्रों द्वारा चक्रधारी शब्द सिद्ध होता है। भाषा में चौधरी शब्द भी विशेष नहीं तो ग्रामाधीश प्रधान पुरुष, इत्यादि अर्थोंमें प्रयुक्त होता है। और बंगाल में बहुधा ताल्लुकदारों का मानपद चौधरी होता है। मिस्टर कार्नेजी 'ट्राइब्ज ऐन्ड कास्ट्स आव् अवध' नामक पुस्तक में लिखते हैं कि कूर्मी जातियोंके समृद्धजनों का प्रतिष्ठास्पद चौधरी होता है। जिन लोगों की पदवी में उक्त शब्द का प्रयोग बहुत दिन रहा हो उनके कुल का उपनाम चौधरी हो जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यही कारण है कि कितने ही स्थानों में चौधरी नाम का एक कुल माना जाता है। जो कि चौधरी शब्द पदवी वाचक हो गया है इस कारण वह अब किसी एक ही वर्ण के मनुष्य तथा एक ही कुल का बोधक नहीं कहा जा सकता है। कूर्मी संज्ञक क्षत्रिय ही समुदाय में चौधरी नाम के दो कुल या भेद पाये जाते हैं जिनमें से एक सूर्य वंशान्तर्गत है और दूसरा चन्दवंशान्तर्गत। चौधरी कुलोद्भव कूर्मी रायबरेली, बाराबंकी, शाहाबाद तथा बेलगाम आदि प्रदेशों में पाये जाते हैं॥ कडवा ओर लेउवा पाटीदार भी चौधरी संज्ञा लिखते हैं।

Kurmis. Wel-to-do members of these classes, adopt the honorary distindction of Chowdhri."

Carnegy's Races, Tribes and Castes of Oudh

The words Kunbi and Mahratta are frequently used indiscriminately in the Poona District. The Kurmis and Kunbis are in reality one class of people."

Revd. Sherring's Tribees And Castes, Vol. I.

The term Kunbi include two main classes, Kunbis and Marathas, between whom, it is difficult to draw a line. Marathas ans Kunbis eat together ad itermarry and do not differ in appearance, reli gion, or customs."

Bombay Gazetteer, Poona, VOL. XVIII. Part I.

"The Marathas are found all over the district. The I88I Census includes them under Kunbis from whom they do not from a separate castes." Bombay Gazetteer, VOL. XIX.
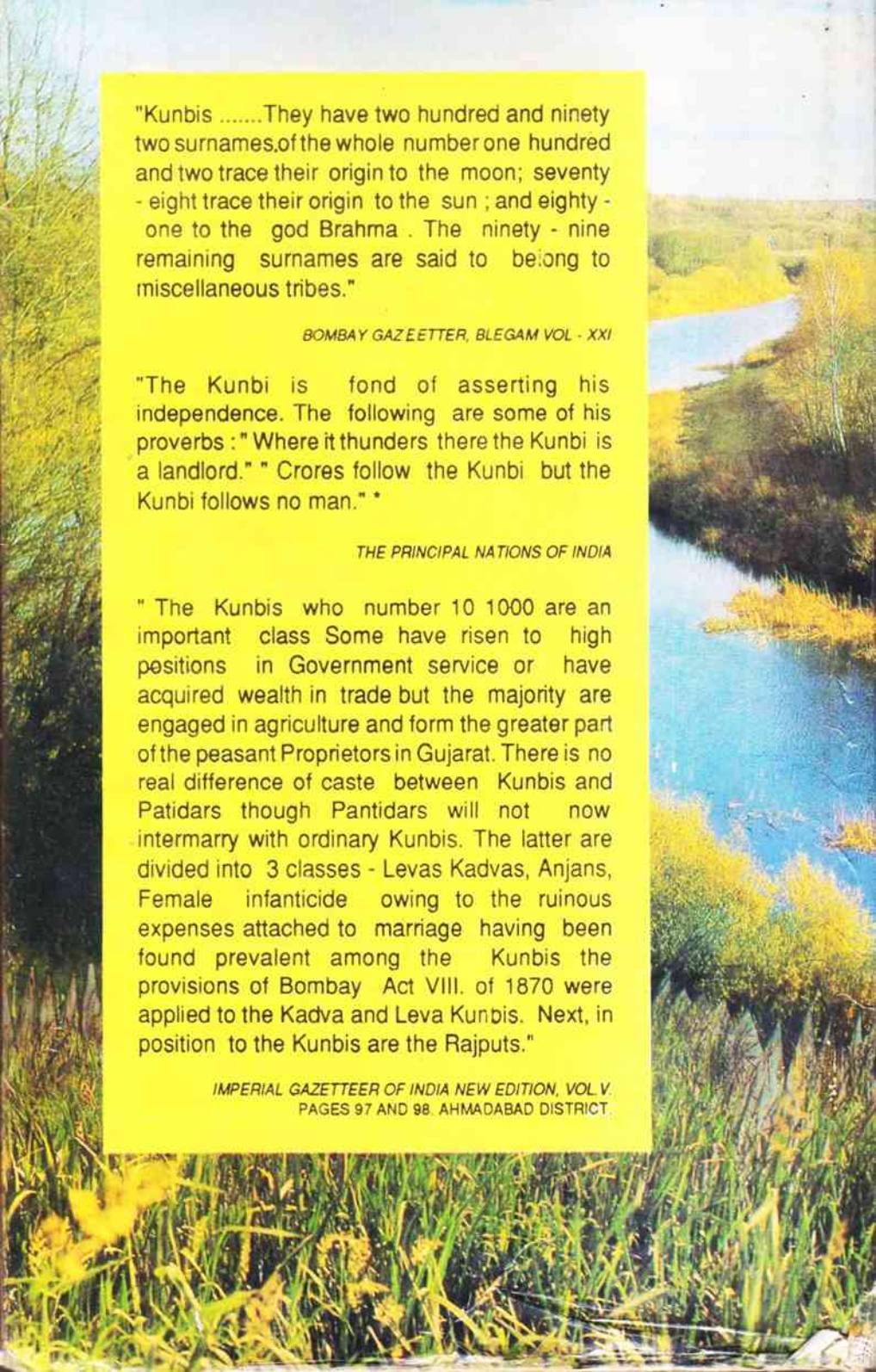
"Marathas from the majority of the Hindu population and are cultivators describing themselves as Kunbis."

Imperial Gazetteer of Indias, Kolhapur, Vol. XV.

पाटीदार समाज की पत्र–पत्रिकाएं

जिनका सामाजिक चेतना एवं राष्ट्रीय आंदोलनों में महत्त्वपूर्ण योगदान रहा –

क्रम	नाम	स्थान	संपादक	ई. सन्
१.	स्वदेश हित बोधक	बावला, अहमदाबाद	पटेल जयसिंहभाई त्रिकमभाई	१८८३–९०
२.	कुर्मी समाचार	लखनऊ, यु.पी.	रामाधीनसिंह पटेल	१८९६
३.	कडवा पाटीदार सुधार पत्र	अहमदाबाद	पटेल हठीसिंह हरगोवनदास	१८९२
४.	विजय	अहमदाबाद	प. मणीलाल दौलतराम	१९०२–६
५.	कडवा–विजय	वीरमगाम	पुरुषोत्तम लल्लुभाई परीख	१९०७–२५
६.	कृषि विजय	चांगा, गुजरात	अधिपति	१९०६–२०
७.	उमिया विजय	अहमदाबाद	केशवलाल छक्कडसिंह	१९०७–८
८.	कुर्मी हितैषी	चुनार, यु.पी.	दीपनारायणसिंह	१९०८–३०
९.	कडवा हितेच्छु	भावनगर	मूलजीभाई जेठाभाई	१९०९–१५
१०.	कडवा हितेच्छु	अहमदाबाद	चिमनभाई डी. पटेल	१९०९–१५
११.	कडवा ज्ञाति हितदर्शक	बडौदा	भगवानदास पटेल	१९११
१२.	पाटीदार हितेच्छु	बांद्रु	–	१९०८–१३
१३.	पटेल बंधु	सूरत, गुजरात	कुवरजी महेता	१९०८–२०
१४.	पाटीदार पत्रिका	आणंद, गुजरात	–	१९२२–२५
१५.	पाटीदार	आणंद	नरसिंहभाई पटेल	१९२०–३०
१६.	कडवा सुबोध	–	–	१९११
१७.	पटेल	अहमदाबाद	भाईचंदभाई पटेल	१९२०–२२
१८.	पाटीदार उदय	करांची	रतनजी शिवजी पटेल	१९२४–३०
१९.	अजवाळां	राजकोट, गुजरात	रतिभाई उकाभाई पटेल	–
२०.	केळवणी	कडी, गुजरात	छगनलाल कालीदास पटेल	१९२६–२८
२१.	भाग्योदय	सर्व विद्यालय, कडी	–	१९३०–३२
२२.	चेतन	अहमदाबाद	बबाभाई रामदास पटेल	१९२५–३५
२३.	पटेल	अहमदाबाद	मगनभाई रणछोडभाई पटेल	१९३७–३९
२४.	नवसर्जन	अहमदाबाद	रघुवीर देसाई सोमाभाई खो. पटेल	१९३९–४०
२५.	धरती	अहमदाबाद	चंदवदन लश्करी प्रभातकुमार देसाई डो. मफतभाई पटेल	१९४७ से चालू है
२६.	किरण	बम्बई	पीतांबर पटेल	१९५०–६५
२७.	पाटीदार लोक	बधाना, नीमच (म.प्र.)	रामेश्वर पाटीदार परशुराम पाटीदार राधेलालजी पाटीदार	१९५२–५६
२८.	पराग	रांदेर–सूरत	ठाकोरभाई पटेल	१९६८–७०
२९.	कडवा पाटीदार	वरसडा, गुजरात	नानुभाई पटेल	१९७९
३०.	कडवा पाटीदार परिवार	अहमदाबाद	रामूभाई पटेल	१९७९ से चालू है
३१.	पाटीदार संदेश	भुज (कच्छ)	श्यामजीभाई पटेल	१९८१ से चालू है
३२.	पाटीदार संदेश	अहमदाबाद	करमशीभाई पटेल	१९८१ से चालू है
३३.	पाटीदार जागृति	मंदसौर (म.प्र.)	डो. प्रह्लाद पाटीदार	१९८३ से चालू है
३४.	उमिया दर्शन	अहमदाबाद (गुज.)	जयंतिलाल पटेल	१९८४ से चालू है
३५.	उमावाणी	सूरत (गुज.)	नटवरलाल एन. पटेल	१९८६ से चालू है
३६.	केन्या वेंगार्ड	दक्षिण अफ्रीका	अंबालाल पटेल	१९३१
३७.	इन्डियन वोइस	दक्षिण अफ्रीका	अंबालाल पटेल	१९३१
३८.	झंझीबार समाचार	दक्षिण अफ्रीका	अंबालाल पटेल	१९३१

"Kunbis ....They have two hundred and ninety two surnames.of the whole number one hundred and two trace their origin to the moon; seventy - eight trace their origin to the sun ; and eighty - one to the god Brahma . The ninety - nine remaining surnames are said to be:ong to miscellaneous tribes."
BOMBAY GAZEETTER, BLEGAM VOL - XXI
"The Kunbi is fond of asserting his independence. The following are some of his proverbs : " Where it thunders there the Kunbi is a landlord." " Crores follow the Kunbi but the Kunbi follows no man." *
THE PRINCIPAL NATIONS OF INDIA
" The Kunbis who number 10 1000 are an important class Some have risen to high positions in Government service or have acquired wealth in trade but the majority are engaged in agriculture and form the greater part of the peasant Proprietors in Gujarat. There is no real difference of caste between Kunbis and Patidars though Pantidars will not now intermarry with ordinary Kunbis. The latter are divided into 3 classes - Levas Kadvas, Anjans, Female infanticide owing to the ruinous expenses attached to marriage having been found prevalent among the Kunbis the provisions of Bombay Act VIII. of 1870 were applied to the Kadva and Leva Kunbis. Next, in position to the Kunbis are the Rajputs."
IMPERIAL GAZETTEER OF INDIA NEW EDITION, VOL.V.
PAGES 97 AND 98. AHMADABAD DISTRICT.